हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

CIN: L99999KL1960GOI082753

63 वीं वार्षिक रिपोर्ट

63rd Annual Report

2023-2024

कोच्चि में फिनोल कॉम्प्लेक्स

Phenol Complex at Kochi

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड [CIN L99999KL1960GOI082753]

लेखापरीक्षक

कानूनी लेखापरीक्षक

मेसर्स पॉलसन & कंपनी
सनदी लेखाकार, कोची

साचिविक लेखापरीक्षक

मेसर्स जे के दास एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार,कोलकत्ता

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसेस आइसक एंड सुरेश
सनदी लेखाकार,कोची

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स आर एम बंसल एंड कंपनी
लागत लेखाकार, त्रिवेन्द्रम

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

रेजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंटस

मेसर्स बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : **बिगशेयर सर्विसेस प्रा. लिमिटेड**
कार्यालय सं ए–6, 6वीं तल, पिनाक्कल बिज़नेस पार्क
अहुरा सेंटर के आगे, महाकाली कैवस रोड़ अंधेरी(पूर्व), मुंबई–400093
टेलीफोनः 022–62638200 फैक्सः 022 62638299
ई-मेलः investor@bigshareonline.com
vinod.y@bigshareonline.com

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय एवं फैक्टरी

अंबलमुगल पी ओ, कुन्नाथुनाडु,
एरणाकुलम,केरल –682302 भारत
दूरभाष नंः 04842727342/ 2720911/ 12
ई-मेलः cs@hoclindia.com, kochi@hoclindia.com
वेबसाईटः www.hoclindia.com

अन्य स्थान :

मुंबई
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
कार्यालय सं 1003–1004, 10वीं तल
एनएमएस टाइटानियम प्रिमाइसेस को ऑ सोसाइटी लि.
प्लॉट नं 74, सेक्टर 15, सीबीडी बेलापुर, नवीं मुंबई–400614
टेली : (022–27575270

सहायक कंपनी

हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेडः
303, तीसरा तल, बाबूखान एस्टेट, बशीरबाग,
हैदराबाद – 500 001, राज्य तेलंगाना
दूरभाष : (040) 42022053.
ई-मेलः hflshareholders@gmail.com
वेबसाईटः www.hfl.co.in

नई दिल्ली :

कोर–6 स्कोप कॉम्प्लेक्स,
प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110 003.
दूरभाष : (011) 24361610 / 24364690

विषय सूची

	पृष्ठ सं.
निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियाँ	4
ऊर्जा प्रबंधन नीति	5
अध्यक्ष का वक्तव्य	8
63वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	10
निदेशकों की रिपोर्ट एवं अनुबंध	18
स्टैंडअलोन लेखा	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट स्टैंडअलोन	45
सीएंडएजी रिपोर्ट – स्टैंडअलोन	55
तुलन पत्र – स्टैंडअलोन	56
लाभ एवं हानि विवरण – स्टैंडअलोन	57
नकद प्रवाह विवरण – स्टैंडअलोन	59
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ – स्टैंडअलोन	60
समेकित लेखा	
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट समेकित	92
सीएंडएजी रिपोर्ट– समेकित	99
तुलनपत्र –समेकित	100
लाभ एवं हानि विवरण–समेकित	101
नकद प्रवाह विवरण– समेकित	103
वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ –समेकित	104

निदेशक मंडल

श्री सजीव बी (डीआईएन : 09344438)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (06.09.2021 से प्रभावी)
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला (डीआईएन : 09674122)	निदेशक (वित्त) (04.07.2022 से प्रभावी)
श्री संजय रस्तोगी (डीआईएन : 07722405)	सरकार नामिती निदेशक (13.12.2022 से 22.11.2023 तक)
श्री मनोज सेठी (डीआईएन : 00301439)	सरकार नामिती निदेशक (22.11.2023 से प्रभावी)
श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव (डीआईएन : 09699641)	सरकार नामिती निदेशक (30.03.2022 से प्रभावी)
डॉ भरत जे कनाबर (डीआईएन 09466694)	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक (24.12.2021 से प्रभावी)
श्री प्रत्युष मंडल (डीआईएन 09461918)	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक (24.12.2021 से प्रभावी)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री सजीव बी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला	निदेशक (वित्त एवं सीएफ़ओ)
श्री सुब्रामणियन एच	कंपनी सचिव

लेखापरीक्षा समिति

डॉ भरत जे कनाबर
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अध्यक्ष

श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव
गैर-कार्यकारी/ सरकार नामिती निदेशक
सदस्य

श्री प्रत्युष मंडल
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
सदस्य

श्री सुब्रामणियन एच
सचिव

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

डॉ भरत जे कनाबर
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अध्यक्ष

श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव
गैर-कार्यकारी/ सरकार नामिती निदेशक
सदस्य

श्री प्रत्युष मंडल
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
सदस्य

श्री सुब्रामणियन एच
सचिव

हितधारक संबंध समिति

श्री प्रत्युष मंडल
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अध्यक्ष

डॉ भरत जे कनाबर
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
सदस्य

श्री सजीव बी
कार्यकारी निदेशक
सदस्य

श्री सुब्रामणियन एच
सचिव

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

श्री प्रत्युष मंडल
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
अध्यक्ष

डॉ भरत जे कनाबर
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
सदस्य

श्री सजीव बी
कार्यकारी निदेशक
सदस्य

श्री सुब्रामणियन एच
सचिव

शेयर अंतरण समिति

श्री सजीव बी
कार्यकारी निदेशक
सदस्य

श्री सुब्रामणियन एच
सचिव

ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ऊप्रप्र) नीति

(आईएसओ 50001:2018 की आवश्यकताओं को शामिल करते हुए)

एचओसी के प्रबंधन और कर्मचारी निम्नानुसार प्रभावी तरीके से ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग और संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं:

- हमारी प्रक्रिया की ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा उपयोग और ऊर्जा खपत से संबंधित लागू कानूनी और अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना।
- सूचना और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करके ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनकी समीक्षा करना ताकि इनको प्राप्त किया जा सके, ऊर्जा प्रदर्शन और ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना।
- प्रमुख ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता में निरंतर सुधार करना।
- ऊर्जा बचत उत्पादों और सेवाओं की खरीद का समर्थन करना जो हमारी प्रक्रिया और उत्पाद के ऊर्जा प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं ।
- ऐसी डिजाइन गतिविधियों का समर्थन करना जो ऊर्जा निष्पादन में सुधार लाते हो ।
- कर्मचारियों और हितधारकों के बीच ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- हमारे उत्पादों और अन्य ऊर्जा प्रदर्शन संकेतकों की विशिष्ट ऊर्जा खपत की निरंतर निगरानी और अनुकूलन।

यह ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ऊप्रप्र) नीति एचओसी के बुनियादी मूल्यों, सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं, कुशल प्रौद्योगिकियों और कॉर्पोरेट दृष्टि के अनुरूप स्थापित की गई है। यह नीति हमारे सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध है।

हस्त/–

01 जनवरी 2020 **कार्यपालक निदेशक एवं इकाई प्रभारी**

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली नीति

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, भारत सरकार का एक उद्यम, जो फिनोल, एसिटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण और बिक्री करता है, निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- उत्पाद की विश्वसनीयता, समय पर वितरण और इच्छुक पक्षों को प्रासंगिक जानकारी साझा करके ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना
- अपशिष्ट उत्पादन को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए अच्छी प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली के आधार पर सभी संयंत्रों को लागू करने और संचालित करके पर्यावरण की रक्षा करना और प्रदूषण को रोकना।
- कार्य–संबंधी चोट और अस्वस्थता की रोकथाम के लिए सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिस्थितियाँ प्रदान करना
- नियंत्रण उपायों और अच्छी प्रक्रिया नियंत्रण प्रणाली को लागू करके खतरों को खत्म करना और ओएच & एस जोखिमों को कम करना
- लागू कानूनी और अन्य आवश्यकताओं सहित सभी दायित्वों का पालन करना।
- गुणवत्ता, पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों में निरंतर सुधार सुनिश्चित करना

गुणवत्ता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदर्शन को बढ़ाने में श्रमिकों का परामर्श और भागीदारी।

हस्त/–

01 जनवरी 2020 **कार्यपालक निदेशक एवं इकाई प्रभारी**

श्री सजीव बी
(डीआईएन : 09344438)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(06.09.2021 से प्रभावी)

श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
(डीआईएन : 09674122)
निदेशक (वित्त)
(04.07.2022 से प्रभावी)

श्री संजय रस्तोगी
(डीआईएन : 07722405)
सरकार नामिती निदेशक
(13.12.2022 से 22.11.2023 तक)

श्री मनोज सेठी
(डीआईएन : 00301439)
सरकार नामिती निदेशक
(22.11.2023 से प्रभावी)

श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव
(डीआईएन : 09699641)
सरकार नामिती निदेशक
(30.03.2022 से प्रभावी)

डॉ भरत जे कनाबर
(डीआईएन 09466694)
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
(24.12.2021 से प्रभावी)

श्री प्रत्युष मंडल
(डीआईएन 09461918)
गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
(24.12.2021 से प्रभावी)

कंपनी सचिव

श्री सुब्रामणियन एच
कंपनी सचिव (1/3/2022 से)

एचओसीएल में विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का औपचारिक उद्घाटन एचओसीएल के सीएमडी श्री सजीव बी ने किया। इस अवसर पर श्री एल शनिल लाल, श्री पी रविकुमार, श्री एम जे जगदीश, श्रीमती डी सिंधु, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का विषय है भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता।

World Environment Day celebrations at HOCL were formally inaugurated by Mr Sajeev B, CMD of HOCL. Mr. L Shanil Lal, Mr. P Ravikumar, Mr. M J Jagadeesh, Smt D Sindhu, other senior officials and employees were present on the Occasion.The theme of World Environment Day 2024 is Land restoration, desertification and drought resilience.

एचओसीएल को वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से द्वितीय पुरस्कार, राजभाषा पुरस्कार मिला। माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा ने बेंगलुरु में दक्षिण पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 2024 के अवसर पर पुरस्कार वितरित किए। श्री एल शनिल लाल (कार्यपालक निदेशक और इकाई प्रभारी) शील्ड और श्री रमेश ओ (मुख्य प्रबंधक (एचआर/ओएल) ने प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

HOCL received Rajbhasha Puraskar, the second prize for the best implementation of the Official Language Policy for the year 2022-23, from the Department of Official Languages, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Hon'ble Minister of State for Home Affairs, Mr. Ajay Kumar Mishra distributed the prizes on occasion of the South West & South Regional Official Language Conference in Bengaluru 2024. The Shield received by Mr. L Shanil Lal (Executive Director & UIC) and the certificate received by Mr. Ramesh O (Chief Manager (HR/OL).

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक), कोच्चि द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए एचओसीएल को प्रथम पुरस्कार तथा गृह पत्रिका `पहचान' के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह 13 मार्च 2024 को एर्णाकुलम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर श्री एम जे जगदीश को प्रमाण-पत्र तथा श्री ओ रमेश को शील्ड प्रदान की गई।

HOCL bagged first prize for best implementation of the Official Language policy and Third prize for in House Magazine PAHACHAAN by the Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Kochi for the year 2022-23. The Prize distribution ceremony was organized on 13th March 2024 at Ernakulam. Mr. M J Jagadeesh received the certificate and Mr. O Ramesh received the Shield on this occasion.

पिछले तीन वर्षों से कोई भी नमूना विफल न होने के कारण एचओसीएल को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से प्रशंसा पत्र मिला। इस अवसर पर श्री पी रविकुमार सीजीएम (उत्पादन/परियोजना/सीएलआरपी) और श्रीमती डी सिंधु सीजीएम (एफएंडएस/क्यूसी/एमएसएस) को शील्ड प्रदान की गई।

HOCL received the token of appreciation from the Bureau of Indian Standards (BIS) for no sample failure since the past 3 years. Mr. P Ravikumar CGM (Production/Projects/CLRP) and Smt. D Sindhu CGM (F&S/QC/MSS) received the shield on this occasion.

श्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एचओसीएल ने एकता दौड़ का आयोजन किया। एकता दौड़ को एचओसीएल के सीएमडी श्री बी सजीव ने हरी झंडी दिखाई। ईडी और यूआईसी श्री एल शनिल लाल ने एकता की शपथ दिलाई। एचओसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने एकता दौड़ में भाग लिया।

In connection with the birth anniversary of Shri Sardar Vallabhbhai Patel, HOCL conducted Ekta run. The Ekta run was flagged off by Mr. B Sajeev CMD of HOCL. Mr. L Shanil Lal ED & UIC administered the Unity pledge. HOCL senior officials and employees participated in the Ekta Run.

सार्वजनिक क्षेत्र दिवस 2024 के उपलक्ष्य में एचओसीएल ने साइकिल रैली का आयोजन किया। साइकिल रैली को एचओसीएल के सीएमडी श्री बी सजीव ने ईडी और यूआईसी श्री एल शनिल लाल की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

In connection with Public Sector Day celebration 2024, HOCL organized Bi-cycle rally. The Bi-cycle rally was flagged off by Mr. B Sajeev CMD of HOCL in the presence of Mr. L Shanil Lal, ED & UIC.

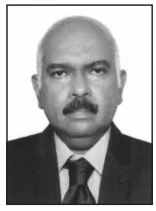

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल के अपने सहयोगियों की ओर से, मुझे कंपनी के सभी शेयरधारकों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे आपकी कंपनी के वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। आपकी कंपनी की 63वीं वार्षिक रिपोर्ट में एजीएम की सूचना, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे, निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ–साथ वर्ष 2023–24 के लिए सीएंडएजी गैर–समीक्षा प्रमाणपत्र शामिल हैं। इसके अलावा, 63वीं एजीएम सूचना में शेयरधारकों द्वारा 63वीं एजीएम में अनुमोदन के लिए विचार किए जाने वाले व्यावसायिक मदें शामिल हैं।

कार्यनिष्पादन

मुझे वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें आपके समक्ष रखते हुए बहुत खुशी हो रही है। आपकी कंपनी द्वारा की गई उपलब्धियों और पहलों का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

वित्तीय दृष्टि से बात करें तो वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की सकल आय 642.98 करोड़ रुपये की तुलना में 720.58 करोड़ रुपये की सकल आय हासिल की है, जो 12.07% की वृद्धि दर्ज करती है। बाजार की चुनौतियों के बावजूद, एचओसीएल ने यह कार्य प्रदर्शन हासिल किया।

एचओसीएल की केवल एक कार्यशील इकाई है जो केरल राज्य के एरणाकुलम जिले के अंबलमुगल में स्थित है जिसे आमतौर पर कोची इकाई के रूप में जाना जाता है। कोची इकाई फिनोल, एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में लगी हुई है। कोची इकाई में, फिनोल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड संयंत्र चालू हैं। वर्ष के दौरान कोची इकाई के मुख्य उत्पादों (फिनोल और एसीटोन) की क्षमता उपयोग में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है। कोची में फिनोल संयंत्र और हाइड्रोजन पेरोक्साइड संयंत्र ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 119% और 101% क्षमता उपयोग हासिल किया, जबकि 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान यह 93%और 99% रहे थे।

अगले वर्ष के लिए दृष्टिकोण

यह उम्मीद की जाती है कि रसायनी और पनवेल भूमि की बिक्री में तेजी लाने से वित्तीय देनदारियों में कमी आएगी और इस प्रकार वित्तीय लागत में कमी आएगी। यह उम्मीद की जाती है कि एचओसीएल के सरकारी बकाया का एक बड़ा हिस्सा रसायनी और पनवेल दोनों भूमि खंड की बिक्री आय से निपटाया जा सकता है। आपकी कंपनी मूल्य वर्धित उत्पादों में विविधीकरण की भी अधिकतम सीमा तक संभावना तलाशेगी ताकि बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव के खिलाफ कुछ हद तक सुरक्षा प्राप्त की जा सके।

उत्पादकता में सुधार के लिए, एचओसीएल ने हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन की मात्रा बढ़ाने की संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। एक अन्य परियोजना टार क्रैकिंग इकाई है जो पहले ही चालू हो चुकी है और यह प्रति वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान देगी । एचओसीएल अपने एक सह–उत्पाद – क्यूमॉक्स ऑयल से एसीटो–फिनोल के निर्माण की प्रक्रिया में भी है।

आपकी कंपनी सतर्क बनी रहेगी और उद्योग परिदृश्य में तीव्र परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाएगी।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अपनी स्थापना के समय से ही अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति बहुत सजग रही है। पिछले पाँच दशकों से भी अधिक समय से, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार और संवेदनशील कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी आस–पास के गाँवों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ प्रदान करने और विभिन्न रूपों में सहायता प्रदान करके समाज की सेवा करने के लिए सामाजिक विचार से और कार्य के प्रति प्रतिबद्ध है।

आपकी कंपनी को पिछले वर्षों में हुए घाटे के कारण कोई भी सीएसआर गतिविधियां करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्वों को पहचाना है और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाज को लाभ पहुँचाने वाली गतिविधियाँ की हैं। सीएसआर के तहत कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। आपकी कंपनी ने स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के अवसर पर विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित कीं और इसका विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में, आपकी कंपनी ने अपने परिसर में विभिन्न सफाई गतिविधियाँ आयोजित कीं, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर स्टिकर तैयार किए गए और सभी सरकारी पत्राचारों में चिपकाए गए। अगस्त 2023 तक विभिन्न गतिविधियों के साथ समारोह आयोजित किए गए।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम के अधीन सभी कर्मचारियों, स्थानीय निवासियों, आस–पास के रेजिडेंट एसोसिएशन आदि को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज वितरित किया गया।

21 जून 2023 को योग दिवस के अवसर पर, सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल का व्यापक प्रचार–प्रसार हमारे पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे कर्मचारियों के लिए योग आचार्य द्वारा "हमारे दैनिक जीवन में योग के महत्व" विषय पर व्याख्यान और एक व्यावहारिक सत्र भी आयोजित किया गया।

सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण

स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्रों में, कंपनी ने समय–समय पर चिकित्सा जांच की है, साथ ही वर्ष 2023 के दौरान कर्मचारियों के लिए फिटनेस जांच की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया। ध्वनि के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए ऑडियोमेट्री जाँच की गयी और अन्य वैधानिक नियमित जांचों के अलावा बेंजीन कार्यकर्ताओं के लिए ऑटो टॉक्सिसिटी जाँच की गयी। कर्मचारियों के सेहत को ध्यान में रखकर आयुर्वेद और स्वस्थ आहार, मधुमेह, यकृत, हृदय आदि पर समय–समय पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में, हमने यह सुनिश्चित किया है कि फैक्ट्री और आस–पास के क्षेत्रों से प्रदूषकों का स्तर स्वीकार्य स्तर से काफी नीचे रहे।

पर्यावरण संरक्षण के तहत जागरूकता सत्र, प्रतियोगिताएं, स्वच्छ भारत गतिविधियां", ग्रीन मिशन "के तहत कर्मचारियों को सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, संगठन के सभी कर्मचारी को शामिल कर संयंत्र परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत, आस–पास के स्कूलों, हिल पैलेस हेरिटेज म्यूजियम आदि में स्वच्छता गतिविधियां चलायी गईं। पौधे लगाकर विश्व पर्यावरण दिवस 2023 को मनाया गया और कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी के साथ" बीट प्लास्टिक पॉल्यूशनठ "थीम से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

आपकी कंपनी को केरल सरकार के फ़ैक्टरीस एंड बॉयलेर्स विभाग से "केरल राज्य औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार" 2023 मिला है। वर्ष 2023 के दौरान मध्यम उद्योगों (रसायन) में प्रशंसा हासिल करने पर मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल– केरल चैप्टर से एचओसीएल को अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया गया।

आईएसओ प्रमाणन

सुरक्षा सुधारों के क्रम में, संयंत्र और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संगठन द्वारा कई सकारात्मक उपाय किए गए हैं। एचओसीएल,कोची यूनिट को आईएमएस (एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) के लिए प्रमाणित किया गया है जिसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ–9001), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ–14001) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001) शामिल हैं। कंपनी को ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ–50001) के लिए भी प्रमाणित किया गया है। एचओसीएल के सभी उत्पाद बीआईएस द्वारा प्रमाणित हैं। एचओसीएल अपने औद्योगिक कैंटीन के लिए एफ़एसएसएआई द्वारा पाँच सितारा रेटिंग के साथ "ईट राइट कैंपस" प्रमाणन जारी रख रहा है। यह सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं को और अधिक महत्व देता है।

औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी में कर्मचारी लोग एक बड़ी ताकत रहे हैं। वर्ष के दौरान समग्र औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहे और वर्ष के दौरान कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं हुई।

निगम अभिशासन

कंपनी ने निगमित अभिशासन की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन जारी रखा है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए निर्धारित निगमित अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देशों का काफी हद तक अनुपालन किया है और नियमित रूप से सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कंपनी सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू विनियमों का भी अनुपालन करती है।

हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) सहायक कंपनी

हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड] एचएफ़एल [आपकी कंपनी की एक सहायक कंपनी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग ने दिनांक 29–01–2020 के नंबर पी. 51015/06/2019–केमि III के माध्यम से हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने का निर्देश संबंधी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति [सीसीईए] के निर्णय की जानकारी दी और इसे एचएफ़एल के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया।

भारत सरकार द्वारा सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने के निर्णय के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस से संबंधित खर्चों को पूरा करने और बैंक और अन्य देनदारियों का भुगतान करने के लिए भारत सरकार की ओर से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सहायक कंपनी को 75.87 करोड़ रुपये की राशि मुक्त की गई है। सीसीईए द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार मार्च 2023 के दौरान, प्लांट और मशीनरी और अन्य चल संपत्तियों की बिक्री एमएसटीसी ई– नीलामी के माध्यम से की गई और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादित की गई। बिक्री की आय प्राप्त हुई और उसे भारतीय स्टेट बैंक के एक अलग बैंक खाते में जमा कर दिया गया। भूमि की बिक्री तेलंगाना सरकार से एनओसी प्राप्त करने के अधीन है।

आभार

मैं इस अवसर पर उन सभी कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिन्होंने वर्ष के दौरान अपना समर्थन और सहयोग दिया। मैं इस अवसर पर अपने साथी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष रूप से, मैं सरकार के विभिन्न अधिकारियों, विशेषकर रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार, बैंकर्स, बोर्ड के सदस्यों, वैधानिक/सरकारी लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों और सभी संबंधित एजेंसियों का आभारी हूँ। मैं शेयरधारकों और ग्राहकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने कंपनी के परिवर्तन के वर्तमान चरण में हमारी मदद की है। एचओसीएल में आपके दृढ़ विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद

हम अपनी ओर से कंपनी के शीघ्र समग्र परिवर्तन प्राप्त करने की दिशा में पुनर्गठन योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। हम इस सतत प्रक्रिया में आपके निरंतर सहयोग की उम्मीद करते हैं।

हस्ता/–

सजीव बी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 09344438

30.08.2024

कोची, केरल

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

[सीआईएनः L99999KL1960GOI082753]

पंजीकृत कार्यालयः पोस्ट बॉक्स सं.18, अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम जिला,केरल–682302,भारत. दूरभाष सं. 0484–2727342

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के सदस्यों की 63वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **बुधवार दिनांक 25 सितंबर, 2024 को दोपहर 3.30** (भारतीयसमय) बजे निम्नलिखित कार्य निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (`वीसी`)/ अन्य श्रव्य दृश्य साधनों (`ओएवीएम") के माध्यम से संपन्न होगी :–

सामान्य कारोबार :

1. स्टैडअलोन तथा समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों जिसमें 31 मार्च, 2024 का तुलन–पत्र, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण, अनुसूचियाँ और उसके साथ संलग्न लेखाओं पर टिप्पणियाँ शामिल है तथा निदेशकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट सहित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना तथा स्वीकार करना।

2. सरकारी नामित निदेशक श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव (डीआईएनः09699641),निदेशक, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को नियुक्त करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5),जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पढ़ा जाए, के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों को जब कभी नियुक्त करने पर सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान किए जाने हेतु पारिश्रमिक नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना और विचार करना और यदि उचित समझे तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को इसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा यथा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक निश्चित और नियत करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

विशेष कारोबार

4. **श्री मनोज सेठी (डीआईएनः00301439) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति :**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना, तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करनाः

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और किसी अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ (इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू विनियमनों के साथ कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, श्री मनोज सेठी `डीआईएन' 00301439.जिन्हें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग द्वारा कार्यालय ज्ञापन संख्या पी–51015/ 12/ 2014-सीएचईएम.III/सीपीसी दिनांक 22 नवंबर, 2023 के माध्यम से हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर 22 नवंबर, 2023 से कंपनी का सरकारी नामित निदेशक नियुक्त किया जाता है और वे रोटेशन से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

5. **वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन**

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना, तथा यदि उचित समझा जाए तो उसे **साधारण प्रस्ताव** के रूप में पारित करनाः

"**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों जिसे समय–समय पर संशोधित कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स बी बी एस एसोसिएट्स को कंपनी के लागत लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा के लिए और तत्संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र (त्रों) को ज़ारी करने और वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट देने और 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी के लिए कोची यूनिट के उत्पादों के संबंध में एक्सबीआरएल ई–फोर्म्स संबंधी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ई–फाइल कार्य में मदद के लिए कुल शुल्क 50,000/- रुपए और जीएसटी के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन कंपनी एतदद्वारा करती है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
हस्त/–
(सुब्रमणियन एच)
कंपनी सचिव
(एसीएस 28380)

स्थानः कोची,केरल
दिनांकः09/08/2024

पंजीकृत कार्यालयः
पोस्ट बैग संः18,अंबलमुगल पी ओ
एरणाकुलम जिला, कुन्नाथुनाडु
केरल–682302, भारत
दूरभाष सं 0484–2727342
ई–मेलः cs@hoclindia.com
सीआईएनः L99999KL1960GOI082753

टिप्पणियाँ :

1. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (`एमसीए") ने दिनांक 8 अप्रैल 2020 के अपने सामान्य परिपत्र सं 14/2020, 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्र सं 17/2020, 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र सं 20/2020 और 25 सितंबर 2023 के सामान्य परिपत्र सं 09/2023 के परिपत्रों (सामूहिक रूप से `एमसीए परिपत्रों" के रूप में संदर्भित है)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी1सीआईआर/ पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, और सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/

सीआईआर/2023/0164 दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 (सामूहिक रूप से `सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के आयोजन की अनुमति किसी सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना दी। इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, विभिन्न एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, 63वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने सीडीएसएल के साथ मिलकर आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं और वीसी/ओएवी एमआईएस के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने, भाग लेने और मतदान करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के निर्देश दिए हैं, जो इस नोटिस का हिस्सा है। एजीएम की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी।

2. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए हकदार एक सदस्य को उसकी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि कंपनी की 63 वीं एजीएम वीडियो कॉनफेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के मुताबिक आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति अनावश्यक बना दी गयी है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।

3. वीडियो कॉनफेरेंस / ओएवीएम के माध्यम से सदस्यों की भागीदारी की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार एजीएम के कोरम के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

4. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रतिलिपि (पीडीएफ/जेपीजीफारमैट) भेजने की आवश्यकता है, इसके साथ अपने प्रतिनिधि को अपनी ओर से वीडियो कॉनफेरेंस/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और सुदूर ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के लिए अधिकृत करने हेतु विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर भेजना है। उक्त प्रस्ताव/प्राधिकरण ई–मेल के माध्यम से संवीक्षक को bhavya@legalcrew.co.in भेजा जाएगा और इसकी प्रति कंपनी को cs@hoclindia.com पर भेजा जाएँ।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) जिसके तहत अधिसूचित नियमों के अनुसरण में विशेष व्यापार के संबंध में एक व्याख्यात्मक विवरण इस सूचना के साथ जोडा गया है।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार, कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त या पुनर्नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 142 के अनुसार, लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक कंपनी द्वारा एजीएम में या इस तरह से तय किया जाएगा जैसा कि कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित कर सकती है। वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं की गई है। तदनुसार, सदस्य बोर्ड को वर्ष 2024-25 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को उचित पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।

7. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के साथ पंजीकृत अपने पते, अपने पैन, केवाईसी विवरण में किसी भी तरह का बदलाव होने पर तुरंत बिगशेयर्स सर्विसेज (पी) लिमिटेड कंपनी के आरटीए को सूचित करें। पैन, पता आदि के अद्यतन सहित केवाईसी से संबंधित जानकारी जमा करने के लिए, सदस्य https://www.hoclindia.com/form-download पर प्रासंगिक केवाईसी फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

8. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर **बही गुरुवार, 19 सितंबर, 2024 से बुधवार, 25 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन शामिल)** बंद होंगे।

9. अधिनियम की धारा 170 के तहत अनुरक्षित निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का रजिस्टर और उनकी शेयरधारिता, और अधिनियम की धारा 189 के तहत अनुरक्षित ठेके का रजिस्टर या व्यवस्था जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होगा। नोटिस में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज बिना किसी शुल्क के सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए इस सूचना के परिचालन की तारीख से 63वीं एजीएम की तारीख तक भी उपलब्ध होंगे। सदस्य जो ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए इच्छुक है, अपना आवेदन cs@hoclindia.com (ई मेल आईडी) पर एक ईमेल भेज सकते हैं।

10. अधिनियम की धारा 108 जिसे संबंधित नियमों और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूची विनियमन") के विनियमन 44 के साथ पढ़ा जाए, के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को केंद्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ("ई–वोटिंग") सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मतदान की सुविधा प्रदान की है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग करके अपना मतदान किया हैं, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे। डिमटेरियलाइज्ड, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा दूरस्थ रूप से मतदान करने का तरीका और जिन सदस्यों ने अपने ई–मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उन्हें ई–वोटिंग सेक्शन के लिए निर्देश प्रदान किए गए हैं, जो इस नोटिस का हिस्सा है। निदेशक मंडल ने सर्वश्री एएसकेबीएन एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिवों को संवीक्षक के रूप में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई–वोटिंग की जांच करने के लिए नियुक्त किया है।

11. सदस्यों के मतदान अधिकार कट–ऑफ तिथि यानी **बुधवार, 18 सितंबर, 2024** को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए शेयरों के अनुपात में होंगे। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उससे अनुरोध है कि वह इस नोटिस को केवल सूचना के लिए मानें।

12. **ई–वोटिंग की अवधि रविवार, 22 सितंबर, 2024 को 9.00 बजे (भारतीय समय) से शुरू होती है और मंगलवार, 24 सितंबर, 2024 को शाम 5.00 बजे (भारतीय समय)** समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, कट–ऑफ डेट के अनुसार, यानी 18 सितंबर, 2024 (कट ऑफ तारीख) को भौतिक या डिमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखनेवाल सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने वोट डाल सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। किसी सदस्य को किसी भी प्रस्ताव पर फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिस पर पहले ही वोट डाला जा चुका है।

13. एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी के माध्यम से एजीएम में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं गया है, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।

14. 63वीं एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने की कट ऑफ तारीख 23 अगस्त 2024 है। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों को प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख को शेयर रखता है, को अपना अनुरोध helpdesk.evoting@cdslindia.com या cs@hoclindia.com को भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें। फिरभि, यदि उसने रिमोट ई वोटिंग के लिए सीडीएसएल में पहले ही पंजीकृत किया है तो वह अपना मौजूदा यूसर आईडी और पासवर्ड का उपयोग मतदान करने के लिए किया जा सकता/सकती है। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, तो इसे www.evoting.cdsl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता विवरण/पासवर्ड भूल गए" या "भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके रीसेट किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस नोटिस में दिए गए निर्देश भाग को देखें।

15. एमसीए/सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में, 63वीं वार्षिक रिपोर्ट 2023-24, 63वीं एजीएम की सूचना और ई–वोटिंग के निर्देश केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजे जा रहे हैं जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) के साथ निर्दिष्ट तारीख 23 अगस्त 2024 के अनुसार पंजीकृत हैं। एजीएम सूचना की भौतिक प्रति और वार्षिक प्रतिवेतन 2023-24 उन सदस्यों जो इसके लिए अनुरोध करते हैं, को भेज दी जाएगी।

16. हम सदस्यों से आग्रह करते हैं कि वे ईमेल के माध्यम से कंपनी की सूचना प्राप्त करने का चयन करके पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारी प्रतिबद्धता का समर्थन करें। डिमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत करें, और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 की प्रतियां और कंपनी से अन्य सूचनाएँ इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्राप्त करने के लिए कंपनी के आरटीए, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ investor@bigshareonline.com or vinod.y@ bigshareonline.com अपने ई-मेल पते का अद्यतन करें।

17. सदस्य यह भी नोट कर सकते हैं कि 63वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 कंपनी की वेबसाइट, https:// www.hoclindia.com/agm पर, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर और सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

18. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2015 के विनियम 40 जो समय–समय पर संशोधित है, के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए अनुरोध के मामले को छोड़कर,1 अप्रैल,2019 से प्रभावी रूप में केवल डीमैटरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे देखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में सुगमता के लिए, भौतिक रूप में शेयरों को रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को डीमैटरियलाइज्ड रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रारों और ट्रांसफर एजेंटों, बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं।

19. सेबी ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य से अनुरोध करते हैं कि अपने डिपोसिटरी प्रतिभागी को अपना पैन प्रदान करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को आरटीए यानि मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अपना पैन विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

20. सेबी ने भारतीय प्रतिभूतियों में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल (ओडीआर पोर्टल) की स्थापना की है। आरटीए/कंपनी के साथ सीधे और मौजूदा स्कोर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों को हल करने के विकल्प को समाप्त करने के बाद, निवेशक स्मार्ट ओडीआर पोर्टल यानी https://smartodr.in/login के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं।

21. चूंकि एजीएम वीडियो कोन्फेरेंस / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इस नोटिस में प्रॉक्सि फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।

22. जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए cs@hoclindia.com पर बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को या उससे पहले अपने प्रश्न पहले ही भेज सकते हैं। कंपनी द्वारा ई–मेल के माध्यम से उचित रूप से उत्तर दिया जाएगा।

23. जो शेयरधारक खुद को वक्ता (स्पीकर) के रूप में पंजीकृत करना चाहते हैं, वे एजीएम से कम से कम 7 दिन पहले अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए cs@hoclindia.com पर अपना अनुरोध भेजकर ऐसा कर सकते हैं।

दूरस्थ ई–वोटिंग और वर्चुअल आम बैठक में शामिल होने के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नलिखित हैं:

1. जैसा कि आप जानते हैं, कोविड़-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, कंपनियों की आम बैठकें कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा ज़ारी दिनांक 8 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं 14/2020,13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं 17/2020, 05 मई 2020 के परिपत्र सं 20/2020 के दिशा–निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। आगामी एजीएम/ईजीएम इस प्रकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से आयोजित की जाएगी। अतः, सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम/ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. कंपनी आधनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 20 (यथा संशोधित) और सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकंटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 के प्रावधानों और एमसीए के दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई, 2020 के परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी एजीएम/ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, कंपनी ने अधिकृत ई–वोटिंग एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ एक समझौता किया है। दूरस्थ ई–वोटिंग के साथ–साथ ईजीएम/एजीएम की तारीख पर ई–वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. सदस्य नोटिस में उल्लिखित कार्यविधि का पालन करके बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। एजीएम में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भागीदारी की सुविधा पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या अधिक शेयर होल्डिंग वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखापरीक्षकों आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना एजीएम में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम का पता लगाने के उद्देश्य से गिननी जाएगी।

5. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 के अनुसार, सदस्यों को मतदान के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने और उनके द्वारा वोट देने की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल या निकाय निगम के अध्यक्ष के रूप में सदस्यों के प्रतिनिधि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं और ई–वोटिंग द्वारा अपने वोट डाल सकते हैं।

6. कॉरपोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा ज़ारी दिनांक 13 अप्रैल, 2020 की परिपत्र संख्या 17/2020 के अनुसार एजीएम बुलाने की सूचना कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड की गयी है। प्रस्तुत सूचना को स्टॉक एक्स्चेंज यानि बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com से भी प्राप्त किया जा सकता है। एजीएम की सूचना सीडीएसएल (एजीएम के दौरान रिमोट ई वोटिंग सुविधा और ई–वोटिंग प्रणाली प्रदान करनेवाला अभिकरण) की वेबसाइट www.evotingindia.com माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

7. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों जिसे 8 अप्रैल, 2020 के एमसीए परिपत्र संख्या 14/2020 और 13 अप्रैल, 2020 के एमसीए परिपत्र संख्या 17/2020 और 5 मई, 2020 के एमसीए परिपत्र संख्या 20/2020 के साथ पढ़ा जाए, के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम बुलाई गई है।

8. इस मंत्रालय के दिनांक 05.05.2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 05.05.2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 और दिनांक 28.12.2022 के सामान्य परिपत्र संख्या 10/2022 के क्रम में और उचित जांच के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि जिन कंपनियों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वर्ष 2023 या 2024 में होने वाली है, उन्हें सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05.05.2020 के पैरा 3 और पैरा 4 में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार 30 सितंबर, 2024 को या उससे पहले वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी जाएँ।

<u>शेयरधारकों को ई–मतदान और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए अनुदेश नीचे दिए है:</u>

चरण 1: डीमैट मोड़ में शेयर धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपोसीटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई– मतदान वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुँच।

चरण 2: भौतिक मोड में शेयर धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और डीमैट मोड़ के गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों मामले में सीडीएसएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुँच।

(i) मतदान की अवधि (दिनांक और समय) शुरु होकर (दिनांक और समय) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारी जो कट ऑफ तारीख (रिकार्ड तारीख) की (रिकार्ड तारीख) के शेयर भौतिक रूप में या डीमैट रूप में धारण करते हैं वे अपना मत इलेक्ट्रोनिक माध्यम से डाल सकते हैं। उसके बाद वोट करने के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मोडयूल को बंद किया जाएगा।

(ii) शेयरधारी जिन्होने बैठक की तारीख के पहले ही अपना मतदान किया हो, बैठक केंद्र में मतदान करने के लिए हकदार नहीं है।

(iii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के तहत सेबी परिपत्र संख्या **सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/परि/पी/2020/242 दिनांक 09.12.2020** के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं को सभी शेयरधारकों के प्रस्तावों के संबंध में अपने शेयरधारकों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। फिरभि, यह देखा गया है कि सार्वजनिक गैर–संस्थागत शेयरधारकों/खुदरा शेयरधारकों की भागीदारी नगण्य स्तर पर है।

वर्तमान में, भारत में सूचीबद्ध संस्थाओं को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाले कई ई–वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) हैं। इसके लिए शेयरधारकों द्वारा विभिन्न ईएसपी पर पंजीकरण और कई यूजर आईडी और पासवर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होती है।

सार्वजनिक परामर्श के अनुसरण में मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, **सभी डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/ डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के ज़रिए ई–वोटिंग** को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है। डीमैट खाताधारक ईएसपी के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी बल्कि ई–वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी।

चरण 1 : डीमैट मोड में शेयर रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में डिपॉजिटरी सीडीएसएल/एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से पहुंच।

(iv) सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई–वोटिंग सुविधा पर **सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफ़डी / सीएमडी / सीआयआर / पी /2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020** के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

उपरोक्त सेबी के परिपत्र के अनुसरण में **सीडीएसएल/एनडीएसएल डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को** ई वोटिंग करने और बैठक में भाग लेने के लिए लॉगिन तरीका नीचे दिए जाते हैं

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल के डिपॉजिटरी साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल आसान/ सबसे आसान सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ईवोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईसी/ईसीएस्ट में लॉगिन करने के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com पर जाएं और लॉग इन आइकन पर क्लिक करें और न्यू सिस्टम मईईसी चुनें। 2. सफल लॉगिन के बाद ईजी/ईजीएस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख सकेगा, जहां कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग प्रगति पर है। ईवोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के ई-वोटिंग पृष्ठ को देख सकेगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईसी/ईसीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और लॉगिन एवं न्यू सिस्टम मायईसी टैब पर क्लिक करें और फिर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहाँ ईवोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुँचने में भी सक्षम होगा।
एनएसडीएल डिपॉजिटरी के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत ठलाभार्थी स्वामीठ आइकन पर क्लिक करें जो `IDeAS' सेक्शन में उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत `ई-वोटिंग तक पहुँच' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि उपयोगकर्ता IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध है। "IDeAS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न URL: https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरहोल्डर/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध `लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको मतदान के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने **डिपॉजिटरी प्रतिभागियों** (डीपी) के माध्यम से लॉगिन करें।	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल प्रमाणीकरण के बाद आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। जिसमें आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आप को रिमोट ई वोटिंग अवधि के दौरान अपने वोट डालने के लिए या बैठक के दौरान वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	**हेल्पडेस्क विवरण**
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	सदस्य जो लॉगिन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	सदस्य जो लॉगिन करने में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे evoting@nsdllindia.com पर अनुरोध भेजकर एनडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 अँड 022 - 2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं।

चरण-2: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट रूप में शेयर रखने वाले गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के मामले में सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से प्रवेश।

(v) **डीमैट फॉर्म में गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोड़कर भौतिक शेयरधारकों** के मामले में ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

1. शेयरधारक को ई वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करना चाहिए ।
2. "शेयरहोल्डर्स" मॉड्यूल पर क्लिक करें।
3) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें
   (क) सीडीएसएल के लिए:16 डिजिट का बेनिफिशेयरी आईडी,
   (ख) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर डीपी आईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लाइंट आईडी,
   (ग) प्रत्यक्ष रुप से शेयर धारण करने वाले सदस्य कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो नंबर एन्टर करें
4) आगे प्रदर्शित इमेज वेरिफिकेशन पर एन्टर करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
5) यदि आप डीमैटीकृत शेयर धारण करते हैं और www.evotingindia.com में लॉगिन किया गया है और किसी भी कंपनी का वोट इससे पहले किया गया हो तो आपके विद्यमान पासवर्ड का उपयोग किया जाना है।

6) यदि आप पहली बार उपयोग कर रहे हैं तो नीचे दिये अनुदेशों का पालन करें।

	भौतिक रूप में शेयरधारण करने वालों को और शेयरो को डीमैट में धारण करनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को छोडकर
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी आपके पैन का 10 डिजिट अल्फा न्यूमरिक एन्टर करें (डीमैट शेयर धारकों तथा प्रत्यक्ष शेयर धारकों दोनो के लिए लागू है) • सदस्य जो जिन्होंने अपना पैन का कंपनी/डिपाजिटरी प्रतिभागी के साथ अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कंपनी / आरटीए द्वारा भेज दी गयी क्रमांक का उपयोग करें या कंपनी / आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि	लॉगिन करने के लिए अपना डीमैट खाता में दर्ज या कंपनी के रिकार्ड में दर्ज किए गए अनुसार लाभांश बैंक विवण या जन्मतिथि (दिवस/मास/वर्ष फ़ारमैट) में दर्ज करे। • यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो नंबर दर्ज करें।

(vi) इन विवरणों को उपयुक्त रूप में दर्ज करने के बाद "सबमिट" टैब क्लिक करें।

(vii) भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारक सीधे अपनी कंपनी चयन स्क्रीन पर पहुंचेगा। फिर भी सदस्य जो डीमेट रूप में शेयर धारण करते हैं अब "पासवर्ड क्रिएशन" मेनू पर पहुंच जाएगा। जहाँ उन्हें नए पास वर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से एंटर करना है। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग डीमैट धारक अन्य किसी कंपनी जहाँ उन्हे वोट करने की पात्रता हो, के सकंल्प के लिए वोट करने के लिए किया जा सकता है। बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म पर ई-वोटिंग चयन करते हो, यह सख्ती से सिफारिश की जाती है। आपका पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएं और आपका पासवर्ड गोपनीय रूप से रखने में सबसे अधिक ध्यान दें।

(viii) शेयरधारक जो भौतिक रूप से शेयर धारण करते हैं प्रस्तुत विवरणों का उपयोग केवल सूचना में निहित संकल्पों पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

(ix) ईवीएसएन पर संगत हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड पर दबाएं जिस पर आप वोट करना चाहते हैं।

(x) वोटिंग पृष्ठ पर आप "रिज्योलुशन डिस्क्रप्शन" और उक्त के विरुद्ध वोटिंग के लिए विकल्प एस/नो/ देखेंगे। अपनी इच्छानुसार यस या नो विकल्प का चयन करें। विकल्प यस का आशय है कि आप संकल्प से सहमत हैं और नो का आशय है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

(xi) यदि आप संपूर्ण रिजोलुशन विवरण देखना चाहे तो रिजोलुशन फाइल लिंक पर दबाएं।

(xii) संकल्प चयन करने के बाद, आप वोट करना चाहते हैं, सबमिट पर क्लिक करें। पुष्टि करने संबंधी एक बाक्स दिखाई पडेगा,यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ओके क्लिक करें अन्यथा आपके वोट में परिवर्तन करना है तो कैन्सल पर दबाएं और उसी प्रकार अपना वोट संशोधित करें।

(xiii) संकल्प पर आपके वोट की पुष्टि होने के बाद आपके वोट पर संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiv) आप वोटिंग पृष्ठ पर दिए गए विकल्प क्लिक हियर टू प्रिंट दबाने पर अपने द्वारा किए गए वोट का प्रिंट ले सकते हैं।

(xv) यदि डीमैट खाता धारक परिवर्तित पासवड भूल जाते हैं तो तब यूजर आईडी तथा इमेज वेरिफिकेशन कोड दबाएं और फॉरगेट पासवर्ड दबाएं तथा सिस्टिम द्वारा मांगे गए विवरण प्रदान करें।

(xvi) यदि कोई अपलोड किया गया है तो बीआर/पीओए अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे सत्यापन के लिए जांचकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xvii) **गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविध केवल रिमोट वोटिंग के लिए**

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरई आदि को छोड़कर) और संरक्षकों को www.evotingindia.com लागऑन तथा अपने को "कॉर्पोरेट" के रूप में पंजीकृत करने की अपेक्षा है ।
- उन्हें पंजीकरण प्रपत्र जिसमें संस्था की मोहर और हस्ताक्षर हो, की स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें।
- लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद उन्हें एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर एक अनुपालन उपयोगकर्ता का सृजन किया जाना है। अनुपालन उपयोगकर्ता उस यूजर खाते जिसपर वे वोट करना चाहते है को जोडने मे सक्षम हो जाएंगे।
- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप हो जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में उसे डीलिंक किया जा सकता है।
- यह अनिवार्य है कि बोर्ड संकल्प और पावर ऑफ एटोर्नी जिनको उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, का स्कैन की गई प्रति यदि कोई हो तो, सिस्टम में पीडीएफ फारमेट में संवीक्षक को उक्त की जांच के लिए अपलोड किया जाना चाहिए।
- वैकल्पिक रूप से गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों को संगत बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि के स्कैन की गई प्रति पीडीएफ/जेपीजी फारमेट में विधिवत प्राधिकृत अधिकारियों जिन्हें वोट करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के साक्ष्यंकित नमूना हस्ताक्षर सहित संवीक्षक और कंपनी को cs@hoclindia.com कंपनी द्वारा नामित इमेल पता) में भेजने की आवश्यकता है, यदि उन्होने व्यक्तिगत टैब से वोट किया है और सीडीएसएल ई वोटिंग प्रणाली में संवीक्षक के लिए उक्त की जांच के लिए अपलोड नहीं किया है।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम/ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों और बैठक के दौरान ई वोटिंग के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. वार्षिक आम बैठक के दिन बैठक में भाग लेने और ई-वोटिंग की प्रक्रिया ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान ही है।
2. बैठक में भाग लेने हेतु वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफल रूप से लॉगिन करने पर जहाँ कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा, उपलब्ध होगी ।
3. शेयरधारक जिन्होने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है बैठक में भाग ले सकते है लेकिन एजीएम में वोट करने के लिए हकदार नहीं होंगे।
4. शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
5. आगे, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए शेयरधारकों को कैमरा की अनुमति और अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट्स से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुडने वाले लैपटाप प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में विचलन के कारण ऑडियो/वीडियो की हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार के उपरोक्त गड़बड़ियों (ग्लिच) को कम करने के लिए स्थायी वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
7. शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं/प्रश्न करना चाहते हैं, कम से कम बैठक के **7 दिन पहले** अनुरोध भेजकर अपने को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत करें। इसके लिए उनके नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए का अनुरोध कंपनी

ईमेल आईडी पर भेजें। जिन शेयरधारकों को एजीएम के दौरान बोलने की इच्छा नहीं है, लेकिन पूछताछ है तो अपनी पूछताछ उनके नाम, डीमैटै खाता संख्या/ फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर (कंपनी ईमेल आईडी) का उल्लेख कर **बुधवार 18 सितंबर 2024** को या उसके पहले कंपनी के ईमेल आईडी cs@hoclindia.com में भेजा जा सकता हैं। इन प्रश्नों का उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

8. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न करने की अनुमति दी जाएगी।
9. केवल ऐसे शेयरधारक, जो एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हैं और उन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, को एजीएम के दौरान उपलब्ध ई मतदान प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।
10. यदि एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई वोट दिया जाता है और अगर वही शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा डाले गए वोटों को अमान्य माना जाएगा। बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है।

कंपनी/डिपाज़िटिरीस के साथ जिनका ई मेल पता पंजीकृत नहीं किए गए उन शेयरधारकों के लिए कार्यविधि :

1. भौतिक शेयरधारकों के लिए- कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे),पैन (पैन कार्ड की स्वसत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (आधार की स्वसत्यापित **स्कैन की गई प्रति) कार्ड) कंपनी/आरटीए के ईमेल आईडी** पर प्रदान करें।
2. डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित **डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी)** के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतन करें।
3. **व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए - कृपया अपने संबंधित डिपॉ जिटरी प्रतिभागी (डीपी) के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करें जो ई-वोटिंग और डिपॉजिटरी के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।**

यदि आपको एजीएम में भाग लेने और सीडीएसएलई वोटिंग प्रणाली के माध्यम से ई-वोटिंग के संबंध में किसी प्रकार के प्रश्न और समस्या हो तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई- मेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर संपर्क करें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतों को श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड,ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व),मुंबई- 400013 को संबोधित किया जा सकता है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजें या टोल फ्री नंबर 1800 22 55 33 पर कॉल करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार स्पष्टीकरण विवरण

मद संख्या 4: श्री मनोज सेठी (डीआईएन: 00301439) संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार की सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्ति

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। तदनुसार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-51015/12/2014-केमि.III-सीपीसी दिनांक 22 नवंबर, 2023 के माध्यम से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एफए) श्री मनोज सेठी को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सूचना दी थी।

कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत आवश्यक श्री मनोज सेठी से सभी वैधानिक प्रकटीकरण/घोषणाएँ प्राप्त हुई हैं। निदेशक मंडल ने 15 दिसंबर, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में श्री संजय रस्तोगी, एएस एंड एफए के स्थान पर श्री मनोज सेठी को एचओसीएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के सरकारी आदेश पर ध्यान दिया।

संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, हालांकि एचओसीएल के निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत सरकार के पास है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी द्वारा आम बैठक में की जाएगी। इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के तहत निर्धारित अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) के बोर्ड में व्यक्ति की नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में ली जाएगी। इसलिए, बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प के माध्यम से मद संख्या 4 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करता है।

श्री मनोज सेठी को छोड़कर कंपनी के निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, जिनसे संकल्प संबंधित है, मद संख्या 4 में निर्धारित प्रस्तावित साधारण संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा रुचि नहीं रखता है।

मद संख्या 4: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 ("नियम") के साथ पठित, कंपनी को उपरोक्त धारा के अनुसरण में जारी नियमों के तहत निर्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक है। लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल ने मेसर्स बी.बी.एस. एसोसिएट्स को कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बनाए गए लागत अभिलेखों की लागत लेखापरीक्षा करने के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में, लागत लेखाकारों को नियुक्त किया गया है, जो कुल 50,000 रुपये प्लस जीएसटी शुल्क पर हैं, तथा उनका अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करेंगे और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट देंगे, तथा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कोच्चि इकाई के उत्पादों के संबंध में एक्सबीआरएल ई-फॉर्म से संबंधित लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तैयारी और ई-फाइलिंग में सहायता करेंगे।

मेसर्स बीबीएस एसोसिएट्स ने कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के साथ, लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा साधारण संकल्प के माध्यम से अनुमोदित किया जाएगा। तदनुसार, उक्त उद्देश्य के लिए सदस्यों की सहमति मांगी जाती है।

तदनुसार निदेशक मंडल सदस्यों द्वारा अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 5 में निर्धारित प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को मद संख्या 5 में निर्धारित उक्त साधारण प्रस्ताव को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई चिंता या रुचि नहीं है।

निदेशक मण्डल के आदेश द्वारा

हस्त/-
(सुब्रमणियन)
कंपनी सचिव
(एसीएस 28380)

स्थान: कोची,केरल
दिनांक: 09.08.2024

<u>सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, और सचिवीय मानकों के विनियम 36(3) के अंतर्गत अपेक्षित 63वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का अतिरिक्त विवरण</u>

श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव का संक्षिप्त परिचय

डीआईएन	09699641
जन्म तिथि	14.11.1980
नियुक्ति की तारीख	30.03.2022
निदेशक/ केएमपी के साथ संबंध	नहीं
कंपनी में शेयरधारिता	नहीं
भुगतान के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक	नहीं
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता और संक्षिप्त बायोडाटा	श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव के पास सांख्यिकी में मास्टर डिग्री है। वे नई दिल्ली के मूल निवासी हैं। उन्हें सरकारी सेवाओं का अनुभव है। वर्तमान में वे रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स विभाग में निदेशक (रसायन) हैं।
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पदों की सूची	शून्य
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समिति की सदस्यता	शून्य
उन सूचीबद्ध संस्थाओं का विवरण जिनसे पिछले तीन वर्षों में निदेशक ने इस्तीफा दिया है	शून्य
नियुक्ति की शर्तें	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 30 मार्च, 2022 के आदेश संख्या पी-51011/6/2011-केमिकल-III/सीपीसी के माध्यम से रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के निदेशक श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में 30.03.2022 से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया है। नियुक्ति की शर्तें और नियम मंत्रालय द्वारा तय किए जाते हैं।
वर्ष 2023-24 के दौरान भाग लिए बोर्ड बैठकों की संख्या	छह (6) में से पाँच (5) बोर्ड बैठकें

श्री मनोज सेठी का संक्षिप्त प्रोफाइल

डीआईएन	00301439
जन्म तिथि	19.09.1968
नियुक्ति तारीख	22.11.2023
निदेशक/ केएमपी के साथ संबंध	कोई नहीं
कंपनी में शेयरधारिता	कोई नहीं
भुगतान के लिए प्रस्तावित पारिश्रमिक	कोई नहीं
विशिष्ट कार्यक्षेत्र में विशेज्ञता	श्री मनोज सेठी के पास एम.ए., एल. एल.बी. की डिग्री है। वे वर्तमान में भारत सरकार के रसायन उर्वरक मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव / वित्तीय सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक के पद	एक (1) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफ़एसीटी)
अन्य सूचीबद्ध कंपनियों की समितियों में सदस्यता	शून्य
उन सूचीबद्ध संस्थाओं का विवरण जिनसे पिछले तीन वर्षों में निदेशक ने इस्तीफा दिया है	शून्य
नियुक्ति की शर्तें	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने 22 नवंबर, 2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-51015/12/2014-केमि. III-सीपीसी के माध्यम से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (जेएस एंड एएफ़) श्री मनोज सेठी को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नियुक्ति की शर्तें मंत्रालय द्वारा तय की जाती हैं।
2023-24 के दौरान उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या (22.11.2023 से प्रभावी)	छह (6) बोर्ड बैठकों में से दो (2)

निदेशकों की रिपोर्ट का मसौदा

निदेशक मंडल वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखों पर लेखापरीक्षित विवरण सहित आपकी कंपनी की 63 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

1. वित्तीय परिणाम

31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम पिछले वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन के तुलनात्मक आंकडे के साथ नीचे दिये जाते हैं:

(रुपए लाख में)

विवरण	2023-24	2022-23
परिचालन से राजस्व	70,389.00	63,143.56
अन्य आय	1,669.10	1,154.60
कुल	**72,058.10**	**64,298.16**
व्यय	77,589.80	69,320.57
असाधारण मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(5,531.70)**	**(5,022.41)**
असाधारण मदें घटाएँ	-	-
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(5,531.70)**	**(5,022.41)**
घटाएँ: कर व्यय	-	-
कर बाद लाभ/(हानि)	**(5,531.70)**	**(5,022.41)**
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का निवल	**5,919.70**	**782.78**
वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय	**388.00**	**(4,239.63**

2. भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

कंपनी को वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रस्तुत करने से छूट मिल गई है।

3. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 (`अधिनियम") और इंड एएस 110 के प्रावधानों के अनुसार- 31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट में प्रदान किया गया है।

4. लाभांश

चालू वर्ष के दौरान हुई हानि को देखते हुए, निदेशक मंडल समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करता है।

5. कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन,यदि कोई हो तो:

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

6. शेयर

वर्ष के दौरान कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 3,70,00,00,000 रुपये हैं और कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी 67,26,96,000 रुपये और वरीयता शेयर पूंजी 27,00,00,000 रुपये हैं। कंपनी के शेयर बीएसई (स्क्रिप आईडी:500449) में सूचीबद्ध हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने (i) अपनी कोई भी प्रतिभूति वापस नहीं खरीदी (ii) कोई स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किए गए (iii) कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए गए (iv) कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की।

7. वित्तीय विशिष्टताएं

वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष की सकल आय 642.98 करोड़ रुपये की तुलना में 10.76% की वृद्धि दर्ज करते हुए 720.58 करोड़ रुपये की सकल आय हासिल की है।

8. आरक्षिति

कंपनी ने आरक्षिति में कोई राशि लगातार घाटे के कारण स्थानांतरित नहीं की है।

9. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की छ (6) बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर की गई:

क्रमांक	निदेशक मंडल की बैठक की संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
1.	405	18.05.2023
2.	406	01.06.2023
3.	407	08.08.2023
4.	408	09.11.2023
5.	409	15.12.2023
6.	410	09.02.2024

वर्ष के दौरान समिति की बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर की गई :

लेखापरीक्षा समिति की बैठक

क्रमांक	लेखा परीक्षा समिति की बैठक की संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तारीख
1.	91	18.05.2023
2.	92	08.08.2023
3.	93	09.11.2023
4.	94	09.02.2024

हितधारकों का संबंध समिति की बैठक

9वीं हितधारकों का संबंध समिति की बैठक 9 नवंबर 2023 को सम्पन्न हुई।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक

7वीं नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक 9 फरवरी 2024 को सम्पन्न हुई।

प्रत्येक निदेशक द्वारा भाग ली गई बैठकों का विवरण इस रिपोर्ट के अनुबंध-I की निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

10. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप धारा 3(क) जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 की धारा 92(3) और नियम 12 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसरण में 31.03.2024 को वार्षिक विवरणी का सार www.hoclindia.com/annual-return उपलब्ध किया गया है।

11. सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की एक (1) सहायक कंपनी है नामतः हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड [एचएफएल] रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के दिनांक 29 जनवरी,2020 की पत्र सं पी. 51015/06/2019-केमि-III (वॉल्यूम.II) के माध्यम से एचएफएल को बंद करने का निर्देश देते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय की जानकारी दी, जिसे शेयरधारकों द्वारा 30 मार्च, 2020 को अनुमोदित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) जिसे कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ

पढ़ा जाए, के अनुसरण में एक विवरण फॉर्म एओसी-1 में जिसमें सहायक कंपनी की वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं, बोर्ड की रिपोर्ट के **अनुबंध-II** में संलग्न किया गया है।

12. संबंधित पार्टी लेन-देन

वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी संबंधित पार्टी लेनदेन आर्म्स लेङ्गत के आधार पर थे और व्यवसाय के सामान्य क्रम में थे। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ था जो कंपनी के हितों के विपरीत था। इंड एएस-24 के तहत अपेक्षित उपयुक्त प्रकटीकरण को वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों की नोट संख्या 36 में किए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 (1) के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ किए गए अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन का विवरण, निर्धारित प्रपत्र एओसी-2 में **अनुबंध-III** के रूप में संलग्न है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

13. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

इस संबंध में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के अनुबंध IV के रूप में रिपोर्ट का हिस्सा है।

14. सेबी विनियम के अनुसार निगमित अभिशासन

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक की अनुपलब्धता के कारण कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाओं) विनियम 2015 और इसके अधीन बनाए गए विभिन्न नियमों/ विनियम के तहत निगमित अभिशासन की विभिन्न आवश्यकताओं की उस सीमा तक गैर-अनुपालन किया गया है। इस संबंध में विवरण वार्षिक रिपोर्ट के निगमित अभिशासन का हिस्सा है। निगमित अभिशासन की शर्तों की पुष्टि करने वाले पेशेवर कंपनी सचिवों से अपेक्षित प्रमाण पत्र निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित अभिभासन मार्गदर्शी तत्वों का अनुपालन।

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार ने निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर सीपीएसई को ग्रेड करने के उद्देश्य से कुछ मापदंडों को निर्धारित किया है और यह रिपोर्ट रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कंपनी डीपीई द्वारा सीपीएसई के लिए निर्धारित निगमित अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन कर रही है और नियमित रूप से रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 31.03.2024 को समाप्त चौथी तिमाही/वर्ष के लिए लागू ग्रेड "उत्कृष्ट" है। निगमित अभिशासन की शर्तों की पुष्टि करने वाला पेशेवर कंपनी सचिवों से अपेक्षित प्रमाण पत्र निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

16. निदेशक मंडल का मूल्यांकन:

सरकारी कंपनियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों से छूट दी गई है क्योंकि निदेशकों का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो अपनी स्वयं की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी होता है।

17. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नानुसार हैं:

क) श्री सजीव बी,अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (डीआईएनः 09344438)

ख) श्री योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला, सीएफओ और निदेशक (वित्त) (डीआईएनः 09674122)

ग) श्री सुब्रमणियन एच, कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (एसीएसः28380)

18. निदेशकों या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्यौरे जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए हैं या त्यागपत्र दिए गए हैं:

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने दिनांक 22-11-2023 के का.ज्ञा सं पी. 51015/12/2014-केमि.III-सीपीसी के माध्यम से श्री मनोज सेठी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को श्री संजय रस्तोगी के स्थान पर हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

19. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(39)ई के प्रावधान सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते। तदनुसार, अधिनियम की धारा 178(3) के तहत निदेशकों की नियुक्ति और अन्य मामलों पर कंपनी की नीति का विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

20. लेखापरीक्षा समिति का संयोजन तथा लेखापरीक्षा समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार न करना ।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18 के अनुपालन में 31 मार्च, 2024 को लेखापरीक्षा समिति में केवल तीन सदस्य हैं।

लेखा परीक्षा समिति/उप-समिति की संरचना, बैठकों का विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिया गया है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

21. निदेशक मंडल की समितियाँ

कंपनी के निदेशक मंडल को निम्नलिखित समितियां हैं :

i. लेखापरीक्षा समिति

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

iii. हितधारी संबंध समिति

iv. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर)

22. साचिविक मानक

कंपनी भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सभी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

23. निदेशकों का जिम्मेदारी विवरण

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। यह इंड एएस कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और उसके बाद जारी किए गए प्रासंगिक संशोधनों, नियमों के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्धारित हैं। आपके निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं -

(क) 31,मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री के प्रस्थान संबंधी उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू मानकों का अनुसरण किया गया है।

(ख) जैसाकि लेखों पर टिप्पणियों में बताया गया है ऐसे लेखा नीतियों का लगातार प्रयोग किया गया है और निर्णय तथा अनुमान लगाया जाता है कि वे उचित तथा विवेकपूर्ण है ताकि वे 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यों तथा उस अवधि के दौरान कंपनी के लाभ या हानि को सही तथा उचित ढंग से दर्शाते है।

(ग) जैसाकि इसका उचित तथा पर्याप्त ध्यान रखते हैं कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम तथा पहचान करने के लिए पर्याप्त लेखा रिकार्ड रखे गए हैं।

(घ) जैसा कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखे कार्यशील संस्था (गोइंग कनसर्न) के आधार पर तैयार किए हैं

(ङ) जैसाकि सभी लागू क़ानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों ने उचित प्रणाली अपनायी है और प्रणाली पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है और

(च) यह है कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और इस तरह की प्रणाली पर्याप्त रही और प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

24. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा –

कंपनी को प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 149 (6) और लिस्टिंग नियमों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

25. स्वतंत्र निदेशकों की पुन:नियुक्ति पर प्रकटीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की पुनः नियुक्ति नहीं की गई ।

26. निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक जिसमें योग्यताओं की पहचान करने के मानदंड, सकारात्मक लक्षण, निदेशकों की स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है, पर कंपनी की नीति.

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 5 जून, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक जिसमें योग्यताओं की पहचान करने के मानदंड, सकारात्मक लक्षण, निदेशकों की स्वतंत्रता आदि सम्मिलित है, पर इसकी नीति के प्रकटन संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) का प्रावधान और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत प्रदान किए गए अन्य मामले एक सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं।

कंपनी केंद्र सरकार का एक उद्यम है और कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार/ भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निदेशों पर है तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग के विहित निर्देशों का पालन किया जा रहा है। स्वतंत्र तथा अन्य निदेशकों की नियुक्ति की सेवा शर्तें सरकारी आदेशों के अनुसार है और इसको कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई है।

27. मध्यम कर्मचारियों के पारिश्रमिक के मुकाबले निदेशकों के पारिश्रमिक का अनुपात तथा अन्य निहित विस्तृत प्रकटीकरण तथा ब्यौरे:

अधिनियम की धारा 134 (3) (ई) के प्रावधान एक सरकारी कंपनी पर लागू नहीं हैं। नतीजतन, निदेशकों की नियुक्ति और अन्य मामलों पर कंपनी की नीति संबंधी विवरण अधिनियम की धारा 178 (3) के तहत प्रदान नहीं किया गया है। वैसे ही, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी। परिणामस्वरूप, प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक के मध्यस्थ कर्मचारी के पारिश्रमिक के अनुपात का प्रकटन और इस तरह के अन्य विवरण जिसमें कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के नाम और अन्य विवरण दिखाते हैं, जो यदि वित्तीय वर्ष के पूरे समय/ आंशिक समय में कार्यरत हैं, अधिनियम की धारा 197 (12) के संदर्भ में जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (1) / (2) के साथ पढ़ा जाए, नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक की प्राप्ति प्रदान नहीं की गई। कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पूर्ण समय निदेशकों ने इसके किसी भी सहायक कंपनियों से कोई भी पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त नहीं किया है। एचओसीएल, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके निदेशकों की नियुक्ति/ नामांकन सरकारी/ डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें योग्यता और अन्य मामलों के लिए वेतन नियतन मानदंड भी शामिल होता है।

28. लेखापरीक्षक

क) <u>सांविधिक लेखापरीक्षक</u>

सर्वश्री पॉलसन एंड कंपनी, सनदी लेखाकारों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आपकी कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सीएंडएजी द्वारा नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षकों ने उनकी स्वतंत्रता और कंपनी के साथ संबंध के स्वतंत्र व्यवहार पुष्टि की घोषणा प्रस्तुत की है। यह भी घोषणा करते हैं कि उन्होंने कंपनी के लिए कोई प्रतिबंधित गैर-लेखापरीक्षा समनुदेश नहीं लिया है। लेखा परीक्षा समिति स्वतंत्रता और लेखापरीक्षकों के उद्देश्य और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभाविता की समीक्षा करती है। लेखापरीक्षक कंपनी की वार्षिक सभा बैठक में भाग लिया जाता है। लेखापरीक्षकों ने वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में कंपनी के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किए गए धोखाधड़ी के कोई दृष्टांत रिपोर्ट नहीं किया है।

ख) <u>लागत लेखापरीक्षक</u>

निदेशक मंडल ने मेसर्स आर एम बंसल एंड कं, लागत लेखाकार, कानपुर जिनको टीसी 49/620 (2) सफनम मरवा 61–ए, मल्लिईडम, तिरुवनन्तापुरम को शाखा कार्यालय है, को वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए आपकी कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है। 26 सितम्बर 2023 को सम्पन्न 62वीं एजीएम में सदस्यों ने लागत लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान योग्य पारिश्रमिक का अनुसमर्थन किया है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड तैयार और बनाए रखने का कार्य किया है।

ग) <u>आंतरिक लेखापरीक्षक</u>

सर्वश्री आइसक एंड सुरेश, सनदी लेखाकारों,एरणाकुलम, केरला को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आपकी कंपनी के कोची इकाई और मुंबई कार्यालय के आंतरिक लेखापरीक्षकों के रूप में निदेशक मंडल द्वारा पुनः नियुक्त किया गया है। उन्होंने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए तिमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति की है। आंतरिक लेखा परीक्षकों की ओर से कोई बड़ी टिप्पणी नहीं की गई है।

घ) <u>सीएजी लेखापरीक्षक</u>

वित्तीय विवरणों पर (स्टैंडएलोन एवं समेकित) पर अनुपूरक लेखापरीक्षा प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (शिप्पिंग), मुंबई द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (<u>सीएजी</u>) ने 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए एचओसीएल के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की "शून्य" टिप्पणी रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

ड़) <u>साचिविक लेखापरीक्षक</u>

निदेशक मंडल ने सर्वश्री जे के दास एंड एसोसिएट्स, पेशेवर कंपनी सचिव को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए साचिविक लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है। साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणी/ के निरीक्षण और उसपर प्रबंधन के उत्तर नीचे दिये जाते हैं।

टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। यह देखा गया कि 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त है।	एचओसीएल रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसा एवं उर्व मंत्रालय), रसायन और पेट्रो रसायन विभाग (डीसीपीसी), भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सीपीएसई (केंद्रीय पीएसयू / पीएसई) है। इसलिए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय प्रशासनिक मंत्रालय है और कंपनी के आर्टिक्ल्स ऑफ एसोसिएशन (एओए) के अनुसार, एचओसीएल कंपनी के निदेशक मंडल को नियुक्त करने की शक्तियां भारत सरकार/ प्रशासनिक मंत्रालय के पास निहित हैं। वर्तमान में, एचओसीएल में एक (**1**) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त है। रिक्ति को भरने के लिए, कंपनी ने दिनांक 16 जून, 2022 और 13 सितंबर,2022 को पत्र और दिनांक 10 जनवरी,2023 और फिर 15 जून,2023, 13 नवम्बर,2023,19 जनवरी, 2024 और 31 मई,2024 को ई-मेल द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध किया कि एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक (**1**) महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति किया जाए। कंपनी इस संबंध में मंत्रालय से आवश्यक आदेश का इंतजार कर रही है।

29. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सतर्कता मामलों के विवरण

01.04.2023 को अथशेष	01.04.2023 से 31.03.2024 तक प्राप्त सतर्कता मामले	निपटाए गए	शेष
शून्य	0	0	शून्य

30. लंबित सीएजी पैरा की स्थिति और प्रबंधन का उत्तर: शून्य

31. सुरक्षा,स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

एचओसीएल आईएमएस (एकीकृत प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त कंपनी है, जिसमें गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ-9001), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ-14001) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001) शामिल है। कंपनी को ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ -50001) के लिए भी प्रमाणित किया गया है। एचओसीएल अपने औद्योगिक कैंटीन के लिए एफएसएसएआई द्वारा पाँच सितारा रेटिंग के साथ "ईट राइट कैंपस" प्रमाणन जारी रख रही है।

1. स्वास्थ्य

हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि एचओसीएल ने फैक्टरीस एंड बॉयलेर्स डिपार्टमेंट, केरल सरकार द्वारा औद्योगिक सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए केरल औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 2023 जीता; श्रेणी II (251-500 श्रमिकों को रोजगार देने वाली बड़ी फैक्ट्रियां); उप श्रेणी-I (रसायन, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, सामान्य इंजीनियरिंग/ ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग)। फैक्टरीस एंड बॉयलेर्स डिपार्टमेंट, केरल सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा समिति (व्यक्तिगत पुरस्कार) के लिए केरल औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 2023। फैक्टरीस एंड बॉयलेर्स डिपार्टमेंट, केरल सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यकर्ता (श्री सुरेश कुमार- क्यूसी विभाग) के लिए केरल औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 2023। कंपनी की स्थापना के बाद से, यह पहली बार एचओसीएल को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा समिति और सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा कार्यकर्ता पुरस्कार मिल रहे हैं।

हमारे कर्मचारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल, केरल चैप्टर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पुरस्कार जीते। एचओसीएल ने वर्ष 2023 के दौरान मध्यम उद्योग (रसायन) में प्रशंसा प्राप्त करने पर मेसर्स नेशनल सेफ्टी काउंसिल- केरल चैप्टर से अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया। कंपनी ने वर्ष 2023 के लिए 866232 सुरक्षित मानव घंटे हासिल किए हैं, जिसमें संगठन में कोई भी समय की हानि नहीं हुई है। कंपनी ने सामान्य सुरक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अलावा सुरक्षा संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए कई नए उपाय लागू किए हैं। सुरक्षा समिति में ठेका श्रमिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। ठेका श्रमिकों को निकट-चूक की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

संयंत्र के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों से जुड़े खतरों और उपयोग किए जाने वाले संबंधित पीपीई के बारे में जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। किसी भी काम को शुरू करने से पहले एचओसीएल पर्यवेक्षक द्वारा टूल बॉक्स टॉक सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें विशिष्ट कार्यों को करने के लिए सुरक्षा और पीपीई के उपयोग के महत्व पर जोर दिया जाता है। ठेका श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्निशमन और सुरक्षा विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है। गश्त के दौरान अग्निशमन और सुरक्षा विभाग यह सुनिश्चित करता है कि काम वैध वर्क परमिट के साथ किया जा रहा है। इस पहलू में सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा सेफ्टी वॉक भी की जाती है। काम शुरू होने से पहले शट डाउन के दौरान श्रमिकों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। आवश्यक पीपीई पहनने और सामान्य सुरक्षा पहलुओं पर ब्रीफिंग दिए जाने के बाद ही श्रमिकों को सुरक्षा द्वारा संयंत्र परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। कैंटीन कर्मचारियों को एलपीजी और एलएनजी सुरक्षा पर जागरूकता कक्षा दी गई।

सड़क सुरक्षा सप्ताह, अग्नि सप्ताह और विद्युत सुरक्षा सप्ताह सहित सुरक्षा के संबंध में आयोजित प्रतियोगिता में भागीदारी। सड़क सुरक्षा सप्ताह जागरूकता/ प्रतियोगिता में भागीदारी सहित ट्रक ड्राइवरों के लिए जागरूकता वर्ग का आयोजन किया। विश्व नेत्र दृष्टि दिवस (12 अक्टूबर 2023) के उपलक्ष्य में कर्मचारियों के लिए नेत्र सुरक्षा के महत्व के साथ-साथ उपयुक्त नेत्र वस्त्रों के चयन पर कक्षा आयोजित की गई। एक ऑनलाइन एचएसई अनुपालन प्रणाली स्थापित की गई है। समीक्षा और विश्लेषण के बाद शीर्ष प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

युवा मन को विकसित करने के लिए पास के स्कूल के छात्रों को ई-कचरे से निपटने के बारे में जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। हमारे अधिकारियों द्वारा 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को प्रयोगशाला सुरक्षा पर एक सत्र भी संचालित किया गया और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में रसायनों का विश्लेषण करते समय छात्रों को संबंधित पीपीईएस भी प्रदान किए गए।

2023 के दौरान अतिरिक्त उपाय:

1. स्काफ़्फ़ोल्डिंग के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित की गई:

   स्काफ़्फ़ोल्डिंग कार्यान्वयन में एक उचित ढांचा स्थापित किया गया था जिसमें स्काफ्फोल्डिंग मैनुअल, निर्माण और प्रक्रिया की तैयारी और स्काफ्फोल्डिंग से संबंधित कार्यों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए तैयार की गई चेकलिस्ट शामिल थी।

2. सुरक्षा नवाचार:

   एयरपोर्ट में हुई वास्तविक समय की दुर्घटना के आधार पर लाइट पैनल ब्रैकेट को ऊपर उठाने और नीचे करने के दौरान व्यक्ति की सुरक्षा के लिए हाई मास्ट लाइट टावरों में संशोधन किए गए हैं।

3. जॉब सेफ्टी एनालिसिस (जेएसए):

   जॉब सेफ्टी एनालिसिस सुरक्षा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण है जो संगठनों को संभावित खतरों को व्यवस्थित रूप से पहचानने और उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले संबोधित करके कार्यस्थल की चोटों और बीमारियों को रोकने में मदद करता है। यह एक सुरक्षित कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है और श्रमिकों के बीच समग्र सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाता है। जेएसए प्रमुख कार्यों के लिए किया गया था।

4. फैबसेफ :

   कंपनी ने फैक्ट्रीज और बॉयलर्स विभाग, केरल सरकार के सहयोग से राज्य भर में खतरनाक रसायनों के परिवहन की निगरानी और अनुवीक्षण के लिए एक वास्तविक समय वाहन पता लगाने वाली ट्रैकिंग प्रणाली को सक्षम किया है।

5. रोसेर्स (रिमोट सेंसिंग सक्षम ऑनलाइन रासायनिक आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली):

   हमारी कंपनी रोसेर्स का हिस्सा रही है, जो फैक्ट्रीज और बॉयलर्स विभाग, केरल सरकार, एनआरएससी (राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर) और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम की एक संयुक्त परियोजना है। यह आस-पास के निवासियों को आसन्न औद्योगिक दुर्घटना के बारे में चेतावनी देने के लिए है। स्थापित एलपीजी सेंसर फैक्ट्रीज और बॉयलर्स विभाग को एक प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली सक्षम करेगा, रिपोर्टिंग तात्कालिक है। यह प्रणाली जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन केंद्र को खतरनाक प्रतिष्ठानों में रासायनिक आपातकाल की सभी जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है।

   क) <u>एचएसई सुझाव योजना</u>

   एक नई पहल जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को अपने रचनात्मक और संभावित विचारों को सामने रखने के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे सुरक्षा, अपव्यय में कमी, कर्मचारियों के स्वास्थ्य में काफी सुधार हो और परिचालन नियंत्रण और सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से वनस्पतियों और जीवों या प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा में सके। इसके अलावा, एचएसई पर इनपुट प्राप्त करना, जहां अन्यथा हमें प्राप्त नहीं हो पाता। वर्ष में प्राप्त सर्वोत्तम सुझावों को मूल्यांकन के बाद लागू किया गया है, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सका और अतिरिक्त स्वास्थ्य जांच शुरू की जा सकी तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

   ख) <u>व्यवहार आधारित सुरक्षा (बीबीएस)</u>

   मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन है और स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने में व्यक्तिगत व्यवहार मान्यता प्राप्त बाधा है। बहुत से लोग जानते हैं कि वे जो कर रहे हैं वह गलत है, लेकिन फिर भी वे इसे करना ही चुनते हैं। अन्य लोग अनजाने में गलतियाँ करते हैं, और उन लोगों को व्यावहारिक सुरक्षा के बारे में निर्देश दिया जा सकता है। मानव व्यवहार को रोकने और नियंत्रित करने तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यवहार आधारित सुरक्षा कार्यक्रम को महत्व मिला है।

   कंपनी के पास अपनी ऑनलाइन वर्क परमिट सिस्टम है, जिसमें 6 अलग-अलग वर्क परमिट शामिल हैं, जैसे कि हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, सीमित स्थान में प्रवेश, ऊंचाई पर काम, उत्खनन और रेडियोग्राफी। एचओसीएल ने 29-बिंदु दुर्घटना जांच चेकलिस्ट के माध्यम से दुर्घटना/घटना जांच में बेंचमार्क विकसित किया है। कंपनी ने नियर मिस रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया है, जिसके तहत कर्मचारी किसी भी असुरक्षित कार्य/स्थिति की रिपोर्ट कर सकते हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समीक्षा के बाद सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

   कर्मचारियों को फायर एंड सेफ्टी पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण सत्र प्रदान किए गए। ड्राइविंग में सुरक्षा संस्कृति बनाने के लिए ट्रक ड्राइवरों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रशिक्षण दिया गया।

   युवा मस्तिष्कों में सुरक्षा संस्कृति विकसित करने के लिए निकटवर्ती स्कूल के छात्रों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

   कर्मचारियों के बीच सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। संबन्धित सांविधिक प्राधिकरणों के सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह, सड़क सुरक्षा सप्ताह,विद्युत सुरक्षा सप्ताह आदि मनाए गए ।

   सुरक्षा के बारे में युवा मस्तिष्कों को प्रोत्साहित करने के लिए बी. टेक./डिप्लोमा/एम.एससी. करने वाले छात्रों को प्लांट विजिट/इंटर्नशिप की अनुमति दी गई। इसके अलावा, फैक्ट्रीज अधिनियम 1948 की धारा 41 सी (बी) के अनुसार सुपरवाइजरी ट्रेनिंग कोर्स के प्रतिभागियों को विजिट की अनुमति दी गई।

2. <u>स्वास्थ्य</u>

   स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्रों में, कंपनी ने समय-समय पर चिकित्सा जांच की है, साथ ही वर्ष 2023 के दौरान हमारे कर्मचारियों के लिए फिटनेस जांच की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। शोर के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए ऑडियोमेट्री परीक्षण किए गए और अन्य वैधानिक नियमित जांचों के अलावा बेंजीन हैंडलर्स के लिए ऑटोटॉक्सिसिटी परीक्षण किए गए।

   - कर्मचारियों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
   - आयुर्वेद और स्वस्थ आहार, मधुमेह, यकृत, हृदय आदि पर कर्मचारियों के लाभ के लिए समय-समय पर जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
   - कैंसर जागरूकता सप्ताह के संबंध में, प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा

कर्मचारियों के लिए कैंसर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। 40 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष कर्मचारियों के लिए पीएसए–परीक्षण शुरू किया गया। साथ ही, 40 वर्ष से अधिक आयु की महिला कर्मचारियों के लिए पीएपी स्मीयर, ट्रांसवेजिनल यूएसजी की शुरुआत की गई।

- सभी महिला कर्मचारियों के लिए यूएसजी ब्रेस्ट, मैमोग्राम, यूएसजी एब्डोमेन
- कैंटीन कर्मचारियों के लिए– सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी, एफएलपी, यूआरई, एफबीएस, यूरिक एसिड, एचबीए1सी, स्टूल आरई। ये अतिरिक्त परीक्षण पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त और पुरस्कृत एचएसई सुझावों का परिणाम हैं।
- उच्च बीएमआई वाले कर्मचारियों के लिए 120–दिवसीय स्वास्थ्य चुनौती (वजन घटाना, पेट घटाना) का आयोजन किया गया।
- कर्मचारियों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में प्रेरित करने के लिए, साइकिल रैली, वॉकथॉन, मास रन आदि का आयोजन किया गया, कोच्चि में एक मीडिया हाउस और एक प्रमुख बैंक द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित मिडनाइट रन में महिला कर्मचारियों को सहायता प्रदान की गई।
- मध्य–ग्रीष्म अवकाश के दौरान कर्मचारियों के बच्चों के लिए तैराकी कक्षा आयोजित करने के लिए क्लबों को वित्तीय सहायता दी गई।
- 50 कर्मचारियों की भागीदारी के साथ एचओसीएल में एक रनिंग क्लब शुरू किया गया। इसके हिस्से के रूप में, कर्मचारियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, एचओसीएल टाउनशिप में रहने वाले कर्मचारियों को प्रदान करने के लिए दो साइकिलें खरीदने के लिए क्लबों को वित्तीय सहायता दी गई।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में नए उपकरणों की शुरूआत से प्रयोगशाला कर्मियों का रसायनों के संपर्क में आना कम हो गया।

3. पर्यावरण

पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में, हमने यह सुनिश्चित किया है कि फैक्ट्री और आस–पास के इलाकों से निकलने वाले प्रदूषकों का स्तर अनुमेय स्तर से बहुत कम हो। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता सत्र, प्रतियोगिताएं, स्वच्छ भारत गतिविधियां, "ग्रीन मिशन" के तहत कर्मचारियों को सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, संगठन के सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए प्लांट परिसर का सौंदर्यीकरण किया गया। स्वच्छता अभियान के तहत, आस–पास के स्कूलों, हिल पैलेस हेरिटेज म्यूजियम आदि में स्वच्छता गतिविधियां की गईं।

विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पौधे लगाकर मनाया गया और कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी के साथ "प्लास्टिक प्रदूषण को हराएं" थीम से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालन करने के लिए ऑनलाइन अपशिष्ट निगरानी और स्टैक निगरानी प्रणाली लागू की गई है। निरंतर सुधार के लिए अग्निशमन दल की दैनिक गश्त के अलावा सुरक्षा समिति के सदस्यों द्वारा समय–समय पर निरीक्षण और सुरक्षा वॉक किया गया। संबंधित द्वारा प्रयोगशाला विश्लेषण की दैनिक निगरानी निर्धारित मापदंडों/ मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। आईएमएस के हिस्से के रूप में आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) की आंतरिक/निगरानी लेखापरीक्षा के अनुसार अवलोकनों और सुधारात्मक कार्रवाइयों का अनुपालन, पर्यावरण से संबंधित निकट चूक और एचएसई सुझाव बिंदुओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है कि एचओसीएल प्रकृति की सुरक्षा के लिए उचित देखभाल कर रहा है।

32. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग और विभिन्न क्षमताओं से युक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपाय

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण और अन्य कल्याणकारी उपायों के संबंध में सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। कार्य स्थल पर विभिन्न क्षमताओं के व्यक्तियों के लिए विशेष व्यवस्था के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

31.03.2024 को रोजगार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, विभिन्न क्षमताओं से युक्त व्यक्तियों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व

संवर्ग	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	विभिन्न क्षमताओं से युक्त	महिलाएं
क	93	11	6	12	2	10
ख	27	5	2	8	-	-
ग	58	11	2	30	1	4
घ	10	1	-	1	-	-
कुल	**188**	**28**	**10**	**51**	**3**	**14**

33. राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखा। वर्ष के दौरान 08 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें कॉर्पोरेट कार्यालय, कोच्चि के विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम 2023–24 पर एक विशेष सत्र भी शामिल था। 14 से 29 सितंबर 2023 तक हिंदी सप्ताह और हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हमारे अधिकारियों ने 14 और 15 सितंबर 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित तीसरे अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी में भाग लिया। हिंदी पखवाड़े के समारोह के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और इनमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। एचओसीएल ने वर्ष 2022–23 के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से राजभाषा कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए क्षेत्र `ग' में पीएसयू श्रेणी में क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार – द्वितीय पुरस्कार जीता। एचओसीएल को वर्ष 2022–23 के लिए माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री से राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए तीसरा पुरस्कार मिला। एचओसीएल कोच्चि इकाई ने वर्ष 2023–24 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) से राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार और ई–पत्रिका "पहचान" के लिए तीसरा पुरस्कार भी जीता। हमारे कार्यालय ने नराकास (पीएसयू), कोच्चि द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। कोच्चि के नराकास (केंद्र सरकार और पीएसयू) के हिंदी कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय राजभाषा सेमिनार 18 अगस्त 2023 को हमारे कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और छात्रों के लिए दो दिवसीय तकनीकी कार्यशालाएं 14 और 15 दिसंबर 2023 को आयोजित की गईं। हमारे कार्यकारी निदेशक और यूआईसी ने 19 जनवरी 2024 को बेंगलुरु में राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा संयुक्त सम्मेलन में भाग लिया और माननीय गृह राज्य मंत्री से पुरस्कार प्राप्त किया। कोच्चि नगर राजभाषा (पीएसयू) के संयुक्त हिंदी समारोह 2023 के दौरान हमारे कार्यालय में अनुवाद, टिप्पणी एवं प्रारूपण और तकनीकी शब्दावली प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। छात्रों में हिंदी के महत्व को अवबोध जगाने के लिए, 10 जनवरी 2024 को सेंट पीटर्स कॉलेज, कोलेनचेरी और श्री शंकरा विद्यापीठम कॉलेज, आईरापुरम, एरणाकुलम के छात्रों के लिए हमारे प्रशिक्षण केंद्र में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। पूरे दिन के कार्यक्रम के दौरान प्रतियोगिताएं और जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। 21 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर कर्मचारियों के लिए

प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। दिनांक 28.09.2023 और 26.03.2024 को कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यावहारिक कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए गए। हमारी कंपनी ने हिंदी विभाग, कुसाट में ग्रीन लिटरेरी सेंटर द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का प्रायोजन किया। 20.10.2023 और 21.12.2024 को क्रमशः जीवीएचएसएस, त्रिपुनितुरा और हिंदी विभाग, कुसाट, कोच्चि में राजभाषा और करियर पर एक आदान–प्रदान सत्र आयोजित किया गया। हिंदी में मौलिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजना हमारी इकाई में पहले से ही लागू थी। राजभाषा के बेहतर कार्यान्वयन सहित विभिन्न प्रचार योजनाओं को हमारे संगठन द्वारा अपनाया गया है। राजभाषा हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए, फरवरी और मार्च 2024 के महीने के दौरान केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बीए/एमए हिंदी छात्रों के लिए राजभाषा चेतना कार्यक्रम नामक एक बाहरी संपर्क कार्यक्रम (आउटरीच कार्यक्रम) आयोजित किया गया था। इस राजभाषा जागरूकता कार्यक्रम में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

34. नागरिक चार्टर, लोक शिकायत निवारण, ग्राहक सुरक्षा प्रणाली और सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए आरटीआई अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुरूप, हमारे संगठन ने मांगी गई सूचना के अधिकार को संभालने के लिए प्रयास किए हैं। कंपनी ने लोक सूचना अधिकारी/सीपीओ और अपीलीय प्राधिकरण के माध्यम से जानकारी प्रदान करने के लिए कार्य प्रक्रिया निर्धारित की है.

आरटीआई आवेदन– संक्षिप्त विवरण

वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या नीचे दी जाती हैं

वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या	46
वर्ष 2022–23 के दौरान खारिज किए गए आवदानों की संख्या यदि कोई हो तो	0
वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत सूचना	45
31.03.2023 को लंबित उत्तर	1*

*आरटीआई आवेदन का उत्तर बाद में प्रस्तुत किया गया है।

35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

एमएसएमई से अधिप्राप्ति के लिए निर्दिष्ट वस्तुओं की खरीद के लिए सरकारी निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। निविदाओं में भाग लेने के लिए एमएसएमई की पात्रता बताते हुए सभी निविदाओं में आवश्यक प्रक्रियाएं की गई हैं। हमने निविदा शर्तों में प्रतिबंधित क्लॉज़ को हटा दिया है और इसे संशोधित किया है जो एमएसएमई और विशेष रूप से एससी/एसटी/एमएसएमई की खरीद प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक भागीदारी में मदद करेगा। कंपनी ने निर्देशों के अनुपालन के लिए खरीद नीति को भी संशोधित किया है.

एचओसीएल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास करता है। एचओसीएल एमएसएमई संबंध पोर्टल पर अपने खरीद डेटा को मासिक रूप से अद्यतन करता है। एचओसीएल ने जीईएम पोर्टल और एमएसएमई से खरीद बढ़ाने के लिए एमएसएमई–विकास और सुविधा कार्यालय, त्रिशूर, केरल द्वारा आयोजित विक्रेता विकास कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। हमारे खरीद के मूल्य के 95% पेट्रोलियम उत्पादें (एलपीजी, बेंजीन, फर्नस ऑयल और हाइड्रोजन हैं– जो हमारे कच्चे माल हैं।) जो सर्वश्री बीपीसीएल से पाइपलाइन ट्रांसफर के माध्यम से आपूर्ति की जाती है। ये मदें एमएसएमई द्वारा निर्मित नहीं हैं और जेम पोर्टल में उपलब्ध नहीं हैं।.

36. सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारियाँ और व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट

कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के प्रकटीकरण के संबंध में सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2015 कंपनी के लिए लागू नहीं है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दैनिक गतिविधियों में प्रबंधन सिद्धांतों के लाभों को अपनाया और कार्यान्वित किया है। ये प्रबंधन सिद्धांत संगठन के प्रदर्शन पर लगातार सुधार करने के लिए आधार प्रदान करेंगे। संगठन व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ जुडने के लिए निम्नलिखित सिद्धांत को स्वीकार करता हैं.

1. ग्राहक केन्द्रित
2. नेतृत्व
3. संगठन के भीतर बेहतर सूचना प्रवाह सहित संसाधनों का उपयोग
4. प्रक्रिया दृष्टिकोण; और इसका निरंतर सुधार,
5. जोखिम और अवसर और वास्तविक समय पर निर्णय
6. कार्य स्थल पर आंतरिक संसाधनों का विकास करना और काम पर बेहतर मानवीय संबंधों को बनाए रखना.

हमने पीडीसीए साइकल सहित दैनिक कार्यों में "प्रक्रिया दृष्टिकोण" को अपनाया है। हमने अपने अधिकांश प्रबंधन प्रणाली में प्रभावशीलता को विकसित करने, कार्यान्वित करने और सुधारने के लिए जोखिम–आधारित सोच के उपयोग पर विचार किया है। यह दृष्टिकोण हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को प्रक्रियाओं के बीच अंतर्संबंधों और अन्योन्याश्रितियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करके संगठन के समग्र प्रदर्शन को बढ़ाने में सक्षम बनाता है.

ग्राहक विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राप्त करने के साथ समझ और स्थिरता;

- अतिरिक्त मूल्य के संदर्भ में हमारी प्रक्रियाओं का विचार;
- प्रभावी प्रक्रिया कार्य निष्पादन की उपलब्धि;
- वास्तविक समय पर डेटा और सूचना के आधार पर हमारी प्रक्रियाओं में सुधार.

हम कार्य परिणामों को अधिकतम करने के लिए जोखिमों और अवसरों का सामना करने के लिए विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से योजना और कार्यान्वित करते हैं, लेकिन यह बेहतर परिणाम प्राप्त करने और हमारे उत्पादों, संचालन, सेवाओं के नकारात्मक प्रभावों को रोकने के लिए सीमित नहीं हैं.

हमारे कारोबार ऐसी वस्तुएं और सेवाएँ प्रदान करते हैं जो सुरक्षित हैं और उनके पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान करती हैं और सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देते है, हितधारकों के हितों का सम्मान करती हैं, सभी हितधारकों विशेष रूप से वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए पर हैं के प्रति उत्तरदायी भी है। हमारे कारोबार पर्यावरण से संबंधित प्रासंगिक वैधानिक नियमों का अनुपालन करते हुए सुरक्षित और बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए सम्मान, संरक्षण और प्रयास करते हैं। हमारे कारोबार जिम्मेदार तरीके से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं का समर्थन और मूल्य प्रदान करते हैं।

37. वर्ष के दौरान सीएसआर नीति का विवरण

कंपनी अपनी स्थापना से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में बहुत जागरूक है। सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार और संवेदनशील कॉर्पोरेट के रूप में पिछले पाँच दशकों में, आपकी कंपनी सामाजिक विचार के लिए प्रतिबद्ध है और पड़ोसी गाँवों को बुनियादी नागरिक सुविधाएँ प्रदान कर,विविध माध्यम से सहायता प्रदान करते हुए समाज की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध भी है।

चूँकि पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध घाटा है, इसलिए आपकी कंपनी को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी सीएसआर गतिविधियाँ करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्वों को पहचाना है और वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए:

- स्थानीय निवासियों को पेयजल की आपूर्ति ज़ारी करना सुनिश्चित की गई ।

- वडवुकोड़ ग्राम पंचायत के हरिता कर्मा सेना के सदस्यों को समाज के प्रति उनकी अथक और समर्पित सेवा के लिए एचओसीएल द्वारा सम्मानित किया गया

अन्य गतिविधियां

स्वच्छ भारत अभियान

- 01.09.2023 से 15.09.2023 तक **स्वच्छता पखवाड़ा** मनाया गया तथा विभिन्न प्रतियोगिताएं, स्वच्छता अभियान, वेबिनार, जागरूकता कक्षाएं आदि आयोजित की गईं।
- हमारे कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पास के सरकारी स्कूल (जी.वी.एच.एस.एस., अंबलमुगल) में स्वच्छता अभियान चलाया गया तथा ई–कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर छात्रों के लिए जागरूकता सत्र आयोजित किया गया तथा छात्रों को "ई–कचरा जागरूकता आदर्श वाक्य" के साथ पिन बैज प्रदान किए गए तथा छात्रों के लिए स्टेनलेस स्टील लंच प्लेट दान की गईं।
- 15.09.2023 से **स्वच्छता ही सेवा 2023** मनाया गया तथा "**कचरा मुक्त भारत**" थीम का व्यापक प्रचार करने के लिए घरों/एचओसीएल टाउनशिप में कचरा संग्रहण अभियान जैसी विभिन्न सफाई गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

- स्वच्छता दिवस पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल त्रिपुनिथुरा के हिल पैलेस म्यूजियम में हमारे सीएमडी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया गया जिसमें पूर्व सैनिकों, कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों, प्रशिक्षुओं आदि ने भाग लिया।

स्वच्छता दिवस गतिविधियों का उद्घाटन
श्री बी सजीव, (सीएमडी एचओसीएल)

स्वच्छता गतिविधियाँ

- एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं को समाप्त करके एचओसीएल को "प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र" घोषित किया गया है। कैंटीन में दूध के प्लास्टिक पैकेट को बड़े आकार के डिब्बों में परिवर्तित करके समाप्त किया गया।
- 01.09.2023 से विभिन्न विभागों द्वारा स्वच्छता गतिविधियाँ आयोजित की गईं। पुराने अभिलेखों को अलग करना और छांटना, उन्हें सूचीबद्ध करना और रखना अभी भी जारी है।
- कंपनी के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हाउस कीपिंग स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों आदि को बेहतर स्वच्छता पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।
- कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं/प्रशिक्षणार्थियों और हाई स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ (अंग्रेजी/हिंदी/मलयालम में) आयोजित की गईं।
- अभिवाकों, निवासियों, कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों की भागीदारी के साथ टाउनशिप में स्वच्छता सफाई गतिविधियाँ की गईं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हमारे परिसर में विभिन्न सफाई गतिविधियाँ आयोजित की गयी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तैयार किए गए स्टिकर सभी सरकारी पत्राचार में लगाए गए । अगस्त 2023 तक विविध गतिविधियों के साथ समारोह का आयोजन/योजना बनायी गयी।

विश्व पर्यावरण दिवस

एचओसीएल टाउनशिप से लेकर एचओसीएल फैक्ट्री परिसर तक परिवार के सदस्यों सहित एचओसीएल बिरादरी द्वारा मैराथन – "रन फॉर नेचर" जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

21 जून 2023 को योग दिवस मनाया गया। हमारे पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कर्मचारियों की जानकारी के लिए सामान्य योग प्रोटोकॉल व्यापक रूप से प्रसारित किए गए। हमारे दैनिक जीवन में योग के महत्व पर एक भाषण के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसके बाद हमारे कर्मचारियों के लिए योग आचार्य द्वारा एक व्यावहारिक सत्र आयोजित किया गया।

38. औद्योगिक संपर्क:

वर्ष 2022-23 के दौरान औद्योगिक संपर्क स्थिति आमतौर पर शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रही। वर्ष के दौरान कोई हड़ताल या तालाबंदी नहीं थे। सभी कर्मचारियों ने वर्ष के दौरान कंपनी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान जारी रखा।

39. जनशक्ति की स्थिति:

31 मार्च, 2024 तक कंपनी की जनशक्ति संख्या 188 थी, जिसमें 120 अधिकारी और 68 गैर–अधिकारी श्रेणी के लोग शामिल थे।

40. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों या किए गए निवेश के ब्यौरे

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण नहीं लिया है, गारंटी नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है। अतः कथित प्रावधान लागू नहीं है।

41. योग्यताओं, आरक्षणों पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ या लेखापरीक्षकों और पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा उनकी रिपोर्टों में किए गए प्रतिकूल अभ्युक्तियाँ या अस्वीकरण

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गयी योग्यताओं पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया।

योग्यतायें	प्रबंधन की प्रतिक्रिया
हम अपनी सहायक कंपनी को दिए गए 453.01 लाख रुपये के ऋण पर देय ब्याज की माफी के संबंध में संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(7) के प्रावधानों के अनुसार, ऋण की अवधि के निकटतम एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या दस वर्ष की सरकारी सुरक्षा की प्रचलित उपज से कम ब्याज दर पर कोई ऋण नहीं दिया जाएगा। हमारी राय में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (7) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यदि उपरोक्त योग्यता के प्रभाव पर विचार किया गया होता, तो 31 मार्च 2024 तक, "अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों" के तहत "संबंधित पक्षों से ब्याज प्राप्य" में 57.26 लाख रुपये की वृद्धि हुई होती 6.36 लाख रुपये के बराबर शेयरधारक निधि में 63.62 लाख रुपये की वृद्धि हुई होगी, तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए,"सहायक कंपनी को ऋण पर ब्याज आय" और शुद्ध आय में 63.62 लाख रुपये की वृद्धि हुई होगी।	31.03.2024 तक एचओसीएल द्वारा एचएफ़एल (सहायक कंपनी) को दिया गया बकाया ऋण 3197.08 लाख रुपये है। वित्त वर्ष 2004-05 से 2009-10 के बीच एचए?एल को किस्तों में ऋण दिए गए थे। बकाया ऋण में 2744.07 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण और 453.01 लाख रुपये ब्याज वहन करने वाले ऋण शामिल हैं, जिनकी ब्याज दरें 10.25% प्रति वर्ष से लेकर 14.5% प्रति वर्ष तक हैं। एचओसीएल ने दिनांक 20.12.2022 की अंतर–मंत्रालयी समिति की बैठक की सिफारिश के अनुसार 01.04.2023 से ब्याज–वहन करने वाले ऋणों पर ब्याज माफ कर दिया। एचएफएल को दिए गए सभी ऋण कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने से पहले के थे। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी को कंपनी की पुस्तकों में दिखाई देने वाले मौजूदा ऋणों पर ब्याज दरों में कोई भी बदलाव करने के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है और उक्त खंड में कोई स्पष्ट प्रावधान/खंड नहीं है जो ऋण/उस पर ब्याज की छूट को प्रतिबंधित करता है। इसलिए, एचओसीएल ने ब्याज वाले ऋण पर ब्याज माफ कर दिया, यह देखते हुए कि सीसीईए की 29 जनवरी 2020 की मंजूरी के अनुसार एचएफ़एल का संचालन पहले ही बंद हो चुका है। इसलिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(7) के प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है।

42. वित्तीय वर्ष जिसको वित्तीय विवरणों का संबंध है, की समाप्ति के बीच पाए गए कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वस्तुगत परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं यदि कोई हो तो और रिपोर्ट की तारीख

शून्य

43. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में ब्यौरे:

कंपनी दस्तावेज़ीय नीति के माध्यम से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण की उपस्थिति तथा मैनुअल में निर्धारित पद्धतियों का पालन विभिन्न स्तरों पर कार्यकारियों द्वारा सुनिश्चित करती है । आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन समीक्षा द्वारा आंतरिक नियंत्रण को सहायता दी जाती है। प्रबंधन इन मामलों में गहरी दिलचस्पी रखती है और सूचना प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करना, आधार संरचना तथा मूल्यांकन और ईआरपी सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन, वेब पर आधारित आवेदन तथा प्रभावी और सकारात्मक सेवाओं तथा कारोबार के लाभ के लिए विनिर्माण इकाइयों और शाखा कार्यालयों के बीच संयोजन स्थापित करना.

निदेशक मंडल ने समय–समय पर वित्तीय परिणामों पर लेखा परीक्षकों की सिफारिशें और इन सिफारिशों आदि पर प्रबंधन के उत्तर के आंतरिक नियंत्रण लेखा परीक्षा कार्यक्रमों की समीक्षा की है

कंपनी ने अपने संचालन के आकार, पैमाने और संकीर्णता के अनुरूप पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखी है और संगठन की विकास गति और संचालन की बढ़ती संकीर्णता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नीतियों, प्रथाओं और विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।

44. ऊर्जा संरक्षण/ प्रौद्योगिकी समावेशन तथा विदेशी मुद्रा कमाई और खर्च

क. ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम और इसका प्रभाव:

वर्ष 2023-24 में लागू प्रमुख ऊर्जा संरक्षण गतिविधियां/परियोजनाएं

- परंपरागत लाइटस का एलईडी लाइटस से प्रतिस्थापनः प्रतिवर्ष 2.89 लाख रुपए/वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत ।
- पुराने एसी का नए 5 स्टार रेटिंग एसी से प्रतिस्थापन : प्रतिवर्ष 0.66 लाख रुपए/वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत ।
- परंपरागत फैन का ऊर्जा बचत बीएलडीसी फैन से प्रतिस्थापनः प्रतिवर्ष 0.55 लाख रुपए/वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत ।
- परंपरागत मोटर का ऊर्जा सक्षम आई 3 मोटर से प्रतिस्थापनः प्रतिवर्ष 1.71 लाख रुपए/ वर्ष विद्युत ऊर्जा की बचत ।

कंपनी ओपन एक्सेस पावर ट्रेडिंग का लाभ उठा रही है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के लिए बिजली लागत पर 132 लाख रुपए की बचत हुई है।

ख. प्रौद्योगिकी समावेशन

कच्चे माल की विशिष्ट खपत कम हो गई है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-2024 के लिए इन–हाउस तकनीक के माध्यम से कच्चे माल की लागत पर 4186 लाख रुपये की बचत होगी।

i. प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए किए गए प्रयासः शून्य

ii. उससे प्राप्त फायदे जैसे उत्पाद में सुधार,लागत में कमी,उत्पाद विकास या निर्यात पर्यायः

- डीएनईटी सेक्शन की पाइप लाइनों का एमओसी सीएस से पीटीएफई में बदला गया है, ताकि जंग के कारण होने वाले रिसाव के कारण प्लांट डाउन टाइम से बचा जा सके।
- एसीपी को टीएआर से वसूलने के लिए प्रस्ताव रखा गया
- नए एयर कंप्रेसर की खरीद का काम चल रहा है, जिसकी वापसी अवधि 1.7 वर्ष है और मौजूदा कंप्रेसर की तुलना में प्रति वर्ष 18765780 रुपये की बचत की उम्मीद है।

iii. आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरूआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित): शून्य

(क) आयात की गई प्रौद्योगिकी के ब्यौरे; लागू नहीं

(ख) आयात का वर्ष ; लागू नहीं

(ग) क्या प्रौद्योगिकी पूर्णतः समावेशित की गयी है; लागू नहीं।

(घ) यदि पूर्णतः समावेशित नहीं की गई है तो वे क्षेत्र जहाँ समावेशन नहीं किया गया है और उसका कारण और

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्ययः शून्य

ग. विदेश विनिमय अर्जन और व्यय –शून्य

45. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास तथा कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

मुख्य आशंकाओं में सम्मिलित हैः

- भीतरी/आयात से प्रतिस्पर्धा और इनपुट कीमतों में उतार–चढ़ाव
- उच्च इनपुट लागत
- उच्च उपयोगिता लागत
- उच्च ओवरहेड
- मुख्य उत्पादें फिनोल और एसिटोन के लिए एंटी–डंपिंग समर्थन की कम उपलब्धता
- उच्च ब्याज लागत ।

कुछ जोखिम और चिंताएंः

- प्रति टन तैयार माल का उच्च जनशक्ति लागत
- ह्रासित संयंत्र जिसको उच्च अनुरक्षण लागत की आवश्यकता है।
- मुख्य उत्पादें फिनोल और एसिटोन का पाटन (डंपिंग)
- मुख्य निवेश बेंजीन में अस्थिरता
- अनुबंध (डाउनस्ट्रीम) कंपनियों पर कोविड़-19 का प्रभाव.

46. सहायक कंपनियाँ, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियाँ और संबद्ध कंपनियाँ जो बंद हो गई है या होनेवाली है

रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने दिनांक 29–01–2020 की पत्र सं पी. 51015/06/2019-केमि के माध्यम से एचओसीएल की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोंकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने का निर्देश संबंधी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्णय की जानकारी दी, जिसको शेयरधारकों द्वारा 30–03–2020 को अनुमोदित किया गया था।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन लिमिटेड को बंद करने के लिए भारत सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को वीआरएस/वीएसएस से संबंधित खर्चों को पूरा करने और बैंक और अन्य देनदारियों के बकाया का निपटान करने के लिए भारत सरकार से ऋण के रूप में 75.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

47. जमाएँ :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने या तो निदेशकों से या कंपनी के शेयरधारकों से कोई जमा राशियाँ आमंत्रित या स्वीकार नहीं किया है।

48. नियामकों या अदालतों या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेशों का विवरण जो चल रही चिंता की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करते है:

शून्य

49. कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के अधीन प्रकटीकरण (प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण) अधिनियम 2013

कार्यस्थल पर महिलों पर यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण) अधिमियम 2013 ("अधिनियम") और उसके तहत बनाए गए नियमों की

अपेक्षाओं के अनुसार आपकी कंपनी ने महिलाओं के लिए पूर्वधारणा, लिंगभेद और यौन उत्पीड़न और भय के बिना स्वस्थ कार्यालयीन माहौल के लिए एक यौन उत्पीड़न नीति अपनायी है। प्रस्तुत नीति का व्यापक प्रचार –प्रसार किया गया है। अधिनियम के अनुसार एक शिकायत समिति अस्तित्व में है। बोर्ड का कथन है कि कार्यस्थल पर महिलों पर यौन उत्पीड़न (प्रतिबंध, रोकथाम और निवारण) अधिमियम 2013 के अनुसरण में कोई मामले या शिकायत दर्ज नहीं किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह 2023 के पालन के संबंध में, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे कि शपथ, हमारी महिला कर्मचारियों द्वारा पॉश अधिनियम पर एक नुक्कड़ नाटक, महिला वॉकथॉन प्रतियोगिता, पॉश अधिनियम पर जागरूकता सत्र आदि।

वर्ष 2023 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013–:

प्राप्त शिकायतों की संख्या : शून्य

निपटाई गयी शिकायतों की संख्याः शून्य

90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या : शून्य

50. सतर्कता प्रणाली :

सरकारी कंपनी होने के कारण, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड में सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक सतर्कता विभाग पहले ही विद्यमान है।जिसका नेतृत्व मुख्य सर्तकता अधिकारीद्वारा किया जाता है इसलिए, सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता प्रणाली का संचालन किया जा रहा है और कंपनी ने सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पहले से ही सतर्कता मैनुअल अपनाया है। सतर्कता मैनुअल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

51. सत्यनिष्ठा संधि

सबसे नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त व्यावसायिक वातावरण को बनाए रखने, बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर के दो (2) नंबरों के माध्यम से एचओसीएल में पहले से ही लागू सत्यनिष्ठा संधि को अपनाना।

कंपनी द्वारा अपनाई गई सत्यनिष्ठा समझौता नीति पचास लाख रुपये (निर्यात को छोड़कर) से अधिक अनुमानित मूल्य वाली सभी निविदाओं के संबंध में लागू है। आपकी कंपनी ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अन्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर की संरचित बैठकें भी आयोजित की हैं। इंटीग्रिटी पैक्ट पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

52. व्हिसल ब्लोअर नीति

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 22 के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनियां वास्तविक चिंताएं रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए एक सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति तैयार करेंगी। आपकी कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति के अनुसार सभी स्थायी कर्मचारियों को संरक्षित प्रकटीकरण करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर नीति अपनाई है। इस नीति कर्मचारियों जो इस प्रणाली का लाभ उठाते हैं, को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है और लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच का भी प्रावधान करती है। यह पुष्टि की जाती है कि कंपनी के किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है और इस संबंध में वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट में दिया गया है ।

53. सामान्य

निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन वस्तुओं पर कोई लेनदेन नहीं किया गया थाः

- डिविडेंड, वोटिंग या अन्यथा के रूप में विभेदक अधिकार सहित इक्विटी शेयर जारी करना।
- किसी स्कीम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर जारी करना (स्वेद इक्विटी शेयर सहित)।
- कंपनी के पास कर्मचारियों द्वारा या कर्मचारियों के लाभ के लिए ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए धन के प्रावधान की कोई योजना नहीं है।
- न तो कंपनी के प्रबंध निदेशक और न ही पूर्णकालीन निदेशक इसके किसी सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करते हैं।
- ऊपर पिछले वर्ष के दौरान उल्लिखित को छोड़कर, नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए जो संस्था की स्थिति और कंपनी की संचालन की स्थिति को प्रभावित करते हैं।
- लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को कोई धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।
- इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत कोई कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू नहीं हुई है

54. आभार:

निदेशक मंडल भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो–रसायन विभाग के सभी अधिकारियों को एचओसीएल को दिए गए निरंतर समर्थन के लिए बहुत–बहुत धन्यवाद देता है। निदेशक कंपनी के कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों और अन्य हितधारकों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार और अन्य सरकारी विभागों और एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, स्थानीय निकायों और कंपनी के सभी लेखा परीक्षकों के अधिकारियों से मिले समर्थन और सहयोग के लिए भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बोर्ड कंपनी के सदस्यों को उनके समर्थन और प्रबंधन में विश्वास के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। निदेशक हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए योगदान की सराहना करते हैं और उसका सम्मान करते हैं।

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उनकी और से

हस्त/-

(सजीव बी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 09.08.2024

स्थान: कोची, केरल

अनुबंध I

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 की अनुसूची V के अनुसार कॉरपोरेट अभिशासन पर रिपोर्ट

``**दूरदर्शिता (विज़न)":** बुनियादी रसायनों का उत्पादन और विपणन निपुणता से और आर्थिक रूप से पर्यावरण अनुकूल तरीके में करना।``

``**लक्ष्य (मिशन)":** संसाधनों के उपयोग में दक्षता और उत्पादकता के इष्टतम स्तर को बनाए रखना और निवेश पर इष्टतम प्रतिलाभ प्राप्त करना। ``

1. **अभिशासन के कोड पर सूचीबद्ध कंपनी के दर्शन का संक्षिप्त विवरण**

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) अपने व्यापार गतिविधियों के आचरण पर विश्वास रखती है और कंपनी से जुड़े हुए सभी शेयरधारकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, लेनदारों, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, विभिन्न राज्य सरकारों, अन्य सरकारी एजेंसियाँ / विभाग तथा व्यापक तौर पर समाज के मूल्य को बढ़ावा देती है। अनिवार्य रूप से इसमें अच्छे कार्पोरेट अभिशासन अमल करना शामिल है। एचओसीएल पारदर्शिता, जवाबदेही और उद्यम की समृद्धि में उच्चतम स्तर प्राप्त करने में विश्वास रखता है। एचओसीएल अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अपनी उत्पाद प्रतिबद्धता में सत्यनिष्ठा और मूल्य वर्धन सुनिश्चित करते हुए वैश्विक मान्यता में मोल लगाता है।

2. **निदेशक मंडल:**

क. निदेशक मंडल का संयोजन और संवर्ग

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (समय-समय पर संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या न तो तीन से कम होनी चाहिए और न ही पंद्रह से अधिक होनी चाहिए। निदेशकों को किसी प्रकार के अर्हता शेयर्स रखना अपेक्षित नहीं है।

31-03-2024 को एचओसीएल के निदेशक मंडल में छह (6) निदेशक हैं जिनमें दो (2) कार्यकारी निदेशक (यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक (वित्त)), दो (2) सरकारी नामित निदेशकों और दो (2) गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। सभी को अपने संबंधित क्षेत्रों में अग्रणी पेशेवरों के रूप में स्वीकार किया गया है। कार्याकारी निदेशकों की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या प्रशासनिक मंत्रालय से अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की जाती है। सरकारी नामित निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए या प्रशासनिक मंत्रालय से अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक की जाती है।

एचओसीएल भारत सरकार का एक उपक्रम (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम यानि सीपीएसयू) है जो भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत है। तदनुसार, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल में सभी निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार भारत सरकार पर निहित है।

दिनांक 31.03.2024 को एचओसीएल के निदेशक मंडल में दो (2) स्वतंत्र निदेशक हैं, यथा डॉ भरत जे कनाबर और श्री प्रत्युष मंडल और एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति संबंधी सरकार के आदेश की प्रतीक्षा की जाती है।

निदेशक मंडल के संयोजन:-

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

क्रमांक	निदेशक के नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	पदनाम (संवर्ग)
1	श्री सजीव बी	09344438	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
2	श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला	09674122	निदेशक (वित्त),
3	श्री मनोज सेठी	00301439	सरकारी नामिती निदेशक
4	श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	09699641	सरकारी नामिती निदेशक
5	डॉ भरत जे कनाबर	09466694	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक
6	श्री प्रत्युष मंडल	09461918	गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक

वर्तमान में कंपनी के निदेशक मंडल में केवल दो (2) स्वतंत्र निदेशक हैं, जबकि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की न्यूनतम आवश्यकता तीन (3) संख्या है। तदनुसार, एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक और निदेशक की रिक्ति है। इसके अतिरिक्त एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक महिला निदेशक की रिक्ति है। तदनुसार, एचओसीएल के निदेशक मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति के बारे में बोर्ड को बार-बार सूचित किया गया था और कंपनी डीसीपीसी/ प्रशासन से एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक महिला स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने का अनुरोध कर रही थी। एचओसीएल में एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रतीक्षा की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल / केएमपी में परिवर्तन:

एलओडीआरआर के विनियमन 36(3) के अनुपालन में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि भारत सरकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या पी-51015/ 12/ 2014-सीएचईएम.**III-**सीपीसी दिनांक 22.11.2023 के अनुसार, श्री मनोज सेठी, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, रसायन और उर्वरक मंत्रालय को श्री संजय रस्तोगी, एएस एंड एफए के स्थान पर एचओसीएल के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

ख. निदेशक मंडल की बैठकों में और पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति;

निदेशक	उपस्थित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति
श्री सजीव बी	6	हाँ
श्री कनिष्क कान्त श्रीवासत्व	5	हाँ
डॉ भरत जे कनाबर	6	हाँ
श्री प्रत्युष मंडल	6	हाँ
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला	6	हाँ
श्री संजय रस्तोगी (22.11.2023 तक)	2	नहीं
श्री मनोज सेठी (22.11.2023 से)	2	लागू नहीं

ग) 31.03.2024 को अन्य निदेशक मंडलों या समितियों की संख्या जिनमें निदेशक एक सदस्य या अध्यक्ष है:

शीर्षक (श्री./ सुश्री)	निदेशक के संवर्ग का नाम (अध्यक्ष / कार्यकारी / गैर-कार्यकारी / स्वतंत्र / नामिती)	इस सूचीबद्ध संस्था सहित सूचीबद्ध संस्था में निदेशकता की संख्या	इस सूचीबद्ध संस्था (सेबी एलओडीआरआर के विनियम 26(1)(ख) देखें) सहित लेखपरीक्षा/ हितधारक समिति (यों) सदस्यता की संख्या
श्री.	सजीव बी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	2	1
श्री	योगेंद्र प्रसाद शुक्ला निदेशक (वित्त)	2	0
श्री	संजय रस्तोगी सरकार नामिती निदेशक (22.11.2023 तक)	2	0
श्री	कनिष्क कान्त श्रीवास्तव सरकार नामिती निदेशक	1	1
डॉ	भरत जे कनाबर गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	2	4
श्री	प्रत्युष मंडल गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	1	2
श्री	मनोज सेठी सरकार नामिती निदेशक (22.11.2023 से)	2	0

निदेशक का नाम (31-03-2024 को)	इस सूचीबद्ध संस्था के अलावा,सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम जहां व्यक्ति निदेशक है और निदेशकता का संवर्ग
श्री सजीव बी	हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड - प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला	हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड - एचओसीएल नामिती निदेशक
श्री संजय रस्तोगी	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
श्री. कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	कुछ नहीं
डॉ भरत जे कनाबर	हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड - स्वतंत्र निदेशक
श्री प्रत्युष मंडल	कुछ नहीं
श्री मनोज सेठी	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लि. (एएफसीटी) सरकार नामिती निदेशक

घ) वर्ष 2023-24 के दौरान सम्पन्न निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या और बोर्ड बैठक सम्पन्न होने की तारीख : -

क्रमांक	निदेशक मंडल की बैठक की संख्या	निदेशक मंडल की बैठक की तिथि	भरी हुई संख्या	बैठक में उपस्थित निदेशक
1.	405	18.05.2023	6	6
2.	406	01.06.2023	6	4
3.	407	08.08.2023	6	6
4.	408	09.11.2023	6	5
5.	409	15.12.2023	6	6
6.	410	09.02.2024	6	6

ड़) निदेशको के बीच परस्पर संबंध का प्रकटीकरण :– लागू नहीं.

च) गैर-सरकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या और परिवर्तनीय लिखत;- शून्य;

छ) वेब लिंक जहां स्वतंत्र निदेशको को दिये गए आपसी परिचय कार्यक्रमों के विवरण प्रकट किया गया है.

https://www.hoclindia.com/uploads/userfiles/Familiarization%20of%20Independent%20Directors.pdf

ज) निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता दर्शानेवाले चार्ट या मेटरिक्स :

एचओसीएल एक सरकारी कंपनी है और सभी निदेशकों अर्थात कार्याकारी निदेशकों, सरकारी नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निदेशकों की प्रत्येक श्रेणी के चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किया जाता है। तदनुसार, निदेशकों के लिए आवश्यक कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता निदेशकों की सरकारी चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। इसे देखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल को निदेशकों के लिए मुख्य कौशल/ विशेषज्ञता और योग्यता की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है।

निदेशक मंडल पुष्टि करते हैं कि प्राप्त घोषणा के आधार पर स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

स्वतंत्र निदेशक के इस्तीफे के विस्तृत कारण जो अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा दे देते हैं और ऐसे निदेशक द्वारा पुष्टि की जाती है कि प्रदान किए गए के अलावा कोई अन्य भौतिक कार्य कारण नहीं हैं।

लागू नहीं है

3) लेखा परीक्षा समिति :

(क) संयोजन,सदस्यों तथा अध्यक्ष का नाम;

लेखापरीक्षा समिति में तीन (3) सदस्य हैं यथा अध्यक्ष के रूप में डॉ भरत जे कनाबर, लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों के रूप में श्री प्रत्युष मंडल और श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव ।

(ख) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण;-

लेखापरीक्षा समिति का मुख्य उद्देशय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रणाली की चूक प्रदान करना और कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 177 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 18 के अधीन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और निर्धारित ऐसे अन्य कार्यों की समीक्षा करना है। लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

(ग) बैठकें और उपस्थिति: वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तारीखों में सम्पन्न हुई:

17 मई 2023, 07 अगस्त 2023, 07 नवंबर 2023 और 08 फरवरी 2024 को ।

सदस्य	उपस्थित लेखापरीक्षा समितियों की बैठक
1. डॉ भरत जे कनाबर	4
2. श्री प्रत्युष मंडल	4
3. श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	4

4) नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

(क) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण:

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप हैं।

(ख) संयोजन, सदस्य तथा अध्यक्ष का नाम;

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	डॉ भरत जे कनाबर	अध्यक्ष
2	श्री प्रत्युष मंडल	सदस्य
3	श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	सदस्य

(ग) वर्ष के दौरान बैठक और उपस्थिति:

वर्ष 2023-24 के दौरान समिति ने 09 फरवरी 2024 को बैठक की।

सदस्य	उपस्थित नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या
डॉ भरत जे कनाबर	1
श्री प्रत्युष मंडल	1
श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	1

(घ) स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन मानदंड – लागू नहीं। एचओसीएल एक सरकारी पीएसयू है, जिसके सभी निदेशक मंडल प्रशासनिक मंत्रालय यानी रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है और एचओसीएल को स्वतंत्र निदेशकों का वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

5) हितधारकों के संबंध की समिति:

(क) समिति का नेतृत्व करने वाले गैर–कार्यकारी निदेशक का नाम – श्री प्रत्यूष मंडल

(ख) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम – श्री सुब्रमण्यन एच, कंपनी सचिव, ईमेल आईडी : cs@hoclindia.com दूरभाष सं. 0484 -2727342

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या – दो (2)

(घ) शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या – शून्य

(ङ) लंबित शिकायतों की संख्या – शून्य

5 क. जोखिम प्रबंधन समिति: एचओसीएल बाजार पूंजीकरण के आधार पर 1000 सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल नहीं है। इसलिए, जोखिम प्रबंधन समिति के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

5 ख. वरिष्ठ प्रबंधन:

पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से हुए परिवर्तनों सहित वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण नीचे दिया गया है

क्रमांक	नाम	पदनाम	परिवर्तन यदि कोई हो पिछले वि. व. समाप्ति
1.	श्री एल षानिल लाल	कार्यपालक निदेशक एवं इकाई प्रभारी	लागू नहीं
2.	श्री पी रविकुमार	मुख्य महा प्रबन्धक (कॉर्पोरेट)	लागू नहीं
3.	श्री एम जे जगदीश	मुख्य महा प्रबन्धक (इंजीनियरिंग/ उत्पादन/ मानव संसाधन) एवं फैक्टरी प्रबन्धक	लागू नहीं
4.	श्रीमती डी सिंधु	मुख्य महा प्रबन्धक (एफ एंडएस/ क्यूसी/ एमएसएस)	लागू नहीं
5.	श्री मोइनूद्दीन शाइक	महा प्रबन्धक (कॉर्पोरेट)	लागू नहीं
6.	श्री टी के राजू	महा प्रबन्धक (इन्स्ट्रूमेंटेशन)	लागू नहीं
7.	श्री बी बालचन्द्रन	महा प्रबन्धक (सामग्री/ एमएसएस)	लागू नहीं
8.	श्री पी एच ज़ुबैर	महा प्रबन्धक (विपणन / एफपीएस)	लागू नहीं
9.	श्री आर राजेश	महा प्रबन्धक (उत्पादन/ परियोजना/ सीएलआरपी)	लागू नहीं
10.	श्री मंगेश एम शाहसने	महा प्रबन्धक (यांत्रिक/ यूटिलिटीस)	लागू नहीं
11.	श्री सुरेन्द्र के मिथरवाल	उप महा प्रबन्धक (वित्त)	लागू नहीं
12.	श्री सुब्रमणियन एच	कंपनी सचिव	लागू नहीं

6) निदेशकों के पारिश्रमिक:

(क) सूचीबद्ध इकाई की तुलना में गैर–कार्यकारी निदेशकों के सभी आर्थिक संबंध या लेन–देन;- गैर–कार्यकारी निदेशकों को केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। बैठक शुल्क के भुगतान से संबंधित आवश्यक खुलासा वार्षिक रिपोर्ट में किया जाता है।

(ख) गैर–कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने का मानदंड। वैकल्पिक रूप से, यह सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट पर और उसके संबंध में संदर्भ वार्षिक रिपोर्ट में प्रसारित किया जा सकता है;- बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान गैर–कार्यकारी निदेशकों को की जा रही है।

(ग) पारिश्रमिक के संबंध में प्रकटीकरण: कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए जाएंगे: – हाँ

I. प्रत्येक निदेशकों के पारिश्रमिक पैकेज के सभी तत्वों को वेतन, लाभ, बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन इत्यादि जैसे प्रमुख समूहों के तहत सारांश दिया गया.;

कार्याकारी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। उनका पारिश्रमिक और अन्य नियम और शर्तें सरकार द्वारा तय की गई नियुक्ति की शर्तों द्वारा शासित होती हैं। 31–03–2024 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण इस प्रकार है:

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	परिलब्धियों सहित वेतन राशि रु. (लाख में)	बैठक शुल्क राशि रु. (लाख में)	कुल राशि रु. (लाख में)
1.	श्री सजीव , सीएमडी	43.88	लागू नहीं	43.88
2.	श्री योगेंद्र प्रसाद शुक्ला, निदेशक (वित्त)	35.26	लागू नहीं	35.26

क्रम. सं.	निदेशक का नाम	परिलब्धियों सहित वेतन राशि रु. (लाख में)	बैठक शुल्क राशि रु. (लाख में)	कुल राशि रु. (लाख में)
3.	श्री मनोज सेठी, जेएस एवं एफए सरकार नामिती निदेशक (22-11-2023 से)	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
4.	श्री संजय रस्तोगी, एएस एवं एफए सरकार नामिती निदेशक (22-11-2023 तक)	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
5.	श्री कनिष्क कान्त श्रीवास्तव सरकार नामिती निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य
6.	डॉ भरत जे कनाबर, स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	1.30	1.30
7.	श्री प्रत्युष मंडल, स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	1.30	1.30

ii. नियत घटक और निष्पादन मानदंड सहित निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के विवरण कुछ नहीं/ शून्य

- कंपनी ने कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं दिया है।
- गैर–कार्यकारी निदेशकः कंपनी बोर्ड/ समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने गैर– कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है।

iii. सेवा करार,सूचना अवधि और सर्वरेंस शुल्क : -

कार्यपालक निदेशकों (कार्यकारी निदेशकों) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु पूरा करने तक, जो भी पहले हो, के लिए की जाती हैं। उनका पारिश्रमिक और अन्य नियम व शर्तें सरकार द्वारा तय नियुक्ति की शर्तों द्वारा शासित होती हैं इस अवधि के दौरान भी दोनों पदों की ओर से या तो तीन महीने का नोटिस देकर या उसके बदले तीन महीने का भुगतान करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

iv. स्टॉक विकल्प संबंधी सूचना यदि कोई हो तो और क्या बट्टे दर पर जारी किए गए है साथ ही साथ अवधि जिस पर प्रोद्भूत है और जिस पर प्रयोग करने लायक है – शून्य

7. वार्षिक आम बैठक:

क) स्थान और समय, पिछली तीन वार्षिक आम बैठकें कब आयोजित की गई तथा पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण

विवरण	वित्तीय वर्ष **2020-2021**	वित्तीय वर्ष **2021-2022**	वित्तीय वर्ष **2022-2023**
दिनांक तथा	29-09-2021	29-09-2022	26-09-2023
समय	दोपहर 3.00	दोपहर 2.00	दोपहर 3.30
स्थान	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से
विशेष प्रस्ताव के विवरण	शून्य	हाँ	शून्य

(ख) क्या पिछले वर्ष/वर्ष के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था – वर्ष के दौरान कंपनी ने डाक मतपत्र के माध्यम से एक विशेष प्रस्ताव पारित किया था।

(ग) वह व्यक्ति जिसने डाक मतपत्र का प्रयोग किया मेसर्स डी.एस. मोमाया एंड कंपनी एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज डाक मतपत्र में संवीक्षक थे।

(घ) क्या कोई विशेष प्रस्ताव डाक मतपत्र के माध्यम से आयोजित करने का प्रस्ताव है- आज की तिथि तक कंपनी डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव नहीं कर रही है।

(ङ) डाक मतपत्र की प्रक्रिया

कंपनी ने पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के लिए सदस्यों को रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड डएनएसडीएल.की सेवाएँ ली थीं। इसके अलावा, मेसर्स डी.एस. मोमाया एंड कंपनी एलएलपी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट अवधि शुक्रवार,9 जून, 2023 को सुबह 09.00 बजे (आईएसटी) से शुरू हुई थी और शनिवार, 8 जुलाई, 2023 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) दोनों दिन समाप्त हुई थी। संवीक्षक ने 10 जुलाई, 2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पोस्टल बैलेट के परिणाम भी 10 जुलाई, 2023 को घोषित किए गए थे।

8. संचार का साधन:

(क) तिमाही वित्तीय परिणाम;

कंपनी के तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर घोषित किए जाते हैं। इसके बाद,उन्हें निर्धारित समय के भीतर बीएसई पोर्टल के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों में भी प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय परिणाम एचओसीएल की वेबसाइट पर भी अपलोड किए जाते हैं।

(ख) समाचार पत्रों जहाँ वित्तीय परिणाम साधारणतः प्रकाशित किया जाता है;

वित्तीय परिणाम एक मलयालम समाचार पत्र और एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाते हैं

(ग) वेबसाइट, कोई जहाँ प्रदर्शित किया जाता है;

कंपनी द्वारा तिमाही,छःमाही और वार्षिक लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम नियमित रूप से अपनी वेबसाइट www.hoclindia.com पर प्रदर्शित किया जाता है

(घ) क्या सरकारी समाचार प्रकाशनों में भी इसको प्रकाशित किया जाता है? नहीं

(ङ) संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को प्रस्तुति की जाती है नहीं.

9. सामान्य शेयरधारकों की सूचना:

(क) कंपनी की 63वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) - स्थान एवं समयः 25 सितंबर, 2024 दोपहर 3.30 बजे। स्थान : वीडियो कॉन्फ्रेंस

(ख) वित्तीय वर्ष;

कंपनी अप्रैल से मार्च अपना वित्तीय वर्ष मानती है.

(ग) लाभांश भुगतान तिथि - लागू नहीं है, पिछले वर्षों के दौरान लगातार हानि के कारण साथ ही पिछले वर्षों के संचित नुकसान आगे ले जाने को ध्यान में रखकर निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

(घ) प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज का नाम और पता जिस पर सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं और स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क के भुगतान के बारे में पुष्टि की जाए :

कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड [बीएसई] में सूचीबद्ध हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 तक स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया।

(ड़) स्टॉक/ स्क्रिप्ट कूड: बीएसई पर स्टॉक कोड़: 500449

एनएसडीएल एंड सीडीएसएल पर एचओसीएल इक्विटी शेयर का आईएसआईएन: INE048A01011

(च) बाज़ार मूल्य आंकड़े पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) के प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न (बीएसई में)

माह	मासिक उच्चतम	मासिक निम्नतम
अप्रैल, 2023	28.20	22.37
मई , 2023	28.60	25.25
जून, 2023	28.80	21.20
जुलाई, 2023	29.20	26.80
अगस्त, 2023	32.80	28.00
सितम्बर, 2023	35.10	30.01
अक्तूबर, 2023	38.90	30.85
नवंबर, 2023	36.60	32.51
दिसंबर, 2023	57.09	33.77
जनवरी, 2024	65.95	50.06
फरवरी, 2024	63.00	47.25
मार्च, 2024	51.50	38.95

(छ) विविध सूचकांकों जैसे बीएसई सेंसेक्स,क्रिसिल सूचकांक आदि की तुलना में निष्पादन;-

एचओसीएल के इक्विटी शेयर केवल बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी के इक्विटी शेयरों की कीमत 03.04.2023 को 22.37 रुपये पर खुली और 29.03.2024 को बीएसई में 39.26 रुपये पर बंद हुई, जिससे 43% की वृद्धि दर्ज की गई।

(ज) यदि व्यापार से प्रतिभूतियों को प्रतिबंधित किया गया है तो निदेशक रिपोर्ट इस संबंध में कारण बताएँगे; लागू नहीं

(झ) रेजिस्ट्रार निर्गम के लिए तथा शेयर अंतरण एजेंट;

मेसेर्स बिगशेयर सेर्विसेस प्राइ लिमिटेड, कार्यालय सं एस–6, छठा तल, पिनाक्क्ल बिज़नस पार्क, अहुरा सेंटर के आगे,महाकाली कैवस रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093

(ञ) शेयर अंतरण प्रणाली;

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 40(1) के अनुसार, भौतिक रूप में रखी गई प्रतिभूतियों का हस्तांतरण 01 अप्रैल, 2019 से बंद कर दिया गया है। एचओसीएल के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में किया जाता है। प्राप्त शेयरों के हस्तांतरण के सभी अनुरोधों को शेयर हस्तांतरण एजेंट द्वारा संसाधित किया जाता है। कंपनी की शेयर हस्तांतरण समिति को कंपनी के रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों [अर्थात आरटीए]से प्राप्त होने पर हस्तांतरण प्रतिभूतियों को अनुमोदित करने के लिए अधिकृत किया गया है। शेयरधारकों और निवेशकों के साथ सभी पत्राचार कंपनी की ओर से कंपनी के आरटीए द्वारा विधिवत किए जाते हैं।

(ट) दिनांक 30-03-2024 को शेयरधारिता का वितरण

नामिक शेयरधारिता		शेयरधारकों की संख्या	कुल का प्रतिशत	शेयर राशि	कुल का प्रतिशत
रु	रु			रु.	
1	5000	48392	89.08	61865160	9.20
5001	10000	2947	5.43	25134830	3.74
10001	20000	1451	2.67	22752120	3.39
20001	30000	453	0.83	11822410	1.76
30001	40000	201	0.37	7358970	1.09
40001	50000	262	0.48	12654530	1.88
50001	100000	338	0.62	25896370	3.85
100001 और ऊपर		275	0.50	504246610	75.06
कुल		54319	100.00	671731000	100

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एचओसीएल के इक्विटी शेयरों का कारोबार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में किया जाएगा। 31.03.2024 तक बाजार पूंजीकरण के आधार पर,एचओसीएल शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों में से एक है।

(ठ) शेयरों का डिमटेरियलीकरण और चलनिधि:–

कंपनी के इक्विटी शेयरों का व्यापार अनिवार्य रूप से डिमटेरियलीकृत मोड में किया जाता हैं। शेयरधारकों को शेयरों को डिमटेरियलीकृत करने में सुविधा देने के लिए, कंपनी ने दोनों जमाकर्ताओं अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉ जिटरीज सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड(सीडीएसएल) के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 30 मार्च, 2024 को कंपनी की शेयर पूंजी का 97.12% डिमटेरियलीकरण किया गया है (एनएसडीएल–18.24% और सीडीएसएल–78.88%)। कुल 54319 शेयरधारकों में से 39214 शेयरधारकों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं और शेष 15105 शेयर भौतिक रूप में हैं।

(ड) बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या किसी भी परिवर्तनीय लिखत, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव; - शून्य / कोई नहीं.

(ढ) कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियों; - शून्य / कोई नहीं

(ण) संयंत्र स्थान:- एचओसीएल का केवल एक संयंत्र कोची में स्थित है।

क्रमांक	स्थान	मुख्य उत्पाद
1	अंबलमुगल,कोची,केरल	फिनोल कॉम्प्लेक्स

(प) पत्राचार के लिए पता: –

i. **पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय**: अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम जिला, केरल–682302

ii. **आर एंड टी एजेंट का पता:**

मेसेर्स बिगशेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, कार्यालय सं एस–6-2, छठा तल, पिनाक्कल बिज़नस पार्क, अहुरा केंद्र के आगे,महाकाली कैवस रोड ,अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400093, महाराष्ट्र

(फ) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ–साथ कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिटरेटिंग की सूची, इस तरह की इकाई के सभी कर्ज़ लिखत या किसी भी मियादी जमा कार्यक्रम या किसी भी योजना या भारत में या विदेश में निधि जुटाने में शामिल सूचीबद्ध कंपनी के प्रस्ताव - लागू नहीं.

10. अन्य प्रकटीकरण:

क) वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी ने कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जिससे कंपनी के साथ हितों का टकराव हो सकता हो।

ख) वर्ष 2023–24 के दौरान, बीएसई लिमिटेड ने महिला निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17(1) का पालन न करने पर जुर्माना लगाया है। एचओसीएल के निदेशक मंडल की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार द्वारा की जाती है। तदनुसार, निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति कंपनी के नियंत्रण से बाहर है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। यह मामला नियमित रूप से बोर्ड की बैठक के समक्ष रखा जाता है, जिसने इसे नोट किया और स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध करने की सलाह दी। एक बार जब प्रशासनिक मंत्रालय स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति कर देता है, तो एचओसीएल बोर्ड की संरचना से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का अनुपालन करेगा।

(ग) सतर्क तंत्र – सचेतक (व्हिसिल ब्लोअर) नीति:

कंपनी ने शिकायतों की प्राप्ति,प्रतिधारण और उसके निपटान के लिए कार्यप्रणाली स्थापित की है। एचओसीएल ने धोखाधड़ी रोकथाम नीति स्थापित की है। नीति के अनुपालन की ओर, कंपनी ने नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। धोखाधड़ी की रोकथाम नीति को इसके लिए बनाई गयी है कि धोखाधड़ी पता लगाने और उसके रोकथाम करने, संदिग्ध और पायी गयी किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग या धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में निपटने के लिए एक प्रणाली प्रदान करने के लिए तैयार की गयी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग नहीं मिली थी।

इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी में अधिक पारदर्शिता, अखंडता और दक्षता लाने के लिए सतर्कता विभाग (सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार) है। सतर्कता विभाग का ध्यान निवारक और सहभागिता सतर्कता पर केन्द्रित है। कंपनी ने व्हिसिल ब्लोअर पॉलिसी/ सतर्क तंत्र तैयार की है और ये कंपनी की वेबसाइट https://www.hoclindia.com/uploads/userfiles/HOCL%20Whistle%20Blower%20Policy.pdf. में उपलब्ध है। किसी भी कर्मियों को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंचने से इंकार नहीं कर दिया गया है;

घ) अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन और गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने संबंधी विवरण;- कंपनी ने सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसार निदेशक मंडल में एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक की आवश्यकता को छोड़कर सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

ङ) वेब लिंक जहाँ "महत्वपूर्ण" सहायक कंपनियों के निर्धारण हेतु नीति प्रकट किया गया है; -

https://www.hoclindia.com/corporate-governance

च) वेब लिंक जहां संबंधित पार्टी लेनदेन के क्रय–विक्रय की नीति है ;

https://www.hoclindia.com/corporate-governance

ज) कंपनी को न तो कमोडिटी मूल्य जोखिम है और न ही वह कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों में शामिल है।

झ) विनियम 32 (7ए) के तहत निर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थान प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग का विवरण – लागू नहीं

ञ) पेशेवर कंपनी सचिव का एक प्रमाण पत्र कि बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय या किसी भी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है,इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

त) बोर्ड की उप–समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशें निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं

थ) वर्ष 2023-24 के वित्तीय विवरणों के अनुसार वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क और व्यय का विवरण नीचे दिया गया है.

विवरण	राशि (रु. लाख में)
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	4.60

द) कार्यस्थल पर महिलाओं पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे:

क. वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या– शून्य

ख. वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या– शून्य

ग. वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या– शून्य

ध) सहायक कंपनी को ऋण से संबंधित प्रकटीकरण:

सहायक कंपनी का नाम	ऋण की राशि रुपए लाख में (31.03.2024 को)
हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड	4272.13

ण) कंपनी की एक(1) सहायक कंपनी है; हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड [एचएफएल]। एचएफएल की स्थापना 14 जुलाई 1983 को हुई थी। एचएफएल का पंजीकृत कार्यालय हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में स्थित है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए), भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, एचएफएल बंद होने की प्रक्रिया में है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने दिनांक 21.09.2023 के पत्र के माध्यम से मेसर्स ए वी रत्नम एंड कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए एचएफएल का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था।

11. उपरोक्त उप–पैरा (2) से (10) की निगमित अभिशासन रिपोर्ट की किसी भी अपेक्षा का गैर–अनुपालन को इसके कारणों के साथ प्रकट किया जाएगा।.

एचओसीएल में एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक का पद रिक्त है। तदनुसार, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 की अनुसूची V के अनुसरण में, हम वित्तीय वर्ष

2023-24 के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के गैर–अनुपालन की रिपोर्ट करते हैं।

केंद्र सरकर के पीएसयू होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति मंत्रालय द्वारा की जानी है। तदनुसार, कंपनी ने प्रशासनिक मंत्रालय से एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध किया है और कंपनी एचओसीएल के निदेशक मंडल में एक (1) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति संबंधी आवश्यक सरकारी आदेशों की प्रतीक्षा कर रही है।

12. निगमित अभिशासन रिपोर्ट भी उस सीमा तक प्रकट की जाएगी, जिस पर अनुसूची II के भाग ई में उल्लिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को अपनाया गया है –

अनुसूची II के भाग ई में निर्दिष्ट अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं:

क. बोर्ड

एक गैर–कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए हकदार हो सकता है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की अनुमति भी दे सकता है। - एचओसीएल के संबंध में सरकार ने कंपनी के अध्यक्षा / अध्यक्ष को कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।

(ख) शेयरधारकों का अधिकार.

पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय प्रदर्शन की अर्ध–वार्षिक घोषणा, शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को भेजी जा सकती है। अर्ध–वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन एचओसीएल की वेबसाइट पर रखा जाता है और इसे आम जनता की जानकारी के लिए बीएसई को भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, परिणाम समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

(ग) लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय

सूचीबद्ध कंपनी वित्तीय विवरणों के एक नियम के लिए अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय के साथ आगे बढ़ सकती है.– वैधानिक लेखापरीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने अपरिवर्तित राय दी है

(घ) अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए अलग–अलग पद

कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति करने का अधिकार भारत सरकार/ भारत के राष्ट्रपति में निहित है, इस तथ्य को ध्यान में रखकर एचओसीएल के मामले में सरकार ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कीनियुक्ति की है।

(ङ) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग

आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकता है.– हाँ।

13. विनियमन 17 से 27 तक और सूचीबद्ध विनियमन के विनियम 46 के उप–विनियमन (2) के खंड (ख) से (झ) तक के अधीन निर्धारित निगमित अभिशासन अपेक्षाओं के अनुपालन का खुलासा ।

कॉर्पोरेट अभिशासन प्रमाणपत्र और सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में देखे गए उन गैर–अनुपालनों को छोड़कर, कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

14. डीमैट निलंबित खाते/दावा न किए गए निलंबित खाते के संबंध में प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू नहीं।

15. सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का खुलासा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लागू नहीं।

16. साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट :

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–2024 के लिए साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स जे के दास एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया है। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट निदेशक रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न किया है और कंपनी अधिनियम की धारा 204 और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के साथ अनुपालन किया है। साचिविक लेखापरीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

17. सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन संबंधी डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन। सीपीएसयू होने के कारण कंपनी (एचओसीएल) को डीपीई के निगमित अभिशासन संबंधी तैयार दिशानिर्देशों का अनुपालन अपेक्षित है.

त्रैमासिक और वार्षिक स्व–मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक उद्यम विभाग डीपीई.को आगे भेज देने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की जा रही है।

18. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 09 फरवरी,2024 को कार्यपालक निदेशकों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आयोजित की गई। स्वतंत्र निदेशकों ने प्रबंधन और निदेशक मंडल के बीच सूचना प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता के संबंध में समग्र संतुष्टि व्यक्त की।

19. सीएसआर और स्थिरता विकास समिति

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एचओसीएल के लिए सीएसआर और स्थिरता विकास समिति लागू नहीं है। हालाँकि, बोर्ड ने तीन (3) निदेशकों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए सीएसआर समिति का गठन किया है; श्री प्रत्यूष मंडल, स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रूप में, डॉ. भरत जे. कनाबर, स्वतंत्र निदेशक सदस्य के रूप में, और श्री सजीव बी., सीएमडी एक अन्य सदस्य के रूप में और कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। उक्त सीएसआर समिति के विचारार्थ विषय, अन्य बातों के अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अंतर्गत नियम 2014 तथा अनुसूची VII आदि के अनुसार हैं।

20. 31 मार्च2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीईओ/सीएफ़ओ प्रमाणीकरण

यह प्रमाणित किया जाता है:

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2015 की अनुसूची II भाग ख के साथ पठित विनियमन 17 (8), 33 (2) (ए) के अनुपालन में हम प्रमाणित करते हैं कि:

क. हमने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड से संबंधित 31 मार्च, 2024

को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों/वित्तीय परिणामों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है, लेखापरीक्षा की है और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसारः

(1) इन विवरणों में कोई भी गलत या भौतिक रूप से असत्य कथन या भ्रामक कथन या आंकड़े नहीं हैं और इनमें कोई भी भौतिक तथ्य नहीं छूटा है या ऐसे कथन नहीं हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(2) ये विवरण एक साथ सूचीबद्ध इकाई के मामलों का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

ख. हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई द्वारा कोई भी ऐसा लेन–देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या सूचीबद्ध इकाई की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, का खुलासा किया है, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव रखते हैं, उनका खुलासा किया है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है

(1) कि वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं;

(2) कि वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हैं और वित्तीय विवरणों के नोटों में उनका खुलासा किया गया है; और

(3) कि कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का मामला नहीं है जिसके बारे में उन्हें जानकारी हो और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, तो सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

21. भेदिया व्यापार की रोकथाम:

कंपनी ने कंपनी के निदेशकों और नामित कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूतियों में व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इनसाइडर व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता अपनायी है। कोड में कंपनी के शेयरों में क्रय–विक्रय के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है और कंपनी के संबंध में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी रखने में और व्यापार विंडो बंद होने की अवधि के दौरान निदेशकों और नामित कर्मचारियों द्वारा कंपनी के शेयरों की खरीद या बिक्री पर रोक लगाती है। कंपनी के कंपनी सचिव संहिता के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। सभी बोर्ड निदेशकों और नामित कर्मचारियों ने कोड के अनुपालन की पुष्टि की है।.

22. लेखांकन उपचार का प्रकटीकरण:

वित्तीय विवरण निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में कोई वैकल्पिक उपाय नहीं किया गया है।

23. प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न किया जाता है,जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनती है।

कृते हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

हस्ता/–
(श्री सुब्रमणियन एच)
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 09.08.2024
स्थान : कोची,केरल

अनुबंध II

फॉर्म एओसी – I

(कंपनी (लेखा) नियम,2014 के नियम 5 के साथ पढित धारा 129 की उपधारा(3) के पहले परंतुक के अनुसरण में)

सहायक/अनुषंगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से युक्त विवरण

भाग "क": सहायक कंपनियाँ **रुपए लाख में**

1. क्रम सं	1
2. सहायक कंपनी का नाम	हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड.
3. वह तिथि जब से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	1983
4. संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से अलग हो:	नहीं
5. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर:	लागू नहीं
6. शेयर पूंजी :	1961.46
7. आरक्षित एवं अधिशेष (अन्य इक्विटी)	(10,231.07)
8. कुल परिसंपत्तियाँ:	6346.60
9. कुल देयताएं :	14634.21
10. निवेश:	शून्य
11. कुल बिक्री	0
12. कराधान पूर्व लाभ:	122.72
13. कराधान के लिए प्रावधान :	शून्य
14. कराधान पश्चात लाभ:	122.72
15. प्रस्तावित लाभांश:	शून्य
16. शेयरधारिता का %	56.43
सहायक कंपनियों का नाम जिनका परिचालन अभी शुरू होना है	कोई नहीं
उन सहायक कंपनियों का नाम जिनका परिसमापन हो चुका है या जिन्हें बेच दिया गया है या जो वर्ष के दौरान सहायक कंपनी के रूप में बंद हो गई हैं।	कोई नहीं

भाग "**ख**": सहयोगी और संयुक्त उद्यम: लागू नहीं

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्त/-
सजीव बी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 09.08.2024
स्थान: कोची, केरल

अनुबंध III

फॉर्म एओसी – II

[अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार]

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उपधारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म, जिसमें तीसरे प्रावधान के तहत कुछ निश्चित लेन–देन शामिल हैं:

1. **ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों का विवरण जो कि अलग–अलग आधार पर नहीं हैं:**

   31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई भी अनुबंध या व्यवस्था या लेन–देन नहीं किए गए थे।,आमसलेग्न्थ के आधारपर नहीं थे।

2. **महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या अलग–अलग आधार पर किए गए लेन–देनों का विवरण:**

   समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं थे। इंड एएस 24 के अनुसार, सरकार और अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेन–देन से संबंधित प्रकटीकरण लेखे की नोट संख्या 36 में रिपोर्ट किया गया है।

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्त/-
सजीव बी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 09.08.2024
स्थान: कोची, केरल

अनुबंध – IV

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल) का प्रबंधन कंपनी के कार्यनिष्पादन तथा दृष्टिकोण से युक्त अपनी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। रिपोर्ट में वर्तमान माहौल पर आधारित व्यापार संभावनाएँ और परिदृश्य तथा अप्रत्याशित एवं अनियंत्रित बाह्य घटकों के दौरान कंपनी के परिचालन के लिए रणनीतिपरक विकल्प शामिल हैं।

एचओसीएल कोची यूनिट को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त है जिसमें आईएसओ 9001-2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001-2018 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 45001-2018 (व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) और आईएसओ 50001:2018 शामिल है। एचओसीएल के सभी उत्पाद बीआईएस द्वारा प्रमाणित हैं।

1. उद्योग संरचना और विकास

भारत दुनिया में रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है और एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7% का योगदान देता है। भारत के रासायनिक क्षेत्र के 2025 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2040 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है। वर्ष 2025 तक रसायनों की मांग में 9% प्रति वर्ष की वृद्धि होने की उम्मीद है, भारतीय रासायनिक उद्योग के 2027 तक 11–12% की सीएजीआर के साथ आगे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे वैश्विक विशेष रसायन बाजार में भारत की हिस्सेदारी 3% से बढ़कर 4% हो जाएगी। घरेलू उत्पादन में सुधार, आयात को कम करने और क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के अवसरों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र के लिए 2034 का विजन स्थापित किया गया है।

कुल मिलाकर उद्योग के लिए भविष्य का दृष्टिकोण आशावादी दिखता है और कंपनी के संचालन में अधिक दक्षता के साथ सदस्यों के ओवरटाइम का मूल्य सृजन के लिए आपकी कंपनी प्रतिबद्ध है।

2. मुख्य अवसरें निम्न हैं :

कोची इकाई के मुख्य उत्पादों (फिनोल और एसीटोन) के क्षमता उपयोग में पुनर्गठन के बाद काफी सुधार हुआ है। यह मुख्य रूप से रसायनी इकाई के विनिवेश से जुटाई गई धनराशि के कारण कार्यशील पूंजी की बेहतर स्थिति के कारण था। पुनर्गठन प्रक्रिया की शुरुआत के बाद, कार्यशील पूंजी की स्थिति में सुधार और ब्याज व्यय में कमी के कारण परिचालन हानि कम हो गई है।

3. मुख्य आशंकाएं निम्न हैं :

एचओसीएल की केवल एक इकाई केरल राज्य के एरणाकुलम जिले के अंबलमुगल में स्थित है, जो वर्तमान में कार्यरत है। कोची इकाई फिनोल, एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के निर्माण में लगी हुई है। कोची में मुख्य उत्पादों के बाजार में उच्च स्तर की अस्थिरता थी और यह काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय कीमतों द्वारा निर्धारित किया गया था। कार्यशील पूंजी की गंभीर कमी के कारण, इकाई अक्सर अपनी क्षमता से कम काम करती थी। निजी क्षेत्र के व्यापारियों के साथ गंभीर प्रतिस्पर्धा है, जो यूनिट के 40,000 मीट्रिक टन के मुकाबले 2 लाख मीट्रिक टन फिनोल तक की क्षमता स्थापित की है। एंटि डम्पिंग शुल्क के बिना, आयात के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में एचओएल कोची इकाई असमर्थ रहेगी। कोची इकाई की अपनी अंतर्निहित कमियां हैं जैसे कि पुरानी तकनीक के कारण उत्पादकता हानि, उच्च स्तर की निश्चित लागत जो संचालन के निचले पैमाने, क्षमता विस्तार में बाधाएं, उत्पाद विविधीकरण की अनुपस्थिति, बाजार में प्रतिस्पर्धा की कमी आदि के कारण अवशोषित नहीं हो रही है।

कंपनी के उत्पाद जैसे कि फिनोल, एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कई उत्पादों को खरीदने वाले प्रमुख ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपकी कंपनी के उत्पाद डाई और पिगमेंट, एग्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों जैसे अंतिम उपयोग क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला को पूरा करते हैं। यह संगठन को नए ग्राहक प्राप्त करने और उनकी मांगों की विशाल श्रृंखला को संबोधित करने में सहायता करता है।

3. खंडवार (सिगमेंटवाइस) कार्य निष्पादन

कंपनी मुख्यतः रसायनों के विनिर्माण और बिक्री का व्यापार करती है।

उत्पाद खंड	31/03/2024 को समाप्त वर्ष			31/03/2023 को समाप्त वर्ष		
	लक्ष्य मि.ट.	वास्तविक मि.ट.	प्रतिशत मि.ट.	लक्ष्य मि.ट.	वास्तविक मि.ट.	प्रतिशत प्राप्त
रसायन	75090	87710	116%	75090	70979	95%

4. उत्पाद वार कार्यनिष्पादन (मुख्य उत्पादों के उत्पादन)

क्रमांक	उत्पाद का नाम	वि.व. 2023-24		वि.व. 2022-23
		स्थापित क्षमता	वास्तविक	वास्तविक
1	फिनोल	40000	47518	37350
2	एसिटोन	24640	29613	23306
3	एच2ओ2	10450	10579	10323
	कुल	**75090**	**87710**	**70979**

5. अगले वर्ष के लिए दृष्टिकोण

- वित्तीय देनदारियों को कम करने के लिए भूमि की बिक्री की प्रक्रिया को तेज करना ताकि वित्तीय लागत को कम किया जा सके।
- उत्पादकता में सुधार के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना;
- मूल्य वर्धित उत्पादों में विविधीकरण को अधिकतम सीमा तक तलाशना ताकि बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव के खिलाफ कुछ हद तक सुरक्षा प्राप्त की जा सके।
- आपकी कंपनी सतर्क रहेगी और उद्योग परिदृश्य में तेजी से परिवर्तन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ उठाएगी।
- कार्बन तटस्थ भविष्य के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में पहल की तलाश करें।

6. कुछ जोखिम और चिंता.

- उत्पाद विविधिकरण या डाउन स्ट्रीम मूल्यवर्धन में कमी।
- मुख्य उत्पाद फिनोल और एसिटोन के सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा।
- कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के आधार पर कच्चे माल फीड स्टॉक की कीमतों में उतार–चढाव।
- कम मूल्य पर आयातित तैयार माल की उपलब्धता के कारण उपभोक्ताओं पर कच्चे माल की बढ़ती लागत लगाने की असमर्थता ।
- पुराने संयंत्रों में सुधार / प्रतिस्थापन / आधुनिकीकरण के लिए भारी निवेश की आवश्यकता ।

- महाराष्ट्र सरकार से एनओसी प्राप्त होने के बाद एनबीसीसी के माध्यम से रसायनी/ पनवेल के ऋणभार मुक्त शेष भूमि की बिक्री।
- कोची में संयंत्रों के निरंतर प्रचालन के लिए बैंकों से कार्यशील पूंजी की उपलब्धता ।

7. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रणों को समर्थन आंतरिक लेखापरीक्षा तथा प्रबंधन समीक्षा से मिलता है। कंपनी विविध स्तर के कार्यपालकों द्वारा दस्तावेजी नीति तथा कार्यपद्धति अपनाने के माध्यम से पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण रखना सुनिश्चित करती है। प्रबंधन इन मामलों में गहरी दिलचस्पी रखता है तथा आइटी संरचना को अद्यतन करने, टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन, वेब पर आधारित आवेदन तथा विनिर्माण इकाइयों और शाखा कार्यालयों के बीच प्रभावी और अनुकूल सेवाएँ तथा कारोबार फायदों के लिए संयोजकता स्थापित करने के विविध तरीके अपनाए हैं।

प्रणालियों में सुधार लाने और बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, सिस्टम की समीक्षा की जाती है और नीतियों और प्रक्रिया नियमावली में संशोधन किया जाता है। एचओसीएल कोची इकाई को एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त है, जिसमें आईएसओ 9001-2015 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001-2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) शामिल हैं। आपकी कंपनी के पास कॉर्पोरेट अभिशासन संरचना है जो इसके संचालन को नियंत्रित करती है और प्रबंधन टीम ठोस वित्तीय नीतियों के साथ-साथ प्रक्रियाओं और प्रणालियों का पालन करती है

8. वित्तीय एवं प्रचालन कार्यनिष्पादन की समीक्षा:

वित्त वर्ष 2023–24 के लेखों के अनुसार, आपकी कंपनी को पिछले वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 50.22 करोड़ रुपये के शुद्ध घाटे की तुलना में 55.31 करोड़ रुपये (कर से पहले) का शुद्ध घाटा हुआ है। चालू वित्त वर्ष 2022–23 के लिए ई बी आईटी(ब्याज और कर से पहले की कमाई) 14.26 करोड़ रुपये है।

कोच्चि में फिनोल प्लांट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लांट ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान 119% और 101% क्षमता उपयोग हासिल किया, जबकि 31 मार्च 2023 को समाप्त पिछले वर्ष के दौरान यह 93% और 99% था।

9. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी को मुख्य कारोबार क्षेत्र में प्रभावी सूचना प्रणालियाँ हैं। हालांकि, कंपनी ने प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों तथा प्रत्येक कारोबार की आवश्यकता के अनुरूप अभिनव सेवाएँ प्रदान करने की सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की तरीका को ध्यान में रखते हुए बदलती मांग और चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना की परिकल्पना की है। टैली प्राइम ईआरपी सिस्टम का उपयोग करके मुख्य व्यावसायिक कार्य निष्पादित किए जाते हैं। ईआरपी सिस्टम के विभिन्न मॉडयूलों के एकीकरण के परिणामस्वरूप हमारी व्यावसायिक प्रक्रिया और लेन-देन का बेहतर संचालन, समय पर और सुचारू रूप से पूरा होना संभव हुआ।

प्रबंधन हमेशा परिवर्तित प्रौद्योगिकीय वातावरण में डाटा सुरक्षा,उपलब्ध सूचना,पारदर्शिता तथा परिशुद्धता जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास सुनिश्चित करते हैं। आईटी नीतियों और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की आईटी अवसंरचना का सर्ट इन सूचीबदध लेखा परीक्षा प्राधिकरण दवारा लेखा परीक्षण किया जाता है। कंपनी नैशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा प्रदान की जा रही खुली निविदा (ओपन टेंडरिंग)/ ई-निविदा उपाय (ई–टेंडरिंग सोलुशन) का प्रयोग करती है। कंपनी ने खरीद के लिए जेम सरकार प्लाटफोर्म और एमएसएमई को भुगतान के लिए ट्रेड के साथ पंजीकृत किया है। कंपनी एमएसएमई के माध्यम से खरीद के विभिन्न दिशानिर्देशों का भी पालन कर रही है।

10. अन्य जानकारी:

मानव संसाधन, उद्योग संबंध, सीएसआर गतिविधियां, पर्यावरण संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, ऊर्जा संरक्षण आदि के बारे में विवरण निदेशक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

11. सावधानी विवरण

इस प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण विवरण में वर्णित कंपनी के उद्देश्य, पूर्वानुमान, आकलन तथा अपेक्षाएँ लागू कानून तथा विनियमों के भीतर प्रगामी विवरण हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अभिव्यक्त या विवक्षित से काफी हद तक या भौतिक रूप से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालनों को प्रभावित करनेवाली महत्वपूर्ण बातों में रसायन उद्योगों में झुकता हुआ रुख जो भूमंडलीय तथा स्वदेशी दोनों में, भारत में राजनैतिक तथा आर्थिक–पर्यावरण क्षेत्र में या विदेशों के मुख्य बाजारों में, कर नियमों, मुकदमेबाजी, जनशक्ति खर्च, विनियम दरों में उतार चढ़ाव, ब्याज या अन्य लागतों में महत्वपूर्ण बदलाव सम्मिलित है।

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्त/-
सजीव बी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक: 09.08.2024
स्थान: कोची, केरल

निगमित अभिशासन के शर्तों संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य,
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड,
अंबलमुगल पी ओ
कुन्नथुनाडु,एरणाकुलम
केरल, इंडिया 682302

1. हम ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम,2015 ("सूचीबद्ध विनियमन") के अधीन निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन प्रमाणन के उद्देशय से 31 मार्च,2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (**सीआईएन**: L99999MH1960GOI011895)** द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है। हमने प्रमाणीकरण के प्रयोजनों के लिए सभी जानकारी और स्पष्टीकरण, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे, प्राप्त किया।

2. निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी।

3. हमने साचिवीय अभिलेखों की सत्यता और विषय–वस्तु के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित रूप से लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि साचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य दर्शाए गए हैं, सत्यापन नमूना जांच के आधार पर किया गया था। हम मानते हैं कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करें।

4. हमारी जाँच निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन प्रक्रिया की जांच करने तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों/ अभिलेखों पर राय की अभिव्यक्ति।

राय

5. हमें उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच और प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2015 के तहत निम्नलिखित को छोड़कर निगमित अभिशासन की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है,:

   I. कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी, नामित और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं था क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में 1 (एक) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त था।

   II. कंपनी सेबी एलओडीआरआर के विनियमन 18(1)(सी) का उचित अनुपालन नहीं कर रही है, क्योंकि लेखा परीक्षा समिति में लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता रखने वाला कम से कम एक सदस्य नहीं है।

6. कंपनी, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग, भारत सरकार के पास है। कंपनी ने अपने बोर्ड में एक (1) महिला स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का अनुरोध करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय को कई पत्र भेजे हैं और ऐसी नियुक्तियों के बारे में निर्देशों की प्रतीक्षा है।

7. यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

पी धन्या एंड एसोसिएट के लिए

सी एस धन्या टी पी

दिनांक 03/07/2024 — एफ़डसीएस सं 10883/सीपी सं 15006
स्थान : कोची — यूडीआईएनःएफ एफ010883एफ000658475

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्य

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (सीआईएन: L999999MH1960GOI011895) द्वारा, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा ज़ारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन, 2010 की दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना। हमारी जाँच निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए ज़ारी निगमित अभिशासन, 2010 के दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन निम्न को छोड़कर किया है

1. खंड 1.1.(i) - कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी, नामांकित और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन शामिल नहीं था क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में 1 (एक) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त था;
2. खंड 1.2.(ii)- कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की इष्टतम संख्या शामिल नहीं थी क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में 1 (एक) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त था;
3. खंड 1.7.(i) - कंपनी के पास अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कोई जोखिम प्रबंधन योजना नहीं है क्योंकि सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार विनियम 21 कंपनी पर लागू नहीं है;
4. खंड 1.7.(ii) - कंपनी के निदेशक मंडल ने समय–समय पर किसी भी जोखिम प्रबंधन योजना की समीक्षा नहीं की क्योंकि समीक्षाधीन अवधि के दौरान वहां कोई अनुमोदित जोखिम प्रबंधन योजना नहीं थी और न ही सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अनुसार विनियम 21 कंपनी पर लागू नहीं है।
5. खंड 2.1.(iv) - कंपनी की लेखापरीक्षा समिति में वित्तीय रूप से साक्षर सदस्य शामिल नहीं थे। साथ ही, समिति के किसी भी सदस्य के पास लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता नहीं है;

जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सरकारी कंपनी) होने के कारण निदेशकों की नियुक्ति और शर्तों के संबंध में सभी शक्तियों का प्रयोग रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी ने अपने बोर्ड में एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए संबंधित मंत्रालय के साथ यह मामला उठाया था। हालाँकि, ऐसी नियुक्ति का अभी भी इंतजार है। इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के पास बुनियादी वित्तीय प्रक्रियाओं और विवरणों को पढ़ने और समझने की क्षमता होती है

हम आगे कहते हैं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन हैं और न ही इसकी दक्षता और प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते धन्या एंड एसोसिएट के लिए

सी एस धन्या टी पी

दिनांक 25/04/2024 एफ़डसीएस सं 10883/सीपी सं 15006

स्थान : कोची यूडीआईएन:एफ एफ010883एफ000234579

निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्य
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम
कुन्नथुनाडु,एरणाकुलम,केरल – 682302

हमने **हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (**सीआईएन**: L999999MH1960GOI011895)** (जिसे आगे कंपनी कहा जाएगा) और जिसका पंजीकृत कार्यालय अंबलमुगल पीओ, एरणाकुलम, कुन्नथुनाड, केरल – 682302 में है, के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और खुलासों की जांच की है, जो कंपनी द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे, जो कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची वी पैरा सी खंड 10 (i) के साथ पठित विनियमन 34 (3) के अनुसार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित) के अनुसार जैसा कि आवश्यक समझा गया और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें स्पष्टीकरण दिया गया। हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि **31 मार्च 2024** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड में नीचे बताए गए किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय या ऐसा कोई अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रमांक	निदेशक का नाम	डीआईएन	पदनाम	कंपनी में नियुक्ति की तारीख	डीआईएन की स्थि
1.	सजीव भास्करन	09344438	प्रबंध निदेशक	06/09/2021	अनुमोदित
2.	योगेंद्र प्रसाद शुक्ल	09674122	निदेशक	04/07/2022	अनुमोदित
3.	प्रत्युष मंडल	09461918	निदेशक	24/12/2021	अनुमोदित
4.	भरत कुमार जसवंतराय कनाबर	09466694	निदेशक	24/12/2021	अनुमोदित
5.	कनिष्क कान्त श्रीवास्तव	09699641	नामित निदेशक	30/03/2022	अनुमोदित
6.	मनोज सेठी	00301439	नामित निदेशक	22/11/2023	अनुमोदित

निदेशक मंडल में नियुक्ति/निरंतरता के लिए प्रत्येक निदेशक की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

मेसेर्स मोहन्स एंड एसोसिएटस के लिए
कंपनी सचिव

दिनांक 16/07/2023 — मालती नारायण कुट्टी
स्थान : त्रिपुनिथुरा — साझेदार
यूडीआईएन: F012792F000754271 एफसीएस सं 12792/सीपी सं 23062

फॉर्म नं.एमआर–3

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधन कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्य,
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
सीआईएन : L99999MH1960GOI011895
अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम
कुन्नथुनाडु
केरल भारत 682302

हमने **हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (**सीआईएन**: L99999MH1960GOI011895)** (इसके पश्चात जिसे कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट पद्धति के अवलंबन की साचिविक लेखापरीक्षा की है। साचिविक लेखा परीक्षा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीस ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) द्वारा जारी साचिविक लेखा परीक्षा संबंधी सीएसएएस–4–लेखापरीक्षा मानक के अनुसार आयोजित की गई थी, जिसने मुझे कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

हम नोट करते हैं कि रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने 29 जनवरी, 2020 की पत्र सं 51015/06/2019/सीएच.III (G-II)के माध्यम से कंपनी की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड को बंद करने का निर्देश दिया है।

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की बहियों, कागजातें, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म और फाइल किए गए विवरणियाँ और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों की मेरी जाँच के आधार पर साथ ही कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंट्स तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा साचिविक लेखा परीक्षा के दौरान मुझे दी गई जानकारी के अनुसार हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि कवर करते हुए लेखापरीक्षा के दौरान यहाँ नीचे दी गयी सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुसरण किया है और कंपनी के पास बोर्ड की प्रक्रिया और अनुपालन प्रणाली उस हद तक उस ढंग से उपलब्ध है तथा इसके पश्चात् रिपोर्ट की गई है।

हमने 31 मार्च,2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड** द्वारा रखे गए लेखा बहियों, कागजातो, कार्यवृत्त पुस्तक,प्रपत्र तथा फाइल की गयी विवरणियाँ और अन्य अभिलेखों की जांच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:

i) कंपनी अधिनियम,2013(अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ("एससीआरए") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम:

iii) द डिपॉजिटरीज़ अधिनियम,1996 तथा विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपविधि:

iv) विदेशी मुद्रा विनियमन प्रबंधन अधिनियम,1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश,

ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारों की हद तक उसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम **समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं।**

v) सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम,1992 (`सेबी अधिनियम")के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम तथा दिशा निर्देश

क) सिक्यूरिटीस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (आंतरिक ट्रेडिंग पर प्रतिबंध) विनियमन, 2015

ख) द सिक्यूरिटीस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015

ग) द सिक्यूरिटीस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (पूँजी जारी करना तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन 2009 (10 नवंबर 2018 तक)और द सिक्यूरिटीस एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (पूंजी निर्गत और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2018 **(11 नवंबर 2018 से प्रभावी)–समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट योग्य कोई घटना नहीं है। इसलिए लागू नहीं हैं।**

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) विनियमन, 1999- **लागू नहीं है क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई शेयर/विकल्प जारी नहीं किया है**;

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम तथा सूचीबद्ध) विनियमन 2008 **लागू नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार के ऋण प्रतिभूतियाँ जारी नहीं किया है।**

च) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंड का रेजिस्ट्रार) विनियमन 1993 जो कंपनी अधिनियम और ग्राहक से लेन–देन संबंधी है।

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का डीलिस्टिंग) विनियमन 2009- **लागू नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट नहीं किया**, और

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियमन 1998 (10 सितंबर 2018 तक) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी) विनियमन, 2018 (11 सितंबर 2018 से प्रभावी)- **लागू नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद नहीं की है ।**

vi) प्रबंधन ने सूचित किया है कि कानून जो खासकर कंपनी पर लागू है वे निम्नप्रकार है:

क) पेट्रोलियम अधिनियम,1934 और पेट्रोलियम नियम 2002

ख) खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण तथा आयात (संशोधन) नियम,2000

ग) खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन,प्रहस्तन तथा ट्रांस बाउंडरी) नियम 2008

घ) ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952

ङ) खतरनाक मशीन (विनियम) अधिनियम, 1983

च) केंद्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन दिशा–निर्देश 2010

छ) फैक्टरिस अधिनियम 1948 और केरल फैक्ट्रीज़ नियमावली 1957

ज) औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

झ) कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न(रोकथाम,प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम 2013

हमने निम्नलिखित लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जाँच की है:

(i) इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी साचिविक मानक

(ii) सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन 2015 और बीएसई लिमिटेड के साथ किया गया कंपनी द्वार किए गए सूचीबद्ध करार।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त उल्लेखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय / कंपनी के रजिस्टर या अन्य लागू कानूनों के तहत अन्य प्राधिकरणों के पास निर्धारित समय के भीतर फॉर्म और रिटर्न दाखिल कर दिए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया गया था क्योंकि कंपनी के पास अपने बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। यह देखा गया कि 01–04–2023 से 31–03–2024 की समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के बोर्ड में एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक का पद रिक्त है। कंपनी, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में निदेशकों/ स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानी रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा की जानी है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय से अनुरोध भी किया गया है; हालाँकि, मंत्रालय को अभी भी अपेक्षित स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति करनी है। निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना में अन्य परिवर्तन, जो छह(6) निदेशकों की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए, क्योंकि कंपनी शीर्ष 2000 बाजार पूंजी कंपनियों में से एक है, अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुपालन में किए गए थे।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने 29.11.2023 से अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) रिकॉर्ड करने के लिए पीआईटी विनियमन, 2015 के विनियमन 3(5) और 3(6) के तहत आवश्यक संरचित डिजिटल डेटाबेस सॉफ्टवेयर (जिसे आगे "एसडीडी" या डेटाबेस कहा जाएगा) को बनाए रखा है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर कानून जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन और वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों का रखरखाव की समीक्षा इस लेखा परीक्षा में नहीं की गयी है क्योंकि जिसकी समीक्षा वैधानिक वित्तीय लेखापरीक्षकों, सीएजी लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों और नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी ने समिति की सभी बैठकों के अनुपालन का अनुपालन किया है और कानून के तहत वर्ष के दौरान समिति की सभी बैठकें विधिवत आयोजित की गईं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ लागू विभिन्न खुलासे दायर किए हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा के आधार पर और कंपनी सचिव/ अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा जारी अनुपालन प्रमाणपत्र (पत्रों) के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया है, हमारी राय ये हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और कार्यविधियाँ हैं जो कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप हैं:

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान

(i) ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें उपरोक्त निर्दिष्ट कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख मामले हैं,

(ii) वर्ष के दौरान, निम्नलिखित कोई अन्य घटनाएँ नहीं थीः

क) शेयरों/डिबेंचर/ स्वेट आदि के सार्वजनिक/ अधिकार/अधिमान्य जारी

ख) प्रतिभूतियों का मोचन/वापसी खरीद–

ग) विलयन / समामेलन / पुनर्निर्माण, आदि।

घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

प्रस्तुत रिपोर्ट को हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ा जाए जो इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

(सीएस जे के दस)
सी पी सं. 4250
सदस्यता सं. एफसीएस 7268

मेसेर्स जे के दास एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव
यूडीआईएन:एफ**007268**एफ**00346191**
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.**2015/322**

स्थान : कोलकाता
दिनांक: **10/05/2024**

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संलग्नक

सेवा में

सदस्य

मेसेर्स हिंदुस्तान ऑगेनीक केमिकल्स लिमिटेड

31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

1. यह कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह साचिवीय रिकॉर्ड बनाए रखे, सभी लागू कानूनों और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रणाली पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी साचिवीय अनुपालन के संबंध में इन साचिवीय अभिलेखों, मानकों और कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं पर एक राय व्यक्त करना है।

3. हम विश्वास रखते हैं कि कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और जानकारी हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने उपरोक्त कानूनों, नियमों और विनियमों, मानकों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है या पुस्तकों और कागजातों के अलावा किसी भी पुस्तक, सूचना या विवरण की जांच नहीं की है।

6. हमने ऊपर बताए गए को छोड़कर किसी अन्य विशिष्ट कानून की जांच नहीं की है।

अस्वीकरण

7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

(सीएस जे के दस)
सी पी सं. 4250
सदस्यता सं. एफसीएस 7268

मेसेर्स जे के दास एंड एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव
यूडीआईएन:एफ**007268**एफ**00346191**
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं.**2015/322**

स्थान : कोलकाता
दिनांक: **10/05/2024**

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्य
स्टॅंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरिक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

1. हम ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2024 को तुलन–पत्र, समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय सहित लाभ एवं हानि का विवरण, समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण जानकारियां सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण (जिसे इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों" के रूप में कहा गया है) शामिल है।

2. हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी रिपोर्ट के योग्य राय के आधार खंड में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम,2013 ("अधिनियम") में आवश्यक सूचना यथा अपेक्षित रूप में देते हैं और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक ('इंडएएस') जिसे कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के साथ पढ़ा जाए, और 31 मार्च 2024 को कंपनी के मामले में भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अपने लाभ (अन्य समग्र आय सहित), इनके नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सच्चे और सही रूप दिए जाते हैं।

योग्य राय का आधार

3. हम संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 11 की ओर आकर्षित करते हैं, जो इसकी सहायक कंपनी को दिए गए 453.01 लाख रुपए के अग्रिम ऋण पर देय ब्याज अधित्याग करने संबंधी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 (7) के प्रावधानों के अनुसार,कोई भी ऋण, ऋण की अवधि के निकटतम एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या दस वर्ष की सरकारी प्रतिभूति की प्रचलित उपज से कम ब्याज दर पर नहीं दिया जाएगा। हमारी राय में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(7) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

   यदि उपरोक्त अर्हता के प्रभाव पर विचार किया गया होता, तो 31 मार्च 2024 तक 'अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों' के अंतर्गत 'संबंधित पार्टियों से ब्याज प्राप्य' में 57.26 लाख रुपए की वृद्धि हुई होती,'अन्य चालू परिसंपत्तियों' के अंतर्गत 'वैधानिक प्राप्य – शुल्क और कर, पूर्वदत्त कर' में 6.36 लाख रुपए की वृद्धि हुई होती, शेयरधारक निधि में 63.62 लाख रुपये की वृद्धि हुई होती, और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 'सहायक कंपनी को ऋण पर ब्याज आय' और शुद्ध आय में 63.62 लाख रुपये की वृद्धि हुई होती।

4. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा (एसए) संबंधी मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के अधीन हमारी जिम्मेदारियाँ को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों में कहा गया है। हम इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड अकौण्ट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप साथ ही साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं कंपनी का स्वतंत्र है और हमने इन आचार संहिताओं और आईसीएआई के आचार संहिताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

कार्यशील संस्था से संबंधित भौतिक अनिश्चितता

5. हम संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 42 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने अन्य व्यापक आय सहित 388.00 लाख रुपए की शुद्ध लाभ (पिछले वर्ष रु.4239.63 लाख की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध हानि) रिपोर्ट की है। साथ ही, कंपनी ने 1,07,999.21 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1,07,136.93 लाख रुपए) की हानि अर्जित की है। आगे,कंपनी का निवल मूल्य नकारात्मक है जो 96433.68 लाख रुपए (पिछले वर्ष 95,571.40 लाख रुपए) है जिसमें अन्य समग्र आय शामिल नहीं है। वर्ष के अंत तक कंपनी के पास चालू परिसंपत्तियों, नकदी और नकदी समकक्षों तथा अन्य बैंक शेषों के अंतर्गत 22,642.08 लाख रुपए (पिछले वर्ष 16,730.48 लाख रुपए) का शेष है।

   हालाँकि, हमें सूचित किया गया है कि, कंपनी, भारत सरकार की मंजूरी के साथ, रसायनी, मुंबई में अपनी घाटे में चल रही इकाई को विनिवेश करने और बेचने की प्रक्रिया में है, जिसमें इकाई के स्वामित्व वाली 517.819 एकड़ भूमि सहित 94,550.32 लाख रुपए की वहन राशि वाली संपत्ति शामिल है। इस प्रक्रिया से कंपनी के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह सृजित करने की उम्मीद है। कंपनी की कोची इकाई प्रचालन में है, और कंपनी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना को लागू करने की प्रक्रिया में है। परिणामस्वरूप, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं

   उपरोक्त के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

6. मुख्य लेखापरीक्षा मामले इसप्रकार के मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामले का समाधान समग्र रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में किए गए और उसपर हमारी राय निरूपण तैयार करती है और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रकट नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे संबोधित किया।

7. हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है। हमने अपनी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है, जिसमें इन मामलों के संबंध भी शामिल है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों के हमारे आकलन का जवाब देने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल था। नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाओं सहित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के विवरण, साथ में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करते हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया?
राजस्व मान्यता – छूट, प्रोत्साहन और रियायतें **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट 2.2 (क) 4 देखें**	
• ग्राहकों को दी जाने वाली छूट, प्रोत्साहन और रियायतों पर विचार करते हुए राजस्व का मापन हमारी लेखापरीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। • विविध विपणन क्षेत्रों में कंपनी की व्यापक उपस्थिति और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल की गतिशील प्रकृति विभिन्न प्रकार की छूट, प्रोत्साहन और रियायतों का आकलन करने में शामिल जटिलता और निर्णय में योगदान करती है। • परिणामस्वरूप, इन तत्वों के मूल्यांकन में संभावित भिन्नताओं के कारण राजस्व के गलत विवरण का एक अंतर्निहित जोखिम है। • छूट, प्रोत्साहन और रियायतों के प्रावधानों का आकलन करने में जटिल प्रकृति और निर्णय पर निर्भरता को देखते हुए, यह एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला बनता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल थे: • हमने लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके राजस्व, छूट, प्रोत्साहन और घटौती से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीतियों का मूल्यांकन किया है। • हमने छूट, प्रोत्साहन और घटौती के प्रावधानों, अनुमोदन और संवितरण पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है। • हमने नमूना आधार पर छूट, प्रोत्साहन और घटौती के उपार्जन के लिए कंपनी की गणना का मूल्यांकन किया है, और स्वीकृत योजनाओं और अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ किए गए उपार्जन की तुलना की है। • हमने भुगतान की ऐतिहासिक प्रवृत्ति और छूट, प्रोत्साहन और घटौती के उलटफेर की तुलना चालू वर्ष के उपार्जन का आकलन करने के लिए किए गए प्रावधानों से की है। • हमने असामान्य या अनियमित मदों की पहचान करने के लिए छूट, घटौती और प्रोत्साहन पोस्ट किए गए मैनुअल जर्नल की जांच की है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया?
मुकदमेबाजी और कर सहित आकस्मिकताएँ **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट 2.2 (घ) और 34 देखें**	
• कंपनी को नियमित रूप से कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें विवाद, मुकदमे, विनियामक मामले और नियमित व्यावसायिक संचालन में निहित अन्य मुद्दे शामिल हैं। इनमें से कई स्थितियों में जटिल विवरण शामिल हैं। • बाहरी कानूनी सलाहकारों द्वारा समर्थित, कंपनी प्रत्येक परिस्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रावधान किए जाने चाहिए या आकस्मिकताओं का खुलासा किया जाना चाहिए। • संभावित कानूनी और कर देनदारियों से संबंधित लेखांकन और प्रकटीकरण की जटिल प्रकृति के कारण यह पहलू हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चुनौती खासकर प्रतिकूल परिदृश्यों में परिणामों की भविष्यवाणी करने और वित्तीय प्रभावों का अनुमान लगाने में है। • इसके अलावा, इन कानूनी विचारों के वित्तीय निहितार्थ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं, या होने की संभावना है। इसलिए, वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच आवश्यक है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल थे: • हमने कंपनी में विभिन्न स्तरों पर दावों, कार्यवाही और जांच की पहचान और मूल्यांकन से संबंधित नियंत्रणों की डिजाइन का मूल्यांकन किया और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया, तथा विवादों, संभावित दावों और मुकदमेबाजी, आकस्मिक देनदारियों और प्रकटीकरणों के लिए प्रावधानों का मापन किया • हमने कंपनी की इन-हाउस कानूनी टीम से चल रहे मुकदमों की एक सूची प्राप्त की। • हमने भौतिकता के आधार पर मुकदमों का एक नमूना चुना और इन मुकदमों के कानूनी मूल्यांकन पर उक्त वकील से पूछताछ की। हमने मूल्यांकन की तुलना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रावधान या प्रकटीकरण से की। • हमने प्रावधान या आकस्मिकता के मापन के संबंध में प्रबंधन की अंतर्निहित गणना का परीक्षण किया। • हमने सारांश में शामिल मामलों के संबंध में कंपनी के बाहरी कानूनी सलाहकारों से कानूनी पत्र प्राप्त किए। जहाँ उचित था, हमने मामलों से जुड़े पत्राचार की जाँच की। • हमने कर अधिकारियों के साथ प्रासंगिक संचार का निरीक्षण किया ।
	• हमने भौतिक स्थितियों की प्रकृति और मात्रा का आकलन करने में अपने आंतरिक कर विशेषज्ञों को शामिल किया और संबंधित कर अधिकारियों से पत्राचार और आकलन के आधार पर तकनीकी योग्यता का आकलन किया • हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन का भी मूल्यांकन किया ।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया?
वस्तुसूची का मूल्यांकन **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 6 देखें**	
• कच्चे माल, अर्ध-तैयार और तैयार माल का सत्यापन और मूल्यांकन एक सावधानीपूर्वक मैन्युअल कार्य है। इस प्रक्रिया के दौरान, अप्रत्यक्ष उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है और इन्वेंट्री लागत में एकीकृत किया जाता है, जिसमें निर्णय और आकलन शामिल होता है। • इन लागतों का आवंटन अनुमान के समय अनिश्चितता के अधीन है। इसके अलावा, मूल्य में उतार-चढ़ाव घरेलू, वैश्विक और विभिन्न अन्य बाहरी कारकों सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। • इसके अलावा, प्रबंधन अप्रचलित इन्वेंट्री और धीमी गति से चलने वाले स्टॉक आइटम की पहचान करने और उनका मूल्यांकन करने में निर्णय लेता है, साथ ही आवश्यक प्रावधानों की उपयुक्तता का अनुमान भी लगाता है। इन निर्णयों की व्यक्तिपरक प्रकृति और अंतर्निहित अनिश्चितताओं को देखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।	• हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में, अन्य बातों के अलावा, नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभावशीलता और वस्तुसूची के सत्यापन और मूल्यांकन के संबंध में मूलभूत परीक्षण के निम्नलिखित संयोजन शामिल थे: • डिजाइन को समझना और उसका मूल्यांकन करना तथा ऐसी इन्वेंट्री की भौतिक गणना प्रक्रिया और माप पर नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना; • हमने वस्तुसूची निगरानी और नियंत्रण की प्रणाली का मूल्यांकन किया। कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि संयंत्र संचालन के लिए वितरित नियंत्रण प्रणाली, संयंत्र की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, कच्चे माल, तैयार उत्पादों और मध्यवर्ती उत्पादों के स्टॉक के बारे में विस्तृत सांख्यिकी के लिए टैंक लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम ("एलएमएस"), साथ ही विभिन्न अलार्म, चेतावनियाँ और टैंक संचालन का इतिहास आदि से डेटा की समीक्षा करना। • प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता और पूर्णता का आकलन करने के लिए वस्तुसूची माप और गणना प्रक्रियाओं का भौतिक रूप से निरीक्षण करना और रोल-बैकवर्ड/रोल-फॉरवर्ड प्रक्रियाएँ निष्पादित करना। • इन्वेंट्री माप और भौतिक गणना विवरण प्राप्त करना और उनका निरीक्षण करना, जिसमें प्रबंधन द्वारा किए गए विश्लेषण के विवरण और बुक और भौतिक मात्राओं के बीच अंतर के संबंध में किए गए समायोजन का आकलन और मूल्यांकन करना शामिल है। • इन्वेंट्री के लिए लागत की सटीकता का नमूना आधार पर परीक्षण करना। वास्तविक लागत की तुलना सबसे हाल ही में बिक्री मूल्य से करके शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य का परीक्षण करना। उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर,हमने इन्वेंट्री के मापन में किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

8. कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निहित सूचना भी शामिल है, लेकिन वित्तीय विवरणों और उसपर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

9. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उसपर किसी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

10. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

11. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल जिम्मेदार है। ये विवरण, वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन जिसमें अन्य व्यापक आय शामिल है, अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकद प्रवाह में परिवर्तित की सही और सच्ची स्थिति दर्शाते हैं।

12. प्रस्तुत जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने और पता करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों का अनुरक्षण शामिल है और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन एवं प्रयोग, उचित एवं विवेकी निर्णयों और अनुमानों की तैयारी और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रूपायन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण जो लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए संगत है भी शामिल है जिससे सच्ची और सही स्थिति ज्ञात हो और धोखाधड़ी या गलती के कारण वस्तुगत अयथार्थ से मुक्त हो।

13. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी में, कार्यशील संस्था के रूप में चालू रहने की कंपनी की क्षमता के निर्धारण, कार्यशील संस्था से संबंधित मामले यथा लागू प्रकट करने और जब तक निदेशक मंडल ने जो कंपनी का परिसमापन की इरादा रखते हो या प्रचालन बंद करने या कोई वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं लेकिन करने के बाध्य हो तब तक लेखांकन के कार्यशील संस्था आधार का प्रयोग करने के लिए निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

14. निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की देख-रेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

15. हमारा उद्देश्य क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप में धोखाधडी या गलती से, महत्वपूर्ण गलती से मुक्त है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारी राय से युक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ज़ारी करना है। उचित आश्वासन, आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन गैरंटी नहीं है कि एस ए के अनुरूप आयोजित की गई लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलती जब विद्यमान होने पर,पाया जाता है। महत्वपूर्ण गलती धोखाधड़ी या गलती से हो सकता है और यदि व्यक्तिगत तौर पर या संकलित रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर जो उचित रूप से प्रभावित करना प्रत्याशित है।

16. एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय और संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य में प्रोफेशनल संदेहवाद का प्रयोग करते हैं। हम यह भी करते हैं कि

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानों संबंधी जोखिम की पहचान एवं निर्धारण करना जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रणालियों का रूपायन एवं निष्पादन और लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना है जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी से होनेवाले महत्वपूर्ण गलत बयान की पहचान का जोखिम गलती से होनेवाले से गंभीर/उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर लोप, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंखन करना भी शामिल है।
- परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रणालियों का रूपायन करने की दिशा में लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ताल-मेल प्राप्त करना है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन प्रभाविता पर हमारी राय प्रकट करने के लिए हम उत्तरदायी है।
- उपयोग में लायी गयी लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की उचितता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना ।
- लेखा के कार्यशील संस्था आधार संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत के आधार पर ऐसी घटनों या स्थितियों जो कार्यशील संस्था के रूप में ज़ारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका डाल देती है,से संबंधित क्या महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है,हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर या ऐसी प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त पायी जाती है, हमारी राय संशोधित करने की ओर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित है। फिर भी, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ कंपनी को कार्यशील संस्था के रूप में जारी करना रोकने का कारण बन सकती है।
- समग्र प्रस्तुतीकरण, संरचना और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की विषयवस्तु जिसमें प्रकटीकरण शामिल है, क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं को उसी तरीके में जिसमें उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है, का प्रतिनिधित्व करता है, का मूल्यांकन करना है।

17. हम अन्य मामलों के साथ तैयार किए गए विषयक्षेत्र और लेखापरीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिसमें हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमारे आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पायी गयी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल है, के संबंध में शासन का प्रभार दिए गए के साथ संवाद करते हैं।

18. हम शासन के प्रभार दिए गए उन लोगों को यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनके साथ अनुसूचित की जानी है सभी संपर्क और अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने के लिए उपयुक्त विचार हो सकते हैं और जहाँ लागू हो संबंधी संरक्षा प्रदान करें।

19. ऐसे प्रशासन प्रभारी को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों पर निर्णय लेता हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण रहे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों के विवरण देते हैं जबतक मामले संबंधी सार्वजनिक प्रकटन नियम या विनियम शुरू करता है या जब सबसे अपूर्व परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे करने पर होनेवाले प्रतिकूल परिणाम इस तरह की संसूचना से प्राप्त सार्वजनिक हितलाभ से ऊपर होना प्रत्याशित है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुलग्नक क" में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों और उप–निर्देशों द्वारा यथा आवश्यक, हम "अनुलग्नक ख" में उन निर्देशों में संदर्भित मामलों पर एक विवरण देते हैं

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

क) हमने मांग की और सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए, जो हमारी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी की उन बहियों की हमारी जांच से देखता है, जहाँ तक कंपनी ने विधि के अनुसार आवश्यक उचित लेखा बहियाँ रखी है।

ग) इस रिपोर्ट में शामिल स्टैंडअलोन तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित स्टैंडअलोन लाभ और हानि विवरण, स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का पालन अधिनियम 2013 की धारा133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखनाकन मानदंडों (इंडएएस) के साथ किया है।

ङ) दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), के अनुसार, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अधीन छूट दी गई है। तदनुसार, हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि कथित धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई निदेशक अयोग्य हैं ।

च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ज) कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम,2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी अच्छी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:–

i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है आकस्मिक देनदारियों पर वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.34 का संदर्भ लें)

ii. कंपनी को व्युत्पन्न अनुबंधों जिसके लिए महत्वपूर्ण संभावित नुकसान, नही है, सहित दीर्घकालिक अनुबंधों नहीं है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित कोई राशि नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या उधार या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनीद्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्तपोषण पार्टियां") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से वित्तपोषण पार्टियां ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

(ग) परिस्थितियों में उचित और समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

(v) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) व्यवस्था रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष यही सुविधा संचालित होती रही है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

20. सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर–अनुपालन-

कंपनी ने कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों के इष्टतम संयोजन को बनाए रखने के संबंध में विनियम 17(1)(ए) और 17(1)(बी) का अनुपालन नहीं किया है, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक और निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक शामिल हों। इस मामले के संबंध में हमारा निष्कर्ष संशोधित नहीं है।

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म की पंजीकरण संख्या.002620S)

सी ए पॉलसन के पी
भागीदार (सदस्यता सं 21855)
यूडीआईएन: 24021855BKA0AA1083

कोची
दिनांक : 22/05/2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट)

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(i) कंपनी की परिसंपत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त आस्तियों के संदर्भ में:

(क) (ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है, जिसमें भूमि के जिसके लिए भूमि की स्थिति सहित उचित विवरण नहीं बनाए रखा गया है, शामिल नहीं है।

(बी) कंपनी ने अमूर्त आस्तियों के पूर्ण विवरण दर्शानेवाले समुचित रिकार्ड बनाए रखा है ।

ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण,उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और निवेश संपत्ति के भौतिक सत्यापन के लिए एक नियमित कार्यक्रम बनाए रखती है।इन परिसंपत्तियों का हर तीन साल में एक बार भौतिक सत्यापन किया जाता है,जो कि हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। चालू वित्त वर्ष के दौरान,कंपनी ने उपर्युक्त परिसंपत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया है। सबसे हालिया भौतिक सत्यापन 31 मार्च 2022 को किया गया था।

ग) हमें सत्यापन के लिए कंपनी द्वारा धारित अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों की मूल प्रतियाँ उपलब्ध नहीं कराई गईं।

महाराष्ट्र में भूमि के संबंध में, हमें यह सत्यापित करने के लिए उचित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अचल संपत्तियाँ कंपनी के नाम पर हैं । उचित विवरण के अभाव में, हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई महाराष्ट्र में अचल संपत्तियाँ कंपनी के नाम पर हैं या नहीं।

इसके अलावा, हमें सूचित किया गया है कि महाराष्ट्र के रसायनी में कंपनी के स्वामित्व वाली 22.717 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और हमें सूचित किया गया है कि कंपनी उक्त भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए कदम उठा रही है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के रसायनी में 10.576 एकड़ भूमि और महाराष्ट्र के पनवेल में 0.91 एकड़ भूमि सार्वजनिक सड़क के लिए अधिग्रहित की गई है और इसलिए इसे कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, महाराष्ट्र के रसायनी में 32.547 एकड़ भूमि विभिन्न अन्य संस्थाओं के विवादित कब्जे में है। कंपनी ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई भूमि के वहन मूल्य पर विचार करते समय भूमि की उपरोक्त सीमा पर विचार नहीं किया है।

केरल में भूमि के संबंध में, हमें बताया गया कि अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों की मूल प्रतियाँ बैंक की हिरासत में हैं। हमें प्रदान की गई जानकारी और केरल में अचल संपत्तियों के लिए मूल शीर्षक विलेखों, भूमि राजस्व अभिलेखों और संपत्ति कर रसीदों की प्रतियों सहित कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बताई गई अचल संपत्तियाँ (उन संपत्तियों को छोड़कर जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) कंपनी के नाम पर हैं, सिवाय निम्नलिखित के, जो भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार कंपनी के नाम पर नहीं हैं:

संपत्ति का विवरण	भूमि का विस्तार (एकड़ में)	सकल वहन मूल्य	के नाम पर धारित	प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी के नाम पर	धारित अवधि – जहां उचित हो, सीमा बताएं	कंपनी * के नाम पर धारित न होने का कारण
पूर्णस्वामित्व वाली भूमि	2.046	उपलब्ध नहीं है	अनिश्चित	नहीं	पता नहीं लगाया जा सका	

* 2.046 एकड़ भूमि एरणाकुलम फैक्ट्री भूमि की सीमा दीवार के बाहर है और इसे पुनः सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया तथा सीमा दीवार के अंदर की भूमि के लिए भूमि कर का भुगतान किया जाता है।

घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपनी भूमि का पुनर्मूल्यांकन कराया है। पुनर्मूल्यांकित भूमि की वहन राशि में परिवर्तन 6,000.62 लाख रुपये है।

ई) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में संशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ वर्ष के दौरान कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2024 तक लंबित नहीं है।

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा आवक माल–इन–ट्रांजिट को छोड़कर, वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। माल–इन–ट्रांजिट के लिए, रसीदों के बाद के साक्ष्य को इन्वेंट्री रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित है, और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और कवरेज उचित थे। भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन पर कोई विसंगति नहीं देखी गई जो इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के कुल योग में 10% से अधिक थी।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कुल मिलकर, सावधि जमा के रूप में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत की गई है। कार्यशील पूंजी सीमा की शर्तों के अनुसार, कंपनी को इस सुविधा के संबंध में बैंक को कोई तिमाही रिटर्न या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, हम कंपनी की लेखा बहियों के साथ तिमाही रिटर्न या विवरण के मिलान पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(iii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया है या कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या किसी अन्य पार्टियों को सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, उक्त आदेश के खंड 3(iii)(क) पर रिपोर्ट की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ख) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा

की गयी लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर,

1. कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी को पूर्व वर्षों के दौरान उक्त सहायक कंपनी की अचल संपत्तियों के बदले में ऋण दिया है, जो 3 साल से अधिक समय से 'अतिदेय' है और और तुलनपत्र की तिथि तक बकाया शेष राशि 3197.08 लाख रुपए थी, जिसमें से 2,744.06 लाख रुपए गैर–ब्याज वाले ऋण थे।

   इसके अलावा, हम अपनी सहायक कंपनी को दिए गए 453.01 लाख रुपये के ऋण पर देय ब्याज की छूट के संबंध में संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 10 और 11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी ने वर्ष के दौरान उपर्युक्त ऋण पर देय 63.62 लाख रुपये के ब्याज को माफ कर दिया है।

2. कंपनी ने मेसर्स स्मिथ स्टैनिटस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को पूर्व वर्षों के दौरान 65 लाख रुपये की असुरक्षित अग्रिम राशि दी है। हालाँकि, यह अग्रिम तीन साल से ज़्यादा समय से बकाया है, और कोई ब्याज दर या पुनर्भुगतान शर्तें निर्दिष्ट नहीं की गई हैं। हमारी राय में, यह कंपनी के हित के लिए हानिकारक है। कंपनी ने 65 लाख रुपये की राशि के ऊपर उल्लिखित अग्रिम के लिए संदिग्ध ऋणों के लिए 100% प्रावधान किया है।

3. कंपनी ने पूर्व वर्षों में सहायक कंपनी में 1.106 लाख रुपये का निवेश किया है और सहायक कंपनी का कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया है।

उपर्युक्त ऋणों, अग्रिमों और निवेशों से पुनर्भुगतान या रिटर्न उचित नहीं थे। इसलिए, इन राशियों की वसूली या प्राप्ति सुरक्षित परिसंपत्तियों पर निर्भर करती है।

कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान कोई ऋण, अग्रिम नहीं दिया है या कोई निवेश नहीं किया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, इस रिपोर्ट के खंड (iii)(ख)(1) में निर्दिष्ट ऋण और अग्रिम के संबंध में, कंपनी के पास मूलधन और ब्याज दोनों के पुनर्भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है, जबकि, उपरोक्त (iii)(बी)(2) में निर्दिष्ट अग्रिम के मामले में ऊपर, मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान की कोई अनुसूची निर्दिष्ट नहीं की गई है। ऊपर उल्लिखित ऋण और उसके ब्याज के पुनर्भुगतान नियमित नहीं है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, इस रिपोर्ट के खंड (iii)(बी)(1) में निर्दिष्ट ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय कुल राशि 3,197.08 लाख रुपए हैं। कंपनी ने सूचित किया है कि ये राशियां ऋण के विरुद्ध सुरक्षित परिसंपत्तियों की पूर्ण वसूली होने पर वसूल की जाएंगी। हालांकि, कंपनी ने अभी तक ऋण के एवज में सुरक्षित उक्त संपत्ति का कब्ज़ा नहीं लिया है। उपरोक्त (iii)(बी)(2) में निर्दिष्ट अग्रिमों के संबंध में, 90 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय कुल राशि 65 लाख रुपए हैं और कंपनी ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी भी पार्टी को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण नहीं दिए हैं और इसलिए,आदेश के खंड 3 (iii)(ङ) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, ऊपर उल्लिखित खंड (iii)(बी)(2) में निर्दिष्ट अग्रिम राशि 65 लाख रुपये के संबंध में, कंपनी ने पुनर्भुगतान की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट नहीं की है। कंपनी ने 65 लाख रुपये की राशि के उपर्युक्त अग्रिम के लिए संदिग्ध ऋणों के लिए 100% प्रावधान किया है।

बकाया सकल राशि (रु.)	65 लाख रुपए
कुल राशि का प्रतिशत (रु.)	1.98%
उपरोक्त में से, प्रोमोटेर्स और संबन्धित पार्टियों को दिये गए सकल ऋण राशि	शून्य

(iv) हम अपनी सहायक कंपनी को दिए गए 453.01 लाख रुपये के ऋण पर देय ब्याज की माफी के संबंध में संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 10 और 11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(7) के प्रावधानों के अनुसार, ऋण की अवधि के निकटतम एक वर्ष, तीन वर्ष, पांच वर्ष या दस वर्ष की सरकारी प्रतिभूति की प्रचलित उपज से कम ब्याज दर पर कोई ऋण नहीं दिया जाएगा। हमारी राय में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(7) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी को कुल 2744.06 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया है। हमारी राय में, अपनी सहायक कंपनी को दिए गए 453.01 लाख रुपये के ऋण पर देय ब्याज की माफी के संबंध में उपर्युक्त उल्लंघन को छोड़कर, कंपनी ने लागू ऋणों, किए गए निवेशों और प्रदान की गई गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा या ऐसी राशि स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना गया हो। इसलिए, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।

(vi) हमने कंपनी द्वारा बनाए गए लेखाओं और अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है, जो अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार हैं, जिन्हें संशोधित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाए और हमारा मानना है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए और बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक और पूर्ण हैं या नहीं।

(vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कंपनी सामान्यतः निर्विवाद सांविधिक देय की राशि उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ जमा कर रही है। इनमें वस्तु एवं सेवाकर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धन कर, उपकर और लागू अन्य सांविधिक देय शामिल है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर,सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और लागू अन्य कोई सांविधिक देय जो

बकाया थे, के संबंध में वित्त वर्ष के अंतिम दिन तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सांविधिक देय, जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किए गए हैं, को नीचे दिए गए है:

क्र. सं.	संविधि का नाम	देय का स्वरूप	अवधि जिससे राशि संबंधित है	विवाद की रकम (रु. लाख में)	फोरम जहाँ विवाद लंबित है
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	छूट नहीं दी गयी है	2006-07	104.63	सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण
2	आयकर अधिनियम, 1961	दंडस्वरूप देय	2001-02	70.49	उच्च न्यायालय
3	आयकर अधिनियम, 1961	दंडस्वरूप देय	2010-11	21.50	आयकर आयुक्त
4	वस्तु एवं सेवा कर,2017	अतिरिक्त जमा का दावा	2017-18	41.97	संयुक्त आयुक्त

(viii). हमें प्रदान की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था, जिसे आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) (क) कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने भारत सरकार से लिए गए ऋणों और उस पर ब्याजों की चुकौती में चूक की है और जिसका विवरण निम्नप्रकार है:

ऋण प्रतिभूतियाँ सहित उधार की प्रकृति	उधारदाता का नाम	देय तिथि को अदत्त राशि (रु. लाख में)	यदि मूलधन या ब्याज	देरी वर्षों की संख्या या अदत्त	अभ्युक्तियाँ यदि कोई हो तो
योजना उधार	भारत सरकार	537.79	ब्याज	22	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	250.83	ब्याज	22	
योजना उधार	भारत सरकार	540.67	ब्याज	22	
योजना उधार	भारत सरकार	326.31	ब्याज	21	
रक्षित योजना उधार	भारत सरकार	652.62	ब्याज	21	
योजना उधार	भारत सरकार	652.62	ब्याज	21	
योजना उधार	भारत सरकार	328.61	ब्याज	21	
योजना उधार	भारत सरकार	462.20	ब्याज	20	
योजना उधार	भारत सरकार	770.34	ब्याज	20	
योजना उधार	भारत सरकार	566.68	ब्याज	19	
योजना उधार	भारत सरकार	423.24	ब्याज	19	
योजना उधार	भारत सरकार	654.81	ब्याज	18	
योजना उधार	भारत सरकार	452.14	ब्याज	18	
योजना उधार	भारत सरकार	147.36	ब्याज	16	
योजना उधार	भारत सरकार	727.81	ब्याज	16	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	554.48	ब्याज	15	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	68.77	ब्याज	15	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	1142.95	ब्याज	8	
योजना उधार	भारत सरकार	660.00 1084.85	मूल धन ब्याज	14	
योजना उधार	भारत सरकार	843.00 1375.56	मूल धन ब्याज	14	
योजना उधार	भारत सरकार	1760.00 2334.53	मूल धन ब्याज	11	
योजना उधार	भारत सरकार	1057.00 1040.04	मूल धन ब्याज	8	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	2461.00 2032.92	मूल धन ब्याज	7	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	1057.00 773.12	मूल धन ब्याज	6	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	10000.00 7293.15	मूल धन ब्याज	6	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	16392.46 11777.42	मूल धन ब्याज	6	
गैर योजना उधार	भारत सरकार	11026.00 7888.57	मूल धन ब्याज	6	

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि से 299 लाख रुपये का केवल एक सावधि ऋण प्राप्त किया, जिसका प्रबंधन ऊर्जा प्रबंधन केंद्र ("ईएमसी") द्वारा विशेष रूप से अकुशल कम्प्रेसरों को ऊर्जा–कुशल कम्प्रेसरों से बदलने के उद्देश्य से किया जाता है। सावधि ऋण 20 मार्च 2024 को प्राप्त हुआ था, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया गया है, जैसा कि हमें बताया गया है, क्योंकि धनराशि वर्ष के अंत के करीब प्राप्त हुई थी। इसलिए, इन ऋणों का उपयोग उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सका।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर उठाए गए किसी भी निधि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इसकी सहायक कंपनियां,एसोसिएट या कंपनी के संयुक्त उद्यम के किसी भी दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड (ix)(ई) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियां,एसोसिएट या कंपनी के संयुक्त उद्यम में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए, आदेश के खंड (ix)(एफ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या आगे की पब्लिक ऑफर के माध्यम से निधि का समाहरण नहीं किया है, तदनुसार आदेश के खंड 3(x)(क) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई अधिमान्यता आबंटन या शेयरों का निजी आबंटन या परिवर्तनीय डिबेंचर में नहीं किया है। इसीलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) कंपनी पर लागू नहीं है।

(xi). (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों पर की हमारी जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों पर की हमारी जांच के आधार पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ दर्ज नहीं की गई है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xii) लागू नहीं है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 जहाँ लागू है, के अनुपालन में है और विवरण लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षितानुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv)(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी लेखा परीक्षा कार्यविधि के आधार पर कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी की गई लेखापरीक्षा वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) अभिलेखों पर हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं ।

(xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi) (क) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

ख) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45– आईए के तहत पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi) (ख) लागू नहीं होते हैं।

ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी सीआईसी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) लागू नहीं होते हैं।

घ) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xvi)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvii) कंपनी को चालू वर्ष में 5395.61लाख रुपए और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में 4903.41 लाख रुपए की नकद हानि हुई है।

(xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कोई त्यागपत्र नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश 3 के खंड (xviii) लागू नहीं होता है।

(xix). जैसा कि हमारी मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 'गोइंग कंसर्न से संबंधित भौतिक अनिश्चितता' पैराग्राफ में संदर्भित किया गया है और जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 5 और 42 में खुलासा किया गया है जिसमें वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति की आयु और अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास करने का कारण बनता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख को कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलनपत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा उनके देय होने पर चुका दिया जाएगा।

(xx) कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार खर्च किया जाना आवश्यक है और तदनुसार, आदेश का खंड 3 (xx) लागू नहीं होता है।

कृते पॉलसन एंड कंपनी

सनदी लेखाकार

(फर्म की पंजीकरण संख्या.002620S)

सी ए पॉलसन के पी

भागीदार (सदस्यता सं 21855)

यूडीआईएन: 24021855BKA0AA1083

स्थान : कोची-11

दिनांक : 22/ 05/ 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

(हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित अपनी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अधीन पैरा 2 में संदर्भित)

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड ('कंपनी`) के सदस्यों को हमारे स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत "अनुलग्नक बी" में पूरक रिपोर्ट।

क. निर्देश

क्र सं.	सी एंड एजी निर्देश	सांविधिक लेखापरीक्षक का विवरण
1	क्या कंपनी में सभी लेखा लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित करने का तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, लेखाओं की ईमानदारी पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेन-देन के संसाधन का अनुमान साथ ही वित्तीय अनुमान यदि कोई हो तो दिया जाए।	हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और हमारे सत्यापन के आधार पर, हमने कंपनी के लेखा लेन-देन संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियों की पहचान की है: क) लेखांकन लेनदेन का रख-रखाव टैली ईआरपी प्राइम,एक लेखांकन सॉफ्टवेयर, के माध्यम से किया जाता है। ख) नियत परिसंपत्तियों का रेजिस्टर का रख-रखाव एमएस ऑफिस एक्सेल यूटिलिटी में किया जाता है। ग) वेतन पर्ची का प्रबंधन अलग एचआरएम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। घ) इकाई कच्चा-आंकड़े का समेकन एमएस ऑफिस एक्सेल यूटिलिटी से किया जाता है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम उपर्युक्त उल्लेखित प्रणालियाँ के बाहर संसाधित होने वाले किसी भी लेखांकन लेनदेन में नहीं आए हैं।' इसके अलावा, हम प्रमुख लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ ऊपर उल्लेखित प्रणालियाँ के बीच उचित समन्वयन की सिफारिश करते हैं ताकि सिस्टेम के बीच डेटा माइग्रेशन और अंतरण के दौरान सिस्टम डेटा हानि या भ्रष्टाचार के किसी संभावित जोखिम से बचा जा सके।
2	क्या विद्यमान ऋण के कोई पुनर्गठन या ऋण की चुकौती में कंपनी की अक्षमता के कारण उधारदाता द्वारा कंपनी को छूट/कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के कोई मामले है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव दिया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होगा)।	कंपनी ने कर्ज चुकाने में और भारत सरकार से प्राप्त अधिमानी शेयरों के भुगतान में चूक की है,जिसका मूलधन कुल मिलाकर रु.72,256.46 लाख हैं। हमें दी गई जानकारी के आधार पर, ऐसे किसी भी ऋण का पुनर्गठन या कर्ज़/ऋण/ब्याज आदि को अधित्याग/बट्टे खाते में डालने के मामलों का नहीं था। इसलिए, हम वित्तीय प्रभाव और उक्त के लेखांकन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं
3	क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इनके अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त की जा रही निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इनके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया/उपयोग किया है? विचलन के मामलों की सूची दी जाए?	हमें दी गयी सूचना के अनुसार, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकारों या इनके अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी प्रकार की निधि नहीं प्राप्त की है या प्राप्त की जा रही है।

ख. उप निर्देश

1.	अतिक्रमण के अधीन भूमि के क्षेत्र का ब्योरा दें और अतिक्रमण हटाने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम का संक्षिप्त विवरण दें?	1) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी के आधार पर, कंपनी की रसायनी इकाई, महाराष्ट्र में 65.840 एकड़ भूमि 'अतिक्रमण के तहत' के रूप में पहचाना गया है अतिक्रमण को दूर करने हेतु प्रबंधन द्वारा उठाये गये कदम के संबंध में हमें सूचित किया जाता है कि – क) कंपनी रसायनी इकाई की भूमि पर किसानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संवाद कर रही है। ख) कंपनी उपरोक्त मामले के तुरंत समाधान के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, भारत सरकार के साथ भी समन्वय कर रही है। ग) उपरोक्त सिफारिशों में अतिक्रमणकारियों के साथ समझौता व्यवस्था सहित विभिन्न प्रस्ताव शामिल हैं। घ) कंपनी ने कुछ मामलों में मुकदमा भी दायर किया है। 2) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार रसायनी इकाई में 32.547 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम,महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, हिंदुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड और महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को दी गई है। अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए कदम के बारे में हमें सूचित किया गया है कि क) कंपनी वसूली या ऐसी इकाइयां द्वारा कब्जे वाली उक्त भूमि के पंजीकरण के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रही है। ख) एमईएस को पट्टे पर दी गई भूमि के मामले में, कंपनी ने पार्टी को पट्टा समाप्ति की सूचना जारी किया है,. हालाँकि, संपत्ति अभी भी पट्टेदार – एमईएस के कब्जे में है। मामला मध्यस्थता प्राधिकरण के समक्ष लंबित है और कार्यवाही प्रगति पर है। ग) रसायनी इकाई, महाराष्ट्र में 10.576 एकड़ भूमि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है सार्वजनिक सड़क का निर्माण किया है। इसलिए, कंपनी के पास कब्ज़ा नहीं है साथ ही उक्त भूमि के संबंध में स्वामित्व भी नहीं है। 3) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 2.046 एकड़ भूमि एर्नाकुलम कारखाने की भूमि की सीमा दीवार के बाहर है और इसे पुनः सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था और सीमा दीवार के अंदर की भूमि के लिए भूमि कर का भुगतान किया जाता है।
2.	क्या विशेष रूप से तीन वर्ष से अधिक पुरानी संचित व्यापार प्राप्तियों के अनुवर्तन के लिए कोई प्रभावी प्रणाली है?	कंपनी के पास रु.1,484.36 लाख राशि के व्यापार प्राप्य है, जो तीन साल से अधिक पुराना है। कंपनी ने मूल्यांकन किया है और ख़राब और संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान के रूप में रु.1,471.55 लाख रुपये की राशि प्रदान की है। हमें प्रदान की गयी सूचना के आधार पर, प्रबंधन वसूली के लिए उपरोक्त देनदारों से संपर्क कर रहा है और ऐसे कुछ मामलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
3.	क्या कच्चे माल, मध्यवर्तियों और उपयोगिताओं के मामले में मानदंडों के विरुद्ध वास्तविक खपत को देखने के लिए पर्याप्त प्रणाली थी?	हमें प्रदान की गयी सूचना के आधार पर, कंपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट के रूप में स्थापित मानदंडों के विरुद्ध कच्चे माल, मध्यवर्तियों और उपयोगिताओं के वास्तविक उपभोग की तुलना कर मासिक विवरण तैयार कर रही है।

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म की पंजीकरण संख्या.002620S)

सी ए पॉलसन के पी
भागीदार (सदस्यता सं 21855)
यूडीआईएन: 24021855BKA0AA1083

स्थान : कोची-11
दिनांक : 22/05/2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध "ग"

कंपनी अधिनियम,2013 ("अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हम ने **हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड** ("कंपनी") की 31 मार्च 2024 तक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ की गयी है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आयसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रणों के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा मानदंड द्वारा तैयार किया है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना जो अपने व्यापार के नियमित और सक्षम प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढ़ंग से कार्यरत थे, इसमें कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार संबंधित नीतियाँ, अपनी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों की रोक एवं पहचान, लेखा अभिलेखों की यथार्थता एवं पूर्णता, विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं का समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के मार्गदर्शी तत्वों (`मार्गदर्शी तत्वों") और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक है, की है। इन मानकों तथा मार्गदर्शी नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं तथा योजनाओं का पालन करें और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है इसका उचित आश्वासन प्राप्त करें और ऐसे नियंत्रण प्रभावशाली ढ़ंग से सभी सामग्री के संबंध में स्थापित किए गए हैं और रखे गए है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उसका प्रभावी ढ़ंग से परिचालन के बारे में लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करने के लिए पद्धति का अनुरक्षण करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए समझदारी प्राप्त करना, जोखिम की जाँच करना कि कमी मौजूद है तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन की प्रभाविता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयन की गई पद्धति लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है, जिसमें वित्तीय विवरणों में धोखा या चूक के कारण गलत बयान की जोखिम के निर्धारण भी शामिल है।

हम विश्वास करते हैं कि हम ने जो लेखा सबूत प्राप्त किए हैं, वित्तीय रिपोर्टों के ऊपर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा की राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मतलब

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका डिज़ाइन वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीचे दी गई उन नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ शामिल है कि

(1) कंपनी के परिसंपत्तियों के लेन–देन और स्थिति के उपयुक्त विवरण, यथार्थ और उचित रूप से प्रतिबिंबित अभिलेखों का अनुरक्षण संबंधी है.

(2) उचित आश्वासन प्रदान करते है कि अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) जिसे संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम,2015,और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल प्रबंधन के प्राधिकरणों और कंपनी के निदेशक मंडल के अनुसार किए जा रहे हैं

(3) इसका उपयुक्त आश्वासन भी प्रदान करते हैं कि कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर कटौती, जिसका स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित परिसीमा जिसमें नियंत्रणों को पार करने की अनुचित प्रबंधन की संभाव्यता शामिल है, के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से गलत बयान घटित हो सकते है और पहचान नहीं की जाती है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के शर्त पर हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर बिगड़ हो सकता है।

योग्य राय के लिए आधार

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और रिपोर्टों के आधार पर, 31 मार्च, 2024 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरी की पहचान की गई है:

क) हम अपनी सहायक कंपनी को दिए गए 453.01 लाख रुपये के ऋण पर लगने वाले ब्याज की छूट के बारे में संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट संख्या 11 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(7) के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी ऋण ऋण की अवधि के सबसे करीब एक साल, तीन साल, पांच साल या दस साल की सरकारी प्रतिभूति की मौजूदा उपज से कम ब्याज दर पर नहीं दिया जाएगा। हमारी राय में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(7) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट में **'योग्य राय के लिए आधार'** पैराग्राफ का संदर्भ दिया गया है।"

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में 'भौतिक कमजोरी' एक कमी या कमियों का एक संयोजन है, ऐसी कि वहाँ उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों का महत्वपूर्ण त्रुटि विवरण दिया गया हो,को समय पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

सापेक्ष राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की प्राप्ति पर ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण कमियों के संभावित प्रभाव को छोड़कर, कंपनी ने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनायी रखी है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 को प्रभावी ढ़ंग से प्रचालन में थे, इसका आधार "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा ज़ारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड है।

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म की पंजीकरण संख्या.002620S)

सी ए पॉलसन के पी
भागीदार (सदस्यता सं 21855)
यूडीआईएन: 24021855BKA0AA1083

स्थान : कोची-11
दिनांक : 22/05/2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह कहा गया है कि इसको उनके द्वारा 22 मई 2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

(गुलजारी लाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 जुलाई 2024

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड 31 मार्च 2024 को स्टैंडअलोन तुलन पत्र

रु लाख में

विवरण	नोट सं.	चालू वर्ष 31.03.2024 तक	पिछले वर्ष 31.03.2023 तक	01.04.2022 तक
परिसंपत्तियाँ				
गैर चालू परिसंपत्तियाँ				
क) परिसंपत्तियाँ, संयंत्र और उपकरण	3क	22,370.24	16,375.07	15,348.07
ख) निवेश परिसंपत्तियाँ	3ख	84.41	86.58	88.74
ग) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियाँ	15क	106.73	-	-
घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3ग	13.63	18.86	27.24
ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश	4क	1,800.04	990.45	1,063.44
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4ख	300.03	292.88	279.10
च) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	5	377.98	419.89	271.97
कुल (अन्य चालू परिसंपत्तियाँ)		**25,053.06**	**18,183.73**	**17,078.56**
चालू परिसंपत्तियाँ				
क) सूची	6	6,896.92	4,960.95	7,511.19
ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:				
(i) व्यापार प्राप्य	7	1,866.15	1,807.71	735.12
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	8	73.01	464.45	611.54
(iii) बैंक शेष उपरोक्त (ii) के अलावा	9	22,569.07	16,266.03	12,899.19
(iv) ऋण	10	3,211.92	3,219.43	3,218.09
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	1,649.91	1,433.34	1,334.04
ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	1,066.66	575.88	1,267.73
घ) बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति	3घ	94,550.32	99,219.74	99,219.74
कुल (चालू परिसंपत्तियाँ)		**1,31,883.96**	**1,27,947.53**	**1,26,796.64**
कुल परिसंपत्तियाँ		**1,56,937.02**	**1,46,131.26**	**1,43,875.20**
इक्विटी और देयता				
क) इक्विटी				
इक्विटी शेयर पूंजी	13	6,726.96	6,726.96	6,726.96
ख) अन्य इक्विटी				
(i) प्रतिभूति प्रीमियम	14क	4,838.57	4,838.57	4,838.57
(ii) प्रतिधारित अर्जन	14ख	(1,07,999.21)	(1,07,136.93)	(1,02,114.52)
(iii) अन्य व्यापक आय	14ग	97,552.68	96,302.40	95,519.62
कुल अन्य इक्विटी		**(5,607.96)**	**(5,995.96)**	**(1,756.33)**
कुल इक्विटी		**1,119.00**	**731.00**	**4,970.63**
देयताएं				
गैर-चालू देयताएं:				
क) वित्तीय देयताएं:				
(i) उधार	17क	243.98	-	-
(ii) पट्टे की देयताएं	15क	90.46	-	-
ख) प्रावधान	15ख	936.90	1,027.97	1,372.81
ग) आस्थगित कर देनदारियाँ (निवल)	16	17,695.52	16,683.52	16,402.52
कुल (गैर-चालू देयताएं)		**18,966.86**	**17,711.49**	**17,775.33**
चालू देयताएं:				
क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	17ख	73,887.92	72,256.46	72,256.46
(ii) पट्टे की देयताएं	15क	21.05	-	-
(iii) व्यापार देय				
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय	18	15.15	14.85	55.50
दूसरों को देय	18	6,837.65	4,052.02	4,096.34
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	19	51,990.08	46,298.06	40,604.87
ख) प्रावधान	20	1,036.61	1,568.16	1,494.86
ग) अन्य चालू देयताएं	21	3,062.70	3,499.22	2,621.21
कुल (चालू देयताएं)		**1,36,851.16**	**1,27,688.77**	**1,21,129.24**
कुल देयताएं		**1,55,818.02**	**1,45,400.26**	**1,38,904.57**
कुल इक्विटी और देयताएं		**1,56,937.02**	**1,46,131.26**	**1,43,875.20**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2			
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ	1&3-57			

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 002620S

हस्ता/-
सी ए पॉलसन के.पी
सहयोगी
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएन : 24021855BKAOAA1083

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव बी.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

हस्ता/-
सुब्रमण्यन एच
कंपनी सचिव

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का स्टैंडअलोन विवरण

रु लाख में

विवरण	नोट सं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
आय:			
प्रचालन–उत्पादों की बिक्री से राजस्व	22	70,389.00	63,143.56
अन्य आय	23	1,669.10	1,154.60
कुल आय		**72,058.10**	**64,298.16**
व्यय:			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	50,304.68	42,679.26
तैयार माल की सूची में परिवर्तन और प्रगतिरत कार्य	25	(518.05)	1,482.71
कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	4,474.35	4,355.58
वित्तीय लागत	27	6,957.35	6,688.70
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	28	143.78	118.75
अन्य व्यय	29	16,227.69	13,995.57
कुल व्यय		**77,589.80**	**69,320.57**
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि)		(5,531.70)	(5,022.41)
घटाएँ: असाधारण मदों		-	-
कर पूर्व लाभ/ (हानि)		(5,531.70)	(5,022.41)
(1) चालू कर		-	-
(2) आस्थगित कर		-	-
घटाएँ: कर व्यय :		-	-
अवधि के लिए लाभ/(हानि)		(5,531.70)	(5,022.41)
अन्य व्यापक आय :			
(i) लाभ या हानि में पुनः वर्ग			
क) संयंत्र, संपत्ति और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन,	3क	6,000.61	1,035.38
आयकर (व्यय)/उपर्युक्त का लाभ		(776.00)	(302.00)
ख) ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरणों में निवेश पर शुद्ध उचित मूल्य लाभ/हानिठ	4क	809.59	(72.99)
आयकर (व्यय)/उपर्युक्त का लाभ		(236.00)	21.00
ग) परिभाषित लाभ योजना (ग्रेच्युटी) में परिवर्तन	30	121.50	101.39
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर का निवल		**5,919.70**	**782.78**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**388.00**	**(4,239.63)**
प्रति इक्विटी शेयर में अर्जन (रुपए में)			
मूल (प्रत्येक रुपए 10 के अंकित मूल्य)		(8.23)	(7.48)
मिश्रित (प्रत्येक रुपए 10 के अंकित मूल्य)		(8.23)	(7.48)
लेखांकन नीतियाँ	2		
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ	1 & 3-57		

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 002620S

हस्ता/-
सी ए पॉलसन के.पी
सहयोगी
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएन : 24021855BKAOAA1083

स्थानः एरणाकुलम, केरल
दिनांकः 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव बी.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

हस्ता/-
सुब्रमण्यन एच
कंपनी सचिव

स्थानः एरणाकुलम, केरल
दिनांकः 22.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

रु लाख में

विवरण	शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पुन: निर्धारित राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि
	01.04.2023	2023-24	01.04.2023	2023-24	31.03.2024
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर	6726.96	-	6726.96	-	6726.96

इक्विटी शेयर पूंजी

रु लाख में

विवरण	शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पुन: निर्धारित राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि
	01.04.2022	2022-23	01.04.2022	2022-23	31.03.2023
प्रत्येक 10 रुपये के इक्विटी शेयर	6726.96	-	6726.96	-	6726.96

ख. अन्य इक्विटी

रु लाख में

विवरण	शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित	मिश्रित वित्तीय साधन का इक्विटी घटक	आरक्षित और अधिशेष				अन्य व्यापक आय की वस्तुएं (ओसीआई)						शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन	कुल
			पूंजी रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम	अन्य रिजर्व (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	प्रतिधारित अर्जन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी उपकरण	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	विनिमय अंतर किसी विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण का अनुवाद करने पर	ओसीआई की अन्य वस्तुएं (कर्मचारी परिभाषित लाभ योजना में परिवर्तन)		
चालू रिपोर्टिंग अवधि 2023-24														2023-24
01.04.2023 तक शेष राशि	-	-	-	4,838.57	-	(107,136.93)	-	(84.55)	-	95,742.09	-	644.86	-	(5,995.96)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन (नोट संख्या 14बी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुन: निर्धारित राशि 01.04.2023 तक	-	-	-	4,838.57	-	(107,136.93)	-	(84.55)	-	95,742.09	-	644.86	-	(5,995.96)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	(5,531.70)	-	-	-	-	-	-	-	(5,531.70)
अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	-	-	-	-	-	-	-	573.59	-	5,224.61	-	121.50	-	5,919.70
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	(5,531.70)	-	573.59	-	5,224.61	-	121.50	-	388.00
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	4,669.42	-	-	-	(4,669.42)	-	-	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	-	-	-	4,838.57	-	(107,999.21)	-	489.04	-	96,297.28	-	766.36	-	(5,607.96)
पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23														2022-23
01.04.2022 तक शेष राशि	-	-	-	4,838.57	-	(102,056.08)	-	(32.56)	-	95,008.71	-	543.47	-	(1,697.89)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन (नोट संख्या 14बी)	-	-	-	-	-	(58.44)	-	-	-	-	-	-	-	(58.44)
01.04.2022 तक पुन: निर्धारित राशि	-	-	-	4,838.57	-	(102,114.52)	-	(32.56)	-	95,008.71	-	543.47	-	(1,756.33)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	(5,022.41)	-	-	-	-	-	-	-	(5,022.41)
अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	-	-	-	-	-	-	-	(51.99)	-	733.38	-	101.39	-	782.77
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	(5,022.41)	-	(51.99)	-	733.38	-	101.39	-	(4,239.64)
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बरकरार रखी गई कमाई में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2023 तक शेष राशि	-	-	-	4,838.57	-	(107,136.93)	-	(84.55)	-	95,742.09	-	644.86	-	(5,995.97)

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 002620S

हस्ता/-
सी ए पॉलसन के.पी
सहयोगी
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएन : 24021855BKAOAA1083

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव बी.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

हस्ता/-
सुब्रमण्यन एच
कंपनी सचिव

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकद प्रवाह विवरण

रु लाख में

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :		
कर पूर्व अवधि के लिए लाभ/(हानि)	(5,531.70)	(5,022.41)
हेतु समायोजन :		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मूल्यह्रास/ क्षति पर हानि	143.78	118.75
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ(–) / हानि	-	-
ब्याज आय	(1,199.70)	(795.79)
ब्याज एवं वित्त प्रभार	6,957.35	6,688.70
निवेश संपत्ति से आय	(59.35)	(150.27)
परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना में परिवर्तन –अन्य व्यापक आय	121.50	101.39
कार्यगत पूंजी परिवर्तन के पहले प्रचालन नकदी प्रवाह (क)	**431.88**	**940.37**
हेतु समायोजन		
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	(1,935.97)	2,550.24
व्यापार और अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	(6,810.00)	(5,403.10)
व्यापार देनदारियों एवं अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	1,744.00	635.70
प्रचालनों (कार्यगत पूंजी परिवर्तन) से सृजित नकद (ख)	**(7,001.97)**	**(2,217.16)**
चालन गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (क+ख)	**(6,570.09)**	**(1,276.79)**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह :		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(109.58)	(99.80)
बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों	4,669.42	-
ब्याज आय	983.13	753.75
निवेश संपत्ति से आय	59.35	86.65
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	**5,602.32**	**740.60**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह:		
ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी	1,875.44	-
गैर–ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी	-	-
प्रदत्त ब्याज	(1,274.90)	(1,013.89)
पट्टा देयताओं का भुगतान	(24.21)	-
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)	**576.33**	**(1,013.89)**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	(391.44)	(1,550.08)
अवधि के प्रारम्भ में नकद और नकदी समतुल्य	464.45	2,014.53
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**73.01**	**464.45**
उपरोक्तानुसार नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है		
क) बैंक में शेष (नकद और नकदी समतुल्य के स्वरूप के अनुसार):		
चालू खाता	50.96	277.00
बचत खाता	1.58	153.43
तीन माह से कम मूल परिपक्वता में जमा	20.00	33.55
ख) हाथ में नकद	0.47	0.47
कुल	**73.01**	**464.45**

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 002620S

हस्ता/-
सी ए पॉलसन के.पी
सहयोगी
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएन : 24021855BKAOAA1083

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव बी.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

हस्ता/-
सुब्रमण्यन एच
कंपनी सचिव

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

1. निगमित सूचना

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (कंपनी) भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिनिगमित है। कंपनी के शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पोस्ट बैग संख्या 18, अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम जिला, केरल 682302, भारत में स्थित है। कंपनी मुख्य रूप से थोक औद्योगिक रसायनों और रासायनिक मध्यवर्तियों के कारोबार में नियोजित है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

इन वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार की जाती है सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों का कंपनी अधिनियम, 2013 (`अधिनियम") (अधिसूचित हद तक) के प्रावधानों में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इंड एएस को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार प्रयुक्त किया गया है, सिवाय जहाँ एक नए जारी लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया जाता है या अब तक उपयोग में रही लेखांकन नीति में बदलाव मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए आवश्यक होती है।

निम्नलिखित संपत्तियों और देयताओं जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है को छोडकर अलग वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और ऐतिहासिक लागत आधार के तहत तैयार किया गया है:

व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ– योजना परिसंपत्तियाँ

कुछ वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर (वित्तीय लिखत के संबंध में लेखांकन नीति देखें) किया जाता है। वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपया ("आईएनआर`) या (₹`) में प्रस्तुत किया जाता हैं, यह कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा भी है और जहाँ भी राशि "0` (शून्य) का प्रतिनिधित्व किया गया है, वहाँ मूल्य एक लाख रुपए से कम माना जाता है।

लेखांकन अनुमान, पूर्वधारणाएं और निर्णय

कंपनी के अलग–अलग वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमानों और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्तियां और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों, साथ ही साथ संलग्न प्रकटीकरण और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन पूर्वधारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता का परिणाम हो सकते हैं जिसके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देयताओं की वहनीय राशि के लिए भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है।

अनुमान और पूर्वधारणाएं

"इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। ये अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाएं लेखांकन नीतियों के प्रयोग और परिसंपत्ति और देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशियों, वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्ति और देयताओं के प्रकटीकरण और इस अवधि के दौरान आय और व्यय की रिपोर्ट की गयी राशियों को प्रभावित करते हैं। लेखांकन नीतियों के प्रयोग में जटिल और वस्तुनिष्ठ निर्णय शामिल महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता है और इन वित्तीय विवरणों में पूर्वधारणाओं के उपयोग को उपयुक्त स्थानों पर प्रकट किया गया है।

लेखांकन अनुमान समय समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन अनुमानों से जुड़े परिवेश में परिवर्तन से अवगत हैं, इसीलिए अनुमानों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। अनुमानों में परिवर्तन उस अवधि की वित्तीय विवरणों जहाँ परिवर्तन किए गए हैं,में प्रतिबिंबित हैं,और यदि उनके प्रभाव महत्वपूर्ण है तो वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अनुमानों का सारांश

क) राजस्व मान्यकरण

कंपनी रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण से मुख्यतः राजस्व प्राप्त करती है।

राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब ग्राहकों को वचन दिए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण उस राशि में स्वीकार किया जाता है जो प्रतिफल प्रतिबिंबित करता है जिसे उन उत्पादों या सेवाओं के लिए लेन–देन में कंपनी प्राप्त करना प्रत्याशित है।

राजस्व की माप लेनदेन मूल्य के आधार पर की जाती है, जो कि एक प्रतिफल है, जिसे ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट मात्रा छूट, प्रदर्शन बोनस, मूल्य रियायतें और प्रोत्साहन (यदि कोई हो) के लिए समायोजित किया जाता है। राजस्व में ग्राहकों से वसूल कर शामिल नहीं है।

जैसा कि कंपनी केवल रासायनिक विनिर्माण कारोबार करती है और केवल एक स्थान से प्रचालन करती है, इसलिए भौगोलिक स्थान पर राजस्व का स्वरूप अलग–अलग होता है और औद्योगिक वर्टिकल अपेक्षित नहीं है।

राजस्व को मान्यता दिए जाने से पहले नीचे वर्णित विशिष्ट मान्यता मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिए।

उत्पादों की बिक्री

उत्पाद की बिक्री से राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब माल के महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के प्रतिफल खरीदार को अंतरित किया जाता है। उत्पाद की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर, प्रतिलाभ और भत्ते के निवल पर, व्यापार बट्टा, मात्रा घटौती पर किया जाता है।

सेवाएँ प्रदान करना

जब कभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाओं से आय को स्वीकार किया जाता है।

ब्याज आय

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है। ब्याज आय को लाभ और हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

किराया आय

निवेश संपत्तियों पर परिचालन पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराया आय को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है,

जब तक कि प्राप्तियों को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए संरचित नहीं किया जाता है और इसे परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में शामिल नहीं किया जाता है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोग काल

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोग काल की समीक्षा करती है तथा इन पुनर्मूल्यांकनों के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है। (संदर्भ संख्या 3ए)

ग) चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

कंपनी चालू/ गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब वह:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो,
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो, या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, उन्हें चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 12 महीने से अधिक बकाया को केवल गैर–चालू के रूप में दिखाया जाएगा जब तक कि इसकी वसूली के लिए प्रयास नहीं किए गए हों और यह संभावना न हो कि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर भुगतान प्राप्त हो जाएगा। इस संबंध में इकाइयों द्वारा एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाएगा।

देयता तब चालू होती है जब:

- इसे सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद है,
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है,
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाना है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है देय को व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह सामान्य व्यवसाय के दौरान खरीदे गए सामान या प्राप्त सेवाओं के कारण देय राशि के संबंध में है।

व्यापार देय जो रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर निपटाने की उम्मीद है, उसे चालू के रूप में दिखाया जाएगा।

कंपनी अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर–चालू संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

घ) प्रावधान,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जब कंपनी को उम्मीद होती है कि किसी प्रावधान के कुछ या सभी हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी, उदाहरण के लिए, किसी बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को किसी भी प्रतिपूर्ति के बाद लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक तुलन पत्र पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

पिछली देयताओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ घटने या न घटने द्वारा की जाएगी। यह पूरी तरह से उद्यम के नियंत्रण में नहीं, या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि या तो यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व को समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा, या दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

ङ) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत जो किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित होती है, जिसके लिए उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है,उसे परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लेने की लागतें उस अवधि में व्यय की जाती हैं जिसमें वे होती हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई को निधियों के उधार लेने के संबंध में वहन करनी पड़ती हैं। उधार लेने की लागत में विनिमय अंतर भी शामिल होता है जिसे उधार लेने की लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

च) कर

इंड–एएस 12 के अनुसार कर व्यय (आयकर और आस्थगित कर): आय पर करों के लिए लेखांकन को मान्यता दी गई है। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान कई ऐसे लेन–देन और गणनाएँ की जाती हैं जिनके लिए अंतिम कर निर्धारण अनिश्चित होता है। जहाँ इन मामलों का अंतिम कर परिणाम शुरू में दर्ज की गई राशियों से भिन्न होता है, ऐसे अंतर उस अवधि में वर्तमान और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेंगे जिसमें कर निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है और आगे बढ़ाया जाता है कि इस बात की आभासी निश्चितता हो कि भविष्य में परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी।

वर्तमान आयकर

वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार कराधान अधिकारियों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)। वर्तमान कर मदों को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में या तो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है। प्रबंधन समय–समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करता है।

छ) कर्मचारी हितलाभ

i. अल्पकालिक दायित्व

गैर-मौद्रिक हितलाभ सहित मजदूरी और वेतन के लिए देयताएं उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते है, की समाप्ति के बाद 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित किया जाना प्रत्याशित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक संबंधित कर्मचारियों की सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है और जब देयताएं समायोजित किया जाता है उस समय भुगतान के लिए प्रत्याशित राशियों में मापा जाता है। देयताओं को तुलन पत्र में चालू कर्मचारी हितलाभ दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ii. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देयताओं को उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, के अंत के 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित करने की प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए उनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्रत्याशित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में किया जाता है। इसके लिए पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करता है । हितलाभ को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें होती हैं, के अंत में बाजार उपज का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। समायोजन के परिणामस्वरूप पुनः मापन और बीमांकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है। यदि संस्था को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान स्थगित करने शर्त रहित अधिकार नहीं है, दायित्वों को तुलनपत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं। इस समय वास्तविक समायोजन होने की प्रत्याश होने की उम्मीद पर ध्यान देते नहीं है।

iii) रोज़गारोत्तर दायित्व

कंपनी निम्नलिखित रोज़गारोत्तर योजनाओं का संचालन करती है:

(क) उपदान, पेंशन, रोज़गारोत्तर चिकित्सा योजना जैसी परिभाषित हितलाभ योजनाएं; तथा

(ख) भविष्य निधि जैसी परिभाषित योगदान योजनाएं।

iv) परिभाषित हितलाभ योजनाएं

कंपनी की उपदान योजना एक परिभाषित हितलाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजना रोज़गार के बाद की लाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्व की गणना वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवाओं के बदले में अर्जित भविष्य के लाभों की राशियों का आकलन करते हुए की जाती है।

v) परिभाषित योगदान योजनाएं

कंपनी की भविष्य निधि योजना एक परिभाषित योगदान योजना है। परिभाषित योगदान योजना रोजगार के बाद की लाभ योजना है जिसके तहत एक संस्था निश्चित योगदान देता है और आगे किसी राशि के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्व जब वे देय होते हैं, को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

i. उपदान

उपदान रोजगार के बाद की परिभाषित हितलाभ योजना है। उपदान के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता तुलन पत्र की तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। कंपनी की देयता प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से निर्धारित होती है। पुनःमापन के माध्यम से बीमांकिक लाभ/हानि अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है।

ii. पेंशन और उपदान दायित्व

परिभाषित हितलाभ पेंशन और उपदान योजनाओं के संबंध में तुलन पत्र में स्वीकार की गयी देयता या संपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना संपत्तियों के उचित मूल्य को कम करती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांककों द्वारा की जाती है।

भारतीय रुपए में उल्लिखित परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य को सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है। इस बॉन्ड में संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें हैं। लाभ जो भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्रा में अंकित हैं, नकदी प्रवाह को उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के संदर्भ में निर्धारित बाजार उपज का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो मुद्रा में अंकित होते हैं, जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनके पास संबंधित दायित्व की शर्तों का अनुमानित शर्त है ।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल बकाए और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल है।

समायोजन से उत्पन्न होने वाले पुनः मापन लाभ और हानि और बीमांकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन को उस अवधि जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते हैं, में स्वीकार किया जाता है। ये इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित अर्जन

और तुलनपत्र में शामिल हैं। योजना संशोधन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में लाभ या हानि में तत्काल स्वीकार किया जाता हैं।

क) परिभाषित हितलाभ योजनाओं (उपदान लाभ), परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयता तुलना पत्र में स्वीकार किया जाता है और योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कम करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रत्याशित भविष्य के भुगतानों पर आधारित है जो रिपोर्टिंग तिथि पर निधि से प्राप्त होते हैं, जिसकी गणना सालाना बीमांककों द्वारा की जाती है। प्रत्याशित भावी वेतन स्तर और सेवा की अवधि आदि पर विचार किया जाता है।

ख) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान प्रोद्भूत आधार पर लेख बद्ध किया जाता है।

ग) अस्थायी कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में कटौती न की गयी राशि पर एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता हैं

घ) लाभप्रदता के आधार पर बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार बोनस प्रदान किया जाता है।

ङ) रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों को उस वर्ष जिसमें कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता हैं। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित राशि वर्तमान मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक हितलाभों से संबंधित बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित की जाती है।

ज) विदेशी मुद्रा लेन–देन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा में लेन–देन को लेन–देन की तारीख पर विनिमय दर लागू करते हुए दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियां और लेन–देन को लेन–देन की तारीख पर विनिमय दर लागू कर दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में समायोजन किए बिना शेष विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अंतिम दर पर परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों जिसे विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के अनुसार लिया जाता है, को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। मौद्रिक मदों के समायोजन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों, उस दर से जो वर्ष के दौरान प्रारम्भ में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई थी, को उस वर्ष में जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। विदेशी मुद्रा उधार पर विदेशी मुद्रा अंतर, दिये गए ऋण, उधार संबंधी व्युत्पन्न अनुबंध पर समायोजन लाभ/हानि और उचित मूल्य लाभ/हानि का लेखा किया जाता है और वित्तीय लागत के अधीन प्रकट किया जाता है। इस तरह के विनिमय अंतर में विदेशी मुद्रा अंतर शामिल नहीं है जिसका संबंध उधार लागत के समायोजन और परिसंपत्तियों की लागत के साथ पूंजीकृत के रूप में माना जाता है।

झ) गैर–वित्तीय संपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी किसी परिसंपत्ति खराब होने के संकेत का आकलन करती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) निपटान के उचित मूल्य घटा लागत और उपयोग में इसके मूल्य की तुलना में अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो उन अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र है । जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षत के रूप माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि पर बट्टे खाते डाला जाता है।

उपयोग में मूल्य के निर्धारण के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार के आकलन को दर्शाती है। निष्पक्ष मूल्य को निपटाने की कम लागत निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार की गई कंपनियों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों के लिए उद्धृत शेयर मूल्यों द्वारा संपुष्टि की जाती है।

साख को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पहले स्वीकृत क्षति नुकसान मौजूद नहीं है या कम हो गई है संबंधी संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। चूंकि पिछले क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया,परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की गई धारणाओं में कोई बदलाव आया हो तो तब पहले स्वीकृत क्षति नुकसान को उलट देता है। यह उलट सीमित है ताकि परिसंपत्ति की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित होने वाली वहनीय राशि से अधिक हो, मूल्यह्रास के निवल, पिछले वर्षो में परिसंपत्ति के लिए कोई क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया है। इस तरह के उलटे को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत है। जब सीजीयू की वसूली योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम है, तो एक क्षति नुकसान स्वीकार किया जाता है।

ञ) नकद और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथों में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकद प्रवाह के विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकदी

समतुल्य में ऊपर परिभाषितानुसार नकदी और अल्पकालिक जमाराशियाँ, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल शामिल हैं क्योंकि उन्हें कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

त) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत वर्ष के लिए लाभ को गैर–नकद प्रकृति के लेन–देन के प्रभावों, पिछले या भविष्य के परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मद के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

थ) नकद लाभांश

कंपनी इक्विटी धारकों को नकदी वितरण करने के लिए देयता को तब स्वीकार किया जाता है जब वितरण प्राधिकृत किया जाता है और वितरण अब कंपनी के विवेकाधिकार पर नहीं है। भारत के कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब प्राधिकृत किया जाता है जब शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुरूप राशि सीधे इक्विटी में स्वीकार किया जाता है।

द) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार भुगतान की गयी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) अप्रयुक्त कर क्रेडिट की प्रकृति में है जिसे आगे ले जा सकता है और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। इस तरह के कर क्रेडिट पर आस्थगित कर संपत्तियों इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निर्दिष्ट भविष्य अवधि में किया जा सके। वसूल करने योग्य कर निवल राशि या कराधान प्राधिकारी को भुगतान योग्य कर को तुलन पत्र में प्राप्य राशि या देय राशि के हिस्से के रूप में शामिल की जाती है।

ध) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को स्वीकार किया जाता है जहाँ उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त करेगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित लागतों की अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करने का लक्ष्य है, व्यय किया जाता है। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित है, तो संबंधित परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल पर समान राशियों में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

निर्यात लाभः

आयात और निर्यात नीति के अनुसार कथित आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात का मिलान कथित लाइसेंस के खिलाफ किए गए निर्यातों के लिए किया जाता हैं और निवल लाभ / दायित्व को कच्चे माल की खपत में उपयुक्त समायोजन करते हुए लेखांकन किया गया है।

कथित योजनाओं के अधीन शुल्क वापसी, पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना और किए गए निर्यात के संबंध में आयात और निर्यात नीति के अनुसार अन्य योजनाओं के तहत प्रोद्भूत लाभ को "अन्य प्रचालन राजस्व" के तहत 9निर्यात प्रोत्साहन" के रूप में शामिल किया गया है।

न) प्रति शेयर अर्जन:

प्रति शेयर मूल आधारभूत अर्जन की गणना उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि का भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण अर्जनों की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी तनुकरणीय संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

प) शेयर–आधारित भुगतान:

कर्मचारी शेयर आधारित भुगतान योजनाओं का मापन और प्रकटीकरण इंड एएस 102, शेयर–आधारित भुगतान के अनुसार किया जाता है। कंपनी उचित मूल्य विधि का उपयोग करते हुए कर्मचारी स्टॉक विकल्पों से संबंधित क्षतिपूर्ति की लागत का आकलन करती है। क्षतिपूर्ति व्यय को सीधी रेखा आधार पर विकल्प की निहित अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

फ) पिछली अवधि की त्रुटियां और चूक:

पिछली अवधि से संबंधित आय और व्यय की अलग–अलग मदों में त्रुटियां और चूक, यदि संभव हो तो संबंधित अवधि में `1 लाख से अधिक का हिसाब लगाया जाता है, या प्रतिधारित कमाई को खोलने के खिलाफ समायोजित किया जाता है

हाल ही का भारतीय लेखांकन मानक

कॉर्पोरेट मामलें का मंत्रालय ("एमसीए") समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन किए:

इंड एएस 1 - वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति – इस संशोधन के तहत संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का खुलासा करना होगा। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और संशोधन का प्रभाव स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में महत्वहीन है।

इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ – इस संशोधन ने "लेखांकन अनुमानों" की परिभाषा पेश की है और इसमें भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन शामिल किए गए हैं, ताकि संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से अलग करने में मदद मिल सके। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

इंड एएस 12 – आयकर – इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है, ताकि यह उन लेन–देन पर लागू न हो जो समान और ऑफसेटिंग अस्थायी अंतर को जन्म देते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं है।

टिप्पणी–3 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

लेखांकन नीति:

प्रगतिशील पूंजी–कार्य सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को लागत पर (उचित मूल्य पर मूल्यांकित भूमि को छोड़कर), संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्शाया जाता है। लागत में क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने हेतु देय कोई भी लागत शामिल होती है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के भागों को बदलने की लागत और दीर्घकालिक निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लेने की लागत शामिल है, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद से संबंधित अनुवर्ती व्यय को उसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता है, जब इससे विद्यमान परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले लाभ में उसके पूर्व में मूल्यांकित प्रदर्शन मानकों से अधिक वृद्धि होती है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण भागों को अंतराल पर बदलने की आवश्यकता होती है, तो कंपनी उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर अलग से मूल्यह्रास करती है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतें, जब वहन की जाती हैं, लाभ या हानि विवरण में दर्शाई जाती हैं। संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में वृद्धि/हटाए जाने के संबंध में, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में वृद्धि/हटाए जाने के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

कंपनी अपनी भूमि के उतार–चढ़ाव वाले उचित मूल्य को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए वार्षिक पुनर्मूल्यांकन नीति अपनाती है। पीपीई के तहत भूमि का उचित मूल्य बाहरी स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है, जिनके पास मूल्यांकन की जाने वाली संपत्ति के स्थान और श्रेणी का अनुभव है। उक्त भूमि का पुनर्मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकक इंजी. जोस टॉम, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और पंजीकृत मूल्यांकक (आईबीबीआई), आईबीबीआई/आरवी/05/2021/13810 द्वारा 02.04.2024 को किया गया है और 31 मार्च 2024 तक इसका उचित मूल्य 19,441.99 लाख रुपये है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का तीन साल में एक बार भौतिक सत्यापन किया जाता है। प्रबंधन का विचार है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन यथार्थवादी है और उस अवधि का उचित अनुमान दर्शाता है जिसके दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और इन पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के लिए सीधी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, ताकि उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर लागत में से अवशिष्ट मूल्य घटाकर व्यय किया जा सके, जो निम्नानुसार है:

1) भवन : 3/5/30/60 साल
2) संयंत्र और उपकरण : 10/12/15/20 साल
3) फर्नीचर और फिक्सचर : 10 साल
4) वाहनः 8/10 साल
5) कार्यालय उपकरण : 3/5/6/8 साल
6) अमूर्त संपत्ति : 5 साल

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वे वस्तुएं जो सक्रिय उपयोग से हटा दी गई हैं, और निपटान के लिए रखी गई हैं, उनका मूल्यांकन उनकी वहन राशि या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

(रु लाख में)

विवरण	भूमि एवं भूमि विकासड	भूमि पुनर्मूल्यांकन	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर,फिक्सचर और उपकरण	वाहन	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय पुस्तकें	कुल
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	578.25	13,441.38	1,282.52	25,032.86	117.12	118.80	690.18	13.47	41,274.58
जोड़	-	6,000.61	30.84	48.04	3.07	0.61	23.52	-	6,106.69
हटाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च 2024 को शेष राशि	**578.25**	**19,441.99**	**1,313.36**	**25,080.90**	**120.19**	**119.41**	**713.70**	**13.47**	**47,381.27**
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	-	-	917.73	23,122.79	104.16	109.37	632.03	13.43	24,899.51
हटाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	-	20.20	77.20	1.04	0.84	12.24	-	111.52
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**–**	**–**	**937.93**	**23,199.99**	**105.20**	**110.21**	**644.27**	**13.43**	**25,011.03**
31 मार्च 2024 तक शुद्ध वहन राशि	**578.25**	**19,441.99**	**375.43**	**1,880.91**	**14.99**	**9.20**	**69.43**	**0.04**	**22,370.24**
31 मार्च 2023 तक शुद्ध वहन राशि	**578.25**	**13,441.38**	**364.79**	**1,910.07**	**12.96**	**9.43**	**58.15**	**0.04**	**6,375.07**
01 अप्रैल, 2022 तक शुद्ध वहन राशि	**578.25**	**12,406.00**	**382.79**	**1,898.32**	**11.86**	**10.09**	**60.72**	**0.04**	**5,348.07**

* एरणाकुलम में फैक्ट्री की चारदीवारी के बाहर की 2.046 एकड़ भूमि को पुनः सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है। चारदीवारी के अन्दर की भूमि पर भूमिकर दिया जाता है। एचओसीएल के पास 112.73 एकड़ भूमि का स्पष्ट स्वामित्व है।

3 ख) निवेश संपत्तियां

लेखांकन नीति:

कंपनी निवेश संपत्तियों की अनुमानित लागत के रूप में वहन मूल्य का उपयोग करती है। ऐसी संपत्ति में निवेश जो कंपनी के संचालन या उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से उपयोग में नहीं लाया जाना है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवेश संपत्तियों को शुरू में उसकी लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत और उधार लेने की लागत शामिल होती है, जहाँ भी लागू हो। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। बाद की लागत को परिसंपत्तियों की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उचित हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि के लिए चार्ज किए जाते हैं जिसमें वे किए जाते हैं।

हालाँकि कंपनी निवेश संपत्ति को लागत आधारित माप का उपयोग करके मापती है, लेकिन निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोट्स में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य एक मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

कंपनी अपनी निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उनके उपयोगी जीवन काल के दौरान करती है, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान है।

निवेश संपत्तियों की मान्यता या तो तब समाप्त कर दी जाती है जब उनका निपटान कर दिया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और भविष्य में उनके निपटान से कोई आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद नहीं होती है।

(रु लाख में)

विवरण	निवेश संपत्ति भूमि*	निवेश संपत्ति भवन	कुल
सकल वहन राशि			
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	16.71	136.89	153.60
जोड़	-	-	-
निपटान	-	-	-
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**16.71**	**136.89**	**153.60**
संचित मूल्यह्रास			
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	-	67.02	67.02
निपटान	-	-	-
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	2.17	2.17
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**-**	**69.19**	**69.19**
31 मार्च 2024 तक शुद्ध वहन राशि	**16.71**	**67.70**	**84.41**
31 मार्च 2023 तक शुद्ध वहन राशि	**16.71**	**69.87**	**86.58**
01 अप्रैल, 2022 तक शुद्ध वहन राशि	**16.71**	**72.03**	**88.74**

1. कंपनी ने कोच्चि के अंबलमुगल में मेसर्स स्टर्लिंग गैस लिमिटेड को रद्द करने योग्य लीज़ समझौते के तहत ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में 1.03 एकड़ ज़मीन दी थी। निवेश संपत्तियों को लीज़ समझौते के तहत कवर किए गए क्षेत्र के आधार पर मालिकाना हक़ वाली संपत्ति से अलग किया जाता है और निवेश का मूल्य आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया गया है।

2. कंपनी के पास कोच्चि में 155104 वर्ग फीट में फैले 184 आवासीय फ्लैट हैं, जिनमें से 46594 वर्ग फीट में फैले 55 फ्लैटों को किराये पर देने के लिए निवेश संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया है।

*निवेश संपत्ति का उचित मूल्य बाहरी स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है, जिनके पास मूल्यांकन की जाने वाली संपत्ति के स्थान और श्रेणी का अनुभव है। कोच्चि में भूमि का पुनर्मूल्यांकन पेशेवर रूप से योग्य स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकक इंजी. जोस टॉम, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और पंजीकृत मूल्यांकक (आईबीबीआई), आईबीबीआई/आरवी/05/2021/13810 द्वारा 02.04.2024 को किया गया है।

(रु लाख में)

निवेश संपत्ति (भूमि) का उचित मूल्य	2023-24	2022-23
निवेश संपत्ति-स्टर्लिंग गैस लिमिटेड	174.89	120.41
निवेश संपत्ति-टाउनशिप	445.62	408.49
कुल	**620.51**	**528.9**

निवेश संपत्तियों के लिए लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

आकस्मिक किराये सहित किराये की आय	26.67	26.98
किराये की आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	14.53	7.20
ऐसी संपत्ति से प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराये की आय उत्पन्न नहीं होती	-	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों से आय	**12.14**	**19.78**
मूल्यह्रास	2.17	2.16
निवेश संपत्तियों से आय	**9.97**	**17.62**

3 ग) अन्य अमूर्त संपत्तियां

लेखा नीति:

अलग से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निश्चित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि को घटाकर लागत पर रखा जाता है। पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और संबंधित व्यय उस अवधि में लाभ या हानि में परिलक्षित होता है जिसमें व्यय किया जाता है। एक निश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। शोध लागतों को व्यय के रूप में व्यय किया जाता है। किसी व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्यय को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब कंपनी परिसंपत्ति को उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदर्शित कर सकती है।

विकास व्यय को परिसंपत्ति के रूप में प्रारंभिक मान्यता देने के बाद, परिसंपत्ति को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि को घटाकर रखा जाता है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब शुरू होता है जब विकास पूरा हो जाता है और परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसे अपेक्षित भविष्य के लाभ की अवधि में परिशोधित किया जाता है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब तक कि ऐसा व्यय किसी अन्य परिसंपत्ति के वहन मूल्य का हिस्सा न हो।

(रु लाख में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
सकल वहन राशि		
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	442.30	442.30
जोड़	3.50	3.50
हटाना	0.00	0.00
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**445.80**	**445.80**
संचित मूल्यह्रास		0.00
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	423.44	423.44
हटाना	0.00	0.00
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	8.73	8.73
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**432.17**	**432.17**
31 मार्च, 2024 तक शुद्ध वहन राशि	**13.63**	**13.63**
31 मार्च, 2023 तक शुद्ध वहन राशि	**18.86**	**18.86**
01 अप्रैल, 2022 तक शुद्ध वहन राशि	**27.24**	**27.24**

वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों की सम्पत्तियों, संयंत्र एवं उपकरणों तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के प्रबंधन अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3घ) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति

लेखांकन नीति:

बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों या निपटान समूहों को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उनकी अग्रणीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब बिक्री अत्यधिक संभावित हो और परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, बशर्ते कि ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत शर्तें लागू हों। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसके लिए वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, तथा बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है या योजना को वापस नहीं लिया जाएगा।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को एक बार बिक्री के लिए वर्गीकृत कर दिए जाने पर उनका मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

(रु लाख में)

विवरण	शुद्ध वहन राशि		
	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
भूमि	94,425.42	99,094.84	99,094.84
भवन	65.15	65.15	65.15
संयंत्र और उपकरण	58.81	58.81	58.81
फर्नीचर,फिक्सचर और उपकरण	0.94	0.94	0.94
कुल	**94,550.32**	**99,219.74**	**99,219.74**

नोटः कंपनी सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। 22 मई, 2017 के आदेश के अनुसार, कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, संयंत्र और स्क्रैप किए गए उपकरणों का निपटान कर दिया गया है। रसायनी में एनबीसीसी के माध्यम से अप्रतिबंधित भूमि (बीपीसीएल को 152 एकड़ भूमि की सीधी बिक्री) और ई–नीलामी के माध्यम से पनवेल भूमि की बिक्री प्रगति पर है। कोच्चि में फिनोल संयंत्र चालू है।

क) मूलतः, कंपनी की रसायनी इकाई के पास 1,012.355 एकड़ भूमि थी (राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार)। इस भूमि में से 251 एकड़ भूमि बीपीसीएल को बेची गई, तथा 20 एकड़ भूमि इसरो को वर्ष 2017–18 में बेची गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 में 38.687 एकड़ भूमि बीपीसीएल को बेची गई। वर्ष 2019–20 में 85.27 एकड़ जमीन बीपीसीएल को बेची गई, और 0.386 एकड़ जमीन आईओसीएल (पेट्रोल पंप क्षेत्र) को बेची गई। शेष 65.840 एकड़ में से 22.717 एकड़ भूमि अतिक्रमित के रूप में चिन्हित की गई है, 32.547 एकड़ भूमि एमआईडीसी, एमएसईबी, एचआईएल, एमईएस आदि के कब्जे में है तथा 10.576 एकड़ सार्वजनिक सड़क को शून्य मूल्य का माना गया है। अतिक्रमण का निर्धारण कंपनी द्वारा मेसर्स द जियो टेक के माध्यम से किए गए सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था, जैसा कि 24 अप्रैल, 2019 की उनकी रिपोर्ट में बताया गया है। कंपनी ने 2023–24 में 4,669.42 लाख रुपये की कीमत पर 33.353 एकड़ जमीन बीपीसीएल को बेची है। शेष 517.819 एकड़ जमीन को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति माना जाता है।

बी) पनवेल नगर आयुक्त से प्राप्त संचार के अनुसार, सर्वेक्षण संख्या 738 के प्लॉट संख्या 11 और 12 के वास्तविक क्षेत्र के संबंध में, जिस पर से एक सार्वजनिक सड़क गुजरती है और इस प्रकार बिक्री के लिए उपलब्ध पनवेल भूमि का कुल क्षेत्रफल 8 एकड़ से घटकर 7.09 एकड़ हो गया है। तदनुसार आरक्षित मूल्य (उचित मूल्य) घटाकर 158 करोड़ रुपये कर दिया गया है। रायगढ़ के कलेक्टर ने एनओसी जारी करने की रिपोर्ट में 40% अनर्जित आय के रूप में चार्ज करने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र सरकार के उक्त प्रस्ताव को 09.11.2022 को होने वाली एचओसीएल बोर्ड की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

4. वित्तीय परिसंपत्तियां

4क. निवेश

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
गैर चालू			
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट निवेश			
(क) इक्विटी लिखतों में निवेश			
क. सहायक कंपनियों में निवेश (उद्धृत)			
11060000 (पिछला साल 11060000) इक्विटी शेयरों के रु. 10 प्रति हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बनस लिमिटेड में पूरी तरह से प्रदत्त (56.43% शेयर धारण)	1,106.00	1,106.00	1,106.00
"जोड़ें: निवेश के मूल्य में उचित मूल्य लाभ (31.03.2024 को बाजार मूल्य 16.23 रुपये, 31-03-2023 को 8.91 रुपये प्रति शेयर) (अंकित मूल्य 10 रुपये प्रति शेयर)"	689.04	(120.55)	(47.56)
उप कुल (क)	**1795.04**	**985.45**	**1058.44**
केरला एनवीरों इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अनुद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश			
(प्रत्येक 10/- रूपए के 50000 अनुद्धृत इक्विटी शेयर)	5.00	5.00	5.00
घटाएँ :- निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	-	-	-
उप कुल (ख)	**5.00**	**5.00**	**5.00**
कुल (क+ख)	**1,800.04**	**990.45**	**1,063.44**
उद्धृत निवेशों की संकलित राशि (उचित मूल्य)	1,795.04	985.45	1,058.44
उद्धृत निवेशों की संकलित राशि (लागत)	1,106.00	1,106.00	1,106.00
अनुद्धृत निवेशों की संकलित राशि	5.00	5.00	5.00
क्षति के लिए प्रावधान की संकलित राशि	689.04	(120.55)	(47.56)
कुल	**1,800.04**	**990.45**	**1,063.44**

4ख अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
(सही माने गए - असुरक्षित)			
परिशोधित लागत पर वहन किया गया			
जमाराशि:			
i) केएसईबी	239.49	239.49	223.71
ii) ईएमडी और किराया	58.86	51.71	53.71
iii) टेलीफोन जमाराशि	1.68	1.68	1.68
कुल	**300.03**	**292.88**	**279.10**

5. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) अधिकारियों और उच्च न्यायालय के पास अन्य जमाएँ	276.88	276.88	271.97
ii) ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति (नोट संख्या 30 देखें)			
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,651.82	1,729.48	-
परिभाषित लाभ दायित्व	(1,550.72)	(1,586.47)	-
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति	**101.10**	**143.01**	**0.00**
कुल	**377.98**	**419.89**	**271.97**

6. वस्तुसूची

लेखा नीति:

(i) भंडार और पुर्जे, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, लागत का निर्धारण चल भारित औसत के आधार पर किया जाता है। हालाँकि, उपर्युक्त मदों का मूल्यांकन लागत से कम नहीं किया जाता है यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें शामिल किया जाना है, लागत पर या उससे अधिक पर बेचे जाने की उम्मीद है।

(ii) अर्ध-तैयार उत्पादों और तैयार उत्पादों का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए, लागत का निर्धारण मानक लागत के आधार पर किया जाता है जो वास्तविक लागत के लगभग बराबर होती है। असामान्य रूप से कम मात्रा और परिचालन प्रदर्शन को छोड़कर, भिन्नताओं को इन्वेंट्री में समायोजित किया जाता है।

(iii) उप-उत्पादों का मूल्यांकन अनुमानित शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(iv) व्यापारिक वस्तुओं का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। लागत का निर्धारण भारित औसत के आधार पर किया जाता है।

शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित विक्रय मूल्य है, जिसमें से समापन की अनुमानित लागत तथा विक्रय करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत घटा दी जाती है।

अप्रचलित और धीमी गति से चलने वाली वस्तुसूची के विरुद्ध भत्ते

कंपनी अपनी इन्वेंट्री की स्थिति की समीक्षा करती है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अप्रचलित और धीमी गति से चलने वाली इन्वेंट्री वस्तुओं के विरुद्ध प्रावधान करती है, जिन्हें अब बिक्री या उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इन्वेंट्री समीक्षा करती है और अप्रचलित तथा धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए प्रावधान करती है। कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करती है और धीमी गति से चलने वाली इन्वेंट्री के लिए 50% तथा अप्रचलित वस्तुओं के मामले में 100% प्रावधान करती है।

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
क. कच्ची सामग्रियाँ और संघटक	1,918.97	998.33	1,699.53
ख. पारगमन में कच्चा माल	25.96	-	-
उप कुल	1,944.93	998.33	1,699.53
ग. कार्य प्रगति पर है	1,010.56	938.00	1,133.84
घ. तैयार माल	1,423.96	978.47	2,265.34
च. भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और पैकिंग सामग्री	2,798.41	2,401.65	2,795.21
घटाएँः भंडार और अतिरिक्त सामान के अप्रचलन के लिए भत्ते।	(280.94)	(355.50)	(382.73)
कुल	**6,896.92**	**4,960.95**	**7,511.19**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने भंडार और पुर्जों के अप्रचलन के लिए 74.56 लाख रुपये की अतिरिक्त भत्ते की राशि वापस कर दी।

7. व्यापार प्राप्य

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
सही माने गए – रक्षित	-	-	-
सही माने गए – अरक्षित	1,866.15	1,807.23	732.03
जिससे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	0.48	3.09
साख ख़राब	1,471.55	1,474.52	1,489.46
घटाएँः संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	(1,471.55)	(1,474.52)	(1,489.46)
घटाएँः प्राप्य बिल भुनाये गए	-	-	-
कुल	**1,866.15**	**1,807.71**	**735.12**

संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता दिया जाता है, जिसे प्रबंधन की राय में क्रेडिट क्षतिग्रस्त माना जाता है। कंपनी लगातार उन व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता बनाने की प्रथा का पालन कर रही है जो तीन साल से अधिक समय तक बकाया रहते हैं या जिनकी वसूली संदिग्ध है। दो से तीन साल के बीच के व्यापार प्राप्य जो महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम दिखाते हैं, उन्हें भत्ते के लिए प्रदान किया गया है।

भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अंतर्गत अपेक्षित गतिविधि का प्रकटीकरण

रुपये लाख में

संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
वर्ष के प्रारम्भ में प्रावधान	1,474.52	1,489.46	1,474.13
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान **	-	2.14	16.77
वर्ष के दौरान निर्मुक्त *	2.97	17.08	1.44
वर्ष के अंत में प्रावधान	**1,471.55**	**1,474.52**	**1,489.46**

*वर्ष के दौरान कंपनी ने 2.97 लाख रुपए (पिछले वर्ष 17.08 लाख रुपए) की व्यापार प्राप्य राशि एकत्र/बट्टे खाते में डाल दी है, जिसके लिए भत्ता पहले ही बनाया जा चुका है।

**व्यापार प्राप्य प्रावधान ईसीएल मैट्रिक्स के अनुसार किया जाता है।

देनदारों की समयबृद्धि	देनदार	प्रतिशत	प्रावधान
अतिदेय नहीं	1853.34	-	-
90-180 दिन	-	-	-
181–366 दिन	-	-	-
367–730 दिन	-	-	-
731–1095 दिन	-	-	-
1095 दिनों से अधिक	1484.37	99.13	1471.55
कुल	**3337.71**		

व्यापार प्राप्य समयबृद्धि अनुसूची

रुपये लाख में

विवरण	देय नहीं छःमाह से कम	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छःमाह से कम	छःमाह 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्षों से अधिक	
चालू वर्ष -2023-24							
(i) अविवादित व्यापार प्राप्यसही माने गए	1853.34						1853.34
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो ।							0.00
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण इमपैरेड						513.67	513.67
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– सही माने गए							0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य– जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।						970.69	970.69
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण इमपैरेड							0.00
कुल	1853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.36	3337.70
घटाएँः प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.55	1471.55
निवल राशि	1853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	12.81	1866.15

विवरण	देय नहीं छःमाह से कम	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छःमाह से कम	छःमाह 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्षों से अधिक	
पिछले वर्ष -2022-23							
(i) अविवादित व्यापार प्राप्यसही माने गए	1791.84		0.19	0.49			1792.52
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो ।					0.48		0.48
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण imparied						590.00	590.00
(iv)विवादित व्यापार प्राप्य– सही माने गए							0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य– जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।						899.22	899.22
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण imparied							0.00
कुल	1791.84	0.00	0.19	0.49	0.48	1489.22	3282.23
घटाएँः प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.12	0.04	0.08	1474.28	1474.52
निवल राशि	1791.84	0.00	0.07	0.45	0.40	14.94	1807.71

8. नकद और नकदी समतुल्य

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
बैंकों के साथ शेष (नकद और नकदी समतुल्य श्रेणी के):			
चालू खाता	50.96	277.00	239.30
बचत खाता *	1.58	153.43	149.25
तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित निवेश	20.00	33.55	221.51
हाथ में नकद	0.47	0.47	1.48
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष	**73.01**	**464.45**	**611.54**

* स्माल कोसेस कोर्ट, मुंबई के निर्देशों के अनुसार हरचंदराई हाउस की किराए देय राशि के लिए बचत खाते में शेष राशि पृथक रक्षित है ।

9. अन्य बैंक शेष

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
एलसी/ बीजी के विरुद्ध मियादी जमा	6,092.43	6,202.07	5,592.19
तीन महीने से अधिक लेकिन बारह महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशि	16,476.64	10,063.96	7,307.00
कुल	**22,569.07**	**16,266.03**	**12,899.19**

10. ऋण (चालू परिसंपत्तियां)

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
क) सहायक कंपनी को वर्तमान ऋण और अग्रिम (सुरक्षित, सही माने गए)			
(सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड)	3,197.08	3,197.08	3,197.08
(ख) कर्मचारियों को ऋण अरक्षित, सही माने गए	14.84	22.35	21.01
(ग) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	65.00	65.00	65.00
घटाएँ: आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	65.00	65.00	65.00
	–	–	–
कुल (क + ख + ग)	**3,211.92**	**3,219.43**	**3,218.09**

ऋण और प्राप्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां है जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं।

सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड ने आरओसी, हैदराबाद में कंपनी के पक्ष में 2744.07 लाख रुपये के शून्य कूपन ऋण, 453.01 लाख रुपये के ब्याज वाले ऋण के लिए रुद्रराम गांव, मेडक जिला, तेलंगाना राज्य में 84.31 एकड़ भूमि पर पहला प्रभार बनाया है और 31 मार्च 2023 तक उस पर मिलने वाला ब्याज 1075.05 रुपये (पिछले वर्ष 1017.79 लाख रुपये) 4272.13 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4214.87 लाख रुपये) है। पेशेवर योग्यता रखने वाले एक बाहरी पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार संपत्ति का मूल्य 10196.76 लाख रुपये है।

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
क) प्राप्य ब्याज (असुरक्षित, सही माने गए)			
(i) जमा राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज (क)	574.86	358.29	316.25
(ii) अग्रिमों पर प्रोद्भूत ब्याज	106.08	106.08	106.08
घटाएँ: संदिग्ध चुकौती के लिए प्रावधान	106.08	106.08	106.08
निवल राशि (ख)	–	–	–
(iii) टाउनशिप से प्रोद्भूत आय	-	-	5.53
घटाएँ: भत्ते	-	-	5.53
निवल राशि (ग)	–	–	–
ख) सहायक कंपनी से प्राप्त ब्याज			
अरक्षित, सही माने गए (सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड)* (घ)	1,075.05	1,075.05	1,017.79
कुल (क + ख + ग)	**1,649.91**	**1,433.34**	**1,334.04**

* निदेशक मंडल ने संकल्प संख्या 404/4 दिनांक 31.01.2023 के तहत सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एच एफ एल) को दिए गए ब्याज–आधारित ऋणों पर ब्याज की छूट को 01.04.2023 से मंजूरी दे दी है। इसलिए 01.04.2023 के बाद से ब्याज नहीं दिया गया है।

12. अन्य चालू परिसंपत्तियां

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टरेट के पास जमा	7.37	7.37	7.37
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	2.90	2.90	2.90
उप कुल (क)	**4.47**	**4.47**	**4.47**
ii) वैधानिक प्राप्य – शुल्क और कर, प्रीपेड कर	643.54	258.62	783.62
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	4.29	4.29	4.29
उप कुल (ख)	**639.25**	**254.33**	**779.33**
iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**207.91**	**146.10**	**277.26**
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	4.31	4.31	4.31
उप कुल (ग)	**203.60**	**141.79**	**272.95**
iv) प्रीपैड व्यय	191.27	142.04	163.02
v) वसूलीयोग्य अन्य अग्रिम	25.69	28.56	39.81
vi) कर्मचारियों को अग्रिमों पर उपचित आय	2.38	4.69	8.15
vii) कर्मचारियों से वसूलीयोग्य	60.41	60.41	60.41
उप कुल	**279.75**	**235.70**	**271.39**
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	60.41	60.41	60.41
उप कुल (घ)	**219.34**	**175.29**	**210.98**
कुल (क + ख + ग + घ)	**1,066.66**	**575.88**	**1,267.73**

13. इक्विटी शेयर पूंजी

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
प्राधिकृत शेयर पूंजी						
प्रत्येक 10 रुपये का इक्विटी शेयर						
अथ शेष	100,000,000.00	10,000.00	100,000,000.00	10,000.00	100,000,000.00	10,000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी)	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	**100,000,000.00**	**10,000.00**	**100,000,000.00**	**10,000.00**	**100,000,000.00**	**10,000.00**
10 रुपये प्रत्येक के वरीयता शेयर						
अथ शेष	270,000,000.00	27,000.00	270,000,000.00	27,000.00	270,000,000.00	27,000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी)	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	**270,000,000.00**	**27,000.00**	**270,000,000.00**	**27,000.00**	**270,000,000.00**	**27,000.00**
कुल अधिकृत पूंजी	**370,000,000.00**	**37,000.00**	**370,000,000.00**	**37,000.00**	**370,000,000.00**	**37,000.00**
जारी की गई इक्विटी पूंजी						
10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान किए गए						
अथ शेष	67,173,100.00	6,717.31	67,173,100.00	6,717.31	67,173,100.00	6,717.31
जोड़ें: जब्त किए गए शेयरों पर भुगतान की गई राशि	-	9.65	-	9.65	-	9.65
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी)	-	-	-	-	-	-
कुल – इक्विटी शेयर पूंजी	**67,173,100.00**	**6,726.96**	**67,173,100.00**	**6,726.96**	**67,173,100.00**	**6,726.96**

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसमें `10 प्रति शेयर का बराबर मूल्य है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण और प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	31.03.2024 को		31.03.2023 को		31.03.2022 को		%वर्ष के दौरान परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	शेयरों की संख्या	%होल्डिंग	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	
10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर का पूर्ण भुगतान: भारत सरकार (प्रवर्तक)	39,481,500	58.78%	39,481,500	58.78%	39,481,500	58.78%	शून्य

वर्ष 2010–11 के दौरान, कंपनी ने आवंटन और कॉल मनी के गैर भुगतान के लिए प्रत्येक 10 रुपए (5 रुपए प्रदत्त) के 193000 शेयर जब्त किए और इन जब्त शेयरों के संबंध में आवेदन राशि की ओर भुगतान की गई राशि `शेयर जब्त खाता" में स्थानांतरित कर दिया गया है।

14. अन्य इक्विटी

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
क) प्रतिभूति प्रीमियम रिसर्व			
अथ शेष	4,838.57	4,838.57	4,838.57
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी) –	-	-	-
अंतिम शेष	**4,838.57**	**4,838.57**	**4,838.57**
ख) प्रतिधारित अर्जन			
अथ शेष	(107,136.93)	(102,114.52)	(99,437.26)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ (नोट क्रमांक.35)	-	-	(58.44)
अवधि की शुरुआत में शेष राशि बहाल की गई	(107,136.93)	(102,114.52)	(99,495.70)
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	(5,531.70)	(5,022.41)	(2,618.82)
जोड़ें: ओसीआई (भूमि की बिक्री) के माध्यम से मान्यता प्राप्त लाभ/ हानि	4,669.42	-	-
अंतिम शेष	**(107,999.21)**	**(107,136.93)**	**(102,114.52)**
ग) अन्य व्यापक आय			
i) परिसंपत्ति,संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन			
अथ शेष	95,742.09	95,008.71	93,606.29
जोड़ें: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन (नोट नं.3क)	6,000.61	1,035.38	1,978.42
जोड़ें/ (घटाएँ): आयकर (व्यय)/ उपर्युक्त का लाभ	(1,747.00)	(302.00)	(576.00)
घटाएँ: ओसीआई (भूमि की बिक्री) के माध्यम से मान्यता प्राप्त लाभ/ हानि	(4,669.42)	-	-
जोड़ें: आयकर (व्यय)/ उपर्युक्त का लाभ	971.00	-	-
अंतिम शेष	**96,297.28**	**95,742.09**	**95,008.71**
ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन			
अथ शेष	(84.55)	(32.56)	(192.08)
जोड़ें/ घटाएँ: ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरणों में निवेश पर शुद्ध उचित मूल्य लाभ/ हानि	809.59	(72.99)	224.52
घटाएँ: आयकर (व्यय)/ उपर्युक्त का लाभ	(236.00)	21.00	(65.00)
अंतिम शेष	**489.04**	**(84.55)**	**(32.56)**
iii) परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं में परिवर्तन			
अथ शेष	644.86	543.47	502.48
जोड़ें/ घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	-	-	-
जोड़ें/ घटाएँ: परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	121.50	101.39	40.99
अंतिम शेष	**766.36**	**644.86**	**543.47**
कुल	**97,552.68**	**96,302.40**	**95,519.62**
कुल अन्य इक्विटी	**(5,607.96)**	**(5,995.96)**	**(1,756.33)**

सिक्योरिटीस प्रीमियम रिजर्व–जहां कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है, चाहे वह नकद के लिए हो, या अन्यथा उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशी ``सिक्योरिटीस प्रीमियम रिजर्व`` में स्थानांतरित की जाएगी। कंपनी अपने सदस्यों को प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व से पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी कर सकती है और कंपनी इस रिजर्व का उपयोग शेयरों के खरीद–फरोख्त के लिए कर सकती है।

15क.पट्टा

लेखांकन नीति:

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि ठेके में पट्टा शामिल है या नहीं। ठेका तब पट्टा होता है या उसमें पट्टा होता है जब ठेके में प्रतिफल के बदले में किसी निश्चित अवधि के लिए पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या ठेके में पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या:

(i) ठेके में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है "

(ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं और "

(iii) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग का निर्देश देने का अधिकार है। "

पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर, कंपनी सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति ("आरओयू") और एक संगत पट्टा देयता को मान्यता देती है, जिसमें वह पट्टेदार है, बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य वाले पट्टों को छोड़कर।इन अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

पट्टेदार के रूप में, कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टों की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, जिसे पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसे विकल्प का उपयोग यथोचित रूप से निश्चित है। कंपनी पट्टे–दर–पट्टा आधार पर अपेक्षित पट्टे की अवधि का आकलन करती है और इस प्रकार यह आकलन करती है कि क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि अनुबंध को बढ़ाने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। पट्टे की अवधि का मूल्यांकन करते समय, कंपनी पट्टे की अवधि में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण पट्टे में सुधार, पट्टे की समाप्ति से संबंधित लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्थान और उपयुक्त विकल्पों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एचओसीएल के संचालन के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति के महत्व जैसे कारकों पर विचार करती है। भविष्य की अवधि में पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टे की अवधि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती है।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल होते हैं। आरओयू परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों में ये विकल्प शामिल होते हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जिसे पट्टे की आरंभ

तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत में से किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। बाद में इन्हें लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि हानि घटाकर मापा जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उसके आधार पर, आरंभिक तिथि से सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है। उपयोग–अधिकार–परिसंपत्तियों की वसूली योग्यता का मूल्यांकन तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि उनकी अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, वसूली योग्य राशि (अर्थात उचित मूल्य में से विक्रय लागत तथा उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो) का निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न न हों जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हों। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि उस नकदी उत्पादक इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित होती है।

पट्टा दायित्व को प्रारम्भ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों के अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो पट्टा देयताओं को उपयोग के अधिकार से संबंधित परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पुनः मापा जाता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी एक पट्टादाता के रूप में

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से प्राप्त किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
आरओयू परिसंपत्ति की श्रेणी : भवन			
अथ शेष राशि	-	-	-
जोड़ें	128.08	-	-
निपटान	-	-	-
मूल्यह्रास	21.35	-	-
अंतिम शेष	**106.73**	**-**	**-**

आरओयू परिसंपत्तियों पर कुल मूल्यह्रास व्यय को लाभ और हानि विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

31 मार्च 2024 तक वर्तमान और गैर–वर्तमान पट्टा देनदारियों का विवरण निम्नलिखित है

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
वर्तमान देयता	21.05	-	-
गैर–वर्तमान देयता	90.46	-	-
कुल	**111.51**	**-**	**-**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में उतार–चढ़ाव निम्नानुसार रहेगा:

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
अथ शेष राशि	-	-	-
जोड़ें	127.87	-	-
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	7.64	-	-
हटाना	-	-	-
पट्टे देनदारियों का भुगतान	(24.00)	-	-
अनुवाद अंतर	-	-	-
अंतिम शेष	**111.51**	-	-

15 ख. प्रावधान (दीर्घकालिक देयता)

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) कर्मचारी के लाभ के लिए – छुट्टी नकदीकरण (नोट संख्या 30 देखें)	913.77	1,004.84	903.42
ii) ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति (नोट संख्या 30 देखें)	-	-	-
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	(1,490.61)
परिभाषित लाभ दायित्व	-	-	1,936.88
निवल देयता			**446.26**
iii) अन्य प्रावधान	23.13	23.13	23.13
कुल	**936.90**	**1,027.97**	**1,372.81**

16. आस्थगित कर देयताएं

लेखांकन नीति:

आस्थगित कर, रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। आस्थगित कर देयताएं सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त हैं, सिवाय तब जब आस्थगित कर देयता किसी ऐसे लेन–देन में सद्भावना या परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती है जो व्यवसाय संयोजन नहीं है और, लेन–देन के समय, सहायक कंपनियों, सहयोगियों और हितों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करती है, अस्थायी अंतरों में निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है क्योंकि कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना है, कटौती योग्य अस्थायी अंतर, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है, सिवाय इसकेः कटौती योग्य अस्थायी अंतर संपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होता है ऐसा लेन–देन जो लेन–देन के समय आस्थगित कर परिसंपत्ति से संबंधित व्यावसायिक संयोजन नहीं है, लेखांकन लाभ या कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित नहीं करता है।आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना नहीं रह जाती कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सम्पूर्ण या आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह सम्भावना हो गई है कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की जा सकेगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस वर्ष लागू होने की उम्मीद होती है, जब परिसंपत्ति की वसूली होती है या देयता का निपटान होता है, जो कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त होती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)। आस्थगित कर मदों को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में या तो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
भूमि का उचित मूल्य	17,495.52	16,719.52	16,417.52
एचएफएल में निवेश का उचित मूल्य	200.00	(36.00)	(15.00)
निवल आस्थगित कर देयता [नोट संख्या 39]	**17,695.52**	**16,683.52**	**16,402.52**

आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कंपनी की भविष्य की पर्याप्त कर योग्य लाभप्रदता के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। नोट संख्या 39 भी देखें।

17. उधार

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
17 क) गैर चालू वित्तीय देयताएं–उधार			
ईएमसी ऋण (सुरक्षित)*	243.98	-	-
कुल गैर चालू (क)	**243.98**	**–**	**–**
17 ख) वर्तमान वित्तीय देयताएं–उधार			
सरकारी ऋण की वर्तमान परिपक्वता अवधि	-	-	7,695.09
भारत सरकार से ऋण (नोट संख्या 19क)	45,256.46	45,256.46	37,561.37
अतिदेय 8% गैर–संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर–भारत सरकार**	27,000.00	27,000.00	27,000.00
अधिकोष अधिविकर्ष***	1,589.11	-	-
ईएमसी ऋण (सुरक्षित) पर वर्तमान परिपक्वता	42.35	-	-
कुल चालू (ख)	**73,887.92**	**72,256.46**	**72,256.46**
कुल उधार (क + ख)	**74,131.90**	**72,256.46**	**72,256.46**
कुल सुरक्षित ऋण	1,875.44	-	-
कुल असुरक्षित ऋण	45,256.46	45,256.46	45,256.46

नोट

1. अधिमान्य शेयरधारकों को कोई मताधिकार नहीं होता।

*कंपनी ने अकुशल कंप्रेसर को ऊर्जा कुशल कंप्रेसर से बदलने के उद्देश्य से केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि से 299.00 लाख रुपये का ऋण लिया है, जो कि केरल सरकार की एक परिक्रामी निधि है, जिसका प्रबंधन ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ईएमसी) द्वारा किया जाता है। यह निधि 20.03.2024 को प्राप्त हुई थी और इसे वित्तीय सहायता जारी होने के तीसरे महीने से 2%की ब्याज दर के साथ साठ समान किस्तों में चुकाया जाना है, क्योंकि निधि वर्ष के अंत के करीब प्राप्त हुई थी, इसलिए प्राप्त राशि का उपयोग वर्ष के दौरान उपरोक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। कंपनी ने एकमुश्त प्रशासनिक लागत के रूप में ईएमसी को 14.95 लाख रुपये का भुगतान किया है।

** भारत सरकार ने पूर्व वर्ष 2006–07 में 27000 लाख रुपए (वित्तीय पुनर्गठन के लिए 25000 लाख रुपये और कास्टिक सोडा संयंत्र के पुनः कमीशन के लिए 2000 लाख रुपये) 8% असंचयी मोचनीय अधिमानी शेयरों के आबंटन के खिलाफ जारी किया था, जिससे पुनरुद्धार योजना के अनुसार पूंजी आधार को व्यापक बनाया। बोर्ड द्वारा 28 जनवरी, 2008 को 8% अधिमानी शेयर भारत सरकार को आवंटित किए गए, यह 4वें वर्ष से मोचनीय @ 20% प्रारम्भ होकर 8वें वर्ष (2015–16) में अंतिम विमोचन के साथ है। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक प्रति वर्ष @ 25% पर मोचन की शुरूआत की थी। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने मोचन के विस्तार के लिए अनुमति दी बशर्ते कि 27000 लाख रुपए की कुल राशि पर प्रतिवर्ष 1.5% ब्याज का भुगतान किया जाना है और वर्ष के दौरान लेखा बही में 405 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। आगे चुकौती में चूक के लिए ब्याज @ 1% देना है और तदनुसार रु. 270 लाख की ब्याज राशि वर्ष के दौरान प्रदान की गई है।

***कंपनी को बैंक के पास जमा राशि की सुरक्षा के आधार पर बैंक से कार्यशील पूंजी सुविधा मंजूर की गई है और इस सुविधा के संबंध में बैंक के पास कोई तिमाही रिटर्न या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

18. व्यापार देय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
चालू – व्यापार देय			
i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया देय	15.15	14.85	55.50
ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य बकाया देय	6,837.65	4,052.02	4,096.34
	6,852.80	**4,066.87**	**4,151.84**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि:

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
क) i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रधान शेष राशि अवैतनिक है।	15.15	14.85	55.50
ii) उस पर ब्याज देय	-	-	-
iii) ब्याज देय और भुगतान में देरी की अवधी के लिए	-	-	-
iv) ब्याज उपार्जित और शेष अवैतनिक है	-	-	-
v) ब्याज देय और भुगतान अनुवर्ती वर्षों में	-	-	-

ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण इस हद तक किया गया है कि प्रबंधन द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। उन्हें सभी देय राशि का भुगतान नियत तारीख के भीतर किया जाता है और समापन तिथि पर कोई अतिदेय राशि नहीं है।

व्यापार प्राप्य समयबृद्धि अनुसूची **रुपये लाख में**

विवरण	देय नहीं 30 दिनों से कम	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्षों से अधिक	कुल
चालू वर्ष 2023-24						
i) एमएसएमई	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
ii) अन्य	6820.65	12.00	0.00	0.00	0.00	6832.65
iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित बकाया–अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
कुल	**6835.80**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**6852.80**

विवरण	देय नहीं 30 दिनों से कम	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्षों से अधिक	कुल
पिछले वर्ष 2022-23						
i) एमएसएमई	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
ii) अन्य	4033.38	9.58	0.29	1.49	2.28	4047.02
iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित बकाया–अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
कुल	**4048.23**	**9.58**	**0.29**	**1.49**	**7.28**	**4066.87**

19. अन्य चालू वित्तीय देयताएं

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	44,860.40	39,860.59	34,860.78
अधिमानी शेयरों पर ब्याज	6,885.00	6,210.00	5,535.00
कुल ब्याज	**51,745.40**	**46,070.59**	**40,395.78**
विक्रेताओं / ग्राहकों से जमा राशि	244.68	227.47	209.09
कुल	**51,990.08**	**46,298.06**	**40,604.87**

नोट:

i) वर्ष 2009–10 से भारत सरकार से ऋण की अदायगी में लगातार चूक हो रही है और मूलधन के लिए अतिदेय राशि 45,256.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष 45,256.46 लाख रुपये) और अर्जित ब्याज के लिए 44,860.40 लाख रुपये (पिछले वर्ष 39,860.59 लाख रुपये) है, ये राशियां `अन्य चालू देयताओं` के तहत दिखाई गई हैं।

ii) वर्ष के दौरान कंपनी ने क्षति/ जुर्माना/ दंडात्मक ब्याज के संबंध में प्रावधान किया है और कुल संचयी प्रावधान नीचे दिया गया है।

क. वरीयता शेयर (27,000 लाख रुपये) पर ब्याज (1.5 %) 4 वर्ष के लिए मोचन का स्थगन 405.00 लाख रुपये।

ख. वरीयता शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान में चूक पर 1% की दर से ब्याज रु.270.00 लाख प्रति वर्ष।

उपरोक्त के कारण कुल प्रभाव रु. 675.00 लाख प्रति वर्ष है।

19क. 31.03.2024 तक भारत सरकार से ऋण का विवरण

क्र सं.	सरकारी स्वीकृति संख्या	उद्देश्य	स्वीकृति की तिथि	निकासी की तिथि	पुनर्भुगतान की देय तिथि	ब्याज दर	किस्तों की संख्या	31.03.2024 तक ऋण राशि	31.03.2024 तक देय किस्त	31.03.2024 तक कुल ब्याज	31.03.2024 तक बकाया ब्याज
									टिप्पण सं. 17	टिप्पण सं.19	
1	51/11/2009-केमि III	कोच्चि इकाई में विभिन्न परियोजनाओं के लिए।	01.12.2009	15.12.2009	15/12/2014	11.50%	5	660.00	660.00	1,084.85	1,084.85
2	51/11/2009-केमि III	उपरोक्त	20.01.2010	22/01/2010	22/01/2015	11.50%	5	843.00	843.00	1,375.56	1,375.56
3	P.51012/01/2012-32	विभिन्न परियोजनाओं के लिए	12.09.2012	18/09/2012	18/09/2017	11.50%	5	1,760.00	1,760.00	2,334.53	2,334.53
4	P.51012/4/2013-32- केमि III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड सीरीज XX पर ब्याज के भुगतान के लिए।	07.09.2015	10/09/2015	10/09/2020	11.50%	5	1,057.00	1,057.00	1,040.04	1,040.04
5	P.51012/4/2013-32- केमि III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड सीरीज XX और XXI पर ब्याज के भुगतान के लिए।	22.09.2016	27/09/2016	27/09/2021	11.00%	5	2,461.00	2,461.00	2,032.92	2,032.92
6	P.51012/4/2013-32- केमि III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड सीरीज XX पर ब्याज के भुगतान के लिए।	02.08.2017	07/08/2017	07/08/2022	11.00%	5	1,057.00	1,057.00	773.12	773.12
7	P.51012/4/2013-32- केमि III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड सीरीज XX के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए।	11.08.2017	14/08/2017	14/08/2022	11.00%	5	10,000.00	10,000.00	7,293.15	7,293.15
8	P.51012/4/2013-32- केमि III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड श्रृंखला XXI पर मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए।	12.09.2017	19/09/2017	19/09/2022	11.00%	5	16,392.46	16,392.46	11,777.43	11,777.43
9	P.51012/4/2013-32- केमि III	कर्मचारियों एवं अन्य से संबंधित वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए।	28.09.2017	29/09/2017	29/09/2022	11.00%	5	11,026.00	11,026.00	7,888.57	7,888.57
	भारत सरकार से सुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज (स्थिर परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित)। ऋण का मूलधन पूरी तरह से चुका दिया गया है।									3,329.41	3,329.41
	भारत सरकार से असुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज। ऋण का मूलधन पूरी तरह से चुका दिया गया है।									5,930.82	5,930.82
	कुल							**45,256.46**	**45,256.46**	**44,860.40**	**44,860.40**

नोटः 45,256.46 लाख रुपये की ऋण राशि असुरक्षित ऋण है (पिछले वर्ष असुरक्षित ऋण 45,256.46 लाख रुपये)।

20. लघु अवधि प्रावधान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) कर्मचारी लाभ के लिए छुट्टी नकदीकरण (नोट संख्या 30 देखें)	241.61	175.16	314.45
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक	795.00	543.00	315.81
iii) वैधानिक दावें	-	-	14.60
iv) दंडात्मक भारत सरकार गारंटी शुल्क	-	850.00	850.00
कुल	**1,036.61**	**1,568.16**	**1,494.86**

21. अन्य चालू देयताएँ

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) ग्राहकों से अग्रिम	480.03	555.59	412.81
ii) सांविधिक देयताएँ	149.49	487.50	232.92
iii) कर्मचारी संबंधित देयताएँ	92.39	99.80	130.79
iv) वेतन पर्ची पुनप्राप्ति देय	15.28	17.98	20.59
v) पूंजीगत वस्तुओं के लिए ऋणदाता	29.34	-	-
vi) अन्य देयताएँ	2,296.17	2,338.35	1,824.10
कुल	**3,062.70**	**3,499.22**	**2,621.21**

22. प्रचालनों से राजस्व

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
परिचालन से राजस्व – उत्पादों की बिक्री		
फिनोल	41,595.36	42,127.59
एसिटोन	23,362.26	15,388.85
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	2,493.66	2,949.27
कुमीन के हेवी एन्ड्स	1,857.70	1,564.83
कुमोक्स ऑयल	1,018.72	1,068.32
कुमीन	61.30	44.70
प्रचालनों न से कुल राजस्व	**70,389.00**	**63,143.56**

23. अन्य आय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सीधा आय:		
स्क्रैप की बिक्री	108.92	5.45
उप कुल (क)	**108.92**	**5.45**
ब्याज आय		
कॉल और अवधि जमाओं (सकल) पर	1,198.60	785.46
आयकर रिफंड पर	1.10	10.33
केएसईबी और अन्यों के साथ अग्रिमों और जमाओं पर	16.74	16.02
सहायक कंपनी को उधार पर	-	63.62
व्यापार प्राप्य से भुगतान में देरी और वित्त प्रभार संबंधी	–	0.93
उप कुल (ख)	**1,216.44**	**876.36**
अन्य गैर-प्रचालन आय		
संपदा भाड़े	42.61	69.70
परिवहन, पानी, विद्युत आदि की वसूली	-	13.16
विनिमय दर अंतर – लाभ	7.70	-
अधिक प्रावधान वापस लिखा *	77.53	65.12
बकाया ऋण	44.92	69.25
विविध आय	170.98	55.56
उप कुल (ग)	**343.74**	**272.79**
कुल (क+ख+ग)	**1,669.10**	**1,154.60**

*** लिखित रूप में अतिरिक्त प्रावधान में निम्नलिखित शामिल हैं:**

1. संदिग्ध ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रावधान का रेवेरसल	2.97	17.08
2. विभिन्न मामलों में अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	-	20.81
3. अतिरिक्त प्रावधान लिखित बैक-स्टोर और स्पेयर	74.56	27.23
कुल	**77.53**	**65.12**

24. खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची	998.33	1,699.53
जोड़: क्रय	51,225.32	41,978.06
घटाएँ: वर्ष के अंत में माल सूची	1,918.97	998.33
खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत	**50,304.68**	**42,679.26**

25. तैयार माल की वस्तु सूची और डब्लियुआईपी में परिवर्तन

वस्तुसूची में (वृद्धि) / हानि — रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के प्रारम्भ में वस्तुसूचियाँ		
(i) प्रक्रियागत स्टॉक	938.00	1,133.84
(ii) कैप्टीव खपत के लिए स्टॉक	598.21	571.60
(iii) तैयार माल	351.81	1,659.54
(iv) उप उत्पादें	28.45	34.20
उप कुल (क)	1,916.47	3,399.18
वर्ष के अंत में स्टॉक		
(i) प्रक्रियागत स्टॉक	1,010.56	938.00
(ii) कैप्टीव खपत के लिए स्टॉक	227.36	598.21
(iii) तैयार माल	1,157.37	351.81
(iv) उप उत्पादें	39.23	28.45
उप कुल (ख)	2,434.52	1,916.47
तैयार माल की सूची में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर (क–ख)	(518.05)	1,482.71

26. कर्मचारी हितलाभ व्यय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता *	3,368.21	3,320.24
ख) भविष्यनिधि और अन्य निधियों के लिए कंपनी का योगदान	319.36	310.53
ग) समूह उपदान सह जीवन आश्वासन योजना के लिए प्रीमियम सहित उपदान भुगतान	165.88	92.29
घ) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	175.33	276.14
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय		
चिकित्सा सुविधाएं	110.60	95.57
कैंटीन और पोषण सुविधाएं	253.38	207.42
अन्य कल्याण व्यय	81.59	53.39
च) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदा (वीआरएस एवं वीएसएस)	-	-
कुल	**4,474.35**	**4,355.58**

*बोर्ड ने 25.01.2021 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करने की सिफारिश की और इसे मंजूरी के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। कंपनी ने वर्ष 2023–24 के लिए 252 लाख रुपये और वर्ष 2022–23 के दौरान वेतन संशोधन के प्रावधान के लिए खातों की पुस्तकों में 248.00 लाख रुपये प्रदान किए हैं।

27. वित्त लागत

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज:		
निश्चित ऋण (भारत सरकार)	4,999.81	4,999.81
वरीयता शेयरों पर	675.00	675.00
ग्राहकों से अग्रिम पर ब्याज	1,169.49	1,001.96
पट्टा देयता पर ब्याज	7.64	-
ब्याज – अन्य	95.88	6.14
	6,947.82	6,682.91
अन्य उधार लागत–बैंक शुल्क	9.53	5.79
कुल वित्तीय लागत	**6,957.35**	**6,688.70**

28. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
मूल्यह्रास		
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	111.53	108.18
निवेश संपत्तियां	2.17	2.16
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	21.35	-
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	8.73	8.41
कुल	**143.78**	**118.75**

29. अन्य व्यय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
भंडार और पुर्जों की खपत		
i) उत्प्रेरक और रसायन	637.23	483.28
ii) उपभोग भंडार	300.04	265.07
iii) पैकिंग सामग्री	553.41	576.91
उप कुल (क)	**1,490.68**	**1,325.26**
यूटिलिटीस		
ऊर्जा	2,806.45	2,332.70
ईंधन	9,572.66	8,252.19
जल	402.21	286.31
उप कुल (ख)	**12,781.32**	**10,871.20**
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
भवन	113.67	125.00
संयंत्र और मशीनरी	232.24	248.51
अन्य परिसंपत्तियाँ	173.48	170.47
उप कुल (ग)	**519.39**	**543.98**
प्रशासन व्यय :		
भाड़ा	7.74	34.92
बीमा	313.72	213.87
दर और कर	353.90	351.08
परामर्श, व्यावसायिक और विधिक प्रभार	312.09	211.96

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षकों को भुगतान:		
लेखा परीक्षक	4.60	4.60
कराधान के मामले	0.90	0.90
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.58	0.70
अन्य सेवाएं	0.10	0.20
अन्य व्यय:		
टाउनशिप के लिए बिजली	18.82	19.48
टाउनशिप के लिए जल	10.83	11.62
सुरक्षा व्यय	240.56	270.01
विज्ञापन व्यय	7.44	6.88
वाहन व्यय का किराया	51.24	30.93
अन्य विविध व्यय	113.78	95.84
उप कुल (घ)	**1,436.30**	**1,252.99**
प्रावधान:		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	2.14
अज्ञात संपत्तियों के लिए प्रावधान	-	-
संदिग्ध किराये के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल (ङ)	**-**	**2.14**
कुल (क+ख+ग+घ+ङ)	**16,227.69**	**13,995.57**

30. कर्मचारी हितलाभ योजना:

क. छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान

कंपनी ने एक्चुरियल वैल्यूएशन और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अवकाश नकदीकरण दावों की अवैतनिक राशि के आधार पर भारतीय लेखा मानक–19 के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक अवकाश नकदीकरण के लिए 1,155.38 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,180.00 लाख रुपये) का प्रावधान किया है और शुल्क लगाया है।

ख. भविष्य निधि

कर्मचारियों को कंपनी द्वारा 30 जून 2018 तक प्रबंधित भविष्य निधि से लाभ मिलता है 1 जुलाई 2018 से कंपनी ने सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि खतों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में स्थानांतरित कर दिया और ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया गया है । कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के वेतन / मजदूरी के 12% के बराबर भविष्य निधि / पेंशन राशि योजना में मासिक योगदान करते हैं।

ग. उपदान

उपदान योजना उपदान भुगतान अधिनियम,1972 द्वारा शासित होती है और जिस कर्मचारी ने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है, वह ग्रेच्युटी का हकदार है और प्रदान किए जाने वाले लाभ का स्तर सदस्य की सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति की आयु में वेतन पर निर्भर करता है। कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड योजना, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, का प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संचालित वार्षिकी योजना के माध्यम से किया जाता है। एलआईसी के पास उपलब्ध शेष निधि 1729.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1490.18 लाख रुपये) और आईसीआईसीआई बैंक के पास 0.43 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.43 लाख रुपये) है।

31.03.2023 तक सेवा से कार्यमुक्त रसायनी औरे कोची इकाई के कर्मचारियों का उपदान संबंधी सभी देय का भुगतान किया गया है और कोई देय शेष नहीं है।

1. योजना की धनराशि की स्थिति

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
निधिपोषित दायित्व के वर्तमान मूल्य	1,550.72	1,586.47
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	(1,651.82)	(1,729.48)
निवल देयताएं (परिसंपत्ति)	**(101.10)**	**(143.01)**

2क. चालू अवधि के लिए लाभ और हानि खाता

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू सेवा लागत	57.00	65.83
नियंत्रण और समायोजन पर विगत सेवा लागत और नुकसान / हानि	-	-
निवल ब्याज लागत	106.42	26.45
"कर्मचारी हितलाभ व्यय" (पी एंड एल) में शामिल कुल	**163.42**	**92.28**

2ख. चालू अवधि के लिए अन्य समग्र आय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
दायित्व पर बीमांकिक वृद्धि/ हानि के संघटक:		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	(27.04)	(116.70)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	-
अनुभवी समायोजन के कारण	25.62	40.95
ब्याज आय में शामिल राशियों को छोडकर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	122.92	(25.63)
अन्य समग्र आय में स्वीकार राशियाँ	**121.50**	**(101.38)**

3. परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
दायित्व में / (बाहर) अंतरण	1,586.47	1,936.87
चालू सेवा लागत	-	102.02
ब्याज लागत	57.00	65.83
दायित्व पर बीमांकिक वृद्धि/ हानि के संघटक:	107.83	105.42
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण		
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	(27.03)	(116.71)
अनुभवी समायोजन के कारण	-	-
विगत सेवा लागत	25.62	40.95
नियंत्रण पर हानि(लाभ)	-	-
समायोजन पर समाप्त देयताएं	-	-
क्रय के रूप में समामेलन में स्वीकृत देयताएं	-	-
विदेशी योजनाओं में विनिमय अंतर	-	-
भुगतान की गयी	-	-
परिभाषित हितलाभ देयता का अंतिम	(199.17)	(547.91)
अन्य समग्र आय में स्वीकार राशियाँ	**1,550.72**	**1,586.47**

4. योजना आस्तियों का समाधान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
योजना आस्तियों का प्रारम्भिक मूल्य	1,729.47	1,490.61
योजना आस्तियों में (बाहर) अंतरण	-	102.02
निधि से कटौती किया गए व्यय	-	-
ब्याज आय में शामिल राशियों को छोडकर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	121.51	104.59
समायोजन पर वितरित परिसंपत्तियाँ	-	-
नियोक्ता द्वारा योगदान	-	580.17
क्रय के रूप में समामेलन में अर्जित आस्तियां		
क्रय	-	-
विदेशी योजनाओं में विनिमय दर अंतर	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(199.17)	(547.92)
योजना आस्तियों का अंतिम मूल्य	**1,651.81**	**1,729.47**

5. निवल परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
लेखा बहियों में निवल अथ प्रावधान	(143.00)	446.27
दायित्व (बाहर) अंतरण	-	102.02
योजना आस्तियों में (अंदर) अंतरण	-	(102.02)
अनुलग्नक 2 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ व्यय	163.42	92.28
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशियाँ	(2.57)	(101.38)
	17.85	437.17
कंपनी द्वारा प्रदत्त हितलाभ	-	-
समायोजित हितलाभ (रसायनी यूनिट)	-	-
योजना आस्तियों में योगदान	-	(580.17)
लेखा बहियों में अंतिम प्रावधान	**17.85**	**(143.00)**

आस्तियों के उच्चतम का समाधान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य	-	-
आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य पर ब्याज	-	-
अधिशेष/ घाटा के कारण आस्तियों पर हानि/ वृद्धि	-	-
योजना आस्तियों का उच्चतम अंतिम मूल्य	-	-

6. योजना आस्तियों की संरचना

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0%	0%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0%	0%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड	0%	0%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0%	0%
संपत्ति	0%	0%
विशेष जमा योजना	0%	0%
बीमा पॉलिसी	100%	100%
बैंक शेष	0%	0%
अन्य निवेश	0%	0%
कुल	**100%**	**100%**

7. अनुसूची III के अनुसार देयता का विभाजन

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू देयताएं	(101.09)	(143.01)
गैर–चालू देयताएँ	-	-
निवल देयताएं	**(101.09)**	**(143.01)**

8. प्रधान बीमांकिक अनुमान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बट्टा दर	7.15%	7.3% प्र व
वेतन वृद्धि दर	5.00%	6.00% प्र व
वापसी दर	**छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्ता में 1% 1% कम करता है।**	**छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्ता में 1% 1% कम करता है।**
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ का दर	**7.15% प्र व**	**7.30% प्र व**

9. परिभाषित हितलाभ दायित्व की परिपक्व प्रोफाइल

31.03.2024 को

विवरण	नकद प्रवाह रु. लाख में	वितरण (%)
वर्ष 1 नकद प्रवाह	315.49	13.70%
वर्ष 2 नकद प्रवाह	234.18	10.10%
वर्ष 3 नकद प्रवाह	244.68	10.60%
वर्ष 4 नकद प्रवाह	146.15	6.30%
वर्ष 5 नकद प्रवाह	242.15	10.50%
वर्ष 6 से वर्ष 10 तक	542.11	23.50%

उपर्युक्त नकद प्रवाह पर आने के लिए भविष्य प्रोद्भूत का विचार नहीं किया गया।

अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित योगदान 57.16 लाख रुपए है।

मूल्यन तिथि पर औसत बकाया दायित्व की अवधि (वर्षों) 4.91 वर्ष है।

10. मुख्य अनुमानों पर संवेदनशीलता

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बट्टा दर संवेदनशीलता		
बढ़ता 0.5 %	1,513.28	1,546.07
(% परिवर्तन)	(2.41%)	(2.55%)
0.5% द्वारा घटना	1,590.04	1,628.93
(% परिवर्तन)	2.54%	2.68%
वेतन वृद्धि दर संवेदनशीलता	1,569.65	1,606.01
बढ़ता 0.5 %	1.23%	1.23%
(% परिवर्तन)	1,530.12	1,565.91
0.5% द्वारा घटना	(1.3%)	(1.3%)
(% परिवर्तन)	1,554.25	1,590.23
निकासी (डब्ल्यू आर) दर संवेदनशीलता	0.23%	0.24%
डब्ल्यू आर x 110%	1,547.09	1,582.63
(% परिवर्तन)	0.23%	(0.24%)
डब्ल्यू आर x 90%	0%	0%
(% परिवर्तन)	**100%**	**100%**

संवेदनशीलता विश्लेषण और इसकी सीमाओं के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों का विवरण:

अन्य सभी मानकों को अपरिवर्तित रखते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण एक एकल पैरामीटर को बदलकर किया जाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण अंतर्निहित मानकों के बीच अंतर–संबंध पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है। इसलिए, यदि दो या दो से अधिक परिणाम एक साथ बदल जाते हैं तो परिणाम अलग–अलग हो सकते हैं।

इस्तेमाल की गई विधि किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन की संभावना और परिवर्तन की सीमा में यदि कोई हो तो, के बारे में कुछ भी सूचित नहीं करती है।

परिशिष्ट क: परिभाषित हितलाभ दायित्व का अलग–अलग विवरण

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
निहित	1,547.77	1,585.62
गैर –निहित	2.95	0.85
कुल	**1,550.72**	**1,586.47**

परिशिष्ट ख: परिभाषित हितलाभ दायित्व का आयुवार वितरण

डीबीओ

आयु (वर्ष में)	31.03.2024 को	31.03.2023 को
25 से कम तक	-	-
25 से 35 तक	10.43	7.99
35 से 45 तक	173.99	180.06
45 से 55 तक	709.81	801.35
55 और उसके ऊपर	656.48	597.07
निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान	-	-
कुल	**1,550.71**	**1,586.47**

परिशिष्ट ग : परिभाषित हितलाभ दायित्व की विगत सेवा वितरण

डीबीओ

आयु (वर्ष में)	31.03.2024 को	31.03.2023 को
0 से 4 तक	2.96	0.86
4 से 10 तक	2.72	20.59
10 से 15 तक	162.44	193.27
15 और उसके ऊपर	1,382.60	1,371.75
निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान	-	-
कुल	**1,550.72**	**1,586.47**

योजना के लिए प्रमुख जोखिम

क. बीमांकिक जोखिम:

यह जोखिम है कि लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण यह उत्पन्न हो सकता है:

प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव:

वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, का परिणाम यह होगा कि प्रत्याशित से अधिक दर में दायित्व में वृद्धि होगी।

मृत्यु दरों में परिवर्तनशीलता:

यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर की धारणा से अधिक है तब प्रत्याशा से पहले उपदान लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि मौत के लाभ पर निहित कोई शर्त नहीं है, इसलिए नकद प्रवाह की संवृद्धि अनुमानित वेतन वृद्धि के सापेक्ष मूल्यों और बट्टे दरों के आधार पर एक बीमांकिक हानि या लाभ में अग्रसर होगा ।

निकासी दरों में परिवर्तनशीलता:

यदि वास्तविक निकासी दर प्रत्यावर्तन दर धारणा से अधिक है, तो उपदान लाभ पूर्व की अपेक्षा भुगतान किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख में क्या लाभ निहित हैं।

ख. निवेश जोखिम

निधि योजनाओं जो संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर भरोसा करते हैं, के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रमाणित संपत्तियों का मूल्यदेयता का समर्थन करने वाले लिखत का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, संपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्त पोषित में यदि अंतर–मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की स्थिति पर व्यापक उतार–चढ़ाव हो सकता है।

ग. चलनिधि जोखिम

कर्मचारी जो उच्च वेतन और लंबी सेवा काल या पदानुक्रम में उच्च है, हितलाभों के महत्वपूर्ण स्तर संचित करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारियों ने कंपनियों से इस्तीफा दे दिया / सेवानिवृत्त हुए तो नकद प्रवाह पर तनाव हो सकता है।

घ. बाज़ार जोखिम:

बाजार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय **बाज़ार** में परिवर्तन और उतार–चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक अनुमान को बट्टे दर पर भौतिक प्रभाव है। बट्टे दर पैसे के मूल्य का समय दर्शाती है। बट्टे दर में वृद्धि योजना के लाभ के परिभाषित हितलाभ दायित्वों में कमी की ओर और उसके विलोम ले जाती है। यह अनुमान कॉर्पोरेट / सरकारी बॉन्ड पर प्रतिलाभ पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन मूल्यन तिथि को प्रतिलभों की उपज पर उजागर होता है।

ङ. **विधायी जोखिम:**

विधायी जोखिम यह है कि वैधानिक/ विनियामक में परिवर्तन के कारण योजना देयताओं में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान अधिनियम के भुगतान में संशोधन कर सकती है जिसके फलस्वरूप कंपनियों को कर्मचारियों के लिए उच्च हितलाभ के भुगतान करने की अवश्यकता है। यह सीधे परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा और उक्त को जब किसी ऐसे संशोधन लागू होने पर वर्ष में तत्काल स्वीकार किया जाना होगा।

मूल्यांकन में उपयोग किए गए अनुमानों का सारांश निम्नानुसार है:

वित्तीय अनुमान (तालिका 9)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बट्टा दर	7.30% प्र व	6.40% प्र व
वेतन वृद्धि दर	6.00% प्र व	7.00% प्र व
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

डेमोग्राफिक अनुमान

निकासी दर प्र.व (तालिका 10)

आयु बैंड	31.03.2024 को	31.03.2023 को
25 और कम	3.00%	3.00%
25 से 35	2.50%	2.50%
35 से 45	2.00%	2.00%
45 से 55	1.50%	1.50%
55 और ऊपर	1.00%	1.00%

मृत्यु दर

भारतीय सुनिश्चित जीवनकाल मृत्यु प्रति वर्ष का नमूना (2012–14) तालिका 11

आयु (वर्ष में)	31.03.2024 को	31.03.2023 को
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

मूल्यांकन तरीका

बीमांकिक ने परिभाषित हितलाभ दायित्व के मूल्यांकन के लिए निश्चित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

31. निवेश

क) कंपनी ने सहायक कंपनी मेसर्स हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के इक्विटी शेयर में 1,106.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,106.00 लाख रुपये) का निवेश किया है, जो 1994 से बीआईएफआर के तहत है। 31 मार्च, 2024 की नवीनतम लेखापरीक्षा तुलन पत्र के आधार पर कंपनी का शुद्ध मूल्य सकारात्मक है। 31.03.2024 को शेयरों का बाजार मूल्य (अंकित मूल्य रु. 10) रु. 16.23 (पिछले वर्ष रु. 8.91) था। इन निवेशों के मूल्य में 689.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 120.55 लाख रुपये) की कमी का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने 29.01.2020 को सीसीईए के निर्णय के अनुसार मेसर्स एचएफएल को बंद करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा वीआरएस खर्चों को पूरा करने और बैंक और आपूर्तिकर्ताओं को बकाया चुकाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 7,587 लाख रुपये (26.05.2020 को 7,370 लाख रुपये और 15.03.2022 को 217 लाख रुपये) जारी किए गए हैं।

ख) वर्ष 2007–08 के दौरान, सहायक कंपनी – हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के पुनरुद्धार के लिए संशोधित ड्राफ्ट पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) को कार्यान्वयन के लिए बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किया गया था। एमडीआरएस के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, एचओसीएल ने एचएफएल को दिए गए ऋण पर जमा हुए 2,260.26 लाख रुपये के ब्याज को माफ कर दिया था और 2,744.07 लाख रुपये की असुरक्षित ऋण राशि को शून्य कूपन ऋण (जेडसीएल) के रूप में एचएफएल द्वारा सुरक्षित ऋण में बदल दिया था। एचओसीएल के पक्ष में अचल संपत्ति (84.31 एकड़ भूमि जिसका मूल्य सरकारी दर के अनुसार 10,196.76 लाख रुपये है) पर।यह ऋण 2010–11 से शुरू होकर 7 समान वार्षिक किस्तों में देय था, जो कुल मिलाकर 2,744.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,744.07 लाख रुपये) था, जो पूर्ण रूप से देय और देय हो गया है। इसके अलावा, कंपनी ने एचएफएल को कुल मिलाकर रु. का ऋण दिया था। 10.25% से 14.50% की ब्याज दर पर 453.01 लाख (पिछले वर्ष 453.01 लाख रुपये) जो पूर्ण रूप से देय हो गया है। यह ऋण एचएफएल अचल संपत्ति पर प्रथम शुल्क द्वारा भी सुरक्षित है। व्यावसायिक योग्यता रखने वाले एक बाहरी पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 84.31 एकड़ भूमि की सुरक्षित संपत्ति का मूल्य आज की तारीख में 10,196.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 10,196.76 लाख रुपये) है।

32. प्रति शेयर अर्जन **रुपये लाख में**

गणना की गयी प्रति शेयर अर्जन निम्नानुसार है:	31.03.2024 को	31.03.2023 को
कर पश्चात् निवल लाभ/ (हानि) (रुपए लाख में)	(5531.70)	(5022.41)
इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या (रुपए लाख में)	67,173,100.00	67,173,100.00
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपए)	10.00	10.00
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन मूल/ मिश्रित (रु.)	(8.23)	(7.48)

33. सेगमेंट रिपोर्टिंग

चूंकि कंपनी केवल रसायन का निर्माण कर रही है, इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग प्राथमिक और माध्यमिक खंड नहीं हैं और कंपनी द्वारा उत्पादित सभी रसायनों को एकल रिपोर्ट योग्य सेगमेंट का प्रतिनिधित्व के रूप में विचार किया जाता है। खंडीय परिणामों के प्रकटीकरण के संबंध में भारतीय लेखा मानक 108 की आवश्यकताओं को कंपनी के लिए लागू नहीं माना जाता है।

34. आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

रुपये लाख में

i) आकस्मिक देयताएं	31.03.2024 को	31.03.2023 को
क) कंपनी के विरुद्ध दावा जिसे ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
i) आयकर दावा	91.99	91.99
ii) उत्पाद शुल्क/ सेवाकर	104.63	104.63
iii) स्कूल शिक्षकों के लिए उपदान	75.31	75.31
iv) अन्य दावे (विधि – मामले)	272.90	321.23
v) हरिचंद हाउस का किराया दावे	6,738.19	6,219.08
vi) जेएनपीटी पट्टा किराया	3,318.86	3,318.86

रुपये लाख में

i) आकस्मिक देयताएं	31.03.2024 को	31.03.2023 को
vii) सरकार ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज	9,398.38	8,258.81
viii) सरकार ऋण पर ब्याज के ऊपर ब्याज	68,294.06	52,435.82
ix) नीलिमा केमिकल कोर्पोरेशन	16.00	16.00
x) जीएसटी	41.97	-
	88,352.29	70,841.73
ख) बैंक द्वारा दी गई बैंक गैरंटी	2,137.73	2,645.80
ii) प्रतिबद्धताएँ:		
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों कीअनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई:	27.85	11.77

क) कंपनी के विरुद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

i) आयकर दावे: 92.00 लाख रुपए

आकलन वर्ष के विभिन्न अपीलें अधिकारियों के सक्षम लंबित हें यानि आईटीएटी, उच्च न्यायालय और अन्य फॉरम। कंपनी सुनवाई का इंतजार कर रही है, विवरण इस प्रकार है

आ व 2002–03 रु. 70.49 लाख और आ व 2011–12 रु.21.50 लाख

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर होसकता है जो अनिश्चित है।

ii) उत्पाद शुल्क/सेवा कर

कंपनी का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ 2006–07 की अवधि से संबन्धित विवाद चल रहा है, जिसकी राशि रु. 104.63 लाख कंपनी ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में अपील दायर की है।

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर हो सकता है जो अनिश्चित है।

iii) स्कूल अध्यापकों के लिए उपदान

एचओसी रसायनी स्कूल के अध्यापक गण द्वारा मार्च 1997 तक की अवधि के लिए दायर मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट (रु.75.31 लाख) के समक्ष लंबित है (31.03.2024 को).

iv) अन्य दावे (कानूनी मामले): 272.90 लाख रुपए (31.03.2024 को).

क) वर्ष 1994 में फिनोल टैंकर दुर्घटना के संबंध में एमएसी ट्रिब्यूनल, त्रिचूर द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ कंपनी द्वारा मुकदमा दायर किया गया (रु.118 लाख)

ख) ईएसआई कॉर्पोरेशन ने 01.04.1992 से 31.10.1992 तक की अवधि के दौरान योगदान की मांग की है, जो कि रु .2.17 लाख है। मामला ईएसआई कोर्ट, एर्नाकुलम के पास लंबित है, ईएसआई कोर्ट द्वारा वांछितानुसार हमने ईएसआई अधिनियम से छूट के लिए भारत सरकार को आवेदन दिया था। इसलिए कोई दायित्व नहीं बनता है और उस सीमा तक एक आकस्मिक देयता प्रदान की जाती है।

ग) कंपनी ने पीयू सिस्टम हाउस प्रोजेक्ट के प्लांट बिल्डिंग, टेक्निकल सर्विस बिल्डिंग, आर एंड डी बिल्डिंग आदि के निर्माण के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए खुली निविदा आमंत्रित की थी। कंपनी ने मेसर्स शेतुशा इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एसईसीपीएल) को वर्क ऑर्डर जारी किया था। पूरा होने में देरी और अन्य कमियों के कारण कंपनी ने लिक्विडेटेड हर्जाना काट लिया था। एसईसीपीएल ने उक्त कटौतियों पर आपत्ति जताई और माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया। बाद में मेसर्स एसईसीपीएल ने न्यायालय से उक्त मध्यस्थता आवेदन बिना शर्त वापस ले लिया था। इसके अलावा, मेसर्स एसईसीपीएल ने ब्याज सहित 113.35 लाख रुपये के भुगतान के लिए कंपनी के खिलाफ डिक्री पारित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष मुकदमा दायर किया था। मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। (31.03.2024 को).

घ) कंपनी ने मेसर्स वखारिया कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुंबई (वीसीसी) द्वारा दी गई प्रदर्शन गारंटी का उपयोग किया, जिसे सिविल अनुबंध आवंटित किए गए थे क्योंकि अनुबंध कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार पूरा नहीं हुआ था। मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया और बाद में उच्च न्यायालय में चला गया। अदालत ने कंपनी को 12 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया और मेसर्स वीसीसी को बैंक गारंटी जमा करने पर राशि निकालने की अनुमति दी गई। हाई कोर्ट के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई। अब मैसर्स वीसीसी ने बैंक को भुगतान किए गए बैंक गारंटी कमीशन और 18% की दर से ब्याज की मांग उठाई क्योंकि कंपनी द्वारा सिविल आवेदन दाखिल करने के कारण वीसीसी के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित धन डिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इस पर अनुमानित देनदारी 39.38 लाख रुपये है और मामला अदालत में लंबित है और तदनुसार आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाया गया है। (31.03.2024 को).

v) हरचंदराय हाउस से भाड़ा दावे ₹6,738.19 लाख (31.03.2024 को)

चूंकि कंपनी ने अपने नोटिस के अनुसार मेसर्स हरचंद्राई एंड संस से लीज पर लिया गया कार्यालय परिसर खाली नहीं किया है, इसलिए उन्होंने कानूनी कार्यवाही शुरू की और लीज किराया स्वीकार करना बंद कर दिया। कंपनी ने वर्ष 2014 के दौरान कार्यालय परिसर खाली कर दिया। मकान मालिकों ने 01/06/2000 से उक्त परिसर के कब्जे तक की अवधि के लिए मेस्ने लाभ के लिए स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई के समक्ष मेस्ने लाभ आवेदन दायर किया। मेसर्स हरचंद्राय एंड संस द्वारा दायर मध्यावधि लाभ आवेदन को स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई ने 02.05.2022 को अनुमति दी है, जिसमें कंपनी को 01/06/2000 से 31/12/2006 तक की अवधि के लिए 138/– रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से मध्यावधि लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, और उसके बाद की अवधि के लिए 274/– रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 9% प्रति वर्ष ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई के आदेश के अनुसार 01/06/2000 से 31/03/2014 तक की अवधि के लिए मध्यवर्ती लाभ और 31–03–2024 तक उस पर ब्याज की कुल राशि 7,251.97 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6,982.86 लाख रुपये) होती है। एचओसीएल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और औसत दर 48.91 रुपये प्रति स्क्वायर फीट गई है। जिस पर स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई द्वारा विचार नहीं किया गया। कानूनी राय के अनुसार, कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी और कंपनी की राय है कि एचओसीएल मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार गणना की गई राशि के अलावा मांग के क्रिस्टलीकरण में अनिश्चितताएं हैं, जिसमें औसत लाभ का आकलन 48.91 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। एचओसीएल मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर गणना की गई औसत लाभ की राशि रु.48.91 प्रति स्क्वायर फीट की दर से रु.

763.78 लाख है जो वर्ष 2021–22 के लिए लेखा पुस्तकों में पहले ही प्रदान की जा चुकी है। 6,738.19 लाख रुपये (7,251.97 – 513.78) की अंतर राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है, एचओसी लिमिटेड ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 05.02.2024 को स्मॉल कौसेस कोर्ट , मुंबई में 250.00 लाख रुपये की राशि जमा कर दी है। इस मामले में दायर रिट याचिका का निपटारा मार्च 2024 में कर दिया गया और मध्य लाभ मूल्यांकन से संबंधित विवाद स्मॉल कौसेस कोर्ट , मुंबई में लंबित है।

vi) जेएनपीटी पट्टे की भाड़ाः 3,318.86 लाख रुपए (31.03.2024 को)

कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के साथ लिक्विड टैंक फार्म स्थापित करने के लिए आवंटित जमीन को कंपनी की संपत्तियों के साथ `जहाँ है जैसा है` के आधार पर लीज पर सौंपने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जेएनपीटी ने लीज रेंटल और अन्य शुल्कों के लिए 4,124 लाख रुपये की मांग की। कंपनी ने मध्यस्थ कार्यवाही शुरू की है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। एमओयू के अनुसार कंपनी की संपत्ति का मूल्य 1,638.50 लाख रुपये है और मेसर्स जेएनपीटी द्वारा इस पर सहमति और भुगतान किया गया है। कंपनी द्वारा जेएनपीटी को देय लीज किराए की निर्विवाद राशि की गणना मध्यस्थता पुरस्कार के आधार पर पार्टियों के बीच आपसी समझ से 805.13 लाख रुपये की गई थी और कंपनी द्वारा इसका भुगतान किया गया था। विवादित राशि में लीज रेंटल 297 4.51 लाख रुपये, जल शुल्क 0.65 लाख रुपये, वे लीव चार्ज 297.09 लाख रुपये और वे लीव चार्ज का सेवा कर 46.61 लाख रुपये शामिल हैं। कंपनी ने जेएनपीटी की मांग की शेष राशि को आकस्मिक दायित्व के रूप में भुगतान किए गए अविवादित पट्टा किराये को समायोजित करने के बाद दिखाया है क्योंकि मध्यस्थ पुरस्कारों के खिलाफ दायर अपील उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है और कंपनी की राय है कि किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें अनिश्चितताएं हैं, मुकदमेबाजी के इस चरण में मांग का क्रिस्टलीकरण है।

vii& viii) सरकारी ऋण पर उच्च दर पर ब्याज: 9,398.31 लाख रुपये और सरकारी ऋण पर चूक ब्याज पर ब्याज 68,294.06 लाख रुपये

कंपनी को दिये गए ऋण के संबंध में ब्याज की दर बढ़ाने का अधिकार भारत सरकार के पास है, यदि नियत तारीख पर मूलधन की चुकौती के मामले में और देय ब्याज के भुगतान में से किसी प्रकार के चूक होने पर ब्याज दर वसूल की जाती है। चूंकि मूल ऋण के भुगतान के साथ साथ ब्याज के भुगतान में भी चूक हुई है, कंपनी ने अनुमान किया है कि मूलधन पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज उच्च दर की मांग की जा सकती है। अतिरिक्त ब्याज देयता की गणना की और आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। भारत सरकार द्वारा दी गयी शेष राशि की पुष्टि के अनुसार,उच्च दर पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज शामिल नहीं किया गया है।

ix) नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन (31.03.2024 को)

यह सिविल मुकदमा मेसर्स नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 1996 में सहायक जिला न्यायाधीश, 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल, भारत प्रथम न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्यः– एचओसीएल एनसीसी द्वारा प्रदान/प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी ("बीजी") के विरुद्ध मेसर्स नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन ("एनसीसी") को सामग्री की आपूर्ति कर रहा था। व्यवसाय के दौरान, एनसीसी सामग्री की आपूर्ति के लिए अतिदेय राशि का भुगतान करने में विफल रही थी और इसलिए 15 मई 1996 को एचओसीएल ने एचओसीएल के अतिदेय को पूरा करने के लिए बीजी लागू करने के लिए संबंधित बैंक विजया बैंक को एक पत्र एनसीसी द्वारा लिखा था। इसके बाद, विजय बैंक ने एचओसीएल के पक्ष में बीजी से/की ओर से धनराशि जारी की। इस प्रकार, इस कदम/निर्णय से व्यथित होकर एनसीसी ने सहायकजिला न्यायाधीश, 24 परगना (दक्षिण) के प्रथम न्यायालय के समक्ष 3,90,681.90 रुपये की राशि का डिक्री पारित करने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे पर एकपक्षीय फैसला सुनाया गया था और एनसीसी के वकील ने 24 नवंबर 2011 को अपने पत्र के जरिए कंपनी को सूचित किया था कि वे उक्त फैसले को क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके बाद, एचओसीएल ने मिस्ल दायर की थी। उक्त डिक्री और/या मुकदमे को रद्द करने के लिए 2011 के केस नंबर 156 की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जाएगी। एचओसीएल ने 25 अगस्त 2011 को उक्त मामले में कैविएट भी दायर की थी। कंपनी ने 2014 के शीर्षक निष्पादन मामले संख्या 11 का विरोध करने के लिए हलफनामा भी दायर किया था। अब उक्त मामला सुनवाई हेतु न्यायालय में विचाराधीन है। यह निष्पादन आवेदन 1996 के 45 (एकपक्षीय) में पारित डिक्री के निष्पादन के लिए एचओसीएल के खिलाफ एनसीसी द्वारा दायर किया गया है। यह मामला 10 नवंबर 2021 को सुनवाई के लिए आया था, इस तारीख को एचओसीएल की वकील श्रीमती सरोज तुलस्यान ने स्थगन की मांग करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने स्थगन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मामले की आंशिक सुनवाई 10 नवंबर 2021 को हुई।

x) जीएसटी मांग 41.97 लाख रुपये

10 सितंबर, 2023 को केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आई एस प्रेस रोड, कोच्चि के संयुक्त आयुक्त से जीएसटी प्राधिकरणों से दिनांक 04–09–2023 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ। कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि एचओसीएल ने जुलाई, 2017 से जुलाई, 2018 की अवधि के लिए गलत तरीके से 61,977,794/– रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया और उसका उपयोग किया है, और उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने का अनुरोध किया है। जुलाई, 2017 से जुलाई 2018 की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन और जीएसटीआर–3बी दाखिल करने के समय, ग्राहकों को जारी किए गए क्रेडिट नोटों की जीएसटी राशि को बिक्री राशि से घटाने के बजाय इनपुट टैक्स क्रेडिट में जोड़ा गया था। वास्तव में देय शुद्ध जीएसटी राशि में कोई बदलाव नहीं होगा। संयुक्त आयुक्त (जीएसटी) के अनुरोध के अनुसार, हमने अपने जीएसटी सलाहकार मेसर्स कृष्णा अय्यर एंड कंपनी के माध्यम से संयुक्त आयुक्त (जीएसटी) को अपना मामला प्रस्तुत किया है और ग्राहकों से एकत्रित 600.01 लाख रुपये के सीए प्रमाण पत्र 12–12–2023 से पहले जमा किए हैं। जेसी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया जिसमें 619.77 लाख रुपये की मांग को घटाकर 19.76 लाख रुपये कर दिया गया और 41.97 लाख रुपये के लिए डीआरसी 07 जारी किया गया– (जीएसटी 19.76 लाख रुपये ₹ ब्याज 20.23 लाख रुपये + जुर्माना 1.97 लाख रुपये)। इसके अलावा हमने 11.58 लाख रुपये के सीए प्रमाण पत्र एकत्र किए हैं – जो हमारे पास रखे गए हैं और शेष राशि के प्रमाण पत्र एकत्र करने के बाद जीएसटी अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे। हमने संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के आदेश संख्या .16/2023–24 जीएसटी (जेसी) दिनांक–12–12–2023 के खिलाफ 27–02–2024 को अपील दायर की है।

xi) नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित श्रम मामलों के लिए कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी मामलों से संबंधित दावों की राशि को देनदारियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

ख) बैंक गारंटी जारी किया गया 2,137.73 लाख रुपए

कंपनी ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड को 192.37 लाख रुपये, बीपीसीएल को 4,600 लाख रुपये, एमआरपीएल को 1,000 लाख रुपये तथा अन्य को 300.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है। कंपनी को उपरोक्त के संबंध में किसी भी बहिर्वाह की उम्मीद नहीं है। एमआरपीएल को जारी की गई बैंक गारंटी के विरुद्ध आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धताएं केवल 1,000.00 लाख रुपये दर्शाई गई हैं।

II) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया: रु. 27.85 लाख

रुपये लाख में

निम्नलिखित अनुबंधों के लिए कार्य आदेश जारी किया गया।	2023-24	2022-23
क) टाउनशिप में सड़कों का पुनर्निर्माण	27.85	0
कुल	**27.85**	**0**

35. इंड एएस 8 के अनुसार त्रुटि या चूक संबंधी प्रकटन

"इंड एएस 8, `लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ' और इंड एएस 1, `वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति` के अनुसार, कंपनी ने नीचे बताए गए कारणों से 1 अप्रैल 2022 (पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत) को अपनी तुलन पत्र को पूर्वव्यापी रूप से पुनः प्रस्तुत किया है।"

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
प्रतिधारित आय			**(99,437.26)**
अन्य चालू परिसंपत्तियों में पुनर्कथन	-	-	(58.44)
कुल	-	-	**(58.44)**
प्रतिधारित आय का पुनर्कथन	**-**	**-**	**(99,495.70)**

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ – वैधानिक प्राप्य (शुल्क, कर और पूर्व भुगतान किए गए कर सहित) में 58.44 लाख रुपये की राशि शामिल है जिसे पूर्व मूल्यांकन वर्षों के लिए रिफंड प्राप्य माना जाता है। हालांकि, उन वर्षों के मूल्यांकन पूरे हो चुके हैं, और रिफंड जारी किए गए हैं या अन्य वर्षों के लिए आयकर मांगों के खिलाफ समायोजित किए गए हैं, जिसमें कोई अपील लंबित नहीं है। चूंकि त्रुटि या चूक वित्तीय वर्ष 2021–22 से पहले हुई थी, इसलिए उक्त राशि को इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया गया है। यह समायोजन प्रस्तुत की गई सबसे पुरानी पूर्व अवधि, यानी 01.04.2022 के लिए प्रतिधारित आय के शुरुआती शेष का पूर्वव्यापी पुनर्कथन करता है, जैसे कि पूर्व अवधि की कोई त्रुटि कभी हुई ही नहीं थी।

36. इंड –एएस 24 के अनुसार संबंध पार्टी प्रकटीकरण

चूंकि भारत सरकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में) के 58.78% का मालिक है। इसलिए सरकार और अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेन–देन से संबन्धित खुलासे के अनुसार पैरा 26 के साथ इंड 24 सूचित किया गया है।

संबन्धित पक्षों की सूची जहां नियंत्रण मौजूद है और संबन्धित पक्ष जिनके साथ लेन–देन हुआ है और संबंध है।

रुपये लाख मे

क्रम सं.	संबंधित पार्टी के संबंध का नाम	संबंध	लेन–देन का विवरण	वर्ष 2023–24 के दौरान लेन–देन की राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2024)	वर्ष 2022–23 दौरान लेन–देन की राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2023)	वर्ष 2021–22 दौरान लेन–देन की राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2022)
1	हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल)	सहायक कंपनी के साथ 56.43% शेयर होल्डिंग	एचएफएल को दिए गए ऋण पर ब्याज	-	4,272.13	63.62	4,272.13	63.62	4,214.87
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	कच्चे माल की खरीद (एलपीजी, बेंजीन, एफओ, एच2 और एलएनजी)	53,834.61	6,201.50	37,659.45	3,462.27	22,883.56	3,051.35
3	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	तैयार माल की बिक्री (H2O2)	42.84	22.00	43.00	29.08	15.07	22.84
4	इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	कच्चे मात/ईंधन की खरीद	7,317.37	25.01	6,130.67	-59.52	478.67	-
5	मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	ओएनजीसी की सहायक कंपनी	कच्चे माल की खरीद (बेंजीन)	386.14	-	5,496.25	-	-	-
कंपनी द्वारा गठित ट्रस्ट									
6	एचओसीएल ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट	–उपरोक्त–	निवेश और निवेश पर ब्याज	121.49	1,651.82	682.19	1,729.48	610.89	1,490.61

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

विवरण	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	पदावधि के बाद कर्मचारी लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	समाप्ति लाभ	शेयर आधारित भुगतान	कुल
2023–24						
क. पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:						
श्री योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला	31.08	4.18	-	-	-	35.26
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक						
i) सरकारी नामिती निदेशक						
श्री संजय रस्तोगी (एर्स' एफए) (22.11.2023 तक)	-	-	-	-	-	-
श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव	-	-	-	-	-	-
श्री मनोज सेठी (22.11.2023 से)	-	-	-	-	-	-
ii) स्वतंत्र निदेशक						
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक						
श्री सुब्रमण्यम एच	13.79	1.91	-	-	-	15.70
कुल	**86.38**	**11.06**	**-**	**-**	**-**	**97.44**
2022–23						
क. पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:						
श्री सजीव बी, सीएमडी	36.80	4.56	-	-	-	41.36
श्री योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला (04.07.22 से)	21.68	2.90	-	-	-	24.58
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक						
i) सरकारी नामिती निदेशक						
श्री संजय रस्तोगी (एस & एफए)	-	-	-	-	-	-
श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव	-	-	-	-	-	-
ii) स्वतंत्र निदेशक						
डॉ भरत जे कनाबार	1.10	-	-	-	-	1.10
श्री प्रत्यूष मंडल	1.10	-	-	-	-	1.10
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक						
श्री सुब्रमण्यम एच	13.10	1.76	-	-	-	14.86
श्री पी ओ लुईस, सीएफओ (04.08.2022 तक)	9.29	1.22	-	-	-	10.51
कुल	**83.07**	**10.44**	**-**	**-**	**-**	**93.51**

टिप्पणी:

अपने व्यापार के साधारण चलन में, कंपनी अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है) के साथ लेन–देन करता है। कंपनी को अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ जिनमें निम्नलिखितों सहित लेकिन इनमें सीमित नहीं है के साथ लेन–देन है।

माल एवं अनुषंगी सामग्रियों की बिक्री और क्रय; सेवाएँ प्रदान और प्राप्त करना और लाभांशों की प्राप्ति; ऋण और अग्रिमों ;धन का निवेश और उधार ; सार्वजनिक उपयोगिताओं की गारंटी और उपयोग.

ये लेन–देन व्यापार के सामान्य गतिविधियों के दौरान अन्य संस्थाओं के उन शर्तों की तुलना के साथ किए जाते हैं,जो सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं नहीं हैं।

37. वित्तीय साधन :

वित्तीय नीति:

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है। वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागतों को भी मान्यता दी जाती है।

परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण

एक `ऋण साधन' को उसकी परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना है, और

"ख) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान हैं।"

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई)

एक `ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और"

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को प्रारंभ में तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। हालांकि, कंपनी ब्याज आय, हानि हानि और प्रतिवर्तन तथा विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण उपकरण धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल ऋण उपकरणों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी किसी ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता हो। हालाँकि, ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगति (जिसे `लेखा बेमेल` कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने कुछ ऋण साधनों को एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। ट्रेडिंग के लिए रखे गए इक्विटी उपकरणों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस प्रकार का चुनाव साधन–दर–यंत्र के आधार पर करती है। यह वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता के आधार पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय होता है। यदि कंपनी किसी इक्विटी उपकरण को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो उपकरण पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, ओसीआई में मान्यता प्राप्त होते हैं। यहां तक कि निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से प्राप्त राशि को लाभ–हानि विवरण में पुनः नहीं दर्शाया जाता है। हालाँकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा लाभ और हानि विवरण में सभी परिवर्तनों को मान्यता दी जाती है।

अमान्यता

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों वाली कंपनी का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से तब अमान्य घोषित किया जाता है (यानी कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जब:

परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर

दिया है या किसी तीसरे पक्ष को `पास–थ्रू' व्यवस्था के तहत बिना किसी भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और

(क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या

"(ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, बल्कि उसने परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।"

जब कंपनी किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित करती है या पास–थ्रू व्यवस्था में प्रवेश करती है, तो वह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और लाभ को बरकरार रखा है।जब कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही उन्हें अपने पास रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी अपनी निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल अग्रणीत राशि तथा प्रतिफल की अधिकतम राशि, जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है, में से निम्नतम राशि पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, तथा उन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूति जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं

ग) भारतीय लेखा मानक 17 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ) व्यापार प्राप्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है जो भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे में आता है (इन वित्तीय विवरणों में इसे `संविदात्मक राजस्व प्राप्य` कहा जाता है)

ङ) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है

कंपनी निम्नलिखित पर हानि हानि भत्ते की मान्यता के लिए `सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

व्यापार प्राप्य और अन्य प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को मान्यता देता है।अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिम पर हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि की भरपाई के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है।

हालाँकि, यदि ऋण जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है।यदि, बाद की अवधि में, साधन की ऋण गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12–माह की ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते की मान्यता पर वापस आ जाती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवनकाल में सभी संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं से उत्पन्न अपेक्षित ऋण हानियाँ हैं। 12–माह ईसीएल, आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है, जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

ईसीएल, अनुबंध के अनुसार कंपनी को मिलने वाले सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और इकाई द्वारा प्राप्त होने की उम्मीद वाले सभी नकदी प्रवाहों (अर्थात् सभी नकदी कमी) के बीच का अंतर है, जिसे मूल ईआईआर पर छूट दी जाती है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, इकाई को निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है:

वित्तीय साधन की अपेक्षित अवधि के दौरान वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तें (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्पों सहित)। हालाँकि, दुर्लभ मामलों में जब वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो इकाई को वित्तीय साधन की शेष संविदात्मक अवधि का उपयोग करना आवश्यक है।

संपार्श्विक की बिक्री या अन्य ऋण संवर्द्धन से प्राप्त नकदी प्रवाह, जो संविदात्मक शर्तों का अभिन्न अंग है। परिशोधित लागत, संविदागत राजस्व प्राप्तियों और पट्टा प्राप्तियों के रूप में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां: ईसीएल को एक भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात, बैलेंस शीट में उन परिसंपत्तियों के माप के एक अभिन्न अंग के रूप में। भत्ता शुद्ध वहन राशि को कम करता है। जब तक परिसंपत्ति राइट–ऑफ मानदंड को पूरा नहीं करती, तब तक कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को, प्रारंभिक मान्यता के समय, लाभ या हानि, ऋण और उधार, या देय राशियों के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा ऋणों, उधारों और देयताओं के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार, वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

बाद का माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

`लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। ट्रेडिंग के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ऋण और उधार

यह कंपनी के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक श्रेणी है। आरंभिक मान्यता के बाद, ब्याज–असर वाले ऋण और उधार को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है ईआईआर का एक अभिन्न अंग। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

`वित्तीय गारंटी अनुबंध

कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं, जिनमें धारक को उस नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जो निर्दिष्ट देनदार द्वारा ऋण साधन की शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान करने में विफल रहने के कारण होता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जो गारंटी जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के लिए समायोजित की जाती है। इसके बाद, देयता को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि और संचयी परिशोधन को घटाकर मान्यता प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, उस पर मापा जाता है।

अ–मान्यता

जब देयता के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय देयता को अ–मान्यता दी जाती है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अ–मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और शुद्ध राशि को स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और देनदारियों को एक साथ निपटाने का इरादा है।

क उचित मूल्य माप

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम करना और अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करना। सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है, जो कि समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है।

स्तर 1 – उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें कीमत दिए गए सूचीबद्ध इक्विटी सामाग्री, ट्रेडड बॉन्ड और म्यूचल निधि शामिल है। सभी इक्विटी लिखत (बॉन्ड सहित) जो स्टॉक एक्स्चेंज में कारोबार किया जाता है, का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि में समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यन किया जाता है। म्यूचल निधि का मूल्यन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2 – वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बा?ार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, व्यापार बॉन्ड, काउंटर डिरिवेटिव के ऊपर) का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो कि अवलोकन योग्य बा?ार डेटा का उपयोग अधिकतम करते हैं और यथासंभव संस्था –विशिष्ट अनुमानों पर कम आश्रित करते हैं। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य है, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 – यदि महत्वपूर्ण इनपुट्स में से एक या अधिक अवलोकन बा?ार के अंक ?ों पर आधारित नहीं है, तो इन्स्ट्रुमेंट स्तर 3 में शामिल है। यह असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक विचार और क्षतिपूर्ति संपत्ति के मामले में है।

वित्तीय मूल्य और देयताएँ उचित मूल्य आवर्ती उचित मूल्य माप पर मापा जाता है:

रुपये लाख मे

विवरण	31 मार्च, 2024 को				31 मार्च, 2023 को			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:								
ऋण	-	-	3,211.92	3,211.92	-	-	3,219.43	3,219.43
व्यापार प्राप्य	-	-	1,866.15	1,866.15	-	-	1,807.71	1,807.71
निवेश	1,795.04	-	5.00	1,800.04	985.45	-	5.00	990.45
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	73.01	73.01	-	-	464.45	464.45
नकद को छोडकर बैंक शेष			22,569.07	22,569.07			16,266.03	16,266.03
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	1,949.94	1,949.94	-	-	1,726.22	1,726.22
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**1,795.04**	**-**	**29,675.09**	**31,470.13**	**985.45**	**-**	**23,488.84**	**24,474.29**
वित्तीय देयताएं								-
उधार	-	-	74,131.90	74,131.90	-	-	72,256.46	72,256.46
पट्टा देयताएं			111.51	111.51			-	-
व्यापार प्राप्य	-	-	6,852.80	6,852.80	-	-	4,066.87	4,066.87
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-	-	51,990.08	51,990.08	-	-	46,298.06	46,298.06
कुल वित्तीय देयताएँ	**-**	**-**	**133,086.29**	**133,086.29**	**-**	**-**	**122,621.39**	**122,621.39**

वित्तीय लिखतों की श्रेणी

क उचित मूल्य अनुक्रम :

विवरण	31 मार्च, 2024 को				31 मार्च, 2023 को			
	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधन लागत	कुल	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधन लागत	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:								
ऋण	-	-	3,211.92	3,211.92	-	-	3,219.43	3,219.43
व्यापार प्राप्य	-	-	1,866.15	1,866.15	-	-	1,807.71	1,807.71
निवेश	-	1,800.04	-	1,800.04	-	990.45	-	990.45
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	73.01	73.01	-	-	464.45	464.45
नकद को छोडकर बैंक शेष	-	-	22,569.07	22,569.07	-	-	16,266.03	16,266.03
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	1,949.94	1,949.94	-	-	1,726.22	1,726.22
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	**1,800.04**	**29,670.09**	**31,470.13**	-	**990.45**	**23,483.84**	**24,44.29**
वित्तीय देयताएं				-				-
उधार	-	-	74,131.90	74,131.90	-	-	72,256.46	27,000.00
पट्टा देयताएं	-	-	111.51	111.51	-	-	-	45,256.46
व्यापार देयताएँ	-	-	6,852.80	6,852.80	-	-	4,066.87	4,066.87
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-	-	51,990.08	51,990.08	-	-	46,298.06	46,298.06
कुल वित्तीय देयताएँ			**133,086.29**	**133,086.29**			**122,621.39**	**122,621.39**

38. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य या वित्तीय लिखत के भविष्य नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। वित्तीय लिखतों के मूल्यों में इस तरह के परिवर्तन विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, ऋण, तरलता और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। बाजार जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम के कारण है।

क) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय और इक्विटी पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, जहाँ किसी भी लेनदेन का संदर्भ एक से अधिक मुद्रा से होता है या जहाँ कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में संपत्ति / देनदारियों का मूल्यवर्ग किया जाता है लेकिन कंपनी का शेष विदेशी मुद्रा में है इसीलिए कंपनी विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से प्रभावित नहीं है।

ख) ब्याज दर जोखिम

कंपनी के निवेश मुख्य रूप से उद्धृत इक्विटी शेयर और अन्य इकाई के अनउद्धृत इक्विटी शेयर के माध्यम से होते हैं, इसलिए गैर–निवेश गतिविधियों के बिना निवेश से ब्याज उत्पन्न होता है। इसलिए, कंपनी ब्याज दर जोखिम पर बहुत अधिक प्रभावित नहीं है।

ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो चुकौती में प्रतिपक्षी विफलता या संविदागत निबंधन या दायित्व के अनुसार सेवा कर्ज से उत्पन्न वित्तीय हानि है। ऋण जोखिम में दोनों शामिल होते हैं, डिफ़ॉल्ट का सीधा जोखिम और ऋण की गिरावट के जोखिम के साथ–साथ जोखिमों का केन्द्रीकरण। ऋण जोखिम का विश्लेषण ऋण सीमाओं और ग्राहकों की साख पर निरंतर नियंत्रण के आधार पर किया जाता है, जिन्हें ऋण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण दिया गया है।

वित्तीय लिखत जो ऋण जोखिम की केंद्रीकरण के अधीन है, मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य राशि, बिल न किए गए प्राप्य,निवेश, नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से मिलकर बनता है। कंपनी नीचे दिए गए ग्राहकों से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत रूप से 10 इ से अधिक या कंपनी के राजस्व से अधिक के लिए राजस्व सृजित करते हैं।

ग्राहक का नाम	राजस्व की राशि (रु लाख में)	कुल राजस्व का %
पूजा पेट्रो केमिकल्स	21,300.59	30%
पोनप्योर केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	9,164.73	13%
नीप्रा ट्रेडिंग कंपनी	8,444.33	12%

ऋण जोखिम का भौगोलिक केन्द्रीकरण

व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए प्राप्य (पिछले वर्ष : बिल न किए गए राजस्व) का भौगोलिक केन्द्रीकरण और संविदा परिसंपत्तियों का आबंटन ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

iii. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम उस जोखिम को कहता है कि कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा नहीं करता है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त चलनिधि बनाया रखना है और आवश्यकताओं के अनुसार निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

कंपनी पर्याप्त रिजर्व का पालन, बैंकिंग सुविधाओं और रिज़र्व उधार सुविधाओं, निरंतर पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल से मेल करके चलनिधि का प्रबंधन करती है।

39. आस्थगित कर

वर्ष 2023–24 के लिए

रुपये लाख मे

विवरण	अथशेष 01.04.2023	पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण वापस	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष 31.03.2024
आस्थगित कर देयता						
अतिरिक्त प्रावधान लिखे/वापस	-	-	-	-	-	-
हानि लिखे/बैक के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में भूमि का पुनर्मूल्यांकन	20,775.52	-	-	-	1,747.00	22,522.52
पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर आस्थगित कर देनदारी का उलटा होना	(4,056.00)	-	-	-	(971.00)	(5,027.00)
एचएफ़एल में उचित मूल्य निवेश	(36.00)	-	-	-	236.00	200.00
	16,683.52	**-**	**-**	**-**	**1,012.00**	**17,695.52**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां						
मूल्यह्रास	-	25.00	(25.00)	-	-	-
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	51.00	(51.00)	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/ वीएसएस)	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालिक करारों का प्रावधान	-	-	-	-	-	-
अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
वैधानिक दावों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता की सीमा तक आयकर की हानि	-	-	-	-	-	-
	-	**76.00**	**(76.00)**	-	-	-
निवल आस्थगित कर देयता	**16,683.52**	**(76.00)**	**76.00**	-	**1,012.00**	**17,695.52**

वर्ष 2022-23 के लिए

					रुपये लाख मे	
विवरण	अथशेष 01.04.2023	पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण वापस	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष 31.03.2024
आस्थगित कर देयता						
उचित मूल्य में भूमि का पुनर्मूल्यांकन	20,473.52	-	-	-	302.00	20,775.52
पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर आस्थगित कर देनदारी का वापस होना	(4,056.00)	-	-	-	-	(4,056.00)
एचएफएल में निवेश का उचित मूल्य	(15.00)	-	-	-	(21.00)	(36.00)
	16,402.52	-	-	-	281.00	16,683.52
आस्थगित कर परिसंपत्तियां						
मूल्यह्रास	-	18.00	(18.00)	-	-	-
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	80.00	(80.00)	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/ वीएसएस)	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	1.00	(1.00)	-	-	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालिक करारों का प्रावधान	-	-	-	-	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
वैधानिक दावों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
	-	99.00	(99.00)	-	-	-
निवल आस्थगित कर देयता	16,402.52	(99.00)	99.00	-	281.00	16,683.52
आस्थगित कर देयता की सीमा तक आयकर की हानि	-	-	-	-	-	-
	-	76.00	(76.00)	-	-	-
निवल आस्थगित कर देयता	**16,683.52**	**(76.00)**	**76.00**	**-**	**1,012.00**	**17,695.52**

40. अतिरिक्त खुलासे

अनुपात	अंश के घटक	भाजक के घटक	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	इ अंतर	प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण
वर्तमान अनुपात	चालू संपत्ति	चालू देनदारियां	0.96	1.00	-3.82इ	
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	112.49	161.87	-30.51इ	कोच्चि भूमि का उचित मूल्य बढ़ गया और इसके परिणामस्वरूप कुल इक्विटी में भी वृद्धि हुई।
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.00	0.01	-64.50इ	वर्ष 2023-24 के दौरान शुद्ध घाटा बढ़ने के कारण आय में कमी आई तथा भारत सरकार के ऋण और वरीयता शेयरों के ब्याज के प्रावधान के कारण ऋण में वृद्धि हुई
इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की इक्विटी	-598.02इ	-176.17इ	-421.85इ	वर्ष 2023-24 के दौरान शुद्ध घाटा बढ़ा और वर्ष के दौरान घाटे के कारण निवल संपत्ति में कमी आई।
सूची टर्नओवर अनुपात	बिक्री	औसत मालसूची	32.36	23.76	36.19इ	चालू वर्ष के दौरान बिक्री में वृद्धि हुई लेकिन औसत इन्वेंट्री कम हुई
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	कुल बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	38.32	49.66	-22.84इ	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण क्रय	औसत व्यापार देय	9.38	10.22	-8.15इ	
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	-29.90	21.31	-240.30इ	व्यापार देयताओं और सरकारी ऋण पर देय ब्याज में वृद्धि के कारण 2023-24 में वर्तमान देयता में वृद्धि हुई है।
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	-7.86इ	-7.95इ	0.10इ	
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले लाभ (पीबीआईटी)	व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन	0.99इ	1.23इ	-0.24इ	
निवेश पर प्रतिफल	लाभांश	शेयर की कीमत	-	-	0.00इ	

41. सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर-अनुपालन- विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है, निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18,19 और 20 का गैर-अनुपालन हुआ है। सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर-अनुपालन - सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के अनुसार, निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होगी और निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है।

42. चालू संस्था

क) कंपनी ने अन्य व्यापक आय सहित 388.00 लाख रुपये का शुद्ध लाभ (पिछले वर्ष 4,239.63 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध घाटा) रिपोर्ट किया है। इसके अलावा कंपनी ने अन्य व्यापक आय को छोड़कर 96,433.68 लाख रुपये (पिछले वर्ष 95,571.40 लाख रुपये) की नकारात्मक निवल संपत्ति के साथ 1,07,999.21 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,07,136.93 लाख रुपये) की संचित हानि दर्ज की है। वर्ष के अंत तक कंपनी के पास नकदी और नकदी समकक्षों तथा अन्य बैंक शेषों की चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत 22,642.08 लाख रुपये (पिछले वर्ष 16,730.48 लाख रुपये) का शेष है। इन स्थितियों पर विचार करने के बाद, कंपनी का स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण चालू चिंता के आधार पर तैयार किया गया है।

ख) कंपनी सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, दिनांक 22 मई, 2017 के आदेश के अनुसार, कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, संयंत्र और उपकरण को नष्ट कर दिया गया है। रसायनी में एनबीसीसी के माध्यम से तथा पनवेल में ई-नीलामी के माध्यम से भूमि की बिक्री प्रगति पर है। कोच्चि स्थित फिनोल प्लांट चालू है तथा चालू वर्ष में इसकी क्षमता 119 % थी, जबकि पिछले वर्ष यह 93% थी। उत्पादन (फिनोल + एसीटोन) पिछले वर्ष के 60656 मीट्रिक टन से बढ़कर चालू वर्ष में 77130 मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2023-24

के लिए ई बी आई टी 1,425.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2022–23 में 1,602.67 लाख रुपये), इसे देखते हुए, चालू वित्त वर्ष के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

43. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से``), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, कंपनी की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा (``अंतिम लाभार्थी``) या प्रदान करेगा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़।

44. कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियाँ") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना।

45 हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध

31 मार्च 2024 तक बंद कंपनियों के साथ संबंध

हटाई गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	बकाया राशि	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना चाहिए
शार्प केमिकल इंडस्ट्रीज पी. लिमिटेड	बिक्री	3.31 लाख रु	ऋणदाता
नाइस एग्रो एंटरप्राइज	बिक्री	0.28 लाख रु	ऋणदाता
बालाजी इंडस्ट्रीज	बिक्री	0.49 लाख रु	ऋणदाता

46 वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ कोई शुल्क या संतुष्टि पंजीकृत नहीं की जानी है।

47 वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग–अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाता है।

48 31.03.2024 तक कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

49 कंपनी ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

50 विकास के अधीन कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है

51 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

52 कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

53 कंपनी का ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आय के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) कर अधिनियम, 1961), जब तक 11 किसी भी योजना के तहत प्रकटीकरण के लिए प्रतिरक्षा नहीं है और यह भी बताना होगा कि क्या पहले से दर्ज न की गई आय और संबंधित संपत्ति वर्ष के दौरान खाते की किताबों में ठीक से दर्ज की गई है।

54 कंपनी को पिछले वर्षों के दौरान हुए घाटे के कारण किसी भी सीएसआर गतिविधियों को करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं है।

55 कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

56 22.05.2024 को निदेशक मंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था

57 चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

संलग्न सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
एफ़आरएन 002620S

हस्ता/-
सी ए पॉलसन के.पी
सहयोगी
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएन : 24021855BKAOAA1083

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव बी.
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

हस्ता/-
सुब्रमण्यन एच
कंपनी सचिव

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, के सदस्य
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरिक्षा पर रिपोर्ट

राय

1. हम ने हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (इसके बाद "नियंत्रक कंपनी" के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियां (नियंत्रक कंपनी और इसकी सहायक कंपनी को एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित किया जाता है), के 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों और लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) के समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के समेकित विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के समेकित विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (जिसे आगे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा जाएगा) की लेखापरीक्षा की है।

2. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2024 तक समूह के समेकित मामलों की स्थिति, इसके समेकित नुकसान और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

योग्य राय का आधार

3. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। उन एसए के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

कार्यशील संस्था से संबंधित भौतिक अनिश्चितता

4. हम संलग्न विवरण के नोट संख्या 43 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, समूह ने 62.87 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध घाटा (पिछले वर्ष 4,698.95 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध घाटा) की सूचना दी है। साथ ही कंपनी ने 1,14,670.64 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,13,877.61 लाख रुपये) की संचित हानि दर्ज की है, जिसमें अन्य व्यापक आय को छोड़कर 1,03,105.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,02,312.08 लाख रुपये) का नकारात्मक नेटवर्थ है। वर्ष के अंत तक कंपनी के पास नकदी और नकदी समकक्षों की चालू परिसंपत्तियों और अन्य बैंक शेष राशि के तहत 25,370.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 19,813.76 लाख रुपये) का शेष है।

एक भौतिक अनिश्चितता है जिसने सहायक कंपनी के गोइंग कंसर्न की धारणा को प्रभावित किया है, और सहायक कंपनी को अब गोइंग कंसर्न नहीं माना जाता है। परिणामस्वरूप, इंड एएस 105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्तियां और बंद किए गए संचालन`` के प्रावधान लागू हो गए हैं और सहायक कंपनी द्वारा उनका पालन किया जा रहा है।

नियंत्रक कंपनी, भारत सरकार की मंजूरी से मुंबई के रसायनी में घाटे में चल रही अपनी इकाई को बेचने की प्रक्रिया में है। इस इकाई में 517.819 एकड़ भूमि सहित 94,550.32 लाख रुपये की वहन राशि वाली परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। जैसा कि हमें बताया गया है, इस प्रक्रिया से नियंत्रक कंपनी के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक कंपनी की कोच्चि इकाई चालू है, और कंपनी वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना को लागू कर रही है।

इन स्थितियों पर विचार करने के बाद, समेकित वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं। इस संबंध में हमारा निष्कर्ष अपरिवर्तित है।

मामले पर जोर

क. हम पिछले वर्ष में सहायक कंपनी के बंद परिचालनों को जारी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 36बी की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इंड–एएस 8, लेखा नीतियों, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के प्रावधानों के अनुसार, समूह ने इन परिचालनों को बंद परिचालनों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है।

इस मामले के संबंध में हमारा निष्कर्ष संशोधित नहीं है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

5. मुख्य लेखापरीक्षा मामले इसप्रकार के मामले होते हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामले का समाधान समग्र रूप में समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में किए गए और उसपर हमारी राय निरूपण तैयार करती है और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय प्रकट नहीं करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए, इस संदर्भ में हमारा विवरण दिया गया है कि हमारी लेखापरीक्षा ने मामले को कैसे संबोधित किया।

6. गोइंग कंसर्न से संबंधित भौतिक अनिश्चितता' खंड में वर्णित मामले के अलावा, हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है। हमने अपनी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा खंड के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित जिम्मेदारियों को पूरा किया है, जिसमें इन मामलों से संबंधित जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा में समेकित वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों के हमारे आकलन का जवाब देने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाओं का प्रदर्शन शामिल था। नीचे दिए गए मामलों को संबोधित करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाओं सहित हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के विवरण, संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करते हैं।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया?
राजस्व मान्यता – छूट, प्रोत्साहन और रियायतें **समेकित वित्तीय विवरणों की नोट 2.2 (क) देखें**	
• ग्राहकों को दी जाने वाली छूट, प्रोत्साहन और रियायतों पर विचार करते हुए राजस्व का मापन हमारी लेखापरीक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है। • विविध विपणन क्षेत्रों में कंपनी की व्यापक उपस्थिति और प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल की गतिशील प्रकृति विभिन्न प्रकार की छूट, प्रोत्साहन और रियायतों का आकलन करने में शामिल जटिलता और निर्णय में योगदान करती है। • परिणामस्वरूप, इन तत्वों के मूल्यांकन में संभावित भिन्नताओं के कारण राजस्व के गलत विवरण का एक अंतर्निहित जोखिम है। • छूट,प्रोत्साहन और रियायतों के प्रावधानों का आकलन करने में जटिल प्रकृति और निर्णय पर निर्भरता को देखते हुए, यह एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला बनता है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे: • हमने लागू लेखांकन मानकों के साथ तुलना करके राजस्व, छूट, प्रोत्साहन और घटौती से संबंधित कंपनी की लेखांकन नीतियों का मूल्यांकन किया है। • हमने छूट, प्रोत्साहन और घटौती के प्रावधानों, अनुमोदन और संवितरण पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है। • हमने नमूना आधार पर छूट, प्रोत्साहन और घटौती के उपार्जन के लिए कंपनी की गणना का मूल्यांकन किया है, और स्वीकृत योजनाओं और अंतर्निहित दस्तावेजों के साथ किए गए उपार्जन की तुलना की है। • हमने भुगतान की ऐतिहासिक प्रवृत्ति और छूट, प्रोत्साहन और घटौती के उलटफेर की तुलना चालू वर्ष के उपार्जन का आकलन करने के लिए किए गए प्रावधानों से की है। • हमने असामान्य या अनियमित मदों की पहचान करने के लिए छूट, घटौती और प्रोत्साहन पोस्ट किए गए मैनुअल जर्नल की जांच की है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया?
मुकदमेबाजी और कर सहित आकस्मिकताएँ **समेकित वित्तीय विवरणों की नोट 2.2 (घ) और 35 देखें**	
• कंपनी को नियमित रूप से कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें विवाद, मुकदमे, विनियामक मामले और नियमित व्यावसायिक संचालन में निहित अन्य मुद्दे शामिल हैं। इनमें से कई स्थितियों में जटिल विवरण शामिल हैं। • बाहरी कानूनी सलाहकारों द्वारा समर्थित, कंपनी प्रत्येक परिस्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रावधान किए जाने चाहिए या आकस्मिकताओं का खुलासा किया जाना चाहिए। • संभावित कानूनी और कर देनदारियों से संबंधित लेखांकन और प्रकटीकरण की जटिल प्रकृति के कारण यह पहलू हमारी लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चुनौती खासकर प्रतिकूल परिदृश्यों में परिणामों की भविष्यवाणी करने और वित्तीय प्रभावों का अनुमान लगाने में है। • इसके अलावा, इन कानूनी विचारों के वित्तीय निहितार्थ समेकित वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण हैं, या होने की संभावना है। इसलिए, वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच आवश्यक है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित शामिल थे: • हमने कंपनी में विभिन्न स्तरों पर दावों, कार्यवाही और जांच की पहचान और मूल्यांकन से संबंधित नियंत्रणों की डिजाइन का मूल्यांकन किया और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया तथा विवादों, संभावित दावों और मुकदमेबाजी,आकस्मिक देनदारियों और प्रकटीकरणों के लिए प्रावधानों का मापन किया। • हमने कंपनी की इन–हाउस कानूनी टीम से चल रहे मुकदमों की एक सूची प्राप्त की। • हमने भौतिकता के आधार पर मुकदमों का एक नमूना चुना और इन मुकदमों के कानूनी मूल्यांकन पर उक्त वकील से पूछताछ की। हमने मूल्यांकन की तुलना समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान या प्रकटीकरण से की। • हमने प्रावधान या आकस्मिकता के मापन के संबंध में प्रबंधन की अंतर्निहित गणना का परीक्षण किया। • हमने सारांश में शामिल मामलों के संबंध में कंपनी के बाहरी कानूनी सलाहकारों से कानूनी पत्र प्राप्त किए। जहाँ उचित था, हमने मामलों से जुड़े पत्राचार की जाँच की। • हमने कर अधिकारियों के साथ प्रासंगिक संचार का निरीक्षण किया। • हमने भौतिक कर स्थितियों की प्रकृति और मात्रा का आकलन करने में अपने आंतरिक कर विशेषज्ञों को शामिल किया और संबंधित कर अधिकारियों से पत्राचार और आकलन के आधार पर तकनीकी योग्यता का आकलन किया। • हमने समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटन का भी मूल्यांकन किया।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में इस मामले को कैसे संबोधित किया गया?
वस्तुसूची का मूल्यांकन समेकित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 6 देखें ।	
• कच्चे माल, अर्ध–तैयार और तैयार माल का सत्यापन और मूल्यांकन एक सावधानीपूर्वक मैन्युअल कार्य है। इस प्रक्रिया के दौरान, अप्रत्यक्ष उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है और इन्वेंट्री लागत में एकीकृत किया जाता है, जिसमें निर्णय और आकलन शामिल होता है। • इन लागतों का आवंटन अनुमान के समय अनिश्चितता के अधीन है। इसके अलावा, मूल्य में उतार–चढ़ाव घरेलू, वैश्विक और विभिन्न अन्य बाहरी कारकों सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। • इसके अलावा, प्रबंधन अप्रचलित इन्वेंट्री और धीमी गति से चलने वाले स्टॉक आइटम की पहचान करने और उनका मूल्यांकन करने में निर्णय लेता है, साथ ही आवश्यक प्रावधानों की उपयुक्तता का अनुमान भी लगाता है। इन निर्णयों की व्यक्तिपरक प्रकृति और अंतर्निहित अनिश्चितताओं को देखते हुए, हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।	हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में, अन्य बातों के अलावा, नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन प्रभावशीलता और वस्तुसूची के सत्यापन और मूल्यांकन के संबंध में मूलभूत परीक्षण के निम्नलिखित संयोजन शामिल थे: • डिजाइन को समझना और मूल्यांकन करना तथा ऐसी वस्तुसूची की भौतिक गणना प्रक्रिया और माप पर नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण करना; • हमने वस्तुसूची निगरानी और नियंत्रण की प्रणाली का मूल्यांकन किया। कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर जैसे कि संयंत्र संचालन के लिए वितरित नियंत्रण प्रणाली, संयंत्र की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, कच्चे माल, तैयार उत्पादों और मध्यवर्ती उत्पादों के स्टॉक के बारे में विस्तृत सांख्यिकी के लिए टैंक लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम (टीएलएमएसठ), साथ ही विभिन्न अलार्म, चेतावनियाँ और टैंक संचालन का इतिहास आदि से डेटा की समीक्षा करना। • प्रबंधन द्वारा इसकी उपयुक्तता और पूर्णता का आकलन करने के लिए वस्तुसूची माप और गणना प्रक्रियाओं का भौतिक रूप से निरीक्षण करना और रोल–बैकवर्ड/रोल–फॉरवर्ड प्रक्रियाएँ निष्पादित करना। • इन्वेंट्री माप और भौतिक गणना विवरण प्राप्त करना और उनका निरीक्षण करना, जिसमें प्रबंधन द्वारा किए गए विश्लेषण के विवरण और बुक और भौतिक मात्राओं के बीच अंतर के संबंध में किए गए समायोजन का आकलन और मूल्यांकन करना शामिल है। • इन्वेंट्री के लिए लागत की सटीकता का नमूना आधार पर परीक्षण करना। वास्तविक लागत की तुलना सबसे हाल ही में बिक्री मूल्य से करके शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य का परीक्षण करना। उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने इन्वेंट्री के मापन में किसी भी भौतिक अपवाद की पहचान नहीं की।

समेकित वित्तीय विवरणों के अलावा अन्य जानकारी और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

7. कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

8. समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उसपर किसी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष नहीं देते हैं।

9. समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि जब ऊपर बताई गई अन्य जानकारी उपलब्ध हो, तो उसे पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

10. यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारियां

11. कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समूह के समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य भारतीय लेखा मानक और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार देते हैं। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, जैसा कि पूर्वोक्त है, जिनका उपयोग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है।

12. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित संस्थाओं की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल अपनी संबंधित संस्थाओं को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखें, या उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

13. समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

14. हमारा उद्देश्य क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप में धोखाधडी या गलती से, महत्वपूर्ण गलती से मुक्त है, संबंधी उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारी राय से युक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट ज़ारी करना है। उचित आश्वासन, आश्वासन का उच्च स्तर है, लेकिन गैरंटी नहीं है कि एस ए के अनुरूप आयोजित की गई लेखापरीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलती जब विद्यमान होने पर,पाया जाता है। महत्वपूर्ण गलती धोखाधड़ी या गलती से हो सकता है और यदि व्यक्तिगत तौर पर या संकलित रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों पर जो उचित रूप से प्रभावित करना प्रत्याशित है।

15. एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम प्रोफेशनल निर्णय और संपूर्ण लेखापरीक्षा कार्य में प्रोफेशनल संदेहवाद का प्रयोग करते हैं। हम यह भी करते हैं कि

- समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत बयानों संबंधी जोखिम की पहचान एवं निर्धारण करना जो धोखाधड़ी या गलती के कारण हो, उन जोखिमों के लिए उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रणालियों का रूपायन एवं निष्पादन और लेखापरीक्षा सबूत प्राप्त करना है जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। धोखाधड़ी से होनेवाले महत्वपूर्ण गलत बयान की पहचान का जोखिम गलती से होनेवाले से गंभीर/उच्च है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर लोप, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंखन करना भी शामिल है।

- परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रणालियों का रूपायन करने की दिशा में लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ताल–मेल प्राप्त करना है। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान है और इस प्रकार के नियंत्रण के प्रचालन प्रभाविता पर हमारी राय प्रकट करने के लिए हम उत्तरदायी है।

- उपयोग में लायी गयी लेखा नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की उचितता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन करना ।

- लेखा के कार्यशील संस्था आधार संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा सबूत के आधार पर ऐसी घटनों या स्थितियों जो कार्यशील संस्था के रूप में ज़ारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण शंका डाल देती है,से संबंधित क्या महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है पर निष्कर्ष निकालना। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है,हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर या ऐसी प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त पायी जाती है, हमारी राय संशोधित करने की ओर हमारी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा सबूतों पर आधारित है। फिर भी, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ कंपनी को कार्यशील संस्था के रूप में जारी करना रोकने का कारण बन सकती है।

- समग्र प्रस्तुतीकरण,संरचना और समेकित वित्तीय विवरणों की विषयवस्तु जिसमें प्रकटीकरण शामिल है,और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन–देन और घटनाओं को उसी तरीके में जिसमें उचित प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है, का प्रतिनिधित्व करता है, का मूल्यांकन करना है।

16. हम नियंत्रक कंपनी और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी अन्य कंपनियों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

17. हम शासन के प्रभार दिए गए उन लोगों को यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और उनके साथ अनुसूचित की जानी है सभी संपर्क और अन्य मामले जो हमारी स्वतंत्रता वहन करने के लिए उपयुक्त विचार हो सकते हैं और जहाँ लागू हो संबंधी संरक्षा प्रदान करें।

18. ऐसे प्रशासन प्रभारी को संसूचित मामलों से, हम उन मामलों पर निर्णय लेता हैं, जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सबसे महत्वपूर्ण रहे और इसलिए वे मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों के विवरण देते हैं जबतक मामले संबंधी सार्वजनिक प्रकटन नियम या विनियम शुरू करता है या जब सबसे अपूर्व परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि मामले को हमारी रिपोर्ट में संसूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे करने पर होनेवाले प्रतिकूल परिणाम इस तरह की संसूचना से प्राप्त सार्वजनिक हितलाभ से ऊपर होना प्रत्याशित है।

अन्य मामले

19. नियंत्रक कंपनी ने सहायक कंपनी को दिए गए 453.01 लाख रुपये के ऋण पर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(7) के प्रावधानों के अनुसार, ऋण की अवधि के सबसे करीब एक साल, तीन साल, पांच साल या दस साल की सरकारी प्रतिभूति की मौजूदा उपज से कम ब्याज दर पर कोई ऋण नहीं दिया जाएगा। हमारी राय में, नियंत्रक कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(7) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

20. हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं किया है, जो 31 मार्च, 2024 तक कुल संपत्ति (समेकन समायोजन से पहले) 6,364.60 लाख रुपये और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय (समेकन समायोजन से पहले) 208.21 लाख रुपये की रिपोर्ट करते हैं। इन वित्तीय विवरणों की अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट की गई है, तथा उनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान की गई है। इस सहायक कंपनी की राशियों और प्रकटीकरणों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, साथ ही इस सहायक कंपनी के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के तहत हमारी रिपोर्ट, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा 11 के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुलग्न क" में देते हैं।.

2. अधिनियम की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों और उप–निर्देशों द्वारा यथा आवश्यक, हम "अनुलग्न ख" में उन निर्देशों में संदर्भित मामलों पर एक विवरण देते हैं

3. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

   क) हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, समूह द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियों रखी गई हैं, जिनमें उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित समेकित लाभ और हानि विवरण, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक लेखा बही, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों का पालन अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखनाकन मानदंडों (इंडएएस) के साथ किया है।

   ङ) दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई), के अनुसार, सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अधीन छूट दी गई है। तदनुसार उक्त धारा नियंत्रक और सहायक कंपनी पर लागू नहीं होती है। हमें यह रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि कथित धारा में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई निदेशक अयोग्य हैं ।

   च) कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।

   छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   ज) कंपनियों (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षकों) नियम,2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय में तथा हमारी अच्छी जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:–

      i. समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है आकस्मिक देनदारियों पर वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.35 का संदर्भ लें)

      ii. समूह को व्युत्पन्न अनुबंधों जिसके लिए महत्वपूर्ण संभावित नुकसान, नही है, सहित दीर्घकालिक अनुबंधों नहीं है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरण के लिए अपेक्षित कोई राशि नहीं थी।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 45 में प्रकट किए गए है, समूह द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, को कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या उधार या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, समूह द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों की नोट संख्या 46 में प्रकट किए गए है, समूह द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं की गई है, जिसमें विदेशी संस्था ("वित्तपोषण पार्टियां") शामिल है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि समूह, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से वित्तपोषण पार्टियां (`अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी;

(ग) परिस्थितियों में उचित और समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (ए) और (बी) के तहत प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

(v) समूह ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

(vi) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, समूह ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) व्यवस्था रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष यही सुविधा संचालित होती रही है। इसके अलावा, हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल, 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

21. सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर–अनुपालन–

नियंत्रक कंपनी ने कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों के इष्टतम संयोजन को बनाए रखने के संबंध में विनियम 17(1)(ए) और 17(1)(बी) का अनुपालन नहीं किया है, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक और निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक शामिल हों। इस मामले के संबंध में हमारा निष्कर्ष संशोधित नहीं है।

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(फर्म की पंजीकरण संख्या.002620एस)

सी ए पॉलसन के पी
भागीदार (सदस्यता सं 21855)
यूडीआईएन: 24021855BKA0AA1083

कोची
दिनांक : 22/05/2024

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

कंपनियाँ (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के पैरा (2) के प्रावधान के अनुसार, उक्त आदेश के खंड (i) से (xx) समूह के समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर लागू नहीं होते हैं।

हालाँकि, उक्त आदेश के खंड (xxi) के संबंध में हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(xxi) समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ) रिपोर्ट में संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियाँ हैं:

क्रमांक	नाम	सीआईएन	नियंत्रक कंपनी/ सहायक कंपनी	सीएआरओ रिपोर्ट की धारा संख्या जो योग्य है या प्रतिकूल है
1.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	L99999KL1960GOI082753	नियंत्रक कंपनी	3(i)(a)(A), 3(i)(c), 3(iii)(b), 3(iii)(c), 3(iii)(d), 3(iii)(f), 3(iv), 3(vii)(b), 3(ix), 3(xvii)
2.	हिंदुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड	L25206TG1983PLC004037	सहायक कंपनी	3(ix)(a), 3(x)(a), 3(xvii), 3(xix).

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या.002620S)

सी ए पॉलसन के पी
भागीदार
(सदस्यता सं 021855)
यूडीआईएन: 24021855BKAOAA1083

स्थान: कोची-11
दिनांक : 22 मई 2024

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध 'ख'

(हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए समदिनांकित अपनी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अधीन पैरा 2 में संदर्भित)

अधिनियम की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों एवं उप-निर्देशों के अनुसार, हम उनमें संदर्भित मामलों पर अपनी टिप्पणियां नीचे दे रहे हैं।

क. निर्देश

क्रसं	सी एंड एजी निर्देश	सांविधिक लेखापरीक्षक का विवरण	
		नियंत्रक कंपनी	सहायक कंपनी
1	क्या कंपनी में सभी लेखा लेन-देन आईटी प्रणाली के माध्यम से संचालित करने का तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, लेखाओं की ईमानदारी पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखा लेन-देन के संसाधन का अनुमान साथ ही वित्तीय अनुमान यदि कोई हो तो दिया जाए।	हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और हमारे सत्यापन के आधार पर, हमने कंपनी के लेखा लेन-देन संचालित करने के लिए निम्नलिखित प्रणालियों की पहचान की है: क) लेखांकन लेनदेन का रख-रखाव टैली ईआरपी प्राइम,एक लेखांकन सॉफ्टवेयर, के माध्यम से किया जाता है। ख) नियत परिसंपत्तियों का रेजिस्टर का रख-रखाव एमएस ऑफिस एक्सेल यूटिलिटी में किया जाता है। ग) वेतन पर्ची का प्रबंधन अलग एचआरएम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। घ) इकाई ट्रयल बैलन्स का समेकन एमएस ऑफिस एक्सेल यूटिलिटी से किया जाता है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हम उपर्युक्त उल्लेखित प्रणालियाँ के बाहर संसाधित होने वाले किसी भी लेखांकन लेनदेन में नहीं आए हैं।' इसके अलावा, हम प्रमुख लेखांकन सॉफ्टवेयर के साथ ऊपर उल्लेखित प्रणालियाँ के बीच उचित समन्वयन की सिफारिश करते हैं ताकि सिस्टेम के बीच डेटा माइग्रेशन और अंतरण के दौरान सिस्टम डेटा हानि या भ्रष्टाचार के किसी संभावित जोखिम से बचा जा सके।	हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत की गई जानकारी, स्पष्टीकरण और अभिलेखों के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है और आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का कोई उदाहरण नहीं है।
2	क्या विद्यमान ऋण के कोई पुनर्गठन या ऋण की चुकौती में कंपनी की अक्षमता के कारण उधारदाता द्वारा कंपनी को छूट/कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालने के कोई मामले है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव दिया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होगा)।	कंपनी ने कर्ज चुकाने में और भारत सरकार से प्राप्त अधिमानी शेयरों के भुगतान में चूक की है,जिसका मूलधन कुल मिलाकर रु.72,256.46 लाख हैं। हमें दी गई जानकारी के आधार पर, ऐसे किसी भी ऋण का पुनर्गठन या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि को अधित्याग/बट्टे खाते में डालने के मामलों का नहीं था। इसलिए, हम वित्तीय प्रभाव और उक्त के लेखांकन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा लिए गए मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋणों/उधारों/ब्याज को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामलों का कोई उदाहरण नहीं है, सिवाय कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण 01-04-2023 से एचओसीएल से लिए गए ऋण के लिए ब्याज माफी ।

3	क्या केंद्र/राज्य सरकारों या इनके अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त की जा रही निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) को इनके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब में लिया/उपयोग किया है? विचलन के मामलों की सूची दी जाए?	हमें दी गयी सूचना के अनुसार, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकारों या इनके अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए किसी प्रकार की निधि नहीं प्राप्त की है या प्राप्त की जा रही है।	निम्न नोट (I) का संदर्भ लें।

ख. उप निर्देश

1.	अतिक्रमण के अधीन भूमि के क्षेत्र का ब्योरा दें और अतिक्रमण हटाने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम का संक्षिप्त विवरण दें?	1) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी के आधार पर, कंपनी की रसायनी इकाई, महाराष्ट्र में 65.840 एकड़ भूमि 'अतिक्रमण के तहत' के रूप में पहचाना गया है अतिक्रमण को दूर करने हेतु प्रबंधन द्वारा उठाये गये कदम के संबंध में हमें सूचित किया जाता है कि – क) कंपनी रसायनी इकाई की भूमि पर किसानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संवाद कर रही है। ख) कंपनी उपरोक्त मामले के तुरंत समाधान के लिए रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, भारत सरकार के साथ भी समन्वय कर रही है। ग) उपरोक्त सिफारिशों में अतिक्रमणकारियों के साथ समझौता व्यवस्था सहित विभिन्न प्रस्ताव शामिल हैं। घ) कंपनी ने कुछ मामलों में मुकदमा भी दायर किया है। 2) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार रसायनी इकाई में 32.547 एकड़ भूमि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम,महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, हिंदुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड और महात्मा एजुकेशन सोसाइटी को दी गई है। अतिक्रमण हटाने के संबंध में प्रबंधन द्वारा लिए गए कदम के बारे में हमें सूचित किया गया है कि क) कंपनी वसूली या ऐसी इकाइयां द्वारा कब्जे वाली उक्त भूमि के पंजीकरण के लिए लगातार संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर रही है। ख) एमईएस को पट्टे पर दी गई भूमि के मामले में, कंपनी ने पार्टी को पट्टा समाप्ति की सूचना जारी किया है,. हालाँकि, संपत्ति अभी भी पट्टेदार – एमईएस के कब्जे में है। मामला मध्यस्थता प्राधिकरण के समक्ष लंबित है और कार्यवाही प्रगति पर है। ग) रसायनी इकाई, महाराष्ट्र में 10.576 एकड़ भूमि सरकारी प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है सार्वजनिक सड़क का निर्माण किया है। इसलिए, कंपनी के पास कब्ज़ा नहीं है साथ ही उक्त भूमि के संबंध में स्वामित्व भी नहीं है। 3) दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 2.046 एकड़ भूमि एर्नाकुलम कारखाने की भूमि की सीमा दीवार के बाहर है और इसे पुनः सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया था और सीमा दीवार के अंदर की भूमि के लिए भूमि कर का भुगतान किया जाता है।
2.	क्या विशेष रूप से तीन वर्ष से अधिक पुरानी संचित व्यापार प्राप्तियों के अनुवर्तन के लिए कोई प्रभावी प्रणाली है?	समूह के पास रु.1,445.16 लाख राशि के व्यापार प्राप्य है, जो तीन साल से अधिक पुराना है। कंपनी ने मूल्यांकन किया है और ख़राब और संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान के रूप में रु.1,503.19 लाख रुपये की राशि प्रदान की है। हमें प्रदान की गयी सूचना के आधार पर, प्रबंधन वसूली के लिए उपरोक्त देनदारों से संपर्क कर रहा है और ऐसे कुछ मामलों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
3.	क्या कच्चे माल, मध्यवर्तियों और उपयोगिताओं के मामले में मानदंडों के विरुद्ध वास्तविक खपत को देखने के लिए पर्याप्त प्रणाली थी?	हमें प्रदान की गयी सूचना के आधार पर, कंपनी प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्ट के रूप में स्थापित मानदंडों के विरुद्ध कच्चे माल, मध्यवर्तियों और उपयोगिताओं के वास्तविक उपभोग की तुलना कर मासिक विवरण तैयार कर रही है।

ग. नोट (I)

हमारे सत्यापन के लिए प्रस्तुत सूचना, स्पष्टीकरण और अभिलेखों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा दिए गए समापन निर्देश के एक भाग के रूप में, भारत सरकार द्वारा ब्याज मुक्त सावधि ऋण के रूप में 7,720 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसका उपयोग विशेष रूप से समापन से संबंधित व्यय के लिए किया जाना था, जिसमें (ए) एचएफएल कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएस का कार्यान्वयन, उनके बकाया, वैधानिक बकाया, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/उपयोगिताओं के बकाया का भुगतान और एसबीआई कार्यशील पूंजी ऋण का पुनर्भुगतान (बी) एचएफएल के अल्प कर्मचारी वर्ग के वेतन/मजदूरी और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, जिन्हें दो वर्षों के लिए एचएफएल को बंद करने के लिए अस्थायी रूप से रखा जाना है।

निम्न तालिका व्यय के प्रत्येक शीर्ष के विरुद्ध उक्त उद्देश्य के लिए 31–03–2024 तक स्वीकृत, प्राप्त और खर्च की गई उक्त ब्याज मुक्त ऋण राशि को दर्शाती है।

(रुपये लाख में)

क्रमांक	बंद करने के लिए निधि आवश्यकताओं का विवरण	अनुमानित राशि	निर्मुक्त राशि	31.03.2024 तकवास्तविक व्यय राशि	अभी खर्च की जाने वाली राशि
1	वीआरएस/वीएसएस का कार्यान्वयन	2,350	2,232	1,763	469
2	कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और वैधानिक बकाया का भुगतान	2,000	1,840	1,793	47
3	वेतन संशोधन बकाया का भुगतान (1997 और 2007)	1,430	1,430	1,415	15
4	बंद योजना के कार्यान्वयन के लिए बनाए रखे जाने वाले अल्प कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और प्रशासनिक व्यय का प्रावधान (2 वर्षों के लिए 350 लाख प्रति वर्ष)	700	967	967	0
5	आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों का बकाया	525	403	204	199
6	कार्यशील पूंजी नकद ऋण (एसबीआई)	515	515	515	0
7	पानी और बिजली का बकाया	200	200	84	116
	कुल	**7,720**	**7,587**	**6,741**	**846**

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, इस उद्देश्य के लिए दी गई समयसीमा को ध्यान में रखते हुए, राशि खर्च करने में देरी हुई, विशेष रूप से आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों के बकाया, पानी और बिजली के बकाया, वीआरएस के कार्यान्वयन के साथ–साथ कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी/सांविधिक बकाया के भुगतान के मामले में।

चूंकि सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(5) के तहत जारी किए गए निर्देशों और उप–निर्देशों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, इसलिए हमने सहायक कंपनी के संबंध में कुछ भी रिपोर्ट नहीं की है।

कृते पॉलसन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण संख्या.002620S)

सी ए पॉलसन के पी
भागीदार (सदस्यता सं 021855)
यूडीआईएन: 24021855BKAOAA1083

स्थान: कोची-11
दिनांक : 22 मई 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत जिसे अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाएँ, वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। यह कहा गया है कि इसको उनके द्वारा 22 मई 2024 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, मैं ने अधिनियम की धारा 143(6) (क) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

स्थान: मुंबई
दिनांक: 29 जुलाई 2024

(गुलजारी लाल)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (नौवहन), मुंबई

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड 31 मार्च 2024 को समेकित तुलन पत्र

रु लाख में

विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
परिसंपत्तियाँ				
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ				
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3क	22,370.24	16,375.07	15,348.07
ख) निवेश संपत्ति	3ख	84.41	86.58	88.74
ग) उपयोग का अधिकार संपत्ति	15क	106.73	-	-
घ) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	3ग	13.63	18.86	27.24
ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश	4क	5.00	5.00	5.00
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4ख	300.03	292.88	279.10
च) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ	5	377.98	419.89	271.97
कुल (गैर चालू परिसंपत्तियाँ)		**23,258.02**	**17,198.28**	**16,020.12**
चालू परिसंपत्तियाँ				
क) वस्तु सूची	6	6,896.92	4,960.95	7,651.25
ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) व्यापार प्राप्य	7	1,995.31	1,936.87	864.28
(ii) नकद और नकदी समतुल्य	8	133.34	726.80	766.33
(iii) बैंक शेष (ii) के अलावा	9	25,237.42	19,086.96	14,906.04
(iv) ऋण	10	14.84	22.35	21.01
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	11	753.59	369.27	385.17
ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	12	1,223.25	725.21	1,411.09
घ) बिक्री के लिए रखी गयी संपत्ति	3घ	97,721.76	102,391.18	103,929.34
कुल (चालू परिसंपत्तियाँ)		**133,976.43**	**130,219.59**	**129,934.51**
कुल परिसंपत्तियाँ		**157,234.45**	**147,417.87**	**145,954.63**
इक्विटी और देयताएं				
इक्विटी				
क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	6,726.96	6,726.96	6,726.96
ख) अन्य इक्विटी				
(i) प्रतिभूति प्रीमियम	14क	4,838.57	4,838.57	4,838.57
(ii) प्रतिधारित अर्जन	14ख	(114,670.64)	(113,877.61)	(108,551.67)
(iii)अन्य व्यापक आय	14ग	97,961.67	97,284.98	96,450.22
कुल अन्य इक्विटी		**(11,870.40)**	**(11,754.06)**	**(7,262.88)**
कुल इक्विटी		**(5,143.44)**	**(5,027.10)**	**(535.92)**
गैर–नियंत्रित ब्याज		(3,602.22)	(3,655.69)	(3,432.91)
देयताएं				
गैर–चालू देयताएं:				
क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	17क	243.98	-	-
(ii) पट्टा देयताएं	15क	90.46	-	-
ख) प्रावधान	15ख	936.90	1,027.97	1,372.81
ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	16	17,495.52	16,719.52	16,402.52
कुल (गैर चालू देयताएं)		**18,766.86**	**17,747.49**	**17,775.33**
चालू देयताएं:				
क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	17ख	83,054.92	81,423.46	81,423.46
(ii) पट्टा देयताएं	15क	21.05	-	-
(iii)व्यापार देयताएं				
सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को देयताएं	18	15.15	14.85	55.50
अन्य को देयताएं	18	6,843.51	4,067.96	4,144.71
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	19	52,823.25	47,133.85	41,441.46
ख) प्रावधान	20	1,036.61	1,568.16	1,690.31
ग) अन्य चालू देयताएं	21	3,418.76	4,144.89	3,392.69
कुल (गैर चालू देयताएं)		**147,213.25**	**138,353.17**	**132,148.13**
कुल देयताएं		**165,980.11**	**156,100.66**	**149,923.46**
कुल इक्विटी एवं देयताएं		**157,234.45**	**147,417.87**	**145,954.63**
लेखांकन नीतियाँ	2			
वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियाँ	3-59			

संलग्न सम दिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

पॉलसन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002620S

हस्ता/-
सीए पॉलसन के.पी
साझेदार
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएन: 24021855BKAOAB3272

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव बी .
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

हस्ता/-
सुब्रमणियन एच
कंपनी सचिव

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का समेकित विवरण

रु लाख में

विवरण	टिप्पणी सं	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
जारी परिचालन			
आय:			
प्रचालन से राजस्व	22	70,389.00	63,143.56
अन्य आय	23	1,669.10	1,090.98
कुल आय		**72,058.10**	**64,234.54**
व्यय:			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	24	50,304.68	42,679.26
तैयार माल की सूची में परिवर्तन, एवं कार्य प्रगति पर	25	(518.05)	1,482.71
कर्मचारी हितलाभ व्यय	26	4,474.35	4,355.58
वित्तीय लागत	27	6,957.35	6,688.70
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	28	143.78	118.75
अन्य व्यय	29	16,227.69	13,995.57
कुल व्यय		**77,589.80**	**69,320.57**
असाधारण मदों और कर के पहले लाभ/(हानि)		**(5,531.70)**	**(5,086.03)**
घटाएँ: असाधारण मदों		-	-
कर पूर्व निरंतर परिचालन से लाभ/(हानि)		**(5,531.70)**	**(5,086.03)**
(1)चालू कर		-	-
(2)आस्थगित कर		-	-
घटाएँ: कर व्यय		-	-
कर के बाद निरंतर परिचालन से लाभ/(हानि)		**(5,531.70)**	**(5,086.03)**
बंद किए गए परिचालन			
कर से पहले बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)	36ख	**122.72**	**(447.69)**
बंद किए गए परिचालन का कर व्यय		–	–
कर के बाद बंद किए गए परिचालनों से लाभ/(हानि)		**122.72**	**(447.69)**
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)		**(5,408.98)**	**(5,533.72)**
जारी परिचालन से अन्य व्यापक आय			
(i) वे आइटम जिन्हें बाद में लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन	3क	6,000.61	1,035.38
आयकर (व्यय)/उपर्युक्त का लाभ		(776.00)	(302.00)
"ख) ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरणों में निवेश पर शुद्ध उचित मूल्य लाभ/हानि"			
आयकर (व्यय)/उपर्युक्त का लाभ"		-	-
ग) परिभाषित लाभ योजना में पुनर्मापन	30	121.50	101.39
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, कर के बाद शुद्ध		**5,346.11**	**834.77**
बंद परिचालन से अन्य व्यापक आय		–	–
जारी और बंद परिचालनों से कुल व्यापक आय		**5,346.11**	**834.77**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**(62.87)**	**(4,698.95)**
निरंतर परिचालन से होने वाली हानि जिसके कारण:			
क) कंपनी के मालिक		(5,531.70)	(5,086.03)
ख) गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
बंद परिचालन से लाभ/(हानि) निम्नलिखित के कारण:			
क) कंपनी के मालिक		69.25	(252.63)
ख) गैर नियंत्रित ब्याज		53.47	(195.06)
वर्ष के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) निम्नलिखित के कारण:			
क) कंपनी के मालिक		(5,462.45)	(5,338.66)
ख) गैर नियंत्रित ब्याज		53.47	(195.06)
अन्य व्यापक आय जिसके कारण:			
क) कंपनी के मालिक		5,346.11	834.77
ख) गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
कुल व्यापक आय जिसके कारण:			
क) कंपनी के मालिक		(116.34)	(4,503.89)
ख) गैर नियंत्रित ब्याज		53.47	(195.06)
प्रति शेयर आय (प्रत्येक का अंकित मूल्य 10 रुपये)			
(क) मूल – जारी संचालन		(8.23)	(7.57)
(ख) पतला – जारी संचालन		(8.23)	(7.57)
(ग) मूल – बंद किया गया संचालन		0.18	(0.67)
(घ) पतला – बंद संचालन		0.18	(0.67)
(ङ) मूल – जारी संचालन & बंद संचालन		(8.05)	(8.24)
(च) पतला – जारी संचालन & बंद संचालन		(8.05)	(8.24)
लेखांकन नीतियाँ	2		
समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट्स	1 & 3-59		

संलग्न सम दिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

पॉलसन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002620S

हस्ता/-
सीए पॉलसन के.पी
साझेदार
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएन: 24021855BKAOAB3272

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव बी .
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

हस्ता/-
सुब्रमणियन एच
कंपनी सचिव

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

रुपये लाख में

विवरण	01.04.2023 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पुन: घोषित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2024 तक शेष राशि
		2023-24	01.04.2023	2023-24	
प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयर	6726.96		6726.96	-	6726.96

इक्विटी शेयर पूंजी

रुपये लाख में

विवरण	01.04.2022 तक शेष राशि	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	पुन: घोषित शेष राशि	चालू वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 तक शेष राशि
		2022-23	01.04.2022	2022-23	
प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयर	6726.96		6726.96	-	6726.96

ख. अन्य इक्विटी

रुपये लाख में

विवरण	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	मिश्रित वित्तीय लिखत का इक्विटी घटक	आरक्षिति और अधिशेष				अन्य समग्र आय के मदें(ओसीआई)						शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त राशि	कुल
			पूंजी आरक्षिति	प्रतिभूतियों का प्रीमियम	अन्य आरक्षितियाँ (प्रकृति स्पष्ट करें)	प्रतिधारित अर्जन	अन्य समग्र आय के ज़रिए ऋण लिखित	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत	नकद प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा	अधिशेष का पुनर्मूल्यन	विदेशी प्रचालन के वित्तीय विवरणों को परिभाषित करने में विनिमय अंतर	ओसीआई के अन्य मदें(कर्मचारी परिभाषित हितलाभ योजन में परिवर्तन)		
चालू रिपोर्टिंग अवधि 2023-24														2023-24
01.04.2023 तक शेष राशि	-	-	-	4,838.57	-	(113,877.61)	-	-	-	97,432.59	-	(147.61)	-	(11,754.06)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2023 तक पुन: घोषित शेष राशि	-	-	-	4,838.57	-	(113,877.61)	-	-	-	97,432.59	-	(147.61)	-	(11,754.06)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	(5,462.45)	-	-	-		-	121.50	-	(5,340.95)
अन्य व्यापक आय (कर के बाद)										5,224.61				5,224.61
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	4,838.57	-	(119,340.06)	-	-	-	102,657.20	-	(26.11)	-	(11,870.40)
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जनों का अंतरण	-	-	-	-	-	4,669.42	-	-	-	(4,669.42)	-	-	-	-
शेष राशि 31.03.2024 तक	-	-	-	4,838.57	-	(114,670.64)	-	-	-	97,987.78	-	(26.11)	-	(11,870.40)
पिछली रिपोर्टिंग अवधि 2022-23														2022-23
01.04.2022 तक शेष राशि	-	-	-	4,838.57	-	(108,493.23)	-	-	-	96,699.21	-	(249.00)	-	(7,204.45)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण अन्य इक्विटी में परिवर्तन (नोट संख्या 14ख)	-	-	-	-	-	(58.44)	-	-	-	-	-	-	-	(58.44)
01.04.2022 तक पुन: घोषित शेष राशि	-	-	-	4,838.57	-	(108,551.67)	-	-	-	96,699.21	-	(249.00)	-	(7,262.89)
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)						(5,325.94)		-		-				(5,325.94)
अन्य व्यापक आय (कर के बाद)								-		733.38		101.39		834.77
चालू वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	4,838.57	-	(113,877.61)	-	-	-	97,432.59	-	(147.61)	-	(11,754.06)
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित अर्जनों का अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
शेष राशि 31.03.2023 तक	-	-	-	4,838.57	-	(113,877.61)	-	-	-	97,432.59	-	(147.61)	-	(11,754.06)

नोट: भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार त्रुटियों को ठीक करने के लिए पिछले वर्ष के वित्तीय विवरण को पुन: प्रस्तुत किया गया है। (नोट संख्या 36)

संलग्न सम दिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

पॉलसन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002620S

हस्ता/-
सीए पॉलसन के.पी
साझेदार
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएन: 24021855BKAOAB3272

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव वी .
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

हस्ता/-
सुब्रमणियन एच
कंपनी सचिव

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(रु लाख में)

विवरण	31मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह :		
कर पूर्व लाभ / (हानि) चालू परिचालन	(5,531.70)	(5,022.41)
हेतु समायोजन :		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मूल्यह्रास/क्षति पर हानि	143.78	118.75
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ(–) / हानि	-	-
ब्याज आय	(1,199.70)	(795.79)
ब्याज एवं वित्त प्रभार	6,957.35	6,688.70
निवेश संपत्ति से आय	(59.35)	(150.27)
परिभाषित कर्मचारी लाभ योजना में परिवर्तन –अन्य व्यापक आय	121.50	101.39
कार्यगत पूंजी परिवर्तन के पहले प्रचालन नकदी प्रवाह (क)	**431.88**	**940.37**
हेतु समायोजन		
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	(1,935.97)	2,550.24
व्यापार और अन्य प्राप्य में कमी/(वृद्धि)	(6,810.00)	(5,403.10)
व्यापार देनदारियों एवं अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	1,744.00	635.70
प्रचालनों (कार्यगत पूंजी परिवर्तन) से सृजित नकद (ख)	**(7,001.97)**	**(2,217.16)**
परिचालन गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकद (कऱख)	**(6,570.09)**	**(1,276.79)**
निवेश संबंधी गतिविधियों से नकद प्रवाह :		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद	(109.58)	(99.80)
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों की बिक्री	4,669.42	-
ब्याज आय	983.13	753.75
निवेश संपत्ति से आय	59.35	86.65
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	**5,602.32**	**740.60**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी	1,875.44	-
गैर–ज़मानती ऋण में वृद्धि/कमी	-	-
ब्याज का भुगतान	(1,274.90)	(1,013.89)
पट्टा देयताओं का भुगतान	(24.21)	-
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद/(प्रयुक्त)	**576.33**	**(1,013.89)**
चालू परिचालन से नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/कमी	(391.44)	(1,550.08)
बंद परिचालनों से नकद और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/कमी *	(202.02)	107.56
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकदी समकक्ष		
	464.45	2,014.53
बंद परिचालन	262.35	154.79
वर्ष के अंत में नकद एवं नकदी समतुल्य	**133.34**	**726.80**
उपरोक्तानुसार नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है।		
जारी परिचालन		
चालू खाता	50.96	277.00
बचत खाता	1.58	153.43
तीन माह से कम मूल परिपक्वता में जमा	20.00	33.55
हाथ में नकद	0.47	0.47
कुल नकद' बैंक शेष – जारी परिचालन	**73.01**	**464.45**
बंद किए गए परिचालन		
चालू खाता	0.22	0.21
तीन माह से कम मूल परिपक्वता में जमा	60.11	262.14
कुल नकद' बैंक शेष – बंद परिचालन	60.33	262.35
कुल नकद और नकद समकक्ष	**133.34**	**726.80**
***बंद परिचालनों से नकद और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/(कमी)**		
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन नकद प्रवाह	(80.04)	(532.56)
परिचालन में प्रयुक्त नकद (कार्यशील पूंजी परिवर्तन)	(156.99)	(977.23)
निवेश गतिविधियों से निवल नकद	35.02	1,683.36
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद/(प्रयुक्त)	(0.01)	(66.01)
बंद परिचालनों से नकद और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि कमी	**(202.02)**	**107.56**
नोट: जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।		

संलग्न सम दिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

पॉलसन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002620S

हस्ता/-
सीए पॉलसन के.पी
साझेदार
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएन: 24021855BKAOAB3272

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव वी .
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

हस्ता/-
सुब्रमणियन एच
कंपनी सचिव

स्थान: एरणाकुलम, केरल
दिनांक: 22.05.2024

31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

1. निगमित सूचना

हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (`नियंत्रक कंपनी") भारत में अधिवासित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिनिगमित है। कंपनी के शेयर भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पोस्ट बैग संख्या18, अंबलमुगल पी ओ, एरणाकुलम जिला, केरल 682302, भारत में स्थित है। नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी (समग्र रूप से "समूह") मुख्य रूप से थोक औद्योगिक रसायनों और रासायनिक मध्यवर्ती पदार्थों के व्यवसाय में लगी हुई है।

2. लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अधीन भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार की जाती है सिवाय कुछ वित्तीय लिखतों का कंपनी अधिनियम, 2013 (`अधिनियम") (अधिसूचित हद तक) के प्रावधानों में उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इंड एएस को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार प्रयुक्त किया गया है, सिवाय जहाँ एक नए रूप से जारी लेखांकन मानक प्रारंभ में अपनाया जाता है या अब तक उपयोग में रही लेखांकन नीति में बदलाव मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए आवश्यक होती है।

निम्नलिखित संपत्तियों और देयताओं जिनका मापन उचित मूल्य पर किया गया है को छोडकर अलग समेकित वित्तीय विवरणों को प्रोद्भूत आधार पर और ऐतिहासिक लागत आधार के तहत तैयार किया गया है:

व्युत्पन्न वित्तीय लिखत

परिभाषित हितलाभ योजनाएँ– योजना परिसंपत्तियाँ

कुछ वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का मापन उचित मूल्य पर (वित्तीय लिखत के संबंध में लेखांकन नीति देखें) किया जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपया (`आईएनआर") या (₹) में प्रस्तुत किया जाता हैं, जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है और सभी मूल्य दो दशमलव तक निकटतम लाख तक पूर्णांकित किए जाते हैं, सिवाय जब अन्यथा संकेत दिया गया हो। जहाँ भी दर्शाई गई राशि '0'/'–' एक लाख रुपए से कम माना जाता है।

लेखांकन अनुमान, पूर्वधारणाएं और निर्णय

इंड एएस के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाओं को बनाने की आवश्यकता है। ये अनुमान, निर्णय और पूर्वधारणाएं लेखांकन नीतियों के प्रयोग और परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गयी राशियों, समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण और इस अवधि के दौरान आय और व्यय की रिपोर्ट की गयी राशियों को प्रभावित करते हैं। लेखांकन नीतियों के प्रयोग में जटिल और वस्तुनिष्ठ निर्णय सम्मिलित महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता है और इन वित्तीय विवरणों में पूर्वधारणाओं के उपयोग को उपयुक्त स्थानों पर प्रकट किया गया है।

लेखांकन अनुमान समय समय पर बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। प्रबंधन अनुमानों से जुड़े परिवेश में परिवर्तन से अवगत हैं, इसीलिए अनुमानों में उचित परिवर्तन किए जाते हैं। अनुमानों में परिवर्तन उस अवधि की समेकित वित्तीय विवरणों जहाँ परिवर्तन किए गए हैं,में प्रतिबिंबित हैं,और यदि उनके प्रभाव महत्वपूर्ण है तो वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

2.2 लेखांकन नीतियों और अनुमानों का सारांश

क) राजस्व मान्यकरण

समूह रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण से मुख्यतः राजस्व प्राप्त करता है।

राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब ग्राहकों को वचन दिए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण का अंतरण उस राशि में स्वीकार किया जाता है जो प्रतिफल प्रतिबिंबित करता है जिसे उन उत्पादों या सेवाओं के लिए लेन–देन में समूह प्राप्त करना प्रत्याशित है।

राजस्व का मापन लेनदेन मूल्य के आधार पर किया जाता है, जो कि एक प्रतिफल है, जिसे ग्राहक के साथ संविदा में निर्दिष्ट मात्रा छूट, प्रदर्शन बोनस,मूल्य रियायतें और प्रोत्साहन (यदि कोई हो) के लिए समायोजित किया जाता है। राजस्व में ग्राहकों से वसूल कर शामिल नहीं है।

जैसा कि समूह केवल रासायनिक विनिर्माण कारोबार करती है और केवल एक स्थान से प्रचालन करती है, इसलिए भौगोलिक स्थान पर राजस्व का स्वरूप अलग–अलग होता है और औद्योगिक वर्टिकल अपेक्षित नहीं है।

राजस्व को मान्यता दिए जाने से पहले नीचे वर्णित विशिष्ट मान्यता मानदंडों को भी पूरा किया जाना चाहिए।

उत्पादों की बिक्री

उत्पाद की बिक्री से राजस्व को तब स्वीकार किया जाता है जब माल के महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के प्रतिफल खरीदार को अंतरित किया जाता है। उत्पाद की बिक्री से राजस्व का मापन प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर, प्रतिलाभ और भत्ते के निवल पर, व्यापार बट्टा, मात्रा घटौती पर किया जाता है।

सेवाएँ प्रदान करना

जब कभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, सेवाओं से आय को स्वीकार किया जाता है।

ब्याज आय

वित्तीय परिसंपत्ति से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है। ब्याज आय को लाभ और हानि विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है।

किराया आय

निवेश संपत्तियों पर परिचालन पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराया आय को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है, जब तक कि प्राप्तियों को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत वृद्धि की भरपाई के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप वृद्धि के लिए संरचित नहीं किया जाता है और इसे परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में शामिल नहीं किया जाता है।

निवेश आस्तियों पर प्रचालन पट्टे से सृजित किराया आय का पट्टे शर्तो पर सीधी रेखा आधार पर हिसाब में लिया जाता है जब तक प्रत्याशित मुद्रास्फीतिकारक लागत संवृद्धि के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रत्याशित सामान्य मुद्रास्फीति के साथ संवृद्धि बढ़ाने के लिए नहीं है और अपने प्रचालन स्वरूप के कारण लाभ या हानि विवरण में शामिल है।

ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोग काल

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोग काल की समीक्षा करती है तथा इन पुनर्मूल्यांकनों के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है। (संदर्भ संख्या 3)

ग) चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

समूह चालू/ गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलनपत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रस्तुत करती है। किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब वह:

- सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने या बेचे जाने या उपभोग किए जाने की उम्मीद हो,
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी गई हो,
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद हो, या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने पर प्रतिबंध न हो

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

व्यापार प्राप्तियां जो रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है, उन्हें चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। 12 महीने से अधिक बकाया को केवल गैर–चालू के रूप में दिखाया जाएगा जब तक कि इसकी वसूली के लिए प्रयास नहीं किए गए हों और यह संभावना न हो कि रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर भुगतान प्राप्त हो जाएगा। इस संबंध में इकाइयों द्वारा एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाएगा।

देयता तब चालू होती है जब:

- इसे सामान्य परिचालन चक्र में निपटाने की उम्मीद है,
- इसे मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखा जाता है,
- इसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर निपटाना है, या
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है देय को व्यापार देय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह सामान्य व्यवसाय के दौरान खरीदे गए सामान या प्राप्त सेवाओं के कारण देय राशि के संबंध में है।

व्यापार देय जो रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों के भीतर निपटाने की उम्मीद है, उसे चालू के रूप में दिखाया जाएगा।

समूह अन्य सभी देनदारियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करती है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर–चालू संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

घ) प्रावधान,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह के पास किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के प्रवाह की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जब समूह को उम्मीद होती है कि किसी प्रावधान के कुछ या सभी हिस्से की प्रतिपूर्ति की जाएगी, उदाहरण के लिए, किसी बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, लेकिन केवल तभी जब प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय को किसी भी प्रतिपूर्ति के बाद लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो उचित होने पर, देयता से संबंधित विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक तुलनपत्र पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

पिछली देयताओं से उत्पन्न संभावित दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को प्रकट किया जाता है और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाएँ घटने या न घटने द्वारा की जाएगी। यह पूरी तरह से उद्यम के नियंत्रण में नहीं, या एक वर्तमान दायित्व जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जाता है क्योंकि या तो यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को जोड़ने वाले संसाधनों का प्रवाह दायित्व को समायोजित करने के लिए आवश्यक होगा, या दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान नहीं बनाया जा सकता है।

ङ) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत जो किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से सीधे संबंधित होती है, जिसके लिए उसके इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, उसे परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अन्य सभी उधार लेने की लागतें उस अवधि में व्यय की जाती हैं जिसमें वे होती हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई को निधियों के उधार लेने के संबंध में वहन करनी पड़ती हैं। उधार लेने की लागत में विनिमय अंतर भी शामिल होता है जिसे उधार लेने की लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

च) कर

इंड–एएस 12 के अनुसार कर व्यय (आयकर और आस्थगित कर) : आय पर करों के लिए लेखांकन को मान्यता दी गई है। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान कई ऐसे लेन–देन और गणनाएँ की जाती हैं जिनके लिए अंतिम कर निर्धारण अनिश्चित होता है। जहाँ इन मामलों का अंतिम कर परिणाम शुरू में दर्ज की गई राशियों से भिन्न होता है, ऐसे अंतर उस अवधि में वर्तमान और आस्थगित कर प्रावधानों को प्रभावित करेंगे जिसमें कर निर्धारण किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को केवल इस सीमा तक मान्यता दी जाती है और आगे बढ़ाया जाता है कि इस बात की आभासी निश्चितता हो कि भविष्य में परिसंपत्तियों की वसूली की जाएगी।

वर्तमान आयकर

वर्तमान आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को आयकर अधिनियम,1961 के अनुसार कराधान अधिकारियों से वसूल की जाने वाली या उन्हें भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हैं।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित वर्तमान आयकर को लाभ या हानि के बाहर मान्यता दी जाती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)। वर्तमान कर मदों को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में या तो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है। प्रबंधन समय–समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है जिसमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करता है।

छ) कर्मचारी हितलाभ

i. अल्पकालिक दायित्व

गैर-मौद्रिक हितलाभ सहित मजदूरी और वेतन के लिए देयताएं उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते है, की समाप्ति के बाद 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित किया जाना प्रत्याशित है, को रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक संबंधित कर्मचारियों की सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है और जब देयताएं समायोजित किया जाता है उस समय भुगतान के लिए प्रत्याशित राशियों में मापा जाता है। देयताओं को तुलन पत्र में चालू कर्मचारी हितलाभ दायित्व के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ii. अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ दायित्व

अर्जित छुट्टी और बीमार छुट्टी के लिए देयताओं को उस अवधि जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, के अंत के 12 माह के भीतर पूर्ण रूप से समायोजित करने की प्रतीक्षा नहीं है। इसलिए उनका मापन रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में प्रत्याशित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में किया जाता है। इसके लिए पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग करता है । हितलाभ को रिपोर्टिंग अवधि जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें होती हैं, के अंत में बाजार उपज का उपयोग करते हुए छूट दी जाती है। समायोजन के परिणामस्वरूप पुनः मापन और बीमांकिक पूर्वधारणाओं में परिवर्तन लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है। यदि संस्था को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान स्थगित करने शर्त रहित अधिकार नहीं है, दायित्वों को तुलनपत्र में वर्तमान देयताओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता हैं। इस समय वास्तविक समायोजन होने की प्रत्याश होने की उम्मीद पर ध्यान देते नहीं है।

iii) रोज़गारोत्तर दायित्व

नियंत्रक कंपनी निम्नलिखित रोज़गारोत्तर योजनाओं का संचालन करती है:

(क) उपदान, पेंशन, रोज़गारोत्तर चिकित्सा योजना जैसी परिभाषित हितलाभ योजनाएं; तथा

(ख) भविष्य निधि जैसी परिभाषित योगदान योजनाएं।

iv. परिभाषित हितलाभ योजनाएं

नियंत्रक कंपनी की उपदान योजना एक परिभाषित हितलाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजना रोज़गार के बाद की लाभ योजना है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में नियंत्रक कंपनी की शुद्ध दायित्व की गणना वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवाओं के बदले में अर्जित भविष्य के लाभों की राशियों का आकलन करते हुए की जाती है।

v. परिभाषित योगदान योजनाएं

नियंत्रक कंपनी की भविष्य निधि योजना एक परिभाषित योगदान योजना है। परिभाषित योगदान योजना रोजगार के बाद की लाभ योजना है जिसके तहत एक संस्था निश्चित योगदान देता है और आगे किसी राशि के भुगतान का कोई दायित्व नहीं होगा। परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्व जब वे देय होते हैं, को लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

उपदान

उपदान रोजगार के बाद की परिभाषित हितलाभ योजना है। उपदान के संबंध में समेकित तुलनपत्र में स्वीकार की गयी देयता समेकित तुलनपत्र की तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है। नियंत्रक कंपनी की देयता प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक रूप से निर्धारित होती है। पुनःमापन के माध्यम से बीमांकिक लाभ/हानि अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया जाता है।

पेंशन और उपदान दायित्व

परिभाषित हितलाभ पेंशन और उपदान योजनाओं के संबंध में समेकित तुलनपत्र में स्वीकार की गयी देयता या संपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना संपत्तियों के उचित मूल्य को कम करती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना प्रतिवर्ष अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करते हुए बीमांककों द्वारा की जाती है।

भारतीय रुपए में उल्लिखित परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य को सरकारी बॉन्ड पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार उपज के संदर्भ में अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है। इस बॉन्ड में संबंधित दायित्व की शर्तों के अनुमानित शर्तें हैं। लाभ जो भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्रा में अंकित हैं, नकदी प्रवाह को उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के संदर्भ में निर्धारित बाजार उपज का उपयोग करके छूट दी जाती है, जो मुद्रा में अंकित होते हैं, जिसमें लाभ का भुगतान किया जाएगा, और जिनके पास संबंधित दायित्व की शर्तों का अनुमानित शर्त है ।

निवल ब्याज लागत की गणना परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल बकाए और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य पर छूट दर लागू करके की जाती है। यह लागत लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल है।

अनुभव समायोजनों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न पुनर्मापन लाभ और हानि को उस अवधि में, जिसमें वे घटित होते हैं, अन्य व्यापक आय में सीधे तौर पर मान्यता दी जाती है।

ये इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में प्रतिधारित अर्जन और तुलनपत्र में शामिल हैं। योजना संशोधन या कटौती से उत्पन्न परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन को पिछली सेवा लागत के रूप में लाभ या हानि में तत्काल स्वीकार किया जाता हैं।

क) परिभाषित हितलाभ योजनाओं (उपदान लाभ),परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में देयता तुलनापत्र में स्वीकार किया जाता है और योजनाबद्ध परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को कम करने के लिए रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रत्याशित भविष्य के भुगतानों पर आधारित है जो रिपोर्टिंग तिथि पर निधि से प्राप्त होते हैं, जिसकी गणना सालाना बीमांककों द्वारा की जाती है। प्रत्याशित भावी वेतन स्तर और सेवा की अवधि आदि पर विचार किया जाता है।

ख) भविष्य निधि में कंपनी का योगदान प्रोद्भूत आधार पर लेख बद्ध किया जाता है।

ग) अस्थायी कर्मचारी हितलाभ को उस वर्ष जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में कटौती न की गयी राशि पर एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता हैं

घ) लाभप्रदता के आधार पर बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के प्रावधानों के अनुसार बोनस प्रदान किया जाता है।

ङ) रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों को उस वर्ष जिसमें कर्मचारी द्वारा संबंधित सेवा प्रदान की जाती है, लाभ और हानि के विवरण में एक व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता हैं। व्यय को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित राशि वर्तमान मूल्य पर स्वीकार किया जाता है। रोजगार के बाद और अन्य दीर्घकालिक हितलाभों से संबंधित बीमांकिक लाभ और हानि को लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित की जाती है।

ज) विदेशी मुद्रा लेन–देन और शेष राशि

विदेशी मुद्रा में लेन–देन को लेन–देन की तारीख पर विनिमय दर लागू करते हुए दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियां और लेन–देन को लेन–देन की तारीख पर विनिमय दर लागू कर दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में समायोजन किए बिना शेष विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं का समेकित तुलनपत्र की तिथि पर विद्यमान अंतिम दर पर परिवर्तित किया जाता है। गैर–मौद्रिक मदों जिसे विदेशी मुद्रा में अंकित ऐतिहासिक लागत के अनुसार लिया जाता है, को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। मौद्रिक मदों के समायोजन पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों, उस दर से जो वर्ष के दौरान प्रारम्भ में दर्ज किया गया था, या पिछले वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की गई थी, को उस वर्ष में जहाँ वे उत्पन्न होते हैं, आय या व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है। विदेशी मुद्रा उधार पर विदेशी मुद्रा अंतर, दिये गए ऋण, उधार संबंधी व्युत्पन्न अनुबंध पर समायोजन लाभ/हानि और उचित मूल्य लाभ/हानि का लेखा किया जाता है और वित्तीय लागत के अधीन प्रकट किया जाता है। इस तरह के विनिमय अंतर में विदेशी मुद्रा अंतर शामिल नहीं है जिसका संबंध उधार लागत के समायोजन और परिसंपत्तियों की लागत के साथ पूंजीकृत के रूप में माना जाता है।

झ) गैर–वित्तीय संपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह किसी परिसंपत्ति खराब होने के संकेत का आकलन करती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी परिसंपत्ति के लिए वार्षिक क्षति परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो समूह संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू) निपटान के उचित मूल्य घटा लागत और उपयोग में इसके मूल्य की तुलना में अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत संपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि संपत्ति नकद प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो उन अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र है । जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो परिसंपत्ति को क्षत के रूप माना जाता है और इसकी वसूली योग्य राशि पर बट्टे खाते डाला जाता है।

उपयोग में मूल्य के निर्धारण के लिए, अनुमानित भविष्य नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार के आकलन को दर्शाती है। निष्पक्ष मूल्य को निपटाने की कम लागत निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन-देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे कोई लेन-देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं को मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से व्यापार की गई कंपनियों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों के लिए उद्धृत शेयर मूल्यों द्वारा संपुष्टि की जाती है।

साख को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या पहले स्वीकृत क्षति नुकसान मौजूद नहीं है या कम हो गई है संबंधी संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो समूह परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। चूंकि पिछले क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया,परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की गई धारणाओं में कोई बदलाव आया हो तो तब पहले स्वीकृत क्षति नुकसान को उलट देता है। यह उलट सीमित है ताकि परिसंपत्ति की वहनीय राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित होने वाली वहनीय राशि से अधिक हो, मूल्यह्रास के निवल, पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई क्षति नुकसान स्वीकृत किया गया है। इस तरह के उलटे को लाभ या हानि के विवरण में स्वीकृत है। जब सीजीयू की वसूली योग्य राशि इसकी वहनीय राशि से कम है, तो एक क्षति नुकसान स्वीकार किया जाता है।

ञ) नकद और नकदी समतुल्य

समेकित तुलनपत्र में नकद और नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथों में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमाराशियाँ शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकद प्रवाह के समेकित विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकदी समतुल्य में ऊपर परिभाषितानुसार नकदी और अल्पकालिक

जमाराशियाँ, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल शामिल हैं क्योंकि उन्हें समूह के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है।

त) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्ट अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके की जाती है, जिसके तहत वर्ष के लिए लाभ को गैर–नकद प्रकृति के लेन–देन के प्रभावों, पिछले या भविष्य के परिचालन नकदी प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की मद के लिए समायोजित किया जाता है। समूह की परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

थ) नकद लाभांश

नियंत्रक कंपनी इक्विटी धारकों को नकदी वितरण करने के लिए देयता को तब स्वीकार किया जाता है जब वितरण प्राधिकृत किया जाता है और वितरण अब कंपनी के विवेकाधिकार पर नहीं है। भारत के कॉर्पोरेट कानूनों के अनुसार, वितरण तब प्राधिकृत किया जाता है जब शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुरूप राशि सीधे इक्विटी में स्वीकार किया जाता है।

द) न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)

भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार भुगतान की गयी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) अप्रयुक्त कर क्रेडिट की प्रकृति में है जिसे आगे ले जा सकता है और इसका उपयोग तब किया जा सकता है जब कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। इस तरह के कर क्रेडिट पर आस्थगित कर संपत्तियों इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि यह संभव है कि अप्रयुक्त कर क्रेडिट का उपयोग निर्दिष्ट भविष्य अवधि में किया जा सके। वसूल करने योग्य कर निवल राशि या कराधान प्राधिकारी को भुगतान योग्य कर को तुलन पत्र में प्राप्य राशि या देय राशि के हिस्से के रूप में शामिल की जाती है।

ध) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को स्वीकार किया जाता है जहाँ उचित आश्वासन दिया जाता है कि अनुदान प्राप्त करेगा और सभी संलग्न शर्तों का पालन किया जाएगा। जब अनुदान एक व्यय मद से संबंधित होता है, तो इसे संबंधित लागतों की अवधि के दौरान व्यवस्थित आधार पर आय के रूप में स्वीकार किया जाता है, जिसके लिए इसे क्षतिपूर्ति करने का लक्ष्य है, व्यय किया जाता है। जब अनुदान किसी परिसंपत्ति से संबंधित है, तो संबंधित परिसंपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवनकाल पर समान राशियों में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

निर्यात लाभः

आयात और निर्यात नीति के अनुसार कथित आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात का मिलान कथित लाइसेंस के खिलाफ किए गए निर्यातों के लिए किया जाता हैं और निवल लाभ / दायित्व को कच्चे माल की खपत में उपयुक्त समायोजन करते हुए लेखांकन किया गया है।

कथित योजनाओं के अधीन शुल्क वापसी, पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना और किए गए निर्यात के संबंध में आयात और निर्यात नीति के अनुसार अन्य योजनाओं के तहत प्रोद्भूत लाभ को "अन्य प्रचालन राजस्व" के तहत "निर्यात प्रोत्साहन" के रूप में शामिल किया गया है। "

न) प्रति शेयर अर्जन:

प्रति शेयर मूल आधारभूत अर्जन की गणना उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि का भाग देकर की जाती है। प्रति शेयर तनुकरण अर्जनों की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों के लिए आरोप्य अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या सभी तनुकरणीय संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

प) शेयर–आधारित भुगतान:

कर्मचारी शेयर आधारित भुगतान योजनाओं का मापन और प्रकटीकरण इंड एएस 102, शेयर–आधारित भुगतान के अनुसार किया जाता है। समूह उचित मूल्य विधि का उपयोग करते हुए कर्मचारी स्टॉक विकल्पों से संबंधित क्षतिपूर्ति की लागत का आकलन करती है। क्षतिपूर्ति व्यय को सीधी रेखा आधार पर विकल्प की निहित अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

फ) पिछली अवधि की त्रुटियां और चूक:

पिछली अवधि से संबंधित आय और व्यय की अलग–अलग मदों में त्रुटियां और चूक, यदि संभव हो तो संबंधित अवधि में `1 लाख से अधिक का हिसाब लगाया जाता है, या प्रतिधारित कमाई को खोलने के खिलाफ समायोजित किया जाता है

2.3 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरण में रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

सहायक कंपनीः

सहायक कंपनियों में वे सभी संस्थाएँ शामिल हैं जिन पर समूह का नियंत्रण है। समूह किसी संस्था को तब नियंत्रित करता है जब समूह उस संस्था में अपनी भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनशील रिटर्न के संपर्क में होता है या उसके पास इसके अधिकार होते हैं और संस्था की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सहायक कंपनियों को नियंत्रण शुरू होने की तिथि से लेकर नियंत्रण समाप्त होने की तिथि तक समेकित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया हैः

i. नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की समान मदों को एक साथ जोड़कर लाइन बाय लाइन आधार पर समेकित किया गया है, जब तक कि लागू लेखा मानक के अनुसार लागत की वसूली नहीं की जा सकती है, इंट्रा–ग्रुप बैलेंस और इंट्रा–ग्रुप लेनदेन और परिणामी अवास्तविक लाभ या हानि को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। संबंधित सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को जहां भी आवश्यक हो, संरेखित किया जाता है, ताकि भारतीय लेखा मानक के तहत समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के साथ संगतता सुनिश्चित की जा सके।

ii. सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की अग्रणीत राशि और सहायक कंपनी की इक्विटी में मूल कंपनी के हिस्से की भरपाई (समाप्त) की जाती है।

iii. समेकित वित्तीय विवरण,लागू सीमा तक, 2013 अधिनियम की अनुसूची-III की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं।

iv. समेकित सहायक कंपनियों की शुद्ध परिसंपत्तियों में गैर–नियंत्रक हित ("एनसीआई") अधिग्रहण की तिथि पर गैर–नियंत्रक शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार इक्विटी की राशि से मिलकर बनता है।

v. लाभ या हानि और ओसीआई के प्रत्येक घटक को मूल कंपनी के इक्विटी धारकों और एनसीआई के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप एनसीआई में घाटा शेष हो।

हाल ही का भारतीय लेखांकन मानक

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय–समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। 31 मार्च, 2023 को, एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन किए:

इंड एएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति – इस संशोधन के तहत संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बजाय अपनी भौतिक लेखांकन नीतियों का खुलासा करना आवश्यक है। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है।

इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ– इस संशोधन ने "लेखांकन अनुमानों" की परिभाषा पेश की है और इसमें भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन शामिल किए गए हैं, ताकि संस्थाओं को लेखांकन नीतियों में परिवर्तनों को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तनों से अलग करने में मदद मिल सके। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं है।

इंड एएस 12 – आयकर – इस संशोधन ने प्रारंभिक मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया है, ताकि यह उन लेन–देन पर लागू न हो जो समान और ऑफसेटिंग अस्थायी अंतर को जन्म देते हैं। इस संशोधन को अपनाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका उसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं है।

नोट 3 क) – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ("पीपीई")

लेखांकन नीतिः

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदें जिनमें पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, लागत पर बताई गई हैं (उचित मूल्य पर मूल्यांकित भूमि को छोड़कर),संचित मूल्यह्रास का शुद्ध और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो। लागत में क्रय मूल्य और परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए कार्यशील स्थिति में लाने की कोई भी लागत शामिल होती है। ऐसी लागत में संयंत्र और उपकरण के भाग को बदलने की लागत तथा मान्यता मानदंड पूरा होने पर दीर्घकालिक निर्माण परियोजनाओं के लिए उधार लेने की लागत शामिल है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद से संबंधित अनुवर्ती व्यय को उसके बही मूल्य में तभी जोड़ा जाता है, जब इससे विद्यमान परिसंपत्ति से भविष्य में होने वाले लाभ में उसके पूर्व में मूल्यांकित प्रदर्शन मानक से अधिक वृद्धि होती है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण भागों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो समूह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार उनके विशिष्ट उपयोगी जीवन के आधार पर अलग से उनका मूल्यह्रास करता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव लागतों को लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि/ हटाए जाने के संबंध में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि/ हटाए जाने के महीने के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

होल्डिंग कंपनी अपनी भूमि के उतार–चढ़ाव वाले उचित मूल्य को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करने के लिए वार्षिक पुनर्मूल्यांकन नीति अपनाती है। पीपीई के तहत भूमि का उचित मूल्य बाहरी स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है, जिनके पास मूल्यांकन की जाने वाली संपत्ति के स्थान और श्रेणी का अनुभव है। उक्त भूमि का पुनर्मूल्यांकन पंजीकृत मूल्यांकक इंजी. जोस टॉम, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और पंजीकृत मूल्यांकक (आईबीबीआई), आईबीबीआई/ आरवी/ 05/ 2021/ 13810 द्वारा 02.04.2024 को किया गया है और 31 मार्च 2024 तक इसका उचित मूल्य 19,441.99 लाख रुपये है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का तीन साल में एक बार भौतिक सत्यापन किया जाता है। प्रबंधन का विचार है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन यथार्थवादी है और उस अवधि का उचित अनुमान दर्शाता है जिसके दौरान परिसंपत्तियों का उपयोग किए जाने की संभावना है। होल्डिंग कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और इन पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप भविष्य की अवधि में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए सीधी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, ताकि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुमानित उपयोगी जीवन पर लागत में से अवशिष्ट मूल्य घटाकर निम्नानुसार व्यय किया जा सकेः

1) भवन : 3/ 5/ 30/ 60 साल
2) संयंत्र और उपकरण : 10/ 12/ 15/ 20 साल
3) फर्नीचर और फिक्सचर : 10 साल
4) वाहनः 8/ 10 साल
5) कार्यालय उपकरण : 3/ 5/ 6/ 8 साल
6) अमूर्त संपत्ति : 5 साल

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वे वस्तुएं जो सक्रिय उपयोग से हटा दी गई हैं और निपटान के लिए रखी गई हैं, उनका मूल्यांकन उनके शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है।

(रु. लाख में)

विवरण	भूमि और भूमि विकास ङ	भूमि पुनर्मूल्यांकन	भवन	संयंत्र और उपकरण	फर्नीचर, फिक्सचर और उपकरण	वाहन	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय पुस्तकें	कुल
सकल वहन राशि									
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	578.25	13,441.38	1,282.52	25,032.86	117.12	118.80	690.18	13.47	41,274.58
जोड़	-	6,000.61	30.84	48.04	3.07	0.61	23.52	-	6,106.69
हटाना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**578.25**	**19,441.99**	**1,313.36**	**25,080.90**	**120.19**	**119.41**	**713.70**	**13.47**	**47,381.27**
संचित मूल्यह्रास									
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	-	-	917.73	23,122.79	104.16	109.37	632.03	13.43	24,899.51
हटाए	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	-	20.20	77.20	1.04	0.84	12.24	-	111.52
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**–**	**–**	**937.93**	**23,199.99**	**105.20**	**110.21**	**644.27**	**13.43**	**25,011.03**
31 मार्च 2024 तक शुद्ध वहन राशि	**578.25**	**19,441.99**	**375.43**	**1,880.91**	**14.99**	**9.20**	**69.43**	**0.04**	**22,370.24**
31 मार्च 2023 तक शुद्ध वहन राशि	**578.25**	**13,441.38**	**364.79**	**1,910.07**	**12.96**	**9.43**	**58.15**	**0.04**	**16,375.07**
01 अप्रैल, 2022 तक शुद्ध वहन राशि	**578.25**	**12,406.00**	**382.79**	**1,898.32**	**11.85**	**10.08**	**60.71**	**0.04**	**15,348.07**

* 2.046 एकड़ भूमि एरणाकुलम फैक्ट्री भूमि की चारदीवारी के बाहर है और इसे पुनः सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया तथा चारदीवारी के अंदर की भूमि के लिए भूमि कर का भुगतान किया जाता है। एचओसीएल के पास 112.73 एकड़ भूमि का स्पष्ट स्वामित्व विलेख है।

3 ख) निवेश संपत्ति

लेखांकन नीति

होल्डिंग कंपनी निवेश संपत्तियों की अनुमानित लागत के रूप में वहन मूल्य का उपयोग करती है। ऐसी संपत्ति में निवेश जो कंपनी के संचालन या उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से उपयोग में नहीं लाया जाता है, उसे निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवेश संपत्तियों को शुरू में लेनदेन लागत और जहां लागू हो, उधार लेने की लागत सहित इसकी लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है।अनुवर्ती लागत को, जहां भी उचित हो, परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, केवल तभी जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव को उस रिपोर्टिंग अवधि के दौरान लाभ या हानि में शामिल किया जाता है जिसमें वे किए गए हों।

हालाँकि कंपनी निवेश संपत्ति को लागत आधारित माप का उपयोग करके मापती है, लेकिन निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोट्स में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य एक मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

होल्डिंग कंपनी अपनी निवेश संपत्तियों का उपयोगी जीवन काल के दौरान मूल्यह्रास करती है, जो संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के समान है।

निवेश संपत्तियों की मान्यता या तो तब समाप्त कर दी जाती है जब उनका निपटान कर दिया जाता है या जब उन्हें स्थायी रूप से उपयोग से हटा लिया जाता है और भविष्य में उनके निपटान से कोई आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद नहीं होती है। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर को मान्यता समाप्ति की अवधि में लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

रुपये लाख में

विवरण	निवेश संपत्ति भूमि *	निवेश संपत्ति भवन	कुल
सकल वहन राशि			
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	16.71	136.89	153.60
जोड़	-	-	-
हटाना	-	-	-
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**16.71**	**136.89**	**153.60**
संचित मूल्यह्रास			
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	-	67.02	67.02
हटाना	-	-	-
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	-	2.17	2.17
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**-**	**69.19**	**69.19**
31 मार्च 2024 तक शुद्ध वहन राशि	**16.71**	**67.70**	**84.41**
31 मार्च 2023 तक शुद्ध वहन राशि	**16.71**	**69.87**	**86.58**
31 मार्च 2023 तक शुद्ध वहन राशि	**16.71**	**72.03**	**88.74**

1. होल्डिंग कंपनी ने कोची के अंबलमुगल में मेसर्स स्टर्लिंग गैस लिमिटेड को रद्द करने योग्य लीज़ समझौते के तहत ऑपरेटिंग लीज़ के रूप में 1.03 एकड़ ज़मीन दी थी। निवेश संपत्तियों को लीज़ समझौते के तहत कवर किए गए क्षेत्र के आधार पर मालिकाना हक़ वाली संपत्ति से अलग किया जाता है और निवेश का मूल्य आनुपातिक आधार पर निर्धारित किया गया है।
2. होल्डिंग कंपनी के पास कोच्चि में 184 आवासीय फ्लैट हैं, जिनका क्षेत्रफल 155104 वर्ग फीट है, जिसमें से 46594 वर्ग फीट, जिसमें 55 फ्लैट हैं, को किराये पर देने के लिए निवेश संपत्ति के रूप में चिह्नित किया गया है।

* निवेश संपत्ति का उचित मूल्य बाहरी स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित किया गया है, जिनके पास मूल्यांकन की जाने वाली संपत्ति के स्थान और श्रेणी का अनुभव है। कोच्चि में भूमि का पुनर्मूल्यांकन पेशेवर रूप से योग्य स्वतंत्र पंजीकृत मूल्यांकक इंजी. जोस टॉम, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट और पंजीकृत मूल्यांकक (आईबीबीआई), आईबीबीआई/आरवी/05/2021/13810 द्वारा 02.04.2024 को किया गया है।

रुपये लाख में

निवेश संपत्ति (भूमि) का उचित मूल्य	2023-24	2022-23
निवेश संपत्ति–स्टर्लिंग गैस लिमिटेड	174.89	120.41
निवेश संपत्ति–टाउनशिप	445.62	408.49
कुल	**620.51**	**528.90**

निवेश संपत्ति के लिए लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशियाँ

आकस्मिक किराये सहित किराये की आय	26.67	26.98
किराये की आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति से प्रत्यक्ष परिचालन व्यय	14.53	7.20
ऐसी संपत्ति से प्रत्यक्ष परिचालन व्यय जिससे किराये की आय उत्पन्न नहीं होती	-	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों से आय	**12.14**	**19.78**
मूल्यह्रास	2.17	2.16
निवेश संपत्तियों से आय	**9.97**	**17.62**

3 ग) अन्य अमूर्त संपतियाँ

लेखा नीति:

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर आरंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। आरंभिक मान्यता के बाद, निश्चित जीवन वाली अमूर्त संपत्तियों को लागत में से किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि को घटाकर रखा जाता है। पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और संबंधित व्यय उस अवधि में लाभ या हानि में परिलक्षित होता है जिसमें व्यय किया जाता है। एक निश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त संपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। किसी अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से होने वाले लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर उसे लाभ या हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।शोध लागत को व्यय के रूप में तब माना जाता है जब वह व्यय की जाती है। किसी व्यक्तिगत परियोजना पर विकास व्यय को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में तब पहचाना जाता है जब होल्डिंग कंपनी परिसंपत्ति को उपयोग या बिक्री के लिए उपलब्ध कराने की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदर्शित कर सकती है।

विकास व्यय को परिसंपत्ति के रूप में आरंभिक मान्यता के पश्चात, परिसंपत्ति को लागत में से संचित परिशोधन तथा संचित हानि हानि घटाकर वहन किया जाता है। परिसंपत्ति का परिशोधन तब शुरू होता है जब विकास पूरा हो जाता है तथा परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। इसे अपेक्षित भावी लाभ की अवधि में परिशोधित किया जाता

है। परिशोधन व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जब तक कि ऐसा व्यय किसी अन्य परिसंपत्ति के वहन मूल्य का हिस्सा न हो।

रुपये लाख में

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
सकल वहन राशि		
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	442.30	442.30
जोड़	3.50	3.50
हटाना	-	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**445.80**	**445.80**
संचित मूल्यह्रास		-
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	423.44	423.44
हटाना	-	-
वर्ष के लिए मूल्यह्रास	8.73	8.73
31 मार्च 2024 तक शेष राशि	**432.17**	**432.17**
31 मार्च 2024 तक शुद्ध वहन राशि	**13.63**	**13.63**
31 मार्च 2023 तक शुद्ध वहन राशि	**18.86**	**18.86**
01 अप्रैल, 2022 तक शुद्ध वहन राशि	**27.24**	**27.24**

वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों की सम्पत्तियों, संयंत्र एवं उपकरणों तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के प्रबंधन अनुमानों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

3 घ) बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति

लेखांकन नीतिः

बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों या निपटान समूहों को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उनकी अग्रणीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। यह शर्त तभी पूरी मानी जाती है जब बिक्री अत्यधिक संभावित हो और परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, बशर्ते कि ऐसी परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत शर्तें लागू हों। प्रबंधन को बिक्री के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जिसके लिए वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अपेक्षा की जानी चाहिए, तथा बिक्री की योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है या योजना को वापस नहीं लिया जाएगा।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों को एक बार बिक्री के लिए वर्गीकृत कर दिए जाने पर उनका मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

रुपये लाख में

विवरण	शुद्ध वहन राशि		
	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
भूमि	97,480.25	102,149.67	102,149.67
भवन	180.05	180.05	207.19
संयंत्र एवं उपकरण	58.81	58.81	1,565.46
फर्नीचर, फिक्चर और उपकरण	2.52	2.52	6.21
कंप्यूटर	0.13	0.13	0.81
कुल	**97,721.76**	**102,391.18**	**103,929.34**

नोटः होल्डिंग कंपनी सरकार के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। 22 मई, 2017 के आदेश के अनुसार पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी गई है, कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, प्लांट और स्क्रैप किए गए उपकरणों का निपटान कर दिया गया है। रसायनी में एनबीसीसी के माध्यम से अप्रतिबंधित भूमि (बीपीसीएल को 152 एकड़ भूमि की सीधी बिक्री) और ई–नीलामी के माध्यम से पनवेल भूमि की बिक्री प्रगति पर है। कोची में फिनोल संयंत्र प्रचालन में है।

क) मूलतः, होल्डिंग कंपनी की रसायनी इकाई के पास 1012.355 एकड़ भूमि थी (राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार)। इस भूमि में से 251 एकड़ भूमि बीपीसीएल को बेची गई, तथा 20 एकड़ भूमि इसरो को वर्ष 2017–18 में बेची गई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018–19 में 38.687 एकड़ भूमि बीपीसीएल को बेची गई।वर्ष 2019–20 में 85.27 एकड़ जमीन बीपीसीएल को बेची गई, और 0.386 एकड़ जमीन आईओसीएल (पेट्रोल पंप क्षेत्र) को बेची गई। शेष 65.840 एकड़ में से 22.717 एकड़ भूमि अतिक्रमित के रूप में चिन्हित की गई है, 32.547 एकड़ भूमि एमआईडीसी, एमएसईबी, एचआईएल, एमईएस आदि के कब्जे में है तथा 10.576 एकड़ सार्वजनिक सड़क को शून्य मूल्य का माना गया है। अतिक्रमण का निर्धारण मेसर्स द जियो टेक के माध्यम से कंपनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर किया गया था, जैसा कि 24 अप्रैल, 2019 की उनकी रिपोर्ट में बताया गया है। कंपनी ने 2023–24 में बीपीसीएल को 4,669.42 लाख रुपये में 33.353 एकड़ जमीन बेची। शेष 517.819 एकड़ भूमि को बिक्री हेतु रखी गई संपत्ति माना गया है।

ख) पनवेल नगर आयुक्त से प्राप्त संचार के अनुसार, सर्वेक्षण संख्या 738 के प्लॉट संख्या 11 और 12 के वास्तविक क्षेत्र के संबंध में, जिस पर से एक सार्वजनिक सड़क गुजरती है और इस प्रकार बिक्री के लिए उपलब्ध पनवेल भूमि का कुल क्षेत्रफल 8 एकड़ से घटकर 7.09 एकड़ हो गया है। तदनुसार आरक्षित मूल्य (उचित मूल्य) घटाकर 158 करोड़ रुपये कर दिया गया है। रायगढ़ के कलेक्टर ने एनओसी जारी करने की रिपोर्ट में 40% अनर्जित आय के रूप में चार्ज करने की सिफारिश की है। महाराष्ट्र सरकार के उक्त प्रस्ताव को 09.11.2022 को होने वाली एचओसीएल बोर्ड की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। कंपनी प्रशासनिक मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

ग) सहायक कंपनी, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, जिसके अधीन कंपनी कार्य करती है, के दिनांक 29.01.2020 के पत्र के अनुसार, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 22 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में एचएफएल के संयंत्र/इकाई के संचालन को बंद करने और सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी थी।

घ) सहायक कंपनी की भूमि का भारतीय लेखा मानक के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया गया है और भारतीय लेखा मानक पुनर्मूल्यांकन से पहले भूमि का मूल मूल्य 59 लाख रुपये है। फैक्ट्री की 126.13 एकड़ जमीन रुद्रराम पी.ओ., कंडी मंडल, संगारेड्डी जिला, तेलंगाना राज्य में स्थित है और यह भूमि फ्रीहोल्ड है। एचओसीएल के पास 84.31 एकड़ भूमि का पहला स्वामित्व है।

ङ) 31.03.2024 तक सहायक कंपनी की कुल भूमि का उचित मूल्य 14,663.57 लाख रुपये है। चूंकि भूमि का उचित मूल्य लेखा पुस्तकों के अनुसार अग्रणीत मूल्य से अधिक है, इसलिए बिक्री के लिए रखी गई भूमि का अग्रणीत मूल्य भारतीय लेखा मानक 105 के पैरा 15 के अनुसार रिपोर्ट किया जाना जारी है।

च) सहायक कंपनी के भवनों में टाइम ऑफिस भवन (कुल मूल्य 4.33 लाख रुपये), सुरक्षा चौकी (कुल मूल्य 4.55 लाख रुपये) और बाड़ एवं कम्पाउंड दीवार (कुल मूल्य 145.58 लाख रुपये) शामिल हैं। कुल सकल मूल्य 154.46 लाख रुपये, संचित मूल्यह्रासः 39.56 लाख रुपये और शुद्ध मूल्य 114.90 लाख रुपये। वर्ष के दौरान मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया गया क्योंकि सहायक कंपनी में कोई परिचालन नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

4क. निवेश **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
गैर चालू			
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट निवेश			
केरला एनवीरों इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में अनुद्धृत इक्विटी शेयर में निवेश.			
(प्रत्येक 10/– रूपए के 50000 अनुद्धृत इक्विटी शेयर)	5.00	5.00	5.00
घटाएँ :– निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान	-	-	-
कुल	**5.00**	**5.00**	**5.00**

4ख अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
(सही माने गए – अरक्षित) परिशोधित लागत पर वहन किया गया			
जमा:			
i) केएसईबी	239.49	239.49	223.71
ii) ईएमडी और किराया	58.86	51.71	53.71
iii) टेलीफोन जमा	1.68	1.68	1.68
कुल	**300.03**	**292.88**	**279.10**

5. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) प्राधिकारियों एवं उच्च न्यायालय के पास अन्य जमाराशि	276.88	276.88	271.97
"ii) उपदान निधि ट्रस्ट के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति (नोट संख्या 30 देखें)"			
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1,651.82	1,729.48	-
परिभाषित लाभ दायित्व	(1,550.72)	(1,586.47)	-
शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति	**101.10**	**143.01**	**–**
कुल	**377.98**	**419.89**	**271.97**

6. माल सूची

लेखांकन नीति:

(i) भंडार एवं पुर्जों, पैकिंग सामग्री और कच्चे माल का मूल्यांकन लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए लागत का निर्धारण चल भारित औसत के आधार पर किया जाता है। हालाँकि, यदि तैयार उत्पाद जिसमें उन्हें संयोजित किया जाना है, लागत पर या उससे अधिक पर बेचने की उम्मीद है, तो उपरोक्त वस्तुओं की कीमत लागत से कम नहीं होगी।

(ii) अर्द्ध–तैयार उत्पादों और तैयार उत्पादों का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए, लागत का निर्धारण मानक लागत के आधार पर किया जाता है, जो वास्तविक लागत के लगभग बराबर होती है।असामान्य रूप से कम मात्रा और परिचालन प्रदर्शन को छोड़कर, विचलनों को इन्वेंट्री में समायोजित किया जाता है।

(iii) उप–उत्पादों का मूल्यांकन अनुमानित शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य पर किया जाता है।

(iv) व्यापारिक वस्तुओं का मूल्यांकन लागत और शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। लागत में खरीद की लागत और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। लागत का निर्धारण भारित औसत के आधार पर किया जाता है। शुद्ध प्राप्ति योग्य मूल्य व्यवसाय के सामान्य क्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य है, जिसमें पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागतें घटाई जाती हैं।

अप्रचलित और धीमी गति से चलने वाली मालसूची के विरुद्ध भत्ते

होल्डिंग कंपनी अपने इन्वेंटरी की स्थिति की समीक्षा करती है तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अप्रचलित और धीमी गति से चलने वाली इन्वेंटरी वस्तुओं के लिए प्रावधान करती है, जिन्हें बिक्री या उपयोग के लिए अब उपयुक्त नहीं माना जाता है। होल्डिंग कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इन्वेंट्री समीक्षा करती है और अप्रचलित तथा धीमी गति से चलने वाली वस्तुओं के लिए प्रावधान करती है। होल्डिंग कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर अनुमान का पुनर्मूल्यांकन करती है और धीमी गति से चलने वाली इन्वेंट्री के लिए 50% तथा अप्रचलित वस्तुओं के मामले में 100% प्रावधान करती है।"

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
क. कच्चा माल और घटक	1,918.97	998.33	1,701.86
ख. पारगमन में कच्चा माल	25.96	-	-
कुल	**1,944.93**	**998.33**	**1,701.86**
ग. प्रगति पर कार्य	1,010.56	938.00	1,133.84
घ. तैयार माल	1,423.96	978.47	2,265.34
ङ. स्टोर, स्पेयर पार्ट्स और पैकिंग सामग्री	2,798.41	2,401.65	2,932.94
घटाएँः भंडार और पुर्जों के अप्रचलन के लिए भत्ते	(280.94)	(355.50)	(382.73)
कुल	**6,896.92**	**4,960.95**	**7,651.25**

वर्ष के दौरान, होल्डिंग कंपनी ने स्टोर और स्पेयर्स के अप्रचलन के लिए 74.56 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट वापस कर दी है।

7. व्यापार प्राप्य **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
सही माने गए – रक्षित	-	-	-
सही माने गए – अरक्षित	1,995.31	1,936.39	861.19
जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	0.48	3.09
ऋण ख़राब	1,503.20	1,506.17	1,489.46
घटाएँः संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	(1,503.20)	(1,506.17)	(1,489.46)
घटाएँः बिल प्राप्य छूट	-	-	-
कुल	**1,995.31**	**1,936.87**	**864.28**

i) होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों में संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता दिया जाता है, जिसे प्रबंधन की राय में ऋण क्षति माना जाता है। होल्डिंग कंपनी लगातार उन व्यापारिक प्राप्तियों के लिए छूट बनाने की प्रथा का पालन कर रही है जो तीन साल से अधिक समय तक बकाया रहती हैं या जिनकी वसूली संदिग्ध होती है। दो से तीन साल के बीच की व्यापारिक प्राप्तियों में महत्वपूर्ण ऋण जोखिम को दर्शाने वाले छूट के लिए प्रावधान किया गया है।

ii) सहायक कंपनी की पुस्तकों में पक्षों के डेबिट/क्रेडिट का शेष उनके द्वारा पुष्टि तथा कंपनी द्वारा समीक्षा के अधीन है।

iii) सहायक कंपनी की पुस्तकों में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर मामले के बकाया ऋण शामिल हैं, जो 129.16 लाख रुपये की राशि के साथ लंबित हैं (पिछले वर्ष 129.16 लाख रुपये)

भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अंतर्गत अपेक्षित गतिविधि का प्रकटीकरण

रुपये लाख में

संदिग्ध व्यापार प्राप्य के लिए भत्ता	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
वर्ष की शुरुआत में प्रावधान	1,506.17	1,521.11	1,474.13
वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान **	-	2.14	16.77
वर्ष के दौरान जारी *	2.97	17.08	1.44
वर्ष के अंत में प्रावधान	**1,503.20**	**1,506.17**	**1,489.46**

* वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी ने 2.97 लाख रुपए (पिछले वर्ष 17.08 लाख रुपए) के बराबर व्यापार प्राप्तियां एकत्रित/बट्टे खाते में डाली हैं, जिसके लिए भत्ता पहले ही बनाया जा चुका है।

व्यापार प्राप्य समयवृद्धि अनुसूची **रुपये लाख में**

विवरण	देय नहीं छःमाह से कम	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छःमाह से कम	छःमाह 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्षों से अधिक	
चालू वर्ष -2023-24							
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य सही माने गए	1853.34						1853.34
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो ।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण इमपैरेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.67	513.67
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य–सही माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.16	0.00
(v) विवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.69	970.69
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण इमपैरेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64	31.64
कुल	1853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1645.16	3498.50
घटाएँः प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1503.19	1503.19
निवल राशि	1853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	141.97	1995.31

विवरण	देय नहीं छःमाह से कम	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		छःमाह से कम	छःमाह 1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3वर्षों से अधिक	
पिछले वर्ष -2022-23							
(i) अविवादित व्यापार प्राप्यसही माने गए	1791.84	0.00	0.19	0.49	0.00	0.00	1792.52
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो ।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य–ऋण इमपैरेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00
(iv)विवादित व्यापार प्राप्य–सही माने गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.16	129.16
(v) विवादित व्यापार प्राप्य–जिनके ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हो।	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.22	899.22
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य–ऋण इमपैरेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64	0.00
कुल	1791.84	0.00	0.19	0.49	0.48	1650.02	3411.39
घटाएँः प्रत्याशित ऋण नुकसान के लिए भत्ता	0.00	0.00	0.12	0.04	0.08	1474.28	1474.52
निवल राशि	1791.84	0.00	0.07	0.45	0.40	175.74	1936.87

8. नकद और नकदी समतुल्य **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
बैंकों के साथ शेष (नकद और नकदी समतुल्य श्रेणी के):			
चालू खाता	51.18	277.21	233.15
बचत खाता *	1.58	153.43	149.25
तीन माह से कम मूल परिपक्वता सहित निवेश	80.11	295.69	382.45
हाथ में नकद	0.47	0.47	1.48
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी और नकदी समकक्ष	**133.34**	**726.80**	**766.33**

* स्माल कोसेस कोर्ट, मुंबई के निर्देशों के अनुसार हरचंदराई हाउस की किराए देय राशि के लिए बचत खाते में शेष राशि पृथक रक्षित है ।

9. अन्य बैंक शेष **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
एलसी/ बीजी के विरुद्ध मियादी जमा	6,092.43	6,202.07	5,595.43
तीन महीने से अधिक लेकिन बारह महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशि	19,144.99	12,884.89	9,310.61
कुल	**25,237.42**	**19,086.96**	**14,906.04**

सावधि जमा में 1418.35 लाख रुपये (संयंत्र और सहायक कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री आय से प्राप्त) शामिल हैं, जो न्यायालय के निर्देशानुसार सहायक कंपनी द्वारा 31.3.2023 को एसबीआई, सैफाबाद शाखा, हैदराबाद में जमा किया गया।

10. ऋण (चालू परिसंपत्तियां) **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
(क) कर्मचारियों को ऋण			
अरक्षित, सही माने गए	14.84	22.35	21.01
(ख) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम			
अरक्षित, संदिग्ध	65.00	65.00	65.00
घटाएँ: आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	65.00	65.00	65.00
	–	–	–
कुल	**14.84**	**22.35**	**21.01**

ऋण और प्राप्य गैर–व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां है जो कंपनी के लिए एक निश्चित या परिवर्तनीय ब्याज आय उत्पन्न करती हैं।

11. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
प्राप्य ब्याज (असुरक्षित, सही माने गए)			
(i) जमा राशियों पर प्रोद्भूत ब्याज (क)	753.59	369.27	385.17
(ii) अग्रिमों पर प्रोद्भूत ब्याज	106.08	106.08	106.08
घटाएँ: संदिग्ध चुकौती के लिए प्रावधान	106.08	106.08	106.08
निवल राशि (ख)	–	–	–
(iii) टाउनशिप से प्रोद्भूत आय	-	-	5.53
घटाएँ: भत्ते	-	-	5.53
निवल राशि (ग)	–	–	–
ख) सहायक कंपनी से प्राप्त ब्याज			
अरक्षित, सही माने गए			
(सर्वश्री हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड)*	-	-	-
कुल (क + ख + ग)	**753.59**	**369.27**	**385.17**

12. अन्य चालू परिसंपत्तियां **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क कलेक्टरेट के पास जमा	7.37	7.37	7.37
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	2.90	2.90	2.90
उप कुल (क)	**4.47**	**4.47**	**4.47**
ii) वैधानिक प्राप्य – शुल्क और कर, प्रीपेड कर	706.15	308.50	819.14
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	4.29	4.29	4.29
उप कुल (ख)	**701.86**	**304.21**	**814.85**
iii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	207.91	146.10	341.71
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	4.31	4.31	4.31
उप कुल (ग)	**203.60**	**141.79**	**337.40**
iv) प्रीपैड व्यय	191.27	142.70	171.96
v) वसूलीयोग्य अन्य अग्रिम	108.62	111.55	63.91
vi) कर्मचारियों को अग्रिमों पर उपचित आय	2.38	4.69	8.15
vii) कर्मचारियों से वसूलीयोग्य	71.46	76.21	70.76
उप कुल	**373.73**	**335.15**	**314.78**
घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ते	60.41	60.41	60.41
उप कुल (घ)	**313.32**	**274.74**	**254.37**
कुल (क + ख + ग + घ)	**1,223.25**	**725.21**	**1,411.09**

13. इक्विटी शेयर पूंजी

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को		31.03.2023 को		01.04.2022 को	
	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए	संख्या	रुपए
प्राधिकृत शेयर पूंजी						
प्रत्येक 10 रुपये का इक्विटी शेयर						
अथ शेष	100,000,000.00	10,000.00	100,000,000.00	10,000.00	100,000,000.00	10,000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी)	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	**100,000,000.00**	**10,000.00**	**100,000,000.00**	**10,000.00**	**100,000,000.00**	**10,000.00**
10 रुपये प्रत्येक के वरीयता शेयर						
अथ शेष	270,000,000.00	27,000.00	270,000,000.00	27,000.00	270,000,000.00	27,000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी)	-	-	-	-	-	-
अंतिम शेष	**270,000,000.00**	**27,000.00**	**270,000,000.00**	**27,000.00**	**270,000,000.00**	**27,000.00**
कुल अधिकृत पूंजी	**370,000,000.00**	**37,000.00**	**370,000,000.00**	**37,000.00**	**370,000,000.00**	**37,000.00**
जारी की गई इक्विटी पूंजी						
10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर जारी, सब्सक्राइब और पूरी तरह से भुगतान किए गए						
अथ शेष	67,173,100.00	6,717.31	67,173,100.00	6,717.31	67,173,100.00	6,717.31
जोड़ें: जब्त किए गए शेयरों पर भुगतान की गई राशि	-	9.65	-	9.65	-	9.65
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी)	-	-	-	-	-	-
कुल – इक्विटी शेयर पूंजी	**67,173,100.00**	**6,726.96**	**67,173,100.00**	**6,726.96**	**67,173,100.00**	**6,726.96**

इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसमें `10 प्रति शेयर का बराबर मूल्य है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट के हकदार है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमानी राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्तियां प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

कंपनी में 5% से अधिक धारित शेयरधारकों का विवरण और प्रोमोटेर्स की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	31.03.2024 को		31.03.2023 को		01.04.2022 को		% वर्ष के दौरान परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	
10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर का पूर्ण प्रदत्त : भारत सरकार (प्रवर्तक)	39,481,500	58.78%	39,481,500	58.78%	39,481,500	58.78%	शून्य

वर्ष 2010–11 के दौरान, नियंत्रक कंपनी ने आबंटन और कॉल मनी का भुगतान न करने के कारण 10 रुपये प्रति शेयर (5 रुपये का भुगतान) के 1,93,000 शेयर जब्त कर लिए और इन जब्त शेयरों के संबंध में आवेदन राशि के रूप में भुगतान की गई राशि को ठशेयर जब्ती खातेठ में स्थानांतरित कर दिया गया है।

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों की शेयरधारिता (सहायक कंपनी)

	31.03.2024 को		31.03.2023 को		01.04.2022 को		% वर्ष के दौरान परिवर्तन
नाम	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	शेयरों की संख्या	% होल्डिंग	
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	11,060,000	56.43%	11,060,000	56.43%	11,060,000	56.43%	शून्य
आंध्रप्रदेश औद्योगिक विकास निगम	870,000	4.44%	870,000	4.44%	870,000	4.44%	शून्य
10 रुपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर का पूर्ण प्रदत्त		**60.87%**		**60.87%**		**60.87%**	

14. अन्य इक्विटी **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
क) प्रतिभूति प्रीमियम रिसर्व			
अथ शेष	4,838.57	4,838.57	4,838.57
वर्ष के दौरान वृद्धि/ (कमी) –	-	-	-
अंतिम शेष	**4,838.57**	**4,838.57**	**4,838.57**
ख) प्रतिधारित अर्जन			
अथ शेष	(113,877.61)	(108,551.67)	(103,421.22)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ (नोट संख्या 36क)	-	-	(58.44)
अवधि की शुरुआत में शेष राशि बहाल की गई	(113,877.61)	(108,551.67)	(103,479.66)
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ/ (हानि)	(5,462.45)	(5,325.94)	(5,072.01)
जोड़ें: ओसीआई (भूमि की बिक्री) के माध्यम से मान्यता प्राप्त लाभ/ हानि	4,669.42	-	-
अंतिम शेष	**(114,670.64)**	**(113,877.61)**	**(108,551.67)**
ग) अन्य व्यापक आय			
i) परिसंपत्ति,संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन			
अथ शेष	97,432.59	96,699.21	95,296.79
जोड़ें: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन (नोट नं.3क)	6,000.61	1,035.38	1,978.42
जोड़ें/ (घटाएँ): आयकर (व्यय)/ उपर्युक्त का लाभ	(1,747.00)	(302.00)	(576.00)
घटाएँ: ओसीआई (भूमि की बिक्री) के माध्यम से मान्यता प्राप्त लाभ/ हानि	(4,669.42)	-	-
जोड़ें: आयकर (व्यय)/ उपर्युक्त का लाभ	971.00	-	-
अंतिम शेष	**97,987.78**	**97,432.59**	**96,699.21**
ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी साधन			
अथ शेष	-	-	-
जोड़ें/ घटाएँ: ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरणों में निवेश पर शुद्ध उचित मूल्य लाभ/ हानि	-	-	-
घटाएँ: आयकर (व्यय)/ उपर्युक्त का लाभ	-	-	-
अंतिम शेष	**–**	**–**	**–**
iii) परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं में परिवर्तन			
अथ शेष	(147.61)	(249.00)	(287.63)
जोड़ें/ घटाएँ: वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	-	-	(2.35)
जोड़ें/ घटाएँ: परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन	121.50	101.39	40.99
अंतिम शेष	**(26.11)**	**(147.61)**	**(248.99)**
कुल	**97,961.67**	**97,284.98**	**96,450.22**
कुल अन्य इक्विटी	**(11,870.40)**	**(11,754.06)**	**(7,262.88)**

सिक्योरिटीस प्रीमियम रिज़र्व–जहां कंपनी प्रीमियम पर शेयर जारी करती है, चाहे वह नकद के लिए हो, या अन्यथा उन शेयरों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशी `सिक्योरिटीस प्रीमियम रिज़र्व" में स्थानांतरित की जाएगी। कंपनी अपने सदस्यों को प्रतिभूति प्रीमियम रिज़र्व से पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर जारी कर सकती है और कंपनी इस रिज़र्व का उपयोग शेयरों के खरीद–फरोख्त के लिए कर सकती है।

5क) पट्टा

लेखांकन नीति:

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में ही यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह मूल्यांकन करने में कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी निम्नलिखित का मूल्यांकन करती है: "

(i) ठेके में पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है

(ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से होने वाले सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं और

(iii) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग का निर्देश देने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ की तिथि पर, कंपनी सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति (`आरओयू") और एक संगत पट्टा देयता को मान्यता देती है, जिसमें वह पट्टेदार है, बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य वाले पट्टों को छोड़कर।इन अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में मान्यता देती है।

पट्टेदार के रूप में, कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, जिसे पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प के साथ समायोजित किया जाता है, यदि ऐसे विकल्प का उपयोग यथोचित रूप से निश्चित है। कंपनी पट्टे–दर–पट्टा आधार पर अपेक्षित पट्टे की अवधि का आकलन करती है और इस प्रकार यह आकलन करती है कि क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि अनुबंध को बढ़ाने या समाप्त करने के किसी भी विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। पट्टे की अवधि का मूल्यांकन करते समय, कंपनी पट्टे की अवधि में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण पट्टे में सुधार, पट्टे की समाप्ति से संबंधित लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्थान और उपयुक्त विकल्पों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एचओसीएल के संचालन के लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति के महत्व जैसे कारकों पर विचार करती है। भविष्य की अवधि में पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टे की अवधि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती है।

कुछ पट्टा व्यवस्थाओं में पट्टे की अवधि समाप्त होने से पहले पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने के विकल्प शामिल होते हैं। आरओयू परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों में ये विकल्प शामिल होते हैं, जब यह यथोचित रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को आरंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की देयता की आरंभिक राशि शामिल होती है, जिसे पट्टे की आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित किया जाता है, साथ ही किसी भी आरंभिक प्रत्यक्ष लागत में से किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को घटा दिया जाता है। बाद में इन्हें लागत में से संचित मूल्यह्रास और हानि हानि घटाकर मापा जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, पट्टे की अवधि और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उसके आधार पर, आरंभिक तिथि से सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है। उपयोग–अधिकार–परिसंपत्तियों की

वसूली योग्यता का मूल्यांकन तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि उनकी अग्रणीत राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती। हानि परीक्षण के प्रयोजन के लिए, वसूली योग्य राशि (अर्थात उचित मूल्य में से विक्रय लागत तथा उपयोग मूल्य में से जो अधिक हो) का निर्धारण व्यक्तिगत परिसंपत्ति के आधार पर किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न न हों जो अन्य परिसंपत्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र हों। ऐसे मामलों में, वसूली योग्य राशि उस नकदी उत्पादक इकाई (सीजीयू) के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित होती है।

पट्टा दायित्व को प्रारम्भ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों के अधिवास के देश में वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो पट्टा देयताओं को उपयोग के अधिकार से संबंधित परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पुनः मापा जाता है।

पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया गया है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी एक पट्टादाता के रूप में

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। परिचालन पट्टे से प्राप्त किराये की आय को प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

उपयोग अधिकार परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
आरओयू परिसंपत्ति की श्रेणी : भवन			
अथ शेष राशि	-	-	-
जोड़ें	128.08	-	-
हटाए	-	-	-
मूल्यह्रास	21.35	-	-
अंतिम शेष	**106.73**	**-**	**-**

आरओयू परिसंपत्तियों पर कुल मूल्यह्रास व्यय को लाभ और हानि विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

31 मार्च 2024 तक वर्तमान और गैर-वर्तमान पट्टा देनदारियों का विवरण निम्नलिखित है

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
वर्तमान देयता	21.05	-	-
गैर-वर्तमान देयता	90.46	-	-
कुल	**111.51**	**-**	**-**

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टा देयताओं में उतार-चढ़ाव निम्नानुसार रहेगा:

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
अथ शेष राशि	-	-	-
जोड़ें	127.87	-	-
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत	7.64	-	-
हटाए	-	-	-
पट्टे देनदारियों का भुगतान	(24.00)	-	-
अनुवाद अंतर	-	-	-
अंतिम शेष	**111.51**	**-**	**-**

15 ख) प्रावधान (दीर्घकालिक देयता)

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) कर्मचारी के लाभ के लिए – छुट्टी नकदीकरण (नोट संख्या 30 देखें)	913.77	1,004.84	903.42
ii) ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट के साथ शुद्ध परिभाषित लाभ परिसंपत्ति (नोट संख्या 30 देखें)			
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-	(1,490.61)
परिभाषित लाभ दायित्व	-	-	1,936.88
निवल देयता	**-**	**-**	**446.26**
iii) अन्य प्रावधान	23.13	23.13	23.13
कुल	**936.90**	**1,027.97**	**1,372.81**

16. आस्थगित कर देयताएं

लेखांकन नीति:

आस्थगित कर, रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग प्रयोजनों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के कर आधारों और उनकी अग्रणीत राशियों के बीच अस्थायी अंतर पर देयता पद्धति का उपयोग करके प्रदान किया जाता है। आस्थगित कर देयताएं सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त हैं, सिवाय तब जब आस्थगित कर देयता किसी ऐसे लेन-देन में सद्भावना या परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक मान्यता से उत्पन्न होती है जो व्यवसाय संयोजन नहीं है और, लेन-देन के समय, सहायक कंपनियों, सहयोगियों और हितों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी अंतरों के संबंध में न तो लेखांकन लाभ और न ही कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करती है, अस्थायी अंतरों में निकट भविष्य में उलट नहीं होगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों के आगे ले जाने और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे के लिए मान्यता प्राप्त है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है क्योंकि कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना है, कटौती योग्य अस्थायी अंतर, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाया जा सकता है, सिवाय इसकेः कटौती योग्य अस्थायी अंतर संपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक मान्यता

से उत्पन्न होता है ऐसा लेन–देन जो लेन–देन के समय आस्थगित कर परिसंपत्ति से संबंधित व्यावसायिक संयोजन नहीं है, लेखांकन लाभ या कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित नहीं करता है।आस्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है तथा उसे इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि यह सम्भावना नहीं रह जाती कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सम्पूर्ण या आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह सम्भावना हो गई है कि भविष्य में कर योग्य लाभ से आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की जा सकेगी। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो उस वर्ष लागू होने की उम्मीद होती है, जब परिसंपत्ति की वसूली होती है या देयता का निपटान होता है, जो कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित होती हैं, जिन्हें रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित किया गया है या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है। लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त होती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)। आस्थगित कर मदों को अंतर्निहित लेनदेन के सहसंबंध में या तो ओसीआई में या सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
भूमि का उचित मूल्य	17,495.52	16,719.52	16,417.52
एचएफएल में निवेश का उचित मूल्य	-	-	(15.00)
निवल आस्थगित कर देयता [नोट संख्या 40]	**17,495.52**	**16,719.52**	**16,402.52**

आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि कंपनी की भविष्य की पर्याप्त कर योग्य लाभप्रदता के बारे में कोई निश्चितता नहीं है। नोट संख्या 40 भी देखें।

17. उधार **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
17 क) गैर चालू वित्तीय देयताएं–उधार			
ईएमसी ऋण (सुरक्षित)*	243.98	-	-
कुल गैर चालू (क)	**243.98**	**–**	**–**
17 ख) वर्तमान वित्तीय देयताएं–उधार			
सरकारी ऋण की वर्तमान परिपक्वता अवधि	-	-	7,695.09
भारत सरकार से ऋण (नोट संख्या 19क)	54,423.46	54,423.46	46,728.37
अतिदेय 8% गैर–संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर–भारत सरकार**	27,000.00	27,000.00	27,000.00
अधिकोष अधिविकर्ष***	1,589.11	-	-
ईएमसी ऋण (सुरक्षित) पर वर्तमान परिपक्वता	42.35	-	-
कुल चालू (ख)	**83,054.92**	**81,423.46**	**81,423.46**
कुल उधार (क+ख)	**83,298.90**	**81,423.46**	**81,423.46**
कुल सुरक्षित ऋण	1,875.44	-	-
कुल असुरक्षित ऋण	81,423.46	81,423.46	81,423.46

नोट

1. अधिमान्य शेयरधारकों को कोई मताधिकार नहीं होता।

* होल्डिंग कंपनी ने अकुशल कंप्रेसर को ऊर्जा कुशल कंप्रेसर से बदलने के उद्देश्य से केरल राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि से 299.00 लाख रुपये का ऋण लिया है, जो कि केरल सरकार की एक परिक्रामी निधि है, जिसका प्रबंधन ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (ईएमसी) द्वारा किया जाता है। यह निधि 20.03.2024 को प्राप्त हुई थी और इसे वित्तीय सहायता जारी होने के तीसरे महीने से 2% की ब्याज दर के साथ साठ समान किस्तों में चुकाया जाना है, क्योंकि निधि वर्ष के अंत के करीब प्राप्त हुई थी, इसलिए प्राप्त राशि का उपयोग वर्ष के दौरान उपरोक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। कंपनी ने एकमुश्त प्रशासनिक लागत के रूप में ईएमसी को 14.95 लाख रुपये का भुगतान किया है।

** भारत सरकार ने पूर्व वर्ष 2006–07 में 27000 लाख रुपए (वित्तीय पुनर्गठन के लिए 25000 लाख रुपये और कास्टिक सोडा संयंत्र के पुनः कमीशन के लिए 2000 लाख रुपये) 8% असंचयी मोचनीय अधिमानी शेयरों के आबंटन के खिलाफ जारी किया था, जिससे पुनरुद्धार योजना के अनुसार पूंजी आधार को व्यापक बनाया। बोर्ड द्वारा 28 जनवरी, 2008 को 8% अधिमानी शेयर भारत सरकार को आवंटित किए गए, यह 4वें वर्ष से मोचनीय@ 20% प्रारम्भ होकर 8वें वर्ष (2015–16) में अंतिम विमोचन के साथ है। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक प्रति वर्ष@ 25% पर मोचन की शुरूआत की थी। कंपनी के अनुरोध पर, भारत सरकार ने मोचन के विस्तार के लिए अनुमति दी बशर्ते कि 27000 लाख रुपए की कुल राशि पर प्रतिवर्ष 1.5% ब्याज का भुगतान किया जाना है और वर्ष के दौरान लेखा बही में 405 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। आगे चुकौती में चूक के लिए ब्याज@1% देना है और तदनुसार रु. 270 लाख की ब्याज राशि वर्ष के दौरान प्रदान की गई है।

***कंपनी को बैंक के पास जमा राशि की सुरक्षा के आधार पर बैंक से कार्यशील पूंजी सुविधा मंजूर की गई है और इस सुविधा के संबंध में बैंक के पास कोई तिमाही रिटर्न या विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

क) सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड ने होल्डिंग कंपनी के पक्ष में रुद्रराम गांव, मेडक जिला, तेलंगाना राज्य में 84.31 एकड़ भूमि पर प्रथम प्रभार बनाया है, जिस पर 2744.07 लाख रुपये का शून्य कूपन ऋण, 453.01 लाख रुपये का ब्याज ऋण और उस पर अर्जित ब्याज की राशि 1075.05 लाख रुपये बकाया है।

ख) सहायक कंपनी पर भारत सरकार से एमपीटीएफई के विनिर्माण के लिए 360 लाख रुपये का योजना ऋण बकाया था तथा प्लांट के नवीनीकरण के लिए 11.5% प्रति वर्ष की दर से 1320 लाख रुपये का ऋण लिया गया था तथा दोनों ऋणों को वित्तीय वर्ष 2015–16 से प्रारंभ होकर 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने मार्च, 2017 के महीने में 24.92 लाख रुपये के ब्याज के साथ 100 लाख रुपये चुकाए थे और तदनुसार, मूलधन और ब्याज बकाया समायोजित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए देय किश्तों की राशि 1,580.00 लाख रुपये है। कंपनी को एचएफएल को बंद करने पर दिनांक 29.01.2020 का पत्र संख्या P.51015/06/2019–Ch.III(Vol.II) प्राप्त हुआ था, जिसमें 31.03.2019 तक 1,580 लाख रुपये पर ब्याज फ्रीज कर दिया गया था। अतः वर्ष 2019–20 से ब्याज नहीं लिया गया है।

ग) होल्डिंग कंपनी से सहायक कंपनी को 2744.06 लाख रुपये का सावधि ऋण बीआईएफआर समझौते की शर्तों के अनुसार शून्य ब्याज दर पर ऋण है तथा ऋण समझौते के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 से सात समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के लिए देय किस्त 2744.06 लाख रुपये का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया है तथा होल्डिंग कंपनी पर कुल ऋण राशि 3197.08 लाख रुपये है।

घ) होल्डिंग कंपनी से लिए गए 753.02 लाख रुपए के सावधि ऋण पर 10.25% से 14.50% की दर से ब्याज लगेगा, जो ऋण समझौते के अनुसार वित्त वर्ष 2010–11 से शुरू होकर 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। सहायक कंपनी सभी देय किश्तों के भुगतान में लगातार चूक कर रही है और वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2015–16 के दौरान 453.01 लाख रुपये का ब्याज कंपनी द्वारा नहीं चुकाया गया है। चूंकि एचओसीएल बोर्ड ने 01.04.2023 से ब्याज माफी को मंजूरी दे दी है, इसलिए 01.04.2023 से कोई ब्याज प्रदान नहीं किया गया है।

ङ) भारत सरकार ने सीसीईए के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों, लेनदारों के बकाये का निपटान करने और ऋणों को बंद करने के लिए सहायक कंपनी को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 22.05.2020 को 7370 लाख रुपये और 15.03.2022 को 217 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है।

18. व्यापार देय

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
चालू – व्यापार देय			
i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया देय	15.15	14.85	55.50
ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य बकाया देय	6,843.51	4,067.96	4,144.71
कुल	**6,858.66**	**4,082.81**	**4,200.21**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि:

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
क) i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रधान शेष राशि अवैतनिक है।	15.15	14.85	55.50
ii) उस पर ब्याज देय	-	-	-
iii) ब्याज देय और भुगतान में देरी की अवधी के लिए	-	-	-
iv) ब्याज उपार्जित और शेष अवैतनिक है	-	-	-
v) ब्याज देय और भुगतान अनुवर्ती वर्षों में	-	-	-

ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का निर्धारण इस हद तक किया गया है कि प्रबंधन द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है। उन्हें सभी देय राशि का भुगतान नियत तारीख के भीतर किया जाता है और समापन तिथि पर कोई अतिदेय राशि नहीं है।

व्यापार प्राप्य समयवृद्धि अनुसूची **रुपये लाख में**

विवरण	देय नहीं 30 दिनों से कम	भुगतान की देय तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
चालू वर्ष 2023-24						
i) एमएसएमई	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
ii) अन्य	6820.65	12.00	0.00	0.00	5.86	6838.51
iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित बकाया–अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
कुल	**6835.80**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**10.86**	**6858.66**
पिछले वर्ष 2022-23						
i) एमएसएमई	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
ii) अन्य	4033.38	9.58	0.29	1.49	18.22	4062.96
iii) विवादित बकाया–एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) विवादित बकाया–अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
कुल	**4048.23**	**9.58**	**0.29**	**1.49**	**23.22**	**4082.81**

19. अन्य चालू वित्तीय देयताएं

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
भारत सरकार के ऋण पर ब्याज	45,647.94	40,648.13	35,648.32
अधिमानी शेयरों पर ब्याज	6,885.00	6,210.00	5,535.00
कुल ब्याज	**52,532.94**	**46,858.13**	**41,183.32**
विक्रेताओं / ग्राहकों से जमा राशि	290.31	275.72	258.14
कुल	**52,823.25**	**47,133.85**	**41,441.46**

नोट:

क. होल्डिंग कंपनी

i) वर्ष 2009–10 से भारत सरकार से ऋण की अदायगी में लगातार चूक हो रही है और मूलधन के लिए अतिदेय राशि 45,256.46 लाख रुपये (पिछले वर्ष 45,256.46 लाख रुपये) और अर्जित ब्याज के लिए 44,860.40 लाख रुपये (पिछले वर्ष 39,860.59 लाख रुपये) है, ये राशियां `अन्य चालू देयताओं` के तहत दिखाई गई हैं।

ii) वर्ष के दौरान कंपनी ने क्षति/जुर्माना/दंडात्मक ब्याज के संबंध में प्रावधान किया है और कुल संचयी प्रावधान नीचे दिया गया है।

क. वरीयता शेयर (27,000 लाख रुपये) पर ब्याज (1.5%) 4 वर्ष के लिए मोचन का स्थगन 405.00 लाख रुपये।

ख. वरीयता शेयर पूंजी के पुनर्भुगतान में चूक पर 1% की दर से ब्याज रु.270.00 लाख प्रति वर्ष।

उपरोक्त के कारण कुल प्रभाव रु. 675.00 लाख प्रति वर्ष है।

ख. सहायक कंपनी

भारत सरकार के ऋण पर बकाया ब्याज 787.54 लाख रुपये (पिछले वर्ष 787.54 लाख रुपये)

19क. 31.03.2024 तक भारत सरकार से ऋण का विवरण **रुपये लाख में**

क्र सं.	सरकारी स्वीकृति संख्या	उद्देश्य	स्वीकृति की तिथि	निकासी की तिथि	पुनर्भुगतान की देय तिथि	ब्याज दर	किस्तों की संख्या	31.03.2024 तक ऋण राशि	31.03.2024 तक देय किस्त	31.03.2024 तक कुल ब्याज	31.03.2024 तक बकाया ब्याज	ऋण की चालू परिपक्वता
I. नियंत्रक कंपनी									नोट सं.17		नोट सं.19	
1	51/11/2009-केमि.III	कोच्चि इकाई में विभिन्न परियोजनाओं के लिए।	01.12.2009	15.12.2009	15/12/2014	11.50%	5	660.00	660.00	1,084.85	1,084.85	-
2	51/11/2009-केमि.III	उपरोक्त	20.01.2010	22/01/2010	22/01/2015	11.50%	5	843.00	843.00	1,375.56	1,375.56	-
3	P.51012/01/2012-32	विभिन्न परियोजनाओं के लिए	12.09.2012	18/09/2012	18/09/2017	11.50%	5	1,760.00	1,760.00	2,334.53	2,334.53	-
4	P.51012/4/2013-32-केमि.III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड सीरीज XX पर ब्याज के भुगतान के लिए।	07.09.2015	10/09/2015	10/09/2020	11.50%	5	1,057.00	1,057.00	1,040.04	1,040.04	-
5	P.51012/4/2013-32-केमि.III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड सीरीज XX और XXI पर ब्याज के भुगतान के लिए।	22.09.2016	27/09/2016	27/09/2021	11.00%	5	2,461.00	2,461.00	2,032.92	2,032.92	-
6	P.51012/4/2013-32-केमि.III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड सीरीज XX पर ब्याज के भुगतान के लिए।	02.08.2017	07/08/2017	07/08/2022	11.00%	5	1,057.00	1,057.00	773.12	773.12	-
7	P.51012/4/2013-32-केमि.III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड सीरीज XX के मूलधन के पुनर्भुगतान के लिए।	11.08.2017	14/08/2017	14/08/2022	11.00%	5	10,000.00	10,000.00	7,293.15	7,293.15	-
8	P.51012/4/2013-32-केमि.III	भारत सरकार की गारंटी के साथ एचओसीएल बॉन्ड श्रृंखला XXI पर मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए।	12.09.2017	19/09/2017	19/09/2022	11.00%	5	16,392.46	16,392.46	11,777.43	11,777.43	-
9	P.51012/4/2013-32-केमि.III	कर्मचारियों एवं अन्य से संबंधित वैधानिक बकाया के भुगतान के लिए।	28.09.2017	29/09/2017	29/09/2022	11.00%	5	11,026.00	11,026.00	7,888.57	7,888.57	-
	भारत सरकार से सुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज (स्थिर परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित)। ऋण का मूलधन पूरी तरह से चुका दिया गया है।									3,329.41	3,329.41	-
	भारत सरकार से असुरक्षित ऋण पर बकाया ब्याज। ऋण का मूलधन पूरी तरह से चुका दिया गया है।									5,930.82	5,930.82	-
	कुल							**45,256.46**	**45,256.46**	**44,860.40**	**44,860.40**	**-**

नोटः 45,256.46 लाख रुपये की ऋण राशि असुरक्षित ऋण है (पिछले वर्ष असुरक्षित ऋण 45,256.46 लाख रुपये)।

II. सहायक कंपनी

1. भारत सरकार ने कर्मचारियों, लेनदारों के बकाये के निपटान और ऋणों को बंद करने के लिए 22 मई 2020 को 7,370 लाख रुपये का ऋण वितरित किया है और सीसीईए के निर्णय के अनुसार 15.03.2022 को 217 लाख रुपये वितरित किए हैं।

2. कंपनी के पास एमपीटीएफई के विनिर्माण के लिए 360 लाख रुपये तथा प्लांट के नवीनीकरण के लिए 11.5% प्रति वर्ष की दर से 1,320 लाख रुपये का योजना ऋण बकाया था तथा दोनों ऋणों को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होकर 5 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था। कंपनी ने मार्च 2017 के महीने में 24.92 लाख रुपये ब्याज के साथ 100 लाख रुपये चुकाए, तदनुसार, मूलधन और ब्याज बकाया समायोजित किया गया। नोट-17 में वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए देय किश्तों की राशि 1,580.00 लाख रुपये दर्शाई गई है। कंपनी को एच एफ एल के बंद होने पर दिनांक 29.01.2020 को पत्र क्रमांक P.51015/06/2019-Ch.III(Vol.II) प्राप्त हुआ था, जिसमें 31.03.2019 तक 1,580 लाख रुपये पर ब्याज रोक दिया गया था। इसलिए, वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज नहीं लिया गया है।

20. लघु अवधि प्रावधान रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) कर्मचारी लाभ के लिए -छुट्टी नकदीकरण (नोट संख्या 30 देखें)	241.61	175.16	367.90
ii) कर्मचारी पारिश्रमिक	795.00	543.00	456.55
iii) वैधानिक दावों	-	-	15.86
iv) दंडात्मक भारत सरकार गारंटी शुल्क	-	850.00	850.00
कुल	**1,036.61**	**1,568.16**	**1,690.31**

21. अन्य चालू देयताएँ रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को	01.04.2022 को
i) ग्राहकों से अग्रिम	480.03	555.59	412.81
ii) सांविधिक देयताएँ	149.80	758.23	232.92
iii) कर्मचारी संबंधित देयताएँ	134.06	161.67	556.77
iv) वेतन पर्ची पुनप्राप्ति देय	15.28	17.98	20.59
v) पूंजीगत वस्तुओं के लिए ऋणदाता	29.34	-	-
vi) अन्य देयताएँ	2,610.25	2,651.42	2,169.60
कुल	**3,418.76**	**4,144.89**	**3,392.69**

22. प्रचालनों से राजस्व

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
परिचालन से राजस्व – उत्पादों की बिक्री		
फिनोल	41,595.36	42,127.59
एसिटोन	23,362.26	15,388.85
हाइड्रोजन पेरोक्साइड	2,493.66	2,949.27
कुमीन के हेवी एन्ड्स	1,857.70	1,564.83
कुमोक्स ऑयल	1,018.72	1,068.32
कुमीन	61.30	44.70
अन्य	-	-
प्रचालन से कुल राजस्व	**70,389.00**	**63,143.56**

23. अन्य आय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
सीधा आय:		
स्क्रैप की बिक्री	108.92	5.45
उप कुल (क)	**108.92**	**5.45**
ब्याज आय		
कॉल और अवधि जमाओं (सकल) पर	1,198.60	785.46
आयकर रिफंड पर	1.10	10.33
केएसईबी और अन्यों के साथ अग्रिमों और जमाओं पर	16.74	16.02
सहायक कंपनी को उधार पर	-	-
व्यापार प्राप्य से भुगतान में देरी और वित्त प्रभार संबंधी	–	0.93
उप कुल (ख)	**1,216.44**	**812.74**

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
अन्य गैर–प्रचालन आय	–	–
संपदा भाड़े	42.61	69.70
परिवहन, पानी, विद्युत आदि की वसूली	-	13.16
विनिमय दर अंतर – लाभ	7.70	-
अधिक प्रावधान वापस लिखा*	77.53	65.12
बकाया ऋण	44.92	69.25
विविध आय	170.98	55.56
उप कुल (ग)	**343.74**	**272.79**
कुल (क+ख+ग)	**1,669.10**	**1,090.98**

* लिखित रूप में अतिरिक्त प्रावधान में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. संदिग्ध ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रावधान का रेवेरसल	2.97	17.08
2. विभिन्न मामलों में अब प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	-	20.81
3. अतिरिक्त प्रावधान लिखित बैक–स्टोर और स्पेयर	74.56	27.23
कुल	**77.53**	**65.12**

24. खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में वस्तुसूची	998.33	1,699.53
जोड़: क्रय	51,225.32	41,978.06
घटाएँ: वर्ष के अंत में माल सूची	1,918.97	998.33
खपत की गई कच्चे माल और संघटकों की लागत	50,304.68	42,679.26

25. तैयार माल की वस्तु सूची और डब्लियुआईपी में परिवर्तन

वस्तु सूची में (वृद्धि) / हानि रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
वर्ष के प्रारम्भ में वस्तुसूचियाँ		
(i) प्रक्रियागत स्टॉक	938.00	1,133.84
(ii) कैप्टीव खपत के लिए स्टॉक	598.21	571.60
(iii) तैयार माल	351.81	1,659.54
(iv) उप उत्पादें	28.45	34.20
उप कुल (क)	1,916.47	3,399.18
वर्ष के अंत में स्टॉक		
(i) प्रक्रियागत स्टॉक	1,010.56	938.00
(ii) कैप्टीव खपत के लिए स्टॉक	227.36	598.21
(iii) तैयार माल	1,157.37	351.81
(iv) उप उत्पादें	39.23	28.45
उप कुल (ख)	2,434.52	1,916.47
तैयार माल की सूची में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर (क–ख)	(518.05)	1,482.71

26. कर्मचारी हितलाभ व्यय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
क) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता *	3,368.21	3,320.24
ख) भविष्यनिधि और अन्य निधियों के लिए कंपनी का योगदान	319.36	310.53
ग) समूह उपदान सह जीवन आश्वासन योजना के लिए प्रीमियम सहित उपदान भुगतान	165.88	92.29
घ) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	175.33	276.14
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
चिकित्सा सुविधाएं	110.60	95.57
कैंटीन और पोषण सुविधाएं	253.38	207.42
अन्य कल्याण व्यय	81.59	53.39
च) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति फायदा (वीआरएस एवं वीएसएस)	-	-
कुल	4,474.35	4,355.58

*बोर्ड ने 25.01.2021 से कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लागू करने की सिफारिश की और इसे मंजूरी के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। कंपनी ने वर्ष 2023–24 के लिए 252 लाख रुपये और वर्ष 2022–23 के दौरान वेतन संशोधन के प्रावधान के लिए खातों की पुस्तकों में 248.00 लाख रुपये प्रदान किए हैं।

सहायक कंपनी के भविष्य निधि को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई थी। 29.01.2020 को डीसीपीसी से प्राप्त समापन पत्र के निर्देशों के अनुसार, कंपनी ने मई, 2020 से सितंबर, 2022 तक कर्मचारियों को वीआरएस देना शुरू कर दिया था और यहां तक कि गैर–नियमित कर्मचारियों को भी अक्टूबर, 2022 के दौरान वीएसएस पर कार्यमुक्त कर दिया गया था। एचएफएल के शेष पांच (5) नियमित कर्मचारियों को सितंबर, 2022 से एचओसीएल रोल में स्थानांतरित और तैनात किया गया। चूंकि एचएफएल में कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए बोर्ड ने 30.01.2023 को आयोजित अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट को बंद करने और ऑडिट के बाद ट्रस्ट के पास शेष राशि को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास सरेंडर करने की मंजूरी दे दी है।

29.01.2020 को डीसीपीसी से प्राप्त समापन पत्र के निर्देशों के अनुसार, सभी कर्मचारियों को सितंबर 2022 तक कार्यमुक्त कर दिया गया है। चूंकि एचएफएल में कोई कर्मचारी नहीं है, इसलिए बोर्ड ने 30.01.2023 को आयोजित अपनी बैठक में कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट को बंद करने और एलआईसी के पास उपलब्ध बीमा पॉलिसियों को सरेंडर करने की मंजूरी दे दी है।

27. वित्त लागत

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
ब्याज:		
निश्चित ऋण (भारत सरकार)	4,999.81	4,999.81
वरीयता शेयरों पर	675.00	675.00
ग्राहकों से अग्रिम पर ब्याज	1,169.49	1,001.96
पट्टा देयता पर ब्याज	7.64	-
ब्याज – अन्य	95.88	6.14
उप कुल	**6,947.82**	**6,682.91**
अन्य उधार लागत–बैंक शुल्क	9.53	5.79
कुल	**6,957.35**	**6,688.70**

28. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
मूल्यह्रास		
सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण	111.53	108.18
निवेश संपत्तियां	2.17	2.16
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	21.35	-
अमूर्त परिसंपत्तियों का परिशोधन	8.73	8.41
कुल	**143.78**	**118.75**

29. अन्य व्यय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष	31.03.2023 को समाप्त वर्ष
भंडार और पुर्जों की खपत		
i) उत्प्रेरक और रसायन	637.23	483.28
ii) उपभोग भंडार	300.04	265.07
iii) पैकिंग सामग्री	553.41	576.91
उप कुल (क)	**1,490.68**	**1,325.26**
यूटिलिटीस		
ऊर्जा	2,806.45	2,332.70
ईंधन	9,572.66	8,252.19
जल	402.21	286.31
उप कुल (ख)	**12,781.32**	**10,871.20**
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
भवन	113.67	125.00
संयंत्र और मशीनरी	232.24	248.51
अन्य परिसंपत्तियाँ	173.48	170.47
उप कुल (ग)	**519.39**	**543.98**
प्रशासन व्यय :		
भाड़ा	7.74	34.92
बीमा	313.72	213.87
दर और कर	353.90	351.08
परामर्श, व्यावसायिक और विधिक प्रभार	312.09	211.96
लेखापरीक्षकों को भुगतान:		
लेखा परीक्षक	4.60	4.60
कराधान के मामले	0.90	0.90
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.58	0.70
अन्य सेवाएं	0.10	0.20
अन्य व्यय:		
टाउनशिप के लिए बिजली	18.82	19.48
टाउनशिप के लिए जल	10.83	11.62
सुरक्षा व्यय	240.56	270.01
विज्ञापन व्यय	7.44	6.88
वाहन व्यय का किराया	51.24	30.93
अन्य विविध व्यय	113.78	95.84
उप कुल (घ)	**1,436.30**	**1,252.99**
प्रावधान:		
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	2.14
अज्ञात संपत्तियों के लिए प्रावधान	-	-
संदिग्ध किराये के लिए प्रावधान	-	-
उप कुल (ङ)	**–**	**2.14**
कुल (क + ख + ग + घ + ङ)	**16,227.69**	**13,995.57**

30. कर्मचारी हितलाभ योजना:

क. छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान

नियंत्रक कंपनी ने एक्चुरियल वैल्यूएशन और कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अवकाश नकदीकरण दावों की अवैतनिक राशि के आधार पर भारतीय लेखा मानक–19 के अनुसार 31 मार्च, 2024 तक अवकाश नकदीकरण के लिए 1,155.38 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,180.00 लाख रुपये) का प्रावधान किया है और शुल्क लगाया है।

ख. भविष्य निधि

क) नियंत्रक कंपनी : कर्मचारियों को कंपनी द्वारा 30 जून 2018 तक प्रबंधित भविष्य निधि से लाभ मिलता है 1 जुलाई 2018 से कंपनी ने सभी कर्मचारियों के भविष्य निधि खतों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में स्थानांतरित कर दिया और ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित किया गया है । कर्मचारी और नियोक्ता प्रत्येक कर्मचारी के वेतन / मजदूरी के 12% के बराबर भविष्य निधि /पेंशन राशि योजना में मासिक योगदान करते हैं ।

ख) सहायक कंपनी: कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत भविष्य निधि को छूट दी गई है। छूट प्रदान करने की शर्तों में यह प्रावधान है कि नियोक्ता को वैधानिक दर के मुकाबले ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में कमी, यदि कोई हो, की भरपाई करनी होगी।

ग. उपदान

उपदान योजना उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 द्वारा शासित होती है और जिस कर्मचारी ने पांच साल की सेवा पूरी कर ली है, वह ग्रेच्युटी का हकदार है और प्रदान किए जाने वाले लाभ का स्तर सदस्य की सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति की आयु में वेतन पर निर्भर करता है। कर्मचारी ग्रेच्युटी फंड योजना, जो एक परिभाषित लाभ योजना है, का प्रबंधन ट्रस्ट द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ संचालित वार्षिकी योजना के माध्यम से किया जाता है। एलआईसी के पास उपलब्ध शेष निधि 1729.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1490.18 लाख रुपये) और आईसीआईसीआई बैंक के पास 0.43 लाख रुपये (पिछले वर्ष 0.43 लाख रुपये) है।

सहायक कंपनी के मामले में उपलब्ध निधि शेष राशि शून्य रुपये है।

31.03.2023 तक सेवा से कार्यमुक्त रसायनी औरे कोची इकाई के कर्मचारियों का उपदान संबंधी सभी देय का भुगतान किया गया है और कोई देय शेष नहीं है।

1. योजना की धनराशि की स्थिति

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
निधिपोषित दायित्व के वर्तमान मूल्य	1,550.72	1,586.47
योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य	(1,651.82)	(1,729.48)
निवल देयताएं (परिसंपत्ति)	(101.10)	(143.01)

2क. चालू अवधि के लिए लाभ और हानि लेखा

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू सेवा लागत	57.00	65.83
नियंत्रण और समायोजन पर विगत सेवा लागत और नुकसान / हानि	-	-
निवल ब्याज लागत	106.42	26.45
"कर्मचारी हितलाभ व्यय" (पी एंड एल) में शामिल कुल	163.42	92.28

2ख. चालू अवधि के लिए अन्य समग्र आय

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
दायित्व पर बीमांकिक वृद्धि/हानि के संघटक:		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	(27.04)	(116.71)
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	-
अनुभवी समायोजन के कारण	25.62	40.95
ब्याज आय में शामिल राशियों को छोडकर योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	122.92	(25.63)
अन्य समग्र आय में स्वीकार राशियाँ	**121.50**	**(101.39)**

3. परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
परिभाषित हितलाभ दायित्व का प्रारम्भ	1,586.47	1,936.87
दायित्व में / (बाहर) अंतरण	-	102.02
चालू सेवा लागत	57.00	65.83
ब्याज लागत	107.83	105.42
दायित्व पर बीमांकिक वृद्धि/हानि के संघटक:		
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	**(27.03)**	**(116.71)**
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	-
अनुभवी समायोजन के कारण	**25.62**	**40.95**
विगत सेवा लागत	-	-
नियंत्रण पर हानि(लाभ)	-	-
समायोजन पर समाप्त देयताएं	-	-
क्रय के रूप में समामेलन में स्वीकृत देयताएं	-	-
विदेशी योजनाओं में विनिमय अंतर	-	-
प्रदत्त हितलाभ	**(199.17)**	**(547.91)**
परिभाषित हितलाभ देयता का अंतिम	**1,550.72**	**1,586.47**

4. योजना आस्तियों का समाधान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
परिभाषित हितलाभ दायित्व का प्रारम्भ	1,729.47	1,490.61
दायित्व में / (बाहर) अंतरण	-	102.02
चालू सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	120.35	78.96
दायित्व पर बीमांकिक वृद्धि/ हानि के संघटक:	1.16	25.63
वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	-
जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	580.17
अनुभवी समायोजन के कारण		
विगत सेवा लागत	-	-
नियंत्रण पर हानि(लाभ)	-	-
समायोजन पर समाप्त देयताएं	(199.17)	(547.92)
क्रय के रूप में समामेलन में स्वीकृत देयताएं	1,651.81	1,729.47
विदेशी योजनाओं में विनिमय अंतर	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(199.17)	(547.91)
परिभाषित हितलाभ देयता का अंतिम	**1,550.72**	**1,586.47**

5. निवल परिभाषित हितलाभ देयता का समाधान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
लेखा बहियों में निवल अथ प्रावधान	(143.00)	446.27
दायित्व (बाहर) अंतरण	-	102.02
योजना आस्तियों में (अंदर) अंतरण	-	(102.02)
अनुलग्नक 2 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ व्यय	163.42	92.28
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत राशियाँ	(2.57)	(101.38)
	17.85	437.17
कंपनी द्वारा प्रदत्त हितलाभ	-	-
समायोजित हितलाभ (रसायनी यूनिट)	-	-
योजना आस्तियों में योगदान	-	(580.17)
लेखा बहियों में अंतिम प्रावधान	**17.85**	**(143.00)**

रुपये लाख में

	31.03.2024 को	31.03.2023 को
आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य	-	-
आस्तियों के उच्चतम प्रारम्भिक मूल्य पर ब्याज	-	-
अधिशेष/ घाटा के कारण आस्तियों पर हानि/ वृद्धि	-	-
योजना आस्तियों का उच्चतम अंतिम मूल्य	-	-

6. योजना आस्तियों की संरचना

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	0%	0%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	0%	0%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड	0%	0%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	0%	0%
संपत्ति	0%	0%
विशेष जमा योजना	0%	0%
बीमा पॉलिसी	1000%	1000%
बैंक शेष	0%	0%
अन्य निवेश	0%	0%
कुल	**100%**	**100%**

7. अनुसूची III के अनुसार देयता का विभाजन

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
चालू देयताएं	(101.09)	(143.01)
गैर–चालू देयताएँ	0.00	0.00
निवल देयताएं	(101.09)	(143.01)

8. प्रधान बीमांकिक अनुमान

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बट्टा दर	7.15%	7.3% प्र व
वेतन वृद्धि दर	5.00%	6.00% प्र व
वापसी दर	छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्ता में 1% 1% कम करता है।	छोटी उम्र में 3% वृद्धावस्ता में 1% 1% कम करता है।
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ का दर	7.15% प्र व	7.30% प्र व

9. परिभाषित हितलाभ दायित्व की परिपक्व प्रो?इल

31.03.2024 को

विवरण	नकदी प्रवाह रु. लाख में	वितरण (%)
वर्ष 1 नकद प्रवाह	315.49	13.70%
वर्ष 2 नकद प्रवाह	234.18	10.10%
वर्ष 3 नकद प्रवाह	244.68	10.60%
वर्ष 4 नकद प्रवाह	146.15	6.30%
वर्ष 5 नकद प्रवाह	242.15	10.50%
वर्ष 6 से वर्ष 10 तक	542.11	23.50%

उपर्युक्त नकद प्रवाह पर आने के लिए भविष्य प्रोद्भूत का विचार नहीं किया गया।

अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित योगदान 57.16 लाख रुपए है।

मूल्यन तिथि पर औसत बकाया दायित्व की अवधि (वर्षों) 4.91 वर्ष है।

10. मुख्य अनुमानों पर संवेदनशीलता

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बट्टा दर संवेदनशीलता		
बढ़ता 0.5 %	1,513.28	1,546.07
(% परिवर्तन)	(2.41%)	(2.55%)
0.5 % द्वारा घटना	1,590.04	1,628.93
(% परिवर्तन)	2.54%	2.68%
वेतन वृद्धि दर संवेदनशीलता		
बढ़ता 0.5 %	1,569.65	1,606.01
(% परिवर्तन)	1.23%	1.23%
0.5 % द्वारा घटना	1,530.12	1,565.91
(% परिवर्तन)	(1.3%)	(1.3%)
निकासी (डब्ल्यू आर) दर संवेदनशीलता		
डब्ल्यू आर x 110%	1,554.25	1,590.23
(% परिवर्तन)	0.23%	0.24%
डब्ल्यू आर x 90%	1,547.09	1,582.63
(% परिवर्तन)	0.23%	(0.24%)

संवेदनशीलता विश्लेषण और इसकी सीमाओं के लिए उपयोग की जानेवाली विधियों का विवरण:

अन्य सभी मानकों को अपरिवर्तित रखते हुए संवेदनशीलता विश्लेषण एक एकल पैरामीटर को बदलकर किया जाता है।

संवेदनशीलता विश्लेषण अंतर्निहित मानकों के बीच अंतर–संबंध पर ध्यान केंद्रित करने में विफल रहता है। इसलिए, यदि दो या दो से अधिक परिणाम एक साथ बदल जाते हैं तो परिणाम अलग–अलग हो सकते हैं।

इस्तेमाल की गई विधि किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन की संभावना और परिवर्तन की सीमा में यदि कोई हो तो, के बारे में कुछ भी सूचित नहीं करती है।

परिशिष्ट क: परिभाषित हितलाभ दायित्व का अलग–अलग विवरण

रुपये लाख में

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
निहित	1,547.77	1,585.62
गैर –निहित	2.95	0.85
कुल	1,550.72	1,586.47

परिशिष्ट ख: परिभाषित हितलाभ दायित्व का आयुवार वितरण

रुपये लाख में

डीबीओ

आयु (वर्ष में)	31.03.2024 को	31.03.2023 को
25 से कम तक	-	-
25 से 35 तक	10.43	7.99
35 से 45 तक	173.99	180.06
45 से 55 तक	709.81	801.35
55 और उसके ऊपर	656.48	597.07
निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान	-	-
कुल	**1,550.71**	**1,586.47**

परिशिष्ट ग: परिभाषित हितलाभ दायित्व की विगत सेवा वितरण

रुपये लाख में

डीबीओ

आयु (वर्ष में)	31.03.2024 को	31.03.2023 को
0 से 4 तक	2.96	0.86
4 से10 तक	2.72	20.59
10 से 15 तक	162.44	193.27
15और उसके ऊपर	1,382.60	1,371.75
निवृत्त कर्मचारियों के लिए प्रोद्भूत उपदान	-	-
कुल	**1,550.72**	**1,586.47**

योजना के लिए प्रमुख जोखिम

क. बीमांकिक जोखिम:

यह जोखिम है कि लाभ अपेक्षा से अधिक खर्च होंगे। निम्नलिखित कारणों में से एक के कारण यह उत्पन्न हो सकता है:

प्रतिकूल वेतन वृद्धि का अनुभव:

वेतन वृद्धि जो अनुमानित वेतन वृद्धि से अधिक है, का परिणाम यह होगा कि प्रत्याशित से अधिक दर में दायित्व में वृद्धि होगी।

मृत्यु दरों में परिवर्तनशीलता:

यदि वास्तविक मृत्यु दर अनुमानित मृत्यु दर की धारणा से अधिक है तब प्रत्याशा से पहले उपदान लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए। चूंकि मौत के लाभ पर निहित कोई शर्त नहीं है, इसलिए नकद प्रवाह की संवृद्धि अनुमानित वेतन वृद्धि के सापेक्ष मूल्यों और बट्टे दरों के आधार पर एक बीमांकिक हानि या लाभ में अग्रसर होगा ।

निकासी दरों में परिवर्तनशीलता:

यदि वास्तविक निकासी दर प्रत्यावर्तन दर धारणा से अधिक है, तो उपदान लाभ पूर्व की अपेक्षा भुगतान किया जाएगा। इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्तीफे की तारीख में क्या लाभ निहित हैं।

ख. निवेश जोखिम

निधि योजनाओं जो संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बीमा कंपनियों पर भरोसा करते हैं, के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रमाणित संपत्तियों का मूल्यदेयता का समर्थन करने वाले लिखत का उचित मूल्य नहीं हो सकता है। ऐसे मामलों में, संपत्ति का वर्तमान मूल्य भविष्य की छूट दर से स्वतंत्र है। इसके परिणामस्वरूप शुद्ध देयता या वित्त पोषित में यदि अंतर–मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की स्थिति पर व्यापक उतार–चढ़ाव हो सकता है।

ग. चलनिधि जोखिम

कर्मचारी जो उच्च वेतन और लंबी सेवा काल या पदानुक्रम में उच्च है, हितलाभों के महत्वपूर्ण स्तर संचित करते हैं। अगर ऐसे कुछ कर्मचारियों ने कंपनियों से इस्तीफा दे दिया / सेवानिवृत्त हुए तो नकद प्रवाह पर तनाव हो सकता है।

घ. बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम उन जोखिमों के लिए एक सामूहिक शब्द है जो वित्तीय बाजारा में परिवर्तन और उतार–चढ़ाव से संबंधित हैं। एक बीमांकिक अनुमान को बट्टे दर पर भौतिक प्रभाव है। बट्टे दर पैसे के मूल्य का समय दर्शाती है। बट्टे दर में वृद्धि योजना के लाभ के परिभाषित हितलाभ दायित्वों में कमी की ओर और उसके विलोम ले जाती है। यह अनुमान कॉर्पोरेट / सरकारी बॉन्ड पर प्रतिलाभ पर निर्भर करती है और इसलिए देयता का मूल्यांकन मूल्यन तिथि को प्रतिलभों की उपज पर उजागर होता है।

ङ. **विधायी जोखिम:**

विधायी जोखिम यह है कि वैधानिक/ विनियामक में परिवर्तन के कारण योजना देयताओं में वृद्धि या योजना परिसंपत्तियों में कमी का जोखिम है। सरकार उपदान अधिनियम के भुगतान में संशोधन कर सकती है जिसके फलस्वरूप कंपनियों को कर्मचारियों के लिए उच्च हितलाभ के भुगतान करने की अवश्यकता है। यह सीधे परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करेगा और उक्त को जब किसी ऐसे संशोधन लागू होने पर वर्ष में तत्काल स्वीकार किया जाना होगा।

मूल्यांकन में उपयोग किए गए अनुमानों का सारांश निम्नानुसार है:

वित्तीय अनुमान (तालिका 9)

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
बट्टा दर	7.30% प्र व	6.40% प्र व
वेतन वृद्धि दर	6.00% प्र व	7.00% प्र व
योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ दर	लागू नहीं	लागू नहीं

डेमोग्राफिक अनुमान

निकासी दर प्र.व (तालिका 10)

आयु बैंड	31.03.2024 को	31.03.2023 को
25 और कम	3.00%	3.00%
25 से 35	2.50%	2.50%
35 से 45	2.00%	2.00%
45 से 55	1.50%	1.50%
55 और ऊपर	1.00%	1.00%

मृत्यु दर

भारतीय सुनिश्चित जीवनकाल मृत्यु प्रति वर्ष का नमूना (2012–14) तालिका 11

आयु बैंड	31.03.2024 को	31.03.2023 को
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

मूल्यांकन तरीका

बीमांकिक ने परिभाषित हितलाभ दायित्व के मूल्यांकन के लिए निश्चित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

31 निवेश

क) नियंत्रक कंपनी ने सहायक कंपनी मेसर्स हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) के इक्विटी शेयर में 1,106.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,106.00 लाख रुपये) का निवेश किया है, जो 1994 से बीआईएफआर के तहत है। 31 मार्च, 2024 की नवीनतम लेखापरीक्षा तुलन पत्र के आधार पर कंपनी का शुद्ध मूल्य सकारात्मक है। 31.03.2024 को शेयरों का बाजार मूल्य (अंकित मूल्य रु. 10) रु. 16.23 (पिछले वर्ष रु. 8.91) था। इन निवेशों के मूल्य में 689.04 लाख रुपये (पिछले वर्ष 120.55 लाख रुपये) की कमी का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार ने 29.01.2020 को सीसीईए के निर्णय के अनुसार मेसर्स एचएफएल को बंद करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार द्वारा वीआरएस खर्चों को पूरा करने और बैंक और आपूर्तिकर्ताओं को बकाया चुकाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 7,587 लाख रुपये (26.05.2020 को 7,370 लाख रुपये और 15.03.2022 को 217 लाख रुपये) जारी किए गए हैं।

ख) वर्ष 2007–08 के दौरान, सहायक कंपनी – हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल) के पुनरुद्धार के लिए संशोधित ड्राफ्ट पुनर्वास योजना (एमडीआरएस) को कार्यान्वयन के लिए बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित किया गया था। एमडीआरएस के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में, एचओसीएल ने एचएफएल को दिए गए ऋण पर जमा हुए 2,260.26 लाख रुपये के ब्याज को माफ कर दिया था और 2,744.07 लाख रुपये की असुरक्षित ऋण राशि को शून्य कूपन ऋण (जेडसीएल) के रूप में एचएफएल द्वारा सुरक्षित ऋण में बदल दिया था। एचओसीएल के पक्ष में अचल संपत्ति (84.31 एकड़ भूमि जिसका मूल्य सरकारी दर के अनुसार 10,196.76 लाख रुपये है) पर।यह ऋण 2010–11 से शुरू होकर 7 समान वार्षिक किस्तों में देय था, जो कुल मिलाकर 2,744.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2,744.07 लाख रुपये) था, जो पूर्ण रूप से देय और देय हो गया है।इसके अलावा, कंपनी ने एचएफएल को कुल मिलाकर रु. का ऋण दिया था। 10.25% से 14.50% की ब्याज दर पर 453.01 लाख (पिछले वर्ष 453.01 लाख रुपये) जो पूर्ण रूप से देय हो गया है। यह ऋण एचएफएल अचल संपत्ति पर प्रथम शुल्क द्वारा भी सुरक्षित है। व्यावसायिक योग्यता रखने वाले एक बाहरी पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 84.31 एकड़ भूमि की सुरक्षित संपत्ति का मूल्य आज की तारीख में 10,196.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 10,196.76 लाख रुपये) है।

32. प्रति शेयर अर्जन **रुपये लाख में**

गणना की गयी प्रति शेयर अर्जन निम्नानुसार है:	31.03.2024 को	31.03.2023 को
कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (रुपए लाख में)	(5,408.98)	(5,533.72)
इक्विटी शेयरों का भारित औसत संख्या (रुपए लाख में)	6,71,73,100.00	6,71,73,100.00
प्रति इक्विटी शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपए)	10.00	10.00
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन मूल/ मिश्रित (रु.)	(8.05)	(8.24)

33. सेगमेंट रिपोर्टिंग

चूंकि कंपनी केवल रसायन का निर्माण कर रही है, इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई अलग प्राथमिक और माध्यमिक खंड नहीं हैं और कंपनी द्वारा उत्पादित सभी रसायनों को एकल रिपोर्ट योग्य सेगमेंट का प्रतिनिधित्व के रूप में विचार किया जाता है। खंडीय परिणामों के प्रकटीकरण के संबंध में भारतीय लेखा मानक 108 की आवश्यकताओं को कंपनी के लिए लागू नहीं माना जाता है।

34. बंद किए गए परिचालनों के परिणामों का सारांश **रुपये लाख में**

विवरण	31.03.2024 को	31.03.2023 को
अन्य आय	208.21	210.90
वित्त लागत	0.01	2.39
कर्मचारी हितलाभ व्यय	-	263.64
अन्य व्यय	85.48	392.56
बंद किए गए परिचालन से लाभ/(हानि)	**122.72**	**(447.69)**

35. आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)

रुपये लाख में

i) आकस्मिक देयताएं	**31.03.2024 को**	**31.03.2023 को**
क) कंपनी के विरुद्ध दावा जिसे ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया है:		
i) आयकर दावा	91.99	91.99
ii) उत्पाद शुल्क/ सेवाकर	104.63	104.63
iii) स्कूल शिक्षकों के लिए उपदान	75.31	75.31
iv) अन्य दावे (विधि – मामले)	1,385.40	1,435.73
v) हरिचंद हाउस का किराया दावे	6,738.19	6,219.08
vi) जेएनपीटी पट्टा किराया	3,318.86	3,318.86
vii) सरकार ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज	9,398.31	8,258.81
viii) सरकार ऋण पर ब्याज के ऊपर ब्याज	68,294.06	52,435.82
ix) नीलिमा केमिकल कोर्पोरेशन	16.00	16.00
x) जीएसटी	41.97	-
xi) भविष्य निधि के ब्याज सहित विलंबित भुगतान पर हर्जाना	94.89	94.89
xii) ईएसआई	13.46	13.46
	89,573.07	**72,064.58**
ख) बैंक द्वारा दी गई बैंक गैरंटी	2,137.73	2,645.80
ii) प्रतिबद्धताएँ:		
पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रदान नहीं की गई:	27.85	11.77

क) कंपनी के विरुद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:

i) आयकर दावे: 91.99 लाख रुपए

आकलन वर्ष के विभिन्न अपीलें अधिकारियों के सक्षम लंबित हें यानि आईटीएटी, उच्च न्यायालय और अन्य फॉरम। कंपनी सुनवाई का इंतजार कर रही है, विवरण इस प्रकार है

आ व 2002–03 रु. 70.49 लाख और आ व 2011–12 रु.21.50 लाख

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/ जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर होसकता है जो अनिश्चित है।

ii) उत्पाद शुल्क/सेवा कर

नियंत्रक कंपनी का केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के साथ 2006–07 की अवधि से संबन्धित विवाद चल रहा है, जिसकी राशि रु. 104.63 लाख कंपनी ने विभिन्न न्यायाधिकरणों में अपील दायर की है।

उपरोक्त निर्धारण विविध अपील प्राधिकरणों के अधीन हैं। कंपनी ने ऋणों और ब्याज/ जुर्माना को स्वीकार नहीं किया जिसकी उगाई उन दावे पर हो सकता है जो अनिश्चित है।

iii) स्कूल अध्यापकों के लिए उपदान

एचओसी रसायनी स्कूल के अध्यापक गण द्वारा मार्च 1997 तक की अवधि के लिए दायर मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट (रु.75.31 लाख) के समक्ष लंबित है (31.03.2024 को).

iv) अन्य दावे (कानूनी मामले): 1385.40 लाख रुपए (31.03.2024 को).

क) वर्ष 1994 में फिनोल टैंकर दुर्घटना के संबंध में एमएसी ट्रिब्यूनल,त्रिचूर द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ नियंत्रक कंपनी द्वारा मुकदमा दायर किया गया (रु.118 लाख)

ख) ईएसआई कॉर्पोरेशन ने 01.04.1992 से 31.10.1992 तक की अवधि के दौरान योगदान की मांग की है, जो कि रु .2.17 लाख है। मामला ईएसआई कोर्ट, एर्नाकुलम के पास लंबित है, ईएसआई कोर्ट द्वारा वांछितानुसार हमने ईएसआई अधिनियम से छूट के लिए भारत सरकार को आवेदन दिया था। इसलिए कोई दायित्व नहीं बनता है और उस सीमा तक एक आकस्मिक देयता प्रदान की जाती है।

ग) नियंत्रक कंपनी ने पीयू सिस्टम हाउस प्रोजेक्ट के प्लांट बिल्डिंग, टेक्निकल सर्विस बिल्डिग, आर एंड डी बिल्डिग आदि के निर्माण के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल कार्यों के लिए खुली निविदा आमंत्रित की थी। नियंत्रक कंपनी ने मेसर्स शेतुशा इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (एसईसीपीएल) को वर्क ऑर्डर जारी किया था। पूरा होने में देरी और अन्य कमियों के कारण कंपनी ने लिक्विडेटेड हर्जाना काट लिया था। एसईसीपीएल ने उक्त कटौतियों पर आपत्ति जताई और माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष एक मध्यस्थता आवेदन दायर किया। बाद में मेसर्स एसईसीपीएल ने न्यायालय से उक्त मध्यस्थता आवेदन बिना शर्त वापस ले लिया था।इसके अलावा, मेसर्स एसईसीपीएल ने ब्याज सहित 113.35 लाख रुपये के भुगतान के लिए नियंत्रक कंपनी के खिलाफ डिक्री पारित करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई के समक्ष मुकदमा दायर किया था। मामला अंतिम सुनवाई के लिए लंबित है। (31.03.2024 को).

घ) नियंत्रक कंपनी ने मेसर्स वखारिया कंस्ट्रक्शन कंपनी, मुंबई (वीसीसी) द्वारा दी गई प्रदर्शन गारंटी का उपयोग किया, जिसे सिविल अनुबंध आवंटित किए गए थे क्योंकि अनुबंध कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार पूरा नहीं हुआ था। मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया और बाद में उच्च न्यायालय में चला गया। अदालत ने कंपनी को 12 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया और मेसर्स वीसीसी को बैंक गारंटी जमा करने पर राशि निकालने की अनुमति दी गई। हाई कोर्ट के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई। अब मैसर्स वीसीसी ने बैंक को भुगतान किए गए बैंक गारंटी कमीशन और 18% की दर से ब्याज की मांग उठाई क्योंकि कंपनी द्वारा सिविल आवेदन दाखिल करने के कारण वीसीसी के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित धन डिक्री पर रोक लगा दी गई थी। इस पर अनुमानित देनदारी 39.38 लाख रुपये है और मामला अदालत में लंबित है और तदनुसार आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाया गया है। (31.03.2024 को).

ङ) तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डबल्यूपी/ 24588/ 2013: श्री टी. ईश्वरैया, पूर्व मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन) ने 2009 में वीआरएस का विकल्प चुना था और 31.01.2009 को सेवाओं से मुक्त हो गए थे। 1997 और 2007 के वेतनमानों के संशोधन के परिणामस्वरूप वेतन संशोधन बकाया के कारण जून, 2013 में उनके द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। सहायक कंपनी द्वारा वकालत और काउंटर दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है; सहायक कंपनी के बोर्ड ने भी स्पष्ट किया था कि वीआरएस–2009 का विकल्प चुनने वाले वेतन संशोधन बकाया के लिए पात्र नहीं हैं। यहां तक कि डीसीपीसी ने भी इसे स्पष्ट किया। इसलिए, सहायक कंपनी के दृष्टिकोण से, मामला कानून में टिकने योग्य नहीं है।

च) तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश के लिए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष डबल्यूपी/12909/2013: श्री वी. गिरिधर और अन्य ने 2009 में वीआरएस का विकल्प चुना था और 31.01.2009 को सेवाओं से मुक्त हो गए थे। 1997 और 2007 के वेतनमानों के संशोधन के परिणामस्वरूप वेतन संशोधन बकाया के कारण जून, 2013 में उनके द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी। सहायक कंपनी द्वारा वकालत और काउंटर दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मामला लंबित है; सहायक कंपनी के बोर्ड ने भी स्पष्ट किया था कि वीआरएस–2009 का विकल्प चुनने वाले वेतन संशोधन बकाया के लिए पात्र नहीं हैं। यहां तक कि डीसीपीसी ने भी इसे स्पष्ट किया। इसलिए, सहायक कंपनी के दृष्टिकोण से, मामला कानून में टिकने योग्य नहीं है।

छ) एलसी आईडी–1 ऑफ 2015, माननीय केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के समक्षः श्री एन. रामबाबू, उत्पादन रसायनज्ञ ने एएलसी (केंद्रीय), हैदराबाद के समक्ष आईडी दायर की। प्रतिवादी कंपनी द्वारा एक काउंटर दायर किया गया है। सहायक कंपनी ने जनवरी, 2014 के दौरान सहायक कंपनी के प्रमाणित स्थायी आदेशों के निर्धारित प्रावधानों का पालन करने के बाद कर्मचारी को समाप्त कर दिया था। चूंकि सहायक कंपनी ने अनुमोदित प्रक्रियाओं का पालन करके उसे समाप्त कर दिया था, इसलिए मामला माननीय न्यायालय के समक्ष मान्य नहीं होगा।

ज) माननीय केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण–सह श्रम न्यायालय, हैदराबाद के समक्ष 2012 की आईडी संख्या 72: सहायक कंपनी के श्रमिकों के ट्रेड यूनियन–ए 4397 ने ओवरटाइम वेतन का भुगतान न करने के मामले में हस्तक्षेप करने के अनुरोध के साथ एएलसी (केंद्रीय), हैदराबाद के समक्ष एक आईडी उठाई है। इस संबंध में, संयुक्त कार्यवाही की गई और मुद्दा सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा नहीं सका, अलग–अलग विचार होने के कारण, सुलह अधिकारी ने भारत सरकार को अपनी विफलता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। प्रतिवादी सहायक कंपनी ने जवाबी याचिका दायर की है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1997 और 2007 दोनों के लिए वेतन संशोधन के कारण वित्तीय प्रभाव सहायक कंपनी को वहन करना होगा, क्योंकि कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई थी। मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि यूनियन ए–3954 द्वारा लिखित रूप में डीपीई को दी गई प्रतिबद्धता के आधार पर, भारत सरकार ने वेतन संशोधन के आदेश जारी किए थे, जिसे सहायक कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दी और लागू किया। गैर–प्रतिनिधि यूनियन–ए 4397 ने ओवरटाइम वेतन का भुगतान न करने के लिए कानून की अदालत का दरवाजा खटखटाया और एक याचिका दायर की, इसलिए यह मामला कानून की अदालत में लंबित है। चूंकि मौजूदा कर्मचारी पहले से ही ओवरटाइम के बदले में प्रतिपूरक छुट्टी का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए यह मामला माननीय न्यायालय के समक्ष टिकने योग्य नहीं है। 25.04.2023 को मामले की सुनवाई हुई और निर्णय के लिए आरक्षित किया गया।

झ) डबल्यूपी/9697/2000 और डब्लूए 483/2013 डबल्यूए सं.1194/2012 माननीय उच्च न्यायालय, एपी हैदराबाद के समक्षः श्रीमती के. नागरत्नम, सहायक प्रबंधक (वित्त) को बिना बकाया वेतन के सेवा में बहाल कर दिया गया है। आदेश से व्यथित होकर, उन्होंने रिट अपील दायर की है और प्रतिवादी सहायक कंपनी द्वारा काउंटर दायर किया गया था। कर्मचारी को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार बिना बकाया वेतन के बहाल कर दिया गया और 31 अगस्त 2016 को सहायक कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त कर दिया गया। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद में बकाया वेतन के लिए अपील दायर की है और मामला लंबित है। मामला सीएवी के तहत लंबित है। मामला 28.02.2024 को फिर से सूचीबद्ध किया गया है और जारी है।

ञ) माननीय उच्च न्यायालय हैदराबाद के समक्ष डब्लूपी संख्या 20076/2019: श्रीमती के रजनी, पूर्व कंपनी सचिव, टी.नं. 262 ने "सितंबर 2011 में तय वेतनमान / मूल वेतन विसंगति" के पुनर्सत्यापन के खिलाफ इ दायर किया था। कुछ अधिकारियों ने सहायक कंपनी का प्रतिनिधित्व किया है कि 1997 के वेतन संशोधन के खिलाफ वेतनमान और मूल वेतन के निर्धारण में विसंगति है और उन्होंने पुनर्निर्धारण के लिए अनुरोध किया है। इसे सितंबर 2011 में 18 अधिकारियों के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है, उनमें से एक श्रीमती के रजनी हैं। जिनका वेतनमान और मूल वेतन भी विसंगति के तहत पुनर्निर्धारित किया गया था। उन्होंने उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था कि फरवरी 2019 में उनके वेतनमान / मूल वेतन का पुनर्निर्धारण सही नहीं है।

ट) सीजीआईटी संख्या 134/2018: सहायक कंपनी के कर्मचारी संघ ए 3954. 2017 वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के लिए।

ठ) माननीय शहर सिविल कोर्ट, सेकंदरबाद के समक्ष ओएस 414/2008, उच्च न्यायालय के समक्ष सीसीए संख्या 250/2017: मेसर्स शांति बॉयलर एंड प्रेशर वेसल्स प्राइवेट लिमिटेड, सेकंदरबाद ने बॉयलर की डिलीवरी की थी और अनुबंध की शर्तों का पालन करने में विफल रहा, जैसा कि सहमति हुई थी। वस्तुओं की आपूर्ति से व्यथित होकर एक मामला दायर किया गया और सहायक कंपनी द्वारा काउंटर दायर किया गया। सहायक कंपनी न्यायालय में मामले की पैरवी कर रही है और उनका मानना है कि कानूनी सलाहकारों से मिली जानकारी के अनुसार मामला हमारे पक्ष में होगा और इस मामले में अनुमानित कानूनी निहितार्थ लगभग 13.5 लाख रुपये है, अगर सहायक कंपनी केस हार जाती है।

ड़) सीसीसी, हैदराबाद के समक्ष ओपी संख्या 709/1998। उच्च न्यायालय के समक्ष सीएमए 2861/203, उच्च न्यायालय के समक्ष सीएमए 918/2018, XXIV अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, सीसीसी, हैदराबाद के समक्ष सीओपी संख्या 42/2019, XXIV मुख्य न्यायाधीश, सीसीसी, हैदराबाद के समक्ष सीओएमसीए16/2020। अब सीएमए 918/2018 औरसीओएमसीए 16/2020 को टैग किया गया हैःसीएफएम–22 गैस की आपूर्ति से संबंधित मेसर्स रॉकवेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर मामला। आईडीबीआईको मामले में पक्षकार बनाया गया था और आईडीबीआई ने काउंटर दायर किया है। यह विवाद 1998 से विभिन्न मंचों पर चल रहा है – 1998 में मध्यस्थता, 2001 में माननीय मुख्य न्यायाधीश फिर से 2017 में, हैदराबाद सिविल कोर्ट ने मध्यस्थ के आदेश की पुष्टि की, पार्टी ने एडिशनल चीफ जज, सिटी सिविल कोर्ट के समक्ष नए सीओपी दाखिल किए और एचएफएल ने तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया। वर्तमान में मामला अभी भी तेलंगाना के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष है, जिसने अपने आदेश दिनांक 04.11.2020 के तहत कंपनी की संपत्ति के निपटान पर रोक लगा दी है। मामला अभी लंबित है। 02.11.2022 को मामले में रोक हटाने पर सुनवाई हुई। एमएसटीसी के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी के निपटान की अनुमति दी गई और आदेश की प्रति 04.11.2022 को प्राप्त हुई। इस संबंध में अदालत ने सहायक कंपनी को संयंत्र और मशीनरी की बिक्री आय जमा करने के लिए एक अलग बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया है. संयंत्र की बिक्री से प्राप्त राशि 29.03.2023 को प्राप्त हुई और 1,421 लाख रुपये की राशि एसबीआई में एफडी के रूप में जमा कर दी गई।

ढ़) माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद में डब्लूपी संख्या 35920/2021: टीएसएसपीडीसीएल ने अंतर व्हीलिंग शुल्क लगाया है और 2002 से 2004 की अवधि के लिए लगभग 614 लाख रुपये के व्हीलिंग शुल्क का भुगतान करने का नोटिस जारी किया है। यदि मासिक बिजली बिल के साथ पंद्रह दिनों के भीतर इसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो सेवा काट दी जाएगी। टीएसएसपीडीसीएल के नोटिस से व्यथित होकर, सहायक कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मामले की सुनवाई हुई और माननीय उच्च न्यायालय ने 24.12.2021 को स्थगन दे दिया था।

v) हरचंदराय हाउस से भाड़ा दावे ₹6,738.19 लाख (31.03.2024 को)

चूंकि कंपनी ने अपने नोटिस के अनुसार मेसर्स हरचंद्राई एंड संस से लीज पर लिया गया कार्यालय परिसर खाली नहीं किया है, इसलिए उन्होंने कानूनी कार्यवाही शुरू की और लीज किराया स्वीकार करना बंद कर दिया। कंपनी ने वर्ष 2014 के दौरान कार्यालय परिसर खाली कर दिया। मकान मालिकों ने 01/06/2000 से उक्त परिसर के कब्जे तक की अवधि के लिए मेस्ने लाभ के लिए स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई के समक्ष मेस्ने लाभ आवेदन दायर किया। मेसर्स हरचंद्राय एंड संस द्वारा दायर मध्यावधि लाभ आवेदन को स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई ने 02.05.2022 को अनुमति दी है, जिसमें कंपनी को 01/06/2000 से 31/12/2006 तक की अवधि के लिए 138/– रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से मध्यावधि लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, और उसके बाद की अवधि के लिए 274/– रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से 9% प्रति वर्ष ब्याज सहित भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई के आदेश के अनुसार 01/06/2000 से 31/03/2014 तक की अवधि के लिए मध्यवर्ती लाभ और 31–03–2024 तक उस पर ब्याज की कुल राशि 7,251.97 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6,982.86 लाख रुपये) होती है। एचओसीएल द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और औसत दर 48.91 रुपये प्रति स्क्वायर फीट गई है। जिस पर स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई द्वारा विचार नहीं किया गया। कानूनी राय के अनुसार, कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी और कंपनी की राय है कि एचओसीएल मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार गणना की गई राशि के अलावा मांग के क्रिस्टलीकरण में अनिश्चितताएं हैं, जिसमें औसत लाभ का आकलन 48.91 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है। एचओसीएल मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट के आधार पर गणना की गई औसत लाभ की राशि रु.48.91 प्रति स्क्वायर फीट की दर से रु. 763.78 लाख है जो वर्ष 2021–22 के लिए लेखा पुस्तकों में पहले ही प्रदान की जा चुकी है। 6,738.19 लाख रुपये (7,251.97 – 513.78) की अंतर राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है, एचओसी लिमिटेड ने बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार 05.02.2024 को स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई में 250.00 लाख रुपये की राशि जमा कर दी है। इस मामले में दायर रिट याचिका का निपटारा मार्च 2024 में कर दिया गया और मध्य लाभ मूल्यांकन से संबंधित विवाद स्मॉल कौसेस कोर्ट, मुंबई में लंबित है।

vi) जेएनपीटी पट्टे की भाड़ा: 3,318.86 लाख रुपए (31.03.2024 को)

नियंत्रक कंपनी ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) के साथ लिक्विड टैंक फार्म स्थापित करने के लिए आवंटित जमीन को कंपनी की संपत्तियों के साथ `जहाँ है जैसा है` के आधार पर लीज पर सौंपने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जेएनपीटी ने लीज रेंटल और अन्य शुल्कों के लिए 4,124 लाख रुपये की मांग की।कंपनी ने मध्यस्थ कार्यवाही शुरू की है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया है। एमओयू के अनुसार कंपनी की संपत्ति का मूल्य 1,638.50 लाख रुपये है और मेसर्स जेएनपीटी द्वारा इस पर सहमति और भुगतान किया गया है। कंपनी द्वारा जेएनपीटी को देय लीज किराए की निर्विवाद राशि की गणना मध्यस्थता पुरस्कार के आधार पर पार्टियों के बीच आपसी समझ से 805.13 लाख रुपये की गई थी और कंपनी द्वारा इसका भुगतान किया गया था। विवादित राशि में लीज रेंटल 297 4.51 लाख रुपये, जल शुल्क 0.65 लाख रुपये, वे लीव चार्ज 297.09 लाख रुपये और वे लीव चार्ज का सेवा कर 46.61 लाख रुपये शामिल हैं। कंपनी ने जेएनपीटी की मांग की शेष राशि को आकस्मिक दायित्व के रूप में भुगतान किए गए अविवादित पट्टा किराये को समायोजित करने के बाद दिखाया है क्योंकि मध्यस्थ पुरस्कारों के खिलाफ दायर अपील उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित है और कंपनी की राय है कि किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें अनिश्चितताएं हैं, मुकदमेबाजी के इस चरण में मांग का क्रिस्टलीकरण है।

vii& viii) सरकारी ऋण पर उच्च दर पर ब्याज: 9,398.31 लाख रुपये और सरकारी ऋण पर चूक ब्याज पर ब्याज 68,294.06 लाख रुपये

कंपनी को दिये गए ऋण के संबंध में ब्याज की दर बढ़ाने का अधिकार भारत सरकार के पास है, यदि नियत तारीख पर मूलधन की चुकौती के मामले में और देय ब्याज के भुगतान में से किसी प्रकार के चूक होने पर ब्याज दर वसूल की जाती है। चूंकि मूलऋण के भुगतान के साथ साथ ब्याज के भुगतान में भी चूक हुई है, कंपनी ने अनुमान किया है कि मूलधन पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज उच्च दर की मांग की जा सकती है। अतिरिक्त ब्याज देयता की गणना की और आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। भारत सरकार द्वारा दी गयी शेष राशि की पुष्टि के अनुसार,उच्च दर पर ब्याज और बकाया ब्याज पर ब्याज शामिल नहीं किया गया है।

ix) नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन (31.03.2024 को)

यह सिविल मुकदमा मेसर्स नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 1996 में सहायक जिला न्यायाधीश, 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल, भारत प्रथम न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य:– एचओसीएल एनसीसी द्वारा प्रदान/प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी (`बीजी") के विरुद्ध मेसर्स नीलिमा केमिकल कॉर्पोरेशन (ठएनसीसीठ) को सामग्री की आपूर्ति कर रहा था। व्यवसाय के दौरान, एनसीसी सामग्री की आपूर्ति के लिए अतिदेय राशि का भुगतान करने में विफल रही थी और इसलिए 15 मई 1996 को एचओसीएल ने एचओसीएल के अतिदेय को पूरा करने के लिए बीजी लागू करने के लिए संबंधित बैंक विजया बैंक को एक पत्र एनसीसी द्वारा लिखा था। इसके बाद, विजय बैंक ने एचओसीएल के पक्ष में बीजी से/की ओर से धनराशि जारी की। इस प्रकार, इस कदम/निर्णय से व्यथित होकर एनसीसी ने सहायकजिला न्यायाधीश, 24 परगना (दक्षिण) के प्रथम न्यायालय के समक्ष 3,90,681.90 रुपये की राशि का डिक्री पारित करने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। इस मुकदमे पर एकपक्षीय फैसला सुनाया गया था और एनसीसी के वकील ने 24 नवंबर 2011 को अपने पत्र के जरिए कंपनी को सूचित किया था कि वे उक्त फैसले को क्रियान्वित कर रहे हैं। इसके बाद, एचओसीएल ने मिस्ल दायर की थी। उक्त डिक्री और/या मुकदमे को रद्द करने के लिए 2011 के केस नंबर 156 की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जाएगी। एचओसीएल ने 25 अगस्त 2011 को उक्त मामले में कैविएट भी दायर की थी। कंपनी ने 2014 के शीर्षक निष्पादन मामले संख्या 11 का विरोध करने के लिए हलफनामा भी दायर किया था। अब उक्त मामला सुनवाई हेतु न्यायालय में विचाराधीन है। यह निष्पादन आवेदन 1996 के 45 (एकपक्षीय) में पारित डिक्री के निष्पादन के लिए एचओसीएल के खिलाफ एनसीसी द्वारा दायर किया गया है। यह मामला 10 नवंबर 2021 को सुनवाई के लिए आया था, इस तारीख को एचओसीएल की वकील श्रीमती सरोज तुलस्यान ने स्थगन की मांग करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने स्थगन के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और मामले की आंशिक सुनवाई 10 नवंबर 2021 को हुई।

x) जीएसटी मांग 41.97 लाख रुपये

10 सितंबर, 2023 को केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आई एस प्रेस रोड, कोच्चि के संयुक्त आयुक्त से जीएसटी प्राधिकरणों से दिनांक 04–09–2023 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ। कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया

है कि एचओसीएल ने जुलाई, 2017 से जुलाई, 2018 की अवधि के लिए गलत तरीके से 61,977,794/– रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया और उसका उपयोग किया है, और उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर लिखित जवाब देने का अनुरोध किया है। जुलाई, 2017 से जुलाई 2018 की अवधि के लिए जीएसटी के कार्यान्वयन और जीएसटीआर–3बी दाखिल करने के समय, ग्राहकों को जारी किए गए क्रेडिट नोटों की जीएसटी राशि को बिक्री राशि से घटाने के बजाय इनपुट टैक्स क्रेडिट में जोड़ा गया था। वास्तव में देय शुद्ध जीएसटी राशि में कोई बदलाव नहीं होगा। संयुक्त आयुक्त (जीएसटी) के अनुरोध के अनुसार, हमने अपने जीएसटी सलाहकार मेसर्स कृष्णा अय्यर एंड कंपनी के माध्यम से संयुक्त आयुक्त (जीएसटी) को अपना मामला प्रस्तुत किया है और ग्राहकों से एकत्रित 600.01 लाख रुपये के सीए प्रमाण पत्र 12–12–2023 से पहले जमा किए हैं। जेसी द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया जिसमें 619.77 लाख रुपये की मांग को घटाकर 19.76 लाख रुपये कर दिया गया और 41.97 लाख रुपये के लिए डीआरसी 07 जारी किया गया– (जीएसटी 19.76 लाख रुपये ₹ ब्याज 20.23 लाख रुपये + जुर्माना 1.97 लाख रुपये)। इसके अलावा हमने 11.58 लाख रुपये के सीए प्रमाण पत्र एकत्र किए हैं – जो हमारे पास रखे गए हैं और शेष राशि के प्रमाण पत्र एकत्र करने के बाद जीएसटी अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे। हमने संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के आदेश संख्या .16/ 2023–24 जीएसटी (जेसी) दिनांक–12–12–2023 के खिलाफ 27–02–2024 को अपील दायर की है।

xi) ब्याज सहित भविष्य निधि के विलंबित भुगतान पर क्षतिपूर्ति (सहायक कंपनी): 94.89 लाख रुपये

सहायक कंपनी ने केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को 2000–01 से 2010–11 की अवधि के दौरान पीएफ बकाया के विलंबित भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति माफ करने के लिए पत्र लिखा है, यह देखते हुए कि कंपनी एक बीआईएफआर संदर्भित कंपनी थी।

xii) ईएसआई (सहायक कंपनी) 13.46 लाख रुपये

ईएसआई निगम ने सहायक कंपनी से 01.01.1997 से 30.09.2000 तक की अवधि के लिए 153 कर्मचारियों के अंशदान के लिए 15,99,902/– रुपए की बकाया राशि की मांग की। सहायक कंपनी ने न्यायालय के आदेश के अनुसार मूल राशि के 50₹ के रूप में 7,99,951/– रुपए का भुगतान किया है। 31.03.2001 तक दावा किया गया ब्याज 5,46,139 रुपए था। इसलिए, 13,46,090 रुपए (15,99,902₹5,46,139–7,99,951) की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

xiii) नियमित और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित श्रम मामलों के लिए कंपनी के खिलाफ दायर कानूनी मामलों से संबंधित दावों की राशि को देनदारियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

ख) बैंक गारंटी जारी किया गया 2,137.73 लाख रुपए

कंपनी ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड को 192.37 लाख रुपये, बीपीसीएल को 4,600 लाख रुपये, एमआरपीएल को 1,000 लाख रुपये तथा अन्य को 300.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत की है। कंपनी को उपरोक्त के संबंध में किसी भी बहिर्वाह की उम्मीद नहीं है। एमआरपीएल को जारी की गई बैंक गारंटी के विरुद्ध आकस्मिक देयता और प्रतिबद्धताएं केवल 1,000.00 लाख रुपये दर्शाई गई हैं।

II) पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया: रु. 27.85 लाख

रुपये लाख में

निम्नलिखित अनुबंधों के लिए कार्य आदेश जारी किया गया।	2023-24	2022-23
क) टाउनशिप में सड़कों का पुनर्निर्माण	27.85	0
कुल	**27.85**	**0**

36. इंड एएस 8 के अनुसार त्रुटि या चूक संबंधी प्रकटन

"इंड एएस 8, `लेखा नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ` और इंड एएस 1, `वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति` के अनुसार, कंपनी ने नीचे बताए गए कारणों से 1 अप्रैल 2022 (पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत) को अपनी बैलेंस शीट को पूर्वव्यापी रूप से पुनः प्रस्तुत किया है।"

रुपये लाख में

विवरण	**31.03.2024 को**	**31.03.2023 को**	**01.04.2022 को**
प्रतिधारित आय			**(99,437.26)**
अन्य चालू परिसंपत्तियों में पुनर्कथन	-	-	(58.44)
कुल	-	-	**(58.44)**
प्रतिधारित आय का पुनर्कथन	**–**	**–**	**(99,495.70)**

नियंत्रक कंपनी में , अन्य चालू परिसंपत्तियाँ – वैधानिक प्राप्य (शुल्क, कर और पूर्व भुगतान किए गए कर सहित) में 58.44 लाख रुपये की राशि शामिल है जिसे पूर्व मूल्यांकन वर्षों के लिए रिफंड प्राप्य माना जाता है। हालांकि, उन वर्षों के मूल्यांकन पूरे हो चुके हैं, और रिफंड जारी किए गए हैं या अन्य वर्षों के लिए आयकर मांगों के खिलाफ समायोजित किए गए हैं, जिसमें कोई अपील लंबित नहीं है। चूंकि त्रुटि या चूक वित्तीय वर्ष 2021–22 से पहले हुई थी, इसलिए उक्त राशि को इंड एएस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियों के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया गया है। यह समायोजन प्रस्तुत की गई सबसे पुरानी पूर्व अवधि, यानी 01.04.2022 के लिए प्रतिधारित आय के शुरुआती शेष का पूर्वव्यापी पुनर्कथन करता है, जैसे कि पूर्व अवधि की कोई त्रुटि कभी हुई ही नहीं थी।

ख) वर्ष 31–03–2023 के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः घोषित मदों का समाधान

रुपये लाख में

विवरण	**समाप्त वर्ष के लिए 31–03–2023**
पूर्व में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कर के बाद सतत परिचालन से लाभ	(5,533.72)
पुनर्वर्गीकरण समायोजन:	
जोड़ें/ (घटाएँ): कर पुनर्वर्गीकृत होने के बाद बंद किए गए परिचालनों से लाभ/ (हानि)	(447.69)
पुनर्वर्गीकृत खातों के अनुसार कर के बाद सतत परिचालन से लाभ	**(5,086.03)**

रुपये लाख में

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए 31–03–2023
पूर्व में लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कर के पश्चात बंद परिचालन से लाभ	-
पुनर्वर्गीकरण समायोजन:	
जोड़ें/ (घटाएँ): कर पुनर्वर्गीकृत होने के बाद बंद किए गए परिचालनों से लाभ/ (हानि)	447.69
पुनर्वर्गीकृत खातों के अनुसार कर के बाद बंद परिचालन से लाभ	(447.69)

कंपनी ने पिछली रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अपनी सहायक कंपनी के बंद किए गए परिचालनों को निरंतर परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया था। इंड–एएस 8– "लेखा नीतियों, लेखा अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ" के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने इसे बंद किए गए परिचालनों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया था।

37. इंड –एएस 24 के अनुसार संबंध पार्टी प्रकटीकरण

चूंकि भारत सरकार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, (रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में) के 58.78% का मालिक है। इसलिए सरकार और अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेन–देन से संबन्धित खुलासे के अनुसार पैरा 26 के साथ इंड 24 सूचित किया गया है।

संबन्धित पक्षों की सूची जहां नियंत्रण मौजूद है और संबन्धित पक्ष जिनके साथ लेन–देन हुआ है और संबंध है।

रुपये लाख मे

क्रम संख्या	संबंधित पार्टी के संबंध का नाम	संबंध	लेन–देन का विवरण	वर्ष 2023–24 के दौरान लेन–देन की राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2024)	वर्ष 2022–23 दौरान लेन–देन की राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2023)	वर्ष 2021–22 दौरान लेन–देन की राशि	वर्ष के अंत में बकाया राशि (31.03.2022)
1	भारत पेट्रॉलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सहायक कंपनी के साथ 56.43% शेयर होल्डिंग	एचएफएल को दिए गए ऋण पर ब्याज	53,834.61	6,201.50	37,659.45	3,462.27	22,883.56	3,051.35
2	भारत पेट्रॉलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	कच्चे माल की खरीद (एलपीजी, बेंजीन, एफओ, एच2 और एलएनजी)	42.84	22.00	43.00	29.08	15.07	22.84
3	इंडियन ऑइल कॉर्परिशन लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	तैयार माल की बिक्री (H2O2)	7,317.37	25.01	6,130.67	-59.52	478.67	-
4	मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	भारत सरकार द्वारा नियंत्रित	कच्चे माल/ ईंधन की खरीद	386.14	-	5,496.25	-	-	-
कंपनी द्वारा गठित ट्रस्ट									
5	एचओसीएल ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट	–उपरोक्त–	निवेश और निवेश पर ब्याज	121.49	1,651.82	682.19	1,729.48	610.89	1,490.61

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

विवरण	अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	पदावधि के बाद कर्मचारी लाभ	अन्य दीर्घकालिक लाभ	समाप्ति लाभ	शेयर आधारित भुगतान	कुल
2023–24						
क. पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:						
श्री सजीव बी, सीएमडी	38.91	4.97	-	-	-	43.88
श्री योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला	31.08	4.18	-	-	-	35.26
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक						
i) सरकारी नामिती निदेशक						
श्री संजय रस्तोगी (एएस & एफए) (22.11.2023 तक)	-	-	-	-	-	-
श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव	-	-	-	-	-	-
श्री मनोज सेठी (22.11.2023 से)	-	-	-	-	-	-
ii) स्वतंत्र निदेशक						
डॉ भरत जे कनाबार	1.30	-	-	-	-	1.30
श्री प्रल्यूष मंडल	1.30	-	-	-	-	1.30
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक						
श्री सुब्रमण्यम एच	13.79	1.91	-	-	-	15.70
कुल	**86.38**	**11.06**	-	-	-	**97.44**
2022–23						
क. पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:						
श्री सजीव बी, सीएमडी	36.80	4.56	-	-	-	41.36
श्री योगेन्द्र प्रसाद शुक्ला (04.07.22 से)	21.68	2.90	-	-	-	24.58
ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक						
i) सरकारी नामिती निदेशक						
श्री संजय रस्तोगी (एएस & एफए)	-	-	-	-	-	-
श्री कनिष्क कांत श्रीवास्तव	-	-	-	-	-	-
ii) स्वतंत्र निदेशक						
डॉ भरत जे कनाबार	1.10	-	-	-	-	1.10
श्री प्रल्यूष मंडल	1.10	-	-	-	-	1.10
ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक						
श्री सुब्रमण्यम एच	13.10	1.76	-	-	-	14.86
श्री पी ओ लुईस, सीएफओ (04.08.2022 तक)	9.29	1.22	-	-	-	10.51
कुल	**83.07**	**10.44**	**–**	**–**	**–**	**93.51**

नोट:

अपने व्यापार के साधारण चलन में, कंपनी अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं (उपरोक्त सूची में शामिल नहीं है) के साथ लेन–देन करता है। कंपनी को अन्य सरकारी नियंत्रित संस्थाओं के साथ जिनमें निम्नलिखितों सहित लेकिन इनमें सीमित नहीं है के साथ लेन–देन है।

माल एवं अनुषंगी सामग्रियों की बिक्री और क्रय; सेवाएँ प्रदान और प्राप्त करना और लाभांशों की प्राप्ति; ऋण और अग्रिमों ; धन का निवेश और उधार ; सार्वजनिक उपयोगिताओं की गारंटी और उपयोग.

ये लेन–देन व्यापार के सामान्य गतिविधियों के दौरान अन्य संस्थाओं के उन शर्तों की तुलना के साथ किए जाते हैं,जो सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं नहीं हैं।

टिप्पण–38 वित्तीय साधन :

वित्तीय नीति:

वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन को जन्म देता है।

वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, उन वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागतों को भी मान्यता दी जाती है।

परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण

एक `ऋण साधन' को उसकी परिशोधित लागत पर मापा जाता है यादि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

क) परिसंपति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए परिसंपतियो को रखना है, और

"ख) परिसंपति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बवढाकाा मूल राशि पर ब्काज (एसपीपीआई) वढा भुगतान हैं।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपतियो को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि के विवरण में अन्य आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीओसीआई)

एक `ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है, और"

ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को प्रारंभ में तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में उतार-चढ़ाव को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। हालांकि, कंपनी ब्याज आय, हानि हानि और प्रतिवर्तन तथा विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता रद्द होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण उपकरण धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफवीटीपीएल)

एफवीटीपीएल ऋण उपकरणों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी किसी ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करता हो। हालाँकि, ऐसे चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगति (जिसे `लेखा बेमेल` कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। नियंत्रक कंपनी ने कुछ ऋण साधनों को एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को लाभ और हानि विवरण में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में सभी इक्विटी निवेशों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। ट्रेडिंग के लिए रखे गए इक्विटी उपकरणों को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। नियंत्रक कंपनी इस प्रकार का चुनाव साधन-दर-यंत्र के आधार पर करती है। यह वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता के आधार पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय होता है। यदि नियंत्रक कंपनी किसी इक्विटी उपकरण को एफ़वीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है, तो उपकरण पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, ओसीआई में मान्यता प्राप्त होते हैं। यहां तक कि निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से प्राप्त राशि को लाभ-हानि विवरण में पुनः नहीं दर्शाया जाता है। हालाँकि, नियंत्रक कंपनीसंचयी लाभ या हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा लाभ और हानि विवरण में सभी परिवर्तनों को मान्यता दी जाती है।

अमान्यता

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों वाली कंपनी का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से तब अमान्य घोषित किया जाता है (यानी कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है) जबः परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या नियंत्रक कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या किसी तीसरे पक्ष को `पास-थ्रू` व्यवस्था के तहत बिना किसी भौतिक देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और

(क) नियंत्रक कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या

"(ख) नियंत्रक कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, बल्कि उसने परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।"

जब नियंत्रक कंपनी किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित करती है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश करती है, तो वह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और लाभ को बरकरार रखा है।जब नियंत्रक कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही उन्हें अपने पास रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो नियंत्रक कंपनी अपनी निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस स्थिति में, नियंत्रक कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो नियंत्रक कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल अग्रणीत राशि तथा प्रतिफल की अधिकतम राशि, जिसे नियंत्रक कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है, में से निम्नतम राशि पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, नियंत्रक कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, तथा उन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूति जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं

ग) भारतीय लेखा मानक 17 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य

घ) व्यापार प्राप्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो लेनदेन के परिणामस्वरूप होता है जो भारतीय लेखा मानक 18 के दायरे में आता है (इन वित्तीय विवरणों में इसे `संविदात्मक राजस्व प्राप्य` कहा जाता है)

ङ) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है

कंपनी निम्नलिखित पर हानि हानि भत्ते की मान्यता के लिए `सरलीकृत दृष्टिकोण` का पालन करती है:

व्यापार प्राप्य और अन्य प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए नियंत्रक कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को मान्यता देता है।अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिम पर हानि की पहचान के लिए, नियंत्रक कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि की भरपाई के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है।

हालाँकि, यदि ऋण जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है।यदि, बाद की अवधि में, साधन की ऋण गुणवत्ता में सुधार होता है, जिससे प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12–माह की ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते की मान्यता पर वापस आ जाती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवनकाल में सभी संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं से उत्पन्न अपेक्षित ऋण हानियाँ हैं। 12–माह ईसीएल, आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है, जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

ईसीएल, अनुबंध के अनुसार कंपनी को मिलने वाले सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और इकाई द्वारा प्राप्त होने की उम्मीद वाले सभी नकदी प्रवाहों (अर्थात् सभी नकदी कमी) के बीच का अंतर है, जिसे मूल ईआईआर पर छूट दी जाती है। नकदी प्रवाह का अनुमान लगाते समय, इकाई को निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है:

वित्तीय साधन की अपेक्षित अवधि के दौरान वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तें (पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्पों सहित)। हालाँकि, दुर्लभ मामलों में जब वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, तो इकाई को वित्तीय साधन की शेष संविदात्मक अवधि का उपयोग करना आवश्यक है।

संपार्श्विक की बिक्री या अन्य ऋण संवर्द्धन से प्राप्त नकदी प्रवाह, जो संविदात्मक शर्तों का अभिन्न अंग है। परिशोधित लागत, संविदागत राजस्व प्राप्तियों और पट्टा प्राप्तियों के रूप में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां: ईसीएल को एक भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात, बैलेंस शीट में उन परिसंपत्तियों के माप के एक अभिन्न अंग के रूप में। भत्ता शुद्ध वहन राशि को कम करता है। जब तक परिसंपत्ति राइट–ऑफ मानदंड को पूरा नहीं करती, तब तक कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।

वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को, प्रारंभिक मान्यता के समय, लाभ या हानि, ऋण और उधार, या देय राशियों के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा ऋणों, उधारों और देयताओं के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार, वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

बाद का माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

`लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियाँ

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखी गई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। ट्रेडिंग के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ऋण और उधार

यह कंपनी के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक श्रेणी है। आरंभिक मान्यता के बाद, ब्याज–असर वाले ऋण और उधार को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है ईआईआर का एक अभिन्न अंग। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार पर लागू होती है।

`वित्तीय गारंटी अनुबंध

कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं, जिनमें धारक को उस नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जो निर्दिष्ट देनदार द्वारा ऋण साधन की शर्तों के अनुसार देय होने पर भुगतान करने में विफल रहने के कारण होता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जो गारंटी जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के लिए समायोजित की जाती है। इसके बाद, देयता को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि और संचयी परिशोधन को घटाकर मान्यता प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, उस पर मापा जाता है।

अ–मान्यता

जब देयता के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय देयता को अ–मान्यता दी जाती है। जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अ–मान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय साधनों की भरपाई

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की भरपाई की जाती है और शुद्ध राशि को स्टैंडअलोन बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, यदि मान्यता प्राप्त राशियों की भरपाई करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों को प्राप्त करने और देनदारियों को एक साथ निपटाने का इरादा है।"

उचित मूल्य माप

कंपनी उन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हैं और जिनके लिए उचित मूल्य मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध हैं, प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम करना और अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करना। सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है, जो कि समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर के इनपुट पर आधारित है।

स्तर 1 – उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल हैं। इसमें कीमत दिए गए सूचीबद्ध इक्विटी सामाग्री, ट्रेडड बॉन्ड और म्यूचल निधि शामिल है। सभी इक्विटी लिखत (बॉन्ड सहित) जो स्टॉक एक्स्चेंज में कारोबार किया जाता है, का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि में समापन मूल्य का उपयोग करके मूल्यन किया जाता है। म्यूचल निधि का मूल्यन समापन एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2 वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाज़ार में कारोबार नहीं किया जाता है (उदाहरण के लिए, व्यापार बॉन्ड, काउंटर डिरिवेटिव के ऊपर) का निर्धारण मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है जो कि अवलोकन योग्य बाज़ार डेटा का उपयोग अधिकतम करते हैं और यथासंभव संस्था –विशिष्ट अनुमानों पर कम आश्रित करते हैं। यदि किसी उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण जानकारी अवलोकन योग्य है, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 – यदि महत्वपूर्ण इनपुट्स में से एक या अधिक अवलोकन बाज़ार के अंकड़ों पर आधारित नहीं है, तो इन्स्ट्रुमेंट स्तर 3 में शामिल है। यह असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों, आकस्मिक विचार और क्षतिपूर्ति संपत्ति के मामले में है।

वित्तीय मूल्य और देयताएँ उचित मूल्य आवर्ती उचित मूल्य माप पर मापा जाता है:

रुपये लाख मे

विवरण	31 मार्च, 2024 को				31 मार्च, 2023 को			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:								
ऋण	-	-	14.84	14.84	-	-	22.35	22.35
व्यापार प्राप्य	-	-	1,995.31	1,995.31	-	-	1,936.87	1,936.87
निवेश	-	-	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	133.34	133.34	-	-	726.80	726.80
नकद को छोडकर बैंक शेष			25,237.42	25,237.42			19,086.96	19,086.96
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	1,053.62	1,053.62	-	-	662.15	662.15
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	**28,439.53**	**28,439.53**	-	-	**22,440.13**	**22,440.13**
वित्तीय देयताएं								-
उधार	-	-	83,298.90	83,298.90	-	-	81,423.46	81,423.46
पट्टा देयताएं	-	-	111.51	111.51	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	6,858.66	6,858.66	-	-	4,082.81	4,082.81
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-	-	52,823.25	52,823.25	-	-	47,133.85	47,133.85
कुल वित्तीय देयताएँ	-	-	**143,092.32**	**143,092.32**	-	-	**132,640.12**	**132,640.12**

वित्तीय लिखतों की श्रेणी

क उचित मूल्य अनुक्रम :

रुपये लाख मे

विवरण	31 मार्च, 2024 को				31 मार्च, 2023 को			
	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधन लागत	कुल	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीओसीआई	परिशोधन लागत	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ:								
ऋण	-	-	14.84	14.84	-	-	22.35	22.35
व्यापार प्राप्य	-	-	1,995.31	1,995.31	-	-	1,936.87	1,936.87
निवेश	-	-	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00
नकद एवं नकदी समतुल्य	-	-	133.34	133.34	-	-	726.80	726.80
नकद को छोडकर बैंक शेष			25,237.42	25,237.42			19,086.96	19,086.96
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	1,053.62	1,053.62	-	-	662.15	662.15
कुल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	**28,439.53**	**28,439.53**	-	-	**22,440.13**	**22,440.13**
वित्तीय देयताएं								-
उधार	-	-	83,298.90	83,298.90	-	-	81,423.46	81,423.46
पट्टा देयताएं	-	-	111.51	111.51	-	-	-	-
व्यापार देय	-	-	6,858.66	6,858.66	-	-	4,082.81	4,082.81
अन्य चालू वित्तीय देयताएँ	-	-	52,823.25	52,823.25	-	-	47,133.85	47,133.85
कुल वित्तीय देयताएँ	-	-	**143,092.32**	**143,092.32**	-	-	**132,640.12**	**132,640.12**

39. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

i. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार मूल्य में बदलाव के कारण उचित मूल्य या वित्तीय लिखत के भविष्य नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। वित्तीय लिखतों के मूल्यों में इस तरह के परिवर्तन विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, ऋण, तरलता और अन्य बाजार परिवर्तनों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप हो सकते हैं। बाजार जोखिम के लिए समूह का जोखिम मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम के कारण है।

क) विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से लाभ और हानि के विवरण और अन्य व्यापक आय और इक्विटी पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, जहाँ किसी भी लेनदेन का संदर्भ एक से अधिक मुद्रा से होता है या जहाँ

समूह की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा में संपत्ति / देनदारियों का मूल्यवर्ग किया जाता है लेकिन समूह का शेष विदेशी मुद्रा में है इसीलिए समूह विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम से प्रभावित नहीं है।

ख) ब्याज दर जोखिम

समूह के निवेश मुख्य रूप से उद्धृत इक्विटी शेयर और अन्य इकाई के अनउद्धृत इक्विटी शेयर के माध्यम से होते हैं, इसलिए गैर–निवेश गतिविधियों के बिना निवेश से ब्याज उत्पन्न होता है। इसलिए, समूह ब्याज दर जोखिम पर बहुत अधिक प्रभावित नहीं है।

ii. ऋण जोखिम

ऋण जोखिम एक ऐसा जोखिम है जो चुकौती में प्रतिपक्षी विफलता या संविदागत निबंधन या दायित्व के अनुसार सेवा कर्ज से उत्पन्न वित्तीय हानि है। ऋण जोखिम में दोनों शामिल होते हैं, डिफ़ॉल्ट का सीधा जोखिम और ऋण की गिरावट के जोखिम के साथ–साथ जोखिमों का केन्द्रीकरण। ऋण जोखिम का विश्लेषण ऋण सीमाओं और ग्राहकों की साख पर निरंतर नियंत्रण के आधार पर किया जाता है, जिन्हें ऋण के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऋण दिया गया है।

वित्तीय लिखत जो ऋण जोखिम की केंद्रीकरण के अधीन है, मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य राशि, बिल न किए गए प्राप्य,निवेश, नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से मिलकर बनता है। कंपनी नीचे दिए गए ग्राहकों से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यक्तिगत रूप से 10 %से अधिक या समूह के राजस्व से अधिक के लिए राजस्व सृजित करते हैं।

ग्राहक का नाम	राजस्व की राशि (रु लाख में)	कुल राजस्व का %
पूजा पेट्रो केमिकल्स	21,300.59	30%
पोनप्योर केमिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	9,164.73	13%
नीप्रा ट्रेडिंग कंपनी	8,444.33	12%

ऋण जोखिम का भौगोलिक केन्द्रीकरण

व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए प्राप्य (पिछले वर्ष : बिल न किए गए राजस्व) का भौगोलिक केन्द्रीकरण और संविदा परिसंपत्तियों का आबंटन ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

iii. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम उस जोखिम को कहता है कि कंपनी अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा नहीं करता है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त चलनिधि बनाया रखना है और आवश्यकताओं के अनुसार निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

समूह पर्याप्त रिजर्व का पालन, बैंकिंग सुविधाओं और रिज़र्व उधार सुविधाओं, निरंतर पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के परिपक्वता प्रोफाइल से मेल करके चलनिधि का प्रबंधन करती है।

सहायक कंपनी को बंद करने के लिए सीसीईए की मंजूरी के अनुसार, वीआरएस/ वीएसएस, वैधानिक बकाया और आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/ उपयोगिताओं और अन्य बकाया राशि के भुगतान के लिए 7,587 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग इसके संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। विनिवेश और भारत सरकार से ऋण की मंजूरी के लिए सीसीईए प्रक्रिया के बारे में नोट संख्या 44 में बताया गया है कि सहायक कंपनी के पास तरलता जोखिम को कम करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं।

40. आस्थगित कर

वर्ष 2023–24 के लिए — रु लाख में

विवरण	अथशेष 01.04.2023	पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण वापस	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष 31.03.2024
आस्थगित कर देयता						
अतिरिक्त प्रावधान लिखे/वापस	-	-	-	-	-	-
हानि लिखे/बैक के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में भूमि का पुनर्मूल्यांकन	20,775.52	-	-	-	1,747.00	22,522.52
पीपीई के पुनर्मूल्यांकन के निपटान पर आस्थगित कर देनदारी का उलटा होना	(4,056.00)	-	-	-	(971.00)	(5,027.00)
एचएफ़एल में उचित मूल्य निवेश	-	-	-	-	-	-
	16,719.52	**-**	**-**	**-**	**776.00**	**17,495.52**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां						
मूल्यह्रास	-	25.00	(25.00)	-	-	-
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	51.00	(51.00)	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/ वीएसएस)	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालिक करारों का प्रावधान	-	-	-	-	-	-
अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
वैधानिक दावों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
आस्थगित कर देयता की सीमा तक आयकर की हानि	-	-	-	-	-	-
	-	**76.00**	**(76.00)**	**-**	**-**	**-**
निवल आस्थगित कर देयता	**16,719.52**	**(76.00)**	**76.00**	**-**	**776.00**	**17,495.52**

वर्ष 2022–23 के लिए — रु लाख में

विवरण	अथशेष 01.04.2022	पीएंडएल में मान्यता प्राप्त है	भविष्य के लाभ की संभाव्यता जांच के कारण वापस	पी एंड एल में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	अंतिम शेष 31.03.2023
आस्थागित कर देयता						
अतिरिक्त प्रावधान लिखे/वापस	20,473.52	-	-	-	302.00	20,775.52
हानि लिखे/बैक के लिए प्रावधान	(4,056.00)	-	-	-	-	(4,056.00)
उचित मूल्य में भूमि का पुनर्मूल्यांकन	(15.00)	-	-	-	15.00	-
	16,402.52	**-**	**-**	**-**	**317.00**	**16,719.52**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां						
मूल्यह्रास	-	18.00	(18.00)	-	-	-
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	80.00	(80.00)	-	-	-
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ (वीआरएस/वीएसएस)	-	-	-	-	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	-	1.00	(1.00)	-	-	-
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
दीर्घकालिक करारों का प्रावधान	-	-	-	-	-	-
स्टॉक अप्रचलन के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
वैधानिक दावों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
	-	**99.00**	**(99.00)**	**-**	**-**	**-**
निवल आस्थगित कर देयता	**16,402.52**	**(99.00)**	**99.00**	**-**	**317.00**	**16,719.52**

41.अतिरिक्त प्रकटन

वित्तीय, तरलता और अन्य अनुपात

अनुपात	अंश के घटक	भाजक के घटक	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए	% अंतर	प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण
वर्तमान अनुपात	चालू संपत्ति	चालू देनदारियां	0.91	0.94	-3.31%	
ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	-26.41	-25.52	3.49%	कोच्चि भूमि का उचित मूल्य बढ़ गया और इसके परिणामस्वरूप कुल इक्विटी में भी वृद्धि हुई।
कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	0.00	0.00	49.10%	वर्ष 2023–24 के दौरान शुद्ध घाटा बढ़ने के कारण आय में कमी आई तथा भारत सरकार के ऋण और वरीयता शेयरों के ब्याज के प्रावधान के कारण ऋण में वृद्धि हुई
इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर के बाद शुद्ध लाभ	शेयरधारकों की इक्विटी	106%	199%	-92.58%	वर्ष 2023–24 के दौरान शुद्ध घाटा बढ़ा और वर्ष के दौरान घाटे के कारण निवल संपत्ति में कमी आई।
सूची टर्नओवर अनुपात	बिक्री	औसत मालसूची	32.36	23.76	36.19%	चालू वर्ष के दौरान बिक्री में वृद्धि हुई लेकिन औसत इन्वेंट्री कम हुई
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	कुल बिक्री	औसत व्यापार प्राप्य	35.80	45.08	-20.59%	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	शुद्ध ऋण क्रय	औसत व्यापार देय	9.36	10.14	-7.62%	
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	कुल बिक्री	औसत कार्यशील पूंजी	-6.59	-12.20	46.03%	व्यापार देयताओं और सरकारी ऋण पर देय ब्याज में वृद्धि के कारण 2023–24 में वर्तमान देयता में वृद्धि हुई है।
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के बाद शुद्ध लाभ	कुल बिक्री	-7.68%	-8.76%	1.08%	
नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज और करों से पहले लाभ (पीबीआईटी)	नियोजित पूंजी	1.07%	0.85%	0.22%	लाभ कम हुआ और परिसंपत्ति मूल्य में वृद्धि हुई।
निवेश पर प्रतिफल	लाभांश	शेयर की कीमत	-	-	0.00%	

42 सेबी सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर–अनुपालन– विनियम 17(1)(बी) के अनुसार, अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक है, निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होने चाहिए। वर्तमान में, समूह के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। तदनुसार, सेबी सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 18,19 और 20 का गैर–अनुपालन हुआ है। सेबी सूचीबद्ध ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (एलओडीआर) विनियम, 2015 का गैर–अनुपालन – सेबी सूचीबद्ध ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (ए) के अनुसार, निदेशक मंडल में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक होगी और निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत गैर–कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे। वर्तमान में, कंपनी के बोर्ड में कोई महिला निदेशक नहीं है।

43 चालू व्यवसाय

क) समूह ने 62.87 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय सहित शुद्ध घाटा दर्ज किया है (पिछले वर्ष का शुद्ध घाटा 4,698.95 लाख रुपये की अन्य व्यापक आय सहित घटा है) साथ ही कंपनी ने 1,14,670.64 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,13,877.61 लाख रुपये) की संचित हानि दर्ज की है, जिसमें अन्य व्यापक आय को छोड़कर 1,03,105.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 1,02,312.08 लाख रुपये) का नकारात्मक शुद्ध मूल्य है। वर्ष के अंत तक कंपनी के पास नकदी और नकदी समकक्षों की चालू परिसंपत्तियों और अन्य बैंक शेष राशि के तहत 25,370.76 लाख रुपये (पिछले वर्ष 19,813.76 लाख रुपये) का संतुलन है। इन स्थितियों पर विचार करने के बाद, चालू व्यवसाय के आधार पर कंपनी का समेकित वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

ख) समूह सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है, दिनांक 22 मई, 2017 के आदेश के अनुसार, कंपनी ने रसायनी इकाई को बंद कर दिया है, संयंत्र और उपकरण को नष्ट कर दिया गया है। रसायनी में एनबीसीसी के माध्यम से तथा पनवेल में ई–नीलामी के माध्यम से भूमि की बिक्री प्रगति पर है। कोच्चि स्थित फिनोल प्लांट चालू है तथा चालू वर्ष में इसकी क्षमता 119% थी, जबकि पिछले वर्ष यह 93% थी। उत्पादन (फिनोल्ह एसीटोन) पिछले वर्ष के 60656 मीट्रिक टन से बढ़कर चालू वर्ष में 77130 मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2023–24 के लिए ईबीआईटी 1,425.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2022–23 में 1,602.67 लाख रुपये), इसे देखते हुए, चालू वित्त वर्ष के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है। वर्ष 2023–24 के लिए ईबीआईटी 1,425.65 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2022–23 में 1,602.67 लाख रुपये), इसे देखते हुए, चालू वित्त वर्ष के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

ग) भारत सरकार ने 29.01.2020 को सहायक कंपनी को बंद करने की मंजूरी दे दी थी। तदनुसार, सहायक कंपनी ने सुविधा को बंद करने की पहल की थी और 31.03.2024 को समाप्त वर्ष तक दिए गए अधिदेश के अनुसार बंद करने की गतिविधियाँ शुरू की थीं। उपरोक्त के अनुसार, प्रबंधन ने कर्मचारियों को वीआरएस भुगतान किया, बैंक ऋण का निपटान किया और विभिन्न बकाया राशि का भुगतान किया। प्लांट और मशीनरी मार्च 2023 के दौरान बेची गई और बिक्री आय को एसबीआई में सावधि जमा के रूप में जमा किया गया। नतीजतन, भौतिक अनिश्चितता का अस्तित्व है जिसने गोइंग कंसर्न स्टेटस को प्रभावित किया है। सहायक कंपनी अब गोइंग कंसर्न नहीं है। इंड एएस 105, ठबिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्ति और बंद किए गए संचालनठ के प्रावधान लागू हो गए हैं और सहायक कंपनी द्वारा उनका पालन किया जा रहा है।

44 रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, जिसके तहत सहायक कंपनी कार्य करती है, के दिनांक 29.01.2020 के पत्र के अनुसार,

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 22 जनवरी, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित को मंजूरी दी थी:

क) संयंत्र/इकाई का परिचालन बंद करना एवं सहायक कंपनी को बंद करना।

ख) संयंत्र बंद होने के कारण अधिशेष हो चुके कर्मचारियों (नियमित और गैर-नियमित/तदर्थ) को वीआरएस/वीएस के माध्यम से अलग करना, उनके सभी बकाया वेतन/मजदूरी और वैधानिक देय राशि का भुगतान करने के बाद, सहायक कंपनी के पूर्ण और अंतिम बंद को लागू करने के लिए आवश्यक अल्प कर्मचारियों को छोड़कर। वीआरएस/वीएसएस का विकल्प न चुनने वाले कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार छंटनी कर दी जाएगी।

ग) भारत सरकार द्वारा सहायक कंपनी को 7,720 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाना, जिसका उपयोग विशेष रूप से बंद करने से संबंधित व्यय के लिए किया जाएगा, जिसमें (i) सहायक कंपनी के कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएस का कार्यान्वयन, उनके बकाया, वैधानिक बकाया, आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/उपयोगिता बकाया का भुगतान और एसबीआई कार्यशील पूंजी ऋण का पुनर्भुगतान (ii) सहायक कंपनी के अल्प कर्मचारी वर्ग के वेतन/मजदूरी और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, जिन्हें दो वर्षों के लिए सहायक कंपनी को बंद करने के लिए अस्थायी रूप से रखा जाएगा।

घ) 7,720 लाख रुपये का उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋण, सहायक कंपनी द्वारा भारत सरकार को, सहायक कंपनी की भूमि और अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री आय से, जब भी उनका निपटान हो जाएगा और सहायक कंपनी के बंद होने से संबंधित सभी देनदारियों का निपटान हो जाएगा, चुकाया जाएगा।

ङ) सहायक कंपनी को बंद करने से संबंधित सभी देनदारियों के निपटान और 7,720 लाख रुपये के ब्याज मुक्त ऋण के पुनर्भुगतान के बाद, भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के निपटान से अधिशेष आय, यदि कोई हो, का उपयोग सहायक कंपनी के भारत सरकार के बकाया (1,580 लाख रुपये) और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए किया जाएगा, जिसमें 31.3.2019 तक ब्याज पर रोक रहेगी। अपर्याप्त बिक्री आय के कारण 31.3.2019 तक बकाया मूल ऋण राशि (1,580 लाख रुपये) और उस पर ब्याज का पूरा या आंशिक हिस्सा बट्टे खाते में डाला जाएगा/माफ किया जाएगा।

(च) सहायक कंपनी की भूमि के निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए, मेसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो सहायक कंपनी की भूमि खरीदने पर तेलंगाना सरकार/टीएसआईआईसी के निर्णय के परिणाम के अधीन भूमि निपटान का प्रबंधन और सहायता करेगी।

छ) संयंत्र/मशीनरी और चल संपत्तियों का निपटान एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से सहायक कंपनी द्वारा किया जाएगा।

उक्त निर्णय के अनुसरण में, सहायक कंपनी को भारत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 26.05.2020 को 7,370 लाख रुपये और 15.03.2022 को 217 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। उपरोक्त सीसीईए आदेश के अनुसार और 31.03.2023 तक, सभी कर्मचारियों को 31.08.2022 से पहले कार्यमुक्त कर दिया गया था, सिवाय पांच कंकाल कर्मचारियों के जिन्हें सितंबर 2022 में होल्डिंग कंपनी के रोल में स्थानांतरित कर दिया गया था। सरकारी ऋण और एचओसीएल ऋण को छोड़कर सभी निर्विवाद बकाया राशि का निपटान भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण का उपयोग करके किया गया था। 31.03.2023 तक उपयोग की गई कुल राशि 6,623 लाख रुपये थी। शेष राशि का उपयोग कंपनी को बंद करने के लिए अन्य बकाया और अन्य परिचालन व्यय के निपटान के लिए किया जाएगा। उक्त प्रक्रिया अभी भी जारी है।

45 समूह द्वारा विदेशी संस्थाओं (`मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(ओं) को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के फंड से``), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि मध्यस्थ, समूह की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा (``अंतिम लाभार्थी``) या प्रदान करेगा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़।

46 समूह को विदेशी संस्थाओं (`फंडिंग पार्टियाँ") सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (`अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देना या निवेश करना या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना।

47 हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध

31 मार्च 2024 तक बंद कंपनियों के साथ संबंध

हटाई गई कंपनी का नाम	बंद की गई कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	बकाया राशि	हटाई गई कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना चाहिए
शार्प केमिकल इंडस्ट्रीज पी. लिमिटेड	बिक्री	3.31 लाख रु	ऋणदाता
नाइस एग्रो एंटरप्राइज	बिक्री	0.28 लाख रु	ऋणदाता
बालाजी इंडस्ट्रीज	बिक्री	0.49 लाख रु	ऋणदाता

पिछले वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी का हटाए गए कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं था।

48 वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ कोई शुल्क या संतुष्टि पंजीकृत नहीं की जानी है।

49 वर्ष के दौरान प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया जाता है।

50 31.03.2024 तक कोई पूंजीगत कार्य प्रगति पर नहीं है।

51 समूह ने कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

52 विकास के अधीन कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है

53 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

54 समूह ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है।

55 समूह का ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या आय के कोई अन्य प्रासंगिक प्रावधान) कर अधिनियम, 1961), जब तक 11 किसी भी योजना के तहत प्रकटीकरण के लिए प्रतिरक्षा नहीं है और यह भी बताना होगा कि क्या पहले से दर्ज न की गई आय और संबंधित संपत्ति वर्ष के दौरान खाते की किताबों में ठीक से दर्ज की गई है।

56 समूह को पिछले वर्षों के दौरान हुए घाटे के कारण किसी भी सीएसआर गतिविधियों को करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता नहीं है।

57 समूह ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

58 समेकित वित्तीय विवरण 22.05.2024 को निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार जारी करने के लिए अधिकृत किए गए थे। सहायक कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 20.05.2024 को निदेशक मंडल द्वारा पारित किए गए थे।

59 चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के अनुरूप होने के लिए जहां भी आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनःवर्गीकृत किया गया है।

संलग्न सम दिनांकित हमारी रिपोर्ट के अनुसार

पॉलसन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002620S

हस्ता/-
सीए पॉलसन के.पी
साझेदार
सदस्यता सं.: 021855
यूडीआईएनः 24021855BKAOAB3272

स्थानः एरणाकुलम, केरल
दिनांकः 22.05.2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/-
सजीव वी .
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 09344438

हस्ता/-
योगेंद्र प्रसाद शुक्ला
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 09674122

स्थानः एरणाकुलम, केरल
दिनांकः 22.05.2024

हस्ता/-
सुब्रमणियन एच
कंपनी सचिव

HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED [CIN L99999KL1960GOI082753]

AUDITORS

STATUTORY AUDITORS

M/s PAULSON & COMPANY
Chartered Accountants, Kochi

SECRETARIAL AUDITORS

M/s J K Das & Associates
Company Secretaries, Kolkata

INTERNAL AUDITORS

M/s Isaac & Suresh
Chartered Accountants, Kochi

COST AUDITORS

M/s R.M BANSAL & CO.
Cost Accountants, Trivandrum

Bankers

State Bank of India

ICICI Bank Ltd.

REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENTS

M/s. BIGSHARE SERVICES PVT.LTD.
Registered Office: Big share Services Pvt Ltd.
Office No.S-6,6th Floor, Pinnacle Business Park,
Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road,
Andheri (East) Mumbai-400 093
Tel: 022 62638200, Fax: 022 62638299
Email: investor@bigshareonline.com
vinod.y@bigshareonline.com

REGISTERED & CORPORATE OFFICE AND FACTORY

Ambalamugal PO, Kunnathunad,
Ernakulam, Kerala- 682302 India
Tel No. 0484 – 2727342/2720911/12
E-mail id: cs@hoclindia.com, kochi@hoclindia.com
Website: www.hoclindia.com

OTHER LOCATIONS:

MUMBAI

Hindustan Organic Chemicals Limited
Office No. 1003-1004, 10th Floor
NMS Titanium Premises Co-op
Society Ltd, Plot No.74, Sector 15
CBD Belapur, Navi Mumbai-400 0614 MH
Tel. No. 022 - 27575270

NEW DELHI

Core 6, First Floor,
SCOPE Complex
1st Floor, Lodi Road
New Delhi – 110 003
Tel. No. 011 - 24361610/24360698

SUBSIDIARY COMPANY

HINDUSTAN FLUOROCARBONS LTD.:
303, 3rd Floor, Babukhan Estate,
Basheerbagh, Hyderabad - 500 001
Telangana State.
Tel. No. 040 – 42022053
E-mail: hflshareholders@gmail.com
Web site: www.hfl.co.in

CONTENTS

	Page No.
Board of Directors and Board committees	141
Energy Management Policy	142
Chairman's statement	143
Notice of 63rd Annual General Meeting	144
Directors' Report & Annexures	151
Standalone Accounts	
Independent Auditors Report-Standalone	173
C&AG Report - Standalone	181
Balance Sheet- Standalone	182
Statement of Profit & Loss- Standalone	183
Cash flow statement- Standalone	185
Notes to the Financial Statements- Standalone -	186
Consolidated Accounts	
Independent Auditors' Report -Consolidated	212
C&AG Report- Consolidated	217
Balance Sheet - Consolidated	218
Statement of Profit & Loss- Consolidated	219
Cash flow statement- Consolidated	221
Notes to the Financial Statements- Consolidated	222

BOARD OF DIRECTORS

Shri Sajeev B. [DIN: 09344438]	Chairman & Managing Director (w.e.f 06.09.2021)
Shri Yogendra Prasad Shukla [DIN: 09674122]	Director (Finance) (w.e.f 04.07.2022)
Shri Sanjay Rastogi AS&FA [DIN: 07722405]	Govt. Nominee Director (w.e.f 13.12.2022 to 22.11.2023)
Shri Manoj Sethi [DIN: 00301439]	Govt. Nominee Director (w.e.f 22.11.2023)
Shri Kanishk Kant Srivastava (DIN: 09699641)	Govt. Nominee Director (w.e.f 30.03.2022)
Dr. Bharat J. Kanabar (DIN: 09466694)	Non-official Independent Director (w.e.f 24.12.2021)
Shri Pratyush Mandal (DIN: 09461918)	Non-official Independent Director (w.e.f 24.12.2021)

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Shri Sajeev B	Chairman & Managing Director
Shri Yogendra Prasad Shukla	Director (Finance & CFO)
Shri Subramonian H	Company Secretary

AUDIT COMMITTEE

Dr Bharat J Kanabar
Non-Official Independent Director
Chairman

Shri Pratyush Mandal
Non-Official Independent Director
Member

Shri Kanishk Kant Srivastava
Non-Executive, Govt. Nominee Director
Member

Shri Subramonian H
Secretary

NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE

Dr Bharat J Kanabar
Non-Official Independent Director
Chairman

Shri Pratyush Mandal
Non-Official Independent Director
Member

Shri Kanishk Kant Srivastava
Non-Executive, Govt. Nominee Director
Member

Shri Subramonian H
Secretary

STAKEHOLDER RELATIONSHIP COMMITTEE

Shri Pratyush Mandal
Non-Official Independent Director
Chairman

Shri Sajeev B
Executive Director
Member

Dr Bharat J Kanabar
Non-Official Independent Director
Member

Shri Subramonian H
Secretary

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE

Shri Pratyush Mandal
Non-Official Independent Director
Chairman

Shri Sajeev B
Executive Director
Member

Dr Bharat J Kanabar
Non-Official Independent Director
Member

Shri Subramonian H
Secretary

SHARE TRANSFER COMMITTEE

Shri Sajeev B
Executive Director
Member

Shri Subramonian H
Secretary

Energy Management System (EnMS) Policy

(Incorporating the requirements of ISO 50001:2018)

The Management and Employees of HOC are committed to efficiently use & conserve the energy in an effective manner by:

- Complying with applicable legal and other requirements related to energy efficiency, energy use and energy consumption of our process.
- Setting and reviewing EnMS objectives & targets by ensuring the availability of information and necessary resources to achieve them, ensuring continual improvement of the energy performance and energy management system.
- Continually improving energy efficiency in key energy consuming areas.
- Supporting the procurement of energy efficient products and services that impact energy performance of our process and product
- Supporting design activities that consider energy performance improvement.
- Increasing the awareness about energy conservation among the employees and stake holders.
- Continuous monitoring and optimization of specific energy consumption of our products and other energy performance indicators.

This Energy Management System (EnMS) Policy is established in line with the HOC's core values, best management practices, efficient technologies, and corporate vision. This policy is available to all our stakeholders.

Sd/-

01st Jan, 2022 **Executive Director & Unit-In-Charge**

Integrated Management System Policy

Hindustan Organic Chemicals Ltd., a Government of India Enterprise, manufacturing and selling Phenol, Acetone and Hydrogen Peroxide, is committed to:

- Enhance customer satisfaction through product reliability, timely delivery and sharing relevant information to interested parties
- Protect the environment and Prevent pollution by implementing and operating all the plants based on good process control system to minimise waste generation, conserve natural resources and energy conservation.
- Provide safe and healthy working conditions for the prevention of work-related injury and ill health
- Eliminate hazards and reduce OH&S risks by implementing control measures and good process control system
- Comply with all obligations including applicable legal and other requirements.
- Ensure continual improvements in quality, environment, Health and safety management systems
- The consultation and participation of workers in enhancing quality, environment, occupational health and safety performance.

Sd/-

01st Jan 2020 **Executive Director & Unit-In-Charge**

CHAIRMAN'S STATEMENT

Dear Shareholders,

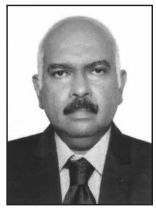

On behalf of my colleagues on the Board, it gives me great pleasure to extend a warm welcome and sincere gratitude to all the shareholders of the Company. It is my pleasure to present to you the Annual Report for the FY 2023-24 of your company. The 63rd Annual Report of your company, includes the Notice of AGM, audited annual accounts, Director's Report and Auditor's Report along with the C&AG Non-Review Certificate for the year 2023-24. Further, the 63rd AGM Notice includes the Business items to be considered by the shareholders for approval at the 63rd AGM.

PERFORMANCE

It gives me immense pleasure to place before you the highlights of your Company's performance during the FY 2023-24. Details of the achievements and initiatives taken by your company are provided in Directors Report.

Speaking in terms of financials, during the year 2023-24, your company has achieved a Gross Income of Rs.720.58 crore as against the previous year Gross Income of Rs.642.98 crore, registering an increase of 12.07%. Despite challenges in the market, HOCL achieved this performance.

HOCL has only one functioning unit located at Ambalamugal, Ernakulam District in the state of Kerala which is commonly known as Kochi Unit. The Kochi unit is engaged in manufacture of Phenol, Acetone and Hydrogen Peroxide. In Kochi Unit, Phenol and Hydrogen Peroxide Plants are operational. Capacity utilization of main products (Phenol and Acetone) of Kochi Unit has improved extensively during the year. Phenol plant and Hydrogen Peroxide plant at Kochi achieved 119% and 101% capacity utilization during year ended 31st March 2024 as against 93% and 99% during the corresponding previous year ended 31st March 2023.

OUTLOOK FOR THE NEXT YEAR

It is expected that expedition of the Rasayani & Panvel Land sale will reduce the financial liabilities and thus bring down the finance costs. It is expected that a major portion of HOCL's Govt. dues can be settled from the sale proceeds of both Rasayani and Panvel land parcels. Your Company will also explore the diversification into value added products to maximum extent possible so as to gain some level of protection against swings in the market prices.

In order to improve the productivity, HOCL has started exploring the possibility to increase quantity of Hydrogen Peroxide being manufactured. Another project is Tar cracking unit which was already commissioned and it will give an additional contribution of around Rs.5 crores per annum. HOCL is also in the process of manufacturing Aceto-Phenol from one of its biproduct – Cumox Oil

Your Company will continue to be vigilant and will capitalize on the opportunities that arise as a result of swift transformation in the industry landscape.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Company since its inception is very much aware about its social responsibilities. For over five decades, as a socially responsible and sensitive corporate, your Company continues to remain committed to social thought and action to serve society through providing basic civic amenities to the neighbouring villages and rendering assistance in different forms.

Your company is not required to carry out any CSR activities on account of losses incurred during the previous years. However, the company has recognized its social obligations and carried out activities benefiting the society during the year under review. The details of the activities undertaken by the company under CSR is given in the Directors Report.

Swachh Bharat Abhiyan is given utmost importance by the company. Your company conducted various activities in connection with Swachhta Pakhwada 2023 and the details are given in the Directors report.

As a part of Azadi ka Amrit Mahotsav, your company conducted various cleaning activities in its premises, stickers were prepared on Azadi ka Amrit Mahotsav and pasted in all official correspondences. Celebrations were organized with various activities till August 2023

Under the aegis of "Har GharTiranga" distributed Indian National Flag to all employees, local residents, nearby Residents Association etc.

As part of Yoga Day on 21st June 2023, Common Yoga Protocols were widely circulated for the information of all employees through our portal and social media. International Yoga Day was celebrated with a talk on the importance of Yoga in our daily life followed by a practical session conducted by a Yoga Acharya for our employees.

SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT

In the areas of Health, Hygiene and Environment, the company has undertaken periodic medical examination, as well as statutory requirements of fitness check-up were carried out during the year 2023 for employees. Audiometry tests were carried out for those who are exposed with Noise and Autotoxicity tests were carried out for the Benzene handlers apart from other statutory regular check-ups. Periodic awareness session on for the benefit of employees on Ayurveda and healthy diet, diabetics, Liver, Heart etc were imparted.

In our commitment to Environment, we have ensured that the level of pollutants from the Factory and nearby surroundings was much below the permissible levels.

As part of protecting the environment, awareness sessions, competitions, Swachh Bharat activities, promoting employees for vegetable cultivation under a "Green Mission", Beautification of the plant premises involving the entire employees of the organization were carried out. As part of cleanliness drive, Swachhta activities carried out at nearby schools, Hill Palace Heritage museum etc. World Environmental day 2023 was observed by planting of saplings in addition organising various competitions related to theme "Beat Plastic Pollution" with wide participation of employees.

Your Company bagged "Kerala State Industrial Safety Award 2023" from the Department of Factories and Boilers, Government of Kerala. HOCL also bagged Abhinandan Pathra from M/s. National Safety Council- Kerala Chapter on achieving commendation in Medium Industries (Chemicals) during the year 2023.

ISO CERTIFICATION

As part of the safety improvements, many positive measures have been undertaken by the organization to ensure safety of the plant and personnel. HOCL Kochi Unit is certified for IMS (Integrated Management System) which is comprising of Quality Management System (ISO-9001), Environment Management System (ISO-14001) and Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001). Company is also certified for Energy Management System (ISO-50001). All the products of HOCL are certified by BIS. HOCL is continuing the "Eat Right Campus" certification with five-star rating by FSSAI for its industrial canteen. This gives more importance to the safety and health aspects.

INDUSTRIAL RELATIONS

People have been a great strength in your company. The overall Industrial relationship continued to be peaceful and cordial during the year and no strike or lockout took place during the year.

CORPORATE GOVERNANCE

The Company continued to comply with the various requirement of Corporate Governance. The details in this regard form part of the Directors Report.

Company has substantially complied with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs laid down by Department of Public Enterprises and regularly submits reports to the Government. Company also complies with the applicable regulations of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

HINDUSTAN FLUOROCARBONS LIMITED (HFL) – SUBSIDIARY COMPANY

Your company has one subsidiary company namely; Hindustan Fluorocarbons Limited [HFL]. Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide No. P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29-01-2020 informed the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs [CCEA], directed closure of Hindustan Fluorocarbons Limited and the same was approved by the shareholders of HFL.

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of subsidiary company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 crore has been released to the Subsidiary Company as interest free loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to bank and other liabilities. During March 2023, Sale of Plant & Machinery and other movable assets was done through MSTC e-Auction, as per decision taken by CCEA and executed as per DPE guidelines. The sale proceeds were received and the same was deposited in a separate bank account with State Bank of India. The sale of land is subject to receipt of NOC from Telangana Govt.

ACKNOWLEDGEMENT

I take this opportunity to place on record my sincere appreciation and gratitude to all the employees and other stakeholders who had extended their support and co-operation during the year. I take this opportunity to acknowledge the support of my fellow Board members and the senior management team. In particular, I am grateful to various officials of the Government, especially Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, Ministry of Commerce & Industry, Government of Maharashtra, Government of Kerala, Bankers, Board Members, Statutory/Govt. Auditors, Cost Auditors, Internal Auditors, Secretarial Auditors and all the agencies concerned. My gratitude is also to the shareholders, and customers, who have helped us in the present phase of transformation of the company. Thank you for your firm trust and support in HOCL as we embark on this exciting journey ahead.

We on our part would continue our efforts for completion of the restructuring plan at the earliest, in our endeavour, towards the path of achieving early turnaround of the company. We look forward to your continued support in this continuing process.

Sd/-
Sajeev B
Chairman and Managing Director
DIN: 09344438

30.08.2024
Kochi, Kerala

HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED
[CIN: L99999KL1960GOI082753]
Registered office: Post Bag No. 18, Ambalamugal PO, Ernakulam Dist.
Kerala – 682302, India Tel. No. 0484 – 2727342

NOTICE

Notice is hereby given that the 63rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of Hindustan Organic Chemicals Limited ("HOCL/Company") will be held on **Wednesday, 25th September, 2024 at 03:30 PM** [IST] through Video Conference/Other Audio- Visual Means ("VC/OAVM") to transact the following businesses:

ORDINARY BUSINESS:

1. To consider, approve and adopt the audited standalone and consolidated financial statements comprising the Balance Sheet as on 31st March, 2024, the profit & loss account for the year ended on that date, cash flow statements, schedules, and notes to accounts attached thereto, together with director's report and the auditor's report along with the report of Comptroller and Auditor General of India (CAG).

2. To appoint Shri Kanishk Kant Srivastava (DIN:09699641), Director, Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India who retires by rotation and is eligible for re-appointment.

3. To authorize the Board of Directors to fix remuneration to be paid as Statutory Audit fee to the Statutory Auditors as and when appointed by Comptroller & Auditor General of India for the financial year 2024-25 in terms of provisions of section 139(5) read with Section 142 of the Companies Act, 2013 and, to consider and, thought fit, to pass the following resolution, as an Ordinary Resolution

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 142 of the Companies Act, 2013 the Board of Directors of the Company be and is hereby authorized to decide and fix the remuneration to the Statutory Auditors of the Company as and when appointed by the Comptroller and Auditor General of India for the financial year 2024-25."

SPECIAL BUSINESS:

4. **Appointment of Shri Manoj Sethi (DIN:00301439) Joint Secretary & Financial Advisor, Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India as Government Nominee Director**

   To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions Sections 149, 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof and applicable regulations of Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Articles of Association of the Company, Shri Manoj Sethi [DIN 00301439] who was appointed by Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide Office Memorandum no.P-51015/12/2014-CHEM.III/CPC dated 22nd November, 2023 as Government Nominee Director on the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) in place of Shri Sanjay Rastogi be and is hereby appointed as Government Nominee Director of the Company w.e.f 22nd November, 2023 on terms and conditions fixed by Government of India and he shall be liable to retire by rotation."

5. **Ratification of remuneration of the Cost Auditor for the financial year 2024-25**

   To consider, and if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

   "**RESOLVED THAT,** pursuant to the provisions of Section 148 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 as amended from time to time, the Company hereby ratifies the remuneration payable amounting to Rs.50,000/- plus GST as a total fees for the audit of cost accounts and records of the Company and to issue compliance certificates thereof and to give cost audit report for the year 2024-25 and for assistance in & e-filing of cost audit reports related XBRL e-forms in respect of Kochi unit products of the Company for the financial year ending 31st March, 2025 to M/s. B.B.S. Associates, the Cost Auditors of the Company for the FY 2024-25."

By Order of the Board of Directors

Sd/-
Subramonian H
Company Secretary
[ACS 28380]

Place: Kochi, Kerala
Date: 09.08.2024

Registered Office:
Post Bag: No: 18, Ambalamugal PO, Ernakulam Dist. Kunnathnadu
Kerala – 682302, India
Te. No. 0484 – 2727342
E-mail cs@hoclindia.com
CIN: L99999KL1960GOI082753

Notes:

1. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No.14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No.20/2020 dated May 5, 2020, and General Circular No.09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, and SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2023/0164 dated October 6, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (collectively referred to as "SEBI Circulars") permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through VC/ OAVM,without the physical presence of members at a common venue. Hence, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("ACT"), SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, various MCA Circulars and SEBI Circulars, the 63rd AGM is being held through VC/OAVM. For this purpose, necessary arrangements have been made by the Company in association with CDSL and instructions for the process to be followed for attending, participating and voting in the AGM through VC/OAVM is forming part of this notice. The proceedings of the AGM will be deemed to be conducted at the registered office of the Company.

2. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, a member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and proxy need not to be a member of the Company. However, the 63rd AGM of the Company is being held pursuant to MCA/SEBI circulars through VC/OAVM and the physical attendance of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxy by the members will not be available for the 63rd AGM of the Company and hence proxy form, attendance slips are not annexed to this notice.

3. Participations of members through VC/OAVM will be reckoned for the purpose of quorum for the AGM as per Section 103 of Companies Act, 2013.

4. Institutional Shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/ JPG Format) of the relevant Board resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) authorizing its representative to attend the AGM through VC/ OAVM on its behalf and to vote through remote E-voting. The said resolution/ Authorization shall be sent to the Scrutinizer through e-mail to bhavya@legalcrew.co.in with a copy marked to cs@hoclindia.com.

5. The explanatory statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 read with Rules notified thereunder in respect of special business are appended to this notice.

6. Pursuant to section 139(5) of the Companies Act, 2013, the auditors of the Company are to be appointed or re-appointed by the Comptroller and Auditor General of India (CAG), Government of India. In pursuance of Section 142 of the Companies Act, 2013 the remuneration to the auditors shall be fixed by the Company in the AGM or in such manner as the Company in general meeting may determine. The statutory auditor of the Company for the year 2024-25 is yet to be appointed by the CAG. Accordingly, the members may authorize the Board to fix an appropriate remuneration to the statutory auditors for the FY 2024-25.

7. Shareholders are requested to intimate immediately as and when there is any change in their addresses registered with the Company, their PAN, KYC details to the Bigshares Services (P) Ltd. Company's RTAs. For submitting KYC related information including updation of PAN, address etc., Members may access relevant KYC forms at https://www.hoclindia.com/form-download.

8. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will be remain closed from **Thursday, 19th September, 2024 to Wednesday, 25th September, 2024 (both days inclusive).**

9. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of contracts or arrangements in which the directors are interested, maintained under Section 189 of the Act will be available electronically for inspection by the members during the AGM. All documents referred to in the notice, if any, will be available for electronic inspection without payment of any fee by the members from the date of circulation of this notice up to the date of 63rd AGM. Members desiring inspection of such documents can send their request in writing to cs@hoclindia.com.

10. In compliance with Section 108 of the Act, read with the corresponding rules and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODRR") the Company has provided a facility to its members to exercise their votes electronically through the ("e-voting") facility provided by the CDSL. Members who have cast their votes by remote e-voting priorto the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The manner of voting remotely by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses is provided in the instructions for e-voting section which forms part of this notice. Boards of Directors have appointed ASKBN & Company, Practicing Company Secretaries, as the scrutinizer to scrutinize the e-voting in a fair and transparent manner.

11. The voting rights of the members shall be proportionate to the shares held by them in the paid-up equity share capital of the company as on the cut – offdate i.e. **Wednesday, 18th September, 2024**. A person who is not a member as on the cut-off date is requested to treat this notice for information only.

12. The remote e-voting would commence on **Sunday, the 22nd September, 2024 from 09:00 AM onwards (IST) and shall end on Tuesday, the 24th September, 2024 at 05:00 PM (IST).** During the period, members holding shares either in physical or dematerialized form as on cut-off date (record date) i.e as on 18th September, 2024 may cast their votes electronically. The e-voting module will be disabled by the CDSL for voting thereafter. A member will not be allowed to vote again on any resolution on which vote has already been cast.

13. The facility for the voting during the AGM will also be made available. Members present in the AGM through VC and who have not cast their vote on resolutions through remote e-voting and are not otherwise barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system during the AGM.

14. The cut-off date for sending 63rd AGM notice & Annual Report is 23rd August, 2024. Any person who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the notice and holding shares as of the cut-off date may obtain login ID and password by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or at cs@hoclindia.com. For login/e-voting method, shareholders shall refer instruction portion given in this notice.

15. In compliance with MCA/SEBI circulars, the 63rd Annual Report FY 2023-24, the notice of 63rd AGM and instructions for e-voting are being sent only through electronic vote to those members whose email addresses are registered with the Company/ depository participant(s) as on the cut-off date i.e. 23rd August, 2024. Physical copy of the AGM notice along with Annual Report FY 2023-24 shall be sent to those members who request for the same.

16. We urge members to support our commitment to environmental protection by choosing to receive the Company's communication through email. Members holding shares in demat mode, who have not registered their email addresses are requested to register their email addresses with their respective depository participants and members holding shares in physical mode are requested to update their email addresses with the Company's RTA M/s. Big share Services Pvt. Ltd. at investor@bigshareonline.com or vinod.y@bigshareonline.com to receive the copies of the Annual Report FY 2023-24 and other communications from the Company in electronicmode.

17. Members may also note that the notice of 63rd AGM and the Annual Report FY 2023-24 will also be available on the Company's website https://www.hoclindia.com/agm, website of stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of the CDSL.

18. In compliance with Regulation 40 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time, securities of listed companies can be transferred only in dematerialized form with effect from 01st April, 2019 except in case of request received for transmission or transposition of securities. In view of this and to eliminate all risks associated with the physical shares and for ease of portfolio management, members holding shares in physical form are requested to consider converting their holdings to dematerialized form. Members can contact the Company or Company's RTA viz. M/s. Big share Services Pvt. Ltd. for any assistance in this regard.

19. SEBI has mandated the submission of PAN by every participant in securities market. Members holding shares in electronic form are therefore, requested to submit their Pan to their depository participants. Members holding shares in physical form are required to submit their PAN details to the RTA i.e. M/s. Big share Services Pvt. Ltd.

20. SEBI has established a common Online Dispute Resolution Portal (ODR Portal) for resolution of disputes arising in the Indian Securities. After exhausting the option to resolve the grievances with RTA/Company directly and through existing SCORES platform, the investors can initiate dispute resolution through the SMART ODR portal ie. https://smartodr.in/login

21. Since the AGM will be held through VC/ OAVM, proxy form, attendance slip and route map are not annexed to this notice.

22. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, e-mail id, mobile number at cs@hoclindia.com on or before Wednesday, 18th September, 2024. The same will be replied by the company suitably through e-mail.

23. Shareholders who would like to register themselves as Speaker may do so by sending their request in advance at least 7 days prior to AGM mentioning their name, demat account number/folio number, e-mail ID, mobile number at cs@hoclindia.com.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING AND JOINING VIRTUAL GENERAL MEETING ARE AS UNDER:

1. As you are aware, in view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, the general meetings of the companies shall be conducted as per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020. The forthcoming AGM will thus be held through through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/ OAVM.

2. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting as well as the e-voting system on the date of the /AGM will be provided by CDSL.

3. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available to atleast 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the / AGM without restriction on account of first come first served basis.

4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

5. Pursuant to MCA Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, in pursuance of Section 112 and Section 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/OAVM and cast their votes through e-voting.

6. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Company at their website. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. The AGM Notice is also disseminated on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the AGM/) i.e. www.evotingindia.com.

7. The AGM has been convened through VC/OAVM in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and MCA Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and MCA Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020.

8. In continuation to this Ministry's General Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020, General Circular No. 02/2022 dated 05.05.2022 and General Circular No. 10/2022 dated 28.12.2022 and after due examination, it has been decided to allow companies whose AGMs are due in the Year 2023 or 2024, to conduct their AGMs through VC or OAVM on or before 30th September, 2024 in accordance with the requirements laid down in Para 3 and Para 4 of the General Circular No. 20/2020 dated 05.05.2020.

THE INTRUCTIONS OF SHAREHOLDERS FOR E-VOTING AND JOINING VIRTUAL MEETINGS ARE AS UNDER:

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

(i) The voting period begins on <Date and Time> and ends on <Date and Time>. During this period shareholders' of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of 18th September, 2024 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.

(iii) Pursuant to SEBI Circular No. **SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated 09.12.2020,** under Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, listed entities are required to provide remote e-voting facility to its shareholders, in respect of all shareholders' resolutions. However, it has been observed that the participation by the public non-institutional shareholders/retail shareholders is at a negligible level.

Currently, there are multiple e-voting service providers (ESPs) providing e-voting facility to listed entities in India. This necessitates registration on various ESPs and maintenance of multiple user IDs and passwords by the shareholders.

In order to increase the efficiency of the voting process, pursuant to a public consultation, it has been decided to enable e-voting to **all the demat account holders**, **by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants**. Demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the ESPs, thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-voting process.

Step 1 : Access through Depositories CDSL/NSDL e-Voting system in case of individual shareholders holding shares in demat mode.

(iv) In terms of **SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020** on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Pursuant to above said SEBI Circular, Login method for e-Voting and joining virtual meetings **for Individual shareholders holding securities in Demat mode CDSL/NSDL** is given below:

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL Depository**	1) Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi / Easiest are requested to visit cdsl website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab. 2) After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the evoting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly. 3) If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at cdsl website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4) Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from a e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the evoting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1) If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2) If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS "Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3) Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **CDSL**	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911
Individual Shareholders holding securities in Demat mode with **NSDL**	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at : 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000

Step 2 : Access through CDSL e-Voting system in case of shareholders holding shares in physical mode and non-individual shareholders in demat mode.

(v) Login method for e-Voting and joining virtual meetings for **Physical shareholders and shareholders other than individual holding in Demat form.**

1) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

2) Click on "Shareholders" module.

3) Now enter your User ID
   a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
   b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
   c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.

4) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

5) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

6) If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Physical shareholders and other than individual shareholders holding shares in Demat.
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.
Dividend Bank Details **OR** Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. • If both the details are not recorded with the depository or company, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

(vi) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(vii) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(viii) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(ix) Click on the EVSN for the relevant Company i.e Hindustan Organic Chemicals Limited on which you choose to vote.

(x) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xv) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvi) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to scrutinizer for verification.

(xvii) **Additional Facility for Non – Individual Shareholders and Custodians – For Remote Voting only.**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delink in case of any wrong mapping.
- It is Mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively, Non Individual shareholders are required mandatory to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Company at the email address viz; cs@hoclindia.com if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM & E-VOTING DURING MEETING ARE AS UNDER:

1. The procedure for attending meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-voting.
2. The link for VC/OAVM to attend meeting will be available where the EVSN of Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-voting.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
5. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
6. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
7. Shareholders who would like to register themselves as a speaker may send their request in advance at least **7 days prior to AGM** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at cs@hoclindia.com. The shareholders who do not wish to speak during the AGM but have queries may send their queries in advance **on or before Wednesday, 18th September, 2024** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at cs@hoclindia.com. These queries will be replied to by the company suitably by email.
8. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
9. Only those shareholders, who are present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.
10. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the /AGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders may be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL/MOBILE NO. ARE NOT REGISTERED WITH THE COMPANY/DEPOSITORIES.

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to cs@hoclindia.com or investor@bigshareonline.com or vinod.y@ bigshareonline.com
2. For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective **Depository Participant (DP)**
3. **For Individual Demat shareholders – Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.**

   If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911

   All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call toll free no. 1800 21 09911.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF COMPANIES ACT, 2013

Item No.4: Appointment of Shri Manoj Sethi (DIN: 00301439) Joint Secretary & Financial Advisor, Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India as Government Nominee Director

As per the Articles of Association of the Company, power to appoint Directors vest with the President of India, through the Administrative Ministry. Accordingly, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, Government of India vide Office Memorandum no.P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 22nd November, 2023 had conveyed appointment of Shri Manoj Sethi Joint Secretary & Financial Advisor (JS&FA), Ministry of Chemicals & Fertilizers as Government Nominee Director in the Board of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL).

The Company has received all statutory disclosures/declarations from Shri Manoj Sethi as required under the provisions of Companies Act, 2013. The Board of Director in their meeting held on 15th December, 2023 noted the Government Order appointing Shri Manoj Sethi as Government Nominee Director on the Board of HOCL in place of Shri Sanjay Rastogi, AS&FA.

As per Articles of Association, though the power to appoint Directors of HOCL vest with Government of India, as per the provisions of Section 152(2) of the Companies Act, 2013, every director shall be appointed by the company in general meeting. Further, as stipulated under Regulation 17 (1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015), approval of the shareholders for the appointment of person on the Board of Public Sector companies (PSUs) shall be taken in the next general meeting. Hence, the Board recommends the resolution set forth in Item No.4 for the approval of members by way of Ordinary resolution.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relatives except Shri Manoj Sethi, to whom the resolution relates, is interested in or concerned, financially or otherwise, in passing the proposed Ordinary Resolution set out in item no.4.

Item No.5: Ratification of remuneration of the Cost Auditor for the financial year 2024-25

In accordance with the provisions of Section 148 of Companies Act, 2013 ("the Act") read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 ("the Rules") the Company is required to appoint cost auditors to audit the cost records of the Company for the products and services specified under rules issued in pursuance to the above section. The Board of Directors, on the recommendation of the Audit committee has appointed M/s. B.B.S. Associates., Cost Accountants as Cost Auditors of the Company to conduct the cost audit of cost records maintained by the company for the FY 2024-25 at a total fees of Rs. 50,000/- plus GST and to issue compliance certificate thereof and to give cost audit report for the FY 2024-25 and for assisting in preparation & e-filing of Cost Audit Reports related XBRL e-forms in respect of Kochi unit products for the FY 2024-25.

M/s. B.B.S. Associates have furnished certificates regarding their eligibility for appointment as cost auditors of the Company. In accordance with the provisions of Section 148 of Companies Act, 2013 read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration payable to the cost auditors shall be ratified by the shareholders of the Company by way of Ordinary Resolution. Accordingly, consent of members is sought for the said purpose.

The Board of Directors accordingly recommends the passing of proposed Ordinary Resolution set forth in Item No. 5 of the notice for approval by the members.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Company or their relatives have any concern or interest, financially or otherwise in passing of the said Ordinary Resolution set out in item no.5.

By Order of the Board of Directors

Sd/-
Subramonian H
Company Secretary
[ACS 28380]

Place: Kochi, Kerala
Date: 09.08.2024

ADDITIONAL INFORMATION OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/ RE-APPOINTMENT AT THE 63RD ANNUAL GENERAL MEETING AS REQUIRED UNDER REGULATION 36(3) OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015, AND SECRETARIAL STANDARDS 2

Brief profile of Shri Kanish Kant Srivastava

DIN	09699641
Date of Birth	14.11.1980
Date of appointment	30.03.2022
Relationship with Directors/KMP	None
Shareholding in the company	None
Remuneration proposed to be paid	None
Expertise in specific functional area & brief resume	Shri Kanishk Kant Srivastava is holding Master Degree in Statistics. He is a native of New Delhi. He is Possessing experience in Government Services. Presently he is Director (Chemicals), in Dept. of Chemicals & Petrochemicals.
List of directorships in other Listed Companies	Nil
Membership of the committee of other listed companies	Nil
Details of Listed entities from which Director has resigned in the past three years	Nil
Terms of appointment	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India vide Order No. P-51011/6/2011-Chemical-III/CPC dated 30th March, 2022 appointed Shri Kanish Kant Srivastava, Director, Department of Chemicals & Petrochemicals as Government Nominee Director on the Board of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) w.e.f 30.03.2022 for a period of three (3) years or till further orders, whichever is earlier. The terms and conditions of the appointment is decided by the Ministry.
Number of Board Meetings attended during 2023-24	Five (5) out of Six (6) Board meetings

Brief profile of Shri Manoj Sethi

DIN	00301439
Date of Birth	19.09.1968
Date of appointment	22.11.2023
Relationship with Directors/KMP	None
Shareholding in the company	None
Remuneration proposed to be paid	None
Expertise in specific functional area & brief resume	Shri Manoj Sethi is holding MA, LLB. He is currently working as Joint Secretary & Financial Advisor (JS & FA) in Ministry of Chemicals Fertilizers, Govt. of India.
List of directorships in other Listed Companies	One (1) The Fertilisers and Chemicals Travancore Limited (FACT)
Membership of the committee of other listed companies	Nil
Details of Listed entities from which Director has resigned in the past three years	Nil
Terms of appointment	Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India vide Office Memorandum No.P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 22nd November, 2023 had conveyed appointment of Shri Manoj Sethi Joint Secretary & Financial Advisor (JS&FA), Ministry of Chemicals & Fertilizers as Government Nominee Director in the Board of Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL). The terms and conditions of the appointment is decided by the Ministry.
Number of Board Meetings attended during 2023-24 (w.e.f 22.11.2023)	Two (2) out of Six (6) Board meetings

DIRECTORS REPORT

The Board of Directors presents herewith the 63rd Annual Report of your Company along with the Audited Statement of Accounts for the financial year 2023-24.

1. FINANCIAL RESULTS

The financial results for the year ended 31.03.2024 with the comparative figures of company's operations for the previous year is as under:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	2023-24	2022-23
Revenue from operations	70,389.00	63,143.56
Other Income	1,669.10	1,154.60
Total	**72,058.10**	**64,298.16**
Expenditure	77,589.80	69,320.57
Profit/ (loss) before exceptional item & Tax	**(5,531.70)**	**(5,022.41)**
Less: Exceptional items	-	-
Profit /(Loss) before Tax	**(5,531.70)**	**(5,022.41)**
Less: Tax expenses	-	-
Profit/(Loss) after Tax	**(5,531.70)**	**(5,022.41)**
Other Comprehensive Income for the year, net of tax	**5,919.70**	**782.78**
Total Comprehensive Income for the year	**388.00**	**(4,239.63)**

2. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING WITH GOVERNMENT OF INDIA

Company has been exempted from submitting Memorandum of Understanding (MOU) with the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India, for the year 2023-24.

3. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT

In accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and IND AS 110 – Consolidated Financial Statement, the audited consolidated financial statement for the period ending 31.03.2024 is provided in the Annual Report.

4. DIVIDEND

In view of the loss incurred during the current year, the Board of Directors do not recommend any Dividend for the year under review.

5. CHANGE IN NATURE OF BUSINESS IF ANY

There was no change in the nature of business of the Company during the FY 2023-24.

6. SHARES

There was no change in the equity share capital of the company during the year. The Authorized Share Capital of the company is Rs.370 crores and the paid-up equity capital of the company is Rs.67.27 crores and preference share capital is Rs.270 crores respectively. The company's shares are listed in BSE (Scrip ID: 500449). During the period under review, the company has not: (i) bought back any of its securities (ii) issued any sweat equity shares (iii) issued any bonus shares (iv) provided any stock option scheme to employees.

7. FINANCIAL HIGHLIGHTS

During the year 2023-24, the company has achieved a Gross Income of Rs.720.58 crore registering an increase of 12.07% as against the Previous Year Gross Income of Rs.642.98 Crore.

8. RESERVES

Company has not transferred any amount to reserves due to continuous losses.

9. NUMBER OF MEETINGS OF BOARD & COMMITTEES

During the year the six (6) Board Meetings were held on the following dates:

Sl No.	Board Meeting no.	Date of Board meeting
1.	405	18.05.2023
2.	406	01.06.2023
3.	407	08.08.2023
4.	408	09.11.2023
5.	409	15.12.2023
6.	410	09.02.2024

During the year the Committee Meetings were held on the following dates:

Audit Committee meeting

Sl No.	Audit Committee Meeting no.	Date of Board meeting
1.	91	18.05.2023
2.	92	08.08.2023
3.	93	09.11.2023
4.	94	09.02.2024

Stakeholders Relationship Committee Meeting

9th Stakeholders Relationship Committee meeting held on 9th November, 2023

Nomination & Remuneration Committee meeting

7th Nomination & Remuneration Committee meeting held on 09th February, 2024

The details of the meetings attended by each Directors are given in the Corporate Governance Report provided as **Annexure I** to this Report.

10. EXTRACT OF ANNUAL RETURN

Pursuant to sub-section 3(a) of Section 134 of the Companies Act 2013, read with Section 92 (3) and Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 an extract of the Annual Return as at March 31, 2024 is available in the website of the company at www.hoclindia.com/annual-return

11. SUBSIDIARY COMPANY

Your company has one (1) subsidiary company namely; Hindustan Fluorocarbons Limited [HFL]. Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide No. P. 51015/06/2019-Ch. III (Vol.II) dated 29th January, 2020 informed the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs, directing closure of HFL, which was approved by the shareholders on 30th March, 2020. Pursuant to Section 129(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, a statement containing salient features of the financial statements of subsidiary company in Form AOC-1 is attached as **Annexure II** to the Board's Report.

12. RELATED PARTY TRANSACTIONS

All the Related Party Transactions that were entered into during the financial year were on arm's length basis and were in ordinary course of business. There were no materially significant transactions with Related Parties during the financial year 2023-2024 which were in conflict with the interest of the Company. Suitable disclosures as required under IND AS-24 have been made in Note No.36 of the Notes to the Standalone Financial Statements.

Particulars of contract/arrangements/transactions made with related parties, pursuant to Section 188(1) of the Companies Act, 2013 in the prescribed form AOC-2 is appended as **Annexure III** which forms part of this report.

13. MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

The details in this regard forms part as **Annexure IV** to the Board's Report.

14. CORPORATE GOVERNANCE AS PER SEBI REGULATIONS

Due to non-availability of One (1) Independent Women Director for the FY 2023-24, there has been non-compliance to that extent with various requirements of Corporate Governance under the provisions of Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and various Rules/ Regulations made there under. The details in this regard forms part of Corporate Governance report to the Annual Report. The requisite certificate from the practicing company secretaries confirming with the conditions of Corporate Governance is attached to the report on Corporate Governance.

15. COMPLIANCE OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

Department of Public Enterprises [DPE], Government of India, has laid down certain parameters for the purpose of grading the CPSEs on the basis of their compliance with guidelines on Corporate Governance and this report needs to be submitted to DPE through online mode on Quarterly basis. Company has been complying with the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs laid down by DPE and regularly submits reports to the Ministry of Chemicals & fertilizers, Government of India. Applicable grade of 4th Quarter/year ended 31.03.2024 is "Excellent". The requisite certificate from the practicing company secretaries confirming with the conditions of DPE Corporate Governance guidelines is attached to the report on Corporate Governance.

16. BOARD EVALUATION:

The provisions of Section 134 (3)(p) of Companies Act, 2013 are exempted for Government Companies as the performance evaluation of the Directors are carried out by the Ministry, which is administratively in charge of the Company as per its own evaluation methodology.

17. KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

The following are Key Managerial Personnel of the Company:

a) Shri Sajeev B - Chairman & Managing Director [DIN: 09344438]

b) Shri Yogendra Prasad Shukla - CFO & Director (Finance) [DIN: 09674122]

c) Shri Subramonian H - Company Secretary & Compliance Officer [ACS: 28380]

18. DETAILS OF DIRECTORS OR KMP'S WHO WERE APPOINTED OR HAVE RESIGNED DURING THE YEAR:

Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide OM.No.P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 22-11-2023, appointed Shri Manoj Sethi, Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Chemicals & Fertilizers as Government Nominee Director of HOCL in place of Shri Sanjay Rastogi.

19. PARTICULARS OF EMPLOYEES

The provisions of Section 134(3)(e) of the Companies Act, 2013 are not applicable to a Government Company. Accordingly, details on Company's policy on Directors' appointment and other matters as required under Section 178 (3) of the Act, are not provided.

20. COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND NON-ACCEPTANCE OF ANY RECOMMENDATIONS OF AUDIT COMMITTEE.

During the FY 2023-24, all the recommendations of the Audit Committee were accepted by Board of Directors. As on 31st March, 2024 Audit Committee has 3 members in compliance with Regulation 18 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Details of Composition, meetings of Audit Committee/Sub-Committee are provided in Corporate Governance Report which forms part of this Report.

21. COMMITTEES OF THE BOARD

The Company's Board has the following Committees:

i. Audit Committee

ii. Nomination and Remuneration Committee

iii. Stakeholder Relationship Committee

iv. Corporate Social Responsibility Committee (CSR)

22. SECRETARIAL STANDARDS

The Company complies with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India [ICSI].

23. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT

The financial statements are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (IND AS), the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by SEBI. The IND AS are prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendments, rules issued thereafter. Your Directors make the following statement in terms of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 –

(a) That in the preparation of the annual accounts for the year ended 31st March, 2024; the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures.

(b) That such accounting policies as mentioned in the Notes on Accounts had been applied consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at the financial year ended 31st March, 2024 and the profit or loss of the Company for that period.

(c) That proper and sufficient care had been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

(d) That the annual accounts for the year ended 31st March, 2024 had been prepared on a going concern basis.

(e) Directors have laid down internal financial controls to be followed by the company and such internal financial controls are adequate and are operating effectively and

(f) That the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

24. INDEPENDENT DIRECTORS DECLARATION

The Company has received necessary declaration from each of the Independent Directors that he meets the criteria of independence laid down under section 149 (6) of the Companies Act, 2013 and listing regulations.

25. DISCLOSURE ON REAPPOINTMENT OF INDEPENDENT DIRECTORS

No reappointment of Independent Directors was made during the year under review.

26. COMPANY'S POLICY ON DIRECTOR'S APPOINTMENT AND REMUNERATION INCLUDING CRITERIA FOR DETERMINING QUALIFICATIONS, POSITIVE ATTRIBUTES, INDEPENDENCE OF DIRECTORS ETC.

As per notification dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, provision of section 134(3) (e) of the Companies Act, 2013 regarding disclosure of its policy on Director's appointment and remuneration including criteria for determining qualifications, positive attributes, independence of a Director and other matter provided under sub- section (3) of section 178 of the Companies Act, 2013 are not applicable to a Government company.

Company being a CPSE, appointments of all the Directors on the Board of the Company are made by the Govt. of India/President of India

and under the supervision, control and directions of the Department of Chemicals & Petrochemicals and the prescribed DPE Guidelines are being followed. The Terms and Conditions of appointment of Independent Directors and other directors, are as per the Government Orders are disclosed on the Company's website.

27. RATIO OF DIRECTORS REMUNERATION TO MEDIAN EMPLOYEES REMUNERATION AND OTHER PRESCRIBED ELABORATE DISCLOSURES AND DETAILS:

The provisions of Section 134 (3)(e) of the Act are not applicable to a Government Company. Consequently, details on Company's policy on Directors' appointment and other matters are not provided under Section 178 (3) of the Act. Similarly, Section 197 of the Act is also exempt for a Government Company. Consequently, disclosure of the ratio of the remuneration of each Director to the median employee's remuneration and other such details including the statement showing the names and other particulars of every employee of the Company, who if employed throughout/ part of the financial year, was in receipt of remuneration in excess of the limits set out in the Rules are not provided in terms of Section 197 (12) of the Act read with Rule 5 (1) / (2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014. The Chairman & Managing Director and the Whole-time Director of the Company did not receive any remuneration or commission from any of its Subsidiaries. HOCL, being a Government Company, its Directors are appointed/nominated by the Government of India as per the Government/DPE Guidelines which also include fixation of pay criteria for determining qualifications and other matters.

28. AUDITORS

a) Statutory Auditors

M/s. Paulson & Co, Chartered Accountants, was appointed as Statutory Auditors of your Company for FY 2023-2024 by C&AG.

The auditors have furnished a declaration confirming their independence as well as their arm's length relationship with the Company as well as declaring that they have not taken up any prohibited non-audit assignments for the Company. The Audit Committee reviews the independence and objectivity of the Auditors and the effectiveness of the audit process. The auditors attend the Annual General Meeting of the Company. The Auditors in their report for the year have not reported any instances of fraud committed by the officers/employees of the company.

b) Cost Auditors

The Board of Directors had appointed R.M Bansal & Co., Cost Accountants, Kanpur having branch office at TC 49/620(2) SafnamMrwa 61-A, Malliyidom, Thiruvanathapuram, Kerala as Cost Auditors of your Company for FY 2023-2024. In the 62nd AGM held on 26th September, 2023 the members have ratified the remuneration payable to the Cost Auditors. Company has made & maintained Cost Records as specified by the Central Government under Section 148 of the Companies Act, 2013.

c) Internal Auditors

M/s. Isaac & Suresh, Chartered Accountants, Ernakulam, Kerala were re-appointed by the Board of Directors as Internal Auditor of your Company for Kochi unit and Mumbai office for FY 2023-2024. They have submitted quarterly reports for FY 2023-24. There are no major observations from Internal Auditors.

d) CAG Auditors

Supplementary Audit of financial statements (Standalone; Consolidated) is conducted by Principal Director of Audit (Shipping), Mumbai. The Comptroller; Auditor General of India (CAG) has decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of HOCL for the year ended 31.03.2024. The report of CAG dated 29.07.2024 under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 forms part of the annual report.

e) Secretarial Auditors

The Board of Directors had appointed M/s. J K Das & Associates., Practising Company Secretaries to conduct Secretarial Audit for the FY 2023-2024. The Secretarial Audit Report in accordance with Section 204 of Companies Act, 2013 for the Financial Year ended 31st March, 2023 is annexed to this Report. The observations in the Secretarial Audit report and the management response thereof are given below:

Observation	Management Response
The Board of Directors of the Company was not duly constituted as the Company does not have requisite number of Independent Directors on its Board. It was observed that during the period under review from 01st April, 2023 to 31st March, 2024 Company has a vacancy of one (1) Independent Woman Director on its Board.	HOCL is a CPSE (Central PSU/PSE) under the administrative control of the Ministry of Chemicals & Fertilizers (MoC&F), Dept. of Chemicals and Petro Chemicals (DCPC), Government of India. Hence, the MoC&F is the administrative ministry and as per Company's Articles of Association (AOA), the powers to appoint the Board of Directors of HOCL company vest with the GOI/Administrative Ministry. Presently, there is vacancy of one (1) Independent Women Director in HOCL. In order to fill the vacancy, Company vide letter dated 16th June, 2022 and 13th September, 2022 and e-mail dated 10th January, 2023 and again on 15th June, 2023, 13th November, 2023, 19th February, 2024 and 31st May, 2024 requested the Administrative Ministry to appoint one (1) Women Independent Director on HOCL Board. Company is awaiting necessary orders from the ministry in this regard.

29. Details of vigilance cases for the Financial Year 2023-24

Opening balance as on 01.04.2023	Vigilance cases received during 01.04.2023 to 31.03.2024	Disposed off	Balance
NIL	0	0	NIL

30. STATUS OF PENDING CAG PARAS AND MANAGEMENT REPLIES: Nil

31. SAFETY, HEALTH AND ENVIRONMENT

HOCL is certified for IMS (Integrated Management System) which is comprising of Quality Management System (ISO-9001), Environment Management System (ISO-14001) and Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001). Company is also certified for Energy Management System (ISO-50001). HOCL is continuing the "Eat Right Campus" certification with five-star rating by FSSAI for its industrial canteen.

1. SAFETY

We are privileged to inform that HOCL bagged Kerala Industrial Safety Awards 2023 for outstanding performance in Industrial Safety and Occupational Health; **Category II** (Large Factories employing 251 – 500 workers); **Sub Category I** (Chemicals, Petroleum, Petrochemicals, General Engineering/ Automobile Repairing) by Factories and Boilers Department, Government of Kerala. Kerala Industrial Safety Awards 2023 for Best Safety Committee (Individual Awards) by Factories and Boilers Department, Government of Kerala. Kerala Industrial Safety Awards 2023 for Best Safety Worker (Sri. Suresh Kumar- QC dept) by Factories and Boilers Department, Government of Kerala. Since the inception, it was for the First time HOCL received the awards for the Best Safety Committee and Best Safety Worker Awards. Our employees have participated in the State level competitions conducted by M/s. National Safety Council, Kerala Chapter held in connection with National Safety day and won prizes. HOCL also bagged Abhinandan Pathra from M/s. National Safety Council- Kerala Chapter on achieving

commendation in Medium Industries (Chemicals) during the year 2023. The company has achieved 866232 safe man hours for the year 2023 with no lost time accidents in the organization. The Company has implemented several new measures to improve the safety culture in addition to the normal safety systems and procedures. Ensured the Representation of contract workers in Safety committee. Contract workers are encouraged to report near miss incidents also.

Conducted awareness class regarding hazards associated with the chemicals used inside the plant and respective PPEs to be used. Tool box talk is ensured by the HOCL supervisor before starting any work emphasizing the importance of safety and usage of PPEs for carrying out specific jobs. Surprise inspections are done by Fire and Safety Department to ensure the safety of contract workers. During patrolling Fire and Safety Department ensures the work is being carried out with valid work permit. Safety walk is also carried out by the Safety Committee members in this aspect. Specific training is imparted to the workers during shut down prior to commencement of the work. The workers are allowed to enter the plant premises by the security only after wearing required PPEs and after a briefing given on general safety and security aspects. Awareness class given to Canteen staff on LPG and LNG safety.

Participation in the competition held in connection with safety including Road Safety Week, Fire week and Electrical Safety Week. Conducted awareness class to the truck drivers including participation in the Road Safety Week awareness/competition. As part of observance of World Eye Sight Day (12th Oct 2023) class on the importance of eye safety along with selection of appropriate eye wear was conducted for the employees. An online HSE compliance system has been established. Corrective action is taken by the top management after review and analysis.

To nurture young minds awareness session on handling e-waste to students of the nearby school carried out. A session on Lab safety was also handled by our Officers to the 11th & 12th class students and relevant PPES while doing the analysis of chemicals at Chemistry lab also provided to students.

Additional measures during 2023:

1. Established a Standard Operating Procedure for Scaffolding:

   Scaffolding implementation involved establishing a proper framework which involved preparation of Scaffolding Manual, Erection and Procedure and checklist prepared for maintaining safety in works related with scaffolding.

2. Safety Innovation:

   Modifications have been made in High Mast light towers for safety of person during hoisting and lowering of the light panel bracket based on a real time accident occurred in the Airport.

3. Job Safety Analysis (JSA):

   Job Safety Analysis is a proactive approach to safety management that helps organizations prevent workplace injuries and illnesses by systematically identifying and addressing potential hazards before they cause harm. It promotes a safer work environment and enhances overall safety awareness among workers. JSA was carried out for major works.

4. FABSAFE:

   Company has enabled a real time vehicle locating tracking system for monitoring and surveillance of transport of Hazardous chemicals across the sate in association with the Department of Factories and Boilers, GoK.

5. ROCERS (Remote Sensing Enabled Online Chemical Emergency Response System):

   Our Company has been part of ROCERS, a joint project by the Department of Factories & BOILERS, GoK, NRSC (National remote sensing Centre) and Indira Gandhi Centre for Atomic Research, Kalpakkam. This is in place to warn nearby residents about an impending Industrial accident. LPG Sensors installed would enable an early detection and early warning system to the Dept of Factories & Boilers, the reporting is instantaneous. The system helps the District Administration, Police and State Disaster Management Centre to get all information of a chemical emergency in the hazardous installations.

   a) HSE suggestion scheme

      The new initiative which aims to encourage the employees to put forward their creative and potential ideas that could lead to considerable improvements in Safety, Reduction in wastages, Health of employees, protecting the flora and fauna or the natural resources through operational controls and Best practices. Also, to acquire inputs on HSE where otherwise we wouldn't receive. The best suggestions received in the year has been implemented after evaluations through which employees could get the health benefits and additional health check-ups could be introduced and gained considerable safety improvements.

   b) Behavioural Based Safety (BBS)

      Psychology is the study of human behaviour, and individual behaviour is a recognised impediment to upholding high standards of health and safety. Many people know what they are doing is incorrect, but they still choose to do it anyway. Other people make mistakes unintentionally, and those people can be instructed in behavioural safety. In order to prevent and control human behaviour and prevent accidents, behaviour-based safety program has gained importance.

      The company has its own Online work permit system integrating 6 separate work permits viz, Hot work, Cold work, Confined space entry, Work at height, Excavation and Radiography. HOCL has developed benchmark in Accident /incident investigation through a 29-point accident investigation checklist. The company has implemented Near Miss reporting system whereby employees can report any unsafe acts/conditions and corrective actions shall be taken after a review to prevent accidents.

      Refresher training sessions on Fire and safety were imparted to the employees. Additional safety training for truck drivers were given for creating a safety culture in driving.

      Fire Safety awareness and practical training imparted to nearby school students to inculcate a safety culture in the young minds.

      Various competitions were organized for creating more awareness on safety among employees, observed National Safety day, National fire service week, Road safety week, Electrical safety week etc in association with concerned Statutory Authorities .

      In order to promote young minds on safety Plant visits/ Internships were permitted to students pursuing the B.Tech/ Diploma/M.Sc . In addition, visits permitted to participants of Supervisory training course as per Sec 41C(b) of Factories Act 1948.

2. HEALTH

   In the areas of Health, Hygiene and Environment, the company has undertaken periodic medical examination, as well as statutory requirements of fitness check-up were carried out during the year 2023 for our employees. Audiometry tests were carried out for those who are exposed with Noise and Autotoxicity tests were carried out for the Benzene handlers apart from other statutory regular check-ups.

   - Free eye checkup camp organized for employees.
   - Periodic awareness session for the benefit of employees on Ayurveda and healthy diet, diabetics, Liver, Heart etc.

- In connection with the cancer awareness week observance, a cancer awareness session was conducted for the employees.by renowned Oncologist. PSA- test introduced for all male employees above 40 years of age. Also introduced, PAP Smear, Transvaginal USG - for female staff above 40 years of age.
- USG Breast, Mammogram, USG Abdomen- for all female staff.
- For canteen employees- CBC, LFT, RFT, FLP, URE, FBS, Uric acid, HbA1C, Stool RE. These additional tests are outcome of HSE suggestions received and awarded during the previous year.
- Organised a 120-day health challenge (weight loss, belly lose) for the employees having higher BMI.
- In order to motivate employees about the importance of health, Cycle rally, Walkathon, Mass run etc. were organized for the employees, provided assistance to the women employees in a Midnight Run organized at Kochi jointly by a media house and a leading bank.
- Financial assistance given to the clubs for organizing a Swimming class for the wards of employees during the mid-summer vacation.
- A running club was started in HOCL with participation of 50 numbers of employees. As part of it, in order to promote the employees for a healthy living lifestyle for both physically and mentally, financial assistance given to the clubs for purchasing two bicycles for providing to the employees residing at HOCL Township.
- Introduction of new instruments at Quality Control Laboratory minimised exposure to chemicals by the laboratory personnel.

3. ENVIRONMENT

In our commitment to Environment, we have ensured that the level of pollutants from the Factory and nearby surroundings was much below the permissible levels. As part of protecting the environment, awareness sessions, competitions, Swachh Bharat activities, promoting employees for vegetable cultivation under a “Green Mission”, Beautification of the plant premises involving the entire employees of the organization were carried out. As part of cleanliness drive, Swachhta activities carried out at nearby schools, Hill Palace Heritage museum etc.

World Environmental day 2023 was observed by planting of saplings in addition organising various competitions related to theme “Beat Plastic Pollution” with wide participation of employees.

On-line Effluent Monitoring and stack monitoring system is implemented to comply with the Central Pollution Control Board /Kerala State Pollution Control Board regulations. Periodic inspections and safety walk were carried out by the Safety Committee members in addition to the daily patrolling of Fire crew as a continual improvement. Daily monitoring of the Laboratory analysis by the concerned ensures compliances with the stipulated parameters/norms. Compliances to observations and corrective actions as per the internal /surveillance audits of ISO 14001(Environment Management System) audits as part of IMS, compliances to Near miss and HSE suggestion points related to Environment ensures HOCL taking due care for Protecting the nature.

32. RESERVATION AND OTHER WELFARE MEASURES FOR SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES/ OTHER BACKWARD CLASSES AND PERSONS WITH BENCHMARK DISABILITIES.

All guidelines laid down in respect of Reservation and other welfare measures for Scheduled castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes are complied with. The provisions for special arrangement for Persons with Disabilities at work place have been complied with.

Representation of SC, ST, OBC, PwBD and Women in employment position as on 31.03.2024

Category	Total	SC	ST	OBC	PwBD	WOMEN
A	93	11	6	12	2	10
B	27	5	2	8	-	-
C	58	11	2	30	1	4
D	10	1	-	1	-	-
Total	**188**	**28**	**10**	**51**	**3**	**14**

33. IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY.

During the year under report, the company continued its efforts to promote Hindi as Official Language in its day to day official activities. 08 Hindi workshops were conducted during the year including a special session on Annual Programme 2023-24 on Official language for HOD’s and Senior Officers of Corporate office, Kochi. Hindi week and Hindi Fortnight were organized from 14th to 29th September 2023. Our officers attended Third All India Rajbhasha Seminar organized by Dept of OL, Ministry of Home Affairs at Pune, Maharashtra on 14 & 15 September 2023. During Hindi Fortnight celebrations, various competitions were organized and large number of employees participated. HOCL bagged Regional OL Award - Second Prize in PSU category in Region “C” for best performance in OL implementation from Dept of OL, Ministry of Home Affairs for the year 2022-23. HOCL bagged third prize for best implementation of OL Policy from Hon’ Minister of Chemicals and Fertilizers for the year 2022-23. HOCL Kochi Unit also bagged First prize for the best implementation of OL policy from Town official language Implementation Committee (TOLIC) for the year 2023-24 and third prize for e-magazine “Pahachan”. Our office has actively participated in various programmes conducted by TOLIC (PSU), Kochi. One Day OL seminar for exclusively Hindi Staff of TOLIC’s (Central Govt and PSU) of Kochi was conducted on 18 August 2023 in our office premises. Two days technical workshops for employees and students of Universities were conducted on 14 & 15 December 2023. Our officers have attended various OL seminars organized by FACT, HPCL, IOCL, BPCL, Kochi TOLIC (PSU) and Kochi TOLIC (Bank). Our Executive Director & UIC attended Regional Joint Conference on Official Language conducted by Dept of OL at Bengaluru on 19 January 2024 and received the Award from Hon Minster of State for Home Affairs. Translation and Noting and Drafting and Technical Terminology competitions were conducted in our office during Joint Hindi celebration 2023 of Kochi TOLIC (PSU). To make awareness among students the importance of Hindi, celebrated World Hindi Day on 10th January 2024 at our training centre for Students of St Peters College, Kolencherry and Sree Sankara Vidyapeetom College, Airapuram, Ernakulam. Competitions and awareness sessions were conducted during the full day programme. On the occasion of International Mother Language Day on 21 February 2024, competitions were conducted for employees. Two issues of e-magazine “Pahchan” were published by the company during the period under report. All documents under section 3(3) of OL Act 1963 were issued both in Hindi and English. The Website of the company is available both in Hindi and English. Practical computer training was imparted to the officers and employees of the company on 28.09.2023 and 26.03.2024. Our company sponsored a World Environment Day celebration by Green literary Centre, CUSAT organised at Dept of Hindi, CUSAT. An interactive session on OL and Career was conducted at GVHSS, Thripunitura and Dept of Hindi, CUSAT, Kochi on 20.10.2023 and 21.12.2024 respectively. Incentive Scheme for doing original work in Hindi was already implemented in our Unit. Various promotional schemes including for better implementation of Official Language have been adopted by our organization. For popularising Official Language Hindi, an outreach programme named Rajbhasha Chetna Karykram was organised for BA/MA Hindi students of various Colleges and Universities of Kannur and Kasargod districts of Kerala during the month of February and March 2024. Awareness sessions on OL were organised during the 6 days programme. 350 students participated in this OL awareness programme.

34. CITIZEN’S CHARTER, PUBLIC GRIEVANCE REDRESSAL (PG), CUSTOMER CARE SYSTEM (CCS) & RIGHT TO INFORMATION (RTI)

In line with the provisions of RTI Act 2005 to promote transparency and accountability, our organisation has taken efforts to handle the Right to Information sought for. Company has laid down procedure to provide information through Public Information Officer/CPIO and Appellate Authority.

The number of RTI applications received and disposed off during the year 2023-24 is given below:

Total number of RTI applications received during the year 2023-24	46
Applications rejected during the year 2023-24, if any	0
Information submitted during the year 2023-24	45
Pending to reply as on 31.03.2024	1*

** Reply to RTI application has been submitted in the subsequent quarter.*

35. MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSME)

Company is taking all efforts to comply with the Government Directive to procure items specified for procurement from MSMEs. Necessary procedures have been made in all tenders re-stating the eligibility of MSMEs so as to participate in tenders. We have removed the restricted clauses in the tender conditions and modified the same which will help in greater participation of MSMEs and especially SC/ST MSMEs in the procurement processes. Company has modified the purchase policy also to comply with the directions.

HOCL always takes efforts to fulfill the requirements. HOCL diligently updates its procurement data on the MSME Sambandh Portal monthly. HOCL has actively participated in the vendor development programme conducted by MSME-Development & Facilitation Office, Thrissur, Kerala to enhance the procurement thru GeM portal & from MSMEs. HOCL's 95% of the purchases by value are petroleum products (LPG, Benzene, Furnace Oil, Hydrogen which are our raw materials.) supplied by M/S. BPCL through pipeline transfer. These items are not manufactured by MSMEs and not available in GeM portal.

36. SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC RESPONSIBILITIES AND BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 with regard to disclosure of Business Responsibility Report is not applicable to your company. However, Hindustan Organic Chemicals Limited has adopted and realizes the benefits of Management Principles into daily activities to achieve the goals of the organization. These Management Principles will provide a foundation to continually improve upon the Organization's performance. The organization believes the following principles to align with the business processes.

1. Customer focus
2. Leadership
3. Utilization of resources with improved information flow within the organization
4. Process approach; &its Continual improvement,
5. Risk & opportunity and real time decisions
6. Developing internal resources & maintaining better human relations at work.

We have adopted the "Process Approach" into daily operations including the PDCA Cycle. We have considered the utilization of Risk-Based Thinking when developing, implementing, and improving the effectiveness in most of our Management System. This approach enables Hindustan Organic Chemicals Limited to enhance the overall performance of the Organization by effectively controlling the interrelationships and the interdependencies among the processes.

The understanding and consistency with achieving customer specific requirements;

- The consideration of our processes in terms of added value;
- The achievement of effective process performance;
- Improvement of our processes based on real time data and information.

We also effectively plan and implement various actions to address risks and opportunities to maximize the outcomes including, but not limited to achieving improved results and preventing negative effects of our products, Operations, services.

Our businesses provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle and to promote the wellbeing of all employees, respect the interests of the stake holders, responsive towards all stake holders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized. Our businesses respect, protect, and make efforts to restore the environment in a safe and better manner by complying with the relevant Statutory regulations. Our businesses also support and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

37. DETAILS OF CSR ACTIVITIES DURING THE YEAR

Company since its inception is very much aware about its social responsibility. For over five decades, as a socially responsible and sensitive corporate, your Company continues to remain committed to social thought and action to serve society through providing basic civic amenities to the neighbouring villages, rendering assistance in different forms.

As the average of three immediately preceding financial year is net loss, your Company is not required to carry out any CSR activities during the year under review. However, Company has recognized its social obligations and extended the following during the year 2023-24.

- Continued drinking water supply to nearby local residents.

- The Haritha Karma Sena members of Vadavukode Grama Panchayat were honoured by HOCL for their relentless and dedicated service to the society.

Other activities.

SWACHH BHARAT ABHIYAN

- Celebrated the **Swachhta Pakhwada** from 01.09.2023 to 15.09.2023 and conducted various competitions, cleanliness drives, webinars, awareness classes etc.
- Conducted a cleanliness campaign at a nearby Government School (GVHSS, Ambalamugal) by our employees, apprentices and trainees and Organized an awareness session for students on Scientific Management of E-waste and pin badge were supplied for the students with "e-waste awareness motto" and donated Stainless Steel Lunch plates for the students.
- Celebrated the **Swachhta Hi Seva 2023** from 15.09.2023 and conducted various cleaning activities viz., waste collection drives in households/HOCL Township to give vide publicity of the theme "**Garbage Free India**"

- A Mass Cleaning Campaign was conducted on Swachhta Diwas at **Hill Palace Museum**, a famous tourist spot, Tripunithura led by our CMD and with the participation of ex-servicemen, employees, apprentices, trainees etc.

- HOCL is declared as "Plastic Free Zone" by eliminating single use plastic items. Eliminated the plastic packets of milk in canteen by converting to large volume cans.
- Swachhta activities were conducted by different departments from 01.09.2023 onwards. Segregation and weeding out of old records, enlisting and keeping the same is still going on.
- Awareness session conducted by the Company Medical Officer on Better Hygiene to the House keeping staff, Security personnel etc.
- Various Competitions (in English/ Hindi/ Malayalam) were organized for the employees, apprentices/trainees & High School and College going students.
- Swachhta cleaning activities done at Township with participation of wards, residents, employees and contract workers.

AZADI KA AMRIT MAHOTSAV

As part of Azadi Ka Amrit Mahotsav conducted various cleaning activities in our premises, Stickers prepared on Azadi Ka Amrit Mahotsav and pasted in all official correspondences. Celebrations are organized with various activities till August 2023.

World Environment Day

Celebrated the World Environment day with various programmes like Marathon - "Run for Nature" by HOCL Fraternity including family members from HOCL Township to HOCL Factory premises.

INTERNATIONAL YOGA DAY

Yoga Day was celebrated on 21st June 2023, Common Yoga protocols were widely circulated for the information of all employees through our portal and social media. International Yoga Day was celebrated with a talk on the importance of Yoga in our daily life followed by a practical session conducted by a Yoga Acharya for our employees.

38. INDUSTRIAL RELATIONS:

Your company continued to maintain the overall Industrial Relation situation to be peaceful and cordial during the year 2023-24. There was no strike or lockout during the year. All employees continued to contribute their best to the company during the year.

39. MANPOWER STATUS:

The manpower strength of the Company as on 31st March, 2024 was 188 consisting of 120 Officers and 68 non-officer's category.

40. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

There are no loans, guarantees, or investments made by the company under Section 186 of the Companies Act 2013 during the year under review and hence said provisions are not applicable.

41. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE STATUTORY AUDITORS

The management response for the qualification made by the Statutory Auditors in their audit report for the Financial Year 2023-24 is given below:

Qualification	Management Response
We draw attention to note no. 11 of the accompanying Standalone Financial Statements regarding the waiver of interest chargeable on loans amounting to Rs. 453.01 lakhs advanced to its subsidiary. As per the provisions of Section 186(7) of the Companies Act, 2013, no loan shall be given at a rate of interest lower than the prevailing yield of one year, three-year, five year or ten- year Government Security closest to the tenor of the loan. In our opinion, the Company has violated the provisions of section 186(7) of the Companies Act, 2013. Had the impact of the above qualification been considered, as of 31st March 2024, 'Interest Receivables from Related Parties' under 'Other Financial Assets' would have increased by Rs. 57.26 lakhs, 'Statutory Receivables - Duties & Taxes, Prepaid Taxes' under 'Other Current Assets' would have increased by Rs. 6.36 lakhs, shareholder funds would have increased by Rs. 63.62 lakhs, and for the year ended on that date, 'Interest Income on Loan to Subsidiary Company' and net income would have increased by Rs. 63.62 lakhs.	The outstanding loan advanced by HOCL to HFL (subsidiary company) amounts to Rs. 3197.08 lakhs as at 31.03.2024. The loans were advanced to HFL between the FY 2004-05 to 2009-10 in tranches. The outstanding loan consists of Rs.2744.07 lakhs as interest free loan and Rs.453.01 lakhs as interest bearing loan with interest rates ranging from 10.25% p.a to 14.5% p.s. HOCL waived off the interest on the interest-bearing loans with effect from 01.04.2023, as per the recommendation of Inter-Ministerial Committee Meeting dated 20.12.2022. All the loans advanced to HFL were prior to the commencement of the Companies Act, 2013. Further, the Companies Act, 2013 does not restrict the company to make any change in the interest rates on the existing loans appeared in the books of the company and there is no explicit provision/clause in the said section that restricts waiver of loan/interest thereon. Therefore, HOCL waived off the interest on the interest-bearing loan considering the operations of HFL have already been closed as per CCEA approval dated 29th Jan 2020. Hence company has not violated the provision of section 186(7) of the companies act 2013.

42. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

Nil

43. THE DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

Company ensures existence of adequate internal controls through documented policy and procedures laid down in the manuals to be followed by the executives at various levels. Internal controls are supported by periodical internal audits and management reviews. The management is keen on these issues and initiated various measures such as upgrading the IT infrastructure, evaluating and implementing ERP software, web-based application and establishing connectivity amongst manufacturing units, Corporate office and branch offices for effective and proactive services and businesses.

Audit Committee/Board periodically reviews the internal controls, audit programme, financial results and recommendations, the replies of the management to Government Audit and internal audit etc.

The Company has maintained adequate financial control system, commensurate with the size, scale and complexity of its operations and ensures compliance with various policies, practices and statutes in keeping with the organization's pace of growth and increasing complexity of operations.

44. CONSERVATION ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

A. The steps taken and impact on conservation of energy:

Major Energy Conservation Activities / Projects Implemented in 2023-24

- Replacement of conventional lights with LED lights: Electrical energy saving Rs.2.89 lakhs/year
- Replacement of Old AC with New 5star rating ACs: Electrical energy saving Rs.0.66 lakhs/year
- Replacement of conventional fan with Energy Efficient BLDC fans: Electrical energy saving Rs.0.55 lakhs/year
- Replacement of conventional motor with energy efficient IE3 motor: Electrical energy savings Rs.1.71 lakhs/year

Company is availing open access power trading, resulting in a saving of Rs.132 lakhs on power cost for the year 2023-24. There is no capital investment on energy conservation equipment's.

B. Technology Absorption

The specific consumption of raw material has been reduced resulting in a saving of Rs.4186 Lakhs on Raw Material cost through an in-house technology for the year 2023 – 2024.

i. The efforts made towards technology absorption: Nil

ii. The benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution:
   - MOC of the DNET section pipe lines changed from CS to PTFE in order to avoid the plant down time due to leakage resulting from corrosion.
   - A Proposal put forwarded for the recovery of ACP from TAR
   - New Air compressor purchase is in progress with a payback period of 1.7 years. And an expected savings of RS -18765780 /- per year as compared to the existing compressor

iii. In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year): Nil
   (a) the details of technology imported; NA
   (b) the year of import; NA
   (c) whether the technology been fully absorbed; NA
   (d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and

iv. the expenditure incurred on Research and Development: Nil

C. FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO: NIL

45. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

Key Threats include:

- Competition from domestic / imports and fluctuation in the input prices
- High input costs

- High utility costs
- High overheads
- Limited availability of anti-dumping support for the main products Phenol and Acetone.
- High interest cost.

Some risks and concerns:

- High manpower cost per ton of finished product.
- Depreciated plants, requiring high maintenance cost.
- Dumping in main products Phenol / Acetone.
- Volatility in main input Benzene.
- Restriction in taking up new ventures

46. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES WHICH HAVE BECOME OR CEASED TO BE.

Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals vide No. P. 51015/06/2019-Ch. III dated 29-01-2020 informed the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs, directing closure of Hindustan Fluorocarbons Limited (HFL), subsidiary company of HOCL, which was approved by the shareholders on 30.03.2020.

Consequent to the decision of the Govt. of India for closure of Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd., an amount of Rs.75.87 crore has been released as loan from Govt. of India to meet the expenses related to VRS/VSS to employees and settling dues to Bank and other liabilities. HFL is under the process of closure.

47. DEPOSITS:

During the period under review, the Company has not invited or accepted any deposits from the directors, shareholders and public.

48. THE DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE:

Nil

49. DISCLOSURE UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013

As per the requirement of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 ('Act') and rules made there under, the Company has adopted a Sexual Harassment Policy for women to ensure healthy working environment without fear of prejudice, gender bias and sexual harassment. The policy has been widely disseminated. A Complaint Committee is in existence as per the Act. The Board states that there were no cases or complaints filed pursuant to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

In connection with observance of Sexual Harassment of Women at workplace Prevention week 2023, various programmes were conducted viz., Pledge, a Street Play on POSH Act was carried out by our women employees, Women's Walkathon Competition, an Awareness session on POSH Act etc.

Annual Report for the year 2023 The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013-:

No. of complaints received: Nil

No. of complaints disposed of: Nil

No. of cases pending for more than 90 days: Nil

50. VIGILANCE MECHANISM:

Hindustan Organic Chemicals Limited, being a Government Company, a Vigilance Department is already existing in pursuance of CVC Guidelines headed by Chief Vigilance Officer (CVO), HOCL. The Vigilance Mechanism is being handled by the Vigilance Department and the Company has already adopted a Vigilance Manual in pursuance of CVC Guidelines. Vigilance Manual is available on Company's Website.

51. INTEGRITY PACT

Adoption of Integrity Pact already implemented in HOCL through two (2) no(s) of Independent External Monitor(s)to maintain, foster most ethical and corruption free business environment.

The Integrity Pact Policy adopted by the Company is applicable in respect of all tenders with estimated value above Rs.50 lakhs (excluding export). Your Company has also conducted structured meetings of the Independent External Monitor with Chairman & Managing Director and other Executives. Integrity Pact is being updated as per CVC circulars. Integrity Pact Policy is available on the web site of the Company.

52. WHISTLE BLOWER POLICY

As per the Regulation 22 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as per section 177(9) of the Companies Act, 2013, every listed companies shall formulate a vigil mechanism/ Whistle Blower Policy for directors and employees to report genuine concerns. Your Company has adopted a Whistle Blower Policy to provide appropriate avenues to all permanent employees to make protected disclosure as per the whistle blower policy. The Policy provides for adequate Safeguards against victimization of employees who avail the mechanism and also provides for direct access to the Chairman of the Audit Committee. It is affirmed that no personnel of the Company have been denied access to the Chairman of the Audit Committee and that no complaints were received during the year in this regard. The Whistle Blower Policy is placed in the website of the company.

53. GENERAL

No disclosure or reporting is required in respect of the following matters as there were no transactions on these matters during the year under review:

- Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme.
- The Company does not have any scheme of provision of money for the purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefit of employees.
- Neither the Managing Director nor the Whole-time Directors of the Company receive any remuneration or commission from any of its subsidiaries.
- No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the going concern status and Company's operations in future.
- No fraud has been reported by the Auditors to the Audit Committee or the Board.
- There is no Corporate Insolvency Resolution Process initiated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

54. ACKNOWLEDGEMENT

The Board of Directors are extremely thankful to all officials of Department of Chemicals & Petro-chemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India for the continued support extended to HOCL. The Directors thank the Company's employees, customers, vendors, investors and other stake holders for their continuous support. The Directors also express their grateful appreciation for the support and co-operation from officials of Governments of Maharashtra, Government of Kerala, and other Government departments and agencies, Banks, financial institutions, local bodies and all Auditors of the company. The Board places on record its gratitude to the members of the Company for their support and confidence in the management. The Directors appreciate and value the contribution made by each member of the Hindustan Organic Chemicals Limited family.

For and on behalf of the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director

Date: 09.08.2024
Place: Kochi, Kerala

Annexure I

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AS PER SCHEDULE V OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS 2015 FOR THE FY 2023-24

"**Vision**: To Produce and market basic chemicals efficiently and economically in anenvironment friendly manner."

"Mission: To maintain optimum level of efficiency and productivity in the use of resources and secure optimum return on investment."

1. A brief statement on company's philosophy on code of governance:

Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL) trusts on the conduct of its business activities and enhance the value of all those who are associated with the Company viz. shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Public Enterprises, Various State Governments, other Governmental agencies / departments and the society at large. Essentially, it involves practicing good Corporate Governance and HOCL believes in transparency, accountability, and attaining maximum level of enrichment of the enterprise. HOCL also price the global recognition by ensuring the integrity, value addition to its domestic as also the international customers in its productcommitments.

2. Board of directors:

a. Composition and category of directors:

In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company (as amended from time to time), the number of Directors of the Company shallbe neither less than three nor more than fifteen. The Directors shall not require to hold any qualification shares.

As on 31.03.2024 the Board of HOCL consisted of Six (6) Directors with two (2) Executive Director (i.e. Chairman & Managing Director and Director (Finance), two (2) Government Nominee Directors & two (2) Non-Official Independent Directors. All the Directors are acknowledged as leading professionals in their respective fields. Functional Directors are appointed for a period of five years or till their date of superannuation or further orders from the administrative ministry, whichever is the earliest. Government Nominee Directors are appointed for a period of three years or till further orders from administrative ministry, whichever is earlier. Independent Directors are appointed for a period of three years or until further orders.

HOCL is a Govt. of India Undertaking (a Central Public Sector Undertaking i.e CPSU) under the administrative control of Department of Chemicals & Petrochemicals (DCPC), Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India. Accordingly, as per Company's Articles of Association, the power to appoint all the Directors on the Board of HOCL vest with the Govt. of India.

As on 31.03.2024, there are two (2) Independent Directors on the HOCL Board viz. Dr. Bharat J Kanabar & Shri Pratyush Mandal and Govt. Order is awaited for appointment of 1 Women Independent Director on HOCL Board.

Composition of the Board:-

The composition of the Board during the financial year ended 31st March, 2024 is as follows:

Sl No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Designation (Category)
1	Shri Sajeev B	09344438	Chairman & Managing Director
2	Shri Yogendra Prasad Shukla	09674122	Director (Finance)
3	Shri Manoj Sethi	00301439	Govt. Nominee Director
4	Shri Kanishk Kant Srivastava	09699641	Govt. Nominee Director
5	Dr. Bharat J Kanabar	09466694	Non-official Independent Director
6	Shri Pratyush Mandal	09461918	Non-official Independent Director

Presently, there are two (2) Independent Directors on the Board of the Company as against the minimum requirement of three (3) nos. of Independent Directors on the Company's Board. Accordingly, there is a vacancy of one more Iindependent director in the Board of HOCL Further, there is a vacancy of one-woman Director in the Board of HOCL. Accordingly, the matter regarding vacancy of woman Independent Director on the HOCL Board had been frequently informed to Board and Company had been requesting the DCPC/Administrative to appoint One Woman Independent Director on HOCL Board. The appointment of one (1) Woman Independent Director in HOCLis still awaited.

Changes in the Board of Directors/KMP during the year 2023-24 :

In compliance with Regulation 36(3) of the LODRRs, it may be noted that as per Govt. of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals OM.No.P-51015/12/2014-CHEM.III-CPC dated 22.11.2023, Shri Manoj Sethi, Joint Secretary and Financial Advisor, Ministry of Chemicals & Fertilizers was appointed as Government Nominee Director on the Board of HOCL in place of Shri Sanjay Rastogi, AS&FA.

b. Attendance of each director at the meeting of the board of directors and the last Annual General Meeting:

Directors	No. of Board meetings attended	Attendance at the last AGM
Mr. Sajeev B.	6	YES
Mr. Kanisk Kant Srivastava	5	YES
Dr. Bharat J. Kanabar	6	YES
Mr. Pratyush Mandal	6	YES
Mr. Yogendra Prasad Shukla	6	YES
Mr. Sanjay Rastogi (Till 22.11.2023)	2	NO
Mr. Manoj Sethi (w.e.f 22.11.2023)	2	NA

c. Number of other Board of Directors or Committees in which a Director is a Member or Chairperson as on 31-03-2024:

Title (Mr./ Mrs.)	Name of the Director Category (Chairperson/ Executive/ NonExecutive/independent/ Nominee)	No of Directorship in listed entities including this listed entity	Number of memberships in Audit/Stakeholder Committee(s) including this listed entity (Refer Regulation 26(1)(B) of SEBI LODRR
Mr.	Sajeev B. Chairman & Managing Director	2	1
Mr.	Yogendra Prasad Shukla Director (Finance)	2	0
Mr.	Sanjay Rastogi Govt. Nominee Director (till 22.11.2023)	2	0
Mr.	Kanishk Kant Srivastava Govt. Nominee Director	1	1
Dr.	Bharat J. Kanabar Non-official Independent Director	2	4
Mr.	Pratyush Mandal Non-official Independent Director	1	2
Mr.	Manoj Sethi Govt. Nominee Director (w.e.f 22.11.2023)	2	0

Name of the Director (As on 31.03.2024)	Names of the Listed Entities where the person is a Director and the category of Directorship other than this listed entity
Mr. Sajeev B.	Hindustan Fluorocarbons Limited- Managing Director (Additional Charge)
Mr. Yogendra Prasad Shukla	Hindustan Fluorocarbons Limited- HOCL Nominee Director
Mr. Sanjay Rastogi	Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
Mr. Kanishk Kant Srivastava	None
Dr. Bharat J. Kanabar	Hindustan Fluorocarbons Limited- Independent Director
Mr. Pratyush Mandal	None
Mr. Manoj Sethi	Fertilizers And Chemicals Travancore Ltd. (FACT) – Govt. Nominee Director

d. Number of meetings of the board of directors held during the Year 2023-24 and the dates on which Board Meetings were held: -

Sl No.	Board Meeting no.	Date of Board meeting	Filled Strength	Directors attended the meeting
1.	405	18.05.2023	6	6
2.	406	01.06.2023	6	4
3.	407	08.08.2023	6	6
4.	408	09.11.2023	6	5
5.	409	15.12.2023	6	6
6.	410	09.02.2024	6	6

e. Disclosure of relationships between directors inter-se: Not Applicable

f. Number of shares and convertible instruments held by non-executive directors; - Nil

g. Web link where details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed. –

https://www.hoclindia.com/uploads/userfiles/Familiarization%20of%20Independent%20Directors.pdf

h. Chart or matrix setting out skills/expertise/competence of the Board of Directors:

HOCL is a Government Company and all the Directors viz; Functional Directors, Government Nominee Directors and Independent Directors are appointed by Administrative Ministry, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India in accordance with laid down process for selection of each category of Directors. Accordingly, the skill/ expertise/competence required for the Directors forms part of the Government's selection process of Directors. In view of this, Board of the company is not required to identify core skills/expertise and competencies for Directors.

i. Board of Directors confirm that based on the declaration received, the Independent Director fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.

j. Detailed reasons for the resignation of an Independent Director who resigns before the expiry of his/her tenure along with confirmation by such director that there are no other material reasons other than those provided.

Not Applicable

3. Audit committee:

(a) Composition, Name of Members and Chairperson;

The Audit Committee comprises three (3) Members viz. Dr. Bharat J. Kanabar as Chairperson, Shri Pratyush Mandal and Shri Kanish Kant Srivastava as Members of the Audit Committee.

(b) Brief description of terms of reference;-

The main purpose of the Audit Committee is to provide oversight of the Financial Reporting Process, the Audit Process, to review the Internal Control System and such other functions as specified under Section 177 of the Companies Act, 2013 and Regulation 18 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The terms of reference of Audit committee are in line with the provisions of Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and DPE guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises.

(c) Meetings and attendance **:-** During the year 2023-24 the Audit Committee of the Company met 4 times on the following dates:

17th May, 2023, 07th August, 2023, 07th November, 2023 and 08th February, 2024

Members	No. of Audit Committee Meetings attended
Dr. Bharat J. Kanabar	4
Shri Pratyush Mandal	4
Shri Kanishk Kant Srivastava	4

4. Nomination and Remuneration Committee:

(a) Brief description of terms of reference;

The terms of reference of Nomination and Remuneration committee are in line with the provisions of Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and DPE guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises.

(b) Composition, name of members and chairperson;

Sl No.	Name	Designation
1.	Dr Bharat J Kanabar	Chairperson
2.	Shri Pratyush Mandal	Member
3.	Shri Kanishk Kant Srivastava	Member

(c) Meeting and attendance during the year;

During the year 2023-24 the Committee met on 09th February, 2024

Members	No. of Nomination & Remuneration Committee Meetings attended
Dr. Bharat J. Kanabar	1
Shri Pratyush Mandal	1
Shri Kanishk Kant Srivastava	1

(d) Performance evaluation criteria for independent directors – Not Applicable. HOCL being a Govt. PSU, all the Board of Directors are appointed by the administrative ministry i.e Department of Chemicals and Petro-chemicals, Government of India. The performance evaluation of all the Directors including Independent Directors are done by the administrative ministry and HOCL is not required to conduct annual performance evaluation of Independent Directors.

5. Stakeholders Relationship Committee:

(a) Name of non-executive director heading the committee – Shri Pratyush Mandal

(b) Name and designation of the compliance officer – Shri Subramonian H, Company Secretary. Email Id: cs@hoclindia.com Tel No. 0484 -2727342

(c) Number of shareholder's complaints received during the financial year – Two (2)

(d) Number of complaints not solved to the satisfaction of shareholders – Nil

(e) Number of pending complaints – Nil

5 A. Risk Management Committee: HOCL is not among the 1000 listed companies based on Market Capitalization. Hence, the provisions of risk management committee is not applicable.

5 B. Senior Management:

Particulars of Senior Management including changes therein since the closure of the previous financial year is given below

Sl No.	Name	Designation	Changes if any, since closure of last FY
1.	Shri L. Shanil Lal	ED & Unit-in-charge	NA
2.	Shri P Ravikumar	Chief General Manager (Corporate)	NA
3.	Shri M J Jagadeesh	Chief General Manager (Engg/Prod./HR) & FM	NA
4.	Smt D Sindhu	Chief General Manager (F&S/QC/TSS)	NA
5.	Shri Moinaddin Shaik	General Manager (Corporate)	NA
6.	Shri T K Raju	General Manager (Instrumentation)	NA
7.	Shri B Balachandran	General Manager (Materials/MSS)	NA
8.	Shri P H Zubair	General Manager (Marketing/FPS)	NA
9.	Shri R Rajesh	General Manager (Prod./Proj./CLRP)	NA
10.	Shri Mangesh Shahasane	General Manager (Mechanical/Utilities)	NA
11.	Shri Surendra K Mitharwal	Deputy General Manager (Finance)	NA
12.	Shri Subramonian H	Company Secretary	NA

6. Remuneration of Directors:

(a) All pecuniary relationship or transactions of the non-executive directors vis-à- vis the listed entity; -- Only sitting fee is paid to non-executive directors. Necessary Disclosure relating to payment of Sitting Fees is made in the Annual Report.

(b) Criteria of making payments to non-executive directors. Alternatively, this may be disseminated on the listed entity's website and reference drawn thereto in the Annual Report; -- Only sitting fees for attending the meetings of the Board and Committee are being paid to the non-executive directors.

(c) Disclosures with respect to remuneration: in addition to disclosures required under the Companies Act, 2013, the following disclosures shall be made: -- Yes

i. All elements of remuneration package of individual directors summarized under major groups, such as salary, benefits, bonuses, stock options, pension etc.;

Functional Directors are appointed by the administrative ministry, Government of India. Their remuneration and other terms and conditions are governed by the terms of appointment as decided by the Government. Details of remuneration paid to the Directors for the year ended 31-03-2024 are as follows:

Sl No.	Name of the Directors	Salary including other benefits (Rs. In Lakhs)	Sitting Fees Paid to Independent Directors (Rs. In Lakhs)	Total Amount (Rs. in Lakhs)
1.	Shri Sajeev B., CMD	43.88	N.A	43.88
2.	Shri Yogendra Prasad Shukla, Director (Finance)	35.26	N.A	35.26
3.	Shri Manoj Sethi, JS&FA – Govt. Nominee Director (w.e.f 22.11.2023)	N.A	N.A	Nil
4.	Shri Sanjay Rastogi, AS&FA – Govt. Nominee Director (Till 22-11-2023)	N.A	N.A	Nil
5.	Shri Kanishk Kant Srivastava – Govt. Nominee Director	N.A	N.A	Nil
6.	Dr. Bharat J. Kanabar – Independent Director	N.A	1.30	1.30
7.	Shri Pratyush Mandal – Independent Director	N.A	1.30	1.30

ii. Details of fixed component and performance linked incentives, along with the performance criteria; -- None / Nil

* The Company has not given any stock options.

* Non-executive Directors: The Company does not pay any remuneration to its non- executive Directors except sitting fees for attending the Board/committee meetings.

iii. Service contracts, notice period, severance fees: -

The Executive Directors (Functional Directors) have been appointed by the President of India for a period of five years or till attaining the age of superannuation, whichever is earlier. Their remuneration and other terms and conditions are governed by the terms of appointment as decided by the Government. The appointment may be terminated even during this period by either side on three months' notice or on payment of three months' salary in lieu thereof.

iv. Stock option details, if any and whether issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.- Nil

7. General Body Meetings:

a) Location and time, where last three Annual General Meetings held & details of Special Resolutions passed;

Particulars	FY 2020-2021	FY 2021-2022	FY 2022-2023
Date	29-09-2021	29-09-2022	26-09-2023
Time	3.00 p.m	2.00 p.m	3.30 pm
Venue	Through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM")	Through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM")	Through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual means ("OAVM")
Details of Special Resolution	Nil	Yes	Nil

b) Whether any special resolution passed last year /during the year through postal ballot – During the year company had passed one special resolution through postal ballot.

c) Person who conducted the Postal Ballot Exercise – M/s D.S. Momaya & Co. LLP, Practicing Company Secretaries were the scrutinizer in postal ballot.

d) Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot – As on date company is not proposing to pass any special resolution through postal ballot.

e) Procedure for postal ballot

The Company had availed the services of National Securities Depository Limited [NSDL] for providing remote e-voting facility to the Members for Postal Ballot Process. Further, M/s D.S. Momaya & Co. LLP, Practicing Company Secretaries was appointed as a Scrutinizer. The Postal Ballot period for casting the votes through remote e-voting had commenced from Friday, 9th June, 2023 at 09.00 a.m. (IST) and ended on Saturday, 8th July, 2023 at 05:00 p.m. (IST) both days inclusive. The Scrutinizer had submitted the report on 10th July, 2023. The Results of Postal Ballot were also declared on 10th July, 2023.

8. Means of communication:

(a) Quarterly results;

The quarterly unaudited financial results of the Company are announced within the stipulated time frame. Thereafter, the same is also submitted to the Stock Exchanges through BSE Portal within prescribed time. The financial results are also uploaded in the website of HOCL.

(b) Newspapers wherein Results are normally published;

The financial results are published in one Malayalam newspaper and one English National Daily newspaper.

(c) Any website, where displayed;

The Quarterly, Half-Yearly and Annual Audited Financial Results are regularly posted by the Company on its website at www.hoclindia.com

(d) Whether it also displays official news releases; -- No

(e) Presentations made to institutional investors or to the analysts. – NA

9. General shareholder information:

(a) 63 rd Annual General Meeting (AGM) of the Company – Date & Time: Wednesday, 25 th September, 2024 at 03:30 PM. Venue : Through Video Conference

(b) Financial year

The Company follows April - March as its Financial Year.

(c) Dividend payment date**-** Not applicable, in view of the continuous losses during the previous years as well as carry forward of the accumulated losses of the previous years, the Board of Directors do not recommend any Dividend for the year under review.

(d) the name and address of each stock exchange(s) at which the listed entity's securities are listed and a confirmation about payment of annual listing fee to stock exchange;:

Company's shares are listed in Bombay Stock Exchange Ltd. [BSE]. Company has paid Annual Listing fees to stock exchange up to the financial year 2024-25.

(e) Stock /script code; Scrip Code at BSE : 500449

ISIN of HOCL Equity Shares at NSDL & CDSL: INE048A01011

(f) Market price data**-** high, low (at BSE) during each month in last financial year; (2023-24)

Month	Monthly Highest	Monthly Lowest
April, 2023	28.20	22.37
May, 2023	28.60	25.25
June, 2023	28.80	21.20
July, 2023	29.20	26.80
August, 2023	32.80	28.00
September, 2023	35.10	30.01
October, 2023	38.90	30.85
November, 2023	36.60	32.51
December, 2023	57.09	33.77
January, 2024	65.95	50.06
February, 2024	63.00	47.25
March, 2024	51.50	38.95

(g) Performance in comparison to broad-based indices such as BSE sensex

HOCL equity shares are listed in BSE Limited only. During the year 2023-24, the price of the equity shares of the Company opened at Rs.22.37 on 03.04.2023 and closed at Rs.39.26 on 29.03.2024 in BSE thereby recording an increase by 43%.

(h) In case the securities are suspended from trading, the directors reportshall explain the reason thereof; N.A

(i) Registrar to an issue and Share Transfer Agent;

M/s. Big Share Services Pvt. Ltd. Office No.S-6, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East) Mumbai – 400093

(j) Share transfer system;

In terms of Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, transfer of securities held in physical mode has been discontinued w.e.f. April 01, 2019. The Shares of HOCL are compulsorily traded in Demat form. All requests for transmission of shares received are processed by the Share Transfer Agent. The Company's Share Transfer Committee is authorized to approve the transfer securities as and when they are received from the company's Registrar and Transfer Agents [viz. RTAs]. All the correspondence with the shareholders and investors are duly carried out on behalf of the company by the company's RTAs.

(k) Distribution of shareholding as on Date: 30.03.2024

Shareholding of Nominal		No. of Shareholders	Percentage of Total	Share Amount	Percentage of Total
Rs.	Rs.			Rs.	
1	5000	48392	89.08	61865160	9.20
5001	10000	2947	5.43	25134830	3.74
10001	20000	1451	2.67	22752120	3.39
20001	30000	453	0.83	11822410	1.76
30001	40000	201	0.37	7358970	1.09
40001	50000	262	0.48	12654530	1.88
50001	100000	338	0.62	25896370	3.85
100001 & above		275	0.50	504246610	75.06
TOTAL		54319	100.00	671731000	100

During the financial year 2023-24, equity shares of HOCL is traded in Bombay Stock Exchange (BSE). Based on market capitalization as on 31.03.2024, HOCL is among top 2000 listed companies.

(l) Dematerialization of shares and liquidity:

The equity shares of HOCL are compulsorily traded in dematerialized mode. To facilitate the shareholders to dematerialize the shares, the Company has signed agreements with both the depositories i.e. National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depositories Services (India) Ltd (CDSL). As on 30th March 2024, 97.12% of the share capital of the Company is in dematerialized form (i.e NSDL – 18.24% and CDSL – 78.88%). Out of total 54319 shareholders, 39214 shareholders are holding shares in Demat mode and remaining 15105 are in physical form.

(m) Outstanding global depository receipts or American depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity:- Nil/None.

(n) Commodity price risk or foreign exchange risk and hedging activities:- Nil/None

(o) Plant locations: HOCL has only one plant located in Kochi.

Sr. No.	Location	Main Product
1.	Ambalamugal, Kochi, Kerala	Phenol Complex

(p) Address for correspondence: -

i. **Registered & Corporate Office**: Ambalamugal PO, Ernakulam District, Kerala- 682 302

ii. R&T Agents address :

M/s. Big Share Services Pvt. Ltd. Office No. S6 – 2 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai 400093, Maharashtra.

(q) List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilization of funds, whether in India or abroad- N.A.

10. Other Disclosures:

a) During the year 2023-24 company has not entered into any materially significant related party transactions that may have potential conflict of interest with company at large.

b) During the year 2023-24, the BSE Limited has imposed penalty for non-compliance of Regulations 17(1) of SEBI (LODR) Regulations 2015 relating to non-availability of adequate number of Independent Directors including Woman Director. The Board of Directors of HOCL are appointed by the administrative ministry i.e Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petr-chemicals, Government of India. Accordingly, power to appoint Directors are beyond the control of the Company. Company has requested the Stock exchange to waive off the fine. The matter is regularly placed before the Board meeting which noted the same and advised to request the administrative ministry for filling the vacant post of Independent Directors. Once the administrative ministry appoints the Independent Director, HOCL shall comply with the SEBI (LODR) Regulations 2015 relating with composition of the Board.

c) Vigil Mechanism - Whistle blower policy:

The Company has instituted procedures for the receipt, retention and dealing with complaints. HOCL has put in place a fraud prevention policy. As a part of compliancewith the policy, Company has appointed nodal officers. The fraud prevention policy has been framed to provide a system for detection and prevention of fraud, reporting of any fraud that is detected or suspected and for dealing in matters pertaining to fraud. During the year under review, no such case was reported.

In addition, your Company has Vigilance Department (as per CVC guidelines) to bring greater transparency, integrity and efficiency. The focus of Vigilance department is on Preventive and Participative Vigilance. Company has formulated whistle blower policy/vigil mechanism and the same is available in the website of company at https://www.hoclindia.com/uploads/userfiles/HOCL%20Whistle%20Blower%20Policy.pdf . No person has been denied access to the Audit Committee.

d) Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non- mandatory requirements;- Company has complied with all the mandatory requirements except requirement of one (1) Women Independent Director on the Board as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

e) Web link where policy for determining 'material' subsidiaries is disclosed: https://www.hoclindia.com/corporate-governance

f) Web link where policy on dealing with related party transaction: https://www.hoclindia.com/corporate-governance

g) Company neither has commodity price risk nor is involved in commodity hedging activities.

h) Details of utilization of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A) – Not Applicable

i) A Certificate from a Company Secretary in Practice that none of the directors on the board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority forms part of the Annual report.

j) All the recommendations made by the sub-committees of the Board have been accepted by the Board of Directors.

k) The details of statutory audit fee and expenses as per the financial statements for the year 2023-24 is given below.

Particulars	Amount (Rs. In lakhs)
Statutory Audit Fee	4.60

l) Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

a. No. of complaints filed during FY: Nil

b. No. of complaints disposed of during FY: Nil

c. No. of complaints pending as on end of the FY: Nil

m) Disclosure related to loan to subsidiary company:

Name of Subsidiary company	Amount of Loan Rs. In lakhs (As on 31.03.2024)
Hindustan Fluorocarbons Limited	4272.13

n) HOCL has one (1) subsidiary namely; Hindustan Fluorocarbons Limited [HFL]. HFL was incorporated on 14th July, 1983. The registered office of HFL is situated in Hyderabad, Telangana state. As the decision of Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), Govt. of India, HFL is under the process of closure. Comptroller and Auditor General of India vide letter dated 21.09.2023 had appointed M/s. A V Ratnam & Co. as the statutory auditors of HFL for the financial year 2023-24.

11. Non-compliance of any requirement of corporate governance report of sub-paras (2) to (10) above, with reasons thereof shall be disclosed. -

There is a vacancy of one (1) women Independent Director in HOCL. Accordingly, in pursuance to Schedule V of the SEBI (LODR) Regulations 2015, we report non-compliance to Regulation 17(1) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for the financial year 2023-24.

Being a PSU, appointment of adequate number of Directors including Independent Directors on the Board of the Company is to be done by the administrative ministry. Company has requested the administrative ministry to appoint one (1) women Independent Director and Company is awaiting necessary Govt. Orders in this regard. appointing One (1) Independent Director on the Board of HOCL.

12. The Corporate Governance Report shall also disclose the extent to which the discretionary requirements as specified in Part E of Schedule II have been adopted.

Following are the requirements as specified in Part E of Schedule II:

A. The Board

A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties. – In the case of HOCL, Government has appointed executive director as Chairperson/Chairman of the Company.

B. Shareholder Rights.

A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders. The half yearly financial performance is placed on the website of HOCL and the same is also submitted to BSE for the information of public at large. Further, the results are also published in newspapers.

C. Modified opinion(s) in audit report

The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion. – Statutory Auditors have given Unmodified Opinion for FY 2023-24.

D. Separate posts of chairperson and Managing Director or the Chief Executive Officer

In view of the fact that, the power to appoint all the Director on the Board of the company vests with the GOI/President of India as per Company's Articles of Association, in the case of HOCL Govt. has appointed Chairman & Managing Director.

E. Reporting of Internal Auditor

The internal auditor may report directly to the audit committee. - Yes.

13. Disclosures of the compliance with corporate governance requirements specified in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of regulation 46 of the Listing Regulations.

Except those Non-Compliances as observed in the Corporate Governance certificate and in Secretarial Audit Report, the Company has complied with Corporate Governance Requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulations 46 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

14. Disclosure with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account

Not Applicable for the FY 2023-24

15. Disclosure of certain types of agreements binding listed entities

Not Applicable for the FY 2023-24

16. Secretarial Audit Report:

The Board has appointed M/s. J K Das & Associates, Practising Company Secretary to conduct Secretarial Audit for the FY 2023-2024. The Secretarial Audit Report for the Financial Year ended March 31, 2024 is annexed to Director Report and complied with Section 204 of Companies Act and Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The reply to observation by the Secretarial Auditor forms part of the Directors Report.

17. Compliance of DPE Guidelines on Corporate Governance for the CPSEs Company (HOCL) being a CPSU is required to comply the Department of Public Enterprise (DPE) set out guidelines on Corporate Governance.

The quarterly self-evaluation reports are being submitted in online portal of Department of Public Enterprises (DPE).

18. Separate Meeting of Independent Directors:

During the FY 2023-24 separate meeting of Independent Directors was held on 09th February, 2024 without presence of Executive Directors. Independent Directors expressed overall satisfaction regarding quality, quantity and timeliness of flow of information between management and Board of Directors.

19. CSR & Sustainability Development Committee:

CSR & Sustainability Development Committee is not applicable for the HOCL for the FY 2023-24. However, Board has constituted CSR committee comprising three (3) Directors as members namely; Shri Pratyush Mandal, Independent Director as Chairman, Dr. Bharat J. Kanabar, Independent Director as Member, and Shri Sajeev B., CMD as another member along with the Company Secretary acting as the Secretary of the Committee. The terms of reference of the said CSR Committee included among others, is as per Section 135 of the Companies Act, 2013 and Rules 2014 thereunder, along with Schedule VII, etc.

20. CEO/CFO certification for Financial Year ending on 31st March, 2024.

In compliance with Regulation 17 (8), 33 (2) (a) read with schedule II Part B of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015 we, certify that:

A. We have reviewed, audited financial statements/financial results and the cash flow statement for the year ended 31st March, 2024 pertaining to Hindustan Organic Chemicals Limited and that to the best of our knowledge and belief:

(1) these statements do not contain any false or materially untrue statement or misleading statements or figures and do not omit any material fact or contain statements that might be misleading;

(2) these statements together present a true and fair view of the listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the listed entity during the year ended 31st March, 2024 which are fraudulent, illegal or violative of the listed entity's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the listed entity pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies

D. We have indicated to the auditors and the Audit committee

(1) that there are no significant changes in internal control over financial reporting during the year 2023-24;

(2) that there are no significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and

(3) That no instances of significant fraud of which they have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the listed entity's internal control system over financial reporting.

Place: Kochi, Kerala	**Sd/-**	**Sd/-**
Date: 31.03.2024	**Yogendra Prasad Shukla** **Director (Finance) & Chief Financial Officer**	**Sajeev B.** **Chairman and Managing Director**

21. Prevention of Insider Trading:

The Company has adopted a Code of Conduct for prevention of Insider Trading with a view to regulate trading in securities by the Directors and designated employees of the Company. The Code requires pre-clearance for dealing in the Company's shares and prohibits the purchase or sale of Company shares by the Directors and designated employees while in possession of unpublished price sensitive information in relation to the Company and during the period when the Trading Window is closed. The Company Secretary of the company is responsible for implementation of the Code. All Board Directors and the designated employees have confirmed compliance with the Code.

22. Disclosure of Accounting Treatment:

Financial statements have been prepared in accordance with prescribed Accounting Standards. No alternative treatment has been carried our in preparing the financial statements.

23. Management Discussion & Analysis Report:

Management discussion & Analysis Report is annexed to the Directors' Report which forms part of this Annual Report.

For Hindustan Organic Chemicals Limited

Sd/-
Subramonian H
Company Secretary & Compliance Officer

Date : 09.08.2024
Place: Kochi, Kerala

Annexure II

Form AOC-I

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries or associate companies/Joint Ventures

Part "A": Subsidiaries

Rs. In Lakhs

1. Sl. No.:	1
2. Name of Subsidiary	Hindustan Fluorocarbons Ltd.
3. Date since when the subsidiary was acquired	1983
4. Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period:	No
5. Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries:	Not Applicable
6. Share Capital:	1,961.46
7. Reserves & Surplus (Other Equity)	(10,231.07)
8. Total Assets:	6,346.60
9. Total Liabilities:	14,634.21
10. Investment:	NIL
11. Turnover	0
12. Profit before tax:	122.72
13. Provision for tax:	NIL
14. Profit after tax:	122.72
15. Proposed Dividend:	Nil
16. % of shareholdings:	56.43
Name of subsidiary which are yet to commence operation	None
Name of subsidiaries which have been liquidated or sold or ceased as subsidiary during the year	None

Part "B": Associates & Joint Ventures: Not Applicable

For and on behalf of the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited

Sd/-
Date: 09.08.2024 **Sajeev B**
Place: Kochi, Kerala **Chairman and Managing Director**

Annexure III

Form No. AOC-2

[Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014]

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arm's length transactions under third proviso thereto:

1. **Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:**

   There were no contracts or arrangements or transactions entered into during the year ended 31st March, 2024 which were not on arm's length basis.

2. **Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis:**

   There were no related party transactions during the year under review. However, in accordance with Ind AS 24, the disclosure relating to transactions with Government and other Government controlled entities have been reported in Note. No.36 of accounts.

For and on behalf of the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited

Sd/-
Date: 09.08.2024 **Sajeev B**
Place: Kochi, Kerala **Chairman and Managing Director**

Annexure – IV

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

The Management of Hindustan Organic Chemicals ltd (HOCL) presents its Analysis Report covering the Performance and Outlook of the Company. The Report contains business prospects and perspectives based on the current environment and strategic options to steer the Company through unforeseen and uncontrollable external factors.

HOCL Kochi Unit is having Integrated Management System Certification comprising ISO 9001:2015 (Quality Management system), ISO 14001:2015 (Environment Management System), ISO 45001:2018 (Occupational Health and Saftey Management system) and ISO 50001:2018. All the products of HOCL are certified by BIS.

1. INDUSTRY STRUCTURE AND DEVELOPMENTS

India is the sixth largest producer of chemicals in the world and third in Asia contributing 7% of India's GDP. India's chemical sector, is anticipated to grow to US$ 300 billion by 2025 and US$ 1 trillion by 2040. The demand for chemicals is expected to expand by 9% per annum by 2025. The Indian chemical industry is expected to further grow with a CAGR of 11-12% by 2027, increasing India's share in the global specialty chemicals market to 4% from 3%. A 2034 vision for the chemicals and petrochemicals sector has been set up by the government to explore opportunities to improve domestic production, reduce imports and attract investments in the sector.

Overall the future outlook for the industry looks optimistic and your company commits to create value for the member's overtime with greater efficiency in Company's operations.

2. KEY OPPORTUNITIES

Capacity utilization of main products (Phenol and Acetone) of Kochi Unit has improved substantially after restructuring. This was mainly due to improved working capital position. The operating loss has been reduced due to improved working capital position and reduced interest expenditure, after the initiation of the restructuring process.

3. KEY THREATS INCLUDE

HOCL has only one unit at Ambalamugal, in the District Ernakulam in the state of Kerala, which is functioning at present. Kochi unit is engaged in manufacturing of Phenol, Acetone, and Hydrogen Peroxide. The market for main products at Kochi had high degree of volatility and was largely determined by international prices. Due to severe working capital deficiency, the Unit often worked below its capacity. There is severe competition in the horizon with private sector players set to establish capacities up to 2 lakh MT of Phenol against 40000 MT that the Unit had. Without anti-dumping duties, HOL Kochi unit will be unable to compete against imports. Kochi unit has its own inherent deficiencies such as outdated technology leading to productivity loss, high levels of fixed cost which is not being absorbed due to lower scale of operations, constraints in capacity expansion, absence of product diversification, lack of market competitiveness, etc.

Company's products such as Phenol, Acetone and Hydrogen Peroxide which satisfies the requirements of key customers who procure multiple products. Your Company's products cater to wide range of end- use sectors such as dyes & pigments, agrochemicals, pharmaceuticals companies. This assists the organization in obtaining new clients and addressing huge spectrum of their demands.

3. SEGMENTWISE PERFORMANCE

The Company is primarily in the business of manufacture and sale of chemicals.

Product Segment	Year ended 31/03/2024			Year ended 31/03/2023		
	Target MT	Actual MT	Percentage Achieved	Target MT	Actual MT	Percentage Achieved
Chemicals	75090	87710	116	75090	70979	95

4. PRODUCT WISE PERFORMANCE (Main Products)

Sr. No.	Name of Product	F.Y. 2023-24		F.Y. 2022-23
		Installed Capacity	Actual	Actual
1	Phenol	40000	47518	37350
2	Acetone	24640	29613	23306
3	Hydrogen Peroxide	10450	10579	10323
	TOTAL	**75090**	87710	**70979**

5. OUTLOOK FOR THE NEXT YEAR

- Expedition of the land sale process so as to reduce the financial liabilities and thus bring down the finance costs.
- Upgrade to the latest technology so as to improve productivity;
- Explore the diversification into value added products to maximum extent possible so as to gain some level of protection against swings in the market prices.
- Your Company will continue to be vigilant and will capitalize on the opportunities that arise as a result of swift transformation in the industry landscape.
- Explore initiatives towards reducing carbon emissions for a carbon neutral future.

6. SOME RISKS & CONCERNS.

- Lack of product diversification or downstream value addition
- Competition from cheaper Imports of main product Phenol and Acetone.
- Volatility in raw material feed stock prices based on fluctuations in crude prices.
- Inability to pass on the increase in raw material cost to the consumers due to availability of imported finished product at cheaper prices.
- Huge investments requirements to revamp/replacement/modernization of the old plants.
- Sale of balance unencumbered land at Rasayani / Panvel after receipt of NOC from Government of Maharashtra.
- Availability of working capital from Banks for continuous operation of the Plants at Kochi.

7. INTERNAL CONTROL SYSTEMS & THE ADEQUACY

Internal controls are supported by Internal Audit and Management Reviews. Company ensures existence of adequate internal control through documented policy and procedures to be followed by the executives at various levels. The Management is keen on these issues and initiated various measures such as upgrading IT infrastructure, evaluating & implementing Tally ERP software, web-based application and establishing connectivity amongst manufacturing units and branch offices for effective & proactive services and business benefits.

With the objective of improving the systems and removing bottlenecks, systems review is carried out and policies and procedure manuals are amended. HOCL Kochi unit is having ISO 9001:2015 (Quality Management System) and ISO 14001:2015 (Environmental Management System) certification. Your Company has Corporate Governance structure that govern its operations and the management team follows sound financial policies as well as processes and systems.

8. REVIEW OF FINANCIAL & OPERATIONAL PERFORMANCE:

As per accounts of FY 2023-24, your Company has incurred a net loss of Rs.55.31 Crore (before tax) as against net loss incurred during the previous FY 2022-23 of Rs.50.22 Crore. EBIT (Earnings before Interest and Tax) for the current FY 2022-23 stands at Rs.14.26 Crore.

Phenol plant and Hydrogen Peroxide plant at Kochi achieved 119% and 101% capacity utilization during year ended 31st March 2024 as against 93% and 99% during the corresponding previous year ended 31st March 2023.

9. INFORMATION TECHNOLOGY

Company has effective information systems for core business areas. However, company has envisaged a plan to meet changing demands keeping in view the technological changes and the way information & communication technology offering innovative services suiting to every business need. The core business functions are performed using Tally Prime ERP system. The integration of different modules of the ERP system resulted in better functioning, timely and smooth completion of our business process and transactions. Management ensures continual effort in the ever-changing technological environment, for improving and meeting with requirement like data security, information availability, transparency and accuracy. The IT infrastructure of the company is audited by CERT-In empaneled audit authority to ensure the compliance with IT policies & standards. Company is using open tendering/e-Tendering solution being provided by National Informatics Centre (NIC). Company has also registered with GEM Government platforms for procurement and TREDs for payment to MSMEs. Company is also following various guidelines of procurement through MSME's.

10. OTHER INFORMATIONS:

The details regarding Human Resources, Industry relations, CSR activities, Environment protection, technology absorption, energy conservation etc. are provided in the Directors Report.

11. CAUTIONARY STATEMENT

Statement in this Management Discussion and Analysis describing the Company's objectives, projections, estimates and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. Actual results might differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the Company's operations include a downtrend in the chemical industry - global or domestic or both, significant changes in political and economic environment in India or key markets abroad, tax laws, litigation, manpower cost, exchange rate fluctuations, interest and other costs.

For and on behalf of the Board of Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited

Sd/-
Sajeev B
Chairman and Managing Director

Date: 09.08.2024
Place: Kochi, Kerala

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE

To,
The Members
Hindustan Organic Chemicals Limited,
Ambalamugal PO
Kunnathunad, Ernakulam
Kerala, India, 682302

1. We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by **Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN: L99999KL1960GOI082753)** for the financial year ended March 31, 2024, for the purpose of certifying compliance of the conditions of Corporate Governance under SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (the **"Listing Regulations"**). We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of certification.
2. The Compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance.
3. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness and contents of the secretarial records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we have followed, provided a reasonable basis for our opinion.
4. Our examination was limited and examining the procedures and implementation process adopted by the company for ensuring compliances of the conditions of the corporate governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

Opinion

5. Based on our examination of relevant records made available to us and according to the information and explanations provided by the management we certify that the Company has complied with all the requirements of Corporate Governance under SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015, for the financial year ended on 31st March 2024 save and except the following:
   I. The Board of Directors of the Company was not comprised with optimum combination of functional, nominee and independent directors as the position of 1 (One) independent Woman Director on the Board of the company was vacant during the period under review.
   II. The company is not in proper compliances with Regulation 18(1)(C) of the SEBI LODRR, as the Audit committee does not have at least one member having accounting or related financial management expertise.
6. The Company, being a public sector undertaking, the authority of appointment of all Directors including Independent Directors on the Board is with the concerned Administrative Ministry i.e Ministry of Chemicals & Fertilizers, Department of Chemicals & Petro-chemicals, Government of India. The Company has sent several letters to the Administrative Ministry requesting appointment of one (1) Women Independent Director on its Board and directions about such appointments are awaited.
7. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which management has conducted the affairs of the company.

For P. Dhanya & Associates

CS Dhanya T P
FCS No. 10883, CP No. 15006
UDIN: F010883F000658475

Date: 03-07-2024
Place: Kochi

COMPLIANCE CERTIFICATE OF CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES ISSUED BY DEPARTMENT OF PUBLIC SECTOR ENTERPRISES

To,

The Members of Hindustan Organic Chemicals Limited

We have examined the compliance of the conditions of Corporate Governance by Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN: L99999KL1960GOI082753) for the financial year ended March 31, 2024, as stipulated in Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010, issued by the Department of Public Enterprises, Government of India.

The Compliance of conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guidelines is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the procedures and implementation thereof adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the Financial Statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 issued by the Department of Public Sector Enterprises except –

1. Clause 1.1.(i)- The Board of Directors of the Company was not comprised with optimum combination of functional, nominee and independent directors as the position of 1 (One) independent Woman Director on the Board of the company was vacant during the period under review;
2. Clause 1.2.(ii)- The Board of Directors of the Company did not comprise of optimum number of independent directors as the position of 1 (One) Independent Woman Director on the Board of the company was vacant during the period under review;
3. Clause 1.7.(i)- The Company did not have any risk management plan approved by its Board of Directors since Regulation 21 as per SEBI LODR Regulations, 2015 is not applicable to the Company;
4. Clause 1.7.(ii)- The Board of Directors of the Company did not periodically review any risk management plan as there was no approved risk management plan in the place during the period under review and neither Regulation 21 as per SEBI L0DR Regulations, 2015 is not applicable to the Company;
5. Clause 2.1.(iv)- Audit Committee of the Company did not comprise of financially literate members. Also, none of the members of the committee has an expertise in accounting and financial management;

As informed by the Management, the Company being a Central Public Sector Undertaking (Government Company), all the powers regarding appointment and terms of the Directors are exercised by the Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India. The Company had taken up the matter with the concerned Ministry for appointment of One (1) Independent Woman Director on its Board. However, such appointment is still awaited. Further, the audit committee members have the ability to read and understand basic financial procedures and statements.

We further state that such compliances are neither an assurance as to the future viability of the Company nor its efficiency and effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For P. Dhanya & Associates

CS Dhanya T P
FCS No. 10883, CP No. 15006
UDIN:F010883F000234579

Date: 25-04-2024
Place: Kochi

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To

The Member of

Hindustan Organic Chemicals Limited

Ambalamugal PO, Ernakulam, Ambalamugal,

Ernakulam, Kunnathunad, Kerala - 682302

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN: L99999KL1960GOI082753) (hereinafter referred to as 'the Company) and having registered Office at Ambalamugal PO, Ernakulam, Ambalamugal, Ernakulam, Kunnathunad, Kerala - 682302, produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company & its Officers, we hereby certify that none of the Directors of the Company as stated below for the Financial Year ended March 31, 2024 have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority:

Sr. no	Name of the Director	DIN	Designation	Date of appointment	Status of DIN
1	SAJEEV BHASKARAN	09344438	Managing Director	06/09/2021	Approved
2	YOGENDRA PRASAD SHUKLA	09674122	Director	04/07/2022	Approved
3	PRATYUSH MANDAL	09461918	Director	24/12/2021	Approved
4	BHARATKUMAR JASHVANTRAI KANABAR	09466694	Director	24/12/2021	Approved
5	KANISHK KANT SRIVASTAVA	09699641	Nominee Director	30/03/2022	Approved
6	MANOJ SETHI	00301439	Nominee Director	22/11/2023	Approved

Ensuring the eligibility of each Director for their appointment / continuity on the Board is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Company.

Date: 16th July, 2024
Place: Tripunithura
UDIN: F012792F000754271

For **M/s. MOHANS & Associates**
Company Secretaries

MALATHY NARAYANANKUTTY
Partner
FCS No : 12792 CP No. : 23062

Form No.-MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the Financial Year ended 31st March, 2024
[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

The Members
M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited
(CIN: L99999KL1960GOI082753)
Ambalamugal PO, Ernakulam, Ambalamugal,
Ernakulam, Kunnathunad,
Kerala, India, 682302

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited (CIN: L99999KL1960GOI082753) (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in accordance to the CSAS-4-Auditing Standard on Secretarial Audit issued by the Institute of Company Secretaries of India (the ICSI) that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

We note that Department of Chemical & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers, Government of India vide File No.P.51015/06/2019-Ch. III (Vo.II) dated 29th January, 2020 has directed the Company for closure of Hindustan Fluorocarbons Limited which is the Subsidiary of the Company.

Based on my verification of HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarification given to me and the representation made by the management, We hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2024, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED for the financial year ended on 31st March, 2024, according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made there under;

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the Rules made there under;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under;

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings; **Not applicable to the Company during the financial year under review;**

(v) The Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act')

  (i) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading Regulations) 2015,

  (ii) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

  (iii) The Securities and Exchange Board of India (Issue Of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (upto 10th November, 2018) and Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018(with effect from 11th November,2018)-**Not applicable as there was no reportable event during the financial year under review;**

  (iv) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Regulation ,1999- **Not Applicable as the Company has not issued any Share/Options during the period under review;**

  (v) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008- **Not Applicable as the Company has not issued any debt securities during the period under review;**

  (vi) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;

(vii) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009- **Not Applicable as the Company has not delisted its equity share from stock exchange during the period under review;** and

(viii) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998(upto 10th September 2018) and The Securities Exchange Board of India(Buyback of Securities) Regulations, 2018 (from 11th September 2018)- **Not Applicable as the Company has not bought back any of its securities during the period under review;**

(vi) The Management has informed that the following Laws are specifically applicable to the Company

a. Petroleum Act, 1934 and Rules,2002;

b. Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (Amendment) Rules, 2000;

c. The Hazardous Waste (Management, Handling and Trans boundary Movement) Rules, 2008;

d. Inflammable Substance Act, 1952;

e. Dangerous Machines (Regulation) Act 1983

f. Guidelines on Corporate Governance for central Public Sector Enterprises,2010;

g. The Factories Act, 1948 and Kerala Factories Rules 1957;

h. Industrial Dispute Act, 1947

i. The Sexual Harassment Of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

(ii) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulation 2015 and Listing Agreements entered into by the Company with BSE Limited.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules Regulations, Guidelines, Standards, etc., mentioned above.

We further report that, the Company has filed the forms and returns with Ministry of Corporate Affairs/ Register of Company under Companies Act 2013 or other authorities under other applicable laws within the prescribed time.

We further report that, the Board of Directors of the Company was not duly constituted as the Company does not have requisite number of Independent Directors on its Board. It was observed that during the period under review from 01-04-2023 to 31-03-2024 Company has a vacancy of one (1) Independent Woman Director on its Board. The Company, being a Public Sector Undertaking, such appointment of adequate number of Directors/ Independent Directors on the Board of the Company is to be done by the Administrative Ministry i.e Ministry of Chemicals & Fertilizers. Requests have also been made by the Company to the Administrative Ministry during the period under review; however, the Ministry is yet to appoint the requisite Independent Woman Director. Other changes in the composition of the Board of Directors with respect to the appointment of directors, which took place during the period under review for complying with the requirement having six(6) directors, as the Company is within the top 2000 Market Capital Companies, were carried out in compliance with the provisions of the Act and rules made thereunder.

We further report that the Company, with effect from 29.11.2023, has maintained Structured Digital Database software (hereinafter referred to as "SDD" or the Database) as required under Regulation 3(5) & 3(6) of PIT Regulations, 2015 to record Unpublished Price Sensitive Information (UPSI).

We further report that, the compliance by the Company of applicable financial laws such as Direct and Indirect Tax Laws and maintenance of financial record and books of accounts have not been reviewed in this audit since the same have been subject to review by Statutory Financial Auditors, CAG Auditors, Tax Auditors, Internal Auditors, Cost Auditors, and other designated professionals.

We further report that, the company has complied with all the committee meeting compliances and all the committee meeting were duly held during the year as required under the law.

We further report that, the company has filed various disclosures as applicable with Bombay Stock Exchange (BSE).

We further report that, based on the review of compliance mechanism established by the Company and on the basis of the Compliance Certificates issued by the Company Secretary/ the Chairman and Managing Director and taken on record by the Board of Directors at their meetings, we are of the opinion that there are adequate system and processes in the Company to commensurate with the size and operations of the Company and to monitor and ensure compliance with the size and operation of the Company and to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines

We further report that during the audit period;

(i) No event has occurred which has a major bearing on the Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc.

(ii) During the year, there were no other instances of

a) Public / Right / Preferential issue of shares / debentures /sweat equity, etc

b) Redemption / buy-back of securities

c) Merger / amalgamation / reconstruction, etc.

d) Foreign technical collaborations.

This report is to be read with our letter of event date which is annexed as Annexure hereto and forms part to this report.

(CS J.K. Das)
C. P. No. 4250
Membership No. FCS 7268
M/s J.K. Das & Associates,
Company Secretaries
UDIN: F007268F000346191
Peer Review Certificate No.1748/2022

Place: Kolkata
Date: 10/05/2024

ANNEXURE TO THE SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,
The Members
M/s. Hindustan Organic Chemicals Limited

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended 31st March, 2024 is to be read along with

This letter.

Management's Responsibility:

The responsibilities of the management of the Company are as under:

1. It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility:

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standard and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

3. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.

4. Wherever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of aforesaid Laws, Rules, Regulations, Standards, Guidelines and happening of events etc.

5. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Account of the Company or examined any books, information or statements other than Books and Papers.

6. We have not examined any other specific laws except as mentioned above

Disclaimer

7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

(CS J.K. Das)
C. P. No. 4250
Membership No. FCS 7268
M/s J.K. Das & Associates,
Company Secretaries
UDIN: F007268F000346191
Peer Review Certificate No.1748/2022

Place: Kolkata
Date: 10/05/2024

Financial Statement's and Auditor's Report 2023-24

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The Members of Hindustan Organic Chemicals Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Qualified Opinion

1. We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED ("the Company") which Comprises the Balance Sheet as at March 31, 2024, the Statement of Profit and Loss, including the statement of Other Comprehensive Income, the Cash Flow Statement and the Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the Standalone Financial Statements, including material accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Standalone Financial Statements").

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our Report, the aforesaid Standalone Financial Statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards ('Ind AS') specified under Section 133 of the Act read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2024, and its profit (including other comprehensive income), its cash flows and the changes in equity for the year ended on that date.

Basis for Qualified Opinion

3. We draw attention to note no. 11 of the accompanying Standalone Financial Statements regarding the waiver of interest chargeable on loans amounting to Rs. 453.01 lakhs advanced to its subsidiary. As per the provisions of Section 186(7) of the Companies Act, 2013, no loan shall be given at a rate of interest lower than the prevailing yield of one year, three-year, five year or ten-year Government Security closest to the tenor of the loan. In our opinion, the Company has violated the provisions of section 186(7) of the Companies Act, 2013.

   Had the impact of the above qualification been considered, as of 31st March 2024, 'Interest Receivables from Related Parties' under 'Other Financial Assets' would have increased by Rs. 57.26 lakhs, 'Statutory Receivables - Duties & Taxes, Prepaid Taxes' under 'Other Current Assets' would have increased by Rs. 6.36 lakhs, shareholder funds would have increased by Rs. 63.62 lakhs, and for the year ended on that date, 'Interest Income on Loan to Subsidiary Company' and net income would have increased by Rs. 63.62 lakhs.

4. We conducted our audit of the Standalone Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI") together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements under the provisions of the Act and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Standalone Financial Statements.

Material Uncertainty Related to Going Concern

5. We draw attention to Note No. 42 of the accompanying Standalone Financial Statements. During the year, the Company has reported a net profit, including other comprehensive income, of Rs. 388.00 lakhs (previous year net loss, including other comprehensive income, of Rs. 4,239.63 lakhs). Also, the Company has accumulated losses amounting to Rs. 1,07,999.21 lakhs (previous year Rs. 1,07,136.93 lakhs) with a negative net worth of Rs. 96,433.68 lakhs (previous year Rs. 95,571.40 lakhs), excluding other comprehensive income. The Company has a balance under current assets, cash and cash equivalents, and other bank balances amounting to Rs. 22,642.08 lakhs (previous year Rs. 16,730.48 lakhs) as at year-end.

   Further, we are informed that the Company, with the approval of the Government of India, is in the process of divesting and selling off its loss-making unit at Rasayani, Mumbai, which includes assets with a carrying amount of Rs. 94,550.32 lakhs, including 517.819 acres of land owned by the unit. This process is expected to generate sufficient cash flow for the Company. The Kochi unit of the Company is operational, and the Company is currently in the process of implementing the restructuring plan approved by the Central Government. Consequently, the Standalone Financial Statements have been prepared on a going concern basis.

Our conclusion remains unmodified in this regard.

Key Audit Matters

6. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements for the financial year ended March 31, 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

7. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's responsibilities for the audit of the Standalone Financial Statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements. The Statements of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying Standalone Financial Statements.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit?
Revenue recognition – Discounts, incentives and rebates See Notes 2.2 (a) the Standalone Financial Statements	
• The measurement of revenue, considering discounts, incentives, and rebates provided to customers, is a critical aspect of our audit. • The Company's extensive presence in diverse marketing regions and the dynamic nature of the competitive business environment contribute to the complexity and judgment involved in assessing various types of discounts, incentives, and rebates. • Consequently, there is an inherent risk of revenue misstatement due to potential variations in the evaluation of these elements. • Given the intricate nature and reliance on judgment in assessing provisions for discounts, incentives, and rebates, this constitutes a key audit matter.	Our audit procedures, among others included: • We have assessed the Company's accounting policies relating to revenue, discounts, incentives and rebates by comparing with applicable accounting standards. • We have assessed the design and implementation and tested the operating effectiveness of Company's internal controls over the provisions, approvals and disbursements of discounts, incentives and rebates. • We have assessed the Company's computations for accrual of discounts, incentives and rebates, on a sample basis, and compared the accruals made with the approved schemes and underlying documents.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit?
Revenue recognition – Discounts, incentives and rebates See Notes 2.2 (a) the Standalone Financial Statements	
	• We have compared the historical trend of payments and reversal of discounts, incentives and rebates to provisions made to assess the current year accruals • We have examined the manual journals posted to discounts, rebates and incentives to identify unusual or irregular items.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit?
Contingencies, including litigations and tax See Note 2.2 (d) and 34 to the Standalone Financial Statements	
• The Company routinely encounters legal complexities, encompassing disputes, lawsuits, regulatory matters, and other issues inherent in regular business operations. Many of these situations involve intricate details. • Supported by external legal advisors, the Company meticulously evaluates each circumstance to determine whether provisions should be made or contingencies disclosed. • This aspect is crucial for our audit due to the intricate nature of accounting and disclosure concerning potential legal and tax liabilities. The challenge lies in predicting outcomes and estimating financial impacts, especially in unfavourable scenarios. • Furthermore, the financial implications of these legal considerations are, or have the potential to be, significant to the Standalone Financial Statements. Therefore, a thorough examination is essential in ensuring the accuracy of the financial reporting	Our audit procedures, among others included the following: • We evaluated the design and tested the operating effectiveness of controls relating to identification and evaluation of claims, proceedings and investigations at different levels in the Company, and the measurement of provisions for disputes, potential claims and litigation, contingent liabilities and disclosures • We obtained a list of ongoing litigations from the Company's in-house legal team. • We selected a sample of litigations based on materiality and performed inquiries with the said counsel on the legal evaluation of these litigations. We compared the evaluation with the provision or disclosure in the Standalone Financial Statements. • We tested the underlying computation of the management in relation to the measurement of provision or the contingency. • We obtained legal letters from the Company's external legal advisors with respect to the matters included in the summary. Where appropriate, we examined correspondences connected with the cases. • We inspected relevant communication with tax authorities. • We involved our inhouse tax experts in assessing the nature and amount of material tax positions and assessed the technical merits based on the correspondence and assessments from the relevant tax authorities. • We also evaluated the disclosures made in the Standalone Financial Statements.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Valuation of Inventory See Note 6 to the Standalone Financial Statements	
• The verification and valuation of raw materials, semi-finished, and finished goods is a meticulous manual undertaking. During this process, indirect production costs are estimated and integrated into inventory costs, involving judgment and estimation. • The allocation of these costs is subject to uncertainty at the time of estimation. Furthermore, price fluctuations depend on multiple factors, including domestic, global, and various other external factors. • In addition, management exercises judgment in identifying and evaluating obsolete inventories and slow-moving stock items, while also estimating the appropriateness of necessary provisions. Given the subjective nature of these judgments and the inherent uncertainties, we have identified this as a Key Audit Matter.	Our audit approach, among others involved the following combination of tests of control design, implementation, operating effectiveness, and substantive testing in respect of verification and valuation of inventories: • Understanding and evaluating the design and testing the operating effectiveness of controls over the physical count process and measurement of such inventory; • We evaluated the system of inventory monitoring and control. Reviewing data from software used by the Company such as Distributed Control System for plant operations, independent Programmable Logic Controllers for the safety of the Plant, Tank Level Monitoring System ("LMS") for detailed statistics about the stock of raw materials, finished products, and intermediate products, along with various alarms, warnings, and history of the tank operations, etc. • Physically observing inventory measurement and count procedures carried out by management to assess its appropriateness and completeness and performing roll-backward/ roll-forward procedures. • Obtaining and inspecting inventory measurement and physical count Statements, including assessing and evaluating the Statements of analysis performed and adjustments made by the Management in respect of differences between book and physical quantities. • Testing on a sample basis the accuracy of the cost for inventory. Testing the net realizable value by comparing the actual cost with the most recent selling price. Based on the above procedures performed, we did not identify any material exceptions in the measurement of inventory.

Information Other than the Financial Statements and Auditor's Report thereon

8. The Company's Management and Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Company's annual report, but does not include the financial statements and auditor's report(s) thereon. The Company's annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

9. Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

10. In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

11. The Company's management and Board of Directors are responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act.

12. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the standalone financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

13. In preparing the Standalone Financial Statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

14. The Board of Directors are also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

15. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

16. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

    - Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
    - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
    - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management and Board of Directors.
    - Conclude on the appropriateness of the Management and Board of Directors use of the going concern basis of accounting in preparation of Standalone Financial Statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
    - Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

17. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

18. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

19. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. As required by the directions and sub directions issued by the office of the Comptroller & Auditor General of India under section 143 (5) of the Act, we give in the "Annexure B" a statement on the matters referred in those directions.

3. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit, we report that:

    a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books.

c) The Standalone Balance Sheet, the Standalone Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Standalone Statement of Cash Flow and Standalone Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the books of account.

d) In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements comply with the Ind AS specified under section 133 of the Act.

e) As per Notification No. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015, the Government Companies are exempted from provisions of section 164 (2) of the Act. Accordingly, we are not required to report whether any directors are disqualified in terms of provisions contained in the said section.

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Standalone Financial Statements of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls with reference to Standalone Financial Statement.

g) Being a Government Company, pursuant to the notification number GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Government of India, the provisions of section 197 of the Act are not applicable to the Company.

h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position and disclosed in its Standalone Financial Statements - Refer Note no. 34 of the financial statements on Contingent Liabilities.

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. The Company does not have any amounts required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund.

iv. (a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person or entity, including foreign entity ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(b) The Management has represented, that, to the best of its knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Company from any person or entity, including foreign entity ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

(c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

v. The Company has not declared or paid dividend during the year.

vi. Based on our examination, which included test checks, the Company has used accounting softwares for maintaining its books of account for the financial year ended March 31,2024 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the softwares. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023 reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules,2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31,2024.

21. Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015;

The Company has not complied with the Regulations 17(1)(a) and 17(1)(b) in respect of maintenance of an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one-woman director and not less than fifty percent of the board of Directors comprised of Independent Directors. Our conclusion is not modified in respect of this matter.

For **Paulson and Company**
Chartered Accountants
FRN 002620S

CA. Paulson K.P.
Partner
Membership No. 021855
UDIN: 24021855BKAOAA1083

Kochi
22 May 2024

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED ON 31 MARCH 2024

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

(i) In respect of the Company's Property, Plant and Equipment and Intangible Assets:

a) (A) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment, except for land for which proper details including situation of land are not maintained.

(B) The Company has maintained proper records showing full particulars of intangible assets.

b) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the Company maintains a regular program for the physical verification of its property, plant, and equipment, right-of-use assets, and investment property. These assets are physically verified once every three years, which, in our opinion, is reasonable considering the Company's size and the nature of its assets. During the current financial year, the Company has not conducted any physical verification of the above-mentioned assets. The most recent physical verification was performed as at 31 March 2022.

c) We were not provided with the originals of the title deeds of immovable properties held by the Company for our verification.

With respect to land in Maharashtra, we were not provided with proper documents to verify whether the immovable properties disclosed in the Standalone Financial Statements are held in the name of the Company. In the absence of proper details, we are unable to comment on whether the immovable properties in Maharashtra disclosed in the Standalone Financial Statements are held in the name of the Company.

Further, we are informed that, 22.717 acres of land owned by the Company at Rasayani, Maharashtra, has been encroached and we are informed that the Company is taking steps to recover the said land. Further, 10.576 acres of land at Rasayani, Maharashtra and 0.91 acres of land at Panvel, Maharashtra, has been acquired for public road and hence could not be considered as the assets owned by the Company. Further, 32.547 acres of land at Rasayani, Maharashtra, is under the disputed possession of various other entities. The Company has not considered the above extent of lands while considering the carrying value of land disclosed in the Standalone Financial statements.

With respect to land in Kerala, we were informed that originals of the title deeds of immovable properties are held in the custody of the bank. Based on the information provided to us and our examination of the Company's records, including copies of the original title deeds, land revenue records, and property tax receipts for immovable properties in Kerala, the immovable properties (other than those where the Company is the lessee and the lease agreements are duly executed in favor of the lessee) disclosed in the Standalone Financial Statements are held in the name of the Company, except for the following, which are not held in the name of the Company, as per the land revenue records:

Description of property	Extend of land (in acres)	Gross carrying value	Held in name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held –indicate range, where appropriate	Reason for not being held in name of Company*
Freehold Land	2.046	Not Available	Unascertained	No	Not ascertainable	

* 2.046 acres of land are outside the boundary walls of Ernakulam factory land and were not included in the re-survey and land tax is paid for land inside the boundary wall.

d) According to the information and explanations provided to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has revalued its land during the year by a registered valuer. The change in the carrying amount of said land revalued amounts to Rs.6,000.62 Lakhs.

e) According to the information and explanations provided to us and on the basis of our examination of the records of the Company, no proceedings have been initiated during the year or are pending against the Company as at March 31, 2024, for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and rules made thereunder.

(ii) a) The inventory, except inward goods-in-transit, has been physically verified by the management during the year. For goods-in-transit, subsequent evidence of receipts has been linked with inventory records. In our opinion, the frequency of such verification is reasonable, and the procedures and coverage followed by management were appropriate. No discrepancies were noticed on verification between the physical stocks and the book records that were more than 10% in the aggregate of each class of inventory.

b) According to the information and explanations provided to us and on the basis of our examination of the records of the Company, the Company has been sanctioned working capital limits in excess of Rs. 5 crores, in aggregate, during the year, from banks on the basis of security of current assets in the form of Fixed Deposits. According to the terms of the working capital limit, the Company is not required to submit any quarterly returns or statements to the bank regarding this facility. Therefore, we are unable to comment on the reconciliation of quarterly returns or statements with the Company's books of accounts.

(iii) a) According to the information and explanations provided to us and on the basis of our examination of the records of the Company, during the year the Company has not provided loans, advances in the nature of loans, stood guarantee or provided security to companies, firms, Limited Liability Partnerships or any other parties. Accordingly, the requirement to report on clause 3(iii)(a) of the Order is not applicable to the Company.

b) According to the information and explanations provided to us and based on the audit procedures carried on by us:

1. The Company has provided loans to its subsidiary, secured against the immovable properties of the said subsidiary, during the earlier years which have been overdue for more than 3 years, and the balance outstanding as at the balance sheet date was Rs. 3197.08 Lakhs, out of which Rs. 2,744.06 Lakhs was non-interest-bearing loans.

   Further, we draw attention to note no. 10 and 11 to the accompanying Standalone Financial Statements regarding the waiver of the interest chargeable on loans amounting to Rs. 453.01 lakhs advanced to its subsidiary. The Company has during the year waived interest amounting to Rs. 63.62 Lakhs receivable on the above-mentioned loan.

2. The Company provided an unsecured advance of Rs. 65 lakhs to M/s. Smith Stanitstreet Pharmaceuticals Ltd during previous years. However, this advance has remained outstanding for more than three years, and no interest rate or repayment terms have been specified. In our opinion, this is prejudicial to the interest of the Company. The Company has made a 100% provision for doubtful debts for the above-mentioned advance amounting to Rs. 65 lakhs.

3. The Company has invested of Rs. 1,106 lakhs in its subsidiary during previous years, however the business of the subsidiary has been discontinued.

   The repayments or returns from the aforementioned loans, advances, and investments were not proper. Therefore, the recoverability or realisability of these amounts depends on the assets secured.

   The Company has not given any loans, advances or made any investments during the current year.

c) According to the information and explanations provided to us and on the basis of our examination of the records of the Company, in respect of the loans and advances as specified in clause (iii)(b)(1) of this report, the Company has established repayment schedules for both principal and interest. However, for the advance specified in clause (iii)(b)(2) of this report, there is no stipulated schedule for the repayment of principal and interest. The repayment of the loans and its interest mentioned above is irregular.

d) According to the information and explanations provided to us and on the basis of our examination of the records of the Company, in respect of the loans and advances as specified in clause (iii)(b)(1) of this report, the total amount overdue for more than 90 days is Rs. 3,197.08 lakh. The Company has indicated that these amounts will be recovered upon the full realization of the assets secured against the loans. However, the Company has yet to take possession of the secured property. In respect of the advances specified in clause (iii)(b)(2) mentioned above, the total amount overdue for more than 90 days is Rs. 65 lakhs. Despite this, the Company has not initiated any actions to recover the amount.

e) According to the information and explanations provided to us and on the basis of our examination of the records of the Company, during the year, the Company has not renewed or extended or granted fresh loans to settle the overdues of the existing loans given to any of the parties and therefore, the provisions of the clause 3(iii)(e) of the order, is not applicable to the Company.

f) According to the information and explanations provided to us and on the basis of our examination of the records of the Company, in respect of the advance specified in clause (iii)(b)(2) mentioned above, amounting to Rs. 65 lakhs, the Company has not specified any terms or period of repayment. The Company has made a 100% provision for doubtful debts for the above-mentioned advance amounting to Rs. 65 lakhs.

Aggregate amount outstanding (Rs.)	Rs. 65 Lakhs
Percentage to the total loans (Rs.)	1.98%
Of the above, aggregate amount of loans granted to Promoters and related parties	Nil

(iv) We draw attention to note no. 10 and 11 to the accompanying Standalone Financial Statements regarding the waiver of the interest chargeable on loans amounting to Rs. 453.01 lakhs advanced to its subsidiary. As per the provisions of Section 186(7) of the Companies Act, 2013, no loan shall be given at a rate of interest lower than the prevailing yield of one year, three-year, five year, or ten-year Government Security closest to the tenor of the loan. In our opinion, the Company has violated the provisions of section 186(7) of the Companies Act, 2013. According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the Company has also provided interest-free loans totaling Rs. 2744.06 lakhs to its subsidiary Company. These loans were provided prior to the enactment of Section 186(7) and hence, in our opinion, do not constitute a violation of the provisions of the said section. Except for the above-mentioned violation with regard to the waiver of the interest chargeable on loans amounting to Rs. 453.01 lakhs advanced to its subsidiary, in our opinion, the Company has complied with the provisions of Sections 185 and 186 of the Companies Act, 2013 in respect of loans granted, investments made, and guarantees and securities provided, as applicable.

(v) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the Company has not accepted any deposit or amounts which are deemed to be deposits. Hence, reporting under clause 3(v) of the Order is not applicable.

(vi) We have broadly reviewed the accounts and records maintained by the Company pursuant to the Rules made by the Central Government for the maintenance of cost records under sub-section (1) of Section 148 of the Act, read with Companies (Cost Records & Audit) Rules, 2014, as amended and we are of the opinion that prima facie the prescribed accounts and records have been made and maintained. We have not, however, made detailed examination of the records with a view to determine whether they are accurate and complete.

(vii) a) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the Company is generally regular in depositing with appropriate authorities, undisputed statutory dues including Goods and Service Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income-Tax, Sales-Tax, Service Tax, Duty of customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues applicable to it. According to the information and explanations provided to us, no undisputed amounts payable in respect of Goods and Service Tax, Provident Fund, Employees' State Insurance, Income-Tax, Sales-Tax, Service Tax, Duty of customs, Duty of Excise, Value Added Tax, Cess and any other statutory dues applicable to it, were outstanding, as on the last day of the financial year, for a period of more than six months from the date they became payable.

b) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the dues of goods and services tax, provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales-tax, service tax, duty of custom, value added tax, cess and other statutory dues that have not been deposited on account of any dispute, are as follows:

Sl. No.	Name of the Statute	Nature of Dues	Period to which the amount related	Amount of dispute (Rs. In Lakhs)	Forum where the dispute is pending
1	Central Excise Act, 1944	Exemption not allowed	2006-07	104.63	Customs, Excise & Services Tax Appellate Tribunal
2	Income Tax Act, 1961	Penalty Dues	2001-02	70.49	High Court
3	Income Tax Act, 1961	Penalty Dues	2010-11	21.50	The Commissioner of Income Tax
4	Goods and Services Tax, 2017	Excess Credit Claimed	2017-18	41.97	The Joint Commissioner

(viii) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, there were no transactions relating to previously unrecorded income that were surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) during the year.

(ix) a) On the basis of our examination of the records of the Company, the Company has made default on repayment of loans obtained from the Government of India, the details of which are as under:

Nature of Borrowing including debt securities	Name of the lender	Amount not paid on due date (Rs. In lakhs)	Whether Principal or interest	No. of years of delay or unpaid	Remarks if any
Plan loan	Government of India	537.79	Interest	22	
Non-Plan Loan	Government of India	250.83	Interest	22	
Plan loan	Government of India	540.67	Interest	22	
Plan loan	Government of India	326.31	Interest	21	
Secured Plan loan	Government of India	652.62	Interest	21	
Plan loan	Government of India	652.62	Interest	21	
Plan loan	Government of India	328.61	Interest	21	
Plan loan	Government of India	462.20	Interest	20	
Plan loan	Government of India	770.34	Interest	20	
Plan loan	Government of India	566.68	Interest	19	
Plan loan	Government of India	423.24	Interest	19	
Plan loan	Government of India	654.81	Interest	18	
Plan loan	Government of India	452.14	Interest	18	
Plan loan	Government of India	147.36	Interest	16	
Plan loan	Government of India	727.81	Interest	16	
Non-Plan Loan	Government of India	554.48	Interest	15	
Non-Plan Loan	Government of India	68.77	Interest	15	
Non-Plan Loan	Government of India	1142.95	Interest	8	
Plan loan	Government of India	660.00 1084.85	Principal Interest	14	
Plan loan	Government of India	843.00 1375.56	Principal Interest	14	
Plan loan	Government of India	1760.00 2334.53	Principal Interest	11	
Plan loan	Government of India	1057.00 1040.04	Principal Interest	8	
Non-Plan Loan	Government of India	2461.00 2032.92	Principal Interest	7	

Nature of Borrowing including debt securities	Name of the lender	Amount not paid on due date (Rs. In lakhs)	Whether Principal or interest	No. of years of delay or unpaid	Remarks if any
Non-Plan Loan	Government of India	1057.00 773.12	Principal Interest	6	
Non-Plan Loan	Government of India	10,000.00 7293.15	Principal Interest	6	
Non-Plan Loan	Government of India	16,392.46 11,777.42	Principal Interest	6	
Non-Plan Loan	Government of India	11,026.00 7,888.57	Principal Interest	6	

b) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the Company has not been declared as a willful defaulter by any bank or financial institution or government or government authority.

c) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, during the year the Company obtained only one term loan of Rs. 299 Lakhs from the Kerala State Energy Conservation Fund, managed by the Energy Management Centre ("EMC"), specifically for the purpose of retrofitting inefficient compressors with energy-efficient ones. The term loan was received on 20 March 2024 but has not been utilized, as explained to us, because the funds were received near to the end of the year. Therefore, these loans could not be used for their intended purposes.

d) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, we report that no funds raised on short-term basis have been used for long-term purposes by the Company.

e) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries, associates or joint ventures of the Company. Hence, the requirement to report on clause (ix)(e) of the Order is not applicable to the Company.

f) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures or associate companies. Hence, the requirement to report on clause (ix)(f) of the Order is not applicable to the Company.

(x) a) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the Company has not raised any moneys by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments). Accordingly, clause 3(x)(a) of the Order is not applicable.

b) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, the Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year. Accordingly, clause 3(x)(b) of the Order is not applicable.

(xi) a) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, considering the principles of materiality outlined in the Standards on Auditing, we report that no fraud by the Company or on the Company has been noticed or reported during the year.

b) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, no report under sub-section (12) of Section 143 of the Companies Act, 2013 has been filed during the year by the auditors in Form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government.

c) According to the information and explanations provided to us, and based on our examination of the Company's records, we report that the Company has not received any whistle blower complaints during the year.

(xii) The Company is not a Nidhi Company and hence reporting under clause (xii) of the Order is not applicable.

(xiii) In our opinion and according to the information and explanations provided to us, the transactions with related parties are in compliance with Section 177 and 188 of the Act, where applicable, and the details of the related party transactions have been disclosed in the Standalone Financial Statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) a) Based on information and explanations provided to us and our audit procedures, in our opinion, the Company has an adequate internal audit system commensurate with the size and the nature of its business.

b) We have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Company during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

(xv) Based on our examination of the records, the Company has not entered into any non-cash transactions with its directors or persons connected to its directors and hence, provisions of Section 192 of the Act are not applicable to the Company.

(xvi) a) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clauses 3(xvi)(a) of the Order is not applicable.

b) The Company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Accordingly, clauses 3(xvi)(b) of the Order is not applicable.

c) The Company is not a Core Investment Company (CIC) as defined in the regulations made by the Reserve Bank of India. Accordingly, clause 3(xvi)(c) of the Order is not applicable.

d) The Company is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. Hence, reporting under clause (xvi)(d) of the Order are not applicable.

(xvii) The Company has incurred cash losses in the current year amounting to Rs. 5,395.61 Lakh. In the immediately preceding financial year, the Company had incurred cash losses amounting to Rs. 4,903.41 lakh.

(xviii) There has been no resignation of the statutory auditors during the year. Accordingly, clause 3(xviii) of the Order is not applicable.

(xix) As referred to in 'Material uncertainty related to Going concern paragraph in our main audit report and as disclosed in Note 5 and 42 to the Standalone Financial Statements which also includes the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the Standalone Financial Statements, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidence supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that the Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date. We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.

(xx) Based on examination of the books and records of the Company and according to the information and explanations provided to us, there are no amounts which are required to be spent in accordance with the provisions of section 135 of the Act and accordingly, clause 3(xx) of the Order is not applicable.

For **Paulson and Company**
Chartered Accountants
FRN 002620S

CA. Paulson K.P.
Partner
Membership No. 021855
UDIN: 24021855BKAOAA1083

Kochi
22 May 2024

ANNEXURE B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in Paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

Supplementary report u/s. 143(5) of the Companies Act, 2013 in **"Annexure B"** referred to in our Independent Auditor's Report to the members of Hindustan Organic Chemicals Limited ('the Company') for the year ended 31st March 2024.

A. Directions

Sl. No.	C&AG Direction	Statement of Statutory Auditor
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Based on the explanations provided and our verification, we've identified the following systems used for processing the Company's accounting transactions: a) Tally ERP Prime, an accounting ERP software, is utilized for maintaining accounting transactions. b) The fixed assets register is managed using an MS Office Excel utility. c) Payroll management is handled by a separate HRM software system. d) Unit trial balance consolidation is conducted through an MS Office Excel utility. Based on our verification, we haven't encountered any accounting transactions being processed outside the aforementioned systems. We recommend establishing proper integration between these systems and the primary accounting software to mitigate potential risks of data loss or corruption during data migration and transfer.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loan/ interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government Company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender Company).	The Company has defaulted on the repayment of loans and preference shares obtained from the Government of India, with a total principal amounting to Rs. 72,256.46 Lakhs. Based on the information given to us, no restructuring or waivers/write-offs of debts, loans, or interest have been undertaken. Therefore, we are not commenting on the financial impact and accounting of the same.
3	Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.	Not applicable since the Company has not received any funds from Central/State Government or its agencies for specific schemes.

B. Sub Directions

Sl. No.	C&AG Direction	Statement of Statutory Auditor
1	State the area of land under encroachment and briefly explain the steps taken by the Company to remove encroachment.	1) According to the information and explanations given by the management 65.840 acres of land at the Rasayani Unit, Maharashtra, of the Company has been identified as 'under encroachment' With respect to this, the following steps taken by the management to remove the encroachment, a) The Company is constantly communicating with the Senior Government officials of Govt. of Maharashtra for taking prompt steps for removing encroachment by the farmers at the land at Rasayani Unit. b) The Company is also co-ordinating with the Ministry of Chemicals and Petrochemicals, Government of India, for the speedy resolution in the above case. c) The above recommendations include various proposals including settlement arrangements with the encroachers. d) The Company has also filed suits in some instances. 2) According to the information and explanations given 32.547 acres of land at Rasayani Unit, Maharashtra, are under the possession of various entities such as MIDC, MSEB, HIL, MES etc. With respect to this, the following steps taken by the management to remove the encroachment, a) the Company is constantly following up with the concerned officials for the recovery or registration of the said land possessed by such entities. b) In case of the land leased out to MES, the Company has issued the notice of termination of lease to the party. However, the property is still under the possession of the lessee -MES. The matter is pending before Arbitration authority and the proceedings are under progress. c) 10.576 acres of land at the Rasayani Unit.Maharashtra has been acquired by Governmental authorities and public road has been constructed. Hence, the Company does not have possession as well as ownership with respect to the said land. 3. According to the information and explanations given, 2.046 acres of land are outside the boundary walls of Ernakulam factory land and were not included in the re-survey and land tax is paid for land inside the boundary wall.
2	Whether there is any effective system for follow up of accumulated trade receivables especially which are more than three years old?	The Company has trade receivables amounting to Rs. 1,484.36 lakhs, which is more than three years old. The Company has assessed and provided a sum of Rs. 1,471.55 lakhs as provision for bad and doubtful assets. Based on the information provided to us, the management is following up with the above debtors for the recovery and has initiated legal proceedings against some of such cases.
3	Whether there was an adequate system for watching actual consumption against norms in case of raw materials, Intermediaries and utilities?	Based on the information given to us, the Company prepares monthly statements comparing the actual consumption of raw material, intermediaries and utilities against the established norms as MIS Report.

For **Paulson and Company**
Chartered Accountants
FRN 002620S

CA. Paulson K.P.
Partner
Membership No. 021855
UDIN: 24021855BKAOAA1083

Kochi
22 May 2024

ANNEXURE 'C' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED** ("the Company") as of March 31, 2024 in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing (the 'standards') issued by ICAI specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of Standalone Financial Statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of Standalone Financial Statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and
3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the Standalone Financial Statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Basis for Qualified Opinion

According to the information and explanations given to us and based on our audit and on the basis of reports, the following material weaknesses have been identified as on 31st March, 2024;

a) We draw attention to Note No. 11 in the accompanying Standalone Financial Statements regarding the waiver of the interest chargeable on loans amounting to Rs. 453.01 lakhs advanced to its subsidiary. As per the provisions of Section 186(7) of the Companies Act, 2013, no loan shall be given at a rate of interest lower than the prevailing yield of one-year, three-year, five-year, or ten-year Government Security closest to the tenor of the loan. In our opinion, the Company has violated the provisions of Section 186(7) of the Companies Act, 2013. Reference is drawn to the **'Basis for Qualified Opinion'** paragraph in the main audit report."

A 'Material weakness' is a deficiency, or a combination of deficiencies, in internal financial control over financial reporting, such that there is a reasonable possibility that a material misstatement of the Company's annual or interim Standalone Financial Statements will not be prevented or detected on timely basis.

Qualified Opinion

In our opinion, except for the effects of material weaknesses described in the Basis for Qualified Opinion paragraph mentioned above, on the achievement of the objectives of the control criteria, the Company has maintained, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as of 31st March 2024, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **Paulson and Company**
Chartered Accountants
FRN 002620S

CA. Paulson K.P.
Partner
Membership No. 021855
UDIN: 24021855BKAOAA1083

Kochi
22 May 2024

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of the financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22 May 2024.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6) (a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Guljari Lal)
Director General of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai
Date: 29 July 2024

Standalone Balance Sheet as at 31st March 2024

Rs. in Lakhs

Particulars	Note No	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Assets				
Non Current Assets				
a) Property, Plant and Equipment	3a	22,370.24	16,375.07	15,348.07
b) Investment Property	3b	84.41	86.58	88.74
c) Right-of-Use Asset	15a	106.73	-	-
d) Other Intangible Assets	3c	13.63	18.86	27.24
e) Financial Assets				
(i) Investments	4a	1,800.04	990.45	1,063.44
(ii) Other Financial Assets	4b	300.03	292.88	279.10
f) Other Non-current Assets	5	377.98	419.89	271.97
Total (Non current Assets)		**25,053.06**	**18,183.73**	**17,078.56**
Current Assets				
a) Inventories	6	6,896.92	4,960.95	7,511.19
b) Financial Assets:				
(i) Trade Receivables	7	1,866.15	1,807.71	735.12
(ii) Cash and cash equivalents	8	73.01	464.45	611.54
(iii) Bank balances other than (ii) above	9	22,569.07	16,266.03	12,899.19
(iv) Loans	10	3,211.92	3,219.43	3,218.09
(v) Other Financial Assets	11	1,649.91	1,433.34	1,334.04
c) Other Current Assets	12	1,066.66	575.88	1,267.73
d) Assets held for sale	3d	94,550.32	99,219.74	99,219.74
Total (Current Assets)		**1,31,883.96**	**1,27,947.53**	**1,26,796.64**
Total Assets		**1,56,937.02**	**1,46,131.26**	**1,43,875.20**
Equity and Liabilities				
a) Equity				
Equity Share capital	13	6,726.96	6,726.96	6,726.96
b) Other Equity				
(i) Securities Premium	14a	4,838.57	4,838.57	4,838.57
(ii) Retained Earnings	14b	(1,07,999.21)	(1,07,136.93)	(1,02,114.52)
(iii) Other comprehensive Income	14c	97,552.68	96,302.40	95,519.62
Total Other Equity		**(5,607.96)**	**(5,995.96)**	**(1,756.33)**
Total Equity		**1,119.00**	**731.00**	**4,970.63**
Liabilities				
Non-Current Liabilities:				
a) Financial Liabilities:				
(i) Borrowings	17a	243.98	-	-
(ii) Lease Liabilities	15a	90.46	-	-
b) Provisions	15b	936.90	1,027.97	1,372.81
c) Deferred Tax liabilities (Net)	16	17,695.52	16,683.52	16,402.52
Total (Non-Current Liabilities)		**18,966.86**	**17,711.49**	**17,775.33**
Current liabilities:				
a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings	17b	73,887.92	72,256.46	72,256.46
(ii) Lease Liabilities	15a	21.05	-	-
(iii) Trade payables:				
Dues to micro and small enterprises	18	15.15	14.85	55.50
Dues to Others	18	6,837.65	4,052.02	4,096.34
(iv) Other Financial Liabilities	19	51,990.08	46,298.06	40,604.87
b) Provisions	20	1,036.61	1,568.16	1,494.86
c) Other Current Liabilities	21	3,062.70	3,499.22	2,621.21
Total (Current Liabilities)		**1,36,851.16**	**1,27,688.77**	**1,21,129.24**
Total Liabilities		**1,55,818.02**	**1,45,400.26**	**1,38,904.57**
Total Equity and Liabilities		**1,56,937.02**	**1,46,131.26**	**1,43,875.20**
Accounting Policies	2			
Notes to the Standalone Financial Statements	1&3-57			

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

Sd/-
CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN: 24021855BKAOAA1083

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Sd/-
Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

Sd/-
Subramonian H.
Company Secretary

Standalone Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2024

Rs. in Lakhs

Particulars	Note No.	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
INCOME:			
Revenue from operations	22	70,389.00	63,143.56
Other Income	23	1,669.10	1,154.60
Total Income		**72,058.10**	**64,298.16**
EXPENSES:			
Cost of materials consumed	24	50,304.68	42,679.26
Changes in Inventories of Finished Goods and work-in- progress	25	(518.05)	1,482.71
Employee benefits expenses	26	4,474.35	4,355.58
Finance costs	27	6,957.35	6,688.70
Depreciation and amortization expenses	28	143.78	118.75
Other expenses	29	16,227.69	13,995.57
Total expenses		**77,589.80**	**69,320.57**
Profit / (Loss) before exceptional items and tax		(5,531.70)	(5,022.41)
Less: Exceptional items		-	-
Profit / (Loss) before tax		(5,531.70)	(5,022.41)
(1) Current tax		-	-
(2) Deferred tax		-	-
Less: Tax expenses		-	-
Profit / (Loss) after tax		(5,531.70)	(5,022.41)
Other Comprehensive Income			
(i) Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss			
a) Revaluation of Property, plant & equipment	3a	6,000.61	1,035.38
Income tax (expense)/benefit of the above		(776.00)	(302.00)
b) Net fair value gain/loss on investment in equity instruments through OCI	4a	809.59	(72.99)
Income tax (expense)/benefit of the above		(236.00)	21.00
c) Remeasurement in defined benefit plan (Gratuity)	30	121.50	101.39
Other Comprehensive Income for the year, net of tax		**5,919.70**	**782.78**
Total Comprehensive Income for the year		**388.00**	**(4,239.63)**
Earnings per equity share (in Rupees)			
Basic (Face value of Rs. 10 each)		(8.23)	(7.48)
Diluted (Face value of Rs. 10 each)		(8.23)	(7.48)
Accounting Policies	2		
Notes to the Standalone Financial Statements	1&3-57		

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

Sd/-
CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN: 24021855BKAOAA1083

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Sd/-
Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

Sd/-
Subramonian H.
Company Secretary

Statement of Changes in Equity for the year ended 31st March, 2024

A. EQUITY SHARE CAPITAL

Rs. in Lakhs

Particulars	Balance as at	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance as at	Changes in equity share capital during the current year	Balance as at
	01.04.2023	2023-24	01.04.2023	2023-24	31.03.2024
Equity shares of Rs.10 each	6726.96	-	6726.96	-	6726.96

EQUITY SHARE CAPITAL

Rs. in Lakhs

Particulars	Balance as at	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance as at	Changes in equity share capital during the current year	Balance as at
	01.04.2022	2022-23	01.04.2022	2022-23	31.03.2023
Equity shares of Rs.10 each	6726.96	-	6726.96	-	6726.96

B. OTHER EQUITY

Particulars	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instrument	Reserves and surplus				Items of Other Comprehensive Income (OCI)						Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange diff. on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of OCI (Changes in Employees defined benefits plan)		
Current Reporting Period 2023-24														2023-24
Balance as at 01.04.2023	-	-	-	4,838.57	-	(1,07,136.93)	-	(84.55)	-	95,742.09	-	644.86	-	(5,995.96)
Changes in other equity due to changes in accounting policy or prior period errors (Note No.14b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance as at 01.04.2023	-	-	-	4,838.57	-	(1,07,136.93)	-	(84.55)	-	95,742.09	-	644.86	-	(5,995.96)
Profit/(Loss) for the year	-	-	-	-	-	(5,531.70)	-	-	-	-	-	-	-	(5,531.70)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	-	-	-	-	573.59	-	5,224.61	-	121.50	-	5,919.70
Total Comprehensive Income for the current year	-	-	-	-	-	(5,531.70)	-	573.59	-	5,224.61	-	121.50	-	388.00
Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	-	4,669.42	-	-	-	(4,669.42)	-	-	-	-
Balance as at 31.03.2024	-	-	-	4,838.57	-	(1,07,999.21)	-	489.04	-	96,297.28	-	766.36	-	(5,607.96)
Previous Reporting period 2022-23														2022-23
Balance as at 01.04.2022	-	-	-	4,838.57	-	(1,02,056.08)	-	(32.56)	-	95,008.71	-	543.47	-	(1,697.89)
Changes in other equity due to changes in accounting policy or prior period errors (Note No.14b)	-	-	-	-	-	(58.44)	-	-	-	-	-	-	-	(58.44)
Restated balance as at 01.04.2022	-	-	-	4,838.57	-	(1,02,114.52)	-	(32.56)	-	95,008.71	-	543.47	-	(1,756.33)
Profit/(Loss) for the year	-	-	-	-	-	(5,022.41)	-	-	-	-	-	-	-	(5,022.41)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)	-	-	-	-	-	-	-	(51.99)	-	733.38	-	101.39	-	782.77
Total Comprehensive Income for the current year	-	-	-	-	-	(5,022.41)	-	(51.99)	-	733.38	-	101.39	-	(4,239.64)
Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31.03.2023	-	-	-	4,838.57	-	(1,07,136.93)	-	(84.55)	-	95,742.09	-	644.86	-	(5,995.97)

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

Sd/-
CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN: 24021855BKAOAA1083

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Sd/-
Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

Sd/-
Subramonian H.
Company Secretary

Standalone Cash flow Statement for the Year ended on 31st March 2024

Rs. in Lakhs

Description	For the year ended 31st March 2024	For the year ended 31st March 2023
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
Profit / (Loss) before tax	(5,531.70)	(5,022.41)
Adjustments for :		
Depreciation/Loss on impairment of Property, Plant and Equipment	143.78	118.75
Profit(-) / Loss on sale of Property, Plant and Equipment	-	-
Interest Income	(1,199.70)	(795.79)
Interest & Finance Charges	6,957.35	6,688.70
Income from Investment Property	(59.35)	(150.27)
Changes in defined Employee benefit plan-other comprehensive income	121.50	101.39
Operating Cash Flows before Working Capital changes (A)	**431.88**	**940.37**
Adjustments for		
(Increase)/Decrease in Inventories	(1,935.97)	2,550.24
(Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables	(6,810.00)	(5,403.10)
Increase/(Decrease) in Trade Payables & Other Liabilities	1,744.00	635.70
Cash Used in Operations (Working Capital Changes) (B)	**(7,001.97)**	**(2,217.16)**
Net Cash used in Operating activities (A+B)	**(6,570.09)**	**(1,276.79)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
Purchase of Property, Plant and Equiptment	(109.58)	(99.80)
Sale of Assets held for sale	4,669.42	-
Interest Income	983.13	753.75
Income from Investment Property	59.35	86.65
Net Cash from Investing activities	**5,602.32**	**740.60**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Increase/(Decrease) in Secured Loans	1,875.44	-
Increase/(Decrease) in Unsecured Loans	-	-
Interest Paid	(1,274.90)	(1,013.89)
Payment of Lease Liabilities	(24.21)	-
Net cash from/(used) in financing activities	**576.33**	**(1,013.89)**
Net Increase /(Decrease) in Cash and Cash Equivalents	(391.44)	(1,550.08)
Cash & Cash equivalents at the beginning of the period	464.45	2,014.53
Cash & cash equivalents at the end of the period	**73.01**	**464.45**
Cash & Cash equivalents as per above comprise of following		
a) Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents):		
Current accounts	50.96	277.00
Saving Account	1.58	153.43
Deposits with original maturity of less than three months	20.00	33.55
b) Cash on Hand	0.47	0.47
Total	**73.01**	**464.45**

Note : Previous year figures are regrouped/rearranged wherever necessary

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

Sd/-
CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN: 24021855BKAOAA1083

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Sd/-
Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

Sd/-
Subramonian H.
Company Secretary

Notes to the Standalone Financial statements for the period ended 31st March, 2024

1. Corporate Information

Hindustan Organic Chemicals Limited (the Company) is a public limited company domiciled in India and is incorporated under the provisions of the Companies Act applicable in India. Its shares are listed on Bombay Stock Exchange (BSE) in India. The registered office of the Company is located at Post bag No. 18, Ambalamugal P.O, Ernakulam District, Kerala - 682 302, India. The Company is principally engaged in the business of bulk industrial chemicals and chemical intermediates.

2. Accounting Policies

2.1 Basis of Preparation of Financial Statement

These financial statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act, 2013 (`Act') (to the extent notified). The IND AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The separate financial statements have been prepared on accrual basis and under historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

Derivative financial Instrument

Defined Benefit Plans – Plan Assets

Certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments), The financial statements are presented in Indian Rupee ('INR') or ('Rs.') which is also the Company's functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs upto two decimals, except when otherwise indicated. Wherever the amount represented Rs. '0' (zero) construes value less than Rupees a lakh.

Accounting estimates, assumptions and judgements

The preparation of the Company's separate financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the accompanying disclosures, and the disclosure of contingent liabilities. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of assets or liabilities affected in future periods.

Estimates and assumptions

The preparation of the financial statements is in conformity with IND AS requires management to make estimates, judgements and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the period. Application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgments and the use of assumptions in these financial statements have been disclosed at appropriate places.

Accounting estimates could change from period to period. Actual results could differ from those estimates. Appropriate changes in estimates are made as management becomes aware of changes in circumstances surrounding the estimates. Changes in estimates are reflected in the financial statements in the period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the notes to the financial statements.

2.2 Summary of accounting policies and estimates

a) Revenue recognition

The Company earns revenue primarily from manufacturing chemical products.

Revenue is recognised upon transfer of control of promised products or services to customers in an amount that reflects the consideration which the Company expects to receive in exchange for those products or services.

Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for volume discounts, performance bonuses, price concessions and incentives, if any, as specified in the contract with the customer. Revenue also excludes taxes collected from customers.

As the Company is engaged only in chemical manufacturing business and operating from single location only therefore disaggregates revenue based on geography location and industrial vertical are not required.

The specific recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised.

Sale of product

Revenue from the sale of products is recognised when the significant risks and rewards of ownership of the product have been passed to the buyer. Revenue from the sale of product is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns and allowances, trade discounts, and volume rebates.

Rendering of services

Income from services is recognized as and when the services are rendered.

Interest income

Interest income from a financial asset is recognised using effective interest rate method. Interest income is included in other income in the statement of profit and loss.

Rental Income

Rental income arising from operating lease on investment properties is accounted for on a straight-line basis over lease terms unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increases and is included in the Statement of profit or loss due to its operating nature.

b) Useful lives of Property, Plant and Equipment.

The Company reviews the useful life of the Property, plant & equipment and Intangible asset as at the end of each reporting period and these reassessments may result in change in depreciation expenditure in future period. (Refer No.3a)

c) Current versus Non-Current classification

The Company presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle,
- Held primarily for the purpose of trading,
- Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

Trade receivables which are expected to be realised within 12 months from the reporting date shall be classified as current. Outstanding more than 12 months shall be shown as noncurrent only unless efforts for its recovery have been made and it is likely that payment shall be received within 12 months from the reporting date. A Judicious decision shall be taken by units in this regard.

liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle,
- It is held primarily for the purpose of trading,
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period payable shall be classified as Trade Payable if it is in respect of the amount due on account of goods purchased or services received in the normal course of business.

Trade payables which are expected to be settled within 12 months from the reporting date shall be shown as current.

The Company classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d) Provisions, contingent liabilities and contingent assets

Provisions are recognised when the Company has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Company expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profit and loss net of any reimbursement. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have risen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

e) Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

f) Taxes

Tax expense (Income Tax and Deferred Tax) in accordance with Ind-AS 12: Accounting for Taxes on Income has been recognised. There are many transactions and calculations undertaken during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will impact the current and deferred tax provisions in the period in which the tax determination is made. The deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the assets will be realized in future.

Current income tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.

Current income tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Current tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

g) Employee benefits

i. Short-term obligations

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet.

ii. Other long-term employee benefit obligations

The liabilities for earned leave and sick leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation. Remeasurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in profit or loss. The obligations are presented as current liabilities in the balance sheet if the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period, regardless of when the actual settlement is expected to occur.

iii. Post-employment obligations

The Company operates the following post-employment schemes:

(a) Defined benefit plans such as gratuity, pension, post-employment medical plans; and

(b) Defined contribution plans such as provident fund.

iv. Defined benefit plans

The Company's gratuity scheme is a defined benefit plan. A defined benefit plan is a post employment benefit plan. The Company's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount of future benefits that employee have earned in return for their services in the current and prior periods.

v. Defined contribution plans

The company's provident fund scheme is a defined contribution plan. A defined contribution plan is a post employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions and will have no obligation to pay further amounts. Obligation for contributions to defined contribution plans are recognised as employees benefit expenses in the statement of Profit and Loss when they are due.

i. Gratuity

Gratuity is a post employment defined benefit plan. The liability recognised in the Balance Sheet in respect of gratuity is the present value of the defined benefit obligation at the Balance Sheet date. The Company's liability is actuarially determined at the end of each year. Actuarial gains/ losses through Remeasurement are recognised in other comprehensive income.

ii. Pension and gratuity obligations

The liability or asset recognised in the balance sheet in respect of defined benefit pension and gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation. The benefits which are denominated in currency other than INR, the cash flows are discounted using market yields determined by reference to high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income.

They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet. Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in profit or loss as past service cost.

a) Defined benefit plans (gratuity benefits), liability in respect of defined benefit plans is recognised in the balance sheet, and is measured as the present value of the defined benefit obligation at the reporting date less the fair value of the planned assets. The present value of the defined benefit obligation is based on expected future payments which arise from the fund at the reporting date, calculated annually by independent actuaries. Consideration is given to expected future salary levels and period of service etc.

b) Company's contribution to provident fund is accounted for on accrual basis.

c) Temporary employee benefits are recognized as an expense at the undiscounted amount in the statement of profit and loss of the year in which the related service is rendered.

d) Bonus is provided in accordance with provisions of Payment of bonus act,1965 on the basis of profitability.

e) Post employment and other long term employee benefits are recognised as an expense in the statement of profit and loss for the year in which the employee has rendered services. The expense is recognized at the present value of the amount payable determined using actuarial valuation technique. Actuarial gain and loss in respect of post employment and other long-term benefits are charged to statement of profit and loss.

h) Foreign Currency Transactions and balances

Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency remaining unsettled at the end of the year, are translated at the closing rate prevailing on the Balance Sheet date. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in foreign currency are reported using the exchange rate at the date of transaction. Exchange differences arising as a result of the above are recognized as income or expenses in the statement of profit and loss. Exchange difference arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognised as income or expenses in the year in which they arise. Foreign exchange difference on foreign currency borrowings, loans given, settlement gain/loss and fair value gain/ loss on derivative contract relating to borrowings are accounted and disclosed under finance cost. Such exchange difference does not include foreign exchange difference regarded as an adjustment to the borrowings cost and capitalised with cost of assets

i) Impairment of non-financial assets

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised

impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss. When the recoverable amount of the CGU is less than it carrying amount, an impairment loss is recognised.

j) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalent in the balance sheet comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value. For the purpose of the statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and short-term deposits, as defined above, net of outstanding bank overdrafts as they are considered an integral part of the Company's cash management.

k) Cash flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit for the year is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Company are segregated.

l) Cash dividend

The Company recognises a liability to make cash distributions to equity holders when the distribution is authorised and the distribution is no longer at the discretion of the Company. As per the corporate laws in India, a distribution is authorised when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognised directly in equity.

m) Minimum Alternate Tax (MAT)

Minimum Alternate Tax (MAT) paid as per Indian Income Tax Act, 1961 is in the nature of unused tax credit which can be carried forward and utilised when the Company will pay normal income tax during the specified period. Deferred tax assets on such tax credit are recognised to the extent that it is probable that the unused tax credit can be utilised in the specified future period. The net amount of tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of receivables or payables in the balance sheet.

n) Government grants

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense item, it is recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed. When the grant relates to an asset, it is recognised as income in equal amounts over the expected useful life of the related assets.

Export Benefits:

Duty free imports of raw materials under Advance License for imports as per the Import and Export Policy are matched with the exports made against the said licenses and the net benefit/ obligation has been accounted by making suitable adjustments in raw material consumption.

The benefit accrued under the Duty Drawback, Merchandise Export Incentive Scheme and other schemes as per the Import and Export Policy in respect of exports made under the said schemes is included as 'Export Incentives' under the head 'Other operating revenue'.

o) Earnings Per Share:

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

p) Share-Based Payments:

Measurement and disclosure of the employee share based payment plans are done in accordance with Ind AS 102, Share-Based Payment. The Company measures compensation cost relating to employee stock options using the fair value method. Compensation expense is amortised over the vesting period of the option on a straight-line basis.

q) Errors and Omissions of earlier period:

Errors and omissions in individual items of Income and Expenditure relating to earlier periods, exceeding `1 Lakh is accounted in the respective period, if possible, or adjusted against opening retained earnings.

Recent Accounting Pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 31, 2023, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2023, as below:

Ind AS 1 - Presentation of Financial Statements - This amendment requires the entities to disclose their material accounting policies rather than their significant accounting policies. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Company has evaluated the amendment and the impact of the amendment is insignificant in the standalone financial statements.

Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - This amendment has introduced a definition of 'accounting estimates' and included amendments to Ind AS 8 to help entities distinguish changes in accounting policies from changes in accounting estimates. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Company has evaluated the amendment and there is no impact on its standalone financial statements.

Ind AS 12 - Income Taxes - This amendment has narrowed the scope of the initial recognition exemption so that it does not apply to transactions that give rise to equal and offsetting temporary differences. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Company has evaluated the amendment and there is no impact on its standalone financial statement.

NOTE 3 a) - Property, Plant and equipment ("PPE")

Accounting policy:

Items of Property, plant and equipment including Capital-work in-progress are stated at cost (except land valued at fair value), net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any cost attributable to bring the asset to its working condition for its intended use. Such cost includes the cost of replacing parts of the plant and equipment and borrowing costs for long-term construction projects, if the recognition criteria are met.

Subsequent expenditure related to an item of Property, Plant and Equipment is added to its book value only if it increases the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standards of performance. When significant parts of plant and equipment are required to be replaced at intervals, the Company depreciates them separately based on their specific useful lives as prescribed in schedule II of Companies Act,2013. All other repair and maintenance costs are recognised in statement of profit or loss, when incurred. In respect of additions to / deletions from the Property, Plant and Equipment, depreciation is provided on pro-rata basis with reference to the month of addition/deletion of the Property, Plant and Equipment.

The Company adopts an annual revaluation policy to accurately reflect the fluctuating fair value of its land. The fair value of the land under PPE has been determined by external independent registered valuers, as defined under rule 2 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, who have experience in the location and category of the property being valued. The said land has been revalued by Registered Valuer Er. Jose Tom, Structural Consultant and Registered Valuer (IBBI), IBBI/RV/05/2021/13810, on 02.04.2024 and has a fair value of Rs. 19,441.99 lakhs as of 31 March 2024.

Property, Plant & Equipment are physically verified once in three year. The management's considered view is that estimated useful lives as per the Schedule II of the Companies Act, 2013 are realistic and reflect fair approximation of the period over which the assets are likely to be used. The company reviews the useful life of the Property, plant & equipment and Intangible asset at the end of each reporting period and these reassessment may result in change in depreciation expenditure in future period.

Depreciation is provided for property, plant and equipment on a straight line basis so as to expense the cost less residual value over their estimated useful lives, as per Schedule II of the Companies Act 2013, which is as under:

1) Buildings : 3/5/30/60 years
2) Plant & equipment: 10/12/15/20 years
3) Furniture & fixtures: 10 years
4) Vehicles: 8/10 years
5) Office equipment: 3/5/6/8 years
6) Intangible assets: 5 years

Items of Property, Plant and Equipment that have been retired from active use, and are held for disposal, are valued at lower of their carrying amount or net realisable value.

Rs. In Lakhs

Description	Land and Land Development*	Land Revaluation	Buildings	Plant and Equipment	Furniture, Fixtures & Equipments	Vehicles	Office Equipment	Library Books	Total
Gross Carrying Amount									
Balance as at April 1, 2023	578.25	13,441.38	1,282.52	25,032.86	117.12	118.80	690.18	13.47	41,274.58
Additions	-	6,000.61	30.84	48.04	3.07	0.61	23.52	-	6,106.69
Disposals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as at March 31, 2024	**578.25**	**19,441.99**	**1,313.36**	**25,080.90**	**120.19**	**119.41**	**713.70**	**13.47**	**47,381.27**
Accumulated Depreciation									
Balance as at April 1, 2023	-	-	917.73	23,122.79	104.16	109.37	632.03	13.43	24,899.51
Disposals	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation for the year	-	-	20.20	77.20	1.04	0.84	12.24	-	111.52
Balance as at March 31, 2024	**-**	**-**	**937.93**	**23,199.99**	**105.20**	**110.21**	**644.27**	**13.43**	**25,011.03**
Net Carrying Amount as at March 31, 2024	**578.25**	**19,441.99**	**375.43**	**1,880.91**	**14.99**	**9.20**	**69.43**	**0.04**	**22,370.24**
Net Carrying Amount as at March 31, 2023	**578.25**	**13,441.38**	**364.79**	**1,910.07**	**12.96**	**9.43**	**58.15**	**0.04**	**16,375.07**
Net Carrying Amount as at April 01,2022	**578.25**	**12,406.00**	**382.79**	**1,898.32**	**11.86**	**10.09**	**60.72**	**0.04**	**15,348.07**

*2.046 acres of land are outside the boundary walls of the Ernakulam factory and were not included in the re-survey. Land tax is paid for the land inside the boundary wall. HOCL has a clear title deed for 112.73 acres of land.

3 b) Investment Properties

Accounting policy:

The Company uses the carrying value as the deemed cost of investment properties. Investments in property that are not intended to be occupied substantially for use by, or in the operations of the company, have been classified as investment property. Investment properties are measured initially at its cost including transaction cost and borrowing cost, wherever applicable. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any. Subsequent cost are included in the assets carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the reporting period in which they are incurred.

Though the company measures investment property using cost based measurement, the fair value of investment property is disclosed in the notes. Fair values are determined based on an annual evaluation performed by an accredited external independent valuer.

The company depreciates its investment properties over the useful life which is similar to that of Property, Plant and Equipment.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed off or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of derecognition.

Rs. In Lakhs

Description	Investment property Land*	Investment Property Building	Total
Gross Carrying Amount			
Balance as at April 1, 2023	16.71	136.89	153.60
Additions	-	-	-
Disposals	-	-	-
Balance as at March 31, 2024	**16.71**	**136.89**	**153.60**
Accumulated Depreciation			
Balance as at April 1, 2023	-	67.02	67.02
Disposals	-	-	-
Depreciation for the year	-	2.17	2.17
Balance as at March 31, 2024	**-**	**69.19**	**69.19**
Net Carrying Amount as at March 31, 2024	**16.71**	**67.70**	**84.41**
Net Carrying Amount as at March 31, 2023	**16.71**	**69.87**	**86.58**
Net Carrying Amount as at April 01,2022	**16.71**	**72.03**	**88.74**

1. Company had given 1.03 acre of land at Ambalamugal in Kochi to M/s. Sterling Gas Limited as operating lease under cancellable lease agreement. Investment properties are distinguished from owner occupied property based on area covered under lease agreement and the value of investment has been determined using pro-rata basis.
2. Company own 184 residential flats at Kochi comprising of 155104 Sq. Ft. out of which, 55 flats covering 46594 Sq. ft. has been earmarked as investment property for letting out.

*The fair value of investment property has been determined by external independent registered valuers, as defined under rule 2 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, who have experience in the location and category of the property being valued. The land at Kochi has been revalued by professionally qualified independent Registered Valuer Er. Jose Tom, Structural Consultant and Registered Valuer (IBBI), IBBI/RV/05/2021/13810, on 02.04.2024.

Rs. In Lakhs

Fair value of investment property (Land)	2023-24	2022-23
Investment property-Sterling Gas Ltd	174.89	120.41
Investment property-Township	445.62	408.49
Total	**620.51**	**528.9**

Amounts recognised in profit or loss for investment properties

Rental income including contingent rent	26.67	26.98
Direct operating expenses from property that generated Rental Income	14.53	7.20
Direct operating expenses from property that did not generate rental income	-	-
Income from investment properties before depreciation	**12.14**	**19.78**
Depreciation	2.17	2.16
Income from investment properties	**9.97**	**17.62**

3 c) Other Intangible Assets

Accounting policy:

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets with definite life are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Internally generated intangible assets, excluding capitalised development costs, are not capitalised and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred.The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the statement of profit or loss when the asset is derecognised. Research costs are expensed as and when incurred. Development expenditures on an individual project are recognised as an intangible asset when the Company can demonstrate technical and commercial feasibility of making the asset available for use or sale.

Following initial recognition of the development expenditure as an asset, the asset is carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Amortisation of the asset begins when development is complete and the asset is available for use. It is amortised over the period of expected future benefit. Amortisation expense is recognised in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

Rs. In Lakhs

Description	Computer software	Total
Gross Carrying Amount		
Balance as at April 1, 2023	442.30	442.30
Additions	3.50	3.50
Deletions	0.00	0.00
Balance as at March 31, 2024	**445.80**	**445.80**
Accumulated Depreciation		0.00
Balance as at April 1, 2023	423.44	423.44
Deletions	0.00	0.00
Depreciation for the year	8.73	8.73
Balance as at March 31, 2024	**432.17**	**432.17**
Net Carrying Amount as at March 31, 2024	**13.63**	**13.63**
Net Carrying Amount as at March 31, 2023	**18.86**	**18.86**
Net Carrying Amount as at April 01,2022	**27.24**	**27.24**

During the year there is no change in the management estimates of the useful life for various class of Property, plant and equipment and Intangible assets.

3 d) Assets held for sale

Accounting policy:

Non-current assets or disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through sale transactions rather than through continuing use.This condition is regarded as met only when the sale is highly probable and the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification as held for sale, and actions required to complete the plan of sale should indicate that it is unlikely that significant changes to the plan will be made or that the plan will be withdrawn.

Property, Plant and Equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale.

Rs in Lakhs

Description	NET CARRYING AMOUNT		
	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Land	94,425.42	99,094.84	99,094.84
Buildings	65.15	65.15	65.15
Plant and Equipment	58.81	58.81	58.81
Furniture, Fixtures and Equipments	0.94	0.94	0.94
Total	**94,550.32**	**99,219.74**	**99,219.74**

Note: The Company is in the process of implementing of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the Company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbered land (Direct sale of 152 acres of land to BPCL) in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is in operation.

a) Originally, the Rasayani unit of the Company was in possession of land measuring 1,012.355 acres (as per revenue records). Out of this land, 251 acres were sold to BPCL, and 20 acres were sold to ISRO during the year 2017-18. Additionally, 38.687 acres were sold to BPCL in the year 2018-19. In the year 2019-20, 85.27 acres of land were sold to BPCL, and 0.386 acre was sold to IOCL (Petrol pump area). Out of the remaining 65.840 acres, 22.717 acres have been identified as encroached, 32.547 acres are in the possession of MIDC, MSEB, HIL, MES, etc., and 10.576 acres of public road are considered of Nil value. The encroachment was determined based on a survey carried out by the company through M/s. The Geo Tek, as per their report dated April 24, 2019. The Company sold 33.353 acres for an amount of Rs. 4,669.42 Lakhs to BPCL in 2023-24. The remaining 517.819 acres of land is considered as Assets held for sale.

b) As per the communication received from Municipal commissioner Panvel, regarding the actual area of plot No.11 & 12 of survey No.738 on which there is a public road passing through and thereby the total area of Panvel land available for sale has reduced from 8 acre to 7.09 acre. Accordingly the reserve price (fair value) has been reduced to Rs.158 crore. Collector of Raigad in the report on the issue of NOC has recommended charging of 40% as unearned income. The said proposal of Govt of Maharashtra has been approved by HOCL Board in its meeting to be held on 09.11.2022. The company is in the process of obtaining necessary approval from Administrative Ministry.

4. Financial Assets

4a Investments

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Non current			
Investments designated at fair value through OCI			
(A) Investments in Equity Instruments			
a. Investment in Subsidiary (Quoted)			
11060000 (previous year 11060000) Equity Shares of Rs. 10 each fully paid in Hindustan Fluorocarbons Ltd. (Holding 56.43% of shares)	1,106.00	1,106.00	1,106.00
Add: Fair Value Gain in value of investment (Market value as on 31.03.2024 Rs.16.23, Rs. 8.91 per share as on 31-03-2023) (Face value Rs.10 per share)	689.04	(120.55)	(47.56)
Sub-total (a)	**1795.04**	**985.45**	**1058.44**
b. Investment in Unquoted Equity Shares of Kerala Enviro Infrastucture Ltd			
(50000 Unquoted Equity Shares @ Rs.10/-)	5.00	5.00	5.00
Less:- Provision for impairment in value of investment	-	-	-
Sub-total (b)	**5.00**	**5.00**	**5.00**
Total (a+b)	**1,800.04**	**990.45**	**1,063.44**
Aggregate amount of quoted investments (Fair Value)	1,795.04	985.45	1,058.44
Aggregate amount of quoted investments (Cost)	1,106.00	1,106.00	1,106.00
Aggregate amount of unquoted investments	5.00	5.00	5.00
Aggregate value of impairment of investment	689.04	(120.55)	(47.56)
Total	**1,800.04**	**990.45**	**1,063.44**

4b Other Financial Assets

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
(Considered good - Unsecured)			
Carried at amortized cost			
Deposits:			
i) KSEB	239.49	239.49	223.71
ii) EMD & Rent	58.86	51.71	53.71
iii) Telephone Deposit	1.68	1.68	1.68
Total	**300.03**	**292.88**	**279.10**

5. Other Non-Current Assets

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Other Deposits with authorities and high court	276.88	276.88	271.97
ii) Net Defined Benefit Asset with Gratuity Fund Trust (Refer Note No.30)			
Fair Value Of Plan Assets	1,651.82	1,729.48	-
Defined Benefit Obligation	(1,550.72)	(1,586.47)	-
Net Defined Benefit Asset	**101.10**	**143.01**	**0.00**
Total	**377.98**	**419.89**	**271.97**

6. Inventories

Accounting policy:

(i) Stores and spares, packing materials and raw materials are valued at lower of cost and net realisable value and for this purpose, cost is determined on moving weighted average basis. However, the aforesaid items are not valued below cost if the finished products in which they are to be incorporated are expected to be sold at or above cost.

(ii) Semi-finished products and finished products are valued at lower of cost and net realisable value and for this purpose, cost is determined on standard cost basis which approximates the actual cost. Variances, exclusive of abnormally low volume and operating performance, are adjusted to inventory.

(iii) By-products are valued at estimated net realizable value.

(iv) Trading goods are valued at lower of cost and net realizable value. Cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on a weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowances against obsolete and slow-moving inventories

The Company reviews the condition of its inventories and makes provision against obsolete and slow-moving inventory items which are identified as no longer suitable for sale or use, on the basis of technical assessment.

The Company carries out an inventory review at each balance sheet date and makes provision against obsolete and slow-moving items. The Company reassesses the estimation on each balance sheet date providing provision for slow moving inventory at 50% and in the case of obsolete items at 100%.

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
a. Raw materials and components	1,918.97	998.33	1,699.53
b. Raw material in Transit	25.96	-	-
Sub Total	1,944.93	998.33	1,699.53
c. Work in progress	1,010.56	938.00	1,133.84
d. Finished goods	1,423.96	978.47	2,265.34
e. Stores, Spare Parts and Packing Material	2,798.41	2,401.65	2,795.21
Less: Allowances for obsolescence of stores and spares.	(280.94)	(355.50)	(382.73)
Total	**6,896.92**	**4,960.95**	**7,511.19**

During the year, the Company has written back excess allowances for obsolescence of stores and spares amounting to Rs.74.56 Lakhs

7. Trade Receivables

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Considered good - Secured	-	-	-
Considered good - Unsecured	1,866.15	1,807.23	732.03
Which have significant increase in credit risk	-	0.48	3.09
Credit impaired	1,471.55	1,474.52	1,489.46
Less: Allowance for doubtful trade receivable	(1,471.55)	(1,474.52)	(1,489.46)
Less: Bills Receivables discounted	-	-	-
Total	**1,866.15**	**1,807.71**	**735.12**

Allowance for doubtful trade receivable is made, which in the opinion of the management are considered credit impaired. The Company is consistently following the practice of creating allowance for those trade receivables which remain outstanding for more than three years or doubtful of recovery. Trade receivables between two to three years showing significant credit risk have been provided for allowance.

The disclosure of movement as required under Indian Accounting Standard 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Rs. in Lakhs

Allowance for doubtful Trade receivables	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Provision at the beginning of the year	1,474.52	1,489.46	1,474.13
Provisions made during the year **	-	2.14	16.77
Released during the year *	2.97	17.08	1.44
Provision at the end of the year	**1,471.55**	**1,474.52**	**1,489.46**

* During the year the Company has collected/written off Trade Receivables to the tune of Rs.2.97 Lakhs (previous year Rs.17.08 Lakhs) for which allowance has already been created.

**Trade receivables provision is done as per ECL matrix.

Debtors ageing	Debtors	%	Provision
Not overdue	1853.34	-	-
90-180 Days	-	-	-
181-366 Days	-	-	-
367-730 Days	-	-	-
731-1095 Days	-	-	-
Above 1095 Days	1484.37	99.13	1471.55
Total	**3337.71**		**1471.55**

Trade Receivables ageing schedule

Particulars	Not due (less than 60 days)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Current Year 2023-24							
(i) Undisputed Trade receivables - considered good	1853.34						1853.34
(ii) Undisputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk							0.00
(ii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired						513.67	513.67
(IV) Disputed Trade Receivables-considered good							0.00
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk						970.69	970.69
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired							0.00
Total	1853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1484.36	3337.70
Less: Allowances for expected credit loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.55	1471.55
Net Amount	**1853.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.81**	**1866.15**

Particulars	Not due (less than 60 days)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Previous Year 2022-23							
(i) Undisputed Trade receivables - considered good	1791.84		0.19	0.49			1792.52
(ii) Undisputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk					0.48		0.48
(ii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired						590.00	590.00
(IV) Disputed Trade Receivables-considered good							0.00
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk						899.22	899.22
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired							0.00
Total	1791.84	0.00	0.19	0.49	0.48	1489.22	3282.23
Less: Allowances for expected credit loss	0.00	0.00	0.12	0.04	0.08	1474.28	1474.52
Net Amount	**1791.84**	**0.00**	**0.07**	**0.45**	**0.40**	**14.94**	**1807.71**

8. Cash and cash equivalents

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents):			
Current accounts	50.96	277.00	239.30
Saving Account *	1.58	153.43	149.25
Deposits with original maturity of less than three months	20.00	33.55	221.51
Cash on Hand	0.47	0.47	1.48
Cash and cash equivalents as per the statement of Cashflow	**73.01**	**464.45**	**611.54**

* Balance in Saving account is earmarked for the rental dues of Harchandrai House as per the direction of Small Causes Court, Mumbai.

9. Other Bank Balances

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Fixed Deposit against BG/LC	6,092.43	6,202.07	5,592.19
Deposit with original maturity of more than three months but less than twelve months	16,476.64	10,063.96	7,307.00
Total	**22,569.07**	**16,266.03**	**12,899.19**

10. Loans (Current asset)

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
A) Current Loans and Advances to Subsidiary Company (Secured, Considered good)			
M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd.	3,197.08	3,197.08	3,197.08
(B) Loans to employees			
Unsecured, Considered good	14.84	22.35	21.01
(C) Advance to suppliers			
Unsecured, Considered doubtful	65.00	65.00	65.00
Less: Allowance for doubtful advance to suppliers	65.00	65.00	65.00
	-	-	-
Total (A+B+C)	**3,211.92**	**3,219.43**	**3,218.09**

Loans and receivables are non-derivative financial assets which generate a fixed or variable interest income for the Company

Subsidiary Company, Hindustan Fluorocarbons Ltd, has created first charge in ROC, Hyderabad in favour of the company on 84.31 acres of land at Rudraram Village, Medak Dist., Telangana state towards zero coupon loan of Rs.2,744.07 Lakhs outstanding, the interest bearing loan of Rs.453.01 Lakh and interest accruing thereon till 31st March 2023 Rs.1075.05 (previous year Rs.1017.79 lakhs) is Rs.4,272.13 lakhs (previous year Rs.4,214.87 lakhs). As per the valuation report by an external registered independent valuer having professional qualification, the value of the property (Circle rate) comes to Rs.10,196.76 Lakhs.

11. Other Financial Assets

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
A) Interest receivable (Unsecured, Considered good)			
(i) Accrued Interest on Deposits (a)	574.86	358.29	316.25
(ii) Accrued Interest on Advance	106.08	106.08	106.08
Less: Provision for Doubtful repayment	106.08	106.08	106.08
Net amount (b)	**-**	**-**	**-**
(iii)Accrued Income from Township	-	-	5.53
Less : Allowances	-	-	5.53
Net amount (c)	**-**	**-**	**-**
B) Interest Receivables from Subsidiary Company			
Unsecured, considered good			
(M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd.)* (d)	1,075.05	1,075.05	1,017.79
Total (a+b+c+d)	**1,649.91**	**1,433.34**	**1,334.04**

* The Board of Directors approved the waiver of interest for the interest-bearing loans given to the Subsidiary Company, Hindustan Fluorocarbons Ltd (HFL), w.e.f. 01.04.2023 vide resolution No.404/4 dt.31.01.2023. Hence interest has not been provided from 01.04.2023 onwards.

12. Other Current Assets

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Deposits with the Collectorate of Central Excise and Customs	7.37	7.37	7.37
Less : Allowances for doubtful advance	2.90	2.90	2.90
Sub-total (a)	**4.47**	**4.47**	**4.47**
ii) Statutory receivables - Duties & Taxes, Prepaid Taxes	643.54	258.62	783.62
Less : Allowances for doubtful advance	4.29	4.29	4.29
Sub-total (b)	**639.25**	**254.33**	**779.33**
iii) Advances to suppliers	**207.91**	**146.10**	**277.26**
Less : Allowances for doubtful advance	4.31	4.31	4.31
Sub-total (c)	**203.60**	**141.79**	**272.95**
iv) Prepaid Expense	191.27	142.04	163.02
v) Other Advances Recoverable	25.69	28.56	39.81
vi) Accrued income on Employee Advances	2.38	4.69	8.15
vii) Recoverable from employees	60.41	60.41	60.41
Sub-total	**279.75**	**235.70**	**271.39**
Less : Allowances for doubtful advance	60.41	60.41	60.41
Sub-total (d)	**219.34**	**175.29**	**210.98**
Total (a+b+c+d)	**1,066.66**	**575.88**	**1,267.73**

13. Equity Share Capital

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023		As at 31.03.2022	
	Nos.	Rs.	Nos.	Rs.	Nos.	Rs.
Authorised Share Capital						
Equity Shares of Rs. 10 each						
Opening Balance	100,000,000.00	10,000.00	100,000,000.00	10,000.00	100,000,000.00	10,000.00
Increase/(decrease) during the year	-	-	-	-	-	-
Closing balance	**100,000,000.00**	**10,000.00**	**100,000,000.00**	**10,000.00**	**100,000,000.00**	**10,000.00**
Preference Shares of Rs. 10 each						
Opening Balance	270,000,000.00	27,000.00	270,000,000.00	27,000.00	270,000,000.00	27,000.00
Increase/(decrease) during the year	-	-	-	-	-	-
Closing balance	**270,000,000.00**	**27,000.00**	**270,000,000.00**	**27,000.00**	**270,000,000.00**	**27,000.00**
Total authorised capital	**370,000,000.00**	**37,000.00**	**370,000,000.00**	**37,000.00**	**370,000,000.00**	**37,000.00**
Issued equity capital						
Equity shares of Rs. 10 each issued, subscribed and fully paid						
Opening balance	67,173,100.00	6,717.31	67,173,100.00	6,717.31	67,173,100.00	6,717.31
Add: Paid-up amount on shares forfeited	-	9.65	-	9.65	-	9.65
Increase/(decrease) during the year	-	-	-	-	-	-
Total - Equity share capital	**67,173,100.00**	**6,726.96**	**67,173,100.00**	**6,726.96**	**67,173,100.00**	**6,726.96**

Terms/ rights attached to equity shares

The Company has only one class of equity shares having at par value of Rs.10 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

Details of shareholders holding more than 5% shares in the company and Shareholding of Promoters

Name of the shareholder	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023		As at 31.03.2022		% change during the year
	No. of shares	% Holding	No. of shares	% Holding	No. of shares	% Holding	
Equity shares of INR 10 each fully paid: The Government of India (Promoter)	39,481,500	58.78%	39,481,500	58.78%	39,481,500	58.78%	Nil

During the year 2010-11, the Company forfeited 1,93,000 shares of Rs.10 each (Rs.5 paid up) for non payment of allotment and call monies and the amount paid towards application money in respect of these forfeited shares has been transferred to “Share’s Forfeiture Account”.

14. Other Equity

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
a) Securities Premium Reserve			
Opening balance	4,838.57	4,838.57	4,838.57
Increase/(decrease) during the year	-	-	-
Closing balance	**4,838.57**	**4,838.57**	**4,838.57**
b) Retained Earnings			
Opening balance	(107,136.93)	(102,114.52)	(99,437.26)
Changes in accounting policy or prior period errors (Note No.35)	-	-	(58.44)
Restated balance at the beginning of the period	(107,136.93)	(102,114.52)	(99,495.70)
Add: Profit / (Loss) for the year	(5,531.70)	(5,022.41)	(2,618.82)
Add: Gain/Loss recognised through OCI (sale of land)	4,669.42	-	-
Closing balance	**(107,999.21)**	**(107,136.93)**	**(102,114.52)**
c) Other comprehensive income			
i) Revaluation of Property, plant & Equipment			
Opening balance	95,742.09	95,008.71	93,606.29
Add: Revaluation during the year (Note No.3a)	6,000.61	1,035.38	1,978.42
Add/(Less): Income tax (expense)/benefit of the above	(1,747.00)	(302.00)	(576.00)
Less: Gain/Loss recognised through OCI (sale of land)	(4,669.42)	-	-
Add : Income tax (expense)/ benefit of the above	971.00	-	-
Closing balance	**96,297.28**	**95,742.09**	**95,008.71**
ii) Equity Instrument through Other Comprehensive Income			
Opening balance	(84.55)	(32.56)	(192.08)
Add/Less: Net fair value gain/ loss on investment in equity instruments through OCI	809.59	(72.99)	224.52
Less: Income tax (expense)/ benefit of the above	(236.00)	21.00	(65.00)
Closing balance	**489.04**	**(84.55)**	**(32.56)**
iii) Changes in Employees defined benefits plan			
Opening balance	644.86	543.47	502.48
Add/Less: Revaluation during the year	-	-	-
Add/Less: Remeasurement of defined benefit plan	121.50	101.39	40.99
Closing balance	**766.36**	**644.86**	**543.47**
Total	**97,552.68**	**96,302.40**	**95,519.62**
Total Other Equity	**(5,607.96)**	**(5,995.96)**	**(1,756.33)**

Securities Premium Reserve - Where the Company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to "Securities Premium Reserve". The Company may issue fully paid-up bonus shares to its members out of the securities premium reserve and the Company can use this reserve for buy-back of shares.

15a. Lease

Accounting policy:

The Company assesses whether a contract contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

(i) the contract involves the use of an identified asset

(ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and

(iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognizes a right-of-use asset ("ROU") and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short-term leases) and low value leases. For these short-term and low value leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease.

As a lessee, the Company determines the lease term as the non-cancellable period of a lease adjusted with any option to extend or terminate the lease, if the use of such option is reasonably certain. The Company makes an assessment on the expected lease term on a lease-by-lease basis and thereby assesses whether it is reasonably certain that any options to extend or terminate the contract will be exercised. In evaluating the lease term, the Company considers factors such as any significant leasehold improvements undertaken over the lease term, costs relating to the termination of the lease and the importance of the underlying asset to HOCL's operations taking into account the location of the underlying asset and the availability of suitable alternatives. The lease term in future periods is reassessed to ensure that the lease term reflects the current economic circumstances.

Certain lease arrangements include the options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. ROU assets and lease liabilities includes these options when it is reasonably certain that they will be exercised.

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset. Right-of-use-assets are evaluated for recoverability whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amounts may not be recoverable. For the purpose of impairment testing, the recoverable amount (i.e. the higher of the fair value less cost to sell and the value-in-use) is determined on an individual asset basis unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those from other assets. In such cases, the recoverable amount is determined for the Cash Generating Unit (CGU) to which the asset belongs.

The lease liability is initially measured at amortized cost at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates in the country of domicile of these leases. Lease liabilities are remeasured with a corresponding adjustment to the related right of use asset if the Company changes its assessment if whether it will exercise an extension or a termination option.

Lease liability and ROU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

The Company as a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

Following are the changes in the carrying value of Right-of-Use Assets:

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Category of ROU asset : Building			
Balance at the beginning	-	-	-
Additions	128.08	-	-
Disposals	-	-	-
Depreciation	21.35	-	-
Balance at the end	**106.73**	**-**	**-**

The aggregate depreciation expense on ROU assets is included under depreciation and amortization expense in the statement of Profit and Loss

The following is the break-up of current and non-current lease liabilities as at March 31, 2024

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Current liability	21.05	-	-
Non-current liability	90.46	-	-
Total	**111.51**	**-**	**-**

The movement in lease liabilities during the year ended March 31, 2024 as follows :

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Balance at the beginning	-	-	-
Additions	127.87	-	-
Finance cost accrued during the period	7.64	-	-
Deletions	-	-	-
Payment of lease liabilities	(24.00)	-	-
Translation Difference	-	-	-
Balance at the end	**111.51**	-	-

15 b. Provisions (Long term liability)

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Employee's Benefits - Leave encashment (Refer Note No.30)	913.77	1,004.84	903.42
ii) Net defined Benefit Asset with Gratuity Fund Trust (Refer Note No.30)	-	-	-
Fair Value Of Plan Assets	-	-	(1,490.61)
Defined Benefit Obligation	-	-	1,936.88
Net Liability			**446.26**
iii) Other provision	23.13	23.13	23.13
Total	**936.90**	**1,027.97**	**1,372.81**

16. Deferred Tax liabilities

Accounting policy:

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences, except when the deferred tax liability arises from the initial recognition of Goodwill or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interests in the temporary differences will not reverse in the foreseeable future Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised, except: When the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Fair Value of Land	17,495.52	16,719.52	16,417.52
Fair Value of Investment in HFL	200.00	(36.00)	(15.00)
Net Deferred tax liability [Note No.39]	**17,695.52**	**16,683.52**	**16,402.52**

The deferred tax asset has not been recognised as there is no virtual certainty about the future adequate taxable profitability of the company. Also refer Note No.39.

17. Borrowings

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
17 a) Non Current Financial Liabilities-Borrowings			
EMC Loan (Secured)*	243.98	-	-
Total Non Current (a)	**243.98**	**-**	**-**
17 b) Current Financial Liabilities-Borrowings			
Current maturities of Govt. loan	-	-	7,695.09
Loan from GOI (Note No.19a)	45,256.46	45,256.46	37,561.37
Overdue 8% Non-cumulative Redeemable Preference Shares-GOI**	27,000.00	27,000.00	27,000.00
Bank Overdraft***	1,589.11	-	-
Current maturity on EMC LOAN (Secured)	42.35	-	-
Total Current (b)	**73,887.92**	**72,256.46**	**72,256.46**
Total Borrowings (a+b)	**74,131.90**	**72,256.46**	**72,256.46**
Aggregate Secured loans	1,875.44	-	-
Aggregate Unsecured loans	45,256.46	45,256.46	45,256.46

Note

1. The preference shareholders have no voting rights.

* The Company has taken loan of Rs. 299.00 lakhs for the purpose of retrofitting of inefficient compressor with energy efficient compressor

from Kerala State Energy Conservation fund, which is a revolving fund of Government of Kerala, Managed by Energy Management Centre (EMC). The fund was received on 20.03.2024 and the same is repayable in sixty equal instalments with an interest rate of 2% starting from the third month of release of financial assistance, as the funds were received near to the year -end the amount received has not been utilised for the above said purpose, during the year. The Company has paid Rs. 14.95 Lakhs to EMC as a one-time administrative cost.

** The Government of India had released earlier in the year 2006-07 Rs.27,000 Lakhs (for financial restructuring Rs. 25,000 Lakhs and Caustic Soda Plant recommissioning Rs. 2,000 Lakhs) against allotment of 8% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares, thereby broadening the capital base as per the revival scheme. The 8% Preference Shares were allotted to Government of India by the Board on 28th January, 2008, redeemable @ 20% commencing from 4th year with last redemption in the 8th year (ie.2015-16). At the request of the Company, Government of India had extended the commencement of redemption from financial year 2011-12 to financial year 2015-16 @ 25% each year. Government of India, had granted extension of redemption, subject to payment of interest @ 1.5 % pa, on the total amount of Rs.27,000 Lakhs and an amount of Rs.405 Lakhs has been provided in the books of accounts during the year. Further interest @1 % is payable for default in repayment and accordingly interest amount of Rs.270 Lakhs has been provided during the year.

***The Company has been sanctioned working capital facility from Bank on the basis of security of Deposit with Bank and is not required to submit any quarterly return or statements with the bank in respect of this facility.

18. Trade payables

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Current - Trade Payables			
i) Outstanding dues of micro and small enterprises	15.15	14.85	55.50
ii) Outstanding dues of other than micro and small enterprises	6,837.65	4,052.02	4,096.34
	6,852.80	**4,066.87**	**4,151.84**

Amount due to Micro, Small and Medium enterprises:

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
a) i) Principal amount remaining unpaid as at the end of each accounting year	15.15	14.85	55.50
ii) Interest due thereon	-	-	-
iii) Interest due and payable for the period of delay in payment	-	-	-
iv) Interest accrued and remaining unpaid	-	-	-
v) Interest due and payable even in succeeding years	-	-	-

b) Dues to Micro, Small and medium enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. All the dues to them are paid within due date and there is no overdue amount as on the closing date.

Trade payable ageing schedule

Rs.in Lakhs

Particulars	Not due (Less than 30 davs)	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Current Year 2023-24						
i) MSME	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
ii) Others	6820.65	12.00	0.00	0.00	0.00	6832.65
iii) Disputed dues-MSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) Disputed dues.Others	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
TOTAL	**6835.80**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**6852.80**
Previous Year 2022-23						
i) MSME	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
ii) Others	4033 .38	9.58	0.29	1.49	2.28	4047.02
iii) Disputed dues-MSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) Disputed dues.Others	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
TOTAL	**4048 .23**	**9.58**	**0.29**	**1.49**	**7.28**	**4066.87**

19. Other Current financial liabilities

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Interest on GOI loan	44,860.40	39,860.59	34,860.78
Interest on preference shares	6,885.00	6,210.00	5,535.00
Total Interest	**51,745.40**	**46,070.59**	**40,395.78**
Deposits from Vendors / Customers	244.68	227.47	209.09
Total	**51,990.08**	**46,298.06**	**40,604.87**

Note:

i) There is a continuing default in repayment of loan from Government of India since the year 2009-10 and the overdue amount towards principal is Rs.45,256.46 Lakhs (previous year Rs.45,256.46 Lakhs) and the interest accrued is Rs.44,860.40 Lakhs (previous year Rs.39,860.59 Lakhs), these amounts are shown under 'Other Current Liabilities'.

ii) During the year the Company has made provision in respect of Damages/Penalty/Penal interest and the total cumulative provision is given below.

a. Interest (1.5 %) on Preference Share (Rs.27,000 Lakhs) postponement of redemption for 4 year Rs.405.00 lakhs.

b. Interest on default in repayment of Preference Share Capital @ 1 % Rs.270.00 lakhs per year.

Total impact on account of the above is Rs.675.00 Lakhs for the year.

19a. Details of Loan from Govt. of India as on 31.03.2024

Rs.in Lakhs

Sl. No.	Govt. Sanction No.	Purpose	Date of sanction	Date of drawal	Due Date of Repayment	Rate of Interest	No. of instalments	Loan Amt. as on 31.03.2024	instalments due upto 31.03.2024	Total Interest upto 31.03.2024	Interest overdue upto 31.03.2024
									Note No.17	Note No.19	
1	51/11/2009-Ch.III	For various projects in Kochi unit.	01.12.2009	15-12-09	15-12-14	11.50%	5	660.00	660.00	1,084.85	1,084.85
2	51/11/2009-Ch.III	-do-	20.01.2010	22-01-10	22-01-15	11.50%	5	843.00	843.00	1,375.56	1,375.56
3	P.51012/01/2012-32	For various projects	12.09.2012	18-09-12	18-09-17	11.50%	5	1,760.00	1,760.00	2,334.53	2,334.53
4	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of interest on HOCL Bonds series XX with GoI guarantee.	07.09.2015	10-09-15	10-09-20	11.50%	5	1,057.00	1,057.00	1,040.04	1,040.04
5	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of interest on HOCL Bonds series XX & XXI with GoI guarantee.	22.09.2016	27-09-16	27-09-21	11.00%	5	2,461.00	2,461.00	2,032.92	2,032.92
6	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of interest on HOCL Bonds series XX with GoI guarantee.	02.08.2017	07-08-17	07-08-22	11.00%	5	1,057.00	1,057.00	773.12	773.12
7	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For repayment of principal HOCL Bonds series XX with GoI guarantee.	11.08.2017	14-08-17	14-08-22	11.00%	5	10,000.00	10,000.00	7,293.15	7,293.15
8	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For repayment of principal and interest on HOCL Bonds series XXI with GoI guarantee.	12.09.2017	19-09-17	19-09-22	11.00%	5	16,392.46	16,392.46	11,777.43	11,777.43
9	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of statutory dues related to employees and other.	28.09.2017	29-09-17	29-09-22	11.00%	5	11,026.00	11,026.00	7,888.57	7,888.57
	Interest outstanding on secured loan from Govt. of India (Secured by Fixed assets). The principal of loan have been fully paid.									3,329.41	3,329.41
	Interest outstanding on unsecured loan from Govt. of India. The principal of loan have been fully paid.									5,930.82	5,930.82
	Total							**45,256.46**	**45,256.46**	**44,860.40**	**44,860.40**

Note: The loan amount of Rs.45,256.46 lakhs are unsecured loans (Previous year unsecured loan Rs.45,256.46 Lakhs).

20. Short Term Provisions

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Employee Benefits_ Leave encashment (Refer Note No.30)	241.61	175.16	314.45
ii) Employee remuneration	795.00	543.00	315.81
iii) Statutory Claims	-	-	14.60
iv) Penal GOI guarantee fee	-	850.00	850.00
Total	**1,036.61**	**1,568.16**	**1,494.86**

21. Other current liabilities

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Advances from customers	480.03	555.59	412.81
ii) Statutory Liabilities	149.49	487.50	232.92
iii) Employee related Liabilities	92.39	99.80	130.79
iv) Payroll Recoveries Payable	15.28	17.98	20.59
v) Creditors for capital goods	29.34	-	-
vi) Other Liabilities	2,296.17	2,338.35	1,824.10
Total	**3,062.70**	**3,499.22**	**2,621.21**

22. Revenue from operations

Rs. In Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Revenue from operations - Sales of Products		
Phenol	41,595.36	42,127.59
Acetone	23,362.26	15,388.85
Hydrogen Peroxide	2,493.66	2,949.27
H. E. of Cumene	1,857.70	1,564.83
Cumox Oil	1,018.72	1,068.32
Cumene	61.30	44.70
Total Revenue from Operations.	**70,389.00**	**63,143.56**

23. Other income

Rs. In Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Direct income:		
Sale of Scrap	108.92	5.45
Sub-total (a)	**108.92**	**5.45**
Interest income on		
On Call and Term Deposits (Gross)	1,198.60	785.46
On Income tax refund	1.10	10.33
On Advances and Deposits with KSEB and others	16.74	16.02
On loan to Subsidiary Company	-	63.62
Delayed payment & Finance charges from trade receivable	-	0.93
Sub-total (b)	**1,216.44**	**876.36**
Other non-operating income		
Estate Rent	42.61	69.70
Transport, Water, Electricity,etc. recoveries	-	13.16
Exchange rate Diff - Gain	7.70	-
Excess provision written back*	77.53	65.12
Unclaimed credit	44.92	69.25
Miscellaneous Income	170.98	55.56
Sub-total (c)	**343.74**	**272.79**
Total (a+b+c)	**1,669.10**	**1,154.60**

*** Excess Provision written back include the following:**

1. Reversal of excess provision for doubtful debts	2.97	17.08
2. Provision no longer required in various cases	-	20.81
3. Excess Provision written back-Stores & Spares	74.56	27.23
Total	**77.53**	**65.12**

24. Cost of raw materials and components consumed

Rs. In Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Stock at the beginning of the year	998.33	1,699.53
Add: Purchases	51,225.32	41,978.06
Less: Stock at the end of the year	1,918.97	998.33
Total Cost of raw materials and components consumed	**50,304.68**	**42,679.26**

25. Changes in Inventories of Finished Goods and WIP

(Increase) / Decrease in inventory

Rs. In Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Stock at the beginning of the year		
(i) Stock-in-Process	938.00	1,133.84
(ii) Stock for Captive consumption	598.21	571.60
(iii) Finished Goods	351.81	1,659.54
(iv) By Products	28.45	34.20
Sub-total (a)	**1,916.47**	**3,399.18**
Stock at the end of the year		
(i) Stock-in-Process	1,010.56	938.00
(ii) Stock for Captive consumption	227.36	598.21
(iii) Finished Goods	1,157.37	351.81
(iv) By Products	39.23	28.45
Sub-total (b)	**2,434.52**	**1,916.47**
Changes in Inventories of finished goods and work in progress (a-b)	**(518.05)**	**1,482.71**

26. Employee benefit expense

Rs. In Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
a) Salary, Wages and allowances *	3,368.21	3,320.24
b) Contribution to Provident Fund and Other funds	319.36	310.53
c) Gratuity payment including premium for Group Gratuity - cum-Life assurance scheme	165.88	92.29
d) Provision for Leave Encashment	175.33	276.14
e) Staff welfare expenses		
Medical amenities	110.60	95.57
Canteen and Nutrition amenities	253.38	207.42
Other welfare expenses	81.59	53.39
f) Voluntary Retirement benefits (VRS &VSS)	-	-
Total	**4,474.35**	**4,355.58**

*Board recommended to implement salary revision of employees w.e.f. 25.01.2021 and the same was submitted to the Ministry of Chemicals and Fertilizers for approval. Company has provided Rs. 252 lakhs for the year 2023-24 and Rs.248.00 lakhs in the books of accounts towards provision for wage revision during the year 2022-23.

27. Finance costs

Rs. In Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Interest:		
On Fixed Loans (Govt. Loan)	4,999.81	4,999.81
On Preference shares	675.00	675.00
Interest on advance from customers	1,169.49	1,001.96
Interest on Lease Liability	7.64	-
Interest - Others	95.88	6.14
	6,947.82	6,682.91
Other Borrowing Cost-Bank charges	9.53	5.79
Total finance costs	**6,957.35**	**6,688.70**

28. Depreciation and amortization expense

Rs. In Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Depreciation		
Property, Plant and equipment	111.53	108.18
Investment Properties	2.17	2.16
Right-of-Use Asset	21.35	-
Amortization of intangible assets	8.73	8.41
Total	**143.78**	**118.75**

29. Other expenses

Rs. In Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Consumption of Stores and Spares		
i) Catalyst and Chemicals	637.23	483.28
ii) Consumable stores	300.04	265.07
iii) Packing materials	553.41	576.91
Subtotal (a)	**1,490.68**	**1,325.26**
Utilities		
Power	2,806.45	2,332.70
Fuel	9,572.66	8,252.19
Water	402.21	286.31
Subtotal (b)	**12,781.32**	**10,871.20**
Repairs & Maintenance:		
Building	113.67	125.00
Plant and Machinery	232.24	248.51
Other Assets	173.48	170.47
Subtotal (c)	**519.39**	**543.98**
Administration Expenses:		
Rent	7.74	34.92
Insurance	313.72	213.87

Rs. In Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Rates and taxes	353.90	351.08
Consultancy, Professional and Legal Charges	312.09	211.96
Payment to Auditors:		
Auditor	4.60	4.60
Taxation matters	0.90	0.90
Reimb. of Expenses	0.58	0.70
Other services	0.10	0.20
Other expenses:		
Power for Township	18.82	19.48
Water for Township	10.83	11.62
Security Expenses	240.56	270.01
Advertisement Expenses	7.44	6.88
Hire of Vehicles Expenses	51.24	30.93
Other Misc. Exp.	113.78	95.84
Subtotal (d)	**1,436.30**	**1,252.99**
Provisions:		
Provision for Doubtful Debts	-	2.14
Provision for Unidentified assets	-	-
Provision for doubtful rent	-	-
Subtotal (e)	**-**	**2.14**
Total (a+b+c+d+e)	**16,227.69**	**13,995.57**

30 EMPLOYEES BENEFIT PLAN:

A. Provision for leave encashment

The Company has made a provision and levied Rs.1,155.38 Lakhs (previous year Rs.1,180.00 Lakhs) for leave encashment as on 31st March, 2024, as per the Ind AS-19 based on Actuarial Valuation and the unpaid amount of leave encashment claims submitted by the employees.

B. Provident fund

Employees receive benefits from the provident fund managed by the Company upto 30th June 2018. From 1st July 2018 onwards the Company has transferred the Provident fund accounts of all employees to Employees Provident Fund Organisation (EPFO) and managed by EPFO. The employee and employer each make monthly contributions to the Provident Fund/Pension Fund plan equal to 12% of the employees' salary/wages.

C. Gratuity

Gratuity plan is governed by the Payment of Gratuity Act, 1972 and employee who has completed five years of service is entitled to gratuity and the level of benefits provided depended on the member's length of service and salary at retirement age. The Employees' Gratuity Fund Scheme, which is a defined benefit plan, is managed by the Trust through an Annuity Scheme maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC). The Company has considered return on plan assets as Other Comprehensive Income for the period. The balance fund available with LIC is Rs.1,651.34 Lakhs (Previous year Rs.1,729.04 Lakhs) and deposit with ICICI Bank Rs.0.45 Lakhs (Previous year Rs. 0.43 Lakhs)

All dues on account of gratuity of Rasayani unit and Kochi unit employees relieved upto 31.03.2024 have been paid and there are no further dues.

1. Funded Status of the plan

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Present value of funded obligations	1,550.72	1,586.47
Fair value of plan assets	(1,651.82)	(1,729.48)
Net Liability (Asset)	**(101.10)**	**(143.01)**

2a. Profit and loss account for current period

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Current Service Cost	57.00	65.83
Past Service cost and loss/gain on curtailments and settlement	-	-
Net Interest cost	106.42	26.45
Total included in 'Employee Benefit Expense' (P&L)	**163.42**	**92.28**

2b. Other Comprehensive Income for the current period

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Components of actuarial gain/losses on obligations:		
Due to Change in financial assumptions	(27.04)	(116.71)
Due to change in demographic assumption	-	-
Due to experience adjustments	25.62	40.95
Return on plan assets including amounts included in interest income	122.92	(25.63)
Amounts recognized in Other Comprehensive Income	**121.50**	**(101.39)**

3. Reconciliation of defined benefit obligation

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Opening Defined Benefit Obligation	1,586.47	1,936.87
Transfer in/(out) obligation	-	102.02
Current service cost	57.00	65.83
Interest Cost	107.83	105.42
Components of actuarial gain/losses on obligations:		
Due to Change in financial assumptions	(27.03)	(116.71)
Due to change in demographic assumption	-	-
Due to experience adjustments	25.62	40.95
Past Service Cost	-	-
Loss(gain) on curtailments	-	-
Liabilities Extinguished on settlement	-	-
Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase	-	-
Exchange differences on foreign plans	-	-
Benefits paid	(199.17)	(547.91)
Closing defined benefit Obligation	**1,550.72**	**1,586.47**

4. Reconciliation of plan Assets

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Opening value of plan assets	1,729.47	1,490.61
Transfer in (out) plan assets	-	102.02
Expenses deducted from the fund	-	-
Return on plan assets excluding amounts included in interest income	121.51	104.59
Assets distributed on settlements	-	-
Contributions by employer	-	580.17
Assets acquired in an amalgamation in the nature of Purchase	-	-
Exchange rate differences on foreign plans	-	-
Benefits paid	(199.17)	(547.92)
Closing value of plan assets	**1,651.81**	**1,729.47**

5. Reconciliation of net defined benefit liability

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Net opening provision in books of accounts	(143.00)	446.27
Transfer in (out) obligation	-	102.02
Transfer (in) out plan assets	-	(102.02)
Employee benefits Expense as per Annexure 2	163.42	92.28
Amounts recognized in other comprehensive income	(2.57)	(101.38)
	17.85	437.17
Benefits paid by the Company	-	-
Benefits settled (Rasayani Unit)	-	-
Contributions to plan assets	-	(580.17)
Closing provision in the books of accounts	**17.85**	**(143.00)**

Reconciliation of Assets Ceiling

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Opening Value of Assets Ceiling	-	-
Interest on Opening Value of Assets Ceiling	-	-
Loss/Gain on Assets due to surplus/Deficit	-	-
Closing Value of Plan Assets Ceiling	**-**	-

6. Composition of the Plan assets

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Government of India Securities	0%	0%
State government securites	0%	0%
High Quality Corporate Bonds	0%	0%
Equity shares of listed companies	0%	0%
Property	0%	0%
Special Deposit Scheme	0%	0%
Policy of Insurance	100%	100%
Bank Balance	0%	0%
Other Investments	0%	0%
Total	**100%**	**100%**

7. Bifurcation of liability as per schedule III

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Current liability	(101.09)	(143.01)
Non - Current liability	-	-
Net Liability	**(101.09)**	**(143.01)**

8. Principle acturial assumptions

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Discount Rate	7.15%	7.3% pa
Salary Growth rate	5.00%	6.00% pa
Withdrawal rates	3% at Younger ages reducing to 1% at older ages	3% at Younger ages reducing to 1% at older ages
Rate of Return on Plan Assets	**7.15% pa**	**7.30% pa**

9. Maturity Profile of Defined Benefit Obligation

	As at 31.03.2024	
	Cash Flows Rs. In Lakhs	Distribution (%)
Year 1 Cash Flow	315.49	13.70%
Year 2 Cash Flow	234.18	10.10%
Year 3 Cash Flow	244.68	10.60%
Year 4 Cash Flow	146.15	6.30%
Year 5 Cash Flow	242.15	10.50%
Year 6 to Year 10	542.11	23.50%

The future accrual is not considered in arriving at the above cash flows

The expected contribution for the next year is Rs 57.16 Lakhs.

The Average outstanding term of obligations (years) as at valuation date is 4.91 years

10.Sensitivity to key assumptions

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Discount Rate Sensitivity		
Increase by 0.5 %	1,513.28	1,546.07
(% change)	(2.41%)	(2.55%)
Decrease by 0.5%	1,590.04	1,628.93
(% change)	2.54%	2.68%
Salary Growth rate Sensitivity		
Increase by 0.5 %	1,569.65	1,606.01
(% change)	1.23%	1.23%
Decrease by 0.5%	1,530.12	1,565.91
(% change)	(1.3%)	(1.3%)
Withdrawal rate(W R) Sensitivity		
W. R x 110%	1,554.25	1,590.23
(% change)	0.23%	0.24%
W. R x 90%	1,547.09	1,582.63
(% change)	0.23%	(0.24%)

A description of methods used for sensitivity analysis and its Limitations:

Sensitivity analysis is performed by varying a single parameter while keeping all the other parameters unchanged.

Sensitivity analysis fails to focus on the interrelationship between underlying parameters. Hence, the results may vary if the two or more variables are changed simultaneously.

The method used does not indicate anything about the likelyhood of change in any parameter and the extent of the change if any.

Appendix A: Break-up of defined benefit obligation

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Vested	1,547.77	1,585.62
Non-vested	2.95	0.85
Total	**1,550.72**	**1,586.47**

Appendix B: Age wise distribution of defined benefit obligation

Rs. In Lakhs

Age (In years)	DBO	
	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Less than 25	-	-
25 to 35	10.43	7.99
35 to 45	173.99	180.06
45 to 55	709.81	801.35
55 and above	656.48	597.07
Accrued gratuity for Left Employees	-	-
Total	**1,550.71**	**1,586.47**

Appendix C: Past service wise distribution of defined benefit obligation

Rs. In Lakhs

Age (In years)	DBO	
	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
0 to 4	2.96	0.86
4 to 10	2.72	20.59
10 to 15	162.44	193.27
15 and above	1,382.60	1,371.75
Accrued gratuity for Left Employees	-	-
Total	**1,550.72**	**1,586.47**

MAJOR RISK TO THE PLAN

A. Acturial Risk:

It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons:

Adverse salary growth experience:

Salary hikes that are higher than the assumed salary escalations will result into an increase in obligation at a rate that is higher than expected.

Variability in mortality rates:

If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cashflow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.

Variability in withdrawal rates:

If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date.

B. Investment Risk

For funded plans that rely on insurers for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.

C. Liquidity Risk :

Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the Company there can be strain on the cashflows.

D. Market Risk:

Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.

E. Legislative Risk:

Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation/regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.

The Summary of the assumptions used in the valuations is given below:

Financial Assumptions (Table 9)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Discount rate	7.30% p.a	6.40% p.a
Salary Growth rate	6.00% p.a	7.00% p.a
Rate of Return on Plan Assets	Not applicable	Not applicable

Demographic Assumptions

Withdrawal rates p.a (Table 10)

Age Band	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
25 and below	3.00%	3.00%
25 to 35	2.50%	2.50%
35 to 45	2.00%	2.00%
45 to 55	1.50%	1.50%
55 and above	1.00%	1.00%

Mortality rates

Sample rates p.a of Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table 11

Age (In years)	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

Method of Valuation

Actuaries has used projected unit credit (PUC) Method to value the Defined benefit obligation.

31 INVESTMENT

a) The Company has an investment of Rs.1,106.00 lakhs (previous year Rs.1,106.00 lakhs) in the equity share of subsidiary company M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd. (HFL) which is under BIFR since 1994. The networth of the Company based on its latest audited balance sheet as at 31st March, 2024 is positive. Market value of the shares (face value Rs.10) as on 31.03.2024 was Rs.16.23 (Previous year Rs.8.91). Provision has been made in the books towards diminution in the value of these investments amounting to Rs.689.04 lakhs (Previous year Rs.120.55 lakhs). Government of India has decided to close down M/s.HFL as per CCEA decision on 29.01.2020. An amount of Rs.7,587 Lakhs (Rs.7,370 Lakhs on 26.05.2020 and Rs.217 Lakhs on 15.03.2022) has been released by Government of India as interest free loan to meet the VRS expenses and for clearing dues to Bank and suppliers.

b) During the year 2007-08, the Modified Draft Rehabilitation Scheme (MDRS) for revival of subsidiary - Hindustan Flurocarbon Ltd. (HFL) was approved by BIFR for implementation. As part of implementation of MDRS, HOCL had waived interest of Rs.2,260.26 lakhs accumulated on loan given to HFL and converted the unsecured loan amounting to Rs.2,744.07 lakhs as Zero Coupon Loan (ZCL), into secured loan by on HFL creating first charge on immovable property (land 84.31 acre valued to the extent of Rs.10,196.76 lakhs as per Govt. rate) in favour of HOCL. This loan was payable in 7 equal annual installments commencing from 2010-11, aggregating to Rs.2,744.07 lakhs (Previous year Rs.2,744.07 lakhs) which has become due and payable in full. Further, the Company had given loans to HFL aggregating to Rs. 453.01 lakhs (Previous Year Rs. 453.01 lakhs) at the interest rate of 10.25% to 14.50% which has become payable in full. This loan is also secured by first charge on the HFL immovable property. As per the valuation report by an external registered independent valuer having professional qualification the value of the secured property of 84.31 acre of land is Rs.10,196.76 lakhs as on date (previous year Rs.10,196.76 lakhs).

32. EARNING PER SHARE

Earnings per share has been calculated as follows:	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Net Profit/(Loss) after Tax (Rs. in lakhs)	(5531.70)	(5022.41)
Weighted average number of equity shares	67,173,100.00	67,173,100.00
Nominal Value per equity share (Rs.)	10.00	10.00
Basic / Diluted Earning per equity share (Rs.)	(8.23)	(7.48)

33. SEGMENT REPORTING

Since the Company is manufacturing only Chemicals, there are no separate reportable primary and secondary segments and all the chemicals manufactured by the Company are considered to have been representing as single reportable segment. The requirements of Indian Accounting Standard 108 with regard to disclosure of segmental results are therefore considered not applicable to the Company.

34. Contingent Liabilities & Commitments(to the extent not provided for)

Rs. In Lakhs

	i) Contingent Liabilities	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
a)	**Claims against the Company not Acknowledged as debts:**		
i)	Income Tax Claims	91.99	91.99
ii)	Excise duty / Service tax	104.63	104.63
iii)	Gratuity for School teachers	75.31	75.31
iv)	Other claims (Legal cases)	272.90	321.23
v)	Rental claim Harchandrai House	6,738.19	6,219.08
vi)	JNPT lease rent	3,318.86	3,318.86
vii)	Penal interest on Govt. Loans	9,398.38	8,258.81
viii)	Interest on interest on Govt. Loan	68,294.06	52,435.82

ix) Nilima Chemical Corporation	16.00	16.00
x) GST	41.97	-
	88,352.29	**70,841.73**
b) Bank Guarantees issued from Banks	2,137.73	2,645.80
ii) Commitments:		
Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	27.85	11.77

a) Claims against the Company not Acknowledged as debts:

i) Income Tax Claims: Rs.92.00 Lakhs.

There are various appeals for Assessment years are pending before authorities i.e. ITAT, High Court and other forums. The Company is awaiting for hearing, the details are as follows:-

A Y 2002-03 Rs. 70.49 Lakhs and AY 2011-12 Rs.21.50 Lakhs.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The Company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

ii) Excise duty / Service tax

The Company has ongoing disputes with Central excise authorities relating to the period 2006-07, amounting to Rs.104.63 Lakhs. Company has filed Appeals at various Tribunals.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The Company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

iii) Gratuity for School teachers

Case filed by the teaching staff of HOC Rasayani School for the period upto March 1997, pending before Bombay High Court (Rs.75.31 Lakhs) (as on 31.03.2024).

iv) Other claims (Legal cases): Rs.272.90 Lakhs (as on 31.03.2024).

a) Case filed by the Company against the award passed by MAC Tribunel, Trichur in relation to Phenol Tanker accident in 1994 (Rs.118 Lakhs)

b) ESI corporation has raised a demand for contribution during the period from 01.04.1992 to 31.10.1992 amounting to Rs.2.17 lakhs. The matter is pending with ESI Court, Ernakulam, as desired by the ESI Court we had applied for exemption from ESI Act to the Govt. of India, hence no liability is created and a contingent liability to that extend is provided.

c) The Company had invited open tender for work of construction of "Civil and Structural works for Construction of Plant Building, Technical Service Building, R&D Building, etc of PU System House Project. Company had issued the Work Order to M/s Shetusha Engineers & Constructions Pvt. Ltd. (SECPL). On account of delay and other shortcomings in the completion, company had deducted Liquidated damages. SECPL objected for the said deductions and filed an Arbitration Application before the Hon'ble High Court, Mumbai. Later the M/s SECPL had unconditionally withdrawn the said Arbitration Application from the Court. Further, M/s SECPL had filed Suit before the Hon'ble High Court, Mumbai against the Company for passing the Decree against the Company towards payment of Rs.113.35 Lakh including interest. The case is pending for final hearing (as on 31.03.2024).

d) The Company invoked the peformance gurantee given by M/s Vakharia Construction Company, Mumbai (VCC) to whom civil contracts had been alloted as the contract works were not completed as per the terms of the work order. The matter was referred to arbitration and later went to the High Court. The court ordered the Company to deposit Rs.12 lakhs and M/s VCC is allowed to withdraw the amount on submission of bank gurantee. The appeals filed before the Hight Court were dismissed. Now M/s VCC raised demand for bank gurantee commission paid to the bank and interest at the rate of 18% as the money decree passed by the Trial Court in favour of VCC was stayed due to filing civil application by the company. The liability estimated on this is Rs.39.38 lakhs and the matter is pending before court of law and accordingly shown under contingent liabilities (as on 31.03.2024).

v) Rental claim Harchandrai House Rs.6,738.19 Lakh (as on 31.03.2024).

As the Company has not vacated the office premises taken on lease from M/s Harchandrai & Sons as per their notice they initiated legal proceedings and stopped to accept the lease rent. The Company vacated the office premises during the year 2014. Landlords filed the Mesne Profit Application before Small Causes Court, Mumbai for Mesne profit for the period from 01/06/2000 to till the possession of the said premises. The Mesne profit application filed by M/s.Harchandrai & Sons is allowed by the Court of Small Causes, Mumbai on 02.05.2022 directing the Company to pay the mesne profit @Rs.138/- per sq.ft. for the period from 01/06/2000 to 31/12/2006, for subsequent period @ Rs.274/-per sq.ft. together with an interest@9% p.a. The total amount as per Order of Small Causes court, Mumbai for mesne profit for the period from 01/06/2000 to 31/03/2014 and interest thereon upto 31-03-2024 works out to Rs.7,251.97 lakhs(previous year Rs.6,982.86 lakhs). The valuer appointed by HOCL has submitted his report and the average rate is assessed @Rs.48.91 per sq.ft. which is not considered by the Small Causes Court, Mumbai. As per the legal opinion, the Company had filed appeal against the Order and the Company is of the opinion that there is uncertainities in crystalisation of demand other than the amount calculated as per the report of the HOCL valuer assessing mesne profit @Rs.48.91 per sq.ft. The amount of mesne profit calculated based on the report of HOCL valuer @Rs.48.91 per sq.ft is Rs.763.78 lakh has already been provided in the books of account for the year 2021-22. The difference amount of Rs.6,738.19 lakhs (7,251.97 - 513.78) is shown as contingent liability, HOC Limited has deposited an amount of Rs. 250.00 Lakhs in the Small Causes Court, Mumbai on 05.02.2024 as per directions given by the Bombay High Court. The Writ Petition filed in this matter was disposed of in March 2024 and the dispute pertaining to mesne profits valuation is pending in the Small Causes Court, Mumbai.

vi) JNPT lease rent: Rs.3,318.86 Lakhs (as on 31.03.2024).

The Company has entered into MoU with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to hand over the land alloted to the Company for setting up Liquid Tank Farm on lease basis along with assets of the Company 'as is where is basis'. The JNPT raised a demand of Rs.4,124 lakhs towards lease rentals and other charges. The Company has instituted arbitral proceedings and Arbitral Tribunal issued the award in favour of the Company. The assets of the Company valued as per the MoU at Rs.1,638.50 lakhs and same is agreed and paid by M/s.JNPT. The undisputed amount of lease rent payable by the Company to JNPT was computed on a mutual understanding between the Parties on the basis of arbitral award is Rs. 805.13 lakhs and the same is paid by the Company. The disputed amount includes lease rentals Rs.2,974.51 lakhs, water charges 0.65 Lakhs, way leave charges Rs.297.09 Lakhs and Service tax of way leave charges Rs.46.61 lakhs. The Company has shown balance amount of demand of JNPT after adjusting undispute lease rental paid as contingent liability since the appeal filed against the arbitral awards pending for hearing before High Court and the Company is of the opinion that no provision is required as there is uncertainities in crystatlisation of demand at this stage of litigation.

vii& viii) Interest at higher rate on Govt. Loans: Rs.9,398.31 Lakhs and Interest on defaulted interest on Govt. Loan Rs.68,294.06 lakhs

The Government of India reserves the right to raise the rate of interest in respect of loans granted to the company, in case of default of repayment of principal on the due date and also charge interest at rate on default in any of the payment of interest due. As there is default in payment of principal loan as well as interest due thereon, the company, in anticipation that the Government of India may demand higher rate on principal and interest on interest outstanding, arrived the additional

interest liability and shown as contingent liability. As per the balance confirmation given by the Government of India, the interest at the higher rate and interest on defaulted interest have not been included.

ix) Nilima Chemical Corporation (as on 31.03.2024).

This Civil Suit is filed by M/s Nilima Chemical Corporation in the year 1996 before the First Court of the Asstt. District Judge, 24 Parganas (South), West Bengal, India.

Brief Facts of the Matter:- HOCL was supplying the material to M/s Nilima Chemical Corporation ("NCC") against the bank guarantee ("BG") provided/submitted by NCC. During the course of business, NCC had failed to pay the overdue amount towards the supply of the material and hence on 15th May 1996 HOCL had written a letter to the concerned bank namely Vijaya Bank to enforce the BG to square up the overdue of the HOCL by NCC. Subsequently, Vijay Bank released the funds of/ from the BG in favour of HOCL. Thus, being aggrieved with this step/ decision NCC filed the Civil Suit for passing the decree of an amount of Rs.3,90,681.90 before the First Court of the Asstt. District Judge, 24 Parganas (South). This Suit was decreed ex-parte and the Advocate of NCC informed Company vide his letter dated 24th Novmeber 2011 that they are executing the said Decree. Subsequently, HOCL had filed Misll. Case No.156 of 2011 for setting aside the said Decree and/or Suit be heard on merits. HOCL also filed the Caveat in the said matter on 25th August 2011. Company had also filed affidavit for opposing the Title Execution Case No. 11 of 2014. Now, the said case is pending before the Court for hearing. This Execution Application is filed by NCC against HOCL for execution of the Decree passed in 45 of 1996 (Ex-parte). This matter was came up for hearing on 10th November 2021 on this date the Advocate for HOCL Mrs. Saroj Tulsian tried to seek adjournment but Court declined the request for adjournment and matter was partly heard on 10th November 2021. Civil Revision Application has been filed in Calcutta High Court challenging the orders passed by lower court and the revision application hearing is still pending.

x) GST Demand Rs. 41.97 Lakhs

A Show cause Notice received from GST audthorities dated 04-09-2023, from the Joint Commissioner of Central Tax & Central Excise I S Press Road. Kochi. on 10 th September, 2023. In the show cause notice it is mentioned that HOCL has availed and utilized Input Tax credit of Rs.61,977,794/-, wrongly for the period July, 2017 to July, 2018, and requested to give written reply within 30 days from the receipt of above show cause notice .At the time of implementation of GST and filing of GSTR-3B for the period July, 2017 to July 2018, GST amount of Credit notes issued to Customers was added to Input tax credit instead of deducting the same from sales amount. In effect there will not be any change in the net GST amount payable. As requested by Joint Commissioner (GST) , We have represented our case to Joint Commissioner (GST) through M/s. Krishna Iyer & Co our GST consultant and submitted CA certificates collected from Customers for Rs.600.01 Lakhs- before 12-12-2023.The final order was passed by JC the demand of Rs.619.77 Lakhs was reduced to Rs.19.76 Lakhs, and issued DRC07 for Rs. 41.97 Lakhs- (GST Rs.19.76Lakhs+ Interest Rs. 20.23 Lakhs+Penalty Rs. 1.97Lakhs). Further we have collected CA Certificates for Rs.11.58lakhs - which is kept with us and will be produced to GST authorities after collecting the certificates for the balance amount. We have filed Appeal against order No. .16/2023-24 GST (JC) DATED-12-12-2023 OF THE JOINT COMMISSIONER, CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI COMMISSIONERATE On 27-02-2024

xi) The amount of claims in respect of legal cases filed against the Company for labour matters relating to regular and retired employees and not acknowledged as debts is not ascertainable.

b) Bank Guarantees issued Rs.2,137.73 Lakhs

The Company has submitted bank guarantees to Kerala State Electricity Board amounting to Rs.192.37 lakhs, BPCL Rs.4,600 lakh, MRPL Rs.1,000 Lakhs and Rs.300.00 Lakhs to others. The Company does not expect any outflow in respect of the above. Contingent liability and commitments has been shown against bank guarantees issued to MRPL Rs.1,000.00 Lakhs only.

II) Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for: Rs.27.85 Lakhs

Rs. In Lakhs

Work order issued for the following contracts.	2023-24	2022-23
a) Resurfacing of roads in Township	27.85	0
Total	**27.85**	**0**

35. Disclosure relating to error or omission as per Ind AS 8

In accordance with Ind AS 8, 'Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors' and

Ind AS 1,'Presentation of Financial Statements', the Company has retrospectively restated its Balance Sheet as at 1 April 2022 (beginning of the preceding period) for the reasons as stated below

Rs. In Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Retained earnings			**(99,437.26)**
Restatement in other current assets	-	-	(58.44)
Total	**-**	**-**	**(58.44)**
Restated Retained Earnings	**-**	**-**	**(99,495.70)**

Other current assets - Statutory receivables (including duties, taxes, and prepaid taxes) included an amount of Rs. 58.44 lakhs considered as refund receivable for prior assessment years. However, the assessments for those years have been completed, and the refunds have been issued or adjusted against income tax demands for other years, with no appeals pending. As the error or omission occurred prior to the financial year 2021-22, the aforementioned amount has been adjusted in accordance with the provisions of Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. This adjustment entails a retrospective restatement of the opening balances of retained earnings for the earliest prior period presented, i.e., 01.04.2022, as if a prior period error had never occurred.

36. RELATED PARTY DISCLOSURE AS PER Ind- AS 24

Since Government of India owns 58.78% of the Company's equity share capital (under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals), the disclosures relating to transactions with the Government and other Government controlled entities have been reported in accordance with para 26 of Ind AS 24.

List of related parties where control exists and also related parties with whom transactions have taken place and relationships:

Rs. In Lakhs

Sl. No.	Name of the Related Party Relationship	Relationship	Details of Transaction	Amt. of Transaction during 2023-24	Outstanding at the end of the year (31.03.2024)	Amt. of Transaction during 2022-23	Outstanding at the end of the year (31.03.2023)	Amt. of Transaction during 2021-22	Outstanding at the end of the year (31.03.2022)
1	Hindustan Flurocarbon Ltd. (HFL)	Subsidiary company with 56.43% share holding.	Interest on loan given to HFL	-	4,272.13	63.62	4,272.13	63.62	4,214.87
2	Bharat Petroleum Corporation Ltd	Controlled by Government of India.	Purchase of Raw materials (LPG, Benzene, FO, H2 & LNG)	53,834.61	6,201.50	37,659.45	3,462.27	22,883.56	3,051.35
3	Bharat Petroleum Corporation Ltd	Controlled by Government of India.	Sale of Finished Goods (H2O2)	42.84	22.00	43.00	29.08	15.07	22.84
4	Indian Oil Corporation Limited	Controlled by Government of India.	Purchase of Raw materials/ Fuel	7,317.37	25.01	6,130.67	-59.52	478.67	-
5	Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited	Subsidiary of ONGC	Purchase of Raw materials (Benzene)	386.14	-	5,496.25	-	-	-
Trust constituted by the Company									
6	HOCL Group Gratuity Trust	-do-	Investment and interest on investment	121.49	1,651.82	682.19	1,729.48	610.89	1,490.61

REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Rs. In Lakhs

Description	Short-term employee benefits	Post-term employee benefits	Other long-term benefits	Termination benefits	Share-based payments	Total
2023-24						
A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:						
Shri. Sajeev B, CMD	38.91	4.97	-	-	-	43.88
Shri. Yogendra Prasad Shukla	31.08	4.18	-	-	-	35.26
B. Remuneration to Other Directors						
i) Govt. Nominee Directors						
Shri Sanjay Rastogi (AS&FA) (Up to 22.11.2023)	-	-	-	-	-	-
Shri Kanishk Kant Srivastava.	-	-	-	-	-	-
Shri Manoj Sethi (From 22.11.2023)	-	-	-	-	-	-
ii) Independent Directors						
Dr. Bharat J. Kanabar	1.30	-	-	-	-	1.30
Shri Pratyush Mandal	1.30	-	-	-	-	1.30
C. Key Managerial Personnel						
Shri. Subramonian H	13.79	1.91	-	-	-	15.70
Total	**86.38**	**11.06**	**-**	**-**	**-**	**97.44**
2022-23						
A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:						
Shri. Sajeev B, CMD	36.80	4.56	-	-	-	41.36
Shri. Yogendra Prasad Shukla (From 04.07.22)	21.68	2.90	-	-	-	24.58
B. Remuneration to Other Directors						
i) Govt. Nominee Directors						
Shri Sanjay Rastogi (AS&FA)	-	-	-	-	-	-
Shri Kanishk Kant Srivastava.	-	-	-	-	-	-
ii) Independent Directors						
Dr. Bharat J. Kanabar	1.10	-	-	-	-	1.10
Shri Pratyush Mandal	1.10	-	-	-	-	1.10
C. Key Managerial Personnel						
Shri. Subramonian H	13.10	1.76	-	-	-	14.86
Shri. P.O. Luise, CFO (up to 04.08.2022)	9.29	1.22	-	-	-	10.51
Total	**83.07**	**10.44**	**-**	**-**	**-**	**93.51**

Note: In the ordinary course of its business, the Company enters into transactions with other Government controlled entities (not included in the list above).

The Company has transactions with other Government-controlled entities,including but not limited to the followings:

Sales and purchases of goods and ancillary materials; Rendering and receiving of services; Receipt of dividends; Loans and advances; Depositing and borrowing money; Guarantees and Uses of public utilities.

These transactions are conducted in the ordinary course of business on terms comparable to those with other entities that are not Government controlled entities.

37. Financial Instruments :

Accounting policy:

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset.

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at its amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and

interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in other income in the statement of profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the statement of profit or loss.

Debt instrument at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified at FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the Company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Profit and Loss. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to Profit and Loss. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

Debt instrument at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as FVTPL. In addition, the Company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The Company has designated certain debt instrument as at FVTPL. Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The Company makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable. If the Company decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to statement of profit and loss, even on sale of investment. However, the Company may transfer the cumulative gain or loss within equity. Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

De-recognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is primarily derecognised (i.e. removed from the Company's balance sheet) when:

the rights to receive cash flows from the asset have expired, or the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either

(a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognise the transferred asset to the extent of the Company's continuing involvement. In that case, the Company also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the Company applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortized cost e.g., loans, debt securities deposits, trade receivables and bank balance

b) Financial assets that are debt instruments and are measured as at FVTOCI

c) Lease receivables under Ind AS 17

d) Trade receivables or any contractual right to receive cash or another financial asset that result from transactions tha are within the scope of Ind AS 18 (referred to as 'contractual revenue receivables' in these financial statements)

e) Financial guarantee contracts which are not measured as at FVTPL

The Company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on:

Trade receivables and Other receivables

The application of simplified approach does not require the Company to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition. For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the Company determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-month ECL is used to provide for impairment loss.

However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognising impairment loss allowance based on 12-month ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (i.e., all cash shortfalls), discounted at the original EIR. When estimating the cash flows, an entity is required to consider:

All contractual terms of the financial Instrument (including prepayment, extension, call and similar options) over the expected life of the financial instrument. However, in rare cases when the expected life of the financial instrument cannot be estimated reliably, then the entity is required to use the remaining contractual term of the financial instrument.

Cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms. financial assets measured as at amortised cost, contractual revenue receivables and lease receivables: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the balance sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the Company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or payables, as appropriate. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs. The Company's financial liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including bank overdrafts, financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109. Gains or losses on liabilities held for trading are recognised in the statement of profit and loss.

Loans and borrowings

This is the category most relevant to the Company. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process.Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit and loss. This category generally applies to borrowings.

Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the Company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurrs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

De-recognition

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit and loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the standalone balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

A Fair value measurement

The Company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs. All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole

Level 1 — Includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity instruments, traded bonds and mutual funds that have quoted price. The fair value of all equity instruments (including bonds) which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price as at the reporting period. The mutual funds are valued using the closing NAV.

Level 2 — The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds, over-the-counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Level 3 — If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration and indemnification asset

Financial assets and liabilities measured at fair value-recurring fair value measurements :

Rs. In Lakhs

Description	As at 31st March, 2024				As at 31st March, 2023			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets :								
Loans	-	-	3,211.92	3,211.92	-	-	3,219.43	3,219.43
Trade Receivables	-	-	1,866.15	1,866.15	-	-	1,807.71	1,807.71
Investments	1,795.04	-	5.00	1,800.04	985.45	-	5.00	990.45
Cash and cash equivalents	-	-	73.01	73.01	-	-	464.45	464.45
Bank balances other than Cash			22,569.07	22,569.07			16,266.03	16,266.03
Other Financial Assets	-	-	1,949.94	1,949.94	-	-	1,726.22	1,726.22
Total Financial assets	**1,795.04**	**-**	**29,675.09**	**31,470.13**	**985.45**	**-**	**23,488.84**	**24,474.29**
Financial Liabilities								-
Borrowings	-	-	74,131.90	74,131.90	-	-	72,256.46	72,256.46
Lease liabilities			111.51	111.51			-	-
Trade payables	-	-	6,852.80	6,852.80	-	-	4,066.87	4,066.87
Other Financial Liabilities	-	-	51,990.08	51,990.08	-	-	46,298.06	46,298.06
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**133,086.29**	**133,086.29**	**-**	**-**	**122,621.39**	**122,621.39**

Categories of Financial Instruments

A Fair Values hierarchy :

Rs. In Lakhs

Description	As at 31st March, 2024				As at 31st March, 2023			
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost	Total	FVTPL	FVOCI	Amortised Cost	Total
Financial assets :								
Loans	-	-	3,211.92	3,211.92	-	-	3,219.43	3,219.43
Trade Receivables	-	-	1,866.15	1,866.15	-	-	1,807.71	1,807.71
Investments	-	1,800.04	-	1,800.04	-	990.45	-	990.45
Cash and cash equivalents	-	-	73.01	73.01	-	-	464.45	464.45
Bank balances other than Cash	-	-	22,569.07	22,569.07	-	-	16,266.03	16,266.03
Other Financial Assets	-	-	1,949.94	1,949.94	-	-	1,726.22	1,726.22
Total Financial assets	**-**	**1,800.04**	**29,670.09**	**31,470.13**	**-**	**990.45**	**23,483.84**	**24,474.29**
Financial liabilities				-				-
Borrowings	-	-	74,131.90	74,131.90	-	-	72,256.46	27,000.00
Lease liabilities	-	-	111.51	111.51	-	-	-	45,256.46
Trade payables	-	-	6,852.80	6,852.80	-	-	4,066.87	4,066.87
Other current financial liabilities	-	-	51,990.08	51,990.08	-	-	46,298.06	46,298.06
Total Financial liabilities			**133,086.29**	**133,086.29**			**122,621.39**	**122,621.39**

38. Financial risk management

i. Market risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Such changes in the values of financial instruments may result from changes in the foreign currency exchange rates, interest rates, credit, liquidity and other market changes. The Company's exposure to market risk is primarily on account of foreign currency exchange rate risk.

a) Foreign currency exchange rate risk

The fluctuation in foreign currency exchange rates may have potential impact on the statement of profit and loss and other comprehensive income and equity, where any transaction references more than one currency or where assets / liabilities are denominated in a currency other than the functional currency of the Company but as company balance in foreign currency hence company is not exposed to foreign currency exchange rate risk

b) Interest rate risk

The Company's investments are primarily in subsidiary through quoted equity share and unquoted equity share of other entity therefore none of the investment activity is generating interest out of the investment. Hence, the Company is not significantly exposed to interest rate risk.

ii. Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss arising from counterparty failure to repay or service debt according to the contractual terms or obligations. Credit risk encompasses of both, the direct risk of default and the risk of deterioration of creditworthiness as well as concentration of risks. Credit risk is controlled by analysing credit limits and creditworthiness of customers on a continuous basis to whom the credit has been granted after obtaining necessary approvals for credit.

Financial instruments that are subject to concentrations of credit risk principally consist of trade receivables, unbilled receivables, investments, cash and cash equivalents, bank deposits and other financial assets, company generating revenue for individually in excess of 10% or more of the Company's revenue for the year ended March 31, 2024 from the below mention customer.

Name of customer	Amt of revenue (Rs.Lakhs)	% of total revenue
POOJA PETRO CHEMICALS	21,300.59	30%
PONPURECHEMICAL INDIA P LTD	9,164.73	13%
NEEPRA TRADING CO.	8,444.33	12%

Geographic concentration of credit risk

Geographical concentration of trade receivables, unbilled receivables (previous year: unbilled revenue) and contract assets is allocated based on the location of the customers.

iii. Liquidity risk

Liquidity risk refers to the risk that the Company cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements.

The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserve, banking facilities and reserve borrowing facilities, continuously monitoring forecast and actual cash flow and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

39. Deferred Tax

For the Year 2023-24 — Rs. in Lakhs

Description	Opening Balance 01.04.2023	Recognised in P & L	Reversal on account of Probability checking of Future Profit	Recognised in P & L	Recognised in OCI	Closing Balance 31.03.2024
Deferred Tax Liability						
Excess Provision W/back	-	-	-	-	-	-
Provision for impairment W/Back	-	-	-	-	-	-
Revaluation of land in Fair Value	20,775.52	-	-	-	1,747.00	22,522.52
Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE	(4,056.00)	-	-	-	(971.00)	(5,027.00)
Fair Value of Investment in HFL	(36.00)	-	-	-	236.00	200.00
	16,683.52	**-**	**-**	**-**	**1,012.00**	**17,695.52**
Deferred Tax Asset						
Depreciation	-	25.00	(25.00)	-	-	-
Provision for Leave Encashment	-	51.00	(51.00)	-	-	-
Voluntary Retirement Benefits (VRS/ VSS)	-	-	-	-	-	-
Provision for Doubtful Debts	-	-	-	-	-	-
Provision for Doubtful Advances	-	-	-	-	-	-
Provision for Long Term Agreements	-	-	-	-	-	-
Provision for Obsolescence	-	-	-	-	-	-
Provision for Statutory claims	-	-	-	-	-	-
Accumulated Income tax loss to the extent of deferred tax liability	-	-	-	-	-	-
	-	**76.00**	**(76.00)**	**-**	**-**	**-**
Net Deferred tax liability	**16,683.52**	**(76.00)**	**76.00**	**-**	**1,012.00**	**17,695.52**

For the Year 2022-23 — Rs. in Lakhs

Description	Opening Balance 01.04.2022	Recognised in P & L	Reversal on account of Probability checking of Future Profit	Recognised in P & L	Recognised in OCI	Closing Balance 31.03.2023
Deferred Tax Liability						
Revaluation of land in Fair Value	20,473.52	-	-	-	302.00	20,775.52
Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE	(4,056.00)	-	-	-	-	(4,056.00)
Fair Value of Investment in HFL	(15.00)	-	-	-	(21.00)	(36.00)
	16,402.52	**-**	**-**	**-**	**281.00**	**16,683.52**
Deferred Tax Asset						
Depreciation	-	18.00	(18.00)	-	-	-
Provision for Leave Encashment	-	80.00	(80.00)	-	-	-
Voluntary Retirement Benefits (VRS/ VSS)	-	-	-	-	-	-
Provision for Doubtful Debts	-	1.00	(1.00)	-	-	-
Provision for Doubtful Advances	-	-	-	-	-	-
Provision for Long Term Agreements	-	-	-	-	-	-
Provision for Stock Obsolescence	-	-	-	-	-	-
Provision for Statutory claims	-	-	-	-	-	-
	-	**99.00**	**(99.00)**	**-**	**-**	**-**
Net Deferred tax liability	**16,402.52**	**(99.00)**	**99.00**	**-**	**281.00**	**16,683.52**

40. Additional disclosures

Financial, Liquidity and Other Ratios

Ratios	Components of Numerator	Components of Denominator	For the Year ended 31.03.2024	For the Year ended 31.03.2023	% Variance	Explanation by Management
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	0.96	1.00	-3.82%	
Debt Equity Ratio	Total debt	Shareholders' Equity	112.49	161.87	-30.51%	The fair value of Kochi land increased and thereby total equity has increased.
Debt Service Coverage Ratio	Earnings available for debt service	Debt service	0.00	0.01	-64.50%	Earnings reduced due to Net Loss increase during the year 2023-24 and Debt increased due to provision of interest of GOI loan and preference shares
Return on Equity Ratio	Net profit after tax	Shareholders' Equity	-598.02%	-176.17%	-421.85%	Net Loss increased during the year 2023-24 and Net worth decreased due to loss during the year.
Inventory Turnover Ratio	Sales	Average Inventory	32.36	23.76	36.19%	Sales increased but average inventory reduced during the current year
Trade Receivables Turnover Ratio	Net Sales	Average Trade Receivables	38.32	49.66	-22.84%	
Trade Payables Turnover Ratio	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	9.38	10.22	-8.15%	
Net Capital Turnover Ratio	Net Sales	Average Working Capital	-29.90	21.31	-240.30%	Current liability has increased in 2023-24 due to the increase of Trade payables and interest due on govt. loan.
Net Profit Ratio	Net profit after tax	Net Sales	-7.86%	-7.95%	0.10%	
Return on Capital Employed	Profit Before Interest and Taxes (PBIT)	Capital Employed	0.99%	1.23%	-0.24%	
Return on Investment	Dividend	Share Price	-	-	0.00%	

41 Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015- as per Regulation 17(1)(b), the chairman being an executive director, at least half of the board of Directors should be comprised of Independent Directors. Currently, the Company does not have required number of Independent Directors on its board. Accordingly, there is consequent non-compliance of Regulations 18,19 and 20 of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 . Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 - as per the Regulation 17 (1) (a) of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015, Board of Directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one Woman Director and not less than fifty percent of the Board of Directors shall comprise of non-executive directors. Currently, the Company does not have Woman Director on its Board.

42 Going concern

a) The Company has reported net profit including other comprehensive income of Rs.388.00 lakhs (Previous year net loss including other comprehensive income of Rs.4,239.63 lakhs) Also the Company has accumulated loss amounting to Rs 1,07,999.21 lakhs (Previous year Rs.(1,07,136.93) lakhs) with a negative networth of Rs.96,433.68 lakhs (Previous year Rs.95,571.40 lakhs) excluding other comprehensive income. The Company has a balance under current assets of cash and cash equivalents and other bank balances of Rs 22,642.08 lakhs (Previous year Rs.16,730.48 lakhs) as at the year end. After considering these conditions, the standalone financial statement of the Company have been prepared on going concern basis.

b) The Company is in the process of implementing of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the Company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbered land in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. Phenol plant located at Kochi is operational and was operated at 119% of capacity in current year as against 93% in previous year . The production (Phenol+ Acetone) increased to 77130 MT in current year from 60656 MT in previous year. EBIT for the year 2023-24 Rs. 1,425.65 Lakhs (Previous year 2022-23 Rs.1,602.67 Lakhs) , in view of this, the financial statement have been prepared on going concern basis.

43 No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

44 No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

45 Relationship with Struck off Companies

Relationship with Struck off Companies as on 31st March 2024

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Balance outstanding	Relationship with the Struck off Company, if any, to be disclosed
Sharp Chemical Inds. P. ltd.	Sales	Rs. 3.31 Lakh	Debtor
Nice agro Enterprise	Sales	Rs. 0.28 Lakh	Debtor
Balaji Industries	Sales	Rs.0.49 Lakh	Debtor

46 No charge or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

47 No Loans or Advances in the nature of loan is granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013,) either severally or jointly with any other person during the year.

48 There is no capital- work- in progress as on 31.03.2024

49 The Company has complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.

50 There is no intangible assets under development

51 No proceedings have been initiated or pending against the Company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made there under.

52 Company is not declared as a wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

53 Company has no transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961), unless there is immunity for disclosure under 11 any scheme and also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year.

54 The Company is not required mandatorily to carry out any CSR activities on account of losses incurred during the previous years.

55 The Company has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

56 The Standalone Financial Statements were authorized for issue in accordance with a resolution passed by the Board of Directors on 22.05.2024

57 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN : 24021855BKAOAA1083

Place: Ernakulam
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Subramonian H.
Company Secretary

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The Members of Hindustan Organic Chemicals Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

1. We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED (hereinafter referred to as the "Holding Company") and its subsidiaries (Holding Company and its subsidiary together referred to as "the Group"), for the year ended 31 March 2024, and the consolidated statement of profit and loss (including other comprehensive income), consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements").

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at 31 March 2024, of its consolidated loss and other comprehensive income, consolidated changes in equity and consolidated cash flows for the year then ended.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under Section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those SAs are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated Financial Statements in terms of the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the relevant provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence obtained by us is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Consolidated Financial Statements.

Material Uncertainty Related to Going Concern

4. We draw attention to note no. 43 to the accompanying Statement, the Group has reported net loss including other comprehensive income of Rs. 62.87 lakhs (Previous year net loss including other comprehensive income of Rs. 4,698.95 lakhs) Also the company has accumulated loss amounting to Rs 1,14,670.64 lakhs (Previous year Rs.1,13,877.61 lakhs) with a negative net worth of Rs.1,03,105.11 lakhs (Previous year Rs. 1,02,312.08 lakhs) excluding other comprehensive income. The company has a balance under current assets of cash and cash equivalents and other bank balances of Rs 25,370.76 lakhs (Previous year Rs.19,813.76 lakhs) as at the year end.

   There is a material uncertainty that has impacted the Going Concern assumption of the Subsidiary Company, and the Subsidiary Company is no longer considered a Going Concern. Consequently, the provisions of Ind-AS 105 "Non-Current Assets held for Sale and Discontinued Operations" have become applicable and are being followed by the Subsidiary Company.

   The Holding Company, with the approval of the Government of India, is in the process of divesting and selling its loss-making unit at Rasayani, Mumbai. This unit includes assets with a carrying amount of Rs. 94,550.32 lakhs, including 517.819 acres of land. As represented to us, this process is expected to generate sufficient cash flow for the Holding Company. Additionally, the Kochi unit of the Holding Company is operational, and the Company is currently implementing a restructuring plan approved by the Central Government.

   After considering these conditions, the Consolidated Financial Statements have been prepared on a going concern basis. Our conclusion remains unmodified in this regard.

Emphasis of Matter

a. We draw attention to note 36b of the accompanying Consolidated Financial Statements regarding the previous classification of the discontinued operations of the Subsidiary Company as continuing operations in the previous year. In accordance with the provisions of Ind-AS 8, Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors, the Group has reclassified these operations as discontinued.

   Our conclusion is not modified in respect of this matters.

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the financial year ended March 31, 2024. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. For each matter below, our description of how our audit addressed the matter is provided in that context.

6. In addition to the matter described in the 'Material Uncertainty Related to Going Concern' section, we have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report. We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements section of our report, including in relation to these matters. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements. The Statements of our audit procedures, including the procedures performed to address the matters below, provide the basis for our audit opinion on the accompanying consolidated financial statements.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit?
Revenue recognition – Discounts, incentives and rebates See Notes 2.2(a) to Consolidated financial statements	
• The measurement of revenue, considering discounts, incentives, and rebates provided to customers, is a critical aspect of our audit. • The Company's extensive presence in diverse marketing regions and the dynamic nature of the competitive business environment contribute to the complexity and judgment involved in assessing various types of discounts, incentives, and rebates. • Consequently, there is an inherent risk of revenue misstatement due to potential variations in the evaluation of these elements. • Given the intricate nature and reliance on judgment in assessing provisions for discounts, incentives, and rebates, this constitutes a key audit matter.	Our audit procedures included: • We have assessed the Company's accounting policies relating to revenue, discounts, incentives and rebates by comparing with applicable accounting standards. • We have assessed the design and implementation and tested the operating effectiveness of Company's internal controls over the provisions, approvals and disbursements of discounts, incentives and rebates. • We have assessed the Company's computations for accrual of discounts, incentives and rebates, on a sample basis, and compared the accruals made with the approved schemes and underlying documents. • We have compared the historical trend of payments and reversal of discounts, incentives and rebates to provisions made to assess the current year accruals • We have examined the manual journals posted to discounts, rebates and incentives to identify unusual or irregular items.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit?
Contingencies, including litigations and tax See Note 2.2 (d) and 35 to Consolidated Financial Statements	
• The Company routinely encounters legal complexities, encompassing disputes, lawsuits, regulatory matters, and other issues inherent in regular business operations. Many of these situations involve intricate details. • Supported by external legal advisors, the Company meticulously evaluates each circumstance to determine whether provisions should be made or contingencies disclosed. • This aspect is crucial for our audit due to the intricate nature of accounting and disclosure concerning potential legal and tax liabilities. The challenge lies in predicting outcomes and estimating financial impacts, especially in unfavourable scenarios. • Furthermore, the financial implications of these legal considerations are, or have the potential to be, significant to the Consolidated financial statements. Therefore, a thorough examination is essential in ensuring the accuracy of the financial reporting	Our audit procedures, among others included the following: • We evaluated the design and tested the operating effectiveness of controls relating to identification and evaluation of claims, proceedings and investigations at different levels in the Company, and the measurement of provisions for disputes, potential claims and litigation, contingent liabilities and disclosures • We obtained a list of ongoing litigations from the Company's in-house legal counsel. • We selected a sample of litigations based on materiality and performed inquiries with the said counsel on the legal evaluation of these litigations. We compared the evaluation with the provision or disclosure in the Consolidated financial statements. • We tested the underlying computation of the management in relation to the measurement of provision or the contingency. • We obtained legal letters from the Company's external legal advisors with respect to the matters included in the summary. Where appropriate, we examined correspondences connected with the cases. • We inspected relevant communication with tax authorities. • We involved tax experts in assessing the nature and amount of material tax positions and assessed the technical merits based on the correspondence and assessments from the relevant tax authorities. • We also evaluated the disclosures made in the Consolidated financial statements.

The Key Audit Matter	How the matter was addressed in our audit
Valuation of Inventory See Note 6 to Consolidated Financial Statements	
• The verification and valuation of raw materials, semi-finished, and finished goods is a meticulous manual undertaking. During this process, indirect production costs are estimated and integrated into inventory costs, involving judgment and estimation. • The allocation of these costs is subject to uncertainty at the time of estimation. Furthermore, price fluctuations depend on multiple factors, including domestic, global, and various other external factors. • In addition, management exercises judgment in identifying and evaluating obsolete inventories and slow-moving stock items, while also estimating the appropriateness of necessary provisions. Given the subjective nature of these judgments and the inherent uncertainties, we have identified this as a Key Audit Matter.	Our audit approach involved the following combination of tests of control design, implementation, operating effectiveness, and substantive testing in respect of verification and valuation of inventories: • Understanding and evaluating the design and testing the operating effectiveness of controls over the physical count process and measurement of such inventory; • We evaluated the system of inventory monitoring and control. Reviewing data from software used by the Company such as Distributed Control System for plant operations, independent PLC for the safety of the Plant, Tank Level Monitoring System "LMS" for detailed statistics about the stock of raw materials, finished products, and intermediate products, along with various alarms, warnings, and history of the tank operations, etc. • Physically observing inventory measurement and count procedures carried out by management to assess its appropriateness and completeness and performing roll-backword/ roll-forward procedures. • Obtaining and inspecting inventory measurement and physical count Statements, including assessing and evaluating the Statements of analysis performed and adjustments made by the Management in respect of differences between book and physical quantities. • Testing on a sample basis the accuracy of the cost for inventory. Testing the net realizable value by comparing the actual cost with the most recent selling price. Based on the above procedures performed, we did not identify any material exceptions in the measurement of inventory.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

7. The Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility and Sustainability Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the consolidated financial statements, standalone financial statements and our auditor's report thereon.

8. Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

9. In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

10. If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

11. The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Act with respect to the preparation and presentation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance including other comprehensive income, consolidated changes in equity and consolidated cash flows of the Group in accordance with the Ind AS and other accounting principles generally accepted in India. The respective Boards of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which have been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Company, as aforesaid.

12. In preparing the consolidated financial statements, the respective Boards of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the ability of the respective entities to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the respective Boards of Directors either intend to liquidate their respective entities or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

13. The respective Boards of Directors of the companies included in the Group are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

14. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated financial statements.

15. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

    - Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
    - Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under Section 143(3) (i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls with reference to financial statements in place and the operating effectiveness of such controls.
    - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management and Board of Directors.
    - Conclude on the appropriateness of the Management and Board of Directors use of the going concern basis of accounting in preparation of consolidated financial statements and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the appropriateness of this assumption. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
    - Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

16. We communicate with those charged with governance of the Holding Company and such other companies included in the consolidated financial statements of which we are the independent auditors regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

17. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

18. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

19. The Holding Company has waived off interest chargeable on loans amounting to Rs. 453.01 lakhs advanced to the Subsidiary Company. As per the provisions of Section 186(7) of the Companies Act, 2013, no loan shall be given at a rate of interest lower than the prevailing yield of one year, three-year, five year or ten-year Government Security closest to the tenor of the loan. In our opinion, the Holding Company has violated the provisions of section 186(7) of the Companies Act, 2013.

20. We have not audited the financial statements of one subsidiary, which report total assets (before consolidation adjustments) of Rs. 6,364.60 lakhs as of March 31, 2024, and total income (before consolidation adjustments) of Rs. 208.21 lakhs for the year ended on that date. These financial statements have been audited by other auditors, and their report has been provided to us by the management. Our opinion on the consolidated financial statements, regarding this subsidiary's amounts and disclosures, as well as our report under sub-section (3) of Section 143 of the Act, concerning this subsidiary, are based solely on the report of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 issued by the Central Government of India in terms of sub-section 11 of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A", a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. As required by the directions and sub directions issued by the office of the Comptroller & Auditor General of India under section 143 (5) of the Act, we give in the "Annexure B" a statement on the matters referred in those directions.

3. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit, we report that:

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements.

   b) In our opinion, proper books of account as required by law have been maintained by the Group, including relevant records relating to preparation of the aforesaid Consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books.

   c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss including Other Comprehensive Income, the Consolidated Statement of Cash Flow and Consolidated Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements.

   d) In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements comply with the Ind AS specified under section 133 of the Act.

   e) As per Notification No. G.S.R. 463(E) dated June 5, 2015, the Government Companies are exempted from provisions of section 164 (2) of the Act. Accordingly, the said section is not applicable to the Holding and Subsidiary Company. Hence, we are not required to report whether any directors are disqualified in terms of provisions contained in the said section.

   f) With respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statements of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Group's internal financial controls with reference to Consolidated Financial Statement.

   g) Being Government Companies, pursuant to the notification number GSR 463(E) dated 5th June, 2015 issued by the Government of India, the provisions of section 197 of the Act are not applicable to the Group.

   h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

      i. The group has disclosed the impact of pending litigations on its financial position and disclosed in its Consolidated financial statements - Refer Note no. 35 of the financial statements on Contingent Liabilities.

      ii. The group did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

      iii. There were no amounts which were required to be transferred to Investor Education and Protection Fund by the group.

      iv. (a) The management has represented that, to the best of their knowledge and belief, as disclosed in the Note 45 to the consolidated financial statements, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the group to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the group ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

      (b) The management has represented that, to the best of their knowledge and belief, as disclosed in the Note 46 to the consolidated financial statements, no funds have been received by the group from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the group shall directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Parties ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

      (c) Based on the audit procedures that have been considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e), as provided under (a) and (b) above, contain any material misstatement.

      v. The Group has not declared or paid dividend during the year.

      vi. Based on our examination, which included test checks, the Group has used accounting softwares for maintaining its books of account for the financial year ended March 31,2024 which has a feature of recording audit trail (edit log) facility and the same has operated throughout the year for all relevant transactions recorded in the softwares. Further, during the course of our audit we did not come across any instance of the audit trail feature being tampered with.

      As proviso to Rule 3(1) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is applicable from April 1, 2023 reporting under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules,2014 on preservation of audit trail as per the statutory requirements for record retention is not applicable for the financial year ended March 31,2024.

21. Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015;

    The Holding Company has not complied with the Regulations 17(1)(a) and 17(1)(b) in respect of maintenance of an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one-woman director and not less than fifty percent of the board of Directors comprised of Independent Directors. Our conclusion is not modified in respect of this matter.

For **Paulson and Company**
Chartered Accountants
FRN 002620S

CA. Paulson K.P.
Partner
Membership No. 021855
UDIN: 24021855BKAOAB3272

Kochi
22 May 2024

ANNEXURE "A" TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT OF EVEN DATE ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

(Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report of even date)

As per proviso to Para (2) to the Companies (Auditor's Report) Order, 2020, the clauses (i) to (xx) of the said order are not applicable to the auditor's report on Consolidated Financial Statements of the Group.

However, with respect to clause (xxi) of the said order we report that:

(xxi) Qualifications or adverse remarks by the respective auditors in the Companies (Auditors Report) Order (CARO) reports of the companies included in the Consolidated Financial Statements are:

S l . No.	Name	CIN	Holding Company/ Subsidiary Company	Clause number of the CARO report which is qualified or is adverse
1.	Hindustan Organic Chemicals Limited	L99999KL1960GOI082753	Holding Company	3(i)(a)(A), 3(i)(c), 3(iii)(b), 3(iii)(c), 3(iii)(d), 3(iii)(f), 3(iv), 3(vii)(b), 3(ix), 3(xvii)
2.	Hindustan Fluorocarbons Limited	L25206TG1983PLC004037	Subsidiary Company	3(ix)(a), 3(x)(a), 3(xvii), 3(xix).

For **Paulson and Company**
Chartered Accountants
FRN 002620S

CA. Paulson K.P.
Partner
Membership No. 021855
UDIN: 24021855BKAOAB3272

Kochi
22 May 2024

ANNEXURE B TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in Paragraph 2 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of Hindustan Organic Chemicals Limited of even date)

As required by the directions and sub directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under 143 (5) of the Act, we give below our comments on the matters referred therein.

A. Directions

S l . No.	C&AG Direction	Statement of Statutory Auditor	
		Holding Company	Subsidiary Company
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated.	Based on the explanations provided and our verification, we've identified the following systems used for processing the Company's accounting transactions: a) Tally ERP Prime, an accounting ERP software, is utilized for maintaining accounting transactions. b) The fixed assets register is managed using an MS Office Excel utility. c) Payroll management is handled by a separate HRM software system. d) Unit trial balance consolidation is conducted through an MS Office Excel utility. Based on our verification, we haven't encountered any accounting transactions being processed outside the aforementioned systems. We recommend establishing proper integration between these systems and the primary accounting software to mitigate potential risks of data loss or corruption during data migration and transfer.	As per the information, explanations and records produced for our verification, the Company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system and there are no instances of processing of accounting transactions outside the IT system.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/ loan/interest etc. made by a lender to the Company due to the Company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated. Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of lender company).	The Company has defaulted on the repayment of loans and preference shares obtained from the Government of India, with a total principal amounting to Rs. 72,256.46 Lakhs. Based on the information given to us, no restructuring or waivers/write-offs of debts, loans, or interest have been undertaken. Therefore, we are not commenting on the financial impact and accounting of the same.	During the year under review, there are no instances of any restructuring of existing loan availed by the Company or cases of waiver/ write off of debts/ loans/interest made by a Lender to the Company except interest waiver for loan taken from the HOCL with effect from 01-04-2023 on account of company's inability to repay the loan;
3	Whether funds (grants/ subsidy etc.) received/ receivable for specific schemes from Central/ State Government or its agencies were properly accounted for/ utilized as per its terms and conditions? List the cases of deviation.	Not applicable since the Company has not received any funds from Central/State Government or its agencies for specific schemes.	Refer Note (I) below.

B. Sub Directions

S l . No.	C&AG Direction	Statement of Statutory Auditor
1	State the area of land under encroachment and briefly explain the steps taken by the company to remove encroachment.	1) According to the information and explanations given by the management 65.840 acres of land at the Rasayani Unit, Maharashtra, of the Company has been identified as 'under encroachment' With respect to this, the following steps taken by the management to remove the encroachment, a) The Company is constantly communicating with the Senior Government officials of Govt.of Maharashtra for taking prompt steps for removing encroachment by the farmers at the land at Rasayani Unit. b) The Company is also co-ordinating with the Ministry of Chemicals and Petrochemicals, Government of India, for the speedy resolution in the above case. c) The above recommendations include various proposals including settlement arrangements with the encroachers. d) The Company has also filed suits in some instances. 2) According to the information and explanations given 32.547 acres of land at Rasayani Unit, Maharashtra, are under the possession of various entities such as MIDC, MSEB, HIL, MES etc. With respect to this, the following steps taken by the management to remove the encroachment, a) the Company is constantly following up with the concerned officials for the recovery or registration of the said land possessed by such entities. b) In case of the land leased out to MES, the Company has issued the notice of termination of lease to the party. However, the property is still under the possession of the lessee -MES. The matter is pending before Arbitration authority and the proceedings are under progress.

S l . No.	C&AG Direction	Statement of Statutory Auditor
		c) 10.576 acres of land at the Rasayani Unit.Maharashtra has been acquired by Governmental authorities and public road has been constructed. Hence, the Company does not have possession as well as ownership with respect to the said land. 3) According to the information and explanations given, 2.046 acres of land are outside the boundary walls of Ernakulam factory land and were not included in the re-survey and land tax is paid for land inside the boundary wall.
2	Whether there is any effective system for follow up of accumulated trade receivables especially which are more than three years old?	The Group has trade receivables amounting to Rs. 1,645.16 lakhs, which is more than three years old. The Group has assessed and provided a sum of Rs. 1,503.19 lakhs as provision for bad and doubtful assets. Based on the information provided to us, the management is following up with the above debtors for the recovery and has initiated legal proceedings against some of such cases.
3	Whether there was an adequate system for watching actual consumption against norms in case of raw materials, Intermediaries and utilities?	Based on the information given to us, the Company prepares monthly statements comparing the actual consumption of raw material, intermediaries and utilities against the established norms as MIS Report.

C. Note (I)

As per the information, explanations and records produced for our verification, as a part of closure direction given by GoI, an amount of Rs.7,720 Lakhs was sanctioned by GoI as Interest Free Term Loan to be exclusively utilized for closure related expenditure including (a) implementation of VRS/VSs for HFL employees, their dues, statutory dues, payment to suppliers/contractors/ utilities dues and repayment of SBI working capital loan (b) salary/wages and administrative expenses of HFL's skeletal staff to be temporarily retained for completing the closure of HFL for two years.

Following table shows the said Interest Free Loan amount sanctioned, received and spent upto 31-03-2024 for the said purpose against each head of expenditure.

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars of Fund requirements for closure	Estimated Amount	Amount Released	Actual amount spent upto 31.03.2024	Amount yet to be spent
1	Implementation of VRS/VSS	2,350	2,232	1,763	469
2	Payment of salary/ wages and statutory dues of employees	2,000	1,840	1,793	47
3	Payment of wage revision arrears (1997 & 2007)	1,430	1,430	1,415	15
4	Provision for salary/wages and administrative expenses of skeletal staff to be retained for implementation of closure plan (for 2 years @ 350 Lakhs per year)	700	967	967	0
5	Suppliers / Contractors dues	525	403	204	199
6	Working capital cash credit (SBI)	515	515	515	0
7	Water & Electricity dues	200	200	84	116
	Total	**7,720**	**7,587**	**6,741**	**846**

Considering the timelines given for the purpose, as could be seen from the above, there was delay in spending the amounts, particularly in case of Suppliers/Contractor Dues, Water & Electricity Dues, Implementation of VRS as well as Payment of Salaries/Wages/Statutory Dues of employees

As the Independent Auditor's report to the Standalone financial statements of the subsidiary company does not contain the report of the independent auditor on the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India u/s 143(5) of the Act, we have not reported anything in respect of the subsidiary company.

For **Paulson and Company**
Chartered Accountants
FRN 002620S

CA. Paulson K.P.
Partner
Membership No. 021855
UDIN: 24021855BKAOAB3272

Kochi
22 May 2024

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

The preparation of consolidated financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2024 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 22 May 2024.

1, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the consolidated financial statements of Hindustan Organic Chemicals Limited for the year ended 31 March 2024 under Section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Guljari Lal)
Director General of Audit (Shipping), Mumbai

Place: Mumbai
Date: 29 July 2024

Consolidated Balance Sheet as at 31st March 2024

Rs. in Lakhs

Particulars	Note No.	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Assets				
Non Current Assets				
a) Property, Plant and Equipment	3a	22,370.24	16,375.07	15,348.07
b) Investment Property	3b	84.41	86.58	88.74
c) Right-of-Use Asset	15a	106.73	-	-
d) Other Intangible Assets	3c	13.63	18.86	27.24
e) Financial Assets				
(i) Investments	4a	5.00	5.00	5.00
(ii) Other Financial Assets	4b	300.03	292.88	279.10
f) Other Non-current Assets	5	377.98	419.89	271.97
Total (Non current Assets)		**23,258.02**	**17,198.28**	**16,020.12**
Current Assets				
a) Inventories	6	6,896.92	4,960.95	7,651.25
b) Financial Assets:				
(i) Trade Receivables	7	1,995.31	1,936.87	864.28
(ii) Cash and cash equivalents	8	133.34	726.80	766.33
(iii) Bank balances other than (ii) above	9	25,237.42	19,086.96	14,906.04
(iv) Loans	10	14.84	22.35	21.01
(v) Other Financial Assets	11	753.59	369.27	385.17
c) Other Current Assets	12	1,223.25	725.21	1,411.09
d) Assets held for sale	3d	97,721.76	1,02,391.18	1,03,929.34
Total (Current Assets)		**1,33,976.43**	**1,30,219.59**	**1,29,934.51**
Total Assets		**1,57,234.45**	**1,47,417.87**	**1,45,954.63**
Equity and Liabilities				
a) Equity				
Equity Share capital	13	6,726.96	6,726.96	6,726.96
b) Other Equity				
(i) Securities Premium	14a	4,838.57	4,838.57	4,838.57
(ii) Retained Earnings	14b	(1,14,670.64)	(1,13,877.61)	(1,08,551.67)
(iii) Other Comprehensive Income	14c	97,961.67	97,284.98	96,450.22
Total Other Equity		**(11,870.40)**	**(11,754.06)**	**(7,262.88)**
Total Equity		**(5,143.44)**	**(5,027.10)**	**(535.92)**
Non Controlling interest		**(3,602.22)**	**(3,655.69)**	**(3,432.91)**
Liabilities				
Non-Current Liabilities:				
a) Financial Liabilities:				
(i) Borrowings	17a	243.98	-	-
(ii) Lease Liabilities	15a	90.46	-	-
b) Provisions	15b	936.90	1,027.97	1,372.81
c) Deferred Tax Liabilities (Net)	16	17,495.52	16,719.52	16,402.52
Total (Non-Current Liabilities)		**18,766.86**	**17,747.49**	**17,775.33**
Current Liabilities:				
a) Financial Liabilities				
(i) Borrowings	17b	83,054.92	81,423.46	81,423.46
(ii) Lease Liabilities	15a	21.05	-	-
(iii) Trade payables:				
Dues to micro and small enterprises	18	15.15	14.85	55.50
Dues to Others	18	6,843.51	4,067.96	4,144.71
(iv) Other Financial Liabilities	19	52,823.25	47,133.85	41,441.46
b) Provisions	20	1,036.61	1,568.16	1,690.31
c) Other Current Liabilities	21	3,418.76	4,144.89	3,392.69
Total (Current Liabilities)		**1,47,213.25**	**1,38,353.17**	**1,32,148.13**
Total Liabilities		**1,65,980.11**	**1,56,100.66**	**1,49,923.46**
Total Equity and Liabilities		**1,57,234.45**	**1,47,417.87**	**1,45,954.63**
Accounting Policies	2			
Notes to the Consolidated Financial Statements	1&3-59			

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

Sd/-
CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN: 24021855BKAOAB3272

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Sd/-
Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

Sd/-
Subramonian H.
Company Secretary

Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March, 2024

Rs. in Lakhs

Particulars	Note No.	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Continuing Operations			
INCOME:			
Revenue from operations	22	70,389.00	63,143.56
Other Income	23	1,669.10	1,090.98
Total Income		**72,058.10**	**64,234.54**
EXPENSES:			
Cost of materials consumed	24	50,304.68	42,679.26
Changes in Inventories of Finished Goods and work-in- progress	25	(518.05)	1,482.71
Employee benefits expenses	26	4,474.35	4,355.58
Finance costs	27	6,957.35	6,688.70
Depreciation and amortization expenses	28	143.78	118.75
Other expenses	29	16,227.69	13,995.57
Total expenses		**77,589.80**	**69,320.57**
Profit / (Loss) from Continuing Operation before Exceptional items		**(5,531.70)**	**(5,086.03)**
Less: Exceptional items		-	-
Profit/(Loss) from Continuing Operation before tax		**(5,531.70)**	**(5,086.03)**
(1) Current tax		-	-
(2) Deferred tax		-	-
Less: Tax expenses		-	-
Profit/(Loss) from Continuing Operation after tax		**(5,531.70)**	**(5,086.03)**
Discontinued Operations			
Profit/(loss) from discontinued operations before tax	36b	**122.72**	**(447.69)**
Tax expenses of discontinued operations		-	-
Profit/(loss) from discontinued operations after tax		**122.72**	**(447.69)**
Net Profit/ (Loss) for the year		**(5,408.98)**	**(5,533.72)**
Other Comprehensive Income from Continuing Operation			
(i) Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss			
a) Revaluation of Property, plant & equipment	3a	6,000.61	1,035.38
Income tax (expense)/benefit of the above		(776.00)	(302.00)
b) Net fair value gain/loss on investment in equity instruments through OCI		-	-
Income tax (expense)/benefit of the above		-	-
c) Remeasurement in defined benefit plan	30	121.50	101.39
Other Comprehensive Income for the year, net of tax		**5,346.11**	**834.77**
Other Comprehensive Income from discontinued Operation		**-**	**-**
Total Comprehensive Income from continuing and discontinued operations		**5,346.11**	**834.77**
Total Comprehensive Income for the year		**(62.87)**	**(4,698.95)**
Loss from Continuing Operation attributable to :			
a) Owners of the Company		(5,531.70)	(5,086.03)
b) Non controlling interest		-	-
Profit/(Loss) from Discontinued Operation attributable to :			
a) Owners of the Company		69.25	(252.63)
b) Non controlling interest		53.47	(195.06)
Net Profit/ (Loss) for the year attributable to :			
a) Owners of the Company		(5,462.45)	(5,338.66)
b) Non controlling interest		53.47	(195.06)
Other Comprehensive Income attributable to :			
a) Owners of the Company		5,346.11	834.77
b) Non controlling interest		-	-
Total Comprehensive Income attributable to :			
a) Owners of the Company		(116.34)	(4,503.89)
b) Non controlling interest		53.47	(195.06)
Earnings per share (Face value of Rs.10 each)			
(a) Basic - Continuing Operation		(8.23)	(7.57)
(b) Diluted - Continuing Operation		(8.23)	(7.57)
(c) Basic - Discontinued Operation		0.18	(0.67)
(d) Diluted - Discontinued Operation		0.18	(0.67)
(e) Basic - Continuing Operation & Discontinued Operation		(8.05)	(8.24)
(f) Diluted - Continuing Operation & Discontinued Operation		(8.05)	(8.24)
Accounting Policies	2		
Notes to the Consolidated Financial Statements	1&3-59		

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

Sd/-
CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN: 24021855BKAOAB3272

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Sd/-
Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

Sd/-
Subramonian H.
Company Secretary

Statement of Changes in Equity for the year ended 31st March, 2024

A. EQUITY SHARE CAPITAL

Rs. in Lakhs

Particulars	Balance as at	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance as at	Changes in equity share capital during the current year	Balance as at
	01.04.2023	2023-24	01.04.2023	2023-24	31.03.2024
Equity shares of Rs.10 each	6726.96	-	6726.96	-	6726.96

EQUITY SHARE CAPITAL

Rs. in Lakhs

Particulars	Balance as at	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance as at	Changes in equity share capital during the current year	Balance as at
	01.04.2022	2022-23	01.04.2022	2022-23	31.03.2023
Equity shares of Rs.10 each	6726.96	-	6726.96	-	6726.96

B. OTHER EQUITY

Rs. in Lakhs

Particulars	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instrument	Reserves and surplus				Items of Other Comprehensive Income (OCI)						Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium	Other Reserves (specify nature)	Retained Earnings	Debt instruments through Other Comprehensive Income	Equity Instruments through Other Comprehensive Income	Effective portion of Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange diff. on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of OCI (Changes in Employees defined benefits plan)		
Current Reporting Period 2023-24														**2023-24**
Balance as at 01.04.2023	-	-	-	4,838.57	-	(113,877.61)	-	-	-	97,432.59	-	(147.61)	-	(11,754.06)
Changes in other equity due to changes in accounting policy or prior period errors	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Restated balance as at 01.04.2023	-	-	-	4,838.57	-	(113,877.61)	-	-	-	97,432.59	-	(147.61)	-	(11,754.06)
Profit/(Loss) for the year	-	-	-	-	-	(5,462.45)	-	-	-		-	121.50	-	(5,340.95)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)										5,224.61				5,224.61
Total Comprehensive Income for the current year	-	-	-	4,838.57	-	(119,340.06)	-	-	-	102,657.20	-	(26.11)	-	(11,870.40)
Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	-	4,669.42	-	-	-	(4,669.42)	-	-	-	-
Balance as at 31.03.2024	-	-	-	4,838.57	-	(114,670.64)	-	-	-	97,987.78	-	(26.11)	-	(11,870.40)
Previous Reporting period 2022-23														**2022-23**
Balance as at 01.04.2022	-	-	-	4,838.57	-	(108,493.23)	-	-	-	96,699.21	-	(249.00)	-	(7,204.45)
Changes in other equity due to changes in accounting policy or prior period errors (Note No.14b)	-	-	-	-	-	(58.44)	-	-	-	-	-	-	-	(58.44)
Restated balance as at 01.04.2022	-	-	-	4,838.57	-	(108,551.67)	-	-	-	96,699.21	-	(249.00)	-	(7,262.89)
Profit/(Loss) for the year						(5,325.94)		-		-				(5,325.94)
Other Comprehensive Income (Net of Tax)								-		733.38		101.39		834.77
Total Comprehensive Income for the current year	-	-	-	4,838.57	-	(113,877.61)	-	-	-	97,432.59	-	(147.61)	-	(11,754.06)
Dividends	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to retained earnings	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as at 31.03.2023	-	-	-	4,838.57	-	(113,877.61)	-	-	-	97,432.59	-	(147.61)	-	(11,754.06)

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

Sd/-
CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN: 24021855BKAOAB3272

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Sd/-
Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

Sd/-
Subramonian H.
Company Secretary

Consolidated Cash flow Statement for the Year ended on 31st March 2024

Rs. in Lakhs

Description	For the year ended 31st March 2024	For the year ended 31st March 2023
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:		
Profit / (Loss) before tax Continuing Operation	(5,531.70)	(5,022.41)
Adjustments for :		
Depreciation/Loss on impairment of Property, Plant and Equipment	143.78	118.75
Profit(-) / Loss on sale of Property, Plant and Equipment	-	-
Interest Income	(1,199.70)	(795.79)
Interest & Finance Charges	6,957.35	6,688.70
Income from Investment Property	(59.35)	(150.27)
Changes in defined Employee benefit plan-other comprehensive income	121.50	101.39
Operating Cash Flows before Working Capital changes (A)	**431.88**	**940.37**
Adjustments for		
(Increase)/Decrease in Inventories	(1,935.97)	2,550.24
(Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables	(6,810.00)	(5,403.10)
Increase/(Decrease) in Trade Payables & Other Liabilities	1,744.00	635.70
Cash used in Operations (Working Capital Changes) (B)	**(7,001.97)**	**(2,217.16)**
Net Cash used in Operating activities (A+B)	**(6,570.09)**	**(1,276.79)**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
Purchase of Property, Plant and Equipment	(109.58)	(99.80)
Sale of Assets held for Sale	4,669.42	-
Interest Income	983.13	753.75
Income from Investment Property	59.35	86.65
Net Cash from Investing activities	**5,602.32**	**740.60**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:		
Increase/(Decrease) in Secured Loans	1,875.44	-
Increase/(Decrease) in Unsecured Loans	-	-
Interest Paid	(1,274.90)	(1,013.89)
Payment of Lease Liabilities	(24.21)	-
Net cash from/(used) in financing activities	**576.33**	**(1,013.89)**
Net Increase Decrease in Cash and Cash Equivalents from Continuing Operations	(391.44)	(1,550.08)
Net Increase Decrease in Cash and Cash Equivalents from Discontinued Operations *	(202.02)	107.56
Cash & Cash equivalents at the beginning of the year		
Continuing Operations	464.45	2,014.53
Discontinued Operations	262.35	154.79
Cash & cash equivalents at the end of the year	**133.34**	**726.80**
Cash & cash equivalents as per above comprise of following		
Continuing Operations		
Current accounts	50.96	277.00
Saving Account	1.58	153.43
Deposits with original maturity of less than three months	20.00	33.55
Cash on Hand	0.47	0.47
Total Cash & Bank Balances - Continuing Operations	**73.01**	**464.45**
Discontinued Operations		
Current accounts	0.22	0.21
Deposits with original maturity of less than three months	60.11	262.14
Total Cash & Bank Balances - Discontinued Operations	60.33	262.35
Total Cash & Cash equivalents	**133.34**	**726.80**

*** Net Increase /(Decrease) in Cash and Cash Equivalents from Discontinued Operations**		
Operating Cash Flows before Working Capital changes	(80.04)	(532.56)
Cash Used in Operations (Working Capital Changes)	(156.99)	(977.23)
Net Cash from Investing activities	35.02	1,683.36
Net cash from/(used) in financing activities	(0.01)	(66.01)
Net Increase Decrease in Cash and Cash Equivalents from Discontinued Operations	**(202.02)**	**107.56**

Note : Previous year figures are regrouped/rearranged wherever necessary

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

Sd/-
CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN: 24021855BKAOAB3272

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Sd/-
Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

Sd/-
Subramonian H.
Company Secretary

Notes to the Consolidated Financial statements for the period ended 31st March, 2024

1. Corporate Information

Hindustan Organic Chemicals Limited (the "Holding Company") is a public limited company domiciled in India and is incorporated under the provisions of the Companies Act applicable in India. Its shares are listed on Bombay Stock Exchange (BSE) in India. The registered office of the company is located at Post bag No. 18, Ambalamugal P.O, Ernakulam District, Kerala - 682 302, India. The Holding Company and its Subsidiary (collectively the "Group") is principally engaged in the business of bulk industrial chemicals and chemical intermediates.

2. Accounting Policies

2.1 Basis of Preparation of Financial Statement

The Consolidated Financial Statements are prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND AS) under the historical cost convention on the accrual basis except for certain financial instruments which are measured at fair values, the provisions of the Companies Act, 2013 (`Act') (to the extent notified). The IND AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2016.

Accounting policies have been consistently applied except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The Consolidated Financial Statements have been prepared on accrual basis and under historical cost basis, except for the following assets and liabilities which have been measured at fair value:

Derivative financial Instrument

Defined Benefit Plans – Plan Assets

Certain financial assets and liabilities measured at fair value (refer accounting policy regarding financial instruments), The Consolidated Financial Statements are presented in Indian Rupee ('INR') or ('Rs.') which is also the Group's functional currency and all values are rounded to the nearest Lakhs up to two decimals, except when otherwise indicated. Wherever the amount represented Rs. '0'/'- 'construes value less than Rupees a lakh.

Accounting estimates, assumptions, and judgements

The preparation of the Consolidated Financial Statements in conformity with IND AS requires management to make estimates, judgements, and assumptions. These estimates, judgments and assumptions affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets and liabilities, the disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the Consolidated Financial Statements and reported amounts of revenues and expenses during the period. Application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgments and the use of assumptions in these financial statements have been disclosed at appropriate places.

Accounting estimates could change from period to period. Actual results could differ from those estimates. Appropriate changes in estimates are made as management becomes aware of changes in circumstances surrounding the estimates. Changes in estimates are reflected in the Consolidated Financial Statements in the period in which changes are made and, if material, their effects are disclosed in the notes to the financial statements.

2.2 Summary of accounting policies and estimates

a) Revenue recognition

The Group earns revenue primarily from manufacturing chemical product.

Revenue is recognised upon transfer of control of promised products or services to customers in an amount that reflects the consideration which the Group expects to receive in exchange for those products or services.

Revenue is measured based on the transaction price, which is the consideration, adjusted for volume discounts, performance bonuses, price concessions and incentives, if any, as specified in the contract with the customer. Revenue also excludes taxes collected from customers.

As the Group is engaged only in chemical manufacturing business and operating from single location only therefore disaggregates revenue based on geography location and industrial vertical are not require.

The specific recognition criteria described below must also be met before revenue is recognised.

Sale of product

Revenue from the sale of product is recognised when the significant risks and rewards of ownership of the product have passed to the buyer. Revenue from the sale of product is measured at the fair value of the consideration received or receivable, net of returns and allowances, trade discounts, and volume rebates.

Rendering of services

Income from services is recognized as and when the services are rendered.

Interest income

Interest income from a financial asset is recognised using effective interest rate method. Interest income is included in other income in the statement of profit and loss.

Rental Income

Rental income arising from operating lease on investment properties is accounted for on a straight-line basis over lease terms unless the receipts are structured to increase in line with expected general inflation to compensate for the expected inflationary cost increases and is included in the Statement of profit or loss due to its operating nature.

b) Useful lives of Property, Plant and Equipment.

The Group reviews the useful life of the Property, plant & equipment, and Intangible asset as at the end of each reporting period and these reassessments may result in change in depreciation expenditure in future period. (Refer Note No.3)

c) Current versus Non-Current classification

The Group presents assets and liabilities in the balance sheet based on current/ non-current classification. An asset is treated as current when it is:

- Expected to be realised or intended to be sold or consumed in normal operating cycle,
- Held primarily for the purpose of trading,
- Expected to be realised within twelve months after the reporting period, or
- Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting period

All other assets are classified as non-current.

Trade receivables which are expected to be realised within 12 months from the reporting date shall be classified as current. Outstanding more than 12 months shall be shown as noncurrent only unless efforts for its recovery have been made and it is likely that payment shall be received within 12 months from the reporting date. A Judicious decision shall be taken by units in this regard.

A Liability is current when:

- It is expected to be settled in normal operating cycle,
- It is held primarily for the purpose of trading,
- It is due to be settled within twelve months after the reporting period, or
- There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period payable shall be classified as Trade Payable if it is in respect of the amount due on account of goods purchased or services received in the normal course of business.

Trade payables which are expected to be settled within 12 months from the reporting date shall be shown as current.

The Group classifies all other liabilities as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

d) Provisions, contingent liabilities, and contingent assets

Provisions are recognised when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. When the Group expects some or all of a provision to be reimbursed, for example, under an insurance contract, the reimbursement is recognised as a separate asset, but only when the reimbursement is virtually certain. The expense relating to a provision is presented in the statement of profit and loss net of any reimbursement. If the effect of the time value of money is material, provisions are discounted using a current pre-tax rate that reflects, when appropriate, the risks specific to the liability. When discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognised as a finance cost. Provisions are reviewed at each balance sheet and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are disclosed in respect of possible obligations that have risen from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the enterprise, or is a present obligation that arises from past events but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

e) Borrowing costs

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of an asset that necessarily takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale are capitalised as part of the cost of the asset. All other borrowing costs are expensed in the period in which they occur. Borrowing costs consist of interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Borrowing cost also includes exchange differences to the extent regarded as an adjustment to the borrowing costs.

f) Taxes

Tax expense (Income Tax and Deferred Tax) in accordance with Ind-AS 12: Accounting for Taxes on Income has been recognised. There are many transactions and calculations undertaken during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will impact the current and deferred tax provisions in the period in which the tax determination is made. The deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the assets will be realized in future.

Current income tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted, at the reporting date.

Current income tax relating to items is recognised outside profit or loss is (either in other comprehensive income or in equity). Current tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

g) Employee benefits

i. Short-term obligations

Liabilities for wages and salaries, including non-monetary benefits that are expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service are recognised in respect of employees' services up to the end of the reporting period and are measured at the amounts expected to be paid when the liabilities are settled. The liabilities are presented as current employee benefit obligations in the balance sheet.

ii. Other long-term employee benefit obligations

The liabilities for earned leave and sick leave are not expected to be settled wholly within 12 months after the end of the period in which the employees render the related service. They are therefore measured as the present value of expected future payments to be made in respect of services provided by employees up to the end of the reporting period using the projected unit credit method. The benefits are discounted using the market yields at the end of the reporting period that have terms approximating to the terms of the related obligation. Remeasurements as a result of experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in profit or loss. The obligations are presented as current liabilities in the balance sheet if the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period, regardless of when the actual settlement is expected to occur.

iii. Post-employment obligations

The Holding Company operates the following post-employment schemes:

(a) Defined benefit plans such as gratuity, pension, post-employment medical plans; and

(b) Defined contribution plans such as provident fund.

iv. Defined benefit plans

The Holding Company's gratuity scheme is a defined benefit plan. A defined benefit plan is a post-employment benefit plan. The Holding Company's net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount of future benefits that employee have earned in return for their services in the current and prior periods.

v. Defined contribution plans

The Holding Company's provident fund scheme is a defined contribution plan. A defined contribution plan is a post-employment benefit plan under which an entity pays fixed contributions and will have no obligation to pay further amounts. Obligation for contributions to defined contribution plans are recognised as employees benefit expenses in the statement of Profit and Loss when they are due.

Gratuity

Gratuity is a post-employment defined benefit plan. The liability recognised in the Consolidated Balance Sheet in respect of gratuity is the present value of the defined benefit obligation at the Consolidated Balance Sheet date. The Holding Company's liability is actuarially determined at the end of each year. Actuarial gains/ losses through remeasurement are recognised in other comprehensive income.

Pension and gratuity obligations

The liability or asset recognised in the Consolidated Balance Sheet in respect of defined benefit pension and gratuity plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation denominated in INR is determined by discounting the estimated future cash outflows by reference to market yields at the end of the reporting period on government bonds that have terms approximating to the terms of the related obligation. The benefits which are denominated in currency other than INR, the cash flows are discounted using market yields determined by reference to high-quality corporate bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have terms approximating to the terms of the related obligation.

The net interest cost is calculated by applying the discount rate to the net balance of the defined benefit obligation and the fair value of plan assets. This cost is included in employee benefit expense in the statement of profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income.

They are included in retained earnings in the statement of changes in equity and in the balance sheet. Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in profit or loss as past service cost.

a) Defined benefit plans (gratuity benefits), liability in respect of defined benefit plans is recognised in the balance sheet, and is measured as the present value of the defined benefit obligation at the reporting date less the fair value of the planned assets. The present value of the defined benefit obligation is based on expected future payments which arise from the fund at the reporting date, calculated annually by independent actuaries. Consideration is given to expected future salary levels and period of service etc.

b) Company's contribution to provident fund is accounted for on accrual basis.

c) Temporary employee benefits are recognized as an expense at the undiscounted amount in the statement of profit and loss of the year in which the related service is rendered.

d) Bonus is provided in accordance with provisions of Payment of bonus act,1965 on the basis of profitability.

e) Post employment and other long term employee benefits are recognised as an expense in the statement of profit and loss for the year in which the employee has rendered services. The expense is recognized at the present value of the amount payable determined using actuarial valuation technique. Actuarial gain and loss in respect of post-employment and other long-term benefits are charged to statement of profit and loss.

h) Foreign Currency Transactions and balances

Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and Transactions in foreign currency are recorded applying the exchange rate at the date of transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currency remaining unsettled at the end of the year, are translated at the closing rate prevailing on the Consolidated Balance Sheet date. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in foreign currency are reported using the exchange rate at the date of transaction. Exchange differences arising as a result of the above are recognized as income or expenses in the statement of profit and loss. Exchange difference arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded during the year, or reported in previous financial statements, are recognised as income or expenses in the year in which they arise. Foreign exchange difference on foreign currency borrowings, loans given, settlement gain/loss and fair value gain/ loss on derivative contract relating to borrowings are accounted and disclosed under finance cost. Such exchange difference does not include foreign exchange difference regarded as an adjustment to the borrowings cost and capitalised with cost of assets

i) Impairment of non-financial assets

The Group assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less costs of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. When the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs of disposal, recent market transactions are considered. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, quoted share prices for publicly traded companies or other available fair value indicators.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognised impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal is recognised in the statement of profit or loss. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognised.

j) Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalent in the Consolidated Balance Sheet comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less, which are subject to an insignificant risk of changes in value. For the purpose of the Consolidated Statement of Cash Flow, cash and cash equivalents consist of cash and short-term deposits, as defined above, net of outstanding bank overdrafts as they are considered an integral part of the Group's cash management.

k) Cash flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby profit for the year is adjusted for the effects of transactions of a non-cash nature, any deferrals, or accruals of past or future operating cash receipts or payments and item of income or expenses associated with investing or financing cash flows. The cash flows from operating, investing, and financing activities of the Group are segregated.

l) Cash dividend

The Holding Company recognises a liability to make cash distributions to equity holders when the distribution is authorised and the distribution is no longer at the discretion of the Company. As per the corporate laws in India, a distribution is authorised when it is approved by the shareholders. A corresponding amount is recognised directly in equity.

m) Minimum Alternate Tax (MAT)

Minimum Alternate Tax (MAT) paid as per Indian Income Tax Act, 1961 is in the nature of unused tax credit which can be carried forward and utilised when the Company will pay normal income tax during the specified period. Deferred tax assets on such tax credit are recognised to the extent that it is probable that the unused tax credit can be utilised in the specified future period. The net amount of tax recoverable from, or payable to, the taxation authority is included as part of receivables or payables in the balance sheet.

n) Government grants

Government grants are recognised where there is reasonable assurance that the grant will be received and all attached conditions will be complied with. When the grant relates to an expense item, it is recognised as income on a systematic basis over the periods that the related costs, for which it is intended to compensate, are expensed. When the grant relates to an asset, it is recognised as income in equal amounts over the expected useful life of the related assets.

Export Benefits:

Duty free imports of raw materials under Advance License for imports as per the Import and Export Policy are matched with the exports made against the said licenses and the net benefit/ obligation has been accounted by making suitable adjustments in raw material consumption.

The benefit accrued under the Duty Drawback, Merchandise Export Incentive Scheme, and other schemes as per the Import and Export Policy in respect of exports made under the said schemes is included as 'Export Incentives' under the head 'Other operating revenue'.

o) Earnings Per Share:

Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. For the purpose of calculating diluted earnings per share, the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders and the weighted average number of shares outstanding during the period are adjusted for the effects of all dilutive potential equity shares.

p) Share-Based Payments:

Measurement and disclosure of the employee share based payment plans is done in accordance with Ind AS 102, Share-Based Payment. The Group measures compensation cost relating to employee stock options using the fair value method. Compensation expense is amortised over the vesting period of the option on a straight-line basis.

q) Errors and Omissions of earlier period:

Errors and omissions in individual items of Income and Expenditure relating to earlier periods, exceeding 1 Lakh is accounted in the respective period, if possible, or adjusted against opening retained earnings.

2.3 Basis of Consolidation

The Consolidated Financial Statement comprise the financial statements of the Holding Company, and its Subsidiary as at the reporting date.

Subsidiary:

Subsidiaries include all the entities over which the Group has control. The Group controls an entity when the Group is exposed to, or has rights to, variable returns through its involvement in the entity and has the ability to affect those returns through its power to direct the relevant activities of the entity. Subsidiaries are consolidated from the date control commences until the date control ceases.

The Consolidated Financial Statement have been prepared on the following basis:

i. The financial statements of the Holding Company and its Subsidiary have been consolidated on a line by- line basis by adding together of like items of assets, liabilities, income, and expenses, after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions and resulting unrealised profit or losses, unless cost cannot be recovered, as per the applicable Accounting Standard. Accounting policies of the respective subsidiaries are aligned wherever necessary, so as to ensure consistency with the accounting policies that are adopted by the Group under Ind AS.

ii. Offset (eliminate) the carrying amount of the Parent's investment in subsidiary and the Parent's portion of equity of subsidiary.

iii. The Consolidated Financial Statement are presented, to the extent applicable, in accordance with the requirements of Schedule III of the 2013 Act.

iv. Non-controlling interests ('NCI') in the net assets of the subsidiaries that are consolidated consists of the amount of equity attributable to non-controlling shareholders at the date of acquisition.

v. Profit or loss and each component of OCI are attributed to the equity holders of the parent and to the NCI, even if this results in the NCI having a deficit balance.

Recent Accounting Pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. On March 31, 2023, MCA amended the Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2023, as below:

Ind AS 1 - Presentation of Financial Statements - This amendment requires the entities to disclose their material accounting policies rather than their significant accounting policies. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Company has evaluated the amendment and the impact of the amendment is insignificant in the standalone financial statements.

Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - This amendment has introduced a definition of 'accounting estimates' and included amendments to Ind AS 8 to help entities distinguish changes in accounting policies from changes in accounting estimates. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Company has evaluated the amendment and there is no impact on its standalone financial statements.

Ind AS 12 - Income Taxes - This amendment has narrowed the scope of the initial recognition exemption so that it does not apply to transactions that give rise to equal and offsetting temporary differences. The effective date for adoption of this amendment is annual periods beginning on or after April 1, 2023. The Company has evaluated the amendment and there is no impact on its standalone financial statement.

NOTE 3 a) - Property, Plant and Equipment("PPE")

Accounting policy:

Items of Property, plant and equipment including Capital-work in-progress are stated at cost (except land valued at fair value), net of accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Cost comprises the purchase price and any attributable cost of bringing the asset to its working condition for its intended use. Such cost includes the cost of replacing part of the plant and equipment and borrowing costs for long-term construction projects if the recognition criteria are met.

Subsequent expenditure related to an item of Property, Plant and Equipment is added to its book value only if it increases the future benefits from the existing asset beyond its previously assessed standard of performance. When significant parts of plant and equipment are required to be replaced at intervals, the Group depreciates them separately based on their specific useful lives as prescribed in schedule II of Companies Act,2013. All other repair and maintenance costs are recognised in Statement of Profit and Loss as an when incurred. In respect of additions to /deletions from the Property, plant and equipment, depreciation is provided on pro-rata basis with reference to the month of addition/deletion of the Property, plant and equipment.

The Holding Company adopts an annual revaluation policy to accurately reflect the fluctuating fair value of its land. The fair value of the land under PPE has been determined by external independent registered valuers, as defined under rule 2 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, who have experience in the location and category of the property being valued. The said land has been revalued by Registered Valuer Er. Jose Tom, Structural Consultant and Registered Valuer (IBBI), IBBI/RV/05/2021/13810, on 02.04.2024 and has a fair value of Rs. 19,441.99 lakhs as of 31 March 2024.

Property, Plant & Equipment are physically verified once in three year. The management's considered view is that estimated useful lives as per the Schedule II of the Companies Act, 2013 are realistic and reflect fair approximation of the period over which the assets are likely to be used. The Holding Company reviews the useful life of the Property, plant & equipment and Intangible asset as at the end of each reporting period and these reassessment may result in change in depreciation expenditure in future period.

Depreciation is provided for Property, plant and equipment on a straight line basis so as to expense the cost less residual value over their estimated useful lives of Property, plant and equipment as per Schedule II of the Companies Act 2013 as under:

1) Buildings : 3/5/30/60 years

2) Plant & equipment: 10/12/15/20 years

3) Furniture & fixtures: 10 years

4) Vehicles: 8/10 years

5) Office equipment: 3/5/6/8 years

6) Intangible assets: 5 years

Items of Property, plant and equipment that have been retired from active use and are held for disposal are valued at lower of their net book value or net realisable value.

Rs. in Lakhs

Description	Land and Land Development *	Land Revaluation	Buildings	Plant and Equipment	Furniture, Fixtures and Equipment	Vehicles	Office Equipment	Library Books	Total
Gross Carrying Amount									
Balance as at April 1, 2023	578.25	13,441.38	1,282.52	25,032.86	117.12	118.80	690.18	13.47	41,274.58
Additions	-	6,000.61	30.84	48.04	3.07	0.61	23.52	-	6,106.69
Deletions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balance as at March 31, 2024	**578.25**	**19,441.99**	**1,313.36**	**25,080.90**	**120.19**	**119.41**	**713.70**	**13.47**	**47,381.27**
Accumulated Depreciation									
Balance as at April 1, 2023	-	-	917.73	23,122.79	104.16	109.37	632.03	13.43	24,899.51
Deletions	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation for the year	-	-	20.20	77.20	1.04	0.84	12.24	-	111.52
Balance as at March 31, 2024	-	-	**937.93**	**23,199.99**	**105.20**	**110.21**	**644.27**	**13.43**	**25,011.03**
Net Carrying Amount as at March 31, 2024	**578.25**	**19,441.99**	**375.43**	**1,880.91**	**14.99**	**9.20**	**69.43**	**0.04**	**22,370.24**
Net Carrying Amount as at March 31, 2023	**578.25**	**13,441.38**	**364.79**	**1,910.07**	**12.96**	**9.43**	**58.15**	**0.04**	**16,375.07**
Net Carrying Amount as at April 01,2022	**578.25**	**12,406.00**	**382.79**	**1,898.32**	**11.85**	**10.08**	**60.71**	**0.04**	**15,348.07**

*2.046 acres of land are outside the boundary walls of Ernakulam factory land and were not included in the re-survey and land tax is paid for land inside the boundary wall. HOCL has clear title deed of 112.73 acres of land.

3 b) Investment Property

Accounting policy:

The Holding Company uses the carrying value as the deemed cost of investment properties. Investments in property that are not intended to be occupied substantially for use by, or in the operations of the company, have been classified as investment property. Investment properties are measured initially at its cost including transaction cost and where applicable borrowing costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment loss, if any. Subsequent cost are included in the assets carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the reporting period in which they are incurred.

Though the company measures investment property using cost based measurement, the fair value of investment property is disclosed in the notes. Fair values are determined based on an annual evaluation performed by an accredited external independent valuer.

The Holding Company depreciates its investment properties over the useful life which is similar to that of Property, Plant and Equipment.

Investment properties are derecognised either when they have been disposed off or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period of derecognition.

Rs. in Lakhs

Description	Investment property Land*	Investment Property Building	Total
Gross Carrying Amount			
Balance as at April 1, 2023	16.71	136.89	153.60
Additions	-	-	-
Deletions	-	-	-
Balance as at March 31, 2024	**16.71**	**136.89**	**153.60**
Accumulated Depreciation			
Balance as at April 1, 2023	-	67.02	67.02
Deletions	-	-	-
Depreciation for the year	-	2.17	2.17
Balance as at March 31, 2024	**-**	**69.19**	**69.19**
Net Carrying Amount as at March 31, 2024	**16.71**	**67.70**	**84.41**
Net Carrying Amount as at March 31, 2023	**16.71**	**69.87**	**86.58**
Net Carrying Amount as at April 01,2022	**16.71**	**72.03**	**88.74**

1. The Holding Company had given 1.03 acre of land at Ambalamugal in Kochi to M/s. Sterling Gas Limited as operating lease under cancellable lease agreement. Investment properties are distinguished from owner occupied property based on area covered under lease agreement and the value of investment has been determined using pro-rata basis.
2. The Holding Company own 184 residential flats at Kochi comprising of 155104 Sq. Ft. out of which 46594 Sq. ft. consisting of 55 flats has been earmarked as Investment Property for letting out.

*The fair value of Investment Property has been determined by external independent registered valuers, as defined under rule 2 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, who have experience in the location and category of the property being valued. The land at Kochi has been revalued by professionally qualified independent Registered Valuer Er. Jose Tom, Structural Consultant and Registered Valuer (IBBI), IBBI/RV/05/2021/13810, on 02.04.2024.

Rs. in Lakhs

Fair value of Investment Property (Land)	2023-24	2022-23
Investment property-Sterling Gas Ltd	174.89	120.41
Investment property-Township	445.62	408.49
Total	**620.51**	**528.90**

Amounts recognised in profit or loss for Investment Property

Rental income including contingent rent	26.67	26.98
Direct operating expenses from property that generated Rental Income	14.53	7.20
Direct operating expenses from property that did not generate rental income	-	-
Income from investment properties before depreciation	**12.14**	**19.78**
Depreciation	2.17	2.16
Income from investment properties	**9.97**	**17.62**

3 c) Other Intangible assets

Accounting policy:

Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets with definite life are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Internally generated intangibles, excluding capitalised development costs, are not capitalised and the related expenditure is reflected in profit or loss in the period in which the expenditure is incurred. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a definite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period.

Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognised in the statement of profit or loss when the asset is derecognised. Research costs are expensed as an when incurred. Development expenditures on an individual project are recognised as an intangible asset when the Holding Company can demonstrate technical and commercial feasibility of making the asset available for use or sale.

Following initial recognition of the development expenditure as an asset, the asset is carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses. Amortisation of the asset begins when development is complete and the asset is available for use. It is amortised over the period of expected future benefit. Amortisation expense is recognised in the statement of profit and loss unless such expenditure forms part of carrying value of another asset.

Rs. in Lakhs

Description	Computer software	Total
Gross Carrying Amount		
Balance as at April 1, 2023	442.30	442.30
Additions	3.50	3.50
Deletions	-	-
Balance as at March 31, 2024	**445.80**	**445.80**
Accumulated Depreciation		-
Balance as at April 1, 2023	423.44	423.44
Deletions	-	-
Depreciation for the year	8.73	8.73
Balance as at March 31, 2024	**432.17**	**432.17**
Net Carrying Amount as at March 31, 2024	**13.63**	**13.63**
Net Carrying Amount as at March 31, 2023	**18.86**	**18.86**
Net Carrying Amount as at April 01,2022	**27.24**	**27.24**

During the year there is no change in the management estimates of the useful life for various class of Property, plant and equipment and Intangible assets.

3 d) Assets held for sale

Accounting policy:

Non-current assets or disposal groups classified as held for sale are measured at the lower of carrying amount and fair value less costs to sell.

Non-current assets or disposal groups are classified as held for sale if their carrying amounts will be recovered principally through sale transactions rather than through continuing use. This condition is regarded as met only when the sale is highly probable and the asset or disposal group is available for immediate sale in its present condition subject only to terms that are usual and customary for sales of such assets. Management must be committed to the sale, which should be expected to qualify for recognition as a completed sale within one year from the date of classification as held for sale, and actions required to complete the plan of sale should indicate that it is unlikely that significant changes to the plan will be made or that the plan will be withdrawn.

Property, Plant and Equipment and intangible assets are not depreciated or amortised once classified as held for sale.

Rs in Lakhs

Description	NET CARRYING AMOUNT		
	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Land	97,480.25	102,149.67	102,149.67
Buildings	180.05	180.05	207.19
Plant and Equipment	58.81	58.81	1,565.46
Furniture, Fixtures and Equipments	2.52	2.52	6.21
Computers	0.13	0.13	0.81
Total	**97,721.76**	**102,391.18**	**103,929.34**

Note: The Holding Company is in the process of implementation of the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017, the Company has closed the Rasayani Unit, plant and equipment scrapped has been disposed off. Sale of unencumbered land (Direct sale of 152 acres of land to BPCL) in Rasayani through NBCC and Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant at Kochi is in operation.

a) Originally, the Rasayani unit of the Holding Company was in possession of land measuring 1012.355 acres (as per revenue records). Out of this land, 251 acres were sold to BPCL, and 20 acres were sold to ISRO during the year 2017-18. Additionally, 38.687 acres were sold to BPCL in the year 2018-19. In the year 2019-20, 85.27 acres of land were sold to BPCL, and 0.386 acre was sold to IOCL (Petrol pump area). Out of the remaining 65.840 acres, 22.717 acres have been identified as encroached, 32.547 acres are in the possession of MIDC, MSEB, HIL, MES, etc., and 10.576 acres of public road are considered of Nil value. The encroachment was determined based on a survey carried out by the company through M/s. The Geo Tek, as per their report dated April 24, 2019. The Company sold 33.353 acres for an amount of Rs. 4,669.42 Lakhs to BPCL in 2023-24. The remaining 517.819 acres of land is considered as Assets held for sale.

b) As per the communication received from Municipal commissioner Panvel, regarding the actual area of plot No.11 & 12 of survey No.738 on which there is a public road passing through and thereby the total area of Panvel land available for sale has reduced from 8 acre to 7.09 acre. Accordingly the reserve price (fair value) has been reduced to Rs.158 crore. Collector of Raigad in the report on the issue of NOC has recommended charging of 40% as unearned income. The said proposal of Govt of Maharashtra has been approved by HOCL Board in its meeting to be held on 09.11.2022. The Holding Company is in the process of obtaining necessary approval from Administrative Ministry.

c) The Subsidiary Company as per the letter dated 29.01.2020 from the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, under which the Company functions, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 22nd Jan, 2020 had approved for shutting down the operations of the plant/ unit of HFL & closure of the Subsidiary Company.

d) The land of the Subsidiary Company is revalued as per Ind AS and the original land value before Ind AS revaluation is Rs.59 Lakhs. Factory land of 126.13 acres is located at Rudraram P.O., Kandi Mandal, Sangareddy Dist. Telangana State and land is freehold. HOCL has first charge over land to the extent of 84.31 acres.

e) The Subsidiary Company's fair value of total land as on 31.03.2024 is Rs.14,663.57 Lakhs. Since the fair value of the land is higher than the carrying value as per books of accounts, carrying value of the land held for sale continues to be reported in accordance with para 15 of Ind AS 105.

f) Buildings of Subsidiary Company include Time Office building (Gross value of Rs.4.33 Lakhs), Security Post (Gross value of Rs. 4.55 Lakhs) and Fencing & Compound Wall (Gross value of Rs.145.58 Lakhs). Total Gross value Rs.154.46 Lakhs, Accumulated depreciation: Rs.39.56 Lakhs and Net value Rs.114.90 Lakhs. Depreciation not provided during the year since there are no operations in the Subsidiary Company.

4. Financial Assets

4 a Investments

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Non current			
Investments designated at fair value through OCI			
Investment in Unquoted Equity Shares of Kerala Enviro Infrastucture Ltd			
(50000 Unquoted Equity Shares @ Rs.10/-)	5.00	5.00	5.00
Less:- Provision for impairment in value of investment	-	-	-
Total	**5.00**	**5.00**	**5.00**

4b Other Financial Assets

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
(Considered good - Unsecured)			
Carried at amortized cost			
Deposit:			
(i) KSEB	239.49	239.49	223.71
(ii) EMD & Rent	58.86	51.71	53.71
(iii) Telephone Deposit	1.68	1.68	1.68
Total	**300.03**	**292.88**	**279.10**

5. Other Non-Current Assets

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Other Deposits with authorities and high court	276.88	276.88	271.97
ii) Net defined Benefit Asset with Gratuity Fund Trust (Refer Note No.30)			
Fair Value Of Plan Assets	1,651.82	1,729.48	-
Defined Benefit Obligation	(1,550.72)	(1,586.47)	-
Net Defined Benefit Asset	**101.10**	**143.01**	**-**
Total	**377.98**	**419.89**	**271.97**

6. Inventories

Accounting policy:

(i) Stores and spares, packing materials and raw materials are valued at lower of cost and net realisable value and for this purpose, cost is determined on moving weighted average basis. However, the aforesaid items are not valued below cost if the finished products in which they are to be incorporated are expected to be sold at or above cost.

(ii) Semi-finished products and finished products are valued at lower of cost and net realisable value and for this purpose, cost is determined on standard cost basis which approximates the actual cost. Variances, exclusive of abnormally low volume and operating performance, are adjusted to inventory.

(iii) By-products are valued at estimated net realizable value.

(iv) Trading goods are valued at lower of cost and net realizable value. Cost includes cost of purchase and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined on a weighted average basis.

Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Allowances against obsolete and slow-moving inventories

The Holding Company reviews the condition of its inventories and makes provision against obsolete and slow-moving inventory items which are identified as no longer suitable for sale or use, on the basis of technical assessment.

The Holding Company carries out an inventory review at each balance sheet date and makes provision against obsolete and slow-moving items. The Holding Company reassesses the estimation on each balance sheet date providing provision for slow moving inventory at 50% and in the case of obsolete items at 100%.

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
a. Raw materials and components	1,918.97	998.33	1,701.86
b. Raw material in Transit	25.96	-	-
Total	**1,944.93**	**998.33**	**1,701.86**
c. Work in progress	1,010.56	938.00	1,133.84
d. Finished goods	1,423.96	978.47	2,265.34
e. Stores, Spare Parts and Packing Material	2,798.41	2,401.65	2,932.94
Less: Allowances for obsolescence of stores and spares	(280.94)	(355.50)	(382.73)
Total	**6,896.92**	**4,960.95**	**7,651.25**

During the year, the Holding Company has written back excess allowances for obsolescence of stores and spares amounting to Rs.74.56 Lakhs

7. Trade Receivables

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Considered good - Secured	-	-	-
Considered good - Unsecured	1,995.31	1,936.39	861.19
Which have significant increase in credit risk	-	0.48	3.09
Credit impaired	1,503.20	1,506.17	1,489.46
Less: Allowance for doubtful trade receivable	(1,503.20)	(1,506.17)	(1,489.46)
Less: Bills Receivables discounted	-	-	-
Total	**1,995.31**	**1,936.87**	**864.28**

i) In the books of Holding Company, allowance for doubtful trade receivable is made, which in the opinion of the management are considered credit impaired. The Holding Company is consistently following the practice of creating allowance for those trade receivables which remain outstanding for more than three years or doubtful of recovery. Trade receivable between two to three years showing significant credit risk have been provided for allowance.

ii) In the books of subsidiary company balance standing to the debit/ credit of parties is subject to confirmation by them and review by the Company.

iii) In the books of Subsidiary company, Debts over due includes towards case filed in High Court of Andhra Pradesh, which is pending amounting to Rs.129.16 Lakhs (Previous year Rs 129.16 lakhs)

The disclosure of movement as required under Indian Accounting Standard 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Rs. in Lakhs

Allowance for doubtful Trade receivables	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Provision at the beginning of the year	1,506.17	1,521.11	1,474.13
Provisions made during the year **	-	2.14	16.77
Released during the year *	2.97	17.08	1.44
Provision at the end of the year	**1,503.20**	**1,506.17**	**1,489.46**

* During the year the Holding Company has collected/written off Trade Receivables to the tune of Rs.2.97 Lakh (previous year Rs.17.08 lakhs) for which allowance has already been created.

Particulars	Not due (less than 60 days)	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months - 1year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Current Year 2023-24							
(i) Undisputed Trade receivables - considered good	1853.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1853.34
(ii) Undisputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.67	513.67
(IV) Disputed Trade Receivables- considered good	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.16	129.16
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.69	970.69
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64	31.64
Total	**1853.34**	**0.00**	**0.00**	**0 00**	**0.00**	**1645.16**	**3498.50**
Less: Allowances for expected credit loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1503.19	1503.19
Net Amount	**1853.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**141.97**	**1995.31**
Previous Year 2022-23							
(i) Undisputed Trade receivables - considered good	1791.84	0.00	0.19	0.49	0.00	0.00	1792.52
(ii) Undisputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48
(iii) Undisputed Trade Receivables - credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	590.00
(IV) Disputed Trade Receivables- considered good	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.16	129.16
(v) Disputed Trade Receivables - which have significant increase in credit risk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.22	899.22
(vi) Disputed Trade Receivables - credit impaired	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.64	0.00
Total	**1791.84**	**0.00**	**0.19**	**0.49**	**0.48**	**1650.02**	**3411.39**
Less: Allowances for expected credit loss	0.00	0.00	0.12	0.04	0.08	1474.28	1474.52
Net Amount	**1791.84**	**0.00**	**0.07**	**0.45**	**0.40**	**175.74**	**1936.87**

8. Cash and cash equivalents

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Balances with banks (of the nature of cash and cash equivalents):			
Current accounts	51.18	277.21	233.15
Saving Account *	1.58	153.43	149.25
Deposits with original maturity of less than three months	80.11	295.69	382.45
Cash on Hand	0.47	0.47	1.48
Cash and cash equivalents as per the statement of Cashflow	**133.34**	**726.80**	**766.33**

* Balance in Saving account of the Holding company is earmarked for the rental dues of Harchandrai House as per the direction of Small Causes Court, Mumbai.

9. Other Bank Balances

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Fixed Deposit against BG/LC	6,092.43	6,202.07	5,595.43
Deposit with original maturity of more than three months but less than twelve months	19,144.99	12,884.89	9,310.61
Total	**25,237.42**	**19,086.96**	**14,906.04**

Fixed deposit includes Rs.1418.35 Lakhs (received from the Sales proceeds of Plant and other assets of Subsidiary Company) deposited by Subsidiary Company in SBI, Saifabad Branch, Hyderabad on 31.3.2023 as per the directions of Court.

10. Loans (Current asset)

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
(A) Loans to employees			
Unsecured, Considered good	14.84	22.35	21.01
(B) Advance to suppliers			
Unsecured, Doubtful	65.00	65.00	65.00
Less: Allowance for doubtful advance to suppliers	65.00	65.00	65.00
	-	-	-
Total	**14.84**	**22.35**	**21.01**

Loans and receivables are non-derivative financial assets which generate a fixed or variable interest income for the Holding Company

11. Other Financial Assets

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Interest receivable (Unsecured, Considered good)			
(i) Accrued Interest on Deposits (a)	753.59	369.27	385.17
(ii) Accrued Interest on Advance	106.08	106.08	106.08
Less: Provision for Doubtful repayment	106.08	106.08	106.08
Net amount (b)	**-**	**-**	**-**
(iii) Accrued Income from Township	-	-	5.53
Less : Allowances	-	-	5.53
Net amount (c)	**-**	**-**	**-**
B) Interest Receivables from Subsidiary Company			
Unsecured, considered good			
(M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd.)*	-	-	-
Total (a+b+c)	**753.59**	**369.27**	**385.17**

12. Other Current Assets

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Deposits with the Collectorate of Central Excise and Customs	7.37	7.37	7.37
Less : Allowances for doubtful advance	2.90	2.90	2.90
Sub-total (a)	**4.47**	**4.47**	**4.47**
ii) Statutory receivables - Duties & Taxes, Prepaid Taxes	706.15	308.50	819.14
Less : Allowances for doubtful advance	4.29	4.29	4.29
Sub-total (b)	**701.86**	**304.21**	**814.85**
iii) Advances to suppliers	207.91	146.10	341.71
Less : Allowances for doubtful advance	4.31	4.31	4.31
Sub-total (c)	**203.60**	**141.79**	**337.40**
iv) Prepaid Expense	191.27	142.70	171.96
v) Other Advances Recoverable	108.62	111.55	63.91
vi) Accrued income on Employee Advances	2.38	4.69	8.15
vii) Recoverable from employees	71.46	76.21	70.76
Sub-total	**373.73**	**335.15**	**314.78**
Less : Allowances for doubtful advance	60.41	60.41	60.41
Sub-total (d)	**313.32**	**274.74**	**254.37**
Total (a+b+c+d)	**1,223.25**	**725.21**	**1,411.09**

13. Equity Share Capital

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023		As at 01.04.2022	
	Nos.	Rs.	Nos.	Rs.	Nos.	Rs.
Authorised Share Capital						
Equity Shares of Rs. 10 each						
Opening Balance	100,000,000.00	10,000.00	100,000,000.00	10,000.00	100,000,000.00	10,000.00
Increase/(decrease) during the year	-	-	-	-	-	-
Closing balance	**100,000,000.00**	**10,000.00**	**100,000,000.00**	**10,000.00**	**100,000,000.00**	**10,000.00**
Preference Shares of Rs. 10 each						
Opening Balance	270,000,000.00	27,000.00	270,000,000.00	27,000.00	270,000,000.00	27,000.00
Increase/(decrease) during the year	-	-	-	-	-	-
Closing balance	**270,000,000.00**	**27,000.00**	**270,000,000.00**	**27,000.00**	**270,000,000.00**	**27,000.00**
Total authorised capital	**370,000,000.00**	**37,000.00**	**370,000,000.00**	**37,000.00**	**370,000,000.00**	**37,000.00**
Issued equity capital						
Equity shares of Rs. 10 each issued, subscribed and fully paid						
Opening balance	67,173,100.00	6,717.31	67,173,100.00	6,717.31	67,173,100.00	6,717.31
Add: Paid-up amount on shares forfeited	-	9.65	-	9.65	-	9.65
Increase/(decrease) during the year	-	-	-	-	-	-
Total - Equity share capital	**67,173,100.00**	**6,726.96**	**67,173,100.00**	**6,726.96**	**67,173,100.00**	**6,726.96**

Terms/ rights attached to equity shares

The Company has only one class of equity shares having at par value of Rs.10 per share. Each holder of equity shares is entitled to one vote per share. In the event of liquidation of the Company, the holders of equity shares will be entitled to receive remaining assets of the Company, after distribution of all preferential amounts. The distribution will be in proportion to the number of equity shares held by the shareholders.

Details of shareholders holding more than 5% shares in the company and Shareholding of Promoters

Name of the shareholder	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023		As at 01.04.2022		% change during the year
	No. of shares	% Holding	No. of shares	% Holding	No. of shares	% Holding	
Equity shares of INR 10 each fully paid: The Government of India (Promoter)	39,481,500	58.78%	39,481,500	58.78%	39,481,500	58.78%	Nil

During the year 2010-11, the holding Company forfeited 1,93,000 shares of Rs.10 each (Rs.5 paid up) for non payment of allotment and call monies and the amount paid towards application money in respect of these forfeited shares has been transferred to “Share’s Forfeiture Account”.

Promoters Shareholding at the end of the Year (Subsidiary Company)

	As at 31.03.2024		As at 31.03.2023		As at 01.04.2022		% Change during the Year
Name	**No. of shares**	**% Holding**	**No. of shares**	**% Holding**	**No. of shares**	**% Holding**	
Hindustan Organic Chemicals Ltd	11,060,000	56.43%	11,060,000	56.43%	11,060,000	56.43%	Nil
Andhra Pradesh Industrial Development Corporation	870,000	4.44%	870,000	4.44%	870,000	4.44%	Nil
Equity shares of INR 10 each fully paid		**60.87%**		**60.87%**		**60.87%**	

14. Other equity

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
a) Securities Premium Reserve			
Opening balance	4,838.57	4,838.57	4,838.57
Increase/(decrease) during the year	-	-	-
Closing balance	**4,838.57**	**4,838.57**	**4,838.57**
b) Retained Earnings			
Opening balance	(113,877.61)	(108,551.67)	(103,421.22)
Changes in accounting policy or prior period errors (Note No.36a)	-	-	(58.44)
Restated balance at the beginning of the period	(113,877.61)	(108,551.67)	(103,479.66)
Add: Profit / (Loss) for the year	(5,462.45)	(5,325.94)	(5,072.01)
Add: Gain/Loss recognised through OCI (sale of land)	4,669.42	-	-
Closing balance	**(114,670.64)**	**(113,877.61)**	**(108,551.67)**
c) Other comprehensive income			
i) Revaluation of Property, Plant & Equipment			
Opening balance	97,432.59	96,699.21	95,296.79
Add: Revaluation during the year (Note No.3a)	6,000.61	1,035.38	1,978.42
Add/(Less): Income tax (expense)/benefit of the above	(1,747.00)	(302.00)	(576.00)
Less: Gain/Loss recognised through OCI (sale of land)	(4,669.42)	-	-
Add : Income tax (expense)/benefit of the above	971.00	-	-
Closing balance	**97,987.78**	**97,432.59**	**96,699.21**
ii) Equity Instrument through Other Comprehensive Income			
Opening balance	-	-	-
Add/Less: Net fair value gain/loss on investment in equity instruments through OCI	-	-	-
Less: Income tax (expense)/benefit of the above	-	-	-
Closing balance	**-**	**-**	**-**
iii) Changes in Employees defined benefits plan			
Opening	(147.61)	(249.00)	(287.63)
Add/Less: Revaluation during the year	-	-	(2.35)
Add/(Less): Remeasurement of defined benefit plan	121.50	101.39	40.99
Closing balance	**(26.11)**	**(147.61)**	**(248.99)**
Total	**97,961.67**	**97,284.98**	**96,450.22**
Total Other Equity	**(11,870.40)**	**(11,754.06)**	**(7,262.88)**

Securities Premium Reserve - Where the holding Company issues shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to "Securities Premium Reserve". The Company may issue fully paid-up bonus shares to its members out of the securities premium reserve and the Company can use this reserve for buy-back of shares.

15 a) Lease

Accounting policy:

The Company assesses whether a contract contains a lease, at inception of a contract. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company assesses whether:

(i) the contract involves the use of an identified asset

(ii) the Company has substantially all of the economic benefits from use of the asset through the period of the lease and

(iii) the Company has the right to direct the use of the asset.

At the date of commencement of the lease, the Company recognizes a right-of-use asset ("ROU") and a corresponding lease liability for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short-term leases) and low value leases. For these short-term and low value leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease.

As a lessee, the Company determines the lease term as the non-cancellable period of a lease adjusted with any option to extend or terminate the lease, if the use of such option is reasonably certain. The Company makes an assessment on the expected lease term on a lease-by-lease basis and thereby assesses whether it is reasonably certain that any options to extend or terminate the contract will be exercised. In evaluating the lease term, the Company considers factors such as any significant leasehold improvements undertaken over the lease term, costs relating to the termination of the lease and the importance of the underlying asset to HOCL's operations taking into account the location of the underlying asset and the availability of suitable alternatives. The lease term in future periods is reassessed to ensure that the lease term reflects the current economic circumstances.

Certain lease arrangements include the options to extend or terminate the lease before the end of the lease term. ROU assets and lease liabilities includes these options when it is reasonably certain that they will be exercised. The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset. Right-of-use-assets are evaluated for recoverability whenever events or changes in circumstances indicate that their carrying amounts may not be recoverable. For the purpose of impairment testing, the recoverable amount (i.e. the higher of the fair value less cost to sell and the value-in-use) is determined on an individual asset basis unless the asset does not generate cash flows that are largely independent of those from other assets. In such cases, the recoverable amount is determined for the Cash Generating Unit (CGU) to which the asset belongs.

The lease liability is initially measured at amortized cost at the present value of the future lease payments. The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates in the country of domicile of these leases. Lease liabilities are remeasured with a corresponding adjustment to the related right of use asset if the Company changes its assessment if whether it will exercise an extension or a termination option.

Lease liability and ROU asset have been separately presented in the Balance Sheet and lease payments have been classified as financing cash flows.

The Company as a lessor

Leases in which the Company does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income from operating lease is recognised on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

Following are the changes in the carrying value of right-of-use assets:

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Category of ROU asset : Building			
Balance at the beginning	-	-	-
Additions	128.08	-	-
Deletions	-	-	-
Depreciation	21.35	-	-
Balance at the end	**106.73**	**-**	**-**

The aggregate depreciation expense on ROU assets is included under depreciation and amortization expense in the statement of Profit and Loss

The following is the break-up of current and non-current lease liabilities as at March 31, 2024

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Current liability	21.05	-	-
Non-current liability	90.46	-	-
Total	**111.51**	**-**	**-**

The movement in lease liabilities during the year ended March 31, 2024 as follows :

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Balance at the beginning	-	-	-
Additions	127.87	-	-
Finance cost accrued during the period	7.64	-	-
Deletions	-	-	-
Payment of lease liabilities	(24.00)	-	-
Translation Difference	-	-	-
Balance at the end	**111.51**	**-**	**-**

15 b). Provisions (Long term liability)

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Employee's Benefits - Leave encashment (Refer Note No.30)	913.77	1,004.84	903.42
ii) Net defined Benefit Asset with Gratuity Fund Trust (Refer Note No.30)			
Fair Value Of Plan Assets	-	-	(1,490.61)
Defined Benefit Obligation	-	-	1,936.88
Net Liability	**-**	**-**	**446.26**
iii) Other provision	23.13	23.13	23.13
Total	**936.90**	**1,027.97**	**1,372.81**

16. Deferred Tax liabilities

Accounting policy:

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax liabilities are recognised for all taxable temporary differences, except when the deferred tax liability arises from the initial recognition of Goodwill or an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interests in the temporary differences will not reverse in the foreseeable future Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised, except: When the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognised to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax asset to be recovered. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax relating to items recognised outside profit or loss is recognised outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity). Deferred tax items are recognised in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Fair Value of Land	17,495.52	16,719.52	16,417.52
Fair Value of Investment in HFL	-	-	(15.00)
Net Deferred tax liability [Note No.40]	**17,495.52**	**16,719.52**	**16,402.52**

The deferred tax asset has not been recognised as there is no virtual certainty about the future adequate taxable profitability of the company. Also refer Note No.40.

17. Borrowings

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
17a)Non Current Financial Liabilities-Borrowings			
EMC Loan (Secured)*	243.98	-	-
Total Non Current (a)	**243.98**	**-**	**-**
17b)Current Financial Liabilities-Borrowings			
Current maturities of Govt. loan	-	-	7,695.09
Loan from GOI (Note No.19a)	54,423.46	54,423.46	46,728.37
Overdue 8% Non-cumulative Redeemable Preference Shares-GOI**	27,000.00	27,000.00	27,000.00
Bank Overdraft***	1,589.11	-	-
Current maturity on EMC LOAN (Secured)	42.35	-	-
Total Current (b)	**83,054.92**	**81,423.46**	**81,423.46**
Total Borrowings (a+b)	**83,298.90**	**81,423.46**	**81,423.46**
Aggregate Secured loans	1,875.44	-	-
Aggregate Unsecured loans	81,423.46	81,423.46	81,423.46

Note

1. The preference shareholders have no voting rights.

   * The Holding Company has taken loan of Rs. 299.00 lakhs for the purpose of retrofitting of inefficient compressor with energy efficient compressor from Kerala State Energy Conservation fund, which is a revolving fund of Government of Kerala, Managed by Energy Management Centre (EMC). The fund was received on 20.03.2024 and the same is repayable in sixty equal instalments with an interest rate of 2% starting from the third month of release of financial assistance, as the funds were received near to the year -end the amount received has not been utilised for the above said purpose, during the year. The Company has paid Rs. 14.95 Lakhs to EMC as a one-time administrative cost.

   ** The Government of India had released earlier in the year 2006-07 Rs.27000 Lakh (for financial restructuring Rs.25000 Lakh and Caustic Soda Plant recommissioning Rs. 2000 Lakh) against allotment of 8% Non-Cumulative Redeemable Preference Shares, thereby broadening the capital base as per the revival scheme. The 8% Preference Shares were allotted to Government of India by the Board on 28th January, 2008, redeemable @ 20% commencing from 4th year with last redemption in the 8th year (ie.2015-16). At the request of the Company, Government of India had extended the commencement of redemption from financial year 2011-12 to financial year 2015-16 @ 25% each year. Government of India, had granted extension of redemption, subject to payment of interest @ 1.5 % pa, on the total amount of Rs.27000 Lakh and an amount of Rs.405 Lakh has been provided in the books of accounts during the year. Further interest @1 % is payable for default in repayment and accordingly interest amount of Rs.270 Lakh has been provided during the year.

***The Company has been sanctioned working capital facility from Bank on the basis of security of Deposit with Bank and is not required to submit any quarterly return or statements with the bank in respect of this facility.

a) Subsidiary Company Hindustan Fluorocarbons Ltd has created first charge in favour of the Holding Company on 84.31 acre of land at Rudraram Vill, Medak Dist., Telangana state towards zero coupon loan of Rs.2744.07 lakhs, interest bearing loan of Rs.453.01 lakhs and interest accrued thereon amounting to Rs.1075.05 lakhs are outstanding.

b) The Subsidiary company had outstanding plan loan of Rs.360 Lakhs availed from Government of India for manufacture of MPTFE and Rs. 1320 Lakhs availed for refurbishment of the Plant @11.5% p.a. and both the loans repayable in 5 annual instalments commencing from F.Y. 2015-16. The Company had repaid Rs.100 Lakhs with interest of Rs.24.92 lakhs during the month of March, 2017, and accordingly, principal and interest outstandings were adjusted. The installments due for F.Y. 2015-16,2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 amounting to Rs. 1,580.00 lakhs. Company had received letter no.P.51015/06/2019-Ch.III(Vol.II) dated 29.01.2020 on closure of HFL, in which interest on Rs.1,580 Lakhs was frozen up to 31.03.2019. Hence, interest has not been charged from the year 2019-20 onwards.

c) The Term loan from holding company to subsidiary company of Rs. 2744.06 lakhs is Zero coupon loan as per terms of the BIFR agreement and is repayable in seven equal annual instalments as per the loan agreement commencing from FY 2010-11. The instalment due for FY 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 & 2016-17 amounting to Rs.2744.06 lakhs is not paid by the company and the total loan amount due to holding company is Rs.3197.08 lakhs.

d) The Term loan from holding company of Rs.753.02 lakhs is Interest bearing @ 10.25% to 14.50% repayable in 5 annual instalments commencing from FY 2010-11 as per the loan agreement. The subsidiary company is continuing default in payment of all the instalments due and interest during the F Y 2010-11 to 2015-16 amounting to Rs.453.01 lakhs is not paid by the company. Since HOCL Board approved for waiver of interest from 01.04.2023 onwards, no interest has been provided from 01.04.2023 onwards.

e) GOI has disbursed to subsidiary company a loan of Rs. 7370 lakh on 22.05.2020 and Rs.217 lakh on 15.03.2022 as interest free loan to the subsidiary company for settling the dues of employees, creditors and closure of loans as per decision of CCEA

18. Trade payables

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Current - Trade Payables			
i) Outstanding dues of micro and small enterprises	15.15	14.85	55.50
ii) Outstanding dues of other than micro and small enterprises	6,843.51	4,067.96	4,144.71
Total	**6,858.66**	**4,082.81**	**4,200.21**

a) Amount due to Micro, Small and Medium enterprises:

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Principal amount remaining unpaid as at the end of each accounting year	15.15	14.85	55.50
ii) Interest due thereon	-	-	-
iii) Interest due and payable for the period of delay in payment	-	-	-
iv) Interest accrued and remaining unpaid	-	-	-
v) Interest due and payable even in succeeding years	-	-	-

b) Dues to Micro, Small and medium enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the Management. All the dues to them are paid within due date and there is no overdue amount as on the closing date.

Trade payable ageing schedule

Rs.in Lakhs

Particulars	Not due (Less than 30 davs)	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Current Year 2023-24						
i) MSME	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15.15
ii) Others	6820.65	12.00	0.00	0.00	5.86	6838.51
iii) Disputed dues-MSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) Disputed dues.Others	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
TOTAL	**6835.80**	**12.00**	**0.00**	**0.00**	**10.86**	**6858.66**
Previous Year 2022-23						
i) MSME	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85
ii) Others	4033 .38	9.58	0.29	1.49	18.22	4062.96
iii) Disputed dues-MSME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
iv) Disputed dues. Others	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
TOTAL	**4048 .23**	**9.58**	**0.29**	**1.49**	**23.22**	**4082.81**

19. Other Current Financial Liabilities

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Interest on GOI loan	45,647.94	40,648.13	35,648.32
Interest on preference shares	6,885.00	6,210.00	5,535.00
Total Interest	**52,532.94**	**46,858.13**	**41,183.32**
Deposits from Vendors / Customers	290.31	275.72	258.14
Total	**52,823.25**	**47,133.85**	**41,441.46**

Note:

A. Holding Company

i) There is a continuing default in repayment of loan from Government of India since the year 2009-10 and the overdue amount towards principal is Rs.45,256.46 Lakh (previous year Rs.45,256.46 Lakh) and for interest accrued is Rs.44,860.40 Lakh (previous year Rs.39,860.59 Lakh), these amounts are shown under 'Other Current Liabilities'.

ii) During the year the Company has made provision in respect of Damages/Penalty/Penal interest and the total cumulative provision is given below.

a. Interest (1.5 %) on Preference Share (Rs.270 Crore) postponement of redemption for 4 year Rs.405.00 lakhs.

b. Interest on default in repayment of Preference Share Capital @ 1 % Rs.270.00 lakhs for the year.

Total impact on account of the above is Rs.675.00 Lakhs for the year.

B. Subsidiary Company

Interest outstanding on GOI loan Rs.787.54 lakhs (pevious year Rs.787.54 lakhs)

19 a. Details of Loan from Govt. of India as on 31.03.2024

Rs.in Lakhs

Sl. No.	Govt. Sanction No.	Purpose	Date of Sanction Date	Date of drawal	Due Date of Repayment	Rate of Interest	No. of instalments	Loan Amt. as on 31.03.2024	Installments due up to 31.03.2024	Total Interest up to 31.03.2024	Interest overdue up to 31.03.2024	Current maturity of loan
	I. Holding Company								Note No.17		Note No.19	
1	51/11/2009-Ch.III	For various projects in Kochi unit.	01.12.2009	15.12.2009	15/12/2014	11.50%	5	660.00	660.00	1,084.85	1,084.85	-
2	51/11/2009-Ch.III	-do-	20.01.2010	22/01/2010	22/01/2015	11.50%	5	843.00	843.00	1,375.56	1,375.56	-
3	P.51012/01/2012-32	For various projects	12.09.2012	18/09/2012	18/09/2017	11.50%	5	1,760.00	1,760.00	2,334.53	2,334.53	-
4	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of interest on HOCL Bonds series XX with GoI guarantee.	07.09.2015	10/09/2015	10/09/2020	11.50%	5	1,057.00	1,057.00	1,040.04	1,040.04	-
5	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of interest on HOCL Bonds series XX & XXI with GoI guarantee.	22.09.2016	27/09/2016	27/09/2021	11.00%	5	2,461.00	2,461.00	2,032.92	2,032.92	-
6	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of interest on HOCL Bonds series XX with GoI guarantee.	02.08.2017	07/08/2017	07/08/2022	11.00%	5	1,057.00	1,057.00	773.12	773.12	-
7	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For repayment of principal HOCL Bonds series XX with GoI guarantee.	11.08.2017	14/08/2017	14/08/2022	11.00%	5	10,000.00	10,000.00	7,293.15	7,293.15	-
8	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For repayment of principal and interest on HOCL Bonds series XXI with GoI guarantee.	12.09.2017	19/09/2017	19/09/2022	11.00%	5	16,392.46	16,392.46	11,777.43	11,777.43	-
9	P.51012/4/2013-32-Ch.III	For payment of statutory dues related to employees and other.	28.09.2017	29/09/2017	29/09/2022	11.00%	5	11,026.00	11,026.00	7,888.57	7,888.57	-
	Interest outstanding on secured loan from Govt. of India (Secured by Fixed assets). The principal of loan have been fully paid.									3,329.41	3,329.41	-
	Interest outstanding on unsecured loan from Govt. of India. The principal of loan have been fully paid.									5,930.82	5,930.82	-
	Total							**45,256.46**	**45,256.46**	**44,860.40**	**44,860.40**	**-**

Note: The loan amount of Rs.45,256.46 lakhs are unsecured loans (Previous year unsecured loan Rs.45,256.46 Lakhs).

II. Subsidiary Company

1 GOI has disbursed loan of Rs.7,370 Lakhs on 22-May-2020 for settling the dues of Employees, Creditors and closure of Loans and disbursed Rs.217 lakhs on 15.03.2022 as per decision of CCEA.

2 The Company had outstanding plan loan of Rs.360 Lakhs availed for manufacture of MPTFE and Rs. 1,320 Lakhs availed for refurbishment of the Plant @11.5% p.a. and both the loans repayable in 5 annual installments commencing from F.Y. 2015-16. The Company had repaid Rs.100 Lakhs with interest of Rs.24.92 lakhs during the month of March 2017, and accordingly, principal and interest outstandings were adjusted. The installments due for F.Y. 2015-16,2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 amounting to Rs. 1,580.00 lakhs shown in Note-17 Company had received letter no.P.51015/06/2019-Ch.III(Vol.II) dated 29.01.2020 on closure of HFL, in which interest on Rs.1,580 Lakhs was frozen up to 31.03.2019. Hence, interest has not been charged for the year 2022-23

20. Short Term Provisions

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Employee Benefits_ Leave encashment (Refer Note No.30)	241.61	175.16	367.90
ii) Employee remuneration	795.00	543.00	456.55
iii) Statutory Claims	-	-	15.86
iv) Penal GOI guarantee fee	-	850.00	850.00
Total	**1,036.61**	**1,568.16**	**1,690.31**

21. Other Current Liabilities

Rs. in Lakhs

Description	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
i) Advances from customers	480.03	555.59	412.81
ii) Statutory Liabilities	149.80	758.23	232.92
iii) Employee related Liabilities	134.06	161.67	556.77
iv) Payroll Recoveries Payable	15.28	17.98	20.59
v) Creditors for capital goods	29.34	-	-
vi) Other Liabilities	2,610.25	2,651.42	2,169.60
Total	**3,418.76**	**4,144.89**	**3,392.69**

22. Revenue from Operations

Rs. in Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Revenue from operations - Sales of Products		
Phenol	41,595.36	42,127.59
Acetone	23,362.26	15,388.85
Hydrogen Peroxide	2,493.66	2,949.27
H. E. of Cumene	1,857.70	1,564.83
Cumox Oil	1,018.72	1,068.32
Cumene	61.30	44.70
Others	-	-
Total Revenue from Operations	**70,389.00**	**63,143.56**

23. Other Income

Rs. in Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Direct income:		
Sale of Scrap	108.92	5.45
Sub-total (a)	**108.92**	**5.45**
Interest income on		
On Call and Term Deposits (Gross)	1,198.60	785.46
On Income tax refund	1.10	10.33
On Advances and Deposits with KSEB and others	16.74	16.02
On loan to Subsidiary Company	-	-
Delayed payment & Finance charges from trade receivable	-	0.93
Sub-total (b)	**1,216.44**	**812.74**
Other non-operating income	-	-
Estate Rent	42.61	69.70
Transport, Water, Electricity, etc. recoveries	-	13.16
Exchange rate Diff - Gain	7.70	-
Excess provision written back*	77.53	65.12
Unclaimed credit	44.92	69.25
Miscellaneous Income	170.98	55.56
Sub-total (c)	**343.74**	**272.79**
Total (a+b+c)	**1,669.10**	**1,090.98**

***Excess Provision written back include the following:**

1. Reversal of excess provision for doubtful debts	2.97	17.08
2. Provision no longer required in various cases	-	20.81
3. Excess Provision written back-Stores & Spares	74.56	27.23
Total	**77.53**	**65.12**

24. Cost of raw materials and components consumed

Rs. in Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Stock at the beginning of the year	998.33	1,699.53
Add: Purchases	51,225.32	41,978.06
Less: Stock at the end of the year	1,918.97	998.33
Total Cost of raw materials and components consumed	**50,304.68**	**42,679.26**

25. Changes in Inventories of Finished Goods and WIP

(Increase) / Decrease in inventory

Rs. in Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Stock at the beginning of the year		
(i) Stock-in-Process	938.00	1,133.84
(ii) Stock for Captive consumption	598.21	571.60
(iii) Finished Goods	351.81	1,659.54
(iv) By Products	28.45	34.20
Sub-total	**1,916.47**	**3,399.18**
Stock at the end of the year		
(i) Stock-in-Process	1,010.56	938.00
(ii) Stock for Captive consumption	227.36	598.21
(iii) Finished Goods	1,157.37	351.81
(iv) By Products	39.23	28.45
Sub-total	**2,434.52**	**1,916.47**
Changes in Inventories of finished goods and work in progress	**(518.05)**	**1,482.71**

26. Employee benefit expense

Rs. in Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
a) Salary, Wages and allowances *	3,368.21	3,320.24
b) Contribution to Provident Fund and Other funds	319.36	310.53
c) Gratuity payment including premium for Group Gratuity - cum-Life assurance scheme	165.88	92.29
d) Provision for Leave Encashment	175.33	276.14
e) Staff welfare expenses	-	-
Medical amenities	110.60	95.57
Canteen and Nutrition amenities	253.38	207.42
Other welfare expenses	81.59	53.39
f) Voluntary Retirement benefits (VRS &VSS)	-	-
Total	**4,474.35**	**4,355.58**

*Board recommended to implement salary revision of employees in the holding company w.e.f. 25.01.2021 and the same was submitted to the Ministry of Chemicals and Fertilizers for approval. Company has provided Rs. 252 lakhs for the year 2023-24 and Rs.248.00 lakhs in the books of accounts towards provision for wage revision during the year 2022-23.

The subsidiary Company's Provident Fund was exempted under section 17 of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,1952. As per the directives of Closure letter received from DCPC on 29.01.2020, company had started giving VRS to employees from May, 2020 onwards to Sept, 2022 and even non-regular employees were relieved on VSS during Oct, 2022. Remaining five (5) regular employees of HFL were transferred and posted to HOCL rolls w.e.f Sept, 2022. Since there is no employee in HFL, the Board in its meeting held on 30.01.2023 has approved to close the Employees Provident Fund Trust and surrender the balance amount with the Trust with Employees Provident fund Organisation after audit.

As per the directives of Closure letter received from DCPC on 29.01.2020, all the employees were relieved by Sept. 2022. Since there are no employees in HFL, the Board in its meeting held on 30.01.2023 has approved the closure of Employees Group Gratuity Trust and to surrender the Insurance Policies available with LIC.

27. Finance costs

Rs. in Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Interest:		
On Fixed Loans (Govt. Loan)	4,999.81	4,999.81
On Preference shares	675.00	675.00
Interest on advance from customers	1,169.49	1,001.96
Interest on Lease Liability	7.64	-
Interest - Others	95.88	6.14
Sub Total	**6,947.82**	**6,682.91**
Other Borrowing Cost-Bank charges	9.53	5.79
Total	**6,957.35**	**6,688.70**

28. Depreciation and amortization expense

Rs. in Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Depreciation		
Property, Plant and equipment	111.53	108.18
Investment Properties	2.17	2.16
Right-of-Use Asset	21.35	-
Amortization of intangible assets	8.73	8.41
Total	**143.78**	**118.75**

29. Other expenses

Rs. in Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Consumption of Stores and Spares		
i) Catalyst and Chemicals	637.23	483.28
ii) Consumable stores	300.04	265.07
iii) Packing materials	553.41	576.91
Sub total (a)	**1,490.68**	**1,325.26**
Utilities		
Power	2,806.45	2,332.70
Fuel	9,572.66	8,252.19
Water	402.21	286.31
Sub total (b)	**12,781.32**	**10,871.20**
Repairs & Maintenance:		
Building	113.67	125.00
Plant and Machinery	232.24	248.51
Other Assets	173.48	170.47
Sub total (c)	**519.39**	**543.98**

Rs. in Lakhs

Description	Year ended 31.03.2024	Year ended 31.03.2023
Administration Expenses:		
Rent	7.74	34.92
Insurance	313.72	213.87
Rates and taxes	353.90	351.08
Consultancy, Professional, and Legal Charges	312.09	211.96
Payment to Auditors:		
Auditor	4.60	4.60
Taxation matters	0.90	0.90
Reimbursement of Expenses	0.58	0.70
Other services	0.10	0.20
Other expenses:		
Power for Township	18.82	19.48
Water for Township	10.83	11.62
Security Expenses	240.56	270.01
Advertisement Expenses	7.44	6.88
Hire of Vehicles Expenses	51.24	30.93
Other Misc. Exp.	113.78	95.84
Sub total (d)	**1,436.30**	**1,252.99**
Provisions:		
Provision for Doubtful Debts	-	2.14
Provision for Unidentified assets	-	-
Provision for doubtful rent	-	-
Sub total (e)	**-**	**2.14**
Total (a+b+c+d+e)	**16,227.69**	**13,995.57**

30 EMPLOYEES BENEFIT PLAN:

A. Provision for leave encashment

The Holding Company has made a provision and levied Rs.1,155.38 Lakh (previous year Rs.1,180.00 lakh) for leave encashment as on 31st March, 2024, as per the Ind AS-19 based on Actuarial Valuation and the unpaid amount of leave encashment claims submitted by the employees.

B. Provident fund

a) The Holding Company: Employees receive benefits from the provident fund managed by the Company up to 30th June 2018. From 1st July 2018 onwards the Company has transferred the Provident fund accounts of all employees to Employees Provident Fund Organisation (EPFO) and managed by EPFO. The employee and employer each make monthly contributions to the Provident Fund/Pension Fund plan equal to 12% of the employees' salary/ wages.

b) Subsidiary Company: Provident Fund is exempted under section 17 of Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act,1952. Conditions for grant of exemption stipulate that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust vis-à-vis statutory rate.

C. Gratuity

Gratuity plan is governed by the Payment of Gratuity Act, 1972 and employee who has completed five years of service is entitled to gratuity and the level of benefits provided depended on the member's length of service and salary at retirement age. The Employees' Gratuity Fund Scheme, which is a defined benefit plan, is managed by the Trust through an Annuity Scheme maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC). The balance fund available with LIC is Rs.1,651.34 lakh (Previous year Rs.1,729.04 lakh) and deposit with ICICI Bank Rs.0.45 lakh (Previous year Rs.0.43 lakh)

In the case of subsidiary company the balance of fund available is Rs. NIL

All dues on account of gratuity of Rasayani unit and Kochi unit employees relieved up to 31.03.2024 have been paid and there are no further dues.

1. Funded Status of the plan

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Present value of funded obligations	1,550.72	1,586.47
Fair value of plan assets	(1,651.82)	(1,729.48)
Net Liability (Asset)	**(101.10)**	**(143.01)**

2 a. Profit and loss account for current period

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Current Service Cost	57.00	65.83
Past Service cost and loss/gain on curtailments and settlement	-	-
Net Interest cost	106.42	26.45
Total included in 'Employee Benefit Expense' (P&L)	**163.42**	**92.28**

2b. Other Comprehensive Income for the current period

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Components of actuarial gain/losses on obligations:		
Due to Change in financial assumptions	(27.04)	(116.71)
Due to change in demographic assumption	-	-
Due to experience adjustments	25.62	40.95
Return on plan assets including amounts included in interest income	122.92	(25.63)
Amounts recognized in Other Comprehensive Income	**121.50**	**(101.39)**

3. Reconciliation of defined benefit obligation

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Opening Defined Benefit Obligation	1,586.47	1,936.87
Transfer in/(out) obligation	-	102.02
Current service cost	57.00	65.83
Interest Cost	107.83	105.42
Components of actuarial gain/losses on obligations:		
Due to Change in financial assumptions	(27.03)	(116.71)
Due to change in demographic assumption	-	-
Due to experience adjustments	25.62	40.95
Past Service Cost	-	-
Loss(gain) on curtailments	-	-
Liabilities Extinguished on settlement	-	-
Liabilities assumed in an amalgamation in the nature of purchase	-	-
Exchange differences on foreign plans	-	-
Benefits paid	(199.17)	(547.91)
Closing defined benefit Obligation	**1,550.72**	**1,586.47**

4. Reconciliation of plan Assets

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Opening value of plan assets	1,729.47	1,490.61
Transfer in (out) plan assets	-	102.02
Expenses deducted from the fund	-	-
Return on plan assets excluding amounts included in interest income	121.51	104.59
Assets distributed on settlements	-	-
Contributions by employer	-	580.17
Assets acquired in an amalgamation in the nature of Purchase	-	-
Exchange rate differences on foreign plans	-	-
Benefits paid	(199.17)	(547.92)
Closing value of plan assets	**1,651.81**	**1,729.47**

5. Reconciliation of net defined benefit liability

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Net opening provision in books of accounts	(143.00)	446.27
Transfer in (out) obligation	-	102.02
Transfer (in) out plan assets	-	(102.02)
Employee benefits Expense as per Annexure 2	163.42	92.28
Amounts recognized in other comprehensive income	(2.57)	(101.38)
	17.85	437.17
Benefits paid by the Company	-	-
Benefits settled (Rasayani Unit)	-	-
Contributions to plan assets	-	(580.17)
Closing provision in the books of accounts	**17.85**	**(143.00)**

Reconciliation of Assets Ceiling

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Opening Value of Assets Ceiling	-	-
Interest on Opening Value of Assets Ceiling	-	-
Loss/Gain on Assets due to surplus/Deficit	-	-
Closing Value of Plan Assets Ceiling	**-**	-

6. Composition of the Plan assets

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Government of India Securities	0%	0%
State government securites	0%	0%
High Quality Corporate Bonds	0%	0%
Equity shares of listed companies	0%	0%
Property	0%	0%
Special Deposit Scheme	0%	0%
Policy of Insurance	100%	100%
Bank Balance	0%	0%
Other Investments	0%	0%
Total	**100%**	**100%**

7. Bifurcation of liability as per schedule III

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Current liability	(101.09)	(143.01)
Non - Current liability	-	-
Net Liability	**(101.09)**	**(143.01)**

8. Principle acturial assumptions

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Discount Rate	7.15%	7.3% pa
Salary Growth rate	5.00%	6.00% pa
Withdrawal rates	3% at Younger ages reducing to 1% at older ages	3% at Younger ages reducing to 1% at older ages
Rate of Return on Plan Assets	**7.15% pa**	**7.30% pa**

9. Maturity Profile of Defined Benefit Obligation

	As at 31.03.2024	
	Cash Flows Rs. In Lakhs	Distribution (%)
Year 1 Cash Flow	315.49	13.70%
Year 2 Cash Flow	234.18	10.10%
Year 3 Cash Flow	244.68	10.60%
Year 4 Cash Flow	146.15	6.30%
Year 5 Cash Flow	242.15	10.50%
Year 6 to Year 10	542.11	23.50%

The future accrual is not considered in arriving at the above cash flows

The expected contribution for the next year is Rs 57.16 Lakhs.

The Average outstanding term of obligations (years) as at valuation date is 4.91 years

10.Sensitivity to key assumptions

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Discount Rate Sensitivity		
Increase by 0.5 %	1,513.28	1,546.07
(% change)	(2.41%)	(2.55%)
Decrease by 0.5%	1,590.04	1,628.93
(% change)	2.54%	2.68%
Salary Growth rate Sensitivity		
Increase by 0.5 %	1,569.65	1,606.01
(% change)	1.23%	1.23%
Decrease by 0.5%	1,530.12	1,565.91
(% change)	(1.3%)	(1.3%)
Withdrawal rate(W R) Sensitivity		
W. R x 110%	1,554.25	1,590.23
(% change)	0.23%	0.24%
W. R x 90%	1,547.09	1,582.63
(% change)	0.23%	(0.24%)

A description of methods used for sensitivity analysis and its Limitations:

Sensitivity analysis is performed by varying a single parameter while keeping all the other parameters unchanged.

Sensitivity analysis fails to focus on the interrelationship between underlying parameters. Hence, the results may vary if the two or more variables are changed simultaneously.

The method used does not indicate anything about the likelihood of change in any parameter and the extent of the change if any

Appendix A: Break-up of defined benefit obligation

Rs. In Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Vested	1,547.77	1,585.62
Non-vested	2.95	0.85
Total	**1,550.72**	**1,586.47**

Appendix B: Age wise distribution of defined benefit obligation

Rs. In Lakhs

Age (In years)	DBO	
	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Less than 25	-	-
25 to 35	10.43	7.99
35 to 45	173.99	180.06
45 to 55	709.81	801.35
55 and above	656.48	597.07
Accrued gratuity for Left Employees	-	-
Total	**1,550.71**	**1,586.47**

Appendix C: Past service wise distribution of defined benefit obligation

Rs. In Lakhs

Age (In years)	DBO	
	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
0 to 4	2.96	0.86
4 to 10	2.72	20.59
10 to 15	162.44	193.27
15 and above	1,382.60	1,371.75
Accrued gratuity for Left Employees	-	-
Total	**1,550.72**	**1,586.47**

MAJOR RISK TO THE PLAN

A. Acturial Risk:

It is the risk that benefits will cost more than expected. This can arise due to one of the following reasons:

Adverse salary growth experience:

Salary hikes that are higher than the assumed salary escalations will result into an increase in obligation at a rate that is higher than expected.

Variability in mortality rates:

If actual mortality rates are higher than assumed mortality rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. Since there is no condition of vesting on the death benefit, the acceleration of cashflow will lead to an actuarial loss or gain depending on the relative values of the assumed salary growth and discount rate.

Variability in withdrawal rates:

If actual withdrawal rates are higher than assumed withdrawal rate assumption then the Gratuity Benefits will be paid earlier than expected. The impact of this will depend on whether the benefits are vested as at the resignation date.

B. Investment Risk

For funded plans that rely on insurers for managing the assets, the value of assets certified by the insurer may not be the fair value of instruments backing the liability. In such cases, the present value of the assets is independent of the future discount rate. This can result in wide fluctuations in the net liability or the funded status if there are significant changes in the discount rate during the inter-valuation period.

C. Liquidity Risk :

Employees with high salaries and long durations or those higher in hierarchy, accumulate significant level of benefits. If some of such employees resign/retire from the company there can be strain on the cashflows.

D. Market Risk:

Market risk is a collective term for risks that are related to the changes and fluctuations of the financial markets. One actuarial assumption that has a material effect is the discount rate. The discount rate reflects the time value of money. An increase in discount rate leads to decrease in Defined Benefit Obligation of the plan benefits & vice versa. This assumption depends on the yields on the corporate/government bonds and hence the valuation of liability is exposed to fluctuations in the yields as at the valuation date.

E. Legislative Risk:

Legislative risk is the risk of increase in the plan liabilities or reduction in the plan assets due to change in the legislation/regulation. The government may amend the Payment of Gratuity Act thus requiring the companies to pay higher benefits to the employees. This will directly affect the present value of the Defined Benefit Obligation and the same will have to be recognized immediately in the year when any such amendment is effective.

The Summary of the assumptions used in the valuations is given below:

Financial Assumptions (Table 9)

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Discount rate	7.30% p.a	6.40% p.a
Salary Growth rate	6.00% p.a	7.00% p.a
Rate of Return on Plan Assets	Not applicable	Not applicable

Demographic Assumptions

Withdrawal rates p.a (Table 10)

Age Band	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
25 and below	3.00%	3.00%
25 to 35	2.50%	2.50%
35 to 45	2.00%	2.00%
45 to 55	1.50%	1.50%
55 and above	1.00%	1.00%

Mortality rates

Sample rates p.a of Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Table 11

Age (In years)	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
20	0.09%	0.09%
30	0.10%	0.10%
40	0.17%	0.17%
50	0.44%	0.44%
60	1.12%	1.12%

Method of Valuation

Actuaries has used projected unit credit (PUC) Method to value the Defined benefit obligation.

31 INVESTMENT

a) The Holding Company has an investment of Rs.1,106.00 lakh (previous year Rs.1,106.00 lakh) in the equity share of subsidiary company M/s. Hindustan Fluorocarbons Ltd. (HFL) which is under BIFR since 1994. The net worth of the Company based on its latest audited balance sheet as at 31st March, 2024 is positive. Market value of the shares (face value Rs.10) as on 31.03.2024 was Rs.16.23 (Previous year Rs.8.91). Provision has been made in the books towards diminution in the value of these investments amounting to Rs.689.04 lakh (Previous year Rs.120.55 lakh). Government of India has decided to close down M/s.HFL as per CCEA decision on 29.01.2020. An amount of Rs.7,587 Lakhs (Rs.7,370 Lakhs on 26.05.2020 and Rs.217 Lakhs on 15.03.2022) has been released by Government of India as interest free loan to meet the VRS expenses and for clearing dues to Bank and suppliers.

b) During the year 2007-08, the Modified Draft Rehabilitation Scheme (MDRS) for revival of Subsidiary - Hindustan Flurocarbon Ltd. (HFL) was approved by BIFR for implementation. As part of implementation of MDRS, HOCL had waived interest of Rs.2,260.26 lakh accumulated on loan given to HFL and converted the unsecured loan amounting to Rs.2,744.07 lakh as Zero Coupon Loan (ZCL), into secured loan by on HFL creating first charge on immovable property (land 84.31 acre valued to the extent of Rs.10,196.76 lakh as per Govt. rate) in favour of HOCL. This loan was payable in 7 equal annual installments commencing from 2010-11, aggregating to Rs.2,744.07 lakh (Previous year Rs.2,744.07 lakh) which has become due and payable in full. Further, the Company had given loans to HFL aggregating to Rs. 453.01 lakh (Previous Year Rs. 453.01 lakh) at the interest rate of 10.25% to 14.50% which has become payable in full. This loan is also secured by first charge on the HFL immovable property. As per the valuation report by an external registered independent valuer having professional qualification the value of the secured property of 84.31 acre of land is Rs.10,196.76 lakh as on date (previous year Rs.10,196.76 lakhs).

32 EARNING PER SHARE **Rs. in Lakhs**

Earnings per share has been calculated as follows:	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Net Profit/(Loss) after Tax (Rs. in lakhs)	(5,408.98)	(5,533.72)
Weighted average number of equity shares	67,173,100.00	67,173,100.00
Nominal Value per equity share (Rs.)	10.00	10.00
Basic / Diluted Earning per equity share (Rs.)	(8.05)	(8.24)

33 SEGMENT REPORTING

Since the Group is manufacturing only Chemicals, there are no separate reportable primary and secondary segments and all the chemicals manufactured by the Group are considered to have been representing as single reportable segment. The requirements of Indian Accounting Standard 108 with regard to disclosure of segmental results are therefore considered not applicable to the company.

34 Extract of Results for the Discontinued Operations

Rs. in Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
Other Income	208.21	210.90
Finance Cost	0.01	2.39
Employees benefits expense	-	263.64
Other expenses	85.48	392.56
Profit/(loss) from discontinued operations	**122.72**	**(447.69)**

35 Contingent Liabilities & Commitments(to the extent not provided for)

Rs. in Lakhs

I)	Contingent Liabilities	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023
a)	**Claims against the Company not Acknowledged as debts:**		
	i) Income Tax Claims	91.99	91.99
	ii) Excise duty / Service tax	104.63	104.63
	iii) Gratuity for School teachers	75.31	75.31
	iv) Other claims (Legal cases)	1,385.40	1,435.73
	v) Rental claim Harchandrai House	6,738.19	6,219.08
	vi) JNPT lease rent	3,318.86	3,318.86
	vii) Penal interest on Govt. Loans	9,398.31	8,258.81
	viii) Interest on interest on Govt. Loan	68,294.06	52,435.82
	ix) Nilima Chemical Corporation	16.00	16.00
	x) GST	41.97	-
	xi) Damages on Delayed Payment of Provident Fund with Interest	94.89	94.89
	xii) ESI	13.46	13.46
II)	**Commitments:**	**89,573.07**	**72,064.58**
		2,137.73	2,645.80
b)	Bank Guarantees issued from Banks		
	Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	27.85	11.77

I) Contingent Liabilities

a) Claims against the Company not Acknowledged as debts:

i) Income Tax Claims: Rs.91.99 Lakh.

There are various appeals for Assessment years are pending before authorities i.e. ITAT, High Court and other forums. The Company is awaiting for hearing, the details are as follows:-

A Y 2002-03 Rs. 70.49 Lakh AY 2011-12 Rs.21.50 Lakh.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

ii) Excise duty / Service tax

The Holding Company has ongoing disputes with Central excise authorities relating to the period 2006-07, amounting to Rs.104.63 Lakh. Company has filed Appeals at various Tribunals.

The above assessments are under disputes at various appellate authorities. The company has not acknowledged the debts and the interest / penalty that would be leviable on the claims are not ascertainable.

iii) Gratuity for School teachers

Case filed by the teaching staff of HOC Rasayani School for the period up to March 1997, pending before Bombay High Court (Rs.75.31 Lakh) (as on 31.03.2024).

iv) Other claims (Legal cases): Rs.1385.40 Lakh (as on 31.03.2024).

a) Case filed by the Holding Company against the award passed by MAC Tribunal, Trichur in relation to Phenol Tanker accident in 1994 (Rs.118 Lakh)

b) ESI corporation has raised a demand for contribution during the period from 01.04.1992 to 31.10.1992 amounting to Rs.2.17 lakh. The matter is pending with ESI Court, Ernakulam, as desired by the ESI Court we had applied for exemption from ESI Act to the Govt. of India, hence no liability is created and a contingent liability to that extend is provided.

c) The Holding Company had invited open tender for work of construction of "Civil and Structural works for Construction of Plant Building, Technical Service Building, R&D Building, etc of PU System House Project. The Holding Company had issued the Work Order to M/s Shetusha Engineers & Constructions Pvt. Ltd. (SECPL). On account of delay and other shortcomings in the completion, company had deducted Liquidated damages. SECPL objected for the said deductions and filed an Arbitration Application before the Hon'ble High Court, Mumbai. Later the M/s SECPL had unconditionally withdrawn the said Arbitration Application from the Court. Further, M/s SECPL had filed Suit before the Hon'ble High Court, Mumbai against the Holding Company for passing the Decree against the Company towards payment of Rs.113.35 Lakh including interest. The case is pending for final hearing (as on 31.03.2024).

d) The Holding Company invoked the performance guarantee given by M/s Vakharia Construction Company, Mumbai (VCC) to whom civil contracts had been allotted as the contract works were not completed as per the terms of the work order. The matter was referred to arbitration and later went to the High Court. The court ordered the company to deposit Rs.12 lakhs and M/s VCC is allowed to withdraw the amount on submission of bank guarantee. The appeals filed before the Hight Court were dismissed. Now M/s VCC raised demand for bank guarantee commission paid to the bank and interest at the rate of 18% as the money decree passed by the Trial Court in favour of VCC was stayed due to filing civil application by the company. The liability estimated on this is Rs.39.38 lakhs and the matter is pending before court of law and accordingly shown under contingent liabilities (as on 31.03.2024).

e) WP/24588/2013 before Hon'ble High court judicature for the state of Telangana & for AP: Mr. T.Eshwaraiah, Ex-Chief Mgr. (HR) had opted VRS in 2009 and relieved from the services on 31.01.2009. Consequent to revision of pay scales of 1997 & 2007 a writ petition was filed by him in June, 2013 on account of wage revision arrears. Vakalat and Counter is filed by the Subsidiary Company. Matter pending before Hon'ble High Court; The Subsidiary Company's Board had also clarified that VRS-2009 optees are not eligible for wage revision arrears. Even the DCPC also clarified the same. Hence, in the view of the Subsidiary Company, the case is not tenable in law.

f) WP/12909/2013 before Hon'ble High court Judicature for the state of Telangana and for AP: Mr. V. Giridhar & others had opted VRS in 2009 and relieved from the services on 31.01.2009. Consequent to revision of pay scales of 1997 & 2007 a writ petition was filed by them in June, 2013 on account of wage revision arrears. Vakalat and counter filed by the Subsidiary Company. Matter pending before Hon'ble High Court; The Subsidiary Company's Board had also clarified that VRS-2009 optees are not eligible for wage revision arrears. Even the DCPC also clarified the same. Hence, in the view of the Subsidiary Company, the case is not tenable in law.

g) LC ID-1 of 2015, before Hon'ble Central Govt. Industrial Tribunal, Hyd.: Mr. N. Rambabu, Production Chemist filed ID before ALC (Central), Hyd. A Counter has been filed by the respondent company. The Subsidiary Company had terminated the employee during January, 2014 after following the laid down provisions of Certified standing orders of the Subsidiary Company. Since the Subsidiary Company had terminated him by following the approved procedures, hence the case will not tenable before the Honourable Court.

h) ID No.72 of 2012 before the Hon'ble Central Govt. Industrial Tribunal-cum labour Court, Hyderabad: The Subsidiary Company's workers' trade union-A 4397 has raised an ID before ALC (Central), Hyderabad with a request to intervene in the matter of non-payment of overtime wages. In this connection, joint proceedings were held and issue could not settle amicably, having divergent views, the conciliation officer has submitted its failure report to Govt. of India. The respondent Subsidiary company has filed counter petition. As per GOI guidelines, the financial impact on account of Pay revisions for both 1997 and 2007 need to be borne by the Subsidiary Company, since no budgetary support was not extended. Based on the commitment to DPE in writing by the recognized representative union A-3954, the GoI, had issued orders for pay revision was approved by the Board of the Subsidiary Company and implemented. The non-representative union -A 4397 had approached court of law for non-payment of overtime wages and filed a petition, hence this case is pending before court of law. Since

existing employees are already availing the compensatory off in lieu of over time, the case will not tenable before the Honourable Court. On 25.04.2023 the case was heard and reserved for Judgement.

i) WP/9697/2000 & WA 483/2013 WA No.1194/ 2012 before Hon'ble High court, AP Hyd: Mrs. K. Nagaratnam, Asst. Mgr. (Finance) has reinstated into service without back wages. Aggrieved on the order, she has filed writ appeal and counter was filed by the respondent Subsidiary Company. The employee was re-instated as per High court order without back wages and superannuated from the services of the Subsidiary Company on 31-Aug-2016. She has filed an appeal for back wages in the Hon'ble High court, Hyderabad and case is pending. The case is pending under CAV. The case is listed again on 28.02.2024 and continuing.

j) WP No. 20076/2019 before Hon'ble High Court Hyderabad: Smt K Rajani, Ex-Company Secretary, T.No. 262 had filed the WP against the reverification of "Pay Scale / Basic Pay anomaly fixed in September 2011". Some of the Officers have represented the Subsidiary Company that there is an anomaly in fixation of Pay Scale and Basic Pays against 1997 Pay Revision and have requested for refixation. The same is refixed in September 2011 to 18 Officers, one of them being Smt K Rajani. whose Pay scale and Basic Pay also refixed under anomaly. She had filed a case in High Court that the reverification and refixation of her pay scale / basic pay in February 2019 is not correct.

k) CGIT No. 134/2018: The Subsidiary Company's Employees Union A 3954. For implementation of 2017 Wage Revision.

l) OS 414/2008 before Hon'ble city civil court, Sec-bad, CCA No. 250/2017 before High Court: M/s. Shanthi boiler & Pressure Vessels Pvt Ltd, Sec-bad had delivered the boiler and failed to comply the contractual terms as agreed. Aggrieved on the supply of items a case was filed and counter was filed by the Subsidiary Company. The Subsidiary Company is pleading the case in the Court of Law and is of the view that the case will be in our favour as understood from the Legal advisors and the approximate legal implication in this matter is about Rs. 13.5 Lakh, in case The Subsidiary Company losses the case.

m) OP No. 709/1998 before CCC, Hyderabad. CMA 2861/203 before High Court, CMA 918/2018 before High Court, COP No. 42/2019 before XXIV Addl. Chief Judge, CCC, Hyderabad, COMCA 16/2020 before XXIV Chief Judge, CCC, Hyderabad. Now CMA 918/2018 and COMCA 16/2020 are tagged: Case filed by M/s Rockwell Industries Limited relating to supply of CFM-22 Gas. IDBI was impleaded in the case and IDBI has filed the counter. This dispute is going on since 1998 at various Forums – Arbitration in 1998, Hon'ble Chief Judge in 2001, Hon'ble High Court later which was sent back for fresh consideration. Again in 2017, Hyd Civil Court confirmed Order of Arbitrator, party filing fresh COP before Addl Chief Judge, City Civil Court and HFL filed case in Hon'ble High Court of Telangana. Matter presently is still before Hon'ble High Court of Telangana, which had vide its Order dated 04.11.2020 has given stay on disposal of the assets of the Company. The Case is Pending now. On 02.11.2022 the case was heard on vacating of Stay. The permission was granted to dispose of Plant and Machinery through MSTC and the Order copy is received on 04.11.2022. In this regard the court has directed The Subsidiary Company to open a separate Bank Account to deposit the sale proceeds of Plant and Machinery. The plant sale proceeds were received on 29.03.2023 and the amount of Rs.1,421 Lakhs was deposited in SBI as as FD .

n) WP No. 35920/2021 in Hon'ble High Court, Hyderabad: The TSSPDCL has levied the differential wheeling charges and issued notice to pay the wheeling charges around Rs.614 Lakhs for the period 2002 to 2004. If the same is not paid within fifteen days along with the monthly power bill the service will be disconnected. Aggrieved by the Notice of TSSPDCL, The Subsidiary Company has approached the Hon'ble High Court and the matter was heard and the Hon'ble High Court had granted Stay on 24.12.2021.

v) Rental claim Harchandrai House Rs.6,738.19 Lakh (as on 31.03.2024).

As the company has not vacated the office premises taken on lease from M/s Harchandrai & Sons as per their notice they initiated legal proceedings and stopped to accept the lease rent. The company vacated the office premises during the year 2014. Landlords filed the Mesne Profit Application before Small Causes Court, Mumbai for Mesne profit for the period from 01/06/2000 to till the possession of the said premises. The Mesne profit application filed by M/s.Harchandrai & Sons is allowed by the Court of Small Causes, Mumbai on 02.05.2022 directing the Company to pay the mesne profit @Rs.138/- per sq. ft. for the period from 01/06/2000 to 31/12/2006, for subsequent period @ Rs.274/-per sq. ft. together with an interest@9% p.a. The total amount as per Order of Small Causes court, Mumbai for mesne profit for the period from 01/06/2000 to 31/03/2014 and interest thereon up to 31-03-2024 works out to Rs.7,251.97 Lakhs (previous year Rs.6,982.86 Lakhs). The valuer appointed by HOCL has submitted his report and the average rate is assessed @Rs.48.91 per sq. ft. which is not considered by the Small Causes Court, Mumbai. As per the legal opinion, the company had filed appeal against the Order and the Company is of the opinion that there is uncertainties in crystallisation of demand other than the amount calculated as per the report of the HOCL valuer assessing mesne profit @Rs.48.91 per sq. ft. The amount of mesne profit calculated based on the report of HOCL valuer @Rs.48.91 per sq. ft is Rs.763.78 Lakhs has already been provided in the books of account for the year 2021-22. The difference amount of Rs.6,738.19 Lakhs (7,251.97-513.78) is shown as contingent liability, Holding Company has deposited an amount of Rs. 250.00 Lakhs in the Small Causes Court, Mumbai on 05.02.2024 as per directions given by the Bombay High Court. The Writ Petition filed in this matter was disposed of in March 2024 and the dispute pertaining to mesne profits valuation is pending in the Small Causes Court, Mumbai.

vi) JNPT lease rent: Rs.3,318.86 Lakh (as on 31.03.2024).

The Holding Company has entered into MoU with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to hand over the land allotted to the company for setting up Liquid Tank Farm on lease basis along with assets of the company 'as is where is basis'. The JNPT raised a demand of Rs.4,124 lakhs towards lease rentals and other charges. The company has instituted arbitral proceedings and Arbitral Tribunal issued the award in favour of the company. The assets of the company valued as per the MoU at Rs.1,638.50 lakhs and same is agreed and paid by M/s.JNPT. The undisputed amount of lease rent payable by the Holding Company to JNPT was computed on a mutual understanding between the Parties on the basis of arbitral award is Rs. 805.13 lakhs and the same is paid by the Holding Company. The disputed amount includes lease rentals Rs.2,974.51 lakhs, water charges 0.65 Lakh, way leave charges Rs.297.09 Lakhs and Service tax of way leave charges Rs.46.61 lakhs. The Holding Company has shown balance amount of demand of JNPT after adjusting undisputed lease rental paid as contingent liability since the appeal filed against the arbitral awards pending for hearing before High Court and the company is of the opinion that no provision is required as there is uncertainties in crystallisation of demand at this stage of litigation.

vii& viii) Interest at higher rate on Govt. Loans: Rs.9,398.31 Lakh and Interest on defaulted interest on Govt. Loan 68,294.06 lakhs

The Government of India reserves the right to raise the rate of interest in respect of loans granted to the company, in case of default of repayment of principal on the due date and also charge interest at rate on default in any of the payment of interest due. As there is default in payment of principal loan as well as interest due thereon, the company, in anticipation that the Government of India may demand higher rate on principal and interest on interest outstanding, arrived the additional interest liability and shown as contingent liability. As per the balance confirmation given by the Government of India, the interest at the higher rate and interest on defaulted interest have not been included.

ix) Nilima Chemical Corporation (as on 31.03.2024).

This Civil Suit is filed by M/s Nilima Chemical Corporation in the year 1996 before the First Court of the Asstt. District Judge, 24 Parganas (South), West Bengal, India.

Brief Facts of the Matter:- The Holding Company was supplying the material to M/s Nilima Chemical Corporation (""NCC"") against the bank guarantee (""BG"") provided/submitted by NCC. During the course of business, NCC had failed to pay the overdue amount towards the supply of the material and hence on 15th May 1996 HOCL had written a letter to the concerned bank namely Vijaya Bank to enforce the BG to square up the overdue of the HOCL by NCC. Subsequently, Vijay Bank released the funds of/from the BG in favour of HOCL. Thus, being aggrieved with this step/decision NCC filed the Civil Suit for passing the decree of an amount of Rs.3,90,681.90 before the First Court of the Asstt. District Judge, 24 Parganas (South). This Suit was decreed ex-parte and the Advocate of NCC informed Company vide his letter dated 24th November 2011 that they are executing the said Decree. Subsequently, HOCL had filed Misll. Case No.156 of 2011 for setting aside the said Decree and/or Suit be heard on merits. HOCL also filed the Caveat in the said matter on 25th August 2011. Company had also filed affidavit for opposing the Title Execution Case No. 11 of 2014. Now, the said case is pending before the Court for hearing. This Execution Application is filed by NCC against HOCL for execution of the Decree passed in 45 of 1996 (Ex-parte). This matter was came up for hearing on 10th November 2021 on this date the Advocate for HOCL Mrs. Saroj Tulsian tried to seek adjournment but Court declined the request for adjournment and matter was partly heard on 10th November 2021. Civil Revision Application has been filed in Calcutta High Court challenging the orders passed by lower court and the revision application hearing is still pending.

x) GST Demand Rs. 41.97 Lakhs

A Show cause Notice received from GST authorities dated 04-09-2023, from the Joint Commissioner of Central Tax & Central Excise I S Press Road. Kochi. on 10th September, 2023. In the show cause notice it is mentioned that HOCL has availed and utilized Input Tax credit of Rs.6,19,77,794/-, wrongly for the period July, 2017 to July, 2018, and requested to give written reply within 30 days from the receipt of above show cause notice .At the time of implementation of GST and filing of GSTR-3B for the period July, 2017 to July 2018, GST amount of Credit notes issued to Customers was added to Input tax credit instead of deducting the same from sales amount. In effect there will not be any change in the net GST amount payable. As requested by Joint Commissioner (GST) , We have represented our case to Joint Commissioner (GST) through M/s. Krishna Iyer & Co our GST consultant and submitted CA certificates collected from Customers for Rs.600.01 Lakhs- before 12-12-2023.The final order was passed by JC the demand of Rs.619.77 Lakhs was reduced to Rs.19.76 Lakhs, and issued DRC 07 for Rs. 41.97 Lakhs- (GST Rs.19.76 Lakhs+ Interest Rs. 20.23 Lakhs+Penalty Rs. 1.97 Lakhs). Further we have collected CA Certificates for Rs.11.58 Lakhs - which is kept with us and will be produced to GST authorities after collecting the certificates for the balance amount. We have filed Appeal against order No. .16/2023-24 GST (JC) DATED-12-12-2023 OF THE JOINT COMMISSIONER, CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE, KOCHI COMMISSIONERATE on 27-02-2024.

xi) Damages on Delayed Payment of Provident Fund with Interest(Subsidiary Company): Rs.94.89 Lakhs

The Subsidiary Company has written to Central Provident Fund Commissioner for waiver of damages for delayed payment of PF dues during the period 2000-01 to 2010-11 considering the fact that the company was a BIFR referred Company.

xii) ESI (Subsidiary Company) Rs. 13.46 lakhs

The ESI Corporation demanded to the Subsidiary Company that dues of Rs.15,99,902/- towards contribution of 153 employees for the period from 01.01.1997 to 30.09.2000. The Subsidiary Company has remitted Rs.7,99,951/- as per court order towards 50% of the principal amount. Interest claimed up to 31.03.2001 was Rs.5,46,139. Therefore, the balance amount of Rs.13,46,090 (15,99,902+5,46,139-7,99,951) shown as contingent liability.

xiii) The amount of claims in respect of legal cases filed against the Company for labour matters relating to regular and retired employees and not acknowledged as debts is not ascertainable.

b) Bank Guarantees issued Rs.2,137.73 Lakh

The Holding Company has submitted bank guarantees to Kerala State Electricity Board amounting to Rs.192.37 Lakh, BPCL Rs.4,600 Lakh, MRPL Rs.1,000 Lakh and Rs.300.00 Lakh to others. The company does not expect any outflow in respect of the above.

Contingent liability and commitments has been shown against bank guarantees issued to MRPL Rs.1,000.00 Lakh only.

II) Estimated amount of Contracts remaining to be executed on capital account and not provided for: Rs.27.85 Lakh

Rs. in Lakhs

Work order issued for the following contracts.	2023-24	2022-23
a) Resurfacing of roads in Township	27.85	-
Total	**27.85**	**-**

36 Disclosure relating to error or omission as per Ind AS 8

a) In accordance with Ind AS 8, 'Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors' and Ind AS1, 'Presentation of Financial Statements', the Company has retrospectively restated its Balance Sheet as at 1 April 2022 (beginning of the preceding period) for the reasons as stated below

Rs. in Lakhs

Particulars	As at 31.03.2024	As at 31.03.2023	As at 01.04.2022
Retained earnings			**(99,437.26)**
Restatement in other current assets	-	-	(58.44)
Total	**-**	**-**	**(58.44)**
Restated Retained Earnings			(99,495.70)

In the Holding Company, Other current assets - Statutory receivables (including duties, taxes, and prepaid taxes) included an amount of Rs. 58.44 lakh considered as refund receivable for prior assessment years. However, the assessments for those years have been completed, and the refunds have been issued or adjusted against income tax demands for other years, with no appeals pending . As the error or omission occurred prior to the financial year 2021-22, the aforementioned amount has been adjusted in accordance with the provisions of Ind AS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. This adjustment entails a retrospective restatement of the opening balances of retained earnings for the earliest prior period presented, i.e., 01.04.2022, as if a prior period error had never occurred.

b) Reconciliation of restated items of Statement of Profit and Loss for the year 31-03-2023

Rs. in Lakhs

Particulars	For the year ended 31-03-2023
Profit from Continuing operations after tax as per previously audited financial statement	(5,533.72)
RECLASSIFICATION ADJUSTEMENTS:	
Add/ (Less): Profit/(loss) from discontinued operations after tax reclassified	(447.69)
Profit from Continuing operations after tax as per Reclassified Accounts	**(5,086.03)**
Profit from Discontinued operations after tax as per previously audited financial statement	-
RECLASSIFICATION ADJUSTEMENTS:	
Add/ (Less): Profit/(loss) from discontinued operations after tax reclassified	447.69
Profit from Discontinued operations after tax as per Reclassified Accounts	**(447.69)**

The Company had classified discontinued operations from its Subsidiary Company as continuing Operation during the previous reporting period. As per the Provisions of Ind-AS 8-"Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors", the Company had reclassified the same as discontinued operations.

37 RELATED PARTY DISCLOSURE AS PER Ind- AS 24

Since Government of India owns 58.78% of the Company's equity share capital (under the administrative control of Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals), the disclosures relating to transactions with the Government and other Government controlled entities have been reported in accordance with para 26 of Ind AS 24.

List of related parties where control exists and also related parties with whom transactions have taken place and relationships:

Rs. In Lakhs

Sl. No.	Name of the Related Party Relationship	Relationship	Details of Transaction	Amt. of Transaction during 2023-24	Outstanding at the end of the year (31.03.2024)	Amt. of Transaction during 2022-23	Outstanding at the end of the year (31.03.2023)	Amt. of Transaction during 2021-22	Outstanding at the end of the year (31.03.2022)
1	Bharat Petroleum Corporation Ltd	Controlled by Government of India.	Purchase of Raw materials (LPG, Benzene, FO, H2 & LNG)	53,834.61	6,201.50	37,659.45	3,462.27	22,883.56	3,051.35
2	Bharat Petroleum Corporation Ltd	Controlled by Government of India.	Sale of Finished Goods (H2O2)	42.84	22.00	43.00	29.08	15.07	22.84
3	Indian Oil Corporation Limited	Controlled by Government of India.	Purchase of Raw materials/ Fuel	7,317.37	25.01	6,130.67	-59.52	478.67	-
4	Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited	Subsidiary of ONGC	Purchase of Raw materials (Benzene)	386.14	-	5,496.25	-	-	-
Trust constituted by the Company									
5	HOCL Group Gratuity Trust	-do-	Investment and interest on investment	121.49	1,651.82	682.19	1,729.48	610.89	1,490.61

REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Rs. in Lakhs

Description	Short-term employee benefits	Post-term employee benefits	Other long-term benefits	Termination benefits	Share-based payments	Total
2023-24						
A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:						
Shri. Sajeev B, CMD	38.91	4.97	-	-	-	43.88
Shri. Yogendra Prasad Shukla	31.08	4.18	-	-	-	35.26
B. Remuneration to Other Directors						
i) Govt. Nominee Directors						
Shri Sanjay Rastogi (AS&FA) (Up to 22.11.23)	-	-	-	-	-	-
Shri Kanishk Kant Srivastava.	-	-	-	-	-	-
Shri Manoj Sethi (From 22.11.2023)	-	-	-	-	-	-
ii) Independent Directors						
Dr. Bharat J. Kanabar	1.30	-	-	-	-	1.30
Shri Pratyush Mandal	1.30	-	-	-	-	1.30
C. Key Managerial Personnel						
Shri. Subramonian H	13.79	1.91	-	-	-	15.70
Total	**86.38**	**11.06**	-	-	-	**97.44**
2022-23						
A. Remuneration to Whole time Director, Managing Director and/or Manager:						
Shri. Sajeev B, CMD	36.80	4.56	-	-	-	41.36
Shri. Yogendra Prasad Shukla (From 04.07.22)	21.68	2.90	-	-	-	24.58
B. Remuneration to Other Directors						
i) Govt. Nominee Directors						
Shri Sanjay Rastogi (AS&FA)	-	-	-	-	-	-
Shri Kanishk Kant Srivastava.	-	-	-	-	-	-
ii) Independent Directors						
Dr. Bharat J. Kanabar	1.10	-	-	-	-	1.10
Shri Pratyush Mandal	1.10	-	-	-	-	1.10
C. Key Managerial Personnel						
Shri. Subramonian H	13.10	1.76	-	-	-	14.86
Shri. P.O. Luise, CFO (up to 04.08.2022)	9.29	1.22	-	-	-	10.51
Total	**83.07**	**10.44**	-	-	-	**93.51**

Note:

In the ordinary course of its business, the Group enters into transactions with other Government controlled entities (not included in the list above). The Group has transactions with other Government-controlled entities, including but not limited to the followings:

Sales and purchases of goods and ancillary materials, Rendering and receiving of services, Receipt of dividends, Loans and advances, Depositing and borrowing money, Guarantees and Uses of public utilities.

These transactions are conducted in the ordinary course of business on terms comparable to those with other entities that are not Government controlled entities.

38 Financial Instruments :

Accounting policy:

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets

Initial recognition and measurement :

All financial assets are recognised initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction costs that are attributable to the acquisition of the financial asset.

Debt instruments at amortised cost

A 'debt instrument' is measured at its amortised cost if both the following conditions are met:

a) The asset is held within a business model whose objective is to hold assets for collecting contractual cash flows, and

b) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

After initial measurement, such financial assets are subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate (EIR) method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in other income in the statement of profit or loss. The losses arising from impairment are recognised in the statement of profit or loss.

Debt instrument at Fair Value Through Other Comprehensive Income (FVTOCI)

A 'debt instrument' is classified at FVTOCI if both of the following criteria are met:

a) The objective of the business model is achieved both by collecting contractual cash flows and selling the financial assets, and

b) The asset's contractual cash flows represent SPPI.

Debt instruments included within the FVTOCI category are measured initially as well as at each reporting date at fair value. Fair value movements are recognized in the other comprehensive income (OCI). However, the company recognizes interest income, impairment losses & reversals and foreign exchange gain or loss in the Profit and Loss. On de-recognition of the asset, cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from the equity to Profit and Loss. Interest earned whilst holding FVTOCI debt instrument is reported as interest income using the EIR method.

Debt instrument at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

FVTPL is a residual category for debt instruments. Any debt instrument, which does not meet the criteria for categorization as at amortized cost or as FVTOCI, is classified as FVTPL. In addition, the company may elect to designate a debt instrument, which otherwise meets amortized cost or FVTOCI criteria, as at FVTPL. However, such election is allowed only if doing so reduces or eliminates a measurement or recognition inconsistency (referred to as 'accounting mismatch'). The Group has designated certain debt instrument as at FVTPL. Debt instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

Equity investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the company may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value. The Group makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition and is irrevocable. If the Group decides to classify an equity instrument as at FVTOCI, then all fair value changes on the instrument, excluding dividends, are recognized in the OCI. There is no recycling of the amounts from OCI to statement of profit and loss, even on sale of investment. However, the Group may transfer the cumulative gain or loss within equity. Equity instruments included within the FVTPL category are measured at fair value with all changes recognized in the statement of profit and loss.

De-recognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is primarily derecognised (i.e. removed from the Group's balance sheet) when the rights to receive cash flows from the asset have expired, or the company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either

(a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or

(b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognise the transferred asset to the extent of the Group's continuing involvement. In that case, the Group also recognises an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment of financial assets

In accordance with Ind AS 109, the Group applies expected credit loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial assets that are debt instruments, and are measured at amortised cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance

b) Financial assets that are debt instruments and are measured as at FVTOCI

c) Lease receivables under Ind AS 17

d) Trade receivables or any contractual right to receive cash or another financial asset that result from transactions that are within the scope of Ind AS 18 (referred to as 'contractual revenue receivables' in these financial statements)

e) Financial guarantee contracts which are not measured as at FVTPL

The company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on:

Trade receivables and Other receivables

The application of simplified approach does not require the Group to track changes in credit risk. Rather, it recognises impairment loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date, right from its initial recognition. For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the Group determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-month ECL is used to provide for impairment loss.

However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognising impairment loss allowance based on 12-month ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-month ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL is the difference between all contractual cash flows that are due to the company in accordance with the contract and all the cash flows that the entity expects to receive (i.e., all cash shortfalls), discounted at the original EIR. When estimating the cash flows, an entity is required to consider:

All contractual terms of the financial Instrument (including prepayment, extension, call and similar options) over the expected life of the financial instrument. However, in rare cases when the expected life of the financial instrument cannot be estimated reliably, then the entity is required to use the remaining contractual term of the financial instrument.

Cash flows from the sale of collateral Held or Other credit enhancements that are integral to the contractual terms. financial assets measured as at amortised cost, contractual revenue receivables and lease receivables: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the balance sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.

Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or payables, as appropriate. All financial liabilities are recognised initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs. The Group's financial liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including bank overdrafts, financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

Financial liabilities at fair value through profit or loss

Financial liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through profit or loss. Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109. Gains or losses on liabilities held for trading are recognised in the statement of profit and loss.

Loans and borrowings

This is the category most relevant to the Group. After initial recognition, interest-bearing loans and borrowings are subsequently measured at amortised cost using the EIR method. Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR amortisation process. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortisation is included as finance costs in the statement of profit and loss. This category generally applies to borrowings.

Financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts issued by the Group are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make a payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognised initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount recognised less cumulative amortisation.

De-recognition

A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognised in the Statement of Profit and Loss.

Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the standalone balance sheet if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair value measurement

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximising the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs. All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole

Level 1 — Includes financial instruments measured using quoted prices. This includes listed equity instruments, traded bonds and mutual funds that have quoted price. The fair value of all equity instruments (including bonds) which are traded in the stock exchanges is valued using the closing price as at the reporting period. The mutual funds are valued using the closing NAV.

Level 2 — The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example, traded bonds, over-the-counter derivatives) is determined using valuation techniques which maximise the use of observable market data and rely as little as possible on entity-specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

Level 3 — If one or more of the significant inputs is not based on observable market data, the instrument is included in Level 3. This is the case for unlisted equity securities, contingent consideration and indemnification asset

Financial Assets and Liabilities measured at fair value-recurring fair value measurements :

Rs. In Lakhs

Description	As at 31st March, 2024				As at 31st March, 2023			
	Level 1	Level 2	Level 3	Total	Level 1	Level 2	Level 3	Total
Financial assets :								
Loans	-	-	14.84	14.84	-	-	22.35	22.35
Trade Receivables	-	-	1,995.31	1,995.31	-	-	1,936.87	1,936.87
Investments	-	-	5.00	5.00	-	-	5.00	5.00
Cash and cash equivalents	-	-	133.34	133.34	-	-	726.80	726.80
Bank balances other than Cash			25,237.42	25,237.42			19,086.96	19,086.96
Other Financial Assets	-	-	1,053.62	1,053.62	-	-	662.15	662.15
Total Financial Assets	**-**	**-**	**28,439.53**	**28,439.53**	**-**	**-**	**22,440.13**	**22,440.13**
Financial Liabilities								-
Borrowings	-	-	83,298.90	83,298.90	-	-	81,423.46	81,423.46
Lease Liabilities	-	-	111.51	111.51	-	-	-	-
Trade payables	-	-	6,858.66	6,858.66	-	-	4,082.81	4,082.81
Other Current Financial Liabilities	-	-	52,823.25	52,823.25	-	-	47,133.85	47,133.85
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**143,092.32**	**143,092.32**	**-**	**-**	**132,640.12**	**132,640.12**

Categories of Financial Instruments

Fair Values hierarchy :

Description	As at 31st March, 2024				As at 31st March, 2023			
	FVTPL	FVOCI	Amortised Cost	Total	FVTPL	FVOCI	Amortised Cost	Total
Financial Assets :								
Loans	-	-	14.84	14.84	-	-	22.35	22.35
Trade Receivables	-	-	1,995.31	1,995.31	-	-	1,936.87	1,936.87
Investments	-	5.00	-	5.00	-	5.00	-	5.00
Cash and cash equivalents	-	-	133.34	133.34	-	-	726.80	726.80
Bank balances other than Cash	-	-	25,237.42	25,237.42	-	-	19,086.96	19,086.96
Other Financial Assets	-	-	1,053.62	1,053.62	-	-	662.15	662.15
Total Financial Assets	**-**	**5.00**	**28,434.53**	**28,439.53**	**-**	**5.00**	**22,435.13**	**22,440.13**
Financial Liabilities								-
Borrowings	-	-	83,298.90	83,298.90	-	-	81,423.46	81,423.46
Lease Liabilities	-	-	111.51	111.51	-	-	-	-
Trade payables	-	-	6,858.66	6,858.66	-	-	4,082.81	4,082.81
Other Current Financial Liabilities	-	-	52,823.25	52,823.25	-	-	47,133.85	47,133.85
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**143,092.32**	**143,092.32**	**-**	**-**	**132,640.12**	**132,640.12**

39 Financial risk management

i. Market risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Such changes in the values of financial instruments may result from changes in the foreign currency exchange rates, interest rates, credit, liquidity and other market changes. The Group's exposure to market risk is primarily on account of foreign currency exchange rate risk.

a) Foreign currency exchange rate risk

The fluctuation in foreign currency exchange rates may have potential impact on the Statement of Profit and Loss and other comprehensive income, and equity, where any transaction references more than one currency or where assets / liabilities are denominated in a currency other than the functional currency of the Group but as Group balance in foreign currency hence Group is not exposed to foreign currency exchange rate risk.

b) Interest rate risk

The Group's investments are primarily in subsidiary through quoted equity share and unquoted equity share of other entity therefore none of the investment activity is generating interest out of the investment. Hence, the Group is not significantly exposed to interest rate risk.

ii. Credit risk

Credit risk is the risk of financial loss arising from counterparty failure to repay or service debt according to the contractual terms or obligations. Credit risk encompasses of both, the direct risk of default and the risk of deterioration of creditworthiness as well as concentration of risks. Credit risk is controlled by analysing credit limits and creditworthiness of customers on a continuous basis to whom the credit has been granted after obtaining necessary approvals for credit.

Financial instruments that are subject to concentrations of credit risk principally consist of trade receivables, unbilled receivables, investments, cash and cash equivalents, bank deposits and other financial assets, company generating revenue for individually in excess of 10% or more of the Group's revenue for the year ended March 31, 2024 from the below mention customer.

Name of customer	Amt of revenue (Rs. Lakhs)	% of total revenue
POOJA PETRO CHEMICALS	21,300.59	30%
PONPURECHEMICAL INDIA P LTD	9,164.73	13%
NEEPRA TRADING CO.	8,444.33	12%

Geographic concentration of credit risk

Geographical concentration of trade receivables, unbilled receivables (previous year: unbilled revenue) and contract assets is allocated based on the location of the customers.

iii. Liquidity risk

Liquidity risk refers to the risk that the Group cannot meet its financial obligations. The objective of liquidity risk management is to maintain sufficient liquidity and ensure that funds are available for use as per requirements.

The Group manages liquidity risk by maintaining adequate reserve, banking facilities and reserve borrowing facilities, continuously monitoring forecast and actual cash flow and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities.

As per CCEA approval for Shut- down of the Subsidiary Company, an amount of Rs.7,587 Lakhs has been received for the implementation of VRS/ VSS, Statutory dues, and payments to suppliers/contractors/ utilities and other dues. The proceeds from sale of Land, Building, Plant & Machinery and other assets shall be utilised for meeting its contractual obligations. Note no.44, regarding the CCEA procedure for disinvestment and sanction of loan from GOI, details that the Subsidiary Company has financial assets at its disposal to reduce liquidity risk.

40 Deferred Tax

For the Year 2023-24 — **Rs. in Lakhs**

Description	Opening Balance 01.04.2023	Recognisable in P & L	Reversal on account of Probability checking of Future Profit	Recognised in P & L	Recognised in OCI	Closing Balance 31.03.2024
Deferred Tax Liability						
Excess Provision W/back	-	-	-	-	-	-
Provision for impairment W/Back	-	-	-	-	-	-
Revaluation of land in Fair Value	20,775.52	-	-	-	1,747.00	22,522.52
Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE	(4,056.00)	-	-	-	(971.00)	(5,027.00)
Fair Value of Investment in HFL	-	-	-	-	-	-
	16,719.52	**-**	**-**	**-**	**776.00**	**17,495.52**
Deferred Tax Asset						
Depreciation	-	25.00	(25.00)	-	-	-
Provision for Leave Encashment	-	51.00	(51.00)	-	-	-
Voluntary Retirement Benefits (VRS/VSS)	-	-	-	-	-	-
Provision for Doubtful Debts	-	-	-	-	-	-
Provision for Doubtful Advances	-	-	-	-	-	-
Provision for Long Term Agreements	-	-	-	-	-	-
Provision for Obsolescence	-	-	-	-	-	-
Provision for Statutory claims	-	-	-	-	-	-
Accumulated Income tax loss to the extent of deferred tax liability	-	-	-	-	-	-
	-	**76.00**	**(76.00)**	**-**	**-**	**-**
Net Deferred tax liability	**16,719.52**	**(76.00)**	**76.00**	**-**	**776.00**	**17,495.52**

For the Year 2022-23 — **Rs. in Lakhs**

Description	Opening Balance 01.04.2022	Recognisable in P & L	Reversal on account of Probability checking of Future Profit	Recognised in P & L	Recognised in OCI	Closing Balance 31.03.2023
Deferred Tax Liability						
Revaluation of land in Fair Value	20,473.52	-	-	-	302.00	20,775.52
Reversal of deferred tax liability on disposal of revalued of PPE	(4,056.00)	-	-	-	-	(4,056.00)
Fair Value of Investment in HFL	(15.00)	-	-	-	15.00	-
	16,402.52	**-**	**-**	**-**	**317.00**	**16,719.52**
Deferred Tax Asset						
Depreciation	-	18.00	(18.00)	-	-	-
Provision for Leave Encashment	-	80.00	(80.00)	-	-	-

For the Year 2022-23 — **Rs. in Lakhs**

Description	Opening Balance 01.04.2022	Recognisable in P & L	Reversal on account of Probability checking of Future Profit	Recognised in P & L	Recognised in OCI	Closing Balance 31.03.2023
Voluntary Retirement Benefits (VRS/VSS)	-	-	-	-	-	-
Provision for Doubtful Debts	-	1.00	(1.00)	-	-	-
Provision for Doubtful Advances	-	-	-	-	-	-
Provision for Long Term Agreements	-	-	-	-	-	-
Provision for Stock Obsolescence	-	-	-	-	-	-
Provision for Statutory claims	-	-	-	-	-	-
	-	**99.00**	**(99.00)**	**-**	**-**	**-**
Net Deferred tax liability	**16,402.52**	**(99.00)**	**99.00**	**-**	**317.00**	**16,719.52**

41 Additional disclosures

Financial, Liquidity and Other Ratios

Ratios	Components of Numerator	Components of Denominator	For the Year ended 31.03.2024	For the Year ended 31.03.2023	% Variance	Explanation by Management
Current Ratio	Current Assets	Current Liabilities	0.91	0.94	-3.31%	
Debt Equity Ratio	Total debt	Shareholders' Equity	-26.41	-25.52	3.49%	The Fair Value of Kochi land increased and thereby total equity has increased.
Debt Service Coverage Ratio	Earnings available for debt service	Debt service	0.00	0.00	49.10%	Earnings reduced due to Net Loss increase during the year 2023-24 and Debt increased due to provision of interest of GOI loan and preference shares
Return on Equity Ratio	Net profit after tax	Shareholders' Equity	106%	199%	-92.58%	Net Loss increased during the year 2023-24 and Net worth decreased due to loss during the year.
Inventory Turnover Ratio	Sales	Average Inventory	32.36	23.76	36.19%	Sales increased but average inventory reduced during the current year
Trade Receivables Turnover Ratio	Net Sales	Average Trade Receivables	35.80	45.08	-20.59%	
Trade Payables Turnover Ratio	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	9.36	10.14	-7.62%	
Net Capital Turnover Ratio	Net Sales	Average Working Capital	-6.59	-12.20	46.03%	Current Liability has increased in 2023-24 due to the increase of Trade payables and interest due on govt. loan.
Net Profit Ratio	Net profit after tax	Net Sales	-7.68%	-8.76%	1.08%	
Return on Capital Employed	Profit Before Interest and Taxes (PBIT)	Capital Employed	1.07%	0.85%	0.22%	Profit reduced and Asset value increased.
Return on Investment	Dividend	Share Price	-	-	0.00%	

42 Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015- as per Regulation 17(1)(b), the chairman being an executive director, at least half of the board of Directors should be comprised of Independent Directors. Currently, the Holding Company does not have required number of Independent Directors on its board. Accordingly, there is consequent non-compliance of Regulations 18,19 and 20 of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015. Non- Compliance of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015 - as per the Regulation 17 (1) (a) of the SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015, Board of Directors shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one Woman Director and not less than fifty percent of the Board of Directors shall comprise of non-executive directors. Currently, the Holding Company does not have Woman Director on its Board.

43 Going concern

a) The Group has reported net loss including other comprehensive income of Rs. 62.87 lakhs (Previous year net less including other comprehensive income of Rs. 4,698.95 lakhs) Also the company has accumulated loss amounting to Rs 1,14,670.64 lakhs (Previous year Rs.1,13,877.61 lakhs) with a negative net worth of Rs.1,03,105.11 lakhs (Previous year Rs. 1,02,312.08 lakhs) excluding other comprehensive income. The company has a balance under current assets of cash and cash equivalents and other bank balances of Rs 25,370.76 lakhs (Previous year Rs.19,813.76 lakhs) as at the year end. After considering these conditions, the consolidated financial statement of the company have been prepared on going concern basis.

b) The Holding Company is in the process of implementing the Govt. Approved restructuring plan vide order dated May 22, 2017. The Holding Company has closed the Rasayani Unit, and the scrapped plant and equipment have been disposed off. The sale of unencumbered land in Rasayani through NBCC and the sale of Panvel land through e-auction are in progress. The Phenol plant located at Kochi is operational and operated at 119% of capacity in current year compared to 93% in previous year . The production of Phenol and Acetone increased to 77130 MT in current year from 60656 MT in previous year. EBIT for the year 2023-24 Rs.1,425.65 Lakhs (Previous year 2022-23 Rs.1,602.67 Lakhs). In view of this, the financial statements have been prepared on going concern basis.

c) The Government of India had approved the closure of the Subsidiary Company on 29.01.2020. Accordingly, the Subsidiary Company had initiated the closure of the facility and undertook closure activities as per the mandate given, up to the year ended 31.03.2024. Pursuant to the above, management had made VRS payments to employees, settled bank loan, and made payments towards various outstanding dues. Plant and machinery were sold during March 2023 and the sale proceeds were deposited as a fixed deposit in SBI. Consequently, there is an existence of material uncertainty which had impacted the Going Concern Status. The Subsidiary Company is no longer Going Concern. The provisions of Ind-AS 105, "Non-Current Assets held for Sale and Discontinued Operations," become applicable and are being followed by the Subsidiary Company.

44 As per the letter dated 29.01.2020 from the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals & Petrochemicals, under which the Subsidiary Company functions, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) in its meeting held on 22nd Jan, 2020 had approved the following:

a) Shutting down the operations of the plant/unit & closure of the Subsidiary Company.

b) Separating the employees (regular and non-regular/adhoc) rendered surplus due to closure of plant through VRS/VSs, after payment of all their outstanding salary/wages and statutory dues, except for skeletal staff required to implement the full and final closure of the Subsidiary Company. Employees not opting for VRS/VSS will be retrenched as per the provisions of Industrial Disputes Act, 1947.

c) Grant of interest free loan of Rs.7,720 Lakhs by Govt. of India to Subsidiary Company to be utilized exclusively for closure related expenditure including (i) implementation of VRS/VSs for Subsidiary Company employees, their dues, statutory dues, payment to suppliers /contractors /utilities dues and repayment of SBI working capital loan (ii) salary/wages and administrative expenses of Subsidiary Company 's skeletal staff to be temporarily retained for completing the closure of Subsidiary Company for two years.

d) Above interest free loan of Rs.7,720 Lakhs will be repaid by Subsidiary Company to Govt. of India from the sale proceeds of land and other assets of the Subsidiary Company, as and when disposed off and after settling all the liabilities related to closure of the Subsidiary Company.

e) After settlement of all liabilities related to closure of Subsidiary Company and repayment of interest free loan of Rs.7,720 Lakhs, surplus proceeds from disposal of land and other assets, if any, will be used for repayment of Subsidiary Company's outstanding Govt of India (Rs.1,580 Lakhs) and interest thereon, with freezing of interest up to 31.3.2019. Full or part of the principal loan amount (Rs.1,580 Lakhs) and interest thereon up to 31.3.2019 remaining unpaid due to insufficient sale proceeds is to be written off/waived.

f) For facilitating disposal of Subsidiary Company 's land, M/s NBCC (India) Ltd may be appointed as Land Management Agency (LMA) to manage and assist in the land disposal subject to outcome of the decision of Telangana Govt/TSIIC on purchasing land of Subsidiary Company.

g) Disposal of plant/machinery and movable assets will be done by Subsidiary Company through e-auction by MSTC Ltd.

In pursuance of the said decision, Subsidiary Company had received an amount of Rs.7,370 Lakhs on 26.05.2020 and Rs.217 Lakhs on 15.03.2022 as interest free loan from GoI. As per the above CCEA Order and as at 31.03.2023, all the employees were relieved before 31.08.2022 except five skeleton staff who were transferred to the roll of Holding Company in Sept 2022. All the undisputed dues except Govt. loans and HOCL loans were settled by utilising the interest free loan sanctioned by the Govt. of India. The total amount utilized up to 31.03.2023 was Rs.6,623 Lakhs. The balance amount will be utilized for settling the other dues and other operating expenditure for completing the closure of the Company. The said process is still going on.

45 No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Group to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Group ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

46 No funds have been received by the Group from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Group shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

47 Relationship with Struck off Companies

Relationship with Struck off Companies as on 31st March 2024

Name of struck off Company	Nature of transactions with struck-off Company	Balance outstanding	Relationship with the Struck off company, if any, to be disclosed
Sharp Chemical Inds. P. ltd.	Sales	Rs. 3.31 Lakh	Debtor
Nice agro Enterprise	Sales	Rs. 0.28 Lakh	Debtor
Balaji Industries	Sales	Rs.0.49 Lakh	Debtor

During the previous year 2022-23 the Holding Company did not have any relationship with struck off companies.

48 No charge or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

49 No Loans or Advances in the nature of loan is granted to promoters, directors, KMPs and the related parties (as defined under Companies Act, 2013,) either severally or jointly with any other person during the year.

50 There is no capital- work- in progress as on 31.03.2024

51 The Group has complied with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the Act read with the Companies (Restriction on number of Layers) Rules, 2017.

52 There is no intangible assets under development

53 No proceedings have been initiated or pending against the Group for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and the rules made there under.

54 The Group is not declared as a wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

55 The Group has no transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 (such as, search or survey or any other relevant provisions of the Income Tax Act, 1961), unless there is immunity for disclosure under 11 any scheme and also shall state whether the previously unrecorded income and related assets have been properly recorded in the books of account during the year.

56 The Group is not required mandatorily to carry out any CSR activities on account of losses incurred during the previous years.

57 The Group has not traded or invested in Crypto currency or Virtual Currency during the financial year.

58 The Consolidated Financial Statements were authorized for issue in accordance with a resolution passed by the Board of Directors on 22.05.2024. The Standalone Financial statements of Subsidiary Company were passed by the Board of Directors on 20.05.2024.

59 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

As per our report of even date attached

For Paulson & Company
Chartered Accountants
FRN 002620S

Sd/-
CA Paulson K.P
Partner
Membership No.: 021855
UDIN: 24021855BKAOAB3272

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sajeev B.
Chairman and Managing Director
DIN 09344438

Sd/-
Yogendra Prasad Shukla
Director (Finance)
DIN 09674122

Place: Ernakulam, Kerala
Date: 22.05.2024

Sd/-
Subramonian H.
Company Secretary

NOTES

हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

पंजीकृत और कार्पोरेट कार्यालय : पोस्ट बैग नंबर 18, अंबलमुगल पीओ, एरणाकुलम जिला, केरल - 682 302

संपर्क नं : 0484-2727342 ई-मेल आईडी: cs@hoclindia.com, वेबसाईट : www.hoclindia.com

Registered & Corporate Office: Post Bag No. 18, Ambalamugal PO, Ernakulam District, Kerala - 682 302.

Contact Nos.: 0484 - 2727342,, E-mail id : cs@hoclindia.com, Website : www.hoclindia.com

Designer Printed By : DJ Mediaprint & Logistic Ltd. I Sales@djcorp.in